

भारतीय काव्यशास्त्र एवं भाषा विज्ञान

विशेषण लोकोक्तियाँ लिंग अनुवाद
क्रिया मुहावरे शब्द-अर्थ कालवाचक प्रचारिणी आर्य भाषा शैल
वाक्य प्रयोग वचन विराम चिह्न भूमिका
संधि-विच्छेद पुरुषवाचक शब्दार्थ अनुवादे संशोधन वाक्य प्रयोग संग्रह
प्रश्नवाचक आदिम भाषा एकवचन विषयवाचक वाक्य प्रयोग लक्ष्य लिं
भाषा संज्ञा लिंग काव्यशास्त्र एवं भाषा विज्ञान संबंधवाचक
निबंध काल लेखन बहवचन शब्दसाधन ग्रंथ

बी. ए. (हिन्दी)
(तृतीय वर्ष)
(पत्र-IV)



INSTITUTE OF DISTANCE EDUCATION
IDE
Rajiv Gandhi University

भारतीय काव्यशास्त्र एवं भाषा विज्ञान

बी.ए. (हिंदी)
तृतीय वर्ष
(पत्र IV)



RAJIV GANDHI UNIVERSITY

Arunachal Pradesh, INDIA - 791 112

BOARD OF STUDIES

Dr. Vinod Kr. Mishra Head Department of Hindi Tripura University, Suryamaninagar Tripura (W)	Chairman
Prof. Oken Lego Head Department of Hindi Rajiv Gandhi University	Member
Dr. Amarendra Tripathi Assistant Professor Department of Hindi Hari Singh Gaur University Sagar, Madhya Pradesh	Member
Dr. Abhishek Yadav Assistant Professor Department of Hindi Rajiv Gandhi University	Member
Dr. H.K. Sharma Professor Department of Hindi Rajiv Gandhi University	Member Secretary

Authors

Dr Laxmi Panday, D.Lit., Assistant Professor, Department of Hindi, Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar
Units (1.0-1.6.1, 2.0-2.1, 2.3, 2.5, 3.3, 4.2.4, 4.4-4.4.1, 4.5-4.5.2, 5.2.2) © Reserved, 2018

Dr Tarannum Khan, Aligarh Muslim University
Unit (2.2, 2.6, 2.6.2) © Dr Tarannum Khan, 2018

Dr Seema Sharma, Lecturer, Department of Hindi, Ginni Devi Modi Girls (PG) College, Modinagar (UP)
Unit (3.0-3.2) © Reserved, 2018

Dr Kamini Taneja, Assistant Professor, Delhi University, Delhi
Units (4.2-4.2.3, 5.0-5.2.1, 5.3-5.5) © Reserved, 2018

Vikas Publishing House

Units (1.6.2-1.11, 2.4, 2.6.1, 2.7-2.11, 3.4-3.8, 4.0-4.1, 4.2.5, 4.3, 4.4.2, 4.5.3-4.10, 5.6-5.10) © Reserved, 2018

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Publisher.

Information contained in this book has been published by Vikas Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, IDE—Rajiv Gandhi University, the publishers and its Authors shall be in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use



Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.
VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT LTD
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi - 110 055
Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

विश्वविद्यालय : एक परिचय

राजीव गांधी विश्वविद्यालय (पूर्व में अरुणाचल विश्वविद्यालय) अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं, 4 फरवरी, 1984 को रोना हिल्स पर विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। यहीं विश्वविद्यालय का वर्तमान कैंपस विद्यमान है।

आरंभ से ही राजीव गांधी विश्वविद्यालय श्रेष्ठता हासिल करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है जो विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित हैं। 28 मार्च, 1985 में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेक्शन 2 (F) के अंतर्गत अकादमिक मान्यता प्रदान की गई।

26 मार्च, 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सेक्शन 12-V के अंतर्गत इसे वित्तीय मान्यता मिली। तब से, राजीव गांधी विश्वविद्यालय (तत्कालीन अरुणाचल विश्वविद्यालय) ने देश के शैक्षिक परिदृश्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा देश के उन विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी विश्वविद्यालय को भी चुना गया जिनमें श्रेष्ठता हासिल करने की संभावनाएं व सामर्थ्य हैं।

9 अप्रैल, 2007 से, विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

यह विश्वविद्यालय रोना हिल्स की चोटी पर 302 एकड़ के विहंगम प्राकृतिक अंचल में स्थित है जहां से दिक्गोंग नदी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 52-A से 6.5 कि. मी. और राज्य की राजधानी ईटानगर से 25 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। दिक्गोंग पुल के द्वारा कैंपस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है।

विश्वविद्यालय के शैक्षिक व शोध कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि वे राज्य के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकें। विश्वविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल व पी. एच. डी. कार्यक्रम भी संचालित करता है। शिक्षा विभाग बी. एड. का कोर्स भी चलाता है।

इस विश्वविद्यालय से 15 महाविद्यालय संबद्ध हैं। विश्वविद्यालय पड़ोसी राज्यों, विशेषकर असम के छात्रों को भी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके विभिन्न विभागों व इससे जुड़े महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

यूजीसी व अन्य फंडिंग एजेंसियों की वित्तीय सहायता से संकाय सदस्य भी शोध गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। आरंभ से ही, विभिन्न फंडिंग एजेंसियों द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न शोध प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है। विभिन्न विभागों ने अनेक कार्यशालाओं, संगोष्ठियों व सम्मेलनों का आयोजन भी किया है। अनेक संकाय सदस्यों ने देश व विदेश में आयोजित सम्मेलनों व संगोष्ठियों में भाग लिया है। देश-विदेश के प्रमुख विद्वानों व विशिष्ट व्यक्तियों ने विश्वविद्यालयों का दौरा किया है और अनेक विषयों पर अपने वक्तव्य भी प्रस्तुत किए हैं।

2000-2001 का अकादमिक वर्ष विश्वविद्यालय के लिए सुदृढीकरण का वर्ष रहा। वार्षिक परीक्षाओं से सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तन व्यवधानविहीन रहा और परिणामतः छात्रों के प्रदर्शन में भी विशेष सुधार देखा गया। बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ द्वारा बनाए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों को लागू किया गया। यूजीसी इंफोनेट कार्यक्रम के तहत ERNET इंडिया द्वारा VSAT सुविधा प्रदान की गई ताकि इंटरनेट एक्सेस प्रदान की जा सके।

मूलभूत संरचनागत सीमाओं के बावजूद विश्वविद्यालय अकादमिक श्रेष्ठता बनाए रखने में सफल रहा है। विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेंडर का अनुशासित रूप से पालन करता है। परीक्षाएं समय पर संचालित की जाती हैं और परिणाम भी समय पर घोषित होते हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों को न केवल राज्य व केंद्रीय सरकार में नौकरी के अवसर प्राप्त हुए हैं बल्कि वे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं, उद्योगों व संस्थानों में नौकरी के अवसर प्राप्त करने में सफल रहे हैं। अनेक छात्र NET परीक्षाओं में भी सफल हुए हैं।

आरंभ से अब तक विश्वविद्यालय ने शिक्षण, पाठ्यक्रम में नवीन परिवर्तन लाने व संरचनागत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

आईडीई : एक परिचय

हमारे देश में उच्च शिक्षा प्रणाली को सीमित सीटों, सुविधाओं और बुनियादी संसाधनों की कमी के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न विषयों से जुड़े शिक्षाविद मानते हैं कि शिक्षा की प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण सीखना और जानना है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इन सभी बुनियादी समस्याओं और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने का वैकल्पिक माध्यम है। यह प्रणाली ऐसे लाखों लोगों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा पाने की मांग की पूर्ति कर रही है, जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं मगर नियमित रूप से महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते। यह प्रणाली उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बेरोजगार व कार्यरत पुरुष और महिलाओं के लिए भी मददगार सिद्ध होती है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली उन लोगों के लिए भी उपयुक्त माध्यम है जो सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य कारणों से शिक्षा और शिक्षण संस्थानों से दूर हो गए या समय नहीं निकाल पाये। हमारा मुख्य उद्देश्य उन लोगों को उच्च शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के नियमित तथा व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले पाते, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण व भौगोलिक रूप से दूरदराज स्थित क्षेत्रों में व सामान्यतया उत्तर-पूर्वी भारत के दूरस्थ स्थित क्षेत्रों में। सन् 2008 में दूरस्थ शिक्षा केंद्र का नाम परिवर्तित कर 'दूरस्थ शिक्षा संस्थान' (आईडीई) रखा गया।

दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के प्रयास जारी रखते हुए आईडीई ने 2013-14 के शैक्षणिक सत्र में पांच स्नातकोत्तर विषयों (शिक्षा, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास और राजनीति विज्ञान) को शामिल किया है।

दूरस्थ शिक्षा संस्थान में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के पास ही शारीरिक विज्ञान संकाय भवन (पहली मंजिल) का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 ए के एनईआरआईएसटी बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्वविद्यालय की बसें एनईआरआईएसटी के लिए नियमित रूप से चलती रहती हैं।

दूरस्थ शिक्षा संस्थान की अन्य विशेषताएं

1. नियमित माध्यम के समकक्ष-पात्रता, अर्हताएं, पाठ्यचर्या सामग्री, परीक्षाओं का माध्यम और डिग्री राजीव गांधी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के विभागों के समकक्ष हैं।
2. स्वयं शिक्षण अध्ययन सामग्री (एसआईएसएम)- छात्रों को संस्थान द्वारा तैयार और दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी), नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित स्वयं शिक्षण अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है। यह सामग्री प्रवेश के समय आईडीई और अध्ययन केंद्रों में उपलब्ध कराई जाती है। यह सामग्री हिंदी विषय के अलावा सभी विषयों में अंग्रेजी में ही उपलब्ध कराई जाती है।
3. संपर्क और परामर्श कार्यक्रम (सीसीपी)- शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा लगभग 7-15 दिनों की अवधि का परामर्श शामिल है। बी.ए. पाठ्यक्रमों के लिए सीसीपी अनिवार्य नहीं है। हालांकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और एम.ए. के लिए सीसीपी में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. फील्ड प्रशिक्षण और प्रोजेक्ट- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में फील्ड प्रशिक्षण और संबंधित विषय में प्रोजेक्ट लेखन का आवश्यक प्रावधान होगा।
5. परीक्षा एवं निर्देश का माध्यम-परीक्षा और शिक्षा का माध्यम उन विषयों को छोड़कर जिनमें संबंधित भाषा में लिखने की जरूरत हो, अंग्रेजी होगा।
6. विषय परामर्श संयोजक- पाठ्य सामग्री को तैयार करने के लिए आईडीई विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर विषय समन्वयकों की नियुक्ति करती है। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परामर्श समन्वयक पीसीसीपी के अनुदेशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से जुड़े रहते हैं। ये परामर्श समन्वयक परामर्श कार्यक्रम के सुचारु रूप से संचालन तथा विद्यार्थियों के असाइन्मेंट का मूल्यांकन करने के लिए संबंधित व्यक्तियों से संपर्क कर आवश्यक समन्वय करते हैं। विद्यार्थी भी इन परामर्श समन्वयकों से संपर्क कर अपने विषय से संबंधित परेशानियों और शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE

भारतीय काव्यशास्त्र एवं भाषा विज्ञान

Syllabi

Mapping in Book

इकाई 1 : काव्यशास्त्र

काव्य लक्षण, काव्य-हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य के गुण-दोष

इकाई 1 : काव्यशास्त्र : काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य के गुण-दोष (पृष्ठ : 3-42)

इकाई 2 : काव्यशास्त्र

रस - सभी रसों का सामान्य परिचय; रस निष्पत्ति, रस के अवयव
रस : अवधारणा एवं अलौकिकत्व; रस की परिभाषाएं एवं स्वरूप; सभी रसों का सामान्य परिचय; रस निष्पत्ति; रस के अवयव एवं रस दोष

इकाई 2 : काव्यशास्त्र : रस- सभी रसों का सामान्य परिचय, रस निष्पत्ति, रस के अवयव (पृष्ठ : 43-72)

इकाई 3 : काव्यशास्त्र

छंद और अलंकार

(क) छन्द- छन्द की अवधारणा, छन्द के अवयव; मात्रा की स्थिति; कविता में छन्द का स्थान

दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, रोला, बरवै, कुण्डलिया तथा सवैया छन्दों के लक्षण और उदाहरण

(ख) अलंकार-अलंकार की अवधारणा; अलंकारों का काव्य में स्थान; शब्दालंकार; अर्थालंकार

अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा संदेह अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण

इकाई 3 : काव्यशास्त्र : छन्द और अलंकार (पृष्ठ : 73-122)

इकाई 4 : भाषा, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि

भाषा की परिभाषा एवं विशेषताएं- भाषा के विविध रूप एवं प्रकार, आधुनिक हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, पुरानी हिंदी का स्वरूप; भाषा और बोली में अंतर; हिंदी भाषा एवं हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय- हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी की प्रमुख बोलियां; देवनागरी लिपि तथा उसकी विशेषताएं- देवनागरी लिपि : एक परिचय, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि में सुधार की संभावनाएं

इकाई 4 : भाषा, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि (पृष्ठ : 123-224)

इकाई 5 : भाषा विज्ञान

भाषा विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र एवं अन्य विषयों से संबंध; भाषा विज्ञान की शाखाओं का परिचय- वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक; ध्वनि विज्ञान : स्वरों की अवधारणा- स्वर स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन स्वरों का वर्गीकरण, स्वन गुण एवं नियम; स्वन परिवर्तन की दिशाएं और कारण

इकाई 5 : भाषा विज्ञान (पृष्ठ : 225-272)

विषय-सूची

परिचय

1

इकाई 1 काव्यशास्त्र : काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य के गुण-दोष

3-42

- 1.0 परिचय
- 1.1 इकाई के उद्देश्य
- 1.2 काव्यशास्त्र उद्भव एवं विकास
- 1.3 काव्य लक्षण
- 1.4 काव्य हेतु
- 1.5 काव्य प्रयोजन
- 1.6 काव्य के गुण एवं दोष
 - 1.6.1 काव्य-गुण
 - 1.6.2 काव्य-दोष
- 1.7 सारांश
- 1.8 मुख्य शब्दावली
- 1.9 'अपनी प्रगति जाँचिए' के उत्तर
- 1.10 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 1.11 आप ये भी पढ़ सकते हैं

इकाई 2 काव्यशास्त्र : रस- सभी रसों का सामान्य परिचय, रस निष्पत्ति, रस के अवयव

43-72

- 2.0 परिचय
- 2.1 इकाई के उद्देश्य
- 2.2 रस : अवधारणा एवं अलौकिकत्व
- 2.3 रस की परिभाषाएं एवं स्वरूप
- 2.4 सभी रसों का सामान्य परिचय
- 2.5 रस निष्पत्ति
- 2.6 रस के अवयव एवं रस दोष
 - 2.6.1 रस के अवयव
 - 2.6.2 रस दोष
- 2.7 सारांश
- 2.8 मुख्य शब्दावली
- 2.9 'अपनी प्रगति जाँचिए' के उत्तर
- 2.10 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 2.11 आप ये भी पढ़ सकते हैं

इकाई 3 काव्यशास्त्र : छन्द और अलंकार

73-122

- 3.0 परिचय
- 3.1 इकाई के उद्देश्य
- 3.2 छन्द
 - 3.2.1 छन्द की अवधारणा
 - 3.2.2 छन्द के अवयव एवं मात्रा की स्थिति
 - 3.2.3 कविता में छन्द का स्थान
 - 3.2.4 दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, रोला, बरवै, कुण्डलिया तथा सवैया छन्दों के लक्षण और उदाहरण
- 3.3 अलंकार
 - 3.3.1 अलंकार की अवधारणा
 - 3.3.2 अलंकारों का काव्य में स्थान
 - 3.3.3 शब्दालंकार एवं अर्थालंकार
 - 3.3.4 अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा संदेह अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण

- 3.4 सारांश
- 3.5 मुख्य शब्दावली
- 3.6 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर
- 3.7 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 3.8 आप ये भी पढ़ सकते हैं

इकाई 4 भाषा, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि

123-224

- 4.0 परिचय
- 4.1 इकाई के उद्देश्य
- 4.2 भाषा की परिभाषा एवं विशेषताएं
 - 4.2.1 भाषा की परिभाषाएं
 - 4.2.2 भाषा की विशेषताएं
 - 4.2.3 भाषा के विविध रूप एवं प्रकार
 - 4.2.4 आधुनिक हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास
 - 4.2.5 पुरानी हिंदी का स्वरूप
- 4.3 भाषा और बोली में अंतर
- 4.4 हिंदी भाषा एवं हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय
 - 4.4.1 हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
 - 4.4.2 हिंदी की प्रमुख बोलियां
- 4.5 देवनागरी लिपि तथा उसकी विशेषताएं
 - 4.5.1 देवनागरी लिपि : एक परिचय
 - 4.5.2 देवनागरी लिपि की विशेषताएं
 - 4.5.3 देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता
 - 4.5.4 देवनागरी लिपि में सुधार की संभावनाएं
- 4.6 सारांश
- 4.7 मुख्य शब्दावली
- 4.8 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर
- 4.9 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 4.10 आप ये भी पढ़ सकते हैं

इकाई 5 भाषा विज्ञान

225-272

- 5.0 परिचय
- 5.1 इकाई के उद्देश्य
- 5.2 भाषा विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र एवं अन्य विषयों से संबंध
 - 5.2.1 भाषा विज्ञान की परिभाषाएं एवं क्षेत्र
 - 5.2.2 भाषा विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध
- 5.3 भाषा विज्ञान की शाखाओं का परिचय
 - 5.3.1 वर्णनात्मक
 - 5.3.2 ऐतिहासिक
 - 5.3.3 तुलनात्मक
- 5.4 ध्वनि विज्ञान : स्वनों की अवधारणा
 - 5.4.1 स्वर स्वनों का वर्गीकरण
 - 5.4.2 व्यंजन स्वनों का वर्गीकरण
 - 5.4.3 स्वन गुण एवं नियम
- 5.5 स्वन परिवर्तन की दिशाएं और कारण
 - 5.5.1 स्वन परिवर्तन की दिशाएं
 - 5.5.2 स्वन परिवर्तन के कारण
- 5.6 सारांश
- 5.7 मुख्य शब्दावली
- 5.8 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर
- 5.9 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 5.10 आप ये भी पढ़ सकते हैं

परिचय

परिचय

टिप्पणी

प्रस्तुत पुस्तक 'भारतीय काव्यशास्त्र एवं भाषा विज्ञान' विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बी.ए. हिन्दी (तृतीय वर्ष) के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गई है। काव्यशास्त्र की एक सुदीर्घ परंपरा भारतीय विद्वानों एवं पाश्चात्य विद्वानों की विद्यमान है। 'काव्यं यशसेऽर्थ कृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये' कह कर 'काव्यशास्त्रम्' के प्रणेता आचार्य मम्मट ने शिवेतर (अमंगल) की क्षति के साथ-साथ जहां धनार्जन (अर्थ कृते) को भी काव्य का उद्देश्य माना है, वहीं 'साहित्य शास्त्री' न होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास ने धनार्जन में भी परहित को महत्व देते हुए काव्य का उद्देश्य 'सर्वजनहिताय' ही माना है-

कीरति भनिति भूति भली सोई।

सुरसरि सम सब कहँ हित होई॥ (रामचरितमानस 1/14)

पाश्चात्य विद्वानों में 'लॉजाइनस' की उदात्त-अवधारणा के साथ-साथ प्लेटो, अरस्तू, वर्ड्सवर्थ आदि ने काव्य संबंधी अवधारणाएं दी हैं।

विद्यार्थी काव्यशास्त्र को बोज़ समझकर या केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ेंगे तो उन्हें यह कठिन लगेगा। वस्तुतः काव्यशास्त्र रस लेकर, डूबकर पढ़ने की चीज है। साहित्य का मर्म जानने के लिए जिज्ञासु बनकर, इससे आत्मीयता स्थापित करने पर न केवल भारतीय काव्यशास्त्र अच्छा और अपना लगेगा बल्कि जीवन-जगत, अध्ययन और अध्यापन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी परिष्कृत एवं सकारात्मक हो जाएगा। बार-बार पढ़ने से शब्द स्वयं अपना अर्थ बता देता है। शब्द और अर्थ का संबंध पार्वती-परमेश्वर की तरह संयुक्त है। पार्वती की आराधना से शिव अनुकूल हो जाते हैं तथा शब्द की साधना उसे चैतन्य या सार्थक बना देती है।

प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय काव्यशास्त्र एवं भाषा विज्ञान के विविध पक्षों का सांगोपांग विवेचन किया गया है। प्रत्येक इकाई के आरंभ में विषय-विश्लेषण से पूर्व उसके निहित उद्देश्य स्पष्ट कर दिए गए हैं। इकाई के बीच-बीच में 'अपनी प्रगति जांचिए' स्तंभ के माध्यम से विद्यार्थियों की योग्यता को परखने के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं।

संपूर्ण अध्ययन सामग्री को पांच इकाइयों में सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इन इकाइयों का विवरण इस प्रकार है-

पहली इकाई में काव्यशास्त्र के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुए काव्य लक्षण, काव्य-हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य के गुण-दोष विवेचित किए गए हैं।

दूसरी इकाई रस से हमारा साक्षात्कार कराती है। इसमें सभी रसों का सामान्य परिचय देते हुए रस निष्पत्ति एवं रस के अवयवों का भी विश्लेषण किया गया है।

तीसरी इकाई छन्द एवं अलंकार पर आधारित है। इसमें छन्द की अवधारणा, छन्द के अवयव, मात्रा की स्थिति एवं काव्य में छन्द का स्थान स्पष्ट करते हुए दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, रोला, बरवै, कुण्डलियां तथा सवैया छन्दों के लक्षण सोदाहरण दिए गए हैं। इसके साथ ही अलंकार की अवधारणा एवं अलंकारों का काव्य में स्थान स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम में निर्धारित कतिपय अलंकारों के लक्षण उदाहरण सहित समझाए गए हैं।

चौथी इकाई का विषय भाषा, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि है। भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, भाषा-बोली में अंतर एवं हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय रेखांकित करते हुए इस इकाई में देवनागरी लिपि विषयक अहम तथ्यों एवं इसकी विशिष्टताओं पर प्रकाश डाला गया है।

टिप्पणी

पांचवीं इकाई भाषा विज्ञान पर आधारित है। इसमें भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्र एवं अन्यान्य विषयों से संबंध को स्पष्ट किया गया है और साथ ही भाषा विज्ञान की शाखाओं का भी परिचय दिया गया है। ध्वनि विज्ञान एवं स्वन परिवर्तन संदर्भित कतिपय तथ्यों को भी इस इकाई में रेखांकित किया गया है।

हमें आशा है कि यह स्तरीय एवं शोधपरक साहित्यिक अध्ययन विद्यार्थीवृंद के पाठ्यक्रम हेतु न केवल उपयोगी सिद्ध होगा अपितु भावी जीवन में काव्यशास्त्र से उनका सरस संपर्क स्थापित करने में भी सहायक बनेगा।

इकाई 1 काव्यशास्त्र : काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य के गुण-दोष

काव्यशास्त्र : काव्य लक्षण,
काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन
एवं काव्य के गुण-दोष

टिप्पणी

इकाई की रूपरेखा

- 1.0 परिचय
- 1.1 इकाई के उद्देश्य
- 1.2 काव्यशास्त्र उद्भव एवं विकास
- 1.3 काव्य लक्षण
- 1.4 काव्य हेतु
- 1.5 काव्य प्रयोजन
- 1.6 काव्य के गुण एवं दोष
 - 1.6.1 काव्य-गुण
 - 1.6.2 काव्य-दोष
- 1.7 सारांश
- 1.8 मुख्य शब्दावली
- 1.9 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर
- 1.10 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 1.11 आप ये भी पढ़ सकते हैं

1.0 परिचय

संस्कृत काव्यशास्त्र ही मूलतः भारतीय काव्यशास्त्र है क्योंकि संस्कृत काव्यशास्त्र के पश्चात् रीतिकालीन काव्यशास्त्र हो या हिंदी काव्यशास्त्र, उनमें संस्कृत काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की परंपरा ही निरंतर प्रवाहित होती रही है। रीतिकालीन या हिंदी काव्यशास्त्रियों ने किसी नए सिद्धांत की स्थापना नहीं की। अतः भारतीय काव्यशास्त्र कहने का तात्पर्य संस्कृत काव्यशास्त्र ही है।

भारतीय काव्यशास्त्र काव्य का मेरुदंड है। काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद हैं। इनमें श्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया है—गद्य और पद्य। चूंकि पद्य काव्य ही काव्य के लक्षणों को विशेष रूप से धारण किए रहता है अतः काव्यशास्त्रियों ने इसे ही विवेचन का विषय चुना और माना। श्रेष्ठ काव्य की रचना के लिए काव्यशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। काव्य रचना के लिए परिपक्व और स्वस्थ भाषा शैली, अभिव्यक्ति का कौशल और सौंदर्य, शब्दों का चयन और इन सबका सुंदर संतुलन, औचित्य विचार आदि का विवेक और सामर्थ्य ये सब काव्यशास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त होते हैं।

काव्य के सौंदर्य और प्रभाव को परखने के लिए काव्यशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। काव्यशास्त्र को कई नाम दिए गए। विजयेंद्र स्नातक 'हिंदी काव्यशास्त्र की परंपरा' की भूमिका में कहते हैं—“यदि संपूर्ण वाङ्मय का इस संदर्भ में अनुशीलन किया जाए तो काव्यशास्त्र के लिए मुख्यतः पांच शब्दों का प्रयोग होता है। ये पांच शब्द हैं—काव्यशास्त्र, काव्यालंकार, अलंकारशास्त्र, साहित्यशास्त्र और क्रियाकलाप। इन पांचों में अलंकार शब्द का प्रयोग प्राचीनतम है।” इन पांचों नामों में से काव्यशास्त्र नाम को ही सटीक मानते हुए

टिप्पणी

डॉ. भगीरथ मिश्र 'हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास' में कहते हैं—“अलंकार शास्त्र से अलंकार के विशेष विवेचन का ही अभिप्राय निकलता है। काव्य के स्वरूप और उसकी समस्याओं पर विचार करने वाले विषय को काव्यशास्त्र ही कहना विशेष उपयुक्त है क्योंकि इसके अंतर्गत अलंकारों के अतिरिक्त अन्य विषय भी समाविष्ट रहते हैं। आजकल साहित्य और काव्य के अर्थों में व्यापकता की दृष्टि से कुछ अंतर है। साहित्य शब्द को बहुधा हम शास्त्रीय, वैज्ञानिक एवं रमणीय सभी प्रकार की रचनाओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। अतः साहित्य शास्त्र से काव्यशास्त्र शब्द हमारे उद्देश्य की पूर्ति अधिक स्पष्टता के साथ करता है।”

काव्यशास्त्र के पांच नामों में से साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र सर्वाधिक प्रचलित रहे। संस्कृत की काव्यशास्त्र परंपरा के आचार्यों जैसे— भामह, उद्भट, रुद्रट, वामन आदि ने अपने ग्रंथों के नामकरण में अलंकार शब्द को प्रमुखता दी। किसी ने 'काव्यालंकार', किसी ने 'सौंदर्यालंकार', किसी ने 'अलंकार सर्वस्व' नाम से अपने ग्रंथ का नामकरण किया। इसी तरह 'साहित्य-मीमांसा', 'साहित्य दर्पण', 'साहित्य-विद्या' आदि नामकरण भी चर्चित हुए। पंडित विश्वनाथ ने अपने सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम 'साहित्य दर्पण' रखकर साहित्य शब्द को प्रतिष्ठा दिलाई किंतु परवर्ती काल में आचार्य मम्मट द्वारा स्थापित 'काव्यशास्त्र' शब्द ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध हुआ।

इस इकाई में हम काव्यशास्त्र के उद्भव-विकास पर दृष्टिपात करते हुए काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन एवं काव्य के गुण-दोषों की विवेचना करेंगे।

1.1 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप—

- काव्य के उद्भव एवं विकास से परिचित हो पाएंगे;
- काव्य लक्षण की विवेचना कर पाएंगे;
- काव्य के हेतु को समझ पाएंगे;
- काव्य प्रयोजन का विश्लेषण कर पाएंगे;
- काव्य के गुणों से अवगत हो पाएंगे;
- काव्य के प्रमुख दोषों का अवलोकन कर पाएंगे।

1.2 काव्यशास्त्र उद्भव एवं विकास

काव्यशास्त्र काव्य के स्वरूप और उसकी समस्याओं पर विचार करता है। काव्य रचना के लिए जिस अनिवार्य अनुशासन की आवश्यकता होती है, भारतीय काव्यशास्त्र उसका निर्धारण करता है। राममूर्ति त्रिपाठी कहते हैं, “काव्य के शास्त्र से अभिप्राय उसके शासन से है—नियम विधान से है। शास्त्र इसलिए शास्त्र माना जाता है कि वह शासन करता है, कवियों को निरंकुश होने से रोकता है। काव्य का अनुशासन ही काव्य का शास्त्र है।” वाग्भट्ट 'काव्यानुशासन' की चर्चा

टिप्पणी

करते हैं, दशरूपककार धनंजय भी अनुशासन का ही समर्थन करते हैं जबकि महाभाष्यकार पतंजलि वैयाकरण होने के नाते 'शब्दशासन' की बात करते हैं। अनुशासनहीनता काव्य में अनौचित्य को जन्म देती है तथा अनौचित्य से बड़ा 'रसभंग' का दूसरा कारण नहीं होता। औचित्य निबंधन ही रस के परम समीप ले जाता है। आनंदवर्धन कहते हैं—

अनौचित्यादृते नान्यद्रसभंगस्य कारणम्।

औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषत् परा॥

क्षेमेंद्र कहते हैं—‘औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।’

औचित्य रसयुक्त काव्य को स्थिर जीवन शक्ति प्रदान करता है। औचित्य के बिना काव्य में रस निष्पत्ति संभव नहीं है। औचित्य का आकलन करना काव्य को अनुशासित करने की प्रक्रिया है। विजयेंद्र स्नातक कहते हैं—‘काव्य के साथ शास्त्र शब्द जुड़ने से सामान्यतः शास्त्र शब्द का 'शासनात् शास्त्रम्' अर्थ होता है अर्थात् जो काव्य का शासन करे, वह काव्यशास्त्र है, किंतु काव्य शासन नहीं करता। विधि-निषेध की सीमाओं में काव्य को बांधा नहीं जा सकता। अतः शास्त्र शब्द का दूसरा अर्थ—‘शासनात् शास्त्रम्' अर्थात् विषय प्रतिपादन करने वाला, यह अर्थ इस संदर्भ में समीचीन प्रतीत होता है।’ काव्यशास्त्र के समुचित ज्ञान के बिना काव्य का गंभीर अनुशीलन असंभव है।

काव्यशास्त्र के अध्येतव्य विषय

आचार्य राजशेखर ने 'काव्य-मीमांसा' में लिखा है—इह हि वाङ्मयमुभयथा शास्त्रं काव्यं च। शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्व शास्त्रेष्वभिनिविशेषः नह्यप्रवर्तितप्रदीपास्ते तत्त्वार्थमसामर्थ्यध्यक्षयन्ति। अर्थात् शास्त्र और काव्य इन भेदों से वाङ्मय दो प्रकार का है। काव्य ज्ञान के लिए शास्त्र आवश्यक है। जैसे बिना दीपक के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान के बिना काव्य ज्ञान असंभव है। अतः काव्य से पहले शास्त्र का अभ्यास करना आवश्यक है। काव्यशास्त्र में काव्य के स्वरूप और समस्याओं के साथ-साथ अलंकारों तथा काव्य से संबंधित अन्य विषयों का भी अध्ययन किया जाता है।

काव्य आत्मा की कला है। भारतीय काव्यशास्त्रियों एवं संस्कृत के आचार्यों की यह जिज्ञासा थी, उत्कंठा थी कि काव्य में ऐसा कौन सा प्रभावी तत्व है, सार तत्व है जिसके कारण लोग काव्य की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण सहृदय झूम उठते हैं, जिसका प्रभाव हृदय पर अंकित हो जाता है? इस जिज्ञासा, उत्कंठा को शांत करने के लिए काव्य की आत्मा खोजने और उसकी उत्कृष्टता का रहस्य जानने की प्रक्रिया में काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों और संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ। जिस प्रकार दर्शनशास्त्री आत्म-तत्व को जानने की प्रक्रिया में स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्मता तक पहुंचते हैं उसी प्रकार काव्यशास्त्र के अध्येता, आचार्यगण काव्य के बाह्य शारीरिक धर्म यानी अलंकार और भीतरी आत्मिक धर्म यानी रस के बीच यात्रा, तर्क-वितर्क, विवेचन करते रहे और इस तरह पांच संप्रदाय विकसित और प्रतिष्ठित हुए। 'रस' से बात आरंभ हुई। भरतमुनि ने 'नाट्यशास्त्र' में कहा—‘विभावानुभावव्यभिचारी-सयोंगाद्रसनिष्पत्तिः।’ रस ही काव्य की आत्मा है, ऐसा मानने वाले आचार्यों के साथ 'अलंकार' को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्यों की संख्या भी बहुत

टिप्पणी

अधिक थी। दंडी ने 'काव्यादर्श' में कहा— 'काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते।' रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले, रीति-सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वामन ने कहा— 'रीतिरात्मा काव्यस्य'। आचार्य कुंतक ने कहा— 'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' अर्थात् वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है। आचार्य आनंदवर्धन ने 'ध्वनि' को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए कहा— 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरितिबुधैः यः समाम्नात् पूर्वम्।' इन पांच प्रतिष्ठित संप्रदायों के बाद दो सिद्धांत और विकसित हुए— 'औचित्य' और 'चमत्कार'। क्षेमेंद्र ने 'औचित्य विचार' चर्चा में कहा— "औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।" और विश्वेश्वर कविचंद्र ने 'चमत्कार चंद्रिका' में कहा—

“चमत्कारस्तु विदुषामानन्दपरिवाहकृत।
गुणं रीतिं रसं वृत्तिं पाकशय्यामलङ्कृतिम्॥”

इस तरह सात सिद्धांतों का विकास हुआ। इनमें से छह सिद्धांतों (रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य) ने संप्रदाय का रूप धारण कर लिया किंतु सातवां 'चमत्कार' केवल सिद्धांत रूप में ही प्रचलित है।

काव्यशास्त्र की सुदीर्घ परंपरा

काव्यशास्त्र का उद्भव संस्कृति साहित्य के उद्भव के साथ हुआ। संस्कृत काव्यशास्त्र की सैद्धांतिक धारणाएं गहन, गंभीर और व्यापक हैं। काव्यशास्त्र के किसी भी पहलू, किसी भी स्तर, किसी भी तत्व या कोण का अध्ययन करना हो, संस्कृत काव्य शास्त्र हर दृष्टि से महत्वपूर्ण, उपयोगी, सक्षम और समर्थ है। विभिन्न आचार्यों ने अपने मतों को स्थापित किया और उनके परवर्ती आचार्यों ने उनके मतों का बड़ी शालीनता से खंडन करते हुए अपने एक नवीन मत को स्थापित किया।

संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भरतमुनि और उनके ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' को काव्यशास्त्र की परंपराओं में प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया गया है जो रसवाद की प्रतिष्ठा करता है। भरत के नाट्यशास्त्र में पूर्ववर्ती कवियों और रचनाकारों का उल्लेख है अतः यह माना जाता है कि काव्यशास्त्र पर चर्चा, तर्क-वितर्क इसवी सन् से कई शताब्दियों पूर्व आरंभ हो गए थे, लेकिन रसवादी आचार्य नंदिकेश्वर के ग्रंथ 'अभिनवदर्पण' के अलावा और कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।

भरत के 'नाट्यशास्त्र' और राजशेखर के 'काव्य-मीमांसा' में 'अभिनवदर्पण' के रचयिता नंदिकेश्वर का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त भरत, राजशेखर, शारदातनय, अभिनवगुप्त द्वारा लगभग 27 रचनाकारों का उल्लेख है। परवर्ती काल में 'अग्नि पुराण', 'विष्णुधर्मोत्तर' उपपुराण में भी रस, नृत्य और नाटकों का उल्लेख मिलता है।

पी.वी. काणे ने 'संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास' में इस पर विस्तार से लिखा है। रस परंपरा का आरंभ ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के अभिचार मंत्रों, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि से भी माने जाने का उल्लेख कुछ आचार्यों ने किया है किंतु काव्यशास्त्र की दृष्टि से प्रामाणिक ग्रंथ भरतमुनि का 'नाट्यशास्त्र' ही है। अतः रसवादी आचार्य भरतमुनि के साथ ही काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की परंपरा प्रतिष्ठित हुई। भरत के पश्चात् अनेक आचार्यों ने अपने-अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और अपने-अपने मतों को स्थापित किया; जैसे— भामह का

टिप्पणी

'काव्यालंकार', आनंदवर्धन का 'ध्वन्यालोक', दंडी का 'काव्यादर्श', वामन का 'अलंकार सूत्र', रुद्रट का 'काव्यालंकार', राजशेखर की 'काव्य मीमांसा' कुंतक का 'वक्रोक्ति जीवितम्', धनंजय का 'दशरूपक', भोज का 'सरस्वतीकंठाभरण' और 'शृंगारप्रकाश', मम्मट का 'काव्यप्रकाश', पंडित विश्वनाथ का 'साहित्यदर्पण', पंडितराज जगन्नाथ का 'रसगंगाधर', जगदेव का 'चंद्रलोक' आदि। कुछ आचार्यों ने किसी एक सिद्धांत जैसे रस या अलंकार, रीति या वक्रोक्ति को लेकर रचना की तो अधिकांश ने अपने ग्रंथ में सभी सिद्धांतों की चर्चा करते हुए काव्यशास्त्र के किसी एक विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला।

काव्य का स्वरूप, महत्व, गुण-दोष, उत्कृष्टता, शब्द-शक्ति आदि पर विचार प्रकट करते हुए प्रथम पांच सिद्धांतों रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि को मानने वाले लगभग सभी रचनाकारों ने औचित्य का समर्थन किया है। औचित्य का छठे मत के रूप में उल्लेख करते हुए आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी 'औचित्य विमर्श' में कहते हैं— "पांचों मतों के साथ मिलकर यह सिद्धांत काव्य-सिद्धांत की संख्या को छह तक पहुंचा देता है। कहीं-कहीं चमत्कारवाद का भी उल्लेख मिलता है। अतः यदि इसे भी जोड़ दिया जाए तो सब मिलकर सात हो जाते हैं।"

पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने ढंग से महामहोपाध्याय कुप्पूस्वामी द्वारा प्रस्तुत वृत्त की मनोरम व्याख्या करते हुए काव्य मतों की संख्या आठ तक (वाङ्मय विमर्श) पहुंचा दी है—चारुत्व प्रवाह में चार-वक्रोक्ति, रीति, गुण एवं अलंकार तथा इन सबको उदरस्थ कर जाने वाले अनुभूति प्रवाह में चार-औचित्य, रस, ध्वनि एवं अनुमान। इन आठों के साथ चमत्कारवाद को मिलाया जाए तो संख्या नव तक पहुंच जाएगी। यही नहीं 'अनुभूति सिद्धांत' की तरह ध्वनिविरोधी बारह पक्षों की चर्चा जयरथ ने अपनी विमर्शिनी नामक 'अलंकार सर्वस्व' की टीका में की है। इनमें से बहुत तो उपर्युक्त मतों एवं सिद्धांतों में ही अंतर्भुक्त हैं— तात्पर्यवाद की तरह कतिपय सिद्धांत और बढ़ जाएंगे।

काव्य के विविध स्वरूप

काव्यशास्त्र के विकास के साथ, काव्य विविध रूपों में सृजित हुआ और हो रहा है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है—

● शैली की दृष्टि से काव्य के भेद—शैली की दृष्टि से काव्य के तीन भेद होते हैं—
(1) गद्य (2) पद्य (3) चंपू।

1. गद्य— शब्दाचार या व्याकरण के आधार पर की गई रचना को गद्य कहते हैं। इसके अंतर्गत अभिनय नाटक, उपन्यास, कहानी एवं आलोचनाएं इत्यादि आते हैं। गद्य की काव्यमय प्रस्तुति गद्यकाव्य कहलाती है। पद्य की अपेक्षा गद्यकाव्य में सफलता प्राप्त करना अधिक कठिन होता है। इसीलिए कहा भी है— 'गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति'—अर्थात् गद्य काव्य कवियों की निकष (कसौटी) है।

2. पद्य— पिंगलशास्त्र के नियमों से बद्ध रचना को पद्य कहते हैं। आधुनिक कविगण पिंगल के नियमों की उपेक्षा करके एक प्रकार के लयात्मक छन्दों (स्वच्छन्द छन्दों) की रचनाएं करने लगे हैं जिनमें लय का प्रधान्य होता है। हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाएं भी पद्य के अंतर्गत समझी जाती हैं। पद्य के अंतर्गत सूक्तियां और कविताएं भी आती हैं, जिनके लक्षण और उदाहरण क्रमशः नीचे दिए गए हैं—

टिप्पणी

(क) सूक्ति- वह चमत्कार उत्पन्न करने वाली युक्ति, जिसमें वर्ण विन्यास की विशेषता से कथन को विशिष्ट ढंग से कहा जाता है, उसे 'सूक्ति' कहते हैं।
यथा-

'रात्रिराज! सुकुमारशरीर! कः सहेत तव नाम मयूखान्।

स्पर्शमाप्य सहसैव यदीयम् चन्द्रकांतदृषदोपि गलांति॥ -मंखक

(ख) कविता- जिस उक्ति में ध्वनि या गुणीभूति व्यंग्य की प्रधानता होती है, उसे 'कविता' कहते हैं।

'आयासः परहिंसा वैतसिक, सारमेय! तव सारः।

त्वामपसार्य विभाज्यः कुरंग एषोऽधुनैवान्यैः॥ -गोवर्धनाचार्य

इसके दो भेद हैं-(1) समास और (2) व्यास।

1. समास-जहां किसी विस्तृत बात का वर्णन घटाकर अत्यंत थोड़े में किया जाता है, वहां समास कविता होती है।

2. व्यास-जहां किसी थोड़ी सी बात का वर्णन अत्यंत बढ़ा-चढ़ा कर किया जाता है वहां व्यास कविता होती है।

3. चंपू/मिश्रकाव्य-'गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते।'

अर्थात् ऐसी रचनाएं जो पद्य और गद्य दोनों में लिखी जाती हैं, उन्हें चंपू या मिश्रकाव्य कहते हैं।

● स्वरूप की दृष्टि से भेद- स्वरूप की दृष्टि से काव्य के दो भेद हैं-(क) दृश्य और (ख) श्रव्य।

(क) दृश्य काव्य

जिस काव्य की रसानुभूति केवल श्रवण या पठन मात्र से नहीं, परंतु अभिनयदि के देखने से होती है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य का रसास्वादन केवल पठित वर्ग ही कर सकता है, परंतु दृश्य-काव्य का रसास्वादन पठित और अपठित दोनों वर्ग कर सकते हैं। इसलिए इसे भरतमुनि ने पांचवां वेद कहा है-

"न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्यः शूद्रजातिषु।

तस्मात्सुजापरं वेदं पंचमं सर्ववर्णिकम्॥

(नाट्यशास्त्र-प्रथमोध्याय)

दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक और उपरूपक आते हैं, जिनमें से रूपक के 10 और उपरूपक के 18 भेद होते हैं।

रूपक के 10 भेद

1. नाटक-यह शब्द 'नट्' धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है 'अभिनय करना'। अधिकांश व्यक्ति 'नाटक' को 'रूपक' का पर्यायवाची शब्द समझते हैं, परंतु वास्तव में यह रूपक के 10 भेदों में से एक भेद है। 'रूपक' के 2 अर्थ हैं-'रूप धारण करना' और 'अभिनय करने योग्य वस्तु'। यदि हम रूपक का अर्थ 'रूप धारण

करना' लें तब भी वही भाव आता है। जब नायक और नायिका रंगभूमि पर विविध रूपों को धारण कर दर्शकों के मन को मोहते हैं, उसे रूपक कहते हैं।

2. प्रकरण-इसकी कथा लौकिक या कवि कल्पित होती है। इसका नायक द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) होता है। नायिका कोई श्रेष्ठकुल कन्या या वेश्या होती है। इसमें शृंगार रस प्रधान होता है। इसका एक भेद मद्यप (जुआरी और शराबी) विट चेटादि की चेष्टाओं से परिपूर्ण होता है। अन्य सब बातें नाटक के समान होती हैं।

3. भाण-इसकी कथा काल्पनिक होती है। इसमें एक ही अंक और एक ही पात्र होता है, वह भी कोई विट होता है। वह रंगमंच पर अपनी या औरों की अनुभूत बातों को कथोपकथन के रूप में स्वयं ही प्रश्न करता और उसका उत्तर देता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इसमें केवल धूर्तों का ही चरित्र चित्रण किया जाता है।

4. प्रहसन-इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। इसका नायक कोई तपस्वी (झूठा) नपुंसक, कंचुकी या पुरोहित होता है। अन्य सब बातें 'भाण' के समान होती हैं।

5. डिम-इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसमें गंधर्व, यक्ष, सुर, असुर, भूत, प्रेत आदि अत्यंत उद्धत 16 नायक होते हैं। इसमें इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध और भूत प्रेतादिकों की चेष्टाओं का वर्णन ज्यादा से ज्यादा 4 अंकों में किया जाता है। रौद्र रस प्रधान और अन्य रस उसके सहायक होते हैं।

6. व्यायोग-इसकी कथा लोक या पुराण प्रसिद्ध होती है। इसका नायक धीरोद्धत अथवा धीरोदात्त होता है। इसमें एक ही अंक होता है जिसमें वीर रस प्रधान होता है। इसमें स्त्री पात्रों का अभाव व पुरुष पात्रों की बहुलता होती है।

7. समवकार-इसकी कथा पुराण प्रसिद्ध होती है, जिसमें सुरासुरान्वित घटनाओं का वर्णन तीन अंकों में किया जाता है। इसमें बारह सुर, असुर आदि नायक होते हैं तथा वीर रस प्रधान रहता है। अन्य सब रस उसके सहायक होते हैं।

8. वीथी-इसमें शृंगार रस की प्रधानता रहती है। शेष सब बातें 'भाण' के ही समान होती हैं।

9. ईहामृग- इसकी कथावस्तु कुछ काल्पनिक और कुछ इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक धीरोद्धत, मनुष्य या दिव्य (देवता) होता है। इसमें एक ही अंक होता है।

10. अंक-इसकी कथा लोक प्रसिद्ध होती है और नायक कोई साधारण व्यक्ति होता है। इसमें भी एक ही अंक होता है जिसमें स्त्रियों के करुण रुदन की अधिकता होने से करुण रस प्रधान होता है।

उपरूपक के 18 भेद

1. नाटिका-इसकी कथा लोक प्रसिद्ध होती है, नायक धीरललित कोई राजा, और नायिका राजवंश की कोई संगीतज्ञा कन्या होती है। इसमें चार अंक होते हैं, जिसमें कि अधिकांश पात्र स्त्रियां होती हैं।

टिप्पणी

टिप्पणी

2. त्रोटक-इसमें पांच से लेकर आठ या नौ तक अंक होते हैं और प्रत्येक अंक में विदूषक (नकलची) का कार्य होता है। शृंगार रस प्रधान होता है।
3. गोष्ठी-इसमें एक अंक होता है, जिसमें चार-पांच स्त्री पात्र और आठ-दस पुरुष पात्रों का कार्य वर्णित होता है। संभोग शृंगार रस की प्रधानता होती है।
4. सट्टक-इसके अंकों को 'जनबिका' कहते हैं, जिसमें अद्भुत रस की प्रधानता होती है। अन्य सब बातें 'नाटिका' के सदृश होती हैं। विशेष-यह केवल प्राकृत भाषा में ही लिखा जाता है।
5. नाट्यरासक-इसमें एक ही अंक होता है, जिसमें शृंगार मिश्रित हास्य रस की प्रधानता रहती है। इसका उपनायक नर्म सचिव या पीठमर्द होता है और नायिका वासकसज्जा (विविध शृंगारों से अलंकृत होकर पतिदेवता की प्रतीक्षा करने वाली) होती है।
6. प्रस्थानक-इसमें दो अंक होते हैं, नायक दास, उपनायक बलहीन व्यक्ति और नायिका दासी होती है।
7. उल्लास्य-इसमें तीन अंक होते हैं, कथा अलौकिक, नायक धीरोदात्त तथा शृंगार, हास्य और करुण रस की प्रधानता रहती है।
8. काव्य-इसमें एक अंक होता है, जिसमें संगीत और हास्य रस की प्रचुरता रहती है।
9. रासक-इसमें एक अंक होता है, पांच पात्र होते हैं, पर सूत्रधार नहीं होता। नायिका प्रसिद्ध और नायक मूर्ख होता है। इसमें उदात्त भाव उत्तरोत्तर प्रदर्शित किया जाता है।
10. प्रेक्षण-इसमें एक अंक होता है, नायक बलहीन होता है और सूत्रधार नहीं होता। नान्दी तथा प्ररोचना नेपथ्य (पर्दे के पीछे से) से पढ़ी जाती है।
11. संलापक-इसमें चार अंक होते हैं और नायक धूर्त होता है। इसमें संग्रामादि का विशद वर्णन रहता है।
12. श्रीगवित-इसमें एक अंक होता है। नायक धीरोदात्त और नायिका लोक प्रसिद्ध होती है।
13. शिल्पक-इसमें चार अंक होते हैं और नायक ब्राह्मण होता है। इसमें श्मशान, प्रेतादि का वर्णन रहता है, जिसमें शांत और हास्य रस को छोड़कर शेष सब रस हो सकते हैं।
14. विलासिका-इसमें एक ही अंक होता है। नायक कोई विदूषक, विट या गुणहीन व्यक्ति होता है। शृंगार या हास्य रस का प्राधान्य रहता है।
15. दुर्मल्लिका-इसमें चार अंक होते हैं। पहले अंक में विट की क्रीड़ा, दूसरे में विदूषक का विलास, तीसरे में पीठमर्द या नर्मसचिव का विलास और चौथे में नागरिकों की क्रीड़ा रहती है। इन चारों अंकों का प्रदर्शन क्रमशः 6, 10, 12 और 20 घड़ी (1 घड़ी-24 मिनट) का रहता है।

16. प्रकरणिका-इसका नायक व्यापारी होता है और नायिका इसकी सजातीया होती है। इसकी कथा लोक प्रसिद्ध अथवा काल्पनिक होती है। इसमें शृंगार रस प्रधान होता है और नायक धर्म, अर्थ और काम में परायण धीर होता है। इसमें पांच अंक होते हैं।
17. हल्लीश-इसमें एक अंक होता है। पांच या छह स्त्री पात्र होते हैं और एक उदात्त नायक होता है। इसमें संगीत की अधिकता रहती है।
18. भाणिका-इसमें भी एक ही अंक होता है। नायक मूर्ख, नायिका उदात्त होती है।

(ख) श्रव्य काव्य

जिस काव्य का आनंद श्रवण करने या पठन करने से प्राप्त होता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। इसके दो भेद हैं-(अ) प्रबंध काव्य और (ब) मुक्तक काव्य।

(अ) प्रबंध काव्य-जिस काव्य की रचना प्राचीन कथा वस्तु के आधार पर की जाती है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। इसका प्रत्येक छन्द एक दूसरे से शृंखलित अथवा जुड़ा हुआ होता है। जैसे-मैथिलीशरण गुप्त लिखित-जयद्रथ-वधा। इसके दो भेद हैं-(1) महाकाव्य और (2) खंड काव्य।

(1) महाकाव्य- प्रबंध काव्य के दो भेद हैं-महाकाव्य और खंडकाव्य। महाकाव्य बड़ा काव्य होता है। इसमें जीवन के अनेक रूपों की अभिव्यक्ति होती है। घटनाओं का बहुविध विस्तार होता है। यह बड़े महत्व की रचना होती है, जैसे नाटक के तीन प्रमुख तत्व होते हैं जैसे ही महाकाव्य के माने गए हैं और वे हैं-1. वस्तु, 2. नेता, 3. रस।

आचार्यों ने महाकाव्य के अनेक लक्षण बताए हैं। इनमें सबसे विस्तारपूर्वक वर्णन आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में किया है। उनके अनुसार महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होती है। उसमें देवता, श्रेष्ठ वंश का क्षत्रिय नायक होता है। कहीं एक वंश के कुलीन अनेक राजा भी नायक होते हैं। शृंगार, वीर, शांत में से एक रस मुख्य होता है, आदि। इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

महाकाव्य के विश्वनाथ सम्मत लक्षण इस प्रकार हैं-

1. महाकाव्य एक बड़ा काव्य होता है। वह सर्गबद्ध रचना होती है। उसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं।
2. इसके प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग होता है। कहीं-कहीं सर्ग में अनेक छन्द भी होते हैं। सर्ग के अंत में छन्द भिन्न होता है और उसमें अगले सर्ग की कथा का संकेत होता है।
3. इसका एक नायक होता है। वह देवता या श्रेष्ठ वंश का क्षत्रिय होता है जिसमें प्रायः धीरोदात्त आदि गुण होते हैं। कहीं-कहीं एक वंश के तत्कुलीन अनेक राजा भी नायक होते हैं, जैसे-कालिदास के रघुवंश में हैं।
4. महाकाव्य में शृंगार, वीर और शांत रस में से एक रस अंगी होता है, शेष रस गौण होते हैं।

टिप्पणी

टिप्पणी

5. महाकाव्य में नाटक की सभी संधियां भी होती हैं, जैसे—मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अविमर्श, निर्वहण।
6. इसकी कथा लोकप्रसिद्ध सज्जन संबंधी या ऐतिहासिक कथा होनी चाहिए।
7. महाकाव्य की फल प्राप्ति में धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन होना चाहिए।
8. महाकाव्य के आरंभ में मंगलाचरण होना चाहिए जो नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक हो सकता है।
9. इसमें सज्जनों की प्रशंसा और खलों की निंदा का भी वर्णन होना चाहिए, जैसे—तुलसीदास के रामचरितमानस में।
10. महाकाव्य में विस्तार होता है। उसमें विभिन्न वर्णन होते हैं। जैसे—संध्या, सूर्योदय व अस्त, चंद्रोदय, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, वन, समुद्र, संग्राम, यात्रा, विवाह, संयोग, वियोग, मृगया, ऋतुएं आदि।
11. महाकाव्य का नामकरण कवि के नाम से या नायक के नाम से या चरित्र के नाम से किया जाता है।
12. सर्ग की वर्णनीय कथा के आधार पर सर्ग का नामकरण होता है।

महाकाव्यों की परंपरा संस्कृत साहित्य से देखने में आती है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत भी संस्कृत के महाकाव्य माने जाते हैं। प्रायः कालिदास के रघुवंश और कुमारसंभव, भारवि का किरातार्जुनीय, माघ का शिशुपालवध श्रेष्ठ महाकाव्य माने गए हैं। हिंदी में चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो, जायसी का पद्मावत, तुलसी का रामचरितमानस, केशव की रामचंद्रिका, मैथिलीशरण गुप्त का साकेत, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, हरिऔध का प्रिय-प्रवास श्रेष्ठ महाकाव्य हैं।

(2) खंड काव्य- प्रबंध काव्य के दो भेदों में से दूसरा खंड काव्य है। प्रबंध काव्य होने के कारण इसमें कथा चलती है। एक छन्द का दूसरे छन्द के साथ पूर्वापर संबंध होता है। इसमें भी कथा का सर्गों में विभाजन रहता है। इसके भी प्रायः वे ही प्रमुख तत्व होते हैं जो महाकाव्य के होते हैं। परंतु महाकाव्य से खंड काव्य अनेक मायनों में भिन्न होता है। साहित्य दर्पणकार ने उसका लक्षण बताते हुए कहा है कि काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य होता है। इसका तात्पर्य यह है कि खंड काव्य में किसी एक प्रधान घटना का वर्णन होता है। उसमें जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर कथा चलती है। विद्वानों ने खंड काव्य के स्वरूप पर साहित्य दर्पणकार के संकेत से आगे बढ़कर विचार किया है। उनकी दृष्टि में खंड काव्य का स्वरूप एक लघु कथा के रूप में होता है और वह लघु कथा जीवन के विभिन्न पक्षों को न छूती हुई कथा नायक के चरित्र को विकसित करती है। संक्षेप में खंड काव्य में चार बातें मुख्य रूप से होनी चाहिए—

1. खंड काव्य एक लघु कथा काव्य होता है।
2. उसमें जीवन की विविधता नहीं रहती।

टिप्पणी

3. उसमें घटनाओं की बहुलता नहीं होती।
4. खंड काव्य चरित्र-प्रधान न होकर घटना-प्रधान काव्य होता है।

इस तरह महाकाव्य में जीवन के अनेक अंशों का समूचा चित्र होता है पर खंड काव्य में जीवन के एक ही अंश का चित्रण होता है। महाकाव्य में प्रधान पात्र या घटनाओं का विशिष्ट महत्व होता है परंतु गौण पात्र और सहायक घटनाएं भी अपना मूल्य रखती हैं। खंड काव्य में प्रधान पात्र या घटना का ही महत्व होता है। जैसे तुलसी के 'रामचरितमानस' में राम के जीवन की समग्रता है परंतु मैथिलीशरण गुप्त के 'पंचवटी' काव्य में शूर्पनखा के नाक काटने की एक घटना है। 'रामचरितमानस' महाकाव्य है और 'पंचवटी' खंड काव्य है। हिंदी में बहुत से खंड काव्य लिखे गए हैं। कुछ लोग तुलसीदास के 'जानकी मंगल', 'पार्वती मंगल' काव्यों को और नंददास के 'भंवरगीत' को भी खंड काव्य मानते हैं। वस्तुतः नरोत्तम दास का 'सुदामा चरित', मैथिलीशरण गुप्त के 'जयद्रथवध', 'नहुष' और रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक', 'मिलन' तथा 'स्वप्न' हिंदी के अच्छे खंड काव्य हैं।

(ब) मुक्तक काव्य- मुक्तक काव्य ऐसे पद्यों का समूह होता है जो पूर्वापर संबंध से मुक्त होते हैं। उसके छन्द तक एक-दूसरे से निरपेक्ष होते हैं। आचार्यों ने मुक्तक का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि छन्द में लिखे गए काव्य को पद्य कहते हैं। यदि वह मुक्त यानी दूसरे पद्य से निरपेक्ष हो तो उसे मुक्तक कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में यों भी कहा गया है कि जो अन्य पद्यों के संबंध से मुक्त हो वह मुक्त कहलाता है—अन्यैः मुक्तम् इति मुक्तकम्। मुक्तक काव्यों के कुछ संग्रह ऐसे भी होते हैं जिनमें हल्का सा कथा सूत्र भी रहता है। सूरदास का 'सूरसागर' और तुलसीदास की 'गीतावली' ऐसी ही रचनाएं हैं, फिर भी उनमें छन्द अपने आप में स्वतः पूर्ण और मुक्त हैं। एक छन्द दूसरे छन्द की अपेक्षा नहीं रखता।

यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पूर्वापर संबंध से निरपेक्ष रहते हुए भी विभिन्न छन्दों का कोई संग्रह मुक्तक काव्य नहीं कहला सकता। उसमें काव्य का सार भूत तत्व यानी रस रहना चाहिए। इसलिए आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है कि पूर्वापर निरपेक्ष होते हुए भी जिसके द्वारा रस की अनुभूति कराई जाती हो वही मुक्तक कहलाएगा। पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्तक काव्य को 'स्वानुभूति निरूपक' कहा है। इसमें कवि की सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि की अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। इसमें कवि दूसरों के जीवन और जगत की बात न कहकर अपने मन की बात कहता है। इसे ही 'विषयीप्रधान' भी कहते हैं इसमें अपने विषय यानी कवि के भावों को प्रधानता दी जाती है। संस्कृत में मुक्तक काव्यों की बड़ी समर्थ रचनाएं देखने में आती हैं। 'अमरकशतक' मुक्तक काव्य की उच्च कोटि की रचना है।

मुक्तक काव्यों के दो प्रकार देखने में आते हैं—पाठ्य मुक्तक और गेय अथवा प्रगीत।

1. पाठ्य मुक्तक-मुक्तक काव्यों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कवि अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर नीति और उपदेशपरक उक्तियां कहता है। शृंगार विषयक, वीरता संबंधी और तरह-तरह की सूक्तियों के छन्द भी इसी प्रकार होते

टिप्पणी

हैं। मुख्य बात यह होती है कि एक ही छन्द में चमत्कृत कर देने वाली या रोचक बात होती है। आचार्यों ने माना है कि कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिनके द्वारा रचे गए मुक्तकों में प्रबंध काव्य के समान ही रस की अभिव्यक्ति की गई है। इस तरह के मुक्तक काव्यों में भर्तृहरि के तीनों शतक— शृंगार शतक, 'नीति शतक', 'वैराग्य शतक' और अमरूक का 'अमरूकशतक' आता है। हिंदी में कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, वृंद के दोहे, गिरिधर की कुंडलियां ऐसे ही मुक्तक हैं। इन्हें पाठ्य मुक्तक कहा जाता है। वैसे पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक की कोई बहुत मजबूत विभाजक रेखा नहीं है। बहुत से पाठ्य मुक्तक भी गेय हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि पाठ्य में विषय प्रधानता अधिक रहती है यानी पाठ्य में कवि अपने मन की बात न कहकर विभिन्न विषयों पर चमत्कारपूर्ण विचित्र बात कहता है। गेय में विषयी- प्रधानता है यानी विषयी (कवि) अपनी अनुभूति की बात कहता है, निजी अनुभूति की बात कहता है।

2. गेय मुक्तक- गेय या गीति मुक्तक ऐसे मुक्तक होते हैं जिनमें गीति तत्व प्रमुख होता है। कवि की निजी अनुभूति की अभिव्यक्तियां होती हैं। सुख-दुख के आवेश के अंदर से स्वयं फूटते हुए उद्गार होते हैं। ये अभिव्यक्तियां मर्म को छूने वाली होती हैं और इनमें संगीतात्मकता की प्रधानता रहती है। चित्त को पिघला देने वाले भाव करुण और शृंगार के अधिक माने गए हैं, वात्सल्य के भाव भी ऐसे ही हैं। इन सब भावों से संबंधित उद्गार अच्छे गीति मुक्तक बन जाते हैं। संक्षिप्तता, भावात्मकता, संगीतात्मकता अनुभूति की तीव्रता, कोमलकांत पदावली — ये गीति मुक्तक की सामान्य विशेषताएं हैं। संस्कृत में जयदेव का गीतिगोविंद, गीतिमुक्तक का अच्छा उदाहरण है। विद्यापति की पदावली, कबीर, सूर, मीरा के पद, महादेवी वर्मा के गीत इसी तरह के गेय मुक्तक हैं।

महाप्रबंध को हम निम्नांकित कोटियों में भी रख सकते हैं—

पुराण

इनमें पुराण, प्रागैतिहासिक घटनाओं का विभिन्न युगों और कल्पों के क्रम में किसी विशेष उद्देश्य के प्रतिपादन अथवा शिक्षा के प्रचार के लिए अनेक चमत्कारी घटनाओं से युक्त चित्रण करने वाला विशालकाय महाप्रबंध होता है। पुराण का विशेष विकास संस्कृत साहित्य में हुआ और हिंदी में भी उनके आधार पर स्वतंत्र रूप में अथवा अनुवाद के रूप में पुराणों की रचना हुई। पुराण काव्य की मुख्य विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं—

1. इसमें ईश्वर के एक या अनेक अवतारों का तथा अवतारी पुरुषों, महात्माओं और संबद्ध ऋषि-मुनियों की कथाओं का इस प्रकार वर्णन होता है जिससे ईश्वरीय सत्ता के ऐश्वर्य का प्रतिपादन होता है।
2. इसके अंतर्गत सत्य अथवा ईश्वर-भक्ति की महिमा सिद्ध करने के लिए सज्जनों और सद्गुणों की विजय तथा दुर्जनों तथा दुर्वृत्तियों की पराजय के द्वारा समाज में सद्गुणों की प्रतिष्ठा की जाती है।

3. पुराण की कथा में सृष्टि के प्रारंभ, विकास और प्रलय का वर्णन होता है और कथा का सूत्र युग-युगांतर व्यापी रहता है।
4. पुराण अनेक स्कंधों में विभाजित होते हैं, जिसके एक-एक स्कंध में अनेक अध्याय होते हैं।
5. पुराण में प्रायः किसी शंका या प्रश्न को उठाकर शंका-निवारण या प्रश्न के उत्तर स्वरूप विभिन्न आख्यानों का विकास होता है, जिनके द्वारा किसी सिद्धांत का प्रतिपादन और दैवीय ऐश्वर्य की महत्ता सिद्ध की जाती है।
6. इसमें विभिन्न कल्पों, मन्वंतरों और युगों में उत्पन्न हुए राजाओं और उनके देशों का विस्तार से वर्णन रहता है।
7. पुराण में प्रायः प्रत्येक अध्याय के अंत में पुराण के माहात्म्य का अनुकथन रहता है।
8. पुराण के बीच में वर्णन के साथ-साथ वार्तालाप भी रहता है और इस प्रकार भावुकता और विस्तार के साथ विभिन्न शंकाओं का समाधान करते हुए अनेक अलौकिक और आश्चर्यजनक कृत्यों के वर्णन द्वारा जीवन की उपयोगी शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हुए पुराण की रोचक रचना की जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पुराण इतिहास और काव्य का मिश्रित, किंतु अत्यंत विस्तृत स्वरूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी सिद्धांत का प्रतिपादन या महिमा का स्पष्टीकरण होता है।

आख्यान

आख्यान भी एक विस्तृत प्रबंध काव्य होता है। इसका कथानक प्रायः काल्पनिक या मिश्रित रहता है। उस कथानक के नायक से संबंधित जीवन वृत्त और घटनाओं का अत्यंत रोचक और चमत्कारी ढंग से इसमें वर्णन किया जाता है। यद्यपि यह पुराण सा विस्तृत नहीं रहता, लेकिन प्रधान कथानक के साथ कुछ गौण कथाओं का संघटन रहता है। इसे प्रामाणिक बनाने के लिए कभी-कभी ऐतिहासिक स्थानों और चरित्रों का भी समावेश किया जाता है। इन आख्यानों का उद्देश्य कोई शिक्षा देना रहता है। इनके अंतर्गत प्रेम, नीति, भक्ति आदि का प्रतिपादन रहता है और इन्हीं के आधार पर आख्यान के प्रमुख भेद, प्रेमाख्यान, नीत्याख्यान, साहसिक आख्यान आदि रहते हैं। हिंदी में लिखे गए इस कोटि में पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, नलोपाख्यान, ढोला मारू रा दूहा, छिताईवार्ता ग्रंथ आते हैं।

चरित काव्य

चरित काव्य भी वर्णनात्मक प्रबंध काव्य है, जिसके अंतर्गत किसी महापुरुष या वीर व्यक्ति की वीरता और साहस से युक्त घटनाओं का वर्णन करते हुए चरित लिखा जाता है और चरित काव्य इतिहास-संमत और तथ्यात्मक होता है। हिंदी के चरित काव्य इस दृष्टि से संस्कृत से भिन्न हैं— इनमें कुछ चरित आत्मकथात्मक होते हैं, कुछ में कवित्वपूर्ण रोचक वर्णन होते हैं और कुछ में इतिवृत्तात्मक वर्णन। प्रबंध की इस कोटि में हिंदी के कई काव्य आते हैं, जैसे—

- (अ) वीरसिंहदेव चरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतनबावनी, सुजान चरित, छत्र प्रकाश, हमीर रासो आदि।

टिप्पणी

टिप्पणी

(आ) संतों की परिचयियां, और

(इ) बनारसीदास जैन कृत अर्थकथानक आदि।

इनमें प्रथम कोटि के वर्णन प्रधान चरित काव्य हैं, जो राजाओं और वीरों का जीवन प्रस्तुत करते हैं। तृतीय कोटि में आत्मचरित हैं। चरित काव्य के ये रूप हिंदी के पूर्ववर्ती साहित्य में ही मिलते हैं। आधुनिक साहित्य में इनका गद्यात्मक रूप ही रह गया है, काव्यात्मक रूप नहीं।

खंड प्रबंध—खंड प्रबंध में कथा का सूत्र रहता है, परंतु महाप्रबंध जैसा विस्तार और वैविध्य उसमें अपेक्षित नहीं है। खंड प्रबंध के लक्षणों और भेद प्रभेदों पर अधिक विचार प्राप्त नहीं होता, परंतु खंड प्रबंध के कुछ भेदों की कल्पना हिंदी काव्यरचनाओं के आधार पर की जा सकती है। खंड प्रबंध का मुख्य भेद खंडकाव्य है। जिस प्रकार महाप्रबंध के अंतर्गत कई भेदों का विवेचन हुआ है और उनमें से कवित्व और शिल्प की दृष्टि से महाकाव्य सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है, उसी प्रकार खंड प्रबंधों में खंड काव्य कलात्मक दृष्टि से सुव्यवस्थित और सर्वोत्कृष्ट रचना सिद्ध होती है।

खंड काव्य की विशेषताओं का निरूपण हम निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं—

1. खंड काव्य की कथा समग्र जीवन से संबंधित और विस्तृत नहीं होती, वरन् उसका एक खंड मात्र ही होती है।
2. वह कथानक किसी विशिष्ट घटना या प्रसंग के चित्रण से संबंध रखता है और वह प्रसंग ऐसा होना चाहिए कि जो किसी भी रूप में पूर्व ज्ञात हो।
3. उसमें प्रायः एक छन्द का प्रयोग होना चाहिए। यदि सर्ग एक से अधिक हैं, तो अनेक छन्दों का प्रयोग हो सकता है। इसके बीच में या पूरे प्रबंध में गीत भी रखे जाते हैं।
4. इसमें वर्णन रोचक काव्यपूर्ण और मर्मस्पर्शी होने चाहिए।
5. यथावश्यक अलंकरण और चमत्कृति भी इस काव्य में आवश्यक है। कथावस्तु के आग्रह स्वरूप संवाद भी उसमें रखे जा सकते हैं।
6. इसके अंतर्गत वर्णन की विशिष्टता, चरित्र मिश्रण की मार्मिकता और किन्हीं एक दो रसों का वर्णन हो सकता है।
7. इसकी भाषा शैली प्रसंग के अनुकूल कवित्व पूर्ण होनी चाहिए।

इन खंड काव्यों में अनेक कथाएं नहीं रहतीं। इसलिए कथानक के आधार पर इनके भेद-प्रभेद नहीं किए जा सकते, परंतु सर्गों की संख्या, उद्देश्य और गेयत्व के आधार पर हम इनके भेद-प्रभेदों पर विचार कर सकते हैं। जिस प्रबंध काव्य में एक छन्द, एक भाव और उद्देश्य को लेकर रचना की जाए, उसे संघात या एकार्थ खंड काव्य कह सकते हैं। परंतु जिसमें अनेक छन्दों में अनेक सर्गों को लेकर एकार्थिक भावों और अर्थों का निरूपण हो उसको अनेकार्थ खंड काव्य कहना उपयुक्त होगा। हिंदी साहित्य में पंचवटी, रंग में भंग, पार्वतीमंगल, जानकीमंगल आदि कृतियां प्रथम कोटि में आती हैं। दूसरे प्रकार की कृतियों में जयद्रथवध, गंगावतरण, कुणाल, उद्धवशतक आदि हैं।

टिप्पणी

गेयत्व के आधार पर हम दो प्रकार के खंड-काव्य देख सकते हैं, एक वे जो गेय नहीं केवल छन्दोबद्ध हैं और द्वितीय जो कि गेय भी हैं और जिन्हें हम गीति काव्य के रूप में देखते हैं। इस दूसरी कोटि में मेघदूत को लिया जा सकता है। हिंदी काव्य के अंतर्गत, जयद्रथवध, नहुष, पथिक, तुलसीदास आदि दूसरी कोटि में रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार कल्पित और ऐतिहासिक कथातत्व के आधार पर भी खंड काव्यों के भेद किए जा सकते हैं।

निबद्ध काव्य

निबद्ध काव्य वे कृतियां हैं, जिनमें कथा की सूत्रता न होकर किसी भाव या विचार की सूत्रता रहती है। एक प्रकार से ये पद्यात्मक निबंध हैं। इन निबंध काव्यों में किसी एक भाव या विचार का सशक्त शैली में प्रतिपादन किया जाता है। इनमें वैयक्तिक अनुभव, विचार और भाव की विशेष रूप से अभिव्यक्ति की जाती है। इसके उदाहरण में प्रतापनारायण मिश्र का 'बुढ़ापा', श्रीधर पाठक की 'काश्मीर सुषमा', प्रसाद की 'प्रलय की छाया', 'आंसू', निराला के 'छत्रपति शिवाजी का पत्र' और 'कुकुरमुत्ता', पंत का 'परिवर्तन' आदि हैं। हिंदी साहित्य में निबद्ध काव्य द्विवेदी और छायावाद युग में विशेष रूप से लिखा गया। इसी के आधार पर देश प्रेम, राष्ट्रीयता, समाज सुधार तथा वैयक्तिक प्रेम और समाज की कुरीतियों संबंधी व्यंग्य लिखे गए। पद्य काव्य की यह विधा भी हिंदी की विशेष देन कही जा सकती है, क्योंकि संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में इसका इस रूप में विकास नहीं हुआ।

मुक्तक काव्य की परंपरा हमें प्राचीन काल से प्राप्त होती है और संस्कृत में अनेक प्रकार का चमत्कार पाया जाता है। व्यापक रूप से मुक्तक अनिबद्ध काव्य है। इसमें किसी कथा या विचारसूत्र के स्थान पर उस छन्द या पद्य को समझने की अपेक्षा नहीं रहती। क्योंकि वह अपने में ही परिपूर्ण होता है। संस्कृत साहित्य के आधार पर मुक्तक अनिबद्ध काव्य का एक भेद है। अग्निपुराण में मुक्तक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। 'मुक्त श्लोक के एवैकश्चमत्कारक्षमः सताम्' अर्थात् एक छन्द में पूर्ण अर्थ एवं चमत्कार को प्रकट करने वाला अनिबद्ध काव्य मुक्तक कहलाता है। अनिबद्ध काव्य के भी संस्कृत में कुछ भेद मिलते हैं। उनके उल्लेख और नामावली हमें काव्यशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों एवं उनकी टीकाओं के आधार पर प्राप्त होते हैं। इनके नामों में परस्पर भिन्नता भी है। दंडीकृत काव्यादर्श की तर्कवागीश कृत टीका के अनुसार तीन छन्दों वाले अनिबद्ध काव्य को गुणवती, चार वाले को प्रभद्रक, पांच के समूह को बाणावली और छः छन्दों वाले काव्य को करहाटक कहा गया है।

इससे कुछ भिन्न नाम आचार्य हेमचंद्र के काव्यानुशासन में मिलते हैं। आठवें परिच्छेद में उन्होंने 'अनिबद्ध मुक्तकम्' सूत्र का स्पष्टीकरण करते हुए यह लिखा है कि एक छन्द वाला मुक्तक, दो छन्दों वाला संदानितक, तीन छन्दों वाला विशेषक, चार छन्दों वाला कलापक कहलाता है, परंतु आचार्य विश्वनाथ का मत इससे थोड़ा भिन्न पड़ता है। उनके अनुसार दो छन्दों वाला कुलक होता है। इसका उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में किया है। इस प्रकार एक से लेकर छह छन्दों वाले अनिबद्ध काव्य के जिन नामों का उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता है वे हैं मुक्तक, युग्मक, संदानितक या गुणवती, कलापक या प्रभद्रक, कुलक या बाणावली और करहाटक।

टिप्पणी

हिंदी काव्य के अंतर्गत मुक्तक के अतिरिक्त अन्य नाम प्रचलित नहीं हुए। मुक्तक कविताओं के ही छोटे-बड़े अनेक प्रकार के संग्रह हिंदी में देखने को मिलते हैं। इन संग्रहों को छन्द संख्या के आधार पर पंचक, सप्तक, अष्टक, दशक, बीसी, पचीसी, बत्तीसी, चालीसा, पचासा, बावनी, शतक, सतसई और हजार नाम दिए गए और हिंदी साहित्य में इनका काफी प्रचलन हुआ। मुक्तक की धारणा हिंदी काव्य के अंतर्गत एक छन्द या एक गीत के रूप में ही रही, जिसमें कि कोई चमत्कार या अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति निहित हो। इस प्रकार की मुक्तक रचना कभी-कभी प्रबंध काव्य के बीच भी आ जाती है। इसका व्यवहार हिंदी में ही नहीं हुआ, वरन संस्कृत में भी यह परंपरा मिलती है। इसका संकेत करते हुए अभिनव गुप्त पादाचार्य ने लिखा है, 'मुक्तमन्येनानालिङ्गितम् तस्य संज्ञापनम्। तेन स्वतंत्रतया परिसमाप्तनिराकांक्षार्थमपि, प्रबंध मध्यवर्ती मुक्तकमित्युच्यते।... पूर्वा परनिरपेक्षेणापि हि येन रस चर्चणा क्रियते तदैव मुक्तकम्।' इससे स्पष्ट है कि जो स्वतंत्र रूप से आशय को प्रकट करने में सक्षम हो और पूर्ववर्ती या परवर्ती छन्द या प्रसंग के बिना जिसमें रसास्वादन कराने की क्षमता हो, वह मुक्तक होता है। यह प्रबंध के मध्य में भी आ सकता है।

मुक्तक काव्य के अनेक भेद हो सकते हैं, जैसे-प्रथम प्रकार का भेद तो पाठ्य और गेय मुक्तकों में और द्वितीय प्रकार का भेद आत्मपरक और वस्तुपरक मुक्तकों के रूप में किया जा सकता है। आत्मपरक गेय मुक्तक ही प्रगीत अथवा गेय या गीतिकाव्य के रूप में हिंदी में प्रचलित है। पाठ्य मुक्तक भी अनेक प्रकार के संग्रहों में मिलते हैं, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। हिंदी साहित्य के पूर्ववर्ती युगों में मुक्तक रचनाओं के लिए विशेषरूप से प्रयुक्त छन्द दोहा, सोरठा, सवैया, छप्पय, कुंडलियां और घनाक्षरी रहे हैं, परंतु आधुनिक युग में अन्य मात्रिक और वार्णिक छन्दों का प्रयोग हुआ है। आजकल कुछ मुक्तक उर्दू छन्द शैली में भी लिखा जाता है। इन पाठ्य मुक्तकों में भी कुछ वस्तुपरक होते हैं, कुछ भावपरक, जिनके अनेक उदाहरण हमें हिंदी साहित्य में मिलते हैं।

गेय मुक्तकों में भी अनेक भेद-प्रभेद हिंदी साहित्य के अंतर्गत विकसित हुए हैं। आम तौर पर हम गेय मुक्तक काव्य को दो भेदों में देख सकते हैं—(1) साहित्यिक या कलागीत और (2) लोकगीत।

कलागीत—ये गीत साहित्यिक अलंकृत शैली पर लिखे गए हैं, जिनमें भावों और विचारों को परिमार्जित, शिष्ट, नागरिक भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी वस्तुपरक और भावपरक दो प्रकार के हो सकते हैं।

लोकगीत—ये सहज और स्वाभाविक उद्गार के रूप में प्रकट होते हैं। ये हमारे लोक-जीवन में विविध संस्कारों, क्रियाकलापों, उत्सवों, त्यौहारों, ऋतुओं में गाए जाते हैं। प्रायः लोकगीत वे कहे जाते हैं, जिनका लेखक अज्ञात होता है और अनेक जिह्वाओं पर गाते-गाते जो सहज परिष्कार पा चुके होते हैं, परंतु आजकल कुछ प्रसिद्ध कवियों के द्वारा लोकगीत शैली में लिखे गए गीत भी मिलने लगे हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि लोकगीत में कवित्व का नैसर्गिक आकर्षण होता है, इसके अंतर्गत जीवन सहज आशाओं, आकांक्षाओं, हर्ष-विषाद, खीझ, उल्लास आदि के रूप में बहता रहता है। लोकगीत भी दो भेदों में हमें मिलते हैं, जैसे—एक तो भाव-प्रधान, दूसरे वस्तु या वर्णन-प्रधान। भाव-प्रधान या लोकगीतियों के अनेक

रूप हमारे ग्रामीण समाज के बीच प्रचलित हैं, जिनके प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं, जैसे— (1) संस्कार गीत, (2) उत्सव त्यौहार गीत, (3) ऋतु गीत, (4) धार्मिक गीत, (5) दिनचर्या गीत, (6) विविधा। ये लोक गीत न केवल हिंदी काव्य की अमूल्य संपत्ति हैं, वरन् इनका प्रभाव हिंदी के गेय काव्य पर बहुत अधिक पड़ता है।

गीति काव्य या प्रगीत

प्रायः भाव प्रधान गीतों को गीतिकाव्य या प्रगीत की संज्ञा दी जाती है। इस गीतिकाव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

1. गीतिकाव्य गाने योग्य होना चाहिए।
2. इसके अंतर्गत स्वानुभूति का प्रकाशन होना चाहिए।
3. इसमें सुकुमार भावों की घनीभूत एवं तीव्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए।
4. एक गीत में एक ही भाव का प्रकाशन होना चाहिए। हिंदी में गीतिकाव्य भी अनेक भेदों-प्रभेदों में मिलता है, जैसे—प्रणय गीत, वीर गीत, देश गीत, शोक गीत आदि।

गीति काव्य अनुभूति प्रधान काव्य है। इसमें किसी वस्तु या भाव को कवि अपनी अनुभूति में उतार कर प्रकट करता है। गीतियों में कवि की आत्मा, चेतना और संवेदना झांकती है। अनुभूति की तीव्रता में गीत कवि का सहज उद्गार है। अतएव स्वानुभूति इस काव्य का प्रमुख तत्व है। जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक हीगल के मतानुसार काव्य का शुद्ध और प्रकृत रूप गीतिकाव्य ही है। कविता का यह सहज नैसर्गिक और मनोरम रूप है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि गीति भावना कविता की सार वस्तु है।

हिंदी काव्य में प्रगीत और उसके विविध रूप

प्रगीतात्मकता की मनोदशा में कवि अपने व्यक्तित्व के सबसे समीप होता है। इसके अंतर्गत मनोभावना के साथ-साथ ही शैली अर्थात् कथन का ढंग भी विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत कवि संगीतमयी, मधुर रचना के सहारे अपनी निजी अनुभूतियों का प्रकाशन करता है। वह अपने ही व्यक्तित्व का विश्लेषण करता तथा अपने स्मरणीय पक्षों का सजीव चित्रण करता है। उसकी कल्पना या तो अपने ही अभ्यंतर में डूबकर विश्व के सामने, अपनी भावनाओं और अनुभूतियों का भंडार खोलती है अथवा वह आकाश में उड़ कर प्रकृति के बीच विचरण कर, प्रकृति के पदार्थों में आत्मीयता का अनुभव करती है और उन्हीं में छिपी भावनाओं को प्रकट करती है।

कवि के सचेतन व्यक्तित्व का अपनी कल्पना पर पूरा और सुदृढ़ अधिकार रहता है और वह प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना को अपनी व्यक्तिगत भावना के रंग से रंगी हुई देखता है। जो कुछ भी वह देखता है, गाता है, वह उसकी हृदय से निकलती हुई, स्वानुभूति से स्पंदित स्वर लहरी होती है। इस प्रवृत्ति में कवि भावों में तन्मय होकर लिखता है, इसी कारण से प्रगीतात्मक काव्य सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। कवि अपने दुख-सुख के अनुभवों को सीधे ढंग से अपना कहकर व्यक्त करता है, किंतु वे उसके होते हुए भी सारी मानवता के होते हैं, क्योंकि तीव्र सात्त्विक अनुभूति की अवस्था में एक सहृदय मानव दूसरे से अधिक भिन्न नहीं होता।

टिप्पणी

प्रगीतात्मक काव्य में भावानुभूति बहुत प्रबल होती है। इसके अतिरिक्त कवि अपने भाव बहुधा प्रथम पुरुष में अपने ही मुख से सीधे ढंग से व्यक्त करता है, वहां प्रगीतात्मक काव्य में 'प्रखर चेतना' काम करती है। प्रगीत काव्य में हम कवि के साथ सहानुभूति रखते हैं, उसके लिए रोते हैं, उसके प्रति दया करते हैं, परिस्थितियों या भाग्य को कोसते हैं, उससे प्यार करते हैं या उससे घृणा करते हैं। प्रबंध काव्य में कवि, समाज और पात्रों से ऊंचा उठ जाता है, वह उसका विधायक है, निर्माता है, पर प्रगीत काव्य में पाठक और श्रोता कवि से ऊंचे होते हैं।

हिंदी कविता के प्रगीतों के प्रमुख स्वरूपों का हम निम्नलिखित भेदों में अध्ययन कर सकते हैं—विनयगीत, प्रेम गीत और ग्राम गीत।

विनय प्रगीत

इन प्रगीतों के अंतर्गत, आत्म समर्पण, प्रार्थना, याचना, आत्मदीनता आदि की भावना प्रधान रहती है और व्यक्ति स्वयं अपनी बात परमात्मा से निवेदन करता है। परमात्मा की प्रशंसा इन भावनाओं के साथ रहती है और उसमें दयालुता, न्यायप्रियता, उदारता आदि गुणों का विशेष रूप से आरोप किया जाता है। विनय प्रगीतों में कवि सांसारिक संबंधियों को असमर्थ समझ कर परमात्मा से प्रार्थना किया करता है, अतिशय दुख के कारण और कभी-कभी सफलता द्वारा उत्पन्न हर्ष के आवेश में वह इस भावना से ओत-प्रोत होता है। अतः विनय प्रगीत का मूल कारण मनुष्य की अभावानुभूति है। एक पूर्ण समर्थ शक्ति में कवि का यह विश्वास होता है कि विनय द्वारा वही शक्ति प्रसन्न होकर उसका कल्याण करेगी। इनमें हम प्रायः दो भावनाएं प्रधान देखते हैं—प्रथम आत्म निवेदन की है। इसके अंतर्गत अपने दोषों और पापों का वर्णन करते हुए, आत्मोत्सर्ग का भाव विशेष रूप से रहता है। दूसरी भावना परमात्मा में उनके कृत्य और दया आदि में विश्वास की है।

तुलसी की विनय पत्रिका तो विनयगीतों का भंडार ही है। यही भावनाएं वहां देखने को मिलती हैं—

तू दयालु दीन हौं तू दानि हौं भिखारी।
हौं प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी।।
नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसों।
मो समान आरत नहिं आरतिहर तोसों।।

प्रेम प्रगीत-आध्यात्मिक

प्रगीतों का दूसरा भेद प्रेम प्रगीतों का है। इनके अंतर्गत आध्यात्मिक प्रेम और भौतिक प्रेम के प्रगीत हैं। आध्यात्मिक प्रेम प्रगीत, विनय गीतों से इस कारण से भिन्न है कि आध्यात्मिक प्रेम प्रगीतों में प्रधान भावना प्रेम की है, जबकि विनय प्रगीतों में प्रधान भावना श्रद्धा, विश्वास और दीनता की है। इनमें परमात्मा के प्रति तीव्र और गहरी उमंगती प्रेम भावना भरी रहती है। परमात्मा के साथ जाने का आनंद कबीर नीचे के पद में वर्णित करते हैं—

मैं अपने साहब संग चली।
हाथ में नारियल मुख में बीड़ा, मोतियन मांग भरी।

लिल्ली घोड़ी जरद बछेड़ी, तापै चढ़ि के चली।।
नदी किनारे सतगुर भेंटे, तुरत जनम सुधरी।
कहै कबीर सुनो भई साधो, दोड कुल तारि चली।

प्रेम प्रगीत-2 लौकिक (भौतिक)

प्रेम प्रगीतों में प्रेम की तीखी और व्यापक हिलोर भरी रहती है। इनमें प्रायः कला की उत्कृष्ट कोटि देखने में आती है, क्योंकि प्रेम सबसे प्रबल भाव है और विश्व की उत्कृष्ट कविता का स्रोत है। प्रेमानुभूति और कल्पना कविता की दो शक्तियां हैं।

प्रेम का परिचय नीचे के छन्द में देखिए—

अति खीन मृणाल के तारहु ते, देहि ऊपर पांव दे आवनौ है।
सुई बेह के द्वार सकै न जहां, परतीति को टांडो लदावनो है।।
कवि बोधा अनी घनी नेजहुं, चढ़ि तापै न चित्त डिगावनो है।
यह प्रेम को पंथ करार है री, तरवारि की धार पै घावनो है।

ग्रामगीत

प्रगीतों का अति स्वाभाविक रूप ग्रामगीत विषयक लोकगीतों में देखने को मिलता है। ये लोकगीत ग्राम्य मनुष्यों और विशेषकर नारियों के द्वारा किसी त्योहार, उत्सव, संस्कार के अवसर पर या नित्यप्रति काम करते समय गाए जाते हैं। इनके भीतर उस अवसर के अनुकूल व्यक्ति की बड़ी तीव्र भावना अंतर्निहित रहती है और स्वानुभूति का स्वर हृदय पर स्थायी चोट करने वाला होता है। इनकी विशेषता अवसर विशेष की व्यापक अनुभूति को वैयक्तिक तीव्रता के साथ वर्णन करने में है। अवध के पास ऋतु, त्योहार, उत्सव, संस्कार आदि के अवसर पर गाए जाने वाले ग्रामीणों का विस्तृत भंडार है, जिसकी विभिन्नता भी कम आकर्षक नहीं।

ग्राम्य-जनों का दैनिक जीवन गीतों से भरा हुआ है। प्रभात के समय जब नारियां चक्की पीसती हैं, उस समय उषाकाल की शांत, शीतल और सुरभित वायु को मधुर स्वर लहरी से भर देती हैं, जो एकरस चलने वाली चक्की की घर्-घर् के साथ विषमता ही नहीं पैदा करती अपितु उसे भी माधुर्य और सरसता देती है, वैसे ही जैसे उजाड़ में उगे हुए कुछ हरे-भरे पौधे। सबसे सुंदर समय में गाए जाने और नारियों के कोकिल कंठों की मधुरई से युक्त होने के साथ-साथ ही गीत स्वतः सुंदर कल्पना और गहरे भावों से भरे-पूरे होते हैं।

प्रभात के बाद दिन के समय जब गांव के लोग वर्षा के दिनों खेतों में निरौनी करते होते हैं अथवा किसी पेड़ की डाल पर बैठे गायों को चराते हैं और कोई हल्का काम करते हैं, तब एकाध गीत की लड़ी पास के बगीचों में प्रतिध्वनि करती हुई सुनाई पड़ती है। वर्षा की भिन्न-भिन्न ऋतुओं के लिए अवसर के अनुकूल गीत होते हैं, जैसे हिंडोला, चौमासा, बारहमासा, दीवाली, होली, फाग, घमार और इसी प्रकार से पूजा, बटगमनी, लोरी आदि के गीत हैं। पावस हमारे लिए ग्रीष्म के बाद आनंदमयी परिवर्तन उपस्थित करता है। इसीलिए भारतवर्ष में इस समय अचानक गीतों का भी प्रस्फुटन होता है।

यह आनंद पशु-पक्षी, कीट-पतंगों तक में देखा जाता है। चारों ओर चहक मचती है, तब मनुष्य का आनंद विभोर होकर गाना तो और भी स्वाभाविक है। इस समय के गीतों में

टिप्पणी

बड़ा आनंद भरा रहता है। हृदय के उच्छ्वास के समान ही सहज निकले हुए ये गीत होते हैं, इनमें जीवन का उल्लास अथवा निराशा भरी रहती है, अतः इसका बड़ा प्रभाव है। विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले ग्रामगीतों में साहिल (सोहर), जनेऊ, बधाई, विवाह आदि के गीत विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें से किसी में उल्लास की भावना है और किसी में विषाद की अनुभूति। इन ग्रामगीतों में नीचे लिखी विशेषताएं मिलती हैं—

1. पहली यह कि पूरे गीत में एक ही भाव रहता है।
2. दूसरे ये व्यक्तिगत अनुभूति के सीधे और सहज प्रकाशन है।
3. इनमें अनुभूति पर प्रभाव डालने वाले, अवसर विशेष के अनुकूल स्वाभाविक और सहज प्रकाशन अपनाया गया है।
4. इनमें केवल वर्णन नहीं, वरन् भावानुभूति की ही प्रधानता रहती है।
5. ये अकेले अथवा समूह के द्वारा, ढोलक, मंजीरा या और बाजों के साथ गाने के लिए रचे गए हैं।
6. अधिकांश शब्दों और पदों की पुनरावृत्ति उन्हें सहज स्मरणीय बनाती है।
7. अपनी विशेष संस्कृति की झलक दिखाते हुए इनमें विश्वव्यापी भावों का चित्रण है।

इन विशेषताओं के साथ ग्रामगीतों के अंतर्गत साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, भाव और भाषा दोनों का सौंदर्य है और इनकी विशेषताएं इन्हें प्रगीत का सौंदर्य प्रदान करती हैं।

1.3 काव्य लक्षण

काव्य मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है—

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि।
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते॥

अर्थात् काव्य ऐसी वस्तु है, जिससे अल्पबुद्धि मानव को बिना किसी कष्ट साधना के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति हुआ करती है। अतः जो काव्य मनुष्य के जीवन में इतना महत्व रखता है वह कैसा हो, जिसे पढ़कर, आत्मस्थ करके मनुष्य चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सके? इसका उत्तर भोजराज ने अपने ग्रंथ में इस तरह दिया है—

अदोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङ्कृतम्।
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति॥

अर्थात् काव्य वह है जो निर्दोष हो, गुणयुक्त हो, अलंकारों से अलंकृत हो और रस समन्वित हो और कवि वह है जो ऐसे काव्य की रचना करता है एवं यश और कीर्ति पाया करता है। अनेक आचार्यों ने कुछ इसी तरह के काव्य को प्रेरक और सुफलदायक बताया। काव्य का स्वरूप उसके लक्षणों या गुणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनेक विद्वानों ने काव्य के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए अपने-अपने मतानुसार अनेक परिभाषाएं दी हैं। ये परिभाषाएं ही काव्य के लक्षणों को समेटे हुए हैं।

काव्य में रस हो, अलंकार हों, जो यथायोग्य एवं यथास्थिति निर्धारित हों, उचित रीति से लिखा गया काव्य हो, ध्वनि की प्रधानता हो, वक्रोक्ति हो तथा इन सबका उचित रीति-नीति से समावेश किया गया हो तभी काव्य वस्तुतः काव्य कहलाएगा। उत्तम काव्य की संज्ञा प्राप्त करेगा। औचित्य के बिना इन लक्षणों से युक्त काव्य में भी दोष उत्पन्न हो जाएंगे और तब न अलंकार अलंकारी होगा, न रस रसत्व उत्पन्न करेगा। अतः काव्य के निम्नलिखित पांच लक्षणों—रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और ध्वनि के साथ छठे लक्षण औचित्य का होना आवश्यक है। जैसे जीवन में औचित्य का महत्व है वैसे ही काव्य में भी। जीवन-मूल्य, सामाजिकता, नैतिक मूल्यों का निर्वाह औचित्य के आधार पर होता है।

अनौचित्य के उपस्थित होते ही मनुष्य पतित हो जाता है, जीवन नीरस और बेरंग हो जाता है उसी तरह काव्य के लक्षणों के साथ औचित्य का नाता है। तरकारी में नमक या मसालों की मात्रा अनुचित हो तो तरकारी बेस्वाद हो जाती है उसी तरह काव्य में यदि करुण रस के प्रसंग में रस की मात्रा कम या ज्यादा हो या अन्य रस समाविष्ट हो जाएं तो काव्य निम्न कोटि का हो जाता है। जिस तरह क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से मिलकर जीव के शरीर का निर्माण हुआ है उसी तरह ये काव्य लक्षण भी आपसी तालमेल से काव्य का निर्माण करते हैं। अतः सभी अपनी-अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण हैं। इन लक्षणों को काव्य के गुण भी कह सकते हैं। किन्तु गुणों से या किन्तु लक्षणों से युक्त काव्य, काव्य की श्रेणी में आता है इस पर विचार करते हुए अनेक कथन सामने आते हैं—

1. आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, “वाक्यम् रसात्मकं काव्यम्।” —साहित्यदर्पण
2. पंडितराज जगन्नाथ के अनुसार, “रमणीयार्थं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।” —रसगंगाधर
3. हेमचंद्र के अनुसार, “अदोषौ सगुणौ आलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम्।”
4. भामह के अनुसार, (1) “न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्।”
(2) “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्।” —काव्यालंकार
5. दंडी के अनुसार, “काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते।” —काव्यादर्श
6. वामन के अनुसार—
(क) “काव्यशब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्ततेः।”
अर्थात् गुणों तथा अलंकारों से भूषित शब्द और अर्थ के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है।
(ख) “काव्यं ग्राह्यमलंकारात्।” अर्थात् काव्य अलंकार के कारण ग्राह्य होता है। —काव्यालंकार सूत्रवृत्तिः
7. मम्मट के अनुसार, “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावानलंकृती पुनः क्वापि।” अर्थात् दोष रहित तथा गुण युक्त शब्द और अर्थ का सामंजस्य ही काव्य है। —काव्यप्रकाश

कुछ विद्वानों द्वारा गुण को भी समाविष्ट कर काव्य लक्षणों—रस, ध्वनि, रीति, गुण, अलंकार, वक्रोक्ति और औचित्य, इन सातों को काव्य का अंग भी माना गया है। इनके बिना काव्य

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

1. काव्यशास्त्र के सिद्धांत कितने हैं?
2. दृश्यकाव्य को पांचवां वेद किसने कहा है?
3. सही-गलत बताइए—
(क) रूपक के 18 भेद होते हैं।
(ख) महाकाव्य में सर्ग का नामकरण सर्ग की वर्णनीय कथा के आधार पर किया जाता है।

की स्थिति असंभव होती है। इन्हें स्वरूपाधायक उपादान तत्व कहते हैं। इनसे काव्य की शोभा तो बढ़ती ही है काव्य विशिष्ट भी बन जाता है। कुंतक वक्रोक्ति को ही काव्य का मूल बताते हैं।

8. कुंतक के अनुसार, "शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनी।

बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणी।"

अर्थात् वक्रोक्ति युक्त पदरचना में सहभाव से व्यवस्थित शब्दार्थ ही काव्य है। वह वक्रोक्ति सामाजिकों को आह्लादित करती है।

-वक्रोक्तिजीवितम्

9. जयदेव के अनुसार, "अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती। असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती।"

चंद्रालोक

अर्थात् जो लोग अलंकार रहित शब्दार्थ को काव्य मानते हैं वे अग्नि को भी उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेते।

10. अग्निपुराण के अनुसार, "अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती।" अर्थात् अलंकार रहित सरस्वती विधवा है। किंतु दूसरी ओर वे रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं-"वाग्वैदग्ध्यं प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्।" अग्निपुराणकार उक्ति चमत्कार को प्रधानता देते हैं तथा रस की सत्ता और महत्ता को स्वीकार करते हैं। आचार्य विश्वनाथ 'रसयुक्त वाक्य' को ही काव्य मानते हैं। पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं-"जो शब्द रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे वही वाक्य काव्य है।" अन्य चमत्कार मूलक तत्व रस के साथ पोषक तत्वों के रूप में उपस्थित रहते हैं यह विश्वनाथ और मम्मट दोनों आचार्यों ने स्पष्ट किया है। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा सटीक है। जैसे शौर्य आदि गुण आत्मा का उत्कर्ष करते हैं उसी तरह 'गुण' रसों के उत्कर्ष हेतु हैं। इसी तरह अलंकार जैसे ही शब्दार्थ के शोभाकारक अस्थाई धर्म हैं जैसे-कवच, कुंडल आदि आभूषण शरीर के। कहा जा सकता है कि काव्य उपरोक्त लक्षणों से संपन्न ऐसा साहित्य है जो सहृदय को भावलोक में पहुंचा देता है। राग-द्वेषादि से दूर कर सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यष्टि को समष्टि में लीन कर देता है जहां अपने-पराए का भाव शेष नहीं रह जाता।

11. "सगुण अलंकारन सहित दोषरहित जो होय।

शब्द अर्थ वारो कवित विवुध कहत सब कोय।।"

12. "काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है।"

-चिंतामणि

-प्रसाद

काव्य के सभी लक्षणों का अपना-अपना संप्रदाय और सिद्धांत है। इनके प्रकार, उपप्रकार हैं। काव्य के सभी लक्षण चाहे रस हो या अलंकार, रीति हो या वक्रोक्ति, ध्वनि हो या औचित्य सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। रस, रीति और औचित्य सर्व समावेशी लक्षण हैं। सभी काव्य में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। अलंकार बाह्य यानी शारीरिक होने के साथ-साथ आत्मा का गुण भी है जिससे आत्मा अलंकृत और प्रभा संपन्न होती है। वक्रोक्ति भी अलंकार का एक रूप है तथा ध्वनि भी काव्य के सभी प्रकारों में न्यूनाधिक हो या प्रबल

और सटीक उपस्थित अवश्य होती है बल्कि ध्वनि युक्त काव्य को ही कुछ काव्यशास्त्रियों ने उत्तम काव्य की संज्ञा दी है। काव्य के इन लक्षणों के संस्थापक या प्रवर्तक काव्यशास्त्र के आचार्य हैं। जैसे- 'रस' के भरतमुनि, 'अलंकार' के भामह, 'रीति' के वामन, 'वक्रोक्ति' के कुंतक, 'ध्वनि' के आनंदवर्धन, 'औचित्य' के क्षेमेंद्र।

1.4 काव्य हेतु

काव्यशास्त्रियों के काव्य 'हेतु' अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। न्यायदर्शन का 'हेतु' भी इनसे अंशतः मिलता-जुलता है। दर्शनशास्त्र में इसे कारण कहा जाता है। 'हेतु' अर्थात् वे साधन जो काव्य-रचना में कवि के सहायक होते हैं। कुछ आचार्य प्रतिभा को काव्यत्व का बीज मानते हैं और उसे ही 'हेतु' स्वीकार करते हैं।

हेतु या कारण दो प्रकार के होते हैं-(1) उपादान (2) निमित्त। अग्निपुराण में लोक-व्यवहार तथा वेद के ज्ञान को काव्य-प्रतिभा की योनि कहा गया है तथा सिद्ध किए गए मंत्र के प्रभाव से जो काव्य निर्मित होता है उसे अयोनिज कहा गया है। इससे काव्य के तीन हेतुओं का पता चलता है-(1) काव्य-प्रतिभा (2) वेद-ज्ञान और (3) लोक-व्यवहार। भामह भी प्रतिभा को मूल 'हेतु' मानते हुए लिखते हैं-

"गुरुपदेशादध्येतुं शास्त्रं जडधियोऽप्यलम्।

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः॥"

-काव्यालंकार

अर्थात् गुरु के उपदेश से शास्त्र का अध्ययन तो जड़बुद्धि भी कर सकता है। परंतु काव्य की रचना प्रतिभावान ही कर सकता है।

दंडी- तीन हेतुओं की चर्चा करते हैं-(1) नैसर्गिक प्रतिभा (2) लोकशास्त्र ज्ञान (3) अमंद अभियोग। दंडी प्रतिभा की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी श्रम और यत्न को पर्याप्त महत्त्व देते हैं।

वामन ने अनेक हेतुओं की चर्चा करते हुए उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है-(1) लोक (2) विद्या (3) प्रकीर्ण। 'लोक' अर्थात् लौकिक व्यवहार के ज्ञान को प्रथम स्थान दिया है। विद्या के अंतर्गत शब्द-शास्त्र, कोश, छन्द शास्त्र, कला, दंडनीति आदि विद्याएं परिगणित की हैं। प्रकीर्ण के अंतर्गत लक्ष्य, ज्ञान, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, प्रतिभान और अवधान क्रमशः को सम्मिलित किया है। प्रतिभा को तीसरे स्थान पर रखना अन्य आचार्यों को उचित नहीं जान पड़ा। कुंतक प्रतिभा को महत्त्व देते हैं लेकिन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कवि स्वभाव को मानते हैं। वे कहते हैं सुकुमार स्वभाव से ही सुकुमार शक्ति उत्पन्न होती है।

मम्मट के अनुसार-(1) शक्ति (2) निपुणता और (3) अभ्यास, ये तीन काव्य हेतु हैं। निपुणता और अभ्यास ये दो नवीन शब्द मम्मट ने प्रयोग किए हैं।

राजशेखर प्रतिभा को दो भागों में बांट देते हैं-(1) कारयित्री (2) भावयित्री। कारयित्री प्रतिभा कवि में और भावयित्री प्रतिभा भावक के हृदय में निवास करती है। उन्होंने पुनः कारयित्री प्रतिभा को भी तीन भागों में बांट दिया-(1) सहजा कारयित्री प्रतिभा (2) आहार्या

अपनी प्रगति जांचिए

4. आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में काव्य क्या है?
5. अलंकार रहित सरस्वती को विधवा किस ग्रंथ में कहा गया है?
6. सही-गलत बताइए-
(क) काव्य लक्षणों को काव्य-गुण भी कहा जा सकता है।
(ख) प्रसाद ने रस को काव्य की आत्मा कहा है।

टिप्पणी

कारयित्री प्रतिभा (3) औपदेशिकी कारयित्री प्रतिभा। इनकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं—'सहज प्रतिभा' जन्म-जन्मांतरों के संस्कारों का प्रतिफल है। 'आहार्या' वर्तमान जीवन का संस्कार है तथा 'औपदेशिकी' तंत्र, मंत्र, देवता, गुरुजन, स्वजन आदि के उपदेश एवं शिक्षा से उद्बुद्ध होती है।

रुद्र के अनुसार प्रतिभा के दो प्रकार हैं—सहजा और उत्पाद्या।

अभिनवगुप्त प्रतिभा के दो रूप मानते हैं—सामान्य प्रतिभा एवं कवि प्रतिभा।

अभिनव गुप्त के गुरु भट्टतौत ने प्रज्ञा को मूलभूत शक्ति मान कर प्रतिभा को उसका एक रूप बताते हुए उसे नवोन्मेषशालिनी शक्ति कहा है। अर्थात् प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जो नवीन-नवीन रूपों का सृजन तथा उद्घाटन करती है। प्रतिभा रसात्मक रूपों, नए रूपों का निर्माण करती है। इसमें अपूर्व वस्तु निर्माण की क्षमता है। यह शब्दार्थ के सौंदर्य को बढ़ाती है।

काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में अनेक मत हैं। कोई केवल शारीरिक दृष्टि से, कोई मानसिक और कोई आध्यात्मिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करते हैं, परंतु काव्य-सृजन की प्रक्रिया एक साथ शारीरमानसात्मिक प्रक्रिया है। इसमें शरीर प्रमुखतया साधन और माध्यम है। प्रमुखतया क्रिया मनस्तत्व की है, जिसमें चेतना आत्मतत्व को स्पर्श और जागृत करती है। आत्मतत्व के संस्पर्श होने पर आनंदमय उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि होती है और उसके उद्बुद्ध होने पर रहस्यात्मक काव्यधारा प्रवाहित होती है। सामान्यतया लौकिक काव्य मनस्तत्व अनुभूति और कल्पना को प्रेरित करता है।

अनुभूति को प्रमुखतया संस्पर्श करने पर भावात्मक काव्य की तथा कल्पना के क्षेत्र को संस्पर्श करने से कलात्मक काव्य की प्रधानतया सृष्टि होती है। दोनों का सामंजस्य होने पर ही व्यापक प्रभाव वाले काव्य की रचना संभव है, जिसमें कवि का मन एक साथ कल्पना और अनुभूति दोनों ही क्षेत्रों के संस्पर्श का आनंद उठाता है। बुद्धि तत्व सामान्यतया 'भोजने लवणवत्' (भोजन में नमक के साथ) रहता है, परंतु अधिक होने पर फिर प्रचारवादी या नीति उपदेश प्रधान काव्य की रचना होती है। अनुभूति की धरती पर जब कल्पना विचरण करने लगती है, तब सुंदर भाव-कला संपन्न काव्य की सृष्टि होती है।

भारतीय साहित्य में प्रतिभा को बहुत आवश्यक एवं अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, परंतु कुछ लोगों का यह भी विचार है कि साधना द्वारा काव्य रचना की शक्ति एवं प्रतिभा संवर्द्धित की जा सकती है। अतः हमारे सामने प्रश्न उठता है कि क्या प्रतिभा न होने पर भी साधना और प्रयत्न द्वारा काव्य की रचना की जा सकती है? क्या काव्य रचना बिना प्रतिभा के संभव है, इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रतिभा क्या है और क्या प्रतिभा उत्पन्न की जा सकती है? यह प्रश्न जितना प्रमाण-सापेक्ष है, उतना ही विज्ञान और मनोविज्ञान से भी संबंधित है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान भट्टतौत ने कहा है कि—

बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागाभिगोचरा।
प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता॥

अर्थात् तत्काल कार्य करने का निश्चय देने वाली बुद्धि है, आगामी वस्तु और परिस्थिति की कल्पना और तदनुरूप निर्णय देने वाली शक्ति मति है और जो नई-नई प्रेरणा और कल्पना देने वाली प्रज्ञा-शक्ति है, वही प्रतिभा है। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रतिभा नई सृष्टि की प्रेरक शक्ति है। जिस शक्ति द्वारा हमारे मन में नई कल्पनाएं, उद्भावनाएं तथा दृष्टियां प्रकट होती रहें, वही प्रतिभा है। प्रतिभा के संबंध में ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन का भी कुछ इसी प्रकार का मत है, उन्होंने लिखा है कि "अपूर्ववस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा" अर्थात् पहले जैसी वस्तु नहीं है, वैसी वस्तु के निर्माण की क्षमता प्रज्ञा है। अतएव प्रतिभा, विशिष्ट और अधिक सक्रिय प्रज्ञा कही जा सकती है।

यह स्पष्ट है कि काव्य मूलतः नई सृष्टि है। यह नवीनता अनेक रूपों में देखी जा सकती है। वस्तु की नवीनता, भावगत नवीनता, कल्पना की नवीनता, अभिव्यक्ति की नवीनता आदि। काव्य के अंतर्गत यह नवीनता रहती ही है और वही उसकी अपूर्वता है। अतः काव्य की रचना के लिए नवीन सृष्टि संबंधी प्रतिभा आवश्यक है। इसमें दो मत नहीं हो सकते परंतु हमारे सामने इस प्रसंग में दो प्रश्न मूलतः उठते हैं— पहला यह कि प्रतिभा जन्मजात न होने पर क्या अर्जित की जा सकती है? और दूसरा यह कि प्रतिभा के अभाव में अथवा उसकी कम मात्रा में होते हुए भी कोई अन्य साधन या तत्व है, जिनकी काव्य रचना के प्रसंग में आवश्यकता स्वीकार की जा सके?

पहले प्रश्न पर विचार करते हैं—प्रतिभा के संबंध में प्रायः मत यह है कि यह जन्मजात ही होती है। कुछ लोगों ने काव्य की शक्ति, प्रतिभा को दो रूपों में देखा है— (1) सहजा (2) उत्पाद्या।

संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान रुद्र के विचार में सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है और उत्पाद्या शास्त्र, लोकानुभव और संगत आदि से प्राप्त हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि सहजा और उत्पाद्या इन दोनों ही काव्य प्रतिभाओं में अंतर किया जा सकता है। सहजा प्रतिभा अधिक क्षमताशाली, स्वतः स्फूर्त और अजस्र सर्जनाशक्ति है, जबकि इसकी तुलना में उत्पाद्या प्रतिभा कम बलशाली, अविशिष्ट, प्रेरणास्फूर्त और कभी-कभी जागृत सर्जना शक्ति है। दोनों में अंतर होते हुए भी यह विचारणीय है कि क्या जन्मजात या सहजा प्रतिभा के न होने पर भी उसे सत्संग या प्रयत्न आदि से प्राप्त किया जा सकता है? इस संबंध में दो मत मिलते हैं, एक तो यह कि उत्पाद्या प्रतिभा के रूप में जो शक्ति काम करती है वह वास्तव में सुषुप्त, किंतु सहजा प्रतिभा शक्ति ही है और दूसरा मत यह है कि जन्म से अथवा संस्कार से प्रतिभा न होते हुए भी वह प्रयत्न द्वारा अर्जित की जा सकती है।

यह बात भी अस्वीकार नहीं की जा सकती कि जिनकी प्रतिभा जन्मजात रूप में प्रकट होती है और बाद में सत्संग, अभ्यास और प्रयत्न द्वारा प्रकट होती है, उसमें पूर्ववर्ती प्रतिभा के क्षीण बीज विद्यमान रह सकते हैं। यह संभव है कि प्रतिभा मूलतः ऐसे व्यक्तियों में रही हो, परंतु उपयुक्त अवसर के अभाव में उसका प्रस्फुटन तभी हुआ हो, जब अन्य साधन प्राप्त हुए हों। ऐसी दशा में आचार्य दंडी का यह कथन है कि—

न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबंधि प्रतिभानमद्भुतम्।
श्रुतेन यत्नेन न वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्॥

टिप्पणी

टिप्पणी

साधना के परिणामस्वरूप वाणी जिन पर कृपा करती है, उनके भीतर प्रतिभा का कुछ न कुछ तत्व पहले भी विद्यमान रह सकता है और जिनमें यह जन्मजात प्रतिभा का बीज प्रबल है उनमें काव्य का स्वतः स्फुरण होने लगता है, परंतु जिनमें वह क्षीण है उनमें वह अध्ययन, अभ्यास और सत्संग से उपयुक्त अवसर आने पर प्रकट होता है। इस प्रकार जिनमें बाद में कवि प्रतिभा प्रस्फुटित हुई, उनमें प्रतिभा का बीज क्षीण था। इसी स्थिति में प्रतिभा के लिए साधना का महत्व स्वीकार किया जा सकता है।

निष्कर्ष यह निकलता है कि जहां जन्मजात प्रतिभा नहीं दिखलाई देती, वहां वह अभ्यास और प्रयत्न से प्रकट की जा सकती है और जो साधन इस प्रतिभा के प्रकट होने में सहायक होते हैं, वे व्युत्पत्ति और अभ्यास माने गए हैं। व्युत्पत्ति का तात्पर्य लोक और शास्त्र का ज्ञान और अभ्यास का तात्पर्य कवि कर्म में अनवरत संलग्न रहना है। इन दोनों साधनों से कम बलवती प्रतिभा भी काव्य-रचना के कार्य में संलग्न रहती है और उत्तम काव्य-सृष्टि कर सकती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत प्रतिभा के विद्यमान होने पर भी कवि आलसी या लापरवाह है, तो उसकी प्रतिभा का कोई परिणाम नहीं होता और वह व्यर्थ जाती है।

अतएव इन साधनों से प्रतिभा-तत्व का अंकुरण और पल्लवन समुचित रीति से हो जाता है, इनमें संदेह नहीं। इसीलिए संस्कृत के आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य का निमित्त कारण और संत्संग, अभ्यास और व्युत्पत्ति आदि को उपादान कारण माना है। आचार्य वामन ने काव्य का मूल कारण प्रतिभा को ही स्वीकार किया है। आचार्य जयदेव ने भी इस संबंध में लिखा है कि प्रतिभा काव्य का बीज है और व्युत्पत्ति आदि मिट्टी के समान है और अभ्यास पानी के समान।

जिस प्रकार बीज के अंकुरण और विकास के लिए पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार प्रतिभा के विकास के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास की आवश्यकता है। इसी प्रकार का मत हेमचंद्र का भी है कि प्रतिभा काव्य का मूल कारण है और व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के कारण नहीं वरन् संस्कार हैं। इनके द्वारा काव्य संबंधी प्रतिभा, परिष्कृत और विकसित होती है। हिंदी काव्यशास्त्री डॉ. नगेंद्र मानते हैं कि कवि अपनी प्रतिभा, निपुणता तथा अभ्यास के बल पर काव्य रचना करता है।

उपर्युक्त मतों से यही बात स्पष्ट होती है कि काव्य का मूल कारण प्रतिभा है और किसी-किसी रूप में उसके होने पर ही व्यक्ति काव्य की रचना कर सकता है, परंतु इस प्रसंग में एक और बात विचारणीय है। वह यह है कि क्या जन्मजात काव्य-प्रतिभा न होने पर भी प्रतिभा के संस्कार डाले जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण के संबंध में प्रसिद्ध इटैलियन सौंदर्यशास्त्री क्रोचे का मत विचारणीय है, जो यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य जन्मजात कवि होता है। कोई बड़ा और कोई छोटा। प्रतिभा की बात उसकी दृष्टि से एक प्रकार का अंधविश्वास या रूढ़ि है, जो मनुष्य में काव्य-रचना की शक्ति के परिणाम में अंतर होने के कारण उत्पन्न हो गई है। क्रोचे का कथन निस्सार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में जिस प्रकार से बुद्धि, अनुभूति कल्पना-शक्ति होती है, परंतु प्रत्येक में उनका व्यवहार समान रीति से नहीं

होता, उसी प्रकार यह सोचा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति में किसी-किसी रूप में काव्य-प्रतिभा होती है, यह काव्य-प्रतिभा समय पाकर प्रस्फुटित होती रहती है और उसका विकास भी होता रहता है।

परिस्थितियों और प्रयत्नों के कारण जिनकी प्रतिभा जितनी ही स्वच्छ होती है, वे उतना ही उत्तम काव्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा का विकास परिस्थितियों एवं प्रयत्नों के कारण नियंत्रित रहता है। भगीरथ मिश्र कहते हैं—इस संबंध में जो स्थिति अन्य मानसिक शक्तियों की है, वही स्थिति प्रतिभा के संबंध में कही जा सकती है। जिस प्रकार हम प्रयत्न से अनुकूल परिस्थितियां पाकर अपनी अन्य मानसिक शक्तियां बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार प्रतिभा को भी विकसित कर सकते हैं।

मानव-मस्तिष्क एक खेत के समान है जिस प्रकार खेत में बीज बोने पर वे अंकुरित होते हैं उसी प्रकार मानव अंतःकरण में भी विभिन्न प्रकार के संस्कार डाले जा सकते हैं और काव्य-रचना के संस्कार भी उसके भीतर पड़ सकते हैं। जिसे हम काव्य-प्रतिभा कहते हैं, वह संवेदन-चेतना, कल्पना और भाषागत क्षमता का समन्वित रूप है। जहां ये तीनों ही एक साथ मिल जाती हैं, वहीं काव्य रचना कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। ऐसी दशा में स्वस्थ शरीर और मन वाले किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत काव्य-रचना के बीज अंकुरित होते हैं और हो सकते हैं।

काव्य-रचना के प्रसंग में एक और पक्ष विचारणीय है, वह है प्रेरक परिस्थितियों का। इनके अंतर्गत मनुष्य की वैयक्तिक रुचि और आकांक्षा, उसकी सामाजिक और पारिवारिक स्थितियां तथा आत्माभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। इन प्रेरक परिस्थितियों के सम्यक रूप से सक्रिय हो जाने पर काव्य-रचना के लिए बहुत बड़ी भूमिका तैयार हो जाती है।

संस्कृत और हिंदी साहित्य इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार काव्य का उत्कृष्ट विकास उन प्रेरक परिस्थितियों के कारण हुआ। महर्षि वाल्मीकि को क्रौंच-वध ने व्याकुल कर उनके अंतर्गत शोक के भाव-समुद्र को इतना आंदोलित कर दिया कि वह राम की आदिम गाथा रामायण के रूप में प्रकट हुआ। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास के संबंध में भी यह बात पूर्णतया सत्य है कि उनकी पत्नी के तीन प्रेरक शब्दों (अस्ति, कश्चित्, वाग्विशेषः) ने ही उन्हें तीन महान ग्रंथों की सृष्टि की प्रेरणा दी।

हिंदी साहित्य में चंद, विद्यापति, भूषण और बिहारी जैसे कवियों को उनके आश्रयदाता और नायकों के व्यक्तित्व ने जो प्रेरणा दी, उसी के परिणामस्वरूप इनकी कृतियों का निर्माण हुआ। गोस्वामी तुलसीदास, नंददास और घनानंद को भी प्रेरित करने वाले कतिपय विशिष्ट व्यक्तित्व ही थे। आधुनिक काल में भी भारतेन्दु, मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, निराला आदि को काव्य की प्रेरणा देने में समकालीन देश और समाज की परिस्थितियों का अत्यंत प्रभाव है।

अतः कहा जा सकता है कि प्रतिभा अर्थात् काव्य रचना की क्षमता विकसित की जा सकती है और उसको विकसित करने में प्रेरक परिस्थितियां, लोकशास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि

टिप्पणी

टिप्पणी

हमारे मनस्त्व के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रवृत्तियों और क्षमताओं के संस्कार विद्यमान रहते हैं। साधनों और परिस्थितियों के प्रभाव से इन संस्कारों में से कोई भी संस्कार प्रबल होकर क्रियाशील हो जाता है और परिणामस्वरूप किसी प्रकार के कार्य का सूत्रपात होता है। प्रतिभा के विश्लेषण के प्रसंग में हमने देखा है कि वह कल्पना-शक्ति, संवेद्यता और अभिव्यक्ति-क्षमता संबंधी अतिशय जागरूकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये सभी शक्तियाँ और क्षमताएँ किसी-किसी मात्रा में सभी के मस्तिष्क में विद्यमान रहती हैं। प्रायः इनका विकास प्रकृति अर्थात् स्वभाव पर अवलंबित रहता है।

जिस व्यक्ति की परिस्थितियाँ प्रेरक हुईं और समुचित साधन भी प्राप्त हुए, साथ-साथ जो आत्मज्ञान से भी अपनी क्षमताओं के विकास संबंधी चेतना से संपन्न हुआ, वह काव्य की रचना अवश्य कर सकता है। क्रोचे के मत को इस अंश में मानना अनुचित न होगा कि काव्य-रचना के तात्त्विक संस्कार प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होते हैं, इसलिए जन्म से प्रत्येक व्यक्ति कवि है। उसकी काव्य-प्रतिभा को विकास की प्रेरणा देने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों पर ही यह निर्भर करता है कि वह बड़ा कवि होगा कि साधारण। यदि परिस्थितियों के कारण उसके मानसिक संस्कारों की स्वच्छता और स्वस्थता बनी रहती है, तो वह किसी न किसी रूप में कवि कर्म करता रह सकता है।

काव्य-रचना के प्रसंग में प्रतिभा के साथ-साथ साधना का भी महत्वपूर्ण हाथ है। प्रतिभा का विकास साधना द्वारा होता है। जागृत प्रतिभा या काव्य के संस्कार अनवरत साधना से भली-भाँति प्रस्फुटित होते हैं। इसके साथ ही साथ काव्य-प्रतिभा के सुप्त संस्कार भी साधना द्वारा प्रबुद्ध होते हैं और काव्य-रचना संभव हो सकती है। साधना के लिए प्रेरक परिस्थितियों के साथ-साथ वैयक्तिक संकल्प और निष्ठा की बड़ी आवश्यकता होती है और यदि साधना के लिए दोनों ही बातें प्राप्त हो गईं, तो काव्य-प्रतिभा का समुचित विकास अवश्य होता है।

प्रतिभा एक प्रकार की मानसिक क्षमता है और उस क्षमता का उपयोग के बाद क्षीण होना भी स्वाभाविक है। ऐसी प्रेरक परिस्थितियाँ कवि के जीवन में नहीं रह पातीं जिनसे वह जीवन भर उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि करता रहे। तीसरा कारण यह भी है कि बहुत से कवि काव्यगत प्रसिद्धि प्राप्त हो जाने के उपरांत स्वतः स्फूर्त रूप में नहीं, वरन किसी के कहने या अन्य बाहरी दबावों के वश कविता लिखते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कविता लिखने का निर्णय बौद्धिक आग्रह से होता है और उसी आग्रह या आवश्यकतावश कविता की रचना की जाती है। ऐसी दशा में सहज और उत्कृष्ट काव्य-रचना की आशा नहीं की जा सकती। आवश्यक यह है कि काव्य का रचयिता सच्चा और निष्ठावान हो और वह अपनी काव्य-क्षमता का उपयोग तभी करे, जब उसके अंतःकरण में रचना की वास्तविक प्रेरणा जागृत हो। ऐसा न होने पर वह अपनी प्रतिभा के प्रति सच्चा नहीं कहा जा सकता। काव्य-प्रतिभा के संबंध में यह बात स्वीकार की जा सकती है कि वह सदैव ही किसी के चाहने पर जागृत नहीं होती, उसके इसी स्वभाव के कारण उसे अलौकिक कहा गया है। जिस समय वह जागरूक रहती है उस समय काव्य का सृजन अनायास होता चलता है। जिस समय वह सचेत

नहीं है, उस समय उसको बहुत प्रयत्न करके भी, प्रस्फुरित नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें स्पष्ट रीति से समझना चाहिए कि काव्य-प्रतिभा का संस्कार होना एक अलग वस्तु है और उस प्रतिभा को जब चाहे तब उपयोग में लाना यह उससे भिन्न वस्तु है। काव्य के संस्कार सभी में थोड़े बहुत विद्यमान रहते हैं, परंतु काव्य-प्रतिभा को हम अपनी या किसी दूसरे की इच्छा या उपयोगिता के वशीभूत होकर सक्रिय नहीं बना सकते।

1.5 काव्य प्रयोजन

‘काव्यत्वं दुर्लभं लोके’ कहा गया है तो इसका प्रणयन निरुद्देश्य कैसे हो सकता है? सामान्यतः दो प्रयोजन माने जाते हैं—आनंद की प्राप्ति और लोक कल्याण। भरतमुनि लिखते हैं—यह नाट्य (काव्य) धर्म, यश, आयु, हित और वृद्धि का अभिवर्धक और लोकोपदेश का उत्पादक होगा—

धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्।

लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति॥

अर्थात् पहला प्रयोजन धर्म यानी कर्तव्य बोध है कि मैं समाज के प्रति उत्तरदायी हूँ यानी कि कवि सामाजिक कल्याण करने वाली और आनंददात्री रचना का प्रणयन करे जिससे उसे यश प्राप्त होगा। प्रसन्नचित्त और यशस्वी होने से आयु बढ़ेगी और वह समाज का हित लंबे समय तक साध सकेगा।

भामह के अनुसार—

‘धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु सा।

करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निवेक्षणम्॥

अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कलाओं में दक्षता, कीर्ति और प्रीति ये काव्य के प्रयोजन हैं। वामन ने प्रीति और कीर्ति केवल दो प्रयोजन माने हैं। कुंतक के काव्य प्रयोजनों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—(1) चतुर्वर्ग फलप्राप्ति (2) व्यवहार औचित्य का ज्ञान (3) चतुर्वर्ग फलास्वाद से भी बढ़ अंतःचमत्कार की प्राप्ति। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन के छह प्रकार हैं—(1) यश की प्राप्ति (2) अर्थ की प्राप्ति (3) लोक व्यवहार का ज्ञान (4) अनिष्ट निवारण (5) तात्कालिक आनंद (6) कांता सम्मित उपदेश। लगभग सभी आचार्यों ने उपरोक्त प्रयोजनों की ही चर्चा घुमा-फिरा कर की है।

साहित्य की साध्यता सोपानबद्ध होती है। उसमें हम तारतम्य का अनुभव करते हैं और एक सोपान के प्राप्त हो जाने पर दूसरा सोपान साध्य हो जाता है और पहला साधन। यह सोपानबद्धता समस्त साहित्य का ही स्वभाव है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह साहित्य का समग्र स्वरूप है। अतः जब साध्य और साधन साहित्य के दो पक्ष हैं तब साधन और साध्य का विश्लेषण एक कठिन कार्य अवश्य है। इसका एक और कारण है। साहित्य स्वयं एक रचना है—सृष्टि है। वह जीवन के समान है, समान ही नहीं वह कल्पनागत जीवन है। अतएव साधन एवं साध्य संबंधी कठिनाई उपस्थित होती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि मनुष्य जीवन

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए

7. अग्नि पुराण से कितने काव्य हेतुओं का पता चलता है?

8. आचार्य वामन के अनुसार काव्य का मूल कारण क्या है?

9. सही-गलत बताइए—

(क) काव्यशास्त्रियों के काव्य 'हेतु' अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते हैं।

(ख) वामन ने काव्य हेतुओं को लोक, विद्या और प्रकीर्ण— इन तीन वर्गों में रखा है।

टिप्पणी

का साध्य मोक्ष है, सत्यान्वेषण है, लोक कल्याण है, ईश्वर का साक्षात्कार है, चरम आनन्दानुभूति है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है—

बड़े भाग मानुस तन पाया। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक संवारा।।

सो परत्र दुख पावइ, सिर धुनि धुनि पछिताइ।

कालहिं कर्महिं ईस्वरहिं मिथ्या दोष लगाइ।

एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई।।

यह विचार भक्तों का ही नहीं, आधुनिक कविश्रेष्ठ, कामायनी महाकाव्यकार प्रसाद जी का भी है कि भोग-विलास ही जीवन का लक्ष्य नहीं। विलास को ही जीवन में प्रधानता देने वाली संस्कृति विनष्ट हो जाती है और इतिहास का अनुशीलन करने पर भी हम यही देखते हैं कि जिस देश अथवा जाति में भोगवाद और विलासिता का अबाधित प्रसार एवं प्रचार हुआ, उसका तुरंत पतन हुआ है। अतः जीवन का साध्य केवल भोग नहीं अर्थात् केवल जीना नहीं वरन् कुछ और है, विशेष रूप से मानव-जीवन का। डॉ. नगेंद्र काव्य के दो प्रयोजन मानते हैं—व्यक्तिगत आनंद तथा सामाजिक लोकमंगल।

साहित्य के साध्य युग-युग में बदलते रहते हैं और उसके विशिष्ट रूपों का युग-युग में बदलना आवश्यक भी है। जिस प्रकार विज्ञान के लिए सिद्धांततः एक साध्य है सत्यानुसंधान। उसके भीतर युगानुकूल विद्युत, रेडियो, अणुशक्ति आदि विशिष्ट रूप आते रहे, उसी प्रकार काव्य का भी सैद्धांतिक रूप से साध्य एक होता हुआ भी, युगानुकूल उसका साध्य बदलता रह सकता है। उसके बदलते रूप यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी साहित्यिक चेतना प्रबुद्ध है और हम उस चेतना को लेकर जागरूक एवं क्रियाशील हैं।

यही स्पष्टीकरण अब तक प्रस्तुत साहित्य या काव्य के प्रयोजनों के संबंध में भी है। भारतीय परंपरा में हम काव्य प्रयोजन संबंधी जो विचार पाते हैं वे हैं—

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परिनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।।

धर्मार्थं कामभोक्षाणां वैचक्षण्यं कलासु च।

करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्यनिषेवणम्।।

(मम्मट)

(भामह)

उपर्युक्त प्रयोजनों के अंतर्गत जीवन की सफलता के विविध पक्ष प्रकट हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष — ये जीवन के पुरुषार्थ माने जाते हैं। इन पुरुषार्थों का तारतम्य है। एक के बाद हम दूसरा पुरुषार्थ प्राप्त करते हैं और इस प्रकार एक प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर, फिर वह साध्य के स्थान पर साधन बन जाता है। इन साधनों के तारतम्य में अंतिम साध्य मोक्ष है, जो साधन नहीं बनता। मोक्ष के अंतर्गत जो ध्वनि है, वह निषेधार्थपूर्ण है, विधेयतापूर्ण नहीं। मोक्ष अर्थात् जीवन से निष्क्रमण। यदि जीवन से निष्क्रमण का तात्पर्य जीवन के आनंद से निष्क्रमण है, तो कोई नहीं चाहेगा।

टिप्पणी

अतः इसका तात्पर्य हुआ जीवन के दुखों से निष्कृति या मुक्ति। जीवन सुख-दुखात्मक है, अतः जब उसके दुखों से कोई मुक्त होना चाहता है, तो उसके सुखों से भी हाथ धोना पड़ता है। अतः मुक्ति आनंदहीन हुई। वह स्थिति तो जड़ सी हुई। यह जीवन को दुखपूर्ण मानने की धारणा या परिणाम है। परंतु साहित्य या काव्य की कल्पना दूसरे प्रकार की है। वह जीवन के दुखों को भी सुखों में परिणत करने का जादू है। हमारे जीवन के दुखानुभव जब काव्य या साहित्य का रूप धारण करके आते हैं, तब वे हमें दुख नहीं वरन् सुख ही देते हैं। काव्य में रस का भी यही रहस्य है। रस के अंतर्गत जीवन की सुख-दुखात्मक अनुभूतियां आनंद में परिणत हो जाती हैं। इसी से हम संयोग-शृंगार के साथ-साथ वियोग-शृंगार, हास्य के साथ-साथ करुण और वीभत्स के साथ-साथ भयानक और रौद्र रसों को प्राप्त करते हैं।

अपने लौकिक जीवन में जिन करुण, वीभत्स और भयानक परिस्थितियों की कल्पना से भी हमारा मन सिहर उठता और शरीर थर्रा उठता है, उन्हीं परिस्थितियों को साहित्य में प्राप्त कर हम बार-बार उनका आस्वादन और परिशीलन करना चाहते हैं। यह साहित्य की रासायनिक क्रिया ही है, जो इन दुखात्मक और भयावह परिस्थितियों को रमणीय रूपों में बदल देती है। साहित्य की यह क्रिया, जो मुख्यतया जीवन की पुनः रचना क्रिया है, उसके साध्य का भी संकेत करती है। जीवन की विभीषिकाओं को प्रस्तुत कर वह यह बताती है कि वे भी जीवन के अंग हैं पर दूसरी ओर सभ्यताओं का भी चित्रण करके वह स्पष्ट करती है कि जीवन का वह स्वरूप कितना प्यारा और वांछनीय है।

साहित्य के अंतर्गत प्राप्त इन्हीं चित्रणों ने धीरे-धीरे मानव समाज को यह प्रेरणा दी कि सभ्यता और संस्कृति का विकास वही है, जिसमें विभीषिकाओं का ह्रास और सभ्यताओं की प्रचुरता और स्थिरता है। समाज के नव-निर्माण हेतु कार्य करने वाले राजनीतिज्ञों, समाज-सुधारकों और समाजशास्त्रियों को साहित्य की कल्पनाओं ने ही प्रेरणा दी है और धीरे-धीरे इन्हीं कल्पनाओं को जीवन में उतारता और साकार करता हुआ मानव जीवन-पथ पर आगे बढ़ रहा है।

साहित्य का साध्य आनंद है। मोक्ष की धारणा इसकी तुलना में जीवन से एक पलायन मात्र है। साहित्य सदैव सुख-दुखमयी जीवन परिस्थितियों का चित्रण कर हमें अनुभव, प्रेरणा और संवेदन प्रदान करता है, और इन तीनों के द्वारा उसका कार्य आनंद संपादन ही है। साहित्य में वर्णित ये घटनाएं जीवन की घटनाओं के समान कटु नहीं होती और वे वैयक्तिक संबंधों से मुक्त होती हैं।

इनके द्वारा एक सामाजिक संवेदना जागृत होती है और हम एक दूसरे के अधिक निकट हो जाते हैं। हम ऐसी स्थितियों से सचेत रहते हैं या समाज से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इनसे हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है और हमारी संकीर्णता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार साहित्य की दुखात्मक परिस्थितियों से भी परोक्ष संकेत, आनंद संपादन का ही रहता है और सुखात्मक परिस्थितियों में आनंद की अजस्र धारा बहती ही रहती है।

अपने इसी साध्य द्वारा साहित्य मानव-जीवन में दानवत्व का नाश और देवत्व का विकास करता रहता है। देवत्व की कल्पना का आकर्षण हमारे जीवन में भरना साहित्य का ही काम है। इसी देवत्व की उपलब्धि अपने में करके मानव जीवन देवत्व से और सबसे महान बनता जा रहा है।

1.6 काव्य के गुण एवं दोष

काव्य के गुण एवं दोषों को पृथक-पृथक इस प्रकार समझा जा सकता है-

1.6.1 काव्य-गुण

काव्यशास्त्र काव्य के स्वरूप और उसकी समस्याओं पर विचार करता है। काव्य रचना के लिए जिस अनिवार्य अनुशासन की आवश्यकता होती है, भारतीय काव्यशास्त्र उसका निर्धारण करता है। राममूर्ति त्रिपाठी कहते हैं, "काव्य के शास्त्र से अभिप्राय उसके शासन से है-नियम विधान से है। शास्त्र इसलिए शास्त्र माना जाता है कि वह शासन करता है, कवियों को निरंकुश होने से रोकता है। काव्य का अनुशासन ही काव्य का शास्त्र है।"

वाग्भट्ट 'काव्यानुशासन' की चर्चा करते हैं, दशरूपककार धनंजय भी अनुशासन का ही समर्थन करते हैं जबकि महाभाष्यकार पतंजलि वैयाकरण होने के नाते 'शब्दशासन' की बात करते हैं। अनुशासनहीनता काव्य में अनौचित्य को जन्म देती है तथा अनौचित्य से बड़ा 'रसभंग' का दूसरा कारण नहीं होता। औचित्य निबंधन ही रस के परम समीप ले जाता है। आनंदवर्धन कहते हैं-

अनौचित्यादृते नान्यद्रसभंगस्य कारणम्।
औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषत् परा॥

क्षेमंदर कहते हैं-'औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।'

औचित्य रसयुक्त काव्य को स्थिर जीवन शक्ति प्रदान करता है। औचित्य के बिना काव्य में रस निष्पत्ति संभव नहीं है। औचित्य का आकलन करना काव्य को अनुशासित करने की प्रक्रिया है। विजयेंद्र स्नातक कहते हैं-'काव्य के साथ शास्त्र शब्द जुड़ने से सामान्यतः शास्त्र शब्द का 'शासनात् शास्त्रम्' अर्थ होता है अर्थात् जो काव्य का शासन करे, वह काव्यशास्त्र है, किंतु काव्य शासन नहीं करता। विधि-निषेध की सीमाओं में काव्य को बांधा नहीं जा सकता। अतः शास्त्र शब्द का दूसरा अर्थ-'शसनात् शास्त्रम्' अर्थात् विषय प्रतिपादन करने वाला, यह अर्थ इस संदर्भ में समीचीन प्रतीत होता है।' काव्यशास्त्र के समुचित ज्ञान के बिना काव्य का गंभीर अनुशीलन असंभव है।

आचार्य राजशेखर ने 'काव्य-मीमांसा' में लिखा है-इह हि वाङ्मयमुभयथा शास्त्रं काव्यं च। शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्वं शास्त्रेष्वभिनिविशेः नह्यप्रवर्तितप्रदीपास्तौ तत्त्वार्थमसामर्थ्याध्यक्षयन्ति। अर्थात् शास्त्र और काव्य इन भेदों से वाङ्मय दो प्रकार का है। काव्य ज्ञान के लिए शास्त्र आवश्यक है। जैसे बिना दीपक के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान के बिना काव्य ज्ञान असंभव है। अतः काव्य से पहले

अपनी प्रगति जांचिए

10. सामान्यतया काव्य के प्रयोजन क्या हैं?
11. भरतमुनि के अनुसार प्रथम काव्य-प्रयोजन क्या है?
12. सही-गलत बताइए-
(क) 'काव्यत्वं दुर्लभं लोके' से काव्य की उद्देश्यहीनता सिद्ध होती है।
(ख) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के पुरुषार्थ माने जाते हैं।

शास्त्र का अभ्यास करना आवश्यक है।' काव्यशास्त्र में काव्य के स्वरूप और समस्याओं के साथ-साथ अलंकारों तथा काव्य से संबंधित अन्य विषयों का भी अध्ययन किया जाता है।

1.6.2 काव्य-दोष

काव्य सौंदर्य-सृजन है, काव्य रस है। दोष काव्य को अपकर्ष प्रदान करते हैं। मम्मट ने काव्यप्रकाश में कहा है कि 'मुख्य' अर्थ का अपकर्ष दोष है। काव्य में मुख्य 'रस' है, अतः रस का अपकर्षक अर्थात् विधात करने वाला तत्व दोष है-

मुख्यार्थहतिदोषः। रसश्च मुख्यः, हतिरपकर्षः।

उद्देश्य प्रतीति विधातलक्षणः अपकर्षः हतिशब्दार्थः।

काव्य का लक्ष्य आनंदोनुभूति है। आनंद ही रस है। रस का जो अपकर्ष करे, वह दोष है।

आचार्य भरत ने काव्य-दोषों की संख्या दस बताई थी। भामह, दण्डी, वामन, आनंदवर्धन, महिम भट्ट और भोजराज ने काव्य दोषों का पुनः-पुनः निरूपण किया। परिणामतः आचार्य मम्मट के समय तक दोषों की संख्या सत्तर तक पहुंच गई। मम्मट ने इन समस्त आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य-दोषों के आधार पर नब्बे काव्य-दोषों का उल्लेख कर दिया। उन्होंने सभी काव्य-दोषों को मूलतः निम्नांकित चार वर्गों में विभक्त किया- (क) पदगत काव्य-दोष, (ख) वाक्यगत काव्य-दोष, (ग) अर्थगत काव्य दोष और (घ) रसगत काव्य-दोष।

(क) पदगत काव्य-दोष

इस वर्ग में आने वाले कुछ प्रमुख काव्य-दोषों को इस प्रकार समझा जा सकता है-

1. क्लिष्टता- अत्यंत कठिन अथवा दुर्बोध शब्दों का प्रयोग क्लिष्टता दोष कहलाता है।

मंदिर अरध अवधि हरि बदि गए,
हरि अहार चलि जात।

'मंदिर अरध' अर्थात् पंद्रह दिन और 'हरि अहार' अर्थात् एक महीना। इन अर्थों की प्रतीति सहज नहीं, अत्यंत कठिन है।

2. श्रुति कटु- सुनने में कठोर लगने वाले शब्दों से भावावेग में विकृति आती है।

त्रिया अलक चक्षुश्रवा डसैं परत की डीठि...
पर क्या न विष्योत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता।

उपरोक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्द श्रुति कटु हैं।

3. ग्राम्यत्व- गंवारू शब्दों के प्रयोग से काव्य में ग्राम्यत्व दोष आता है।

मूंड पै मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल।

यहां मूंड ग्राम्य शब्द है, जो अब साहित्य में प्रयुक्त नहीं होता।

4. अप्रयुक्त- पदों का प्रयोग व्याकरण सम्मत होने के बाद भी अगर प्रयुक्त शब्द प्रचलन में न हों तो वहां अप्रयुक्त काव्य-दोष होता है।

राजकुल भिक्षाचरण से लगे भरने पेट।

यहां भिक्षाचरण शब्द सामान्यतः प्रचलन में नहीं है।

टिप्पणी

5. **च्युत संस्कृति**- यह काव्य-दोष वहां उत्पन्न होता है, जहां शब्दों का व्याकरण सम्मत प्रयोग नहीं किया गया होता।

राजे बिराजे मख भूमि में थे।

अरे अमरता के पुतलों! तेरे वे जयनाद।

यहां राजे, बिराजे एवं तेरे शब्दों का प्रयोग व्याकरण सम्मत नहीं है।

(ख) **वाक्यगत काव्य-दोष**- कुछ प्रमुख वाक्यगत काव्य-दोष निम्नांकित हैं-

1. **अक्रम**- वाक्य में वाक्य-रचना की दृष्टि से शब्दों का क्रम अनुचित होने पर अक्रम काव्य-दोष होता है।

थी सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी।

जादू भरी मुरलिका पति राधिका थी।

यहां पति शब्द का प्रयोग राधिका के बाद होना चाहिए था।

2. **अधिकपदता**- वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयुक्त होने पर अधिकपदता काव्य-दोष होता है।

मेरा मन स्फटिकाकृतिनिर्मल रहे सदा गुरुदेव।

यहां स्फटिक निर्मल शब्द पर्याप्त था। आकृति शब्द का संधि-प्रयोग अनावश्यक था।

3. **वर्ण प्रतिकूलता**- वर्ण प्रतिकूलता का आशय वर्णनीय रस के प्रतिकूल वर्णों से है।

मुकुट की उटक लटक बिंबि कुंडल को।

शृंगार वर्णन के अंतर्गत यहां 'ट' वर्णों का प्रयोग दूषित लगता है।

4. **संकीर्ण**- एक वाक्य के पद का, दूसरे वाक्य में प्रयोग संकीर्ण काव्य-दोष उत्पन्न करता है।

छोड़ चन्द्र गगन में उदय होत, अब मान।

इसमें अभीष्ट वाक्य है- चंद्रगगन में उदय होत, छोड़ अब मान।

5. **न्यूनपदता**- आवश्यक होने पर भी जब काव्य में अर्थज्ञान के लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तब न्यूनपदता काव्य-दोष होता है।

पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु-साधु।

यहां असाधु के आगे प्रति या संग सरीखा कोई शब्द अर्थबोध के लिए आना चाहिए।

(ग) **अर्थगत काव्य-दोष**

कुछ प्रमुख अर्थगत काव्य-दोषों को इस प्रकार समझा जा सकता है-

1. **दुष्क्रम**- काव्योक्ति में लोक या शास्त्र विरुद्ध शब्द-क्रम होने पर दुष्क्रम काव्य-दोष होता है।

राजन! देहु तरंग मोहि अथवा देहु मतंग।

हाथी और घोड़ा : पहले हाथी मांगना चाहिए, फिर घोड़ा। यहां लोकनीति के विरुद्ध कथन है।

2. **पुनरुक्ति**- पुनरुक्ति दोष विभिन्न शब्दों के प्रयोग से अर्थ की आवृत्ति होने पर उत्पन्न होता है।

दृष्य बड़ा था रम्य, मंजु, सुंदर, मनमोहन।

यहां मंजु, सुंदर, मनमोहन शब्दों की रम्य शब्द के अर्थ की दृष्टि से पुनरुक्ति है।

3. **अप्रतीत**- जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है, तो अप्रतीत काव्य-दोष होता है।

तत्त्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त।

यहां वासना के अर्थ में प्रयुक्त आशय शब्द अप्रतीत दोष उत्पन्न करता है।

4. **अश्लीलता**- लज्जा, अमंगल या जुगुप्सा सूचक शब्दों का प्रयोग कविता में अश्लीलता दोष पैदा करता है। ऐसे शब्द दुहरे अर्थ व्यक्त करते हैं।

अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया।

यहां 'अभिप्रेत पद पाया' का अर्थ 'अभीष्ट पद प्राप्त किया' है। अन्य अर्थ में 'प्रेत पद पाया' यानी मर गया- अमंगल सूचक है।

5. **संदिग्ध**- संदेहपूर्ण अर्थ देने वाली काव्य रचना में संदिग्ध काव्य-दोष होता है।

जीना चाहो देशहित या इन्द्रियसुख हेतु।

यहां स्पष्ट नहीं हो पाता कि देशभक्ति का पक्ष लिया जा रहा है अथवा इन्द्रिय सुख का।

(घ) **रसगत काव्य-दोष**

इस वर्ग के कुछ प्रमुख काव्य-दोष निम्न प्रकार से हैं-

1. **विभाव-अनुभाव की कष्टकारिता**- यह काव्य-दोष वहां होता है, जहां विभाव या अनुभाव किस रस से संबद्ध है- यह जानने में कठिनाई हो।

सकल छाड़ि बन जाउ, यह हिय हिय करत बिचारू।

'सकल छाड़ि बन जाउ' में वाच्य अनुभाव शृंगार रस से संबंधित है या शांत रस से, यह स्पष्ट नहीं है।

2. **स्वशब्द वाच्य**- रस, भाव, विभाव-अनुभाव और संचारी भाव सूचक शब्द का कथन यदि स्वयं कर दिया जाए तो स्वशब्द वाच्य काव्य-दोष होता है। ऐसे कथन से रस अभिव्यक्त नहीं हो पाता।

कौशल्या क्या करती थी,

कुछ-कुछ धीरज धरती थी।

यहां 'धीरज' शब्द का प्रयोग सदोष है।

टिप्पणी

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए

13. औचित्य रसयुक्त काव्य को स्थिर जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह किसका कथन है?

14. रस का अपकर्ष अर्थात् विघात करने वाले तत्व को क्या कहते हैं?

15. सही-गलत बताइए-

(क) औचित्य के बिना काव्य में रस निष्पत्ति संभव नहीं है?

(ख) गंवारु शब्दों के प्रयोग से काव्य में क्लिष्टता दोष आता है।

3. रस की पुनरावृत्ति- किसी रस के परिपाक हो जाने पर भी उसकी बार-बार चर्चा किए जाने पर यह काव्य-दोष उत्पन्न होता है।

उदाहरणार्थ- साकेत के नवम सर्ग तथा प्रियप्रवास में विप्रलम्भ शृंगार बार-बार वर्णित है।

4. प्रतिकूलविभाव ग्रहण- वर्ण रस के विरोधी रस संबंधी विभाव का ग्रहण करना इस काव्य-दोष के अंतर्गत आता है। यथा-

मान जाओ तनिक मुस्करा दो प्रिये,
यह बीता समय लौट सकता नहीं।

यहां शृंगार रस प्रसंग में बीते यौवन की चर्चा है, जो शांत रस का विभाव है।

5. अति विस्तृति- वर्णन में अति करने पर अतिविस्तृति दोष की सृष्टि होती है।

पद्मावत में अस्त्र-शस्त्र एवं व्यंजनों का वर्णन, जयद्रथवध में स्वर्ग वर्णन का विस्तार इसी प्रकार के काव्य-दोष से युक्त है।

6. प्रकृति विपर्यय- स्वभाव के विपरीत वर्णन प्रकृति विपर्यय काव्य-दोष कहलाता है।

कुमारसंभव में शिव-पार्वती का शृंगार वर्णन, कामायनी में इड़ा के प्रति मनु का दुष्टतापूर्ण व्यवहार प्रकृति विपर्यय है।

7. प्रतिकूल प्रतिदान- बिना अवसर जब रस का प्रतिपादन किया जाता है, तब इस प्रकार का काव्य-दोष प्रकट होता है।

रामचंद्रिका में दसरथ मरण के मौके पर राम का अपनी मां कौशल्या को उपदेश देना इसका उदाहरण है।

1.7 सारांश

काव्य की आत्मा खोजने और उसकी उत्कृष्टता का रहस्य जानने की प्रक्रिया में काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों और संप्रदायों का जन्म और विकास हुआ। जिस प्रकार दर्शनशास्त्री आत्म-तत्व को जानने की प्रक्रिया में स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्मता तक पहुंचते हैं उसी प्रकार काव्यशास्त्र के अध्येता, आचार्यगण काव्य के बाह्य शारीरिक धर्म यानी अलंकार और भीतर की आत्मिक धर्म यानी रस के बीच यात्रा, तर्क-वितर्क, विवेचन करते रहे और इस तरह पाँच संप्रदाय विकसित और प्रतिष्ठित हुए।

काव्य वह है जो निर्दोष हो, गुणयुक्त हो, अलंकारों से अलंकृत हो और रस समन्वित हो और कवि वह है जो ऐसे काव्य की रचना करता है एवं यश और कीर्ति पाया करता है। अनेक आचार्यों ने कुछ इसी तरह के काव्य को प्रेरक और सुफलदायक बताया। काव्य का स्वरूप उसके लक्षणों या गुणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनेक विद्वानों ने काव्य के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए अपने-अपने मतानुसार अनेक परिभाषाएं दी हैं।

तरकारी में नमक या मसालों की मात्रा अनुचित हो तो तरकारी बेस्वाद हो जाती है उसी तरह काव्य में यदि करुण रस के प्रसंग में रस की मात्रा कम या ज्यादा हो या अन्य रस समाविष्ट हो जाएं तो काव्य निम्न कोटि का हो जाता है। जिस तरह क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से मिलकर जीव के शरीर का निर्माण हुआ है उसी तरह ये काव्य लक्षण भी आपसी तालमेल से काव्य का निर्माण करते हैं। अतः सभी अपनी-अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण हैं।

काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में अनेक मत हैं। कोई केवल शारीरिक दृष्टि से, कोई मानसिक और कोई आध्यात्मिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करते हैं, परंतु काव्य-सृजन की प्रक्रिया एक साथ शारीरमानसात्मिक प्रक्रिया है। इसमें शरीर प्रमुखतया साधन और माध्यम है। प्रमुखतया क्रिया मनस्तत्व की है, जिसमें चेतना आत्मतत्व को स्पर्श और जागृत करती है।

रुद्र के विचार में सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है और उत्पाद्या शास्त्र, लोकानुभव और संगत आदि से प्राप्त हो सकती है। इसमें संदेह नहीं कि सहजा और उत्पाद्या इन दोनों ही काव्य प्रतिभाओं में अंतर किया जा सकता है। सहजा प्रतिभा अधिक क्षमताशाली, स्वतः स्फूर्त और अजस्र सर्जनाशक्ति है, जबकि इसकी तुलना में उत्पाद्या प्रतिभा कम बलशाली, अविशिष्ट, प्रेरणास्फूर्त और कभी-कभी जागृत सर्जना शक्ति है। दोनों में अंतर होते हुए भी यह विचारणीय है कि क्या जन्मजात या सहजा प्रतिभा के न होने पर भी उसे सत्संग या प्रयत्न आदि से प्राप्त किया जा सकता है?

साहित्य की साध्यता सोपानबद्ध होती है। उसमें हम तारतम्य का अनुभव करते हैं और एक सोपान के प्राप्त हो जाने पर दूसरा सोपान साध्य हो जाता है और पहला साधन। यह सोपानबद्धता समस्त साहित्य का ही स्वभाव है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह साहित्य का समग्र स्वरूप है। अतः जब साध्य और साधन साहित्य के दो पक्ष हैं तब साधन और साध्य का विश्लेषण एक कठिन कार्य अवश्य है। इसका एक और कारण है। साहित्य स्वयं एक रचना है- सृष्टि है। वह जीवन के समान है, समान ही नहीं वह कल्पनागत जीवन है। अतएव साधन एवं साध्य संबंधी कठिनाई उपस्थित होती है।

जीवन सुख-दुखात्मक है, अतः जब उसके दुखों से कोई मुक्त होना चाहता है, तो उसके सुखों से भी हाथ धोना पड़ता है। अतः मुक्ति आनंदहीन हुई। वह स्थिति तो जड़ सी हुई। यह जीवन को दुखपूर्ण मानने की धारणा या परिणाम है। परंतु साहित्य या काव्य की कल्पना दूसरे प्रकार की है। वह जीवन के दुखों को भी सुखों में परिणत करने का जादू है। हमारे जीवन के दुखानुभव जब काव्य या साहित्य का रूप धारण करके आते हैं, तब वे हमें दुख नहीं वरन् सुख ही देते हैं। काव्य में रस का भी यही रहस्य है।

भरत ने काव्य-दोषों की संख्या दस बताई थी। भामह, दण्डी, वामन, आनंदवर्धन, महिम भट्ट और भोजराज ने काव्य दोषों का पुनः-पुनः निरूपण किया। परिणामतः आचार्य मम्मट के समय तक दोषों की संख्या सत्तर तक पहुंच गई। मम्मट ने इन समस्त आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य-दोषों के आधार पर नब्बे काव्य-दोषों का उल्लेख कर दिया। उन्होंने सभी काव्य-दोषों को मूलतः निम्नांकित चार वर्गों में विभक्त किया- (क) पदगत काव्य-दोष, (ख) वाक्यगत काव्य-दोष, (ग) अर्थगत काव्य दोष और (घ) रसगत काव्य-दोष।

टिप्पणी

टिप्पणी

1.8 मुख्य शब्दावली

- जिज्ञासा : जानने की इच्छा।
- अध्येता : अध्ययनकर्ता।
- आत्मिक : आत्मा से संबंधित।
- सूक्ति : सुंदर कथन।
- दृष्टिगोचर होना : दिखाई देना।
- प्रधान : मुख्य, प्रमुख।
- वध : हत्या।
- स्वानुभूति : स्वयं का अनुभव।
- प्रागैतिहासिक : इतिहास से पूर्व।
- संबद्ध : संबंधित।
- तथ्यात्मक : यथार्थ पर आधारित।
- कोटि : श्रेणी।
- वैयक्तिक : व्यक्तिगत, नीजी।
- अभावानुभूति : अभाव (कमी) का अनुभव।
- अंतर्निहित : शामिल।
- पुनरावृत्ति : दुहराव।
- आत्मस्थ : आत्मा में स्थित।
- बेस्वाद : बिना स्वाद के।
- तरकारी : सब्जी।
- लवण : नमक।

1.9 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. सात (रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य और चमत्कार)
2. भरतमुनि
3. (क) गलत, (ख) सही
4. वाक्यम् रसात्मकं काव्यम्।
5. अग्नि पुराण
6. (क) सही, (ख) गलत

7. तीन (काव्य-प्रतिभा, वेद-ज्ञान, लोक-व्यवहार)

8: प्रतिभा

9. (क) गलत, (ख) सही

10. आनंद की प्राप्ति एवं लोकहित

11. धर्म यानी कर्तव्य बोध

12. (क) गलत, (ख) सही

13. क्षेमेंद्र

14. काव्य-दोष

15. (क) सही, (ख) गलत

1.10 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु-उत्तरीय प्रश्न

1. संस्कृत काव्यशास्त्र को ही मूलतः भारतीय काव्यशास्त्र क्यों कहा जाता है?
2. काव्य के मूलभूत भेदों का उल्लेख कीजिए।
3. काव्य लक्षण के संदर्भ में कविराज विश्वनाथ का दृष्टिकोण क्या है? -
4. काव्यालंकार में काव्य हेतु के बारे में क्या कहा गया है?
5. भरतमुनि ने काव्य का प्रयोजन क्या बताया है?

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न

1. काव्यशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए।
2. काव्य लक्षण से आप क्या समझते हैं? विवेचना कीजिए।
3. काव्य हेतु के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं? अपना मत भी स्पष्ट कीजिए।
4. काव्य प्रयोजन पर सारगर्भित निबंध लिखिए।
5. काव्य के गुण-दोषों का उल्लेख कीजिए।

1.11 आप ये भी पढ़ सकते हैं

1. डॉ. भगीरथ मिश्र, काव्यशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर-1957
2. डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल, हिन्दी साहित्य में विविध वाद, पद्मजा प्रकाशन कानपुर 2010-वि.सं.
3. डॉ. वेंकट शर्मा, भूमिका नगेंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य में समालोचना का विकास, आत्माराम एंड संस दिल्ली-1967

टिप्पणी

4. डॉ. जगदीश प्रसाद कौशिक, काव्य दर्पण, साहित्यागार, जयपुर-1988
5. डॉ. जगदीश प्रसाद कौशिक, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिमान, साहित्यागार जयपुर-1988
6. सत्यदेव मिश्र, पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धांत और वाद, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, 1975
7. डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी, सहृदय और साधारणीकरण, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, 1984
8. डॉ. लक्ष्मी पांडेय, अधुनातन काव्यशास्त्री : आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी, उर्मिल प्रकाशन, गाजियाबाद।

इकाई 2 काव्यशास्त्र : रस- सभी रसों का सामान्य परिचय, रस निष्पत्ति, रस के अवयव

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 परिचय
- 2.1 इकाई के उद्देश्य
- 2.2 रस : अवधारणा एवं अलौकिकत्व
- 2.3 रस की परिभाषाएं एवं स्वरूप
- 2.4 सभी रसों का सामान्य परिचय
- 2.5 रस निष्पत्ति
- 2.6 रस के अवयव एवं रस दोष
 - 2.6.1 रस के अवयव
 - 2.6.2 रस दोष
- 2.7 सारांश
- 2.8 मुख्य शब्दावली
- 2.9 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर
- 2.10 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 2.11 आप ये भी पढ़ सकते हैं

2.0 परिचय

रस सिद्धांत काव्यशास्त्र का मूल एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। काव्यशास्त्रीय अध्ययन की परंपरा का आरंभ इसी सिद्धांत से किया जाता है। यह काव्य की आत्मा है। 'रसो वै सः' रस ही वह है। वह अर्थात् आत्मा, परमात्मा और अलौकिक शक्ति। आत्मा के अस्तित्व पर ही देह का अस्तित्व संभव है। भिन्न रूपों में उपस्थित परमात्मा की तरह यह भी भिन्न-भिन्न काव्यीय रूपों में आस्वादन का अनुभव कराता है।

काव्य शास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत 'अलंकार सिद्धांत' है। रस आत्मा है तो अलंकार काव्य का शरीर है। अलंकार काव्य शरीर के बाह्य धर्म हैं तथा गुणालंकार के रूप में आंतरिक धर्म भी हैं इसलिए इसे काव्य की आत्मा मानने का विवाद भी चला। अलंकार शोभावर्द्धक आभूषण हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। 'शब्दार्थो सहितौ काव्यम्' अर्थात् शब्द और अर्थ से मिलकर काव्य बनता है। इसी को आधार बनाकर अलंकार के इन प्रकारों का अध्ययन किया गया है- शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकारों का वर्गीकरण अर्थात् अलंकारों के भेदों या प्रकारों के साथ 'अलंकार' की अवधारणा, विभिन्न विद्वानों द्वारा अलंकार सिद्धांत की स्थापनाओं की जानकारी इस शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होती है।

रीति संप्रदाय सदैव प्रासंगिक रहा है। मनुष्य जीवन हो या काव्य रचना (साहित्य रचना) जीने व रचने की कोई न कोई रीति होती है अतः काव्यशास्त्र के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की प्रासंगिकता बनी रहेगी। रीति काव्यात्मा नहीं हो सकती। यह एक साधन है, साध्य तक पहुंचने का। आचार्य वामन ने इसे प्रतिष्ठित करके काव्यशास्त्र पर उपकार

किया है। यह सिद्धांत अन्य लक्षणों का साथी है और सभी सिद्धांत एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं।

आगे चलकर आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्यात्मा घोषित किया। ध्वनि काव्यात्मा तो नहीं है लेकिन रस जो काव्यात्मा है की सहायक, उपकारक हो सकती है। ध्वनि अर्थात् व्यंजना जिसका संबंध वक्रोक्ति से भी है। अतः ध्वनि और अलंकार का घनिष्ठ संबंध है। आनंदवर्धन का ग्रंथ 'ध्वन्यालोक' प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो ध्वनि को व्याख्यायित करता है तथा अन्य काव्य लक्षणों से इसके संबंध को दर्शाता है।

काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत का स्थान विशेष महत्व का है। वक्रोक्ति, व्यंजना के माध्यम से अलंकार और ध्वनि से संबंधित है, अतः यह विस्तृत अध्ययन को आधार प्रदान करता है। आचार्य कुंतक ने 'वक्रोक्ति: काव्य जीवितम्' कहकर इसे काव्य की आत्मा घोषित किया है। यह काव्यात्मा तो नहीं है लेकिन काव्यात्मा तक पहुंचने तक सर्वोत्तम साधन है। वक्रोक्ति करना, कहना, लिखना साहस और नैतिकता की मांग करता है। इसके मूल में सत्य छिपा रहता है अतः यह महत्वपूर्ण दार्शनिक व्याख्या उपस्थित करने वाला सिद्धांत है।

काव्यशास्त्र का अंतिम मान्य सिद्धांत औचित्य है जिसकी चर्चा लगभग सभी आचार्यों ने प्रथम सिद्धांत 'रस' के समय से ही की है। भरतमुनि से अद्यतन सभी आचार्य औचित्य के महत्व को स्वीकार करते हैं। यह काव्यात्मा रस की भी आत्मा माना गया है। औचित्य सिद्धांत को प्रणेता या व्यवस्थापक आचार्य माना गया है। औचित्य सिद्धांत के प्रणेता या व्यवस्थापक आचार्य क्षेमेंद्र ने 'औचित्य विचार चर्चा' में इसके संपूर्ण स्वरूप पर प्रकाश डालकर यह सिद्ध किया है कि जीवन और साहित्य के हर क्षेत्र में औचित्य आवश्यक है।

इस इकाई में हमारे अध्ययन का विषय काव्यशास्त्र का प्रथम सिद्धांत 'रस' है। इसमें हम इसकी अवधारणा, परिभाषा, स्वरूप, सभी रसों का परिचय, रस निष्पत्ति एवं रस के अवयवों का अध्ययन करेंगे।

2.1 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- रस की अवधारणा एवं इसके अलौकिकत्व को समझ पाएंगे;
- रस की परिभाषा एवं स्वरूप से अवगत हो पाएंगे;
- सभी रसों से परिचित हो पाएंगे;
- रस निष्पत्ति एवं रस के अवयवों की विवेचना कर पाएंगे।

2.2 रस : अवधारणा एवं अलौकिकत्व

जिस तरह से बहुत से रूपों में परब्रह्म प्रकट होकर भक्तों और ज्ञानियों एवं मुमुक्षुओं को आश्चर्यचकित कर देता है उसी तरह रस भी काव्य में आविर्भूत होकर सहृदयों को खुशी देता है। साहित्य में सभी प्रकार के अंगों, वेद, वेदांग, ब्राह्मण उपनिषद्, आयुर्वेदशास्त्र, रामायण महाभारत आदि में रस अलग-अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

हेमकोष के अनुसार-

“रसः स्वादे, जले वीर्ये, शृंगारादौ विषे द्रवे।
रागे गृहे तथा धातौ तिक्तादौ पारदेऽपि च॥”

स्वाद, जल, वीर्य, शृंगारादि रस, विष, द्रव, पारद, राग, गृह, धातु, तिक्त ये सभी रस से जाने जाते हैं।

रस का निर्वचन शब्द-प्रधान व्याकरणशास्त्र में चार तरह से हुआ है-

1. रस्यते आस्वाद्यते इति रसः - इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो पदार्थ आस्वाद के विषय बनते हैं, उन्हें रस नाम से अभिहित किया जाता है जैसे- परमात्मरूप रस (साधन का रस) मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त आदि भोज्य पदार्थों एवं सोम, गन्ध, मधु आदि वस्तुओं को भी रस नाम से जाना जाता है।
2. रस्यते अनेन इति रसः - इस व्युत्पत्ति के अनुसार आस्वाद कराने वाले पदार्थ रस शब्द से विदित होते हैं यथा-शब्द राग, संगीत, वाद्य, वीर्य शरीर आदि रस पद-बोध्य हैं।
3. रसति रसयति वा रसः - जो व्याप्त हो जाता है या स्वयं सभी को व्याप्त कर लेता है, वह भी 'रस' पद बोध्य होता है। यथा-पारद, जल, शरीर को पुष्ट बनाने वाली धातु या अन्य द्रव्य सभी रस होते हैं-
4. रसनं रसः आस्वादः - जो आस्वाद स्वरूप है, उसे रस कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार शृंगार, हास्य, करुण आदि को रस कहा जाता है क्योंकि सहृदयों द्वारा उनका आस्वाद किया जाता है।

विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव का स्वरूप विभाव

विभाव सहयामानस में स्थायी रूप से रहने वाले रति आदि स्थायी भावों को उद्बुद्ध एवं उत्पन्न करते हैं। इसीलिए वे विभाव कहलाते हैं। साथ ही कहा गया है-

विभावयन्ति इति विभावाः इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी विभाव शब्द की सार्थकता स्पष्ट हो जाती है। स्थायी भावों को उद्बुद्ध एवं उत्पन्न करने के कारण ही विभाव के दो भेद होते हैं-

1. आलम्बन विभाव-जिनका आलम्बन लेकर रति आदि स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं, वे नायक-नायिकादि आलम्बन विभाव कहलाते हैं।
2. उद्दीपन विभाव-आलम्बन द्वारा उद्बुद्ध भावों को जो उद्दीप्त करते हैं, वे उपवन, सुधाकर, कमलाकर, चारु-चन्द्रिका, वाद्य-वीणा मलयसमीरादि उद्दीपन विभाव कहलाते हैं।

अनुभाव

सहृदय-हृदय में रति आदि स्थायी भावों को जो उद्बुद्ध एवं उद्दीप्त होने पर अपने आप से जो शारीरिक विकास एवं आङ्गिक चेष्टाएं होने लगती हैं। हृदय के आन्तरिक भाव मुख आदि अङ्गों पर नर्तन करने लगते हैं। नयनों में विचित्र-भाङ्गिमाएं होने लगती हैं। वस्तुतः ये अश्रु,

स्वेद, रोमांच, कम्पनादि शारीरिक विकार एवं भ्रूभङ्ग कटाक्ष-विक्षेपादि शारीरिक चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं।

1. सात्विक अनुभाव : ये संख्या में आठ होते हैं।

जैसे-स्वेद स्तम्भोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः। वेवर्ण्यम् अश्रु प्रलयः इत्यष्टौ सात्विकाः मताः।

स्वेद, स्तम्भ, रोमांच, स्वरभङ्ग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु तथा प्रलय- ये आठ सात्विक भाव होते हैं।

2. कायिक अनुभाव : भ्रू-अङ्ग, कटाक्ष, भुजाक्षेप आदि कायिक अनुभाव होते हैं।

3. वाचिक अनुभाव : मधुर वचन तथा वाणी के अन्य प्रकार वाचिक अनुभाव होते हैं।

व्यभिचारी भाव

व्यभिचारी भाव रति इत्यादि स्थायी भावों को पुष्ट करते हुए उनकी अभिव्यक्ति में सहकारी होते हैं। चिन्ता, औत्सुक्य आदि का भाव काव्य तथा नाटक से संचारी कहलाते हैं। किसी भी रस के साथ इनका निश्चित सम्बन्ध नहीं होता। इनमें कोई एक भी कई रसों का उपकारक हो सकता है। इसलिए अनेक रसों में व्यभिचरण (संचरण) करने के कारण ही ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं।

व्यभिचारी भाव संख्या में 33 होते हैं- विवेद, ग्लानि, शङ्का, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड, चपलता, हर्ष, आवेग, जाड्य, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, प्रबोध, अमर्ष, अविहत्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, भरण, त्रास, वितर्क।

इस प्रकार ये 33 व्यभिचारी भाव होते हैं।

स्थायी भाव

मनुष्य के हृदय में होने वाले मानस-संस्कार या वासना को ही भाव कहते हैं जो हर मनुष्य के हृदय में चित्रवृत्ति की तरह सोयी हुई अवस्था में विद्यमान रहते हैं और जैसे ही अवसर मिलता है ये जाग्रत हो जाते हैं। ये वासना रूपी भाव मनुष्य के हृदय में लगातार स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। मानव की सभी चेष्टाओं का आधार ये स्थायी भाव ही हैं। आचार्य धनञ्जय ने स्थायी भाव को साक्षात् लवणाकार के समान कहा है। जैसे लवणाकार में डाला गया प्रत्येक पदार्थ नमक ही बन जाता है, वैसे ही जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छन्न न होता हुआ दूसरे पदार्थों को आत्मसात कर लेता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं।

स्थायी भाव रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा शम के भेद से कुल नौ प्रकार का होता है।

रस-निष्पत्ति-विषयक प्रमुख चार मत

रस के विषय में महामुनि भरत की मान्यता अलङ्कारशास्त्र के लिए अमूल्य देन है। महामुनि भरत की यह परिभाषा-

विभावनुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।

अर्थात्, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत की यह मान्यता अलङ्कारशास्त्र के आचार्यों के लिए एक आदर्श है। आगे आने वाले आचार्यों ने इसी आधार पर अपनी-अपनी विचारधाराओं को विशदता प्रदान की-

प्रथम मत : आचार्य भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद

आचार्य भट्टलोल्लट उत्पत्तिवादी हैं। उन्होंने भरत के रस-सूत्र की व्याख्या अद्भुत ढंग से की। भट्टलोल्लट विभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से अनुकार्य रामादि में रस की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं।

वेदान्त की यह मान्यता भट्टलोल्लट की मान्यता का आधार है। जिस प्रकार वास्तविक सर्प के विद्यमान न होने पर भी अज्ञानवश रज्जु को सर्प समझकर भय आदि कार्यों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से रामादि में स्थित भाव के नट में वास्तविक रूप में न होने पर भी अनुकरण आदि के चातुर्य से सामाजिक उसे भ्रमवश वास्तविक ही समझ बैठते हैं। फलस्वरूप उससे सामाजिक के हृदय में भी एक चमत्कार का उदय होने लगता है। भट्टलोल्लट के अनुसार यह चमत्कार ही रस है। इस भाँति आचार्य भट्टलोल्लट के अनुसार रस मुख्य रूप से अनुकार्य रामादि में रहता है। परन्तु अनुकरण आदि की कुशलता से नट में भी उसकी प्रतीति होने लगती है।

द्वितीय मत : आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद

शंकुक ने भरत के रस-सूत्र की व्याख्या अभिनव रूप में की। उसके अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस के अनुमापक होते हैं और रस 'अनुमाप्य' होता है। इसलिए उसके अनुसार संयोगात् का अर्थ अनुमाप्य-अनुमापकभावत् तथा निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति होता है।

आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद न्यायमतानुसारी है। प्रमाण-शास्त्र होने के नाते न्याय में अनुमिति की प्रधानता स्वीकार की गई। जिस भाँति नैयायिक कुहरे को धुँआ समझकर वहीं अग्नि का अनुमान कर लेते हैं उसी भाँति आचार्य शंकुक के अनुसार नट में वास्तविक रस के न रहने पर भी अभिनय-कौशल से उसमें रामादिगत रति का अनुमान कर लिया जाता है। इसमें एक विलक्षता होती है। इसलिए आचार्य मम्मट ने शंकुक के अनुमितिवाद को प्रस्तुत करते समय-अन्यानुमीयमान विलक्षणः शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि नट के विभावादि कृत्रिम होते हैं, किन्तु अभिनय कुशलता के कारण वे कृत्रिम से नहीं लगते। आचार्य मम्मट ने-कृत्रिमैरपि तथा अनभिमन्यमानेः कहकर इसी अभिप्राय को घोषित किया है। श्री शंकुक के अनुसार सामाजिक के रसास्वाद का कारण उसकी वासना संस्कार के बल से अनुमीयमान रस सामाजिक की चर्चणा का विषय बन जाता है।

तृतीय मत : आचार्य भट्टनायक का भुक्तिवाद

आचार्य भट्टनायक ने भरत के रससूत्र की व्याख्या कर एक नवीन उद्भावना को जन्म दिया। वे सामाजिक में रस की स्थिति स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार रस भोज्य है तथा विभावादि उसके भोजक हैं। अतः उनके अनुसार संयोगात् का अर्थ भोज्य-भाजकभावात् एवं निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है। भट्टनायक ने रस सम्बन्धी अन्य मान्यताओं का निराकरण किया है। भट्टलोल्लट मुख्य रूप से तटस्थ रामादि में गौण रूप से तटस्थ नट आदि में रसोत्पत्ति

स्वीकार करते हैं। परन्तु इसमें सामाजिक के लिए कोई स्थान नहीं। सामाजिक की रसानुभूति कैसी होगी? यह प्रश्न बना ही रहता है। अतः 'ताटस्थ्येन रसोत्पत्तिः मानने वाले भट्टलोल्लट का मत समीचीन नहीं।

इसी भाँति शंकुक ने भी तटस्थ नट में रस की अनुमति प्रतीति मानी है और उसके द्वारा संस्कार-वश सामाजिक में रस-चर्वण का उल्लेख किया है। भट्टनायक को शंकुक का मत भी स्वीकार नहीं, क्योंकि परोक्ष ज्ञान रूप अनुमिति से साक्षात्कारात्मक रसानुभूति नहीं हो सकती है।

चतुर्थ मत : आचार्य अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद

भरत के रससूत्र की सर्वाधिक सङ्गत एवं सर्वमान्य व्याख्या आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रस्तुत की। अभिनवगुप्त व्यञ्जनावादी हैं। उनकी दृष्टि में रस व्यङ्ग्य है और विभावादि उसके व्यञ्जक हैं। अतः उनके अनुसार संयोगात् का अर्थ व्यङ्ग्य व्यञ्जकभावात् तथा निष्पत्ति का अभिप्राय 'अभिव्यक्ति' होता है। आचार्य अभिनवगुप्त की मान्यता में यह विशेषता है कि वे सहृदय के मानस में विद्यमान स्थायी भाव को रसानुभूति कराने में निमित्त मानते हैं।

सहृदय के हृदय में वासना या संस्कार रूप में रति आदि स्थायी भाव विद्यमान रहता है। यही स्थायी भाव साधारण रूप में प्रतीत होने वाले विभावादि के द्वारा अभिव्यक्त होकर हृदय मात्र के आस्वाद का विषय बन जाता है। यह आस्वाद ही रस है, यह आस्वाद साक्षात् ब्रह्मस्वाद के सदृश होता है।

आचार्य अभिनवगुप्त रसाभिव्यक्ति में व्यञ्जना व्यापार एवं साधारणीकरण की प्रमुखता स्वीकार करते हैं। वे भट्टनायक के 'भावकत्व' एवं भोजकत्व व्यापार को प्रामाणिक नहीं मानते। आचार्य अभिनवगुप्त ने भावकत्व व्यापार के स्थान पर साधारणीकरण व्यापार को माना है।

आचार्य अभिनवगुप्त रस की अलौकिकता स्वीकार करते हैं। रस अपरिमित होता है। उसकी कोई इयता नहीं होती। रस में यह विलक्षणता है कि वह न तो विभावादि की योजना से पूर्व विद्यमान रहता है और न ही विभावादि के पश्चात् उसकी सत्ता रहती है। स्पष्ट है कि अन्य सभी आचार्यों की अपेक्षा आचार्य अभिनवगुप्त का मत ही अधिक समीचीन एवं मनोवैज्ञानिक है।

रस का अलौकिकत्व

मनुष्य के जीवन का एक मात्र सार रस है। मनुष्य के जितने भी कार्य आदि होते हैं उन सभी का उदय, तथा विकास सभी कुछ रस में अन्तर्निहित है मानव की साध्य और सिद्धावस्था भी रस स्वरूप है। कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि का चराचर रसमय है। महामुनि भरत ने इसी उपर्युक्त तथ्य को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है-

न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते।

काव्य-मर्मज्ञों ने रस को ब्रह्मस्वाद-सहोदर कहकर महिमान्वित किया है। काव्यानन्द का आस्वाद मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है इसीलिए महामुनि भरत ने कहा है- "सुकवित्ता यद्यस्ति राज्येन किम"। ब्रह्मनन्द सहोदर होने के कारण रस को लक्षण एवं परिभाषाओं की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। वस्तुतः भाव प्रधान तत्व के स्वरूप को निरूपित करना नितान्त

असम्भव है। उसका गुण के समान बस आस्वाद ही किया जा सकता है। अतएव साहित्य-समीक्षकों ने रस को वेदान्तर सम्पर्क शून्य, अखंड चिन्मय एवं स्वयंप्रकाश बताकर समस्त भारतीय काव्यशास्त्र का समीक्षा-सिद्धान्त रस को ही प्रमुख मानदंड के रूप में स्वीकार किया है।

2.3 रस की परिभाषाएं एवं स्वरूप

रस- एक अलौकिक स्थिति है, आत्मानुभूति है, ब्रह्मानन्द सहोदर है। काव्य के सृजन, पठन, श्रवण और देखने से सर्जक, दर्शक, पाठक और श्रोता उस भाव-भूमि पर पहुँच जाता है, जहाँ पर केवल निर्विकल्प, निर्लेप, शुद्ध आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य होता है। उस भावभूमि को प्राप्त कर लेने की स्थिति का नाम ही रस है।

काव्य सहृदय सामाजिक को या सर्जक को रस की भावभूमि पर पहुँचाकर ही सार्थक होता है। यदि वह ऐसा करने में, इस भावदशा तक पहुँचाने में असमर्थ है तो वह काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं। उस शुद्ध, आनंदमयी स्थिति तक पहुँचने के लिए सर्जक एवं सहृदय को भी निर्मल हृदय का अधिकारी होना चाहिए। वह दुर्बल सांसारिक बंधनों की उपेक्षा कर काव्य के पठन, सृजन, श्रवण में डूब जाए तभी उस भाव भूमि तक पहुँच सकता है। अन्यथा मोह-माया के, छल-कपट के व्यापार में रमा हृदय उसे उस आनंदानुभूति से विरक्त या दूर ही रखेगा। प्राचीन काव्यशास्त्रियों ने इसलिए बार-बार काव्य के साथ 'सहृदय' शब्द का प्रयोग किया है। कुछ आचार्यों जैसे अभिनवगुप्त, मम्मट आदि ने 'स्व' के परित्याग की ओर ध्यान आकर्षित कराया है यह और बात है कि रस की व्याख्या करते हुए वे इसका निर्वाह नहीं कर पाए।

काव्य में निहित भाव एवं कवि अपने विचारों का जिस हृदयग्राही रीति से मर्मस्पर्शी निरूपण करता है वही सहृदय सामाजिक को उस भाव दशा तक ले जाता है। कुछ काव्य की अपनी शक्ति और कुछ सहृदयता पाठक के हृदय की, भावों की स्थिति एवं प्रवृत्ति ही सहृदय को उस आनंद सरोवर तक ले जाती है। जब सहृदय सामाजिक आनंदानुभूति की उस चरम स्थिति में पहुँच जाता है तो उसे उस निर्विकल्प अवस्था में यह ज्ञान ही नहीं रहता कि वह किस रस का अनुभव कर रहा है। शृंगार, करुण या वात्सल्य रस का...। उसकी अवस्था ध्यानस्थ योगी जैसी होती है जो आत्म-प्रकाश से प्रकाशमान हो, जिसमें केवल आत्म-स्वरूप सत्ता ही शेष हो। वह केवल हृदय ही हृदय, आत्म ही आत्म होता है शेष बाह्यावरण लुप्त हो जाते हैं।

रसमग्न, ध्यानस्थ, आनंदमग्न उस योगी के 'सत् और चित्' स्वरूप भी इस आनंद की छाया में लुप्त हो जाते हैं। धरती, आकाश, जड़-चेतन आदि प्रकृति की सभी चेष्टाएं तिरोहित हो जाती हैं। इसलिए आचार्य विश्वनाथ इस स्थिति के लिए 'सत्वोद्रेक' की बात कहते हैं। इस अवस्था को ही 'रस' का नाम दिया गया है। विभिन्न आचार्यों ने अपनी रुचि, प्रतिभा एवं दृष्टिकोण के आधार पर रस के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। अभिनवगुप्त इसे आनंदमयी चेतना कहते हैं तथा स्थायी भाव से विलक्षण स्वरूप वाला मानते हैं।

काव्यशास्त्रीय दृष्टि से रस परंपरा का प्रामाणिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को माना जाता है जिसे पाँचवाँ वेद भी स्वीकार किया गया है। इसके प्रणेता आचार्य भरतमुनि रस की महत्ता को

अपनी प्रगति जाँचिए

1. वेद, वेदांग, ब्राह्मण, उपनिषद् आदि में रस किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है?
2. स्थायी भाव कितने होते हैं?
3. सही-गलत बताइए-
(क) रस विषयक महामुनि भरत की मान्यता अलंकार शास्त्र में मायने नहीं रखती।
(ख) मानव जीवन का एकमात्र सार रस है।

टिप्पणी

प्रतिपादित करने वाले प्रथम आचार्य माने गए हैं यद्यपि इनसे पूर्व रस की चर्चा करने के संबंध में आचार्य नंदिकेश्वर एवं उनके ग्रंथ अभिनवदर्पण का उल्लेख किया जाता है किंतु इसके अप्रामाणिक एवं अप्राप्य होने के कारण भरत का 'नाट्यशास्त्र' ही रस संबंधी प्रथम ग्रंथ ठहरता है। रस के महत्व को रेखांकित करते हुए छठे अध्याय में रस और सातवें अध्याय में विभाव, अनुभाव आदि का विवेचन करते हुए भरतमुनि ने कहा है-

- नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते।
- विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रस निष्पत्तिः।
- एवं भावा रसाश्चैव भावयन्ति परस्परम्।
- एवमेतेह्यलंकारा गुणा दोषाश्च कीर्तिताः। प्रयोगमेषां च पुनर्वक्ष्यामि रससंश्रयम्।

यहां रस को संगीत, अभिनय एवं पाठ्य या वस्तु तत्त्व, इन तीनों अंगों का नियंत्रित स्वीकार किया गया है। काव्य के सभी तत्व रसों पर आश्रित होते हैं। रस के बिना किसी की किसी में प्रवृत्ति नहीं होती। भरतमुनि कहते हैं कि आस्वादमय होने के कारण ही उसे रस की संज्ञा प्राप्त है, 'आस्वादनात्मानुभवः रसः काव्यार्थ इष्यते।' रस आस्वादन स्वरूप अनुभव है और वही काव्यार्थ है।

जिस प्रकार नाना व्यंजनों एवं औषधि आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसी तरह नाना भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है- "यथा नाना व्यञ्जनौषधि द्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिर्भवति यथा गुडादिभिर्द्रव्यैर्व्यञ्जनैरौषधिभिश्च षाडवादयो रसानिर्वर्तन्ते तथा नानाभावोपगता अपि।" भरतमुनि ने चार प्रधान रस ही स्वीकार किए हैं- शृंगार, रौद्र, वीर और वीभत्स रस। पुनः शृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत एवं वीभत्स से भयानक, इस तरह उन्होंने कुल आठ रस स्वीकार किए हैं। नौवां शांत रस बाद में स्वीकृत हुआ किंतु इसमें अभिनय करना संभव नहीं है। 'शममपि केचित् प्राहुः पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्या।' कहकर दशरूपककार ने भी इसे नाटक के लिए अस्वीकृत किया। रुद्रट ने काव्यालंकार में 'प्रेयाम्' नामक दसवें रस की चर्चा की गई है तथा साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को मान्यता प्रदान की है।

रौद्रः शान्तः प्रेयानितिमन्तव्याः रसाः सर्वे।

स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः॥

रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' कहकर रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। रुद्रट रस को काव्यात्मा मानते हैं तथा राजशेखर ने भी रस को काव्यात्मा मानते हुए काव्यमीमांसा में लिखा है-"रस आत्मा रोमाणि छन्दसि।" अग्निपुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है-"वाग्वैदग्ध्य रस एवात्र जीवितम्।" काव्य में रस का महत्व और काव्यात्मा के रूप में रस का स्थान दृढ़ से सुदृढ़ होता गया।

आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र-'विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' की टीकाकारों ने अपने-अपने तरीके से व्याख्या की। भट्टलोल्लट ने 'निष्पत्ति' शब्द को 'उत्पत्ति' के अर्थ में लेते हुए 'उत्पत्तिवाद' की प्रतिष्ठा की वहीं शंकुक ने रस को अनुमान का विषय बताते हुए 'निष्पत्ति' का अर्थ अनुमिति के रूप में लिया और 'अनुमितिवाद' की स्थापना की। भट्टनायक ने निष्पत्ति शब्द को भुक्ति के अर्थ में तथा संयोग शब्द को भोज्य-भोजक संबंध के रूप में मानते हुए भुक्तिवाद की स्थापना की। ये तीनों वाद स्वीकार्य नहीं हुए।

टिप्पणी

अभिनवगुप्त ने अभिव्यंजना की चर्चा की जो सर्वमान्य हुई। उन्होंने संयोग शब्द को व्यंग्यव्यंजक भाव तथा निष्पत्ति को अभिव्यक्ति या व्यंजना के अर्थ में लिखा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक के हृदय में प्रेम, शोक, भय, घृणा आदि वासनाएं स्थायी भाव के रूप में रहती हैं। सभी सहृदयों के हृदय में स्थित सुप्त स्थायी भाव विभावादिकों को ग्रहण करके रसानुभूति से सिक्त हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। अभिनवगुप्त ने कहा-"नाट्य-रसाः स्मृताः। सर्वानुग्राहकं हि, शास्त्रमिति न्यायात्तेन नाट्य एव रसा न लोके इत्यर्थः। काव्यं च नाट्यमेवा।"

रसानुभूति की आवश्यक शर्त है सहृदय होना। जो सहृदय है वह अपनी संवेदनाओं से प्रकृति के जड़-चेतन सभी के सुख-दुख को अनुभव कर सकता है। सरस प्रकृति के भीतर परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है, वह रसानुभूति में डूबकर ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। रसानुभूति से पाया हुआ ब्रह्मानंद हृदय को शांति और मुख पर कांति बिखेर देता है। वामन कहते हैं-दीप्तरसत्वं कांतिः। मम्मट भी रस के महत्व को स्वीकार करते हैं।

भोज ने 'शृंगारप्रकाश' में केवल एक रस शृंगार को ही मान्यता दी है। वे कहते हैं-शृंगार का रूप अभिमान और अहंकार जैसा ही है। रसोभिमानोऽहंकारः शृंगार इति गीयते। भानुदत्त मिश्र ने रसतरंगिणी और रसमंजरी में रसों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। माणिक्य चंद्र कहते हैं-"काव्यं रसादिमद्वाक्यं श्रुतं सुखविशेषकृत्।" अर्थात् एक विशेष प्रकार का सुख पैदा करने वाला रस आदि से भरा वाक्य काव्य कहा जाता है। रस काव्य की आत्मा है, यह निर्विवाद होता चला गया। काव्य में औचित्य से रसानुभूति होती है जिससे चमत्कार उत्पन्न होता है। अनौचित्य से रसभंग होता है। सिद्धांत चाहे कोई भी हो-औचित्य, चमत्कार, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति सभी के मूल में महत्व रस का ही है। बलदेव उपाध्याय ने नारायण पंडित के विचारों को उद्धृत किया है "रसो सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते" अर्थात् रस चित्त विस्तार या आनंद का जनक होता है अतः रसानुभूति चमत्कार रूपिणी होती है। अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक लोचन में रस को चमत्कार की आत्मा कहते हैं। लोचनकार सत्य कहते हैं, रस के बिना चमत्कार संभव नहीं है। विश्वेश्वर पांडेय ने रसचंद्रिका में रसों पर विस्तृत चर्चा की है। रुद्रभट्ट ध्वनिपूर्व रसवादी धारा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने शृंगार रस को रेखांकित करते हुए लिखा है-"यामिनी वेन्दुना युक्ता नारीव रमणं विना। लक्ष्मीरिव कृते त्यागान्नो वाणी भाति नीरसाः।"

अभिनवगुप्त के गुरु भट्टतौत भी रसवादी धारा के संवर्धन में सहयोगी बने। आचार्य भरतमुनि से पंडितराज जगन्नाथ तक रसवादी आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा दृष्टिगोचर होती है। पंडितराज जगन्नाथ लिखते हैं-"एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परम रमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभिधीयते।" इस रस का एक रूप भक्ति रस के रूप में हमें रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि में मिलता है। इसमें भक्ति के पांच प्रकार-शांत, हास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य माने गए हैं। ये सभी भाव कृष्ण को समर्पित हैं। माधुर्य भाव को भक्ति रसराट् कहते हैं। रसवादी आचार्यों की भिन्न-भिन्न मान्यताओं के साथ रसवाद पुष्ट और विकसित होता गया।

आचार्य विश्वनाथ के विवेचन में रस का संपूर्ण स्वरूप समाहित हो गया है। आचार्य विश्वनाथ का कथन इस प्रकार है-

सत्वोद्रेक अखण्ड-स्वप्रकाशानन्द चिन्मयः।

वेद्यान्तरस्पर्शान्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः।

लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः।

स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः॥

उपर्युक्त श्लोकों से रस के स्वरूप निर्धारण में निम्न बिंदु स्पष्ट होते हैं-

1. सहृदय के हृदय में सत्व गुण के उद्रेक के पश्चात् रस का स्वरूप स्पष्ट होता है।
2. रस अखंड होता है।
3. रस स्वप्रकाशानंद है।
4. रस चिन्मय होता है।
5. रस लोकोत्तर चमत्कारप्राण होता है।
6. रस ब्रह्मानंद के समान है।
7. रस अन्य सभी प्रकार के ज्ञान से अस्पष्ट होता है।
8. रस सामाजिक से अभिन्न रूप होता है।

समस्त बिंदुओं को इस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है-

(1) सत्वोद्रेक-सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। ये तीन गुण हैं-

(1) सत्व गुण, (2) रजोगुण और (3) तमोगुण। सत्व गुण अधिकतर रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित रहता है। सत्व गुण ही व्यक्ति को शुद्ध-बुद्ध आत्मा (पुरुष) को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मा का निर्मल स्वरूप भी सत्व गुण के प्राधान्य में अभिव्यक्त होता है। फलतः आचार्य ने सर्वप्रथम रस के स्वरूप के लिए सामाजिक में सत्व गुण के आविर्भाव को प्रमुखता प्रदान की है। सत्व गुण के उदित होने पर व्यक्ति राग-द्वेष से मुक्त होने लगता है और रसास्वाद के लिए राग-द्वेष से मुक्ति प्राप्त करना पहली अनिवार्य शर्त है।

(2) रस अखंड है-विश्वनाथ रस की कोटियां या उसके उच्च, मध्यम या निम्न जैसे स्तर स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार रस आनंदमयी चेतना है। फलतः उसके खंड नहीं किए जा सकते। डॉ. नगेंद्र के अनुसार, इसकी व्याख्याएं भी की जा सकती हैं कि रस स्थिति में विभावादि की पृथक-पृथक अनुभूति नहीं होती, बल्कि उनकी समंजित अनुभूति होती है। वस्तुतः विभावादि तो रस स्थिति उत्पन्न करने के सहायक उपकरण मात्र हैं। अतः रस स्थिति में इनके अनुभव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अतः स्पष्ट है कि अखंड से तात्पर्य आत्मानुभूति की पूर्णता से है।

(3) रस स्वप्रकाशानंद है-विश्वनाथ का स्वप्रकाशानंद से तात्पर्य है-आत्मा का प्राकृतिक मलों से विनिर्मुक्त होना, क्योंकि आत्मा प्रकाशमयी चेतन सत्ता है, किंतु जिस प्रकार मेघाच्छादित सूर्य की आभा मलिन प्रतीत होती है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश का भी मलाच्छादित होने के कारण सामाजिक अवलोकन या अनुभव नहीं कर पाता। रस-दशा में वे मल तिरोहित हो जाते हैं और उस समय केवल आत्मा अपने मूल रूप में प्रकाशित होने लगती है। आत्मा के प्रकाशमान स्वरूप का ही नाम आनंद है।

(4) रस चिन्मय होता है-विश्वनाथ का चिन्मय से तात्पर्य आत्म-स्वरूप से है। रस स्थिति आत्म-स्वरूप स्थिति है। जहां केवल शुद्ध-बुद्ध आत्मा ही व्यक्त रहती है।

शेष सभी मलों का तिरोभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में रस और आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए उपनिषद्कारों ने 'रसो वै सः' कहकर रस की चिन्मयता की घोषणा बहुत पहले ही कर दी है। उस समय जब रस चिन्मय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब लौकिक इंद्रिय मूल या अनुभूतियों के लिए अवकाश नहीं रह जाता।

(5) वेद्यांतर स्पर्शशून्य-अन्य सभी प्रकार के ज्ञान का अभाव ही रस स्थिति का भाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि रस की स्थिति में प्रमाता में स्व, पर, तटस्थ आदि की अनुभूति का तिरोभाव हो जाता है। अर्थात् उस दशा में प्रमाता देशकाल की परिधि को लांघ जाता है और आत्मलीन हो जाता है। उस स्थिति में तन्मयता के अतिरिक्त अन्य समस्त ज्ञान कुछ समय के लिए समाप्त हो जाते हैं। समस्त जड़ चेतन समुदाय ब्रह्ममय दृष्टिगत होने लगता है।

(6) ब्रह्मानंद सहोदर-विश्वनाथ ने काव्यानंद या काव्य रस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि काव्यास्वाद और ब्रह्मानंद में कोई तात्त्विक अंतर नहीं है। अंतर केवल अवधि का है। ब्रह्मानंद स्थायी होता है जिसका एक बार आस्वादन कर लिए जाने के पश्चात् वह आस्वाद कभी समाप्त नहीं होता, जबकि काव्यास्वाद अस्थायी होता है क्योंकि काव्यादि की सहायता से मलों का तिरोभाव ही होता है, उनका समूल नाश नहीं होता। फलतः काव्योपकरणों के अभाव में मलों का पुनः आविर्भाव हो जाता है और सहृदय पुनः इस लौकिक जगत में प्रवेश कर जाता है। काव्यास्वाद सरल एवं शीघ्राधिगम्य तो होता है, किंतु स्थायी नहीं हो पाता। इसलिए विश्वनाथ ने रस को 'ब्रह्मास्वाद' न कहकर 'ब्रह्मानंद सहोदर' कहा है।

(7) लोकोत्तर चमत्कार-प्राण-रस में पाया जाने वाला चमत्कार लौकिक न होकर अलौकिक होता है। इसलिए रस को पूर्णतया परिभाषित नहीं किया जा सकता और ब्रह्मानंद सहोदर होने के कारण अनेक आचार्य इसे अनिर्वचनीय भी कह देते हैं। वस्तुतः यहां पर इसीलिए विश्वनाथ ने 'अलौकिक' शब्द का प्रयोग न कर 'लोकोत्तर' शब्द का प्रयोग किया है और संभवतः यहां 'लोक' शब्द से आचार्य का मन्तव्य 'इंद्रिय' से रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रसोद्गत चमत्कार इंद्रिय अनुभव से परे की वस्तु है, क्योंकि लौकिक चमत्कार का अनुभव इंद्रियों द्वारा किया जाता है, किंतु रस चमत्कार के लिए इंद्रियों के प्रवेश का अवसर नहीं रहता। अतः यह एक ऐसा चमत्कार है जो इंद्रियानुभूत नहीं होता। फलतः यह चमत्कार लोकोत्तर है और यही लोकोत्तर चमत्कार रस का प्राणभूत तत्व है।

(8) स्वाकारवदभिन्नत्व-रस की स्थिति अपने स्वरूप से अभिन्न रूप में होती है। इसका तात्पर्य यह है कि आस्वाद और रस कोई दो भिन्न-भिन्न तत्व नहीं हैं, जिस प्रकार आत्मा या परमात्मा के 'सत्, चित् और आनंद' कोई भिन्न तत्व नहीं हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद का नाम ही ब्रह्म है। इसी प्रकार रस का नाम ही आस्वाद और आस्वाद ही रस है। अर्थात् रस अनुभूति का विषय नहीं है बल्कि अनुभूति ही स्वयं रस है। इस प्रसंग में अनुभूति भी अनुभव करने की कोई वृत्ति नहीं है अपितु अनुभूति ही आत्मा है। अनुभूति का स्वयं प्रकाशमान स्वरूप ही आनंद का

टिप्पणी

पर्याय है। 'आनंद' कोई अनुभव करने का विषय नहीं है, बल्कि आचार्य शुक्ल के शब्दों में 'हृदय की मुक्तावस्था ही आनंद है और यही रस है।' परवर्ती आचार्यों में पंडितराज जगन्नाथ ने आनंद की तीन कोटियां मानी हैं—(1) विषयानंद (लौकिक सुख), (2) ब्रह्मानंद और (3) काव्यानंद।

पंडितराज के अनुसार—

- (1) विषयानंद चेतना से आभासित अंतःकरण की वृत्तियों के विषय के साथ सामंजस्य से व्युत्पन्न होता है तथा एद्रिक होता है।
- (2) ब्रह्मानंद में समस्त सांसारिक उपाधियों का नाश होकर केवल चैतन्य-स्वरूप का भाव ही आनंद स्वरूप होता है।
- (3) काव्यानंद रति आदि भावों की उपाधि बने रहने पर भी चैतन्य स्वरूप का आभास है।

'आनंद' आत्मा का स्वरूप एवं एक मुक्त प्राकृतिक, नैसर्गिक स्थिति है। काव्यानंद एवं ब्रह्मानंद में अंतर है। काव्यानंद में चित्त के विकार छिप जाते हैं। लुप्त होते हैं लेकिन बाद में उनके प्रत्यक्ष होने की संभावना शेष रहती है जबकि ब्रह्मानंद में विकारों का नाश हो जाता है और उनके प्रत्यक्षीकरण की कोई संभावना शेष नहीं रहती। ब्रह्मानंद को इसलिए चरम स्थिति माना गया है। काव्य में सांसारिक दुख भी सुख बनकर उपस्थित होता है इसलिए करुण रस के काव्य के दुखद वर्णनों को भी हम बार-बार पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, रोते हैं और फिर पढ़ते हुए सुख का ही अनुभव करते हैं। इसलिए रस दशा 'आनंद' की ही द्योतक मानी गई है। 'रस' का स्वरूप 'ब्रह्म' के पर्याय के रूप में लिया गया है। 'रसो वै सः' अर्थात् रस ही वह ब्रह्म है।

2.4 सभी रसों का सामान्य परिचय

रसों की संख्या दस हैं—शृंगार, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक, वीभत्स, करुण, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। 'भक्ति रस' को ग्यारहवें रस के रूप में देखा जाता है। रस ही काव्य की आत्मा है। ऐसा मानने वाले आचार्य गण मानते हैं कि कई बार उक्ति अनौचित्य या काव्य में रस का पूर्ण परिपाक न होने के कारण उक्ति में रसत्व तो विद्यमान रहता है किंतु उसमें तीव्र या दीप्त रसत्व का अभाव होता है। इसी कारण भक्ति को 'रस' के समान नहीं माना जाता। इस प्रकार की उक्तियों को सात प्रकारों में बांट सकते हैं—(1) भाव, (2) रसाभास, (3) भावाभास, (4) भावोदय, (5) भावशांति, (6) भाव संधि और (7) भाव सबलता।

आचार्य मम्मट ने रसों के आठ भेद किए हैं। जिनका परिगणन निम्न प्रकार है—

शृंगार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर भयानकाः!

वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसायेस्मृताः!!

शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, और अद्भुत ये सभी नाट्य में रस माने गए। 1. शृंगार रस—शृंगार रस का स्थायी भाव 'रति' होता है। शृंगार के आलम्बन विभाव नायक-नायिका होते हैं। उपवन, चन्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। भू-विक्षेप,

अपनी प्रगति जांचिए

4. काव्य सहृदय को कहां पहुंचाने पर सार्थक होता है?
5. काव्यशास्त्र के किस ग्रंथ को पांचवां वेद स्वीकार किया गया है?
6. सही-गलत बताइए—
(क) रस के बिना किसी की किसी में प्रवृत्ति नहीं होती।
(ख) रस न तो चिन्मय होता और न ही ब्रह्मानंद सहोदर।

टिप्पणी

कटाक्ष आदि इसके अनुभाव होते हैं तथा लज्जा, हास आदि व्यभिचारी भाव होते हैं। शृंगार दो प्रकार का होता है—

(क) संयोग शृंगार (ख) वियोग शृंगार।

(क) संयोग शृंगार—इसमें नायक और नायिका का मिलन हो जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं।

(ख) वियोग शृंगार— इसमें नायक नायिका का मिलन नहीं हो पाता। यह अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास, शाप के भेद से पांच प्रकार का होता है।

2. हास्य रस— हास्य का स्थायी भाव 'हास' है।

आचार्य विश्वनाथ ने हास को निम्न रूप में परिभाषित किया है—

वागदिवैकृतैश्चेतौ विकासो हास इष्यते।

विकृत आकार तथा चेष्टा वाला व्यक्ति हास्य रस का आलम्बन होता है। अनुपयुक्त वेश-भूषा, चेष्टाएं तथा अनर्गल प्रलाप उद्दीपन होते हैं। नेत्र-संकोच, मुस्कराना आदि अनुभाव होते हैं तथा निद्रा, आलस्य आदि व्यभिचारी भाव होते हैं।

3. करुण रस— करुण रस का स्थायी भाव 'शोक' है। आचार्य विश्वनाथ ने शोक को निम्न रूप से परिभाषित किया है—

इष्टनाशादिभिश्चेतौ वैक्लव्यं शोकशब्दभाक्।

अर्थात् प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर चित्त की जो व्याकुलता होती है वही शोक कहलाती है। जिसके लिए शोक किया जाता है, वही शोच्य आलम्बन होता है। आलम्बन की बातें तथा दाह आदि अवस्था उद्दीपन होते हैं। 'दैवनिन्दा' तथा 'क्रन्दन' आदि अनुभाव होते हैं। मोह-व्याधि-विषाद आदि व्यभिचारी भाव होते हैं।

4. रौद्र रस— रौद्र रस का स्थायी भाव 'क्रोध' होता है।

आचार्य विश्वनाथ ने इसे निम्न रूप में परिभाषित किया है—

विरोधियों के प्रति हृदय में तीक्ष्णता या प्रतिशोध की भावना ही क्रोध कहलाती है। इसका आलम्बन शत्रु होता है। शत्रु की चेष्टाएं एवं अपकार आदि उद्दीपन होते हैं। भुजाएं टोकना, शस्त्र-उठाना, आक्षेप लगाना आदि अनुभव होते हैं। मोह, अमर्ष असूया आदि व्यभिचारी भाव होते हैं।

5. वीर रस—वीर रस का स्थायी भाव 'उत्साह' होता है। साहित्यदर्पणकार ने इसकी परिभाषा निम्न रूप में दी है—

कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते।

अर्थात् कार्य करने में आनन्दपूर्ण स्थिर उद्योग ही उत्साह कहलाता है। इसमें प्रतिद्वन्द्वी आलम्बन होता है। उसकी पराजय तथा युद्ध का कोलाहल उद्दीपन होते हैं। शस्त्र-प्रहार, शत्रु से प्रतिस्पर्धा अनुभाव तथा गर्व, धैर्य एवं मति आदि व्यभिचारी भाव होते हैं।

6. भयानक रस—भयानक रस का स्थायी भाव 'भय' है। आचार्य विश्वनाथ ने भयानक रस की परिभाषा निम्न रूप में प्रस्तुत की है—

रौद्र शक्त्या तु जनितं चित्तवैक्लव्यदं भयम्।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

7. आचार्य मम्मट ने रसों के कितने भेद किए हैं?
8. शृंगार रस के प्रमुख भेद कितने हैं?
9. सही-गलत बताइए-
(क) भक्ति रस को रस की श्रेणी में नहीं रखा जाता।
(ख) करुण रस का स्थायी भाव 'रति' है।

किसी भीषण वस्तु के कारण चित्त की विकलता भय कहलाती है। भयोत्पादक व्यक्ति या वस्तु आलम्बन होती है। उसकी चेष्टाएं उद्दीपन होती हैं। मुख का पीला पड़ना, बोल न पाना, स्वेद आदि अनुभाव हैं तथा शंका, सम्भ्रम, मरण आदि व्यभिचारी भाव होते हैं।

7. वीभत्स रस-वीभत्स रस का स्थायी भाव 'जुगुप्सा' है। आचार्य विश्वनाथ वीभत्स को इस प्रकार परिभाषित करते हैं-

दोषेक्षणादिभिर्गर्हो जुगुप्सा विषयोद्भवः।

अभिप्राय है कि किसी घृणास्पद वस्तु के दोष-दर्शन से उत्पन्न घृणाभाव ही जुगुप्सा है। दुर्गन्ध, सड़ांध, मांस, रुधिर आदि इसके आलम्बन हैं। कीड़े पड़ना आदि उद्दीपन हैं। नाक सिकोड़ना, धूकना आदि अनुभाव हैं तथा उद्वेग आदि व्यभिचारी भाव हैं, जिनसे सामाजिक में वीभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है।

8. अद्भुत रस- अद्भुत रस का स्थायी भाव 'विस्मय' है। आचार्य विश्वनाथ अद्भुत रस की निम्न परिभाषा प्रस्तुत करते हैं-

विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिषु।

विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहृतः॥

विलक्षण वस्तुओं के दर्शन, श्रवण आदि से जो चित्त का विकास होता है, वही विस्मय कहा जाता है। विस्मय का आलम्बन विलक्षण वस्तु होती है। ऐसी वस्तु का देखना, सुनना, कहना तथा गुण-वर्णन आदि उद्दीपन हैं। स्वेद, रोमांच, नेत्र विकास आदि अनुभाव हैं। वितर्क, आवेग, हर्ष आदि व्यभिचारी भाव होते हैं।

9. शान्त रस-शान्त रस-विषयक मान्यता में आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। अभिनवगुप्त के मतानुसार मोक्ष रूप पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए शान्त रस की स्वीकृति आवश्यक है।

आचार्य मम्मट ने सभी के मतों का सार लेकर शान्त रस को अपनी मान्यता प्रदान की है-निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः। शान्त रस का स्थायी भाव 'निर्वेद' है। इसका दूसरा नाम 'शम' भी है। संसार की अनित्यता, परमात्मस्वरूप की अनुभूति इसका आलम्बन है। आश्रम, तीर्थ तपोवनादि उद्दीपन तथा रोमांचादि अनुभाव हैं। स्मृति, धृति, भक्ति, जीव, दया तथा हर्षादि इसके व्यभिचारी भाव होते हैं।

2.5 रस निष्पत्ति

भरतमुनि के अनुसार जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होता है तब रस निष्पत्ति होती है। 'विभानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्तिः।' इस सूत्र के आधार पर रस के चार अवयव निश्चित हुए-स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव की सर्वस्वीकृत परिभाषा यह है कि-"स्थायी भाव सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में (जन्मजात) स्थित वे अनुभूतियां हैं जो स्थायी रूप से

विद्यमान रहती हैं। ये सभी के हृदय में पाई जाती हैं। स्थायी भाव का आधार 'अहंकार' है। इसकी दो मुख्य वृत्तियां-राग एवं द्वेष हैं जो क्रमशः सुखात्मक एवं दुखात्मक हैं। स्थायी भाव मनोविकारों एवं भौतिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इनकी संख्या दस हैं-(1) शोक, (2) हास, (3) रीति, (4) शम, (5) उत्साह, (6) विस्मय, (7) भय, (8) जुगुप्सा, (9) क्रोध, और (10) वत्सल।

रस निष्पत्ति के प्रश्न को हल करने के लिए भरत के रस-सूत्र की टीकाकारों ने अपनी-अपनी तरह से व्याख्या की है। 'संयोग' और 'निष्पत्ति' शब्दों का क्या तात्पर्य है? रस की निष्पत्ति किस प्रकार की और किसमें होती है? सामाजिक को, कवि को, विभाव को या अनुभाव को? चार प्रमुख टीकाकार हुए हैं-भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। भरत के रस सूत्र में आए 'निष्पत्ति' शब्द को 'उत्पत्ति' के अर्थ में लेते हुए उत्पत्तिवादी भट्टलोल्लट ने उत्पत्तिवाद की प्रतिष्ठा की। इनका मानना है कि नाटक में रस मुख्यतः नायक-नायिका में ही उत्पन्न होता है परंतु उनका अभिनय द्वारा अनुकरण करने वाले नटों में उस रस की प्रतीति होती है। इस रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों के संयोग से होती है। विभाव के द्वारा रस उत्पन्न होता है। अनुभाव के द्वारा रस की प्रतीति होती है और संचारी भाव द्वारा रस की पुष्टि होती है। इस मत से यह पता नहीं चलता कि सामाजिक प्राणी जो दर्शक है, श्रोता है उसे रस की अनुभूति क्यों होती है?

भरत के सूत्र के दूसरे व्याख्याकार शंकुक ने अनुमितिवाद के द्वारा रस को अनुमान का विषय बताया। सूत्र के 'संयोगात्' शब्द का अर्थ 'अनुमानात्' और 'निष्पत्ति' का अर्थ वे 'अनुमिति' के रूप में लेते हैं। शंकुक के मतानुसार, अभिनेताओं का अभिनय इतना स्वाभाविक और प्रभावी होता है कि वे जिन पात्रों का अभिनय कर रहे होते हैं, दर्शक उन पात्रों में उत्पन्न रस का आरोप अनुमान के आधार पर ही अभिनेताओं पर कर लेते हैं और स्वयं भी अनुमान के आधार पर उस रस को ग्रहण कर आनंदित और अभिभूत हो जाते हैं। किंतु चूंकि अनुमान के द्वारा वह आनंद, वह रसानुभूति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है जो अपेक्षित है अतः इस मत को भी आधार प्राप्त नहीं हो सका।

भट्टनायक ने भुक्तिवाद की बात की। उन्होंने काव्य में व्यापार को मुख्य मानते हुए उसके तीन रूपों-अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व की चर्चा की। वे भरत-सूत्र में आए 'संयोग' शब्द को 'भोज्य-भोजक संबंध' और 'निष्पत्ति' शब्द को 'भुक्ति' के अर्थ में स्वीकार करते हैं। अभिधा के द्वारा शब्द के अर्थ की प्रतीति होने पर सामाजिक के भीतर सात्विक भाव का उदय होता है। भावकत्व के द्वारा साधारणीकरण होने से सामाजिक का सात्विक हृदय उस (ऐतिहासिक या धार्मिक) पात्र को जिसका अभिनय अभिनेता करता है, साधारण मनुष्य के रूप में लेते हैं और भोजकत्व व्यापार द्वारा उन्हें उस अभिनय को देखते हुए रस की अनुभूति होती है। इसमें भट्टनायक ने सामाजिक को स्थान दिया है किंतु त्रिविध व्यापार की असंगत कल्पना के कारण इस मत को भी मान्यता नहीं मिली।

अभिनवगुप्त व्यंजनावदी हैं। उन्होंने भरत के सूत्र के 'संयोग' शब्द को 'व्यंग्यव्यंजक भाव' तथा 'निष्पत्ति' को 'अभिव्यक्त या व्यंजना' के अर्थ में लिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम, शोक, भय, घृणा आदि वासनाएं स्थायी भाव के रूप में रहती हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा इन स्थायी भावों की अभिव्यंजना होती है। सभी

टिप्पणी

सहृदयों के हृदय में स्थित सुप्त स्थायी भाव विभावादिकों को ग्रहण करके रसानुभूति से सिक्त हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। यह मत सभी विद्वानों को मान्य है। अभिनवगुप्त ने कहा कि- 'नाट्यरसाः स्मृताः।' सर्वानुग्राहकं हि शास्त्रमिति न्यायात्तेन नाट्य एव रसा न लोके इत्यर्थः। काव्यं च नाट्यमेव।'

अभिनवगुप्त का रस संसार में एकछत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। आज भी किंचित संशोधनों के साथ अभिनवगुप्त की रस संबंधी मान्यताएं स्वीकृत हैं। अभिनवगुप्त की कुछ मौलिक उद्भावनाएं इस प्रकार हैं-

1. रस निष्पत्ति सहृदय सामाजिक की होती है। (भट्टनायक को स्वीकार कर लिया)
2. रस आनंदमय है (भट्टनायक कह चुके थे)।
3. रस आस्वाद है (भट्टनायक रस को भोज्य (आस्वाद्य) मानते हैं)।
4. निष्पत्ति का अर्थ है- अभिव्यक्ति।
5. संयोग का अर्थ है-व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध।
6. साधारणीकरण व्यष्टि के धरातल पर न होकर समष्टि के धरातल पर होता है।
7. साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का परिणाम नहीं अपितु व्यंजना का ध्वनन व्यापार है।

वामन कहते हैं- 'दीप्तरसत्वं कान्तिः।' भोज ने शृंगारप्रकाश में 'रस एक ही है' सिद्धांत की स्थापना की और इस एक रस को शृंगार कहा जिसका रूप अभिमान और अहंकार जैसा ही है। 'रसोभिमानोऽहंकारः शृंगार इति गीयते।' भानुदत्त मिश्र ने 'रसतरंगिणी और रसमंजरी' में रसों की विस्तृत व्याख्या की। श्री विश्वेश्वर पांडेय की 'रसचंद्रिका' में रसों पर चर्चा है। रुद्रभट्ट ध्वनिपूर्ण रसवादी धारा के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने शृंगार रस पर विस्तार से लिखा-

'यामिनी वेन्दुना युक्ता नारीव रमणं विना। लक्ष्मीरिव कृते त्यागान्नो वाणी भति नीरसा।' अभिनवगुप्त के गुरु भट्टतौत ने भी रसवादी धारा के विकास में सहयोग दिया। भरतमुनि से पंडितराज जगन्नाथ तक रसवादी आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा के दर्शन होते हैं। पंडितराज जगन्नाथ लिखते हैं- "एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परम रमणीयता रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभिधीयते।" इसके अतिरिक्त आचार्य मम्मट ने भी रस के महत्त्व को स्वीकार किया है। इस रस सिद्धांत का एक रूप 'भक्ति रस' के रूप में हमें रूप गोस्वामी की 'उज्ज्वल नीलमणि' में मिलता है, जिसमें भक्ति रस के पांच प्रकार-शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य माने गए हैं। ये सभी भाव कृष्ण के प्रति ही होते हैं। इस माधुर्य भाव को 'भक्ति-रसराट्' कहते हैं। इस प्रकार रसवादी आचार्यों की भिन्न-भिन्न मान्यताओं के साथ 'रसवाद' पुष्ट और विकसित होता गया। इनके साथ परवर्ती आचार्यों के तर्क-वितर्क तथा अलंकार आदि को काव्यात्मा मानने के तर्क-वितर्कों के बीच रस सिद्धांत ने रस-संप्रदाय का रूप धारण किया। हिंदी काव्यशास्त्रियों ने भी रस के महत्त्व को स्वीकार किया है।

रस निष्पत्ति और साधारणीकरण

इस सिद्धांत की स्थापना भट्टनायक ने की। काव्य में रस को मूल तत्व और आत्मा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात प्रश्न उठा था कि रस निष्पत्ति किसमें होती है? इस प्रश्न को हल

करते-करते एक प्रश्न और उठा कि रस निष्पत्ति कैसे होती है? काव्य और सहृदय सामाजिक का परस्पर क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर सर्वप्रथम भट्टनायक ने 'साधारणीकरण' की प्रक्रिया के रूप में दिया तथा अभिनवगुप्त ने इसे दार्शनिक आधार प्रदान कर इस साधारणीकरण की स्थिति को पुष्ट एवं स्थिर बना दिया। इसे 'साधारणीकरण' के सिद्धांत की संज्ञा प्राप्त हुई। 'साधारणीकरण' का अर्थ है असाधारण अर्थात् विशेष का साधारण (सामान्य) रूप में परिवर्तित हो जाना।

भट्टनायक के अनुसार काव्य-रस का भोग सहृदय सामाजिक करता है। सामाजिकों के हृदयों में वासना रूप से स्थित स्थायी भाव काव्य में वर्णित विभावादि के कारण उद्बुद्ध होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। इसके लिए भट्टनायक ने तीन स्थितियों का विवेचन किया-(1) अभिधा, (2) भावकत्व और (3) भोजकत्व। काव्य में सदैव असाधारण या विशेष का ही प्रतिपादन किया जाता है। काव्य का वह विशेष जब साधारण या सामान्य रूप में प्रतिभाषित होने लगता है, तब वह स्थिति साधारणीकरण की स्थिति कहलाती है। जब काव्य में वर्णित 'राम', राम न रहकर एक सामान्य पुरुष और 'सीता', सीता न रहकर एक सामान्य युवती के रूप में भासित होने लगते हैं, तब साधारणीकरण की स्थिति होती है। यही काव्यात्मक साधारणीकरण कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि साधारणीकरण किसका होता है। इस पर विद्वानों में मतभेद है। इस प्रसंग में साधारणीकरण से संबद्ध विचारों को पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

1. विभावादिकों और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है।
2. विभावादिकों के साथ-साथ सहृदय सामाजिक की चित्तवृत्ति का भी साधारणीकरण होता है।
3. केवल विभावादिकों का साधारणीकरण होता है और सहृदय सामाजिक का आश्रय से तादात्म्य हो जाता है।
4. कवि की भावनाओं का साधारणीकरण होता है और सहृदय सामाजिक का कवि के साथ तादात्म्य हो जाता है।
5. साधारणीकरण व्यर्थ एवं अनामंत्रित सिद्धांत है।

● विभावादिकों और स्थायी भावों का साधारणीकरण- इस सिद्धांत के संस्थापक एवं पोषक आचार्य भट्टनायक हैं। उनके अनुसार-

1. विभावादि व्यापार ही साधारणीकरण है।
2. विभावादि अर्थात् आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी एवं स्थायी भावों का साधारणीकरण हो जाता है।
3. स्थायी भाव के साधारणीकरण का तात्पर्य है कि विशिष्ट संबंधों से मुक्ति।
4. भावकत्व से भाव्यमान स्थायी भाव ही रस है। भाव्यमान से तात्पर्य साधारणीकृत रूप से ही है।

भट्टनायक ने भावकत्व व्यापार की दो विशेषताएं प्रस्तुत की हैं-

1. निविडनिज मोह संकटतानिवारणकारिणा, और
2. विभावादि साधारणीकरणात्मना।

टिप्पणी

जब तक प्रमाता अपने आपको काव्य की विषय-सामग्री से पृथक या असंपृक्त रखेगा तब तक वह उस आनंदमयी चेतना का अवलोकन नहीं कर पाएगा जिसे प्रकारांतर में रस कहा जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संभवतः भट्टनायक ने यह कहा होगा कि भावकत्व व्यापार का पहला कार्य है प्रमाता के निजत्व मोह के संकट का निवारण करना अर्थात् उसे अपने-पराए की संज्ञा से मुक्त करना। दूसरे, प्रमाता द्वारा ही विभावादिकों के विशिष्ट संबंधों को मुक्तावस्था में देखना अर्थात् उन्हें राम-सीतादि के रूप में न देखकर केवल भाव रूप में ग्रहण करना। जिस प्रकार एक रुग्ण व्यक्ति दवा को केवल रोग-निवारक के रूप में ही ग्रहण करता है, न कि उस औषधि के नाम-रूप में या उसमें मिश्रित विभिन्न रसायनों के रूप में।

● **विभावादिकों के साथ सहृदय की चित्तवृत्ति का साधारणीकरण-** भट्टनायक के पश्चात् रस सिद्धांत के सर्वाधिक पोषक अभिनवगुप्त थे। इन्होंने भट्टनायक के रस संबंधी विचारों को मूल रूप में तो स्वीकृति दी किंतु उनकी व्याख्या अपने अनुसार की है बल्कि यों कहना चाहिए कि उन्हें दार्शनिकता से आवृत्त कर दिया। दूसरी ओर उनके विचारों में संशोधन भी किया तथा उन्हें तर्कसम्मत स्पष्ट रूप भी प्रदान किया। अभिनवगुप्त के अनुसार-

1. विभावादिकों का ही साधारणीकरण नहीं होता, बल्कि स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है। विभावादिकों के साधारणीकरण के कारण ही स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है।
2. स्थायी भाव के साधारणीकरण से तात्पर्य है देश-काल के बंधनों से मुक्ति। साधारणीकरण की स्थिति में विशेषत्व का अभाव हो जाता है क्योंकि विशेषत्व ही सुख-दुख का कारण होता है। उस (विशेषत्व) के अभाव में ऐंद्रिक सुख-दुख की भावना नष्ट हो जाती है।
3. भाव का साधारणीकरण व्यक्तिनिष्ठ न होकर समष्टिनिष्ठ होता है क्योंकि सभी सामाजिकों में संस्कार-रूप से समान भाव की स्थिति वासना-रूप में विद्यमान रहती है। अतः यह साधारणत्व परिमित नहीं होता।
4. साधारणीकरण का अर्थ है सुख-दुखात्मक अनुभूतियों एवं देशकाल के संबंधों से मुक्ति।

अभिनवगुप्त की या भट्टनायक की मूल धारणा तो यही है कि 'भाव' पर सुख-दुखात्मकता का जो आवरण चढ़ा हुआ है, वह साधारणीकरण से नष्ट हो जाता है। अभिनवगुप्त और भट्टनायक दोनों ही सुख-दुख को भाव का अंग नहीं मानते, बल्कि देश-काल के विभाग या विशेषत्व को सुख-दुख का कारण मानते हैं। इसीलिए वे इस बात पर बल देते हैं कि साधारणीकरण होने से देश-काल का बंधन निरस्त हो जाता है जो ऐंद्रिक सुख-दुख या विघ्न-बहुलता का कारण है।

● **विभावादिकों का साधारणीकरण और प्रमाता का आश्रय के साथ तादात्म्य-** इस सिद्धांत के अनुयायी विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ को माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचकों में आचार्य शुक्ल का नाम आता है। संस्कृत आचार्यों ने (विश्वनाथ एवं जगन्नाथ) तादात्म्य की बात को उतना प्रत्यक्ष नहीं कहा, जितना आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ यद्यपि अभिनवगुप्त का ही अनुसरण करते हैं किंतु उनके कथन से ऐसा प्रतीत होता

है कि वे आश्रय का साधारणीकरण नहीं मानते, यथा-व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणी कृतिः। तत्रभावेण यस्यासन्नाथो विप्लवनादयः॥ प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते। (साहित्य दर्पण 3/9-10)

उत्साहादिसमुद्बोधः साधारण्याभिमानतः।

नृणामपि समुद्रादिलंघनादौ न दुष्यति॥

(3.11)

उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या विश्वनाथ के अनुसार ऐसे होगी कि मंच पर अभिनीत हनुमानजी के समुद्रलंघन दृश्य को देख कर प्रमाता अपने आपको हनुमानजी से अभिन्न मानने लगता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रमाता का आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाता है। संभवतः विश्वनाथ तादात्म्य भाव को भी साधारणीकरण का ही परिणाम मानते हैं। इसी कारण मानव भी, जिसके लिए समुद्रादि का संतरण लौकिक परिस्थितियों में संभव नहीं है, समुद्रसंतरण का अनुभव करता है अर्थात् वह भी छलांग लगाकर सागर को पार कर सकता है, इस प्रकार के उत्साह का अनुभव करने लगता है। उस स्थिति में वह अपने आपको आश्रय यानी हनुमान मानने लग जाता है। इन्हीं के पश्चात् हुए पंडितराज ने भी प्रकारांतर से प्रमाता का आश्रय के साथ तादात्म्य माना है।

● **कवि की भावनाओं का साधारणीकरण और सहृदय का उसके साथ तादात्म्य-** इस सिद्धांत के संस्थापक हैं आचार्य डॉ. नगेंद्र। आपके अनुसार कवि-भावना का साधारणीकरण होता है।

● **साधारणीकरण व्यर्थ एवं अनामंत्रित सिद्धांत-** आधुनिक भारतीय आलोचक मनोविज्ञान का आश्रय लेकर रस-सिद्धांत की व्याख्या करने में लगे हैं। फलतः उन्हें साधारणीकरण जैसा सिद्धांत व्यर्थ प्रतीत होता है।

'साधारणीकरण' का सामान्य या विशेष अर्थ यही होगा कि असाधारण का साधारण होकर मन के अनुकूल हो जाना। कवि अपने कौशल से जो रचना करता है सहृदय की मनःस्थिति कवि की मनःस्थिति के अनुकूल होकर समभाव के स्तर पर पहुंच जाती है और कवि तथा सहृदय के भावों में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सहृदय उसी शिद्द से काव्य के भावों में डूबता-उतरता है जिस भाव सरिता में पैठ तक कवि ने रचना की। यही भाव साम्य 'साधारणीकरण' है।

2.6 रस के अवयव एवं रस दोष

रस के मूलभूत अवयव एवं रस दोषों को पृथक-पृथक इस प्रकार समझा जा सकता है-

2.6.1 रस के अवयव

रस के मूलतः तीन अवयव हैं- विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव।

● **विभाव-** इसके अंतर्गत समस्त सृष्टि या ब्रह्मांड आ जाता है। ये स्थायी भावों को जाग्रत करने का कार्य करते हैं। ये आलम्बन एवं उद्दीपन दो भागों में बांटे जाते हैं।

1. **आलम्बन-** भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो उसे काव्य का आलम्बन कहते हैं। 'विषय' और 'आश्रय' आलम्बन के अंतर्गत आते हैं।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

10. स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होने पर क्या होता है?

11. भट्टनायक ने काव्य में व्यापार को मुख्य मानते हुए उसके किन रूपों की चर्चा की?

12. सही-गलत बताइए-
(क) अभिनवगुप्त का रस संसार में एकछत्र साम्राज्य स्थापित हुआ।

(ख) विभावादिकों एवं स्थायी भाव का साधारणीकरण नहीं होता।

टिप्पणी

जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जाग्रत होते हैं वह विषय है। जिस पात्र में भाव जाग्रत होते हैं, वह आश्रय कहलाता है। उदाहरणस्वरूप वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा हुआ शत्रु आलम्बन विभाव है।

2. उद्दीपन- स्थायी भाव को जाग्रत रखने में सहायक कारक उद्दीपन कहलाता है। इसके दो रूप होते हैं-विषयगत और वर्हिगत। विषयगत के अंतर्गत आलम्बन की उक्तियां और चेष्टाएं आती हैं और वर्हिगत के अंतर्गत वातावरण से संबंधित वस्तुएं एवं दृश्य। शत्रु के साथ सेना, युद्ध के बाजे, शत्रु की दपौक्तियां, शस्त्र-संचालन आदि उद्दीपन विभाव के उदाहरण हैं।

- अनुभाव- 'अनु' यानी पीछे चलने वाले। ये स्थायी भाव के बाद प्रकट होने वाले मनोविकार और आश्रय की चेष्टाएं हैं। अतः ये स्थायी भाव और विभाव के आश्रयगत होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-सात्विक या अयत्नज और कायिक या यत्नज।

स्थायी भाव के जाग्रत होने पर सहज रूप से प्रत्यक्ष होने वाले अंगविकार सात्विक अनुभाव के उदाहरण हैं। जैसे-रोमांच, मुस्कान, अश्रु, कम्प आदि। इनके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती, इसीलिए इन्हें अयत्नज भी कहा जाता है। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं कायिक अनुभाव के उदाहरण हैं। ये चेष्टाएं शरीर के अंगों द्वारा प्रयत्नपूर्वक की जाती हैं, इसलिए इन्हें यत्नज भी कहा जाता है। जैसे आरोपित या कृत्रिम वेश रचना, रतिभाव के जाग्रत होने पर भू-विक्षेप, कटाक्ष आदि यत्नपूर्वक किए गए व्यापार। अनुभाव भावों के विगलन की प्रक्रिया की सूचना देते हैं।

- संचारी भाव-भरतमुनि इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये ऐसे मनोवेग या शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो स्थायी भावों की पुष्टि के लिए संचरणशील होते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक रसों की पुष्टि के लिए प्रकट हो जाता है इसलिए संचरणशील होने के कारण संचारी और एक ही भाव से इनका निश्चित संबंध न होने के कारण इन्हें व्यभिचारी नाम दिया गया।

- (1) ये स्थायी भाव के उपकारक धर्म हैं। जो स्थायी भावों को दीप्त कर उन्हें रसदशा तक पहुंचाने में सहायक होते हैं।
(2) क्षणिकता इनका लक्षण है। अतः इन्हें मन की अस्थिर वृत्तियां कहा गया है।
(3) स्थायी भावों के साथ इनका संबंध सागर एवं तरंगों के समान होता है जो सागर में उठती गिरती हैं।

संचारी भावों की संख्या तैंतीस मानी गई है-

- (1) निर्वेद, (2) ग्लानि, (3) शंका, (4) असूया, (5) श्रम, (6) मद, (7) धृति, (8) आलस्य, (9) विषाद, (10) मति, (11) चिन्ता, (12) मोह, (13) स्वप्न, (14) विबोध, (15) स्मृति, (16) अमर्ष, (17) गर्व, (18) औत्सुक्य, (19) अवहित्य, (20) दैन्य, (21) हर्ष, (22) क्रीड़ा, (23) उग्रता, (24) निद्रा, (25) व्याधि, (26) मरण, (27) अपस्मार, (28) आवेग, (29) त्रास, (30) उन्माद, (31) जड़ता, (32) चलता और (33) वितर्क।

सहृदयता

काव्य चिंतन के संदर्भ में 'सर्जक' यानी कवि को तो सहृदय माना ही जाता है किंतु विशेष बल 'ग्राहक' अर्थात् 'पाठक' को सहृदय मानने पर है। यहां सहृदय की अवधारणा पाठक के संबंध में ही है। इस 'सहृदय' का प्रथम प्रयोग संभवतः अथर्ववेद में मिलता है। 'अथर्ववेद' में इस शब्द की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। भरतमुनि ने 'रस' को 'अथर्ववेद' से ही लिया। आयुर्वेद उसका उपवेद है और उसमें भी अपने तरीके से 'रस' भाव का विवेचन है। भवभूति आयुर्वेद का आधार लेकर ही राम के करुण रस को 'पुटपाकप्रतीकाश' कहते हैं तथा क्षेमेंद्र रसायनतंत्र को संदर्भित करते हुए 'औचित्य रस-सिद्धस्य' कहते हैं। इसलिए अथर्ववेद में प्रयुक्त 'सहृदय' को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें 'सहृदयं सामनस्यमद्विषं कृणोमिवः' पंक्ति मिलती है जिसमें 'सहृदय' का अर्थ 'समान हृदय' है। 'समान' तथा 'हृदय' दो पदों से निर्मित यह सामासिक शब्द है। समान के लिए 'स' का उपयोग किया गया है। अतः 'सहृदय' का तात्पर्य है 'समान हृदय वाला'। काव्य में रचनाकार एवं पाठक या श्रोता अनुभव साम्य की दृष्टि से समान हृदय वाले अर्थात् 'सहृदय' कहे जाते हैं। भट्टतौत कहते हैं-"नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽनुभवस्ततः।" नाट्यशास्त्र में 'सहृदय' के स्थान पर 'सुमनस प्रेक्षक' का प्रयोग मिलता है। विभिन्न आचार्यों ने 'सहृदय' के समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया है लेकिन इसका सर्वाधिक और स्पष्ट प्रयोग आनंदवर्द्धन के 'ध्वन्यालोक' में मिलता है। आनंदवर्द्धन ने 'सहृदयता' को 'रसज्ञता' का पर्याय माना है। अभिनवगुप्त ने तंत्रवाद के आलोक में 'सहृदय' की मार्मिक व्याख्या की है। इसके लिए उन्होंने 'नाट्यशास्त्र' एवं 'ध्वन्यालोक' को आधार बनाया है। यह व्याख्या 'अभिनव भारती', 'लोचन', 'तंत्रालोक', 'परात्रिंशिका' तथा 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विवृत्तिविमर्शिनी' में मिलती है।

अभिनवगुप्त ने 'सहृदय' पर चित्ति, चेत्य तथा चित्त तीनों कोणों से प्रकाश डालते हुए उसकी तीन स्वरूपगत विशेषताएं बताई हैं-

- (1) स्वहृदय संवाद भाजकता-अर्थात् ऐसा पाठक या श्रोता जिसका हृदय स्वयं से संवाद करने में कुशल हो, सचेत हो। वह कवि के संवाद को भी आत्मसात कर लेगा। इसका संबंध चित्ति से है।
(2) वर्णनीय तन्मयीभवन योग्यता-इसका संबंध चेत्य से है, इसमें वर्णन की जाने वाली कथावस्तु पर बल दिया जाता है, उसे सुनना और आत्मसात करना।
(3) 'तादात्म्यसमापत्तियोग्यता'-इसका संबंध चित्त से है। जब कवि एवं पाठक, श्रोता या सहृदय के चित्त के बीच तादात्म्य स्थापित हो जाता है, वे एक हो जाते हैं। उनकी अनुभूति एकरस हो जाती है।

निष्कर्ष यह है कि 'सहृदयता' हृदय की 'योग्यता', 'उत्कर्ष', 'संवेदनशीलता', 'आत्मसात् करने की क्षमता' का ही नाम है। जो जितना संवेदनशील होगा, योग्य हृदय का, उत्कर्षशील हृदय का स्वामी होगा, वह लोकोत्तर आनंदमय स्थिति को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। हृदय की यह योग्यता साहित्य के अध्ययन, चिंतन-मनन की निरंतरता और अभ्यास से आती है। सभी का हृदय इसका अधिकारी नहीं होता। 'सहृदय' होने की योग्यता के लिए लंबे धैर्य और निरंतरता के साथ काव्यानुशीलनात्मक अभ्यास की आवश्यकता है। तभी तुलसीदास के साथ दशरथ मरण के प्रसंग पर रो सकेंगे।

टिप्पणी

टिप्पणी

अभिनवगुप्त तो कहते हैं कि अभ्यास के साथ पूर्व जन्म के पुण्यों का होना भी आवश्यक है तभी चित्त काव्यानुशीलन में रहेगा। यदि पुण्य के स्थान पर पाप होंगे तो वे मनुष्य को इस दिशा से विमुख करेंगे। अभिनवगुप्त 'हृदय की निर्मलता' को भी महत्त्व देते हैं। समुन्नत मस्तिष्क वाला, दैहिक आवश्यकताओं की परिधि से उठा हुआ, निर्व्यसन और साथ में सुकुमार यानी कोमल हृदय वाला मनुष्य ही काव्यानुशीलन का सच्चा पथगामी हो सकता है, 'सहृदय' हो सकता है।

दूसरी तरह से कहा जाए तो श्रेष्ठ मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण मनुष्य शिक्षित और परिष्कृत संस्कारों की पूंजी धारण कर 'सहृदय' बन सकता है। 'सहृदय' के भीतर वह प्रतिभा और शक्ति होती है कि वह काव्यार्थ को उसी शिष्ट और गहनता, पूर्णता एवं तीव्रता के साथ अनुभव करता है, जानता है। 'तन्मयीभवन' की योग्यता ही सहृदयता है। पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि जिस प्रकार समाधिस्थ योगी को स्वरूपानंदाकार चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है वह स्वयं आनंद स्वरूप और ब्रह्म रूप हो जाता है उसी प्रकार तन्मयीभवन योग्यता के कारण सहृदय कवि के चित्त के साथ तन्मय होकर काव्यानंद के मर्म तक पहुंच जाता है। 'सहृदय' बाह्य सौंदर्य पर नहीं टिकता, वह अंतर्मन का भेदन करता हुआ समभाव पर पहुंचता है। रचना को नहीं रचना के कारण को भी लक्ष्य बनाता है। आत्मप्रकाश से भर उठने वाले हृदय की रचनात्मक सौंदर्य के प्रति दृष्टि गहन होती है। इसलिए आचार्यों ने हृदय को 'विमर्श' भी कहा है। विमर्श या हृदय जो सूखे झुर्रीदार मुख के पीछे छिपी तपस्या के सौंदर्य को अनुभूत कर जगमगा उठता हो उसे रचनात्मक सौंदर्य के नाम से जाना जा सकता है। ऐसा हृदय ही 'सहृदय' हो सकता है। ऐसे हृदय को धारण करने वाला पात्र 'सहृदय' हो सकता है। साहित्य जो काव्य का पर्याय माना जाता था उसमें सहृदय की अवधारणा साभिप्राय हुई थी। जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है।

काव्य में रसानुभूति के लिए सहृदय का होना आवश्यक है। सहृदय के हृदय में स्थित सुप्त स्थायी भाव विभावादिकों को ग्रहण करके रसानुभूति से सिक्त हो जाते हैं। सहृदय और कवि के बीच तादात्म्य स्थापित हो जाता है जब सहृदय काव्य का पठन या श्रवण करता है उस काव्य में निहित भाव उसे कवि के भावों से तादात्म्य स्थापित करने में सहायक बनते हैं। कवि के भावों से तादात्म्य स्थापित होते ही काव्य के भावों का असाधारणत्व साधारण होने लगता है। साधारणीकरण की इस प्रक्रिया से रस निष्पत्ति होती है और सहृदय काव्यानंद में डूबता हुआ ब्रह्मानंद की ओर बढ़ने लगता है। रस सिद्धांत सदैव प्रासंगिक रहा है। रस परंपरा ऋग्वेद से अद्यतन निरंतर है। जब तक जीवन है, साहित्य है तो रस है। रस है - तभी जीवन है। यही चक्र शाश्वत है।

2.6.2 रस दोष

आचार्य मम्मट ने तेरह प्रकार के रस-दोष माने हैं।

व्यभिचारिरसस्थायिभावनां शब्दवायता।
कष्टकल्पनाया व्याक्तिरनुभावविभावयोः॥
प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः।
अकाण्डे प्रथनच्छेदौ अङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः॥

अङ्गिनोऽनुसन्धानं प्रकृतीता विपर्ययः। अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदृशाः॥

टिप्पणी

1. व्यभिचारी भाव (क्रीडा, करुणा, ईर्ष्या) आदि की स्वशब्द-वाच्यता।
2. रस (शृंगारादि) की स्वशब्द-वाच्यता।
3. स्थायी भाव (रति, उत्साहादि) की स्वशब्द-वाच्यता।
4. अनुभावों की क्लिष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति।
5. विभावों की क्लिष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति।
6. प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण।
7. रस की पुनः-पुनः दीप्ति (वर्णन)
8. अकाण्ड (अनवसर) में रस का प्रथम (विस्तार)
9. अकाण्ड (अनवसर) में रस-विच्छेद।
10. अंग (अप्रधान गौण पात्र या रस) का अधिक विस्तार वर्णन।
11. अंगी का अनुसन्धान (अर्थात् प्रधानभूत नायक आदि का विस्मरण)
12. प्रकृतियों (पात्रों) का विपर्यय।
13. अनंग (प्रधान रस के अनुपकारक) का वर्णन।

रस दोषों के क्रमशः उदाहरण-

1. व्यभिचारी भाव की स्वशब्द-वाच्यता-

जहां व्यभिचारी भावों का उसके वाचक शब्दों द्वारा कथन किया जाता है, वहां व्यभिचारी भाव की स्वशब्द-वाच्यता नामक दोष होता है। जैसे-

सत्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्मांम्बरे
सत्रासा भुजगे साविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि।
सेर्ष्या जह्नुसुतावलोकनविधौ दीना कपालोदरे
पार्वत्या नवसङ्गमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायाऽस्तु वः॥

नये मिलन के समय प्रीतिमयी भगवती पार्वती की वह दृष्टि आप लोगों के कल्याण के लिये हो, कल्याणकारी (शिवाय) हो। जो प्रिय के प्रति लज्जामयी, उनके हस्ति चर्ममय परिधान के प्रति करुणामयी, सर्प के प्रति भयसहित, माथे पर स्थित अमृत-वर्षा करने वाले चन्द्रमा के प्रति विस्मय रस से युक्त, जह्नु-पुत्री गंगा के दर्शन से ईर्ष्या-युक्त तथा कपाल से युक्त शिव के उदर के प्रति दैन्य से भरी थी।

प्रस्तुत श्लोक में व्रीडा, करुण, क्रास, विस्मय, ईर्ष्या तथा दैन्य आदि व्यभिचारी भावों का अपने वाचक शब्दों द्वारा कथन होने से व्यभिचारी भावों की स्वशब्द वाच्यता दोष है। इसलिए यहां आस्वाद की अनुपस्थिति ही दूषकता का बीज है।

2. (क) रस का स्वशब्द से कथन

जहां 'रस' का अथवा रस के वाचक 'शृंगारादि' का अपने वाचक शब्द से कथन किया जाता है, वहां रस का स्वशब्दवाच्यता नामक दोष होता है। यथा-

टिप्पणी

तामनूङ्गजयमृङ्गलश्रियं किञ्चिच्चभुजमूललोकिताम्।

नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः॥

काम से सम्बन्धी विजय की मृङ्गल लक्ष्मी रूप, कुछ ऊँची भुजाओं के मूल प्रान्त में दिखाई देने वाली उस नायिका को आँखों के सम्मुख देखने पर इस नायक के हृदय में निरन्तर अनिर्वचनीय शृंगार रस का आविर्भाव हुआ। उस मृगनयनी को देखकर कोई अपूर्व रस उत्पन्न हुआ। यहां 'रस' का अपने वाचक शब्द 'रस' द्वारा कथन है। अतः स्वशब्द-वाच्यता दोष है।

(ख) रस के वाचक शृंगारादि का स्वशब्द से कथन-

चन्द्रमण्डलमालोक्य शृंगारे मग्नमन्तरम्।

चन्द्रमण्डल को देखकर हृदय शृंगार में डूब गया। प्रस्तुत गद्य में रस के वाचक शृंगार का अपने वाचक शब्द 'शृंगार' द्वारा कथन है। अतः यह भी स्वशब्द-वाच्यता दोष है।

3. स्थायी भाव का स्वशब्द से कथन-

सम्प्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम्।

उणत्कारैः श्रुतिगतैरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्॥

युद्ध में शस्त्रों द्वारा किये जाने वाले प्रहारों के ठन-ठन शब्द से उस स्वाभाविक वीर पुरुष के हृदय में कोई अनिर्वचनीय उत्साह हुआ। इस श्लोक में वीर रस के स्थायी भाव 'उत्साह' का अपने वाचक शब्द 'उत्साह' द्वारा कथन है।

4. अनुभाव की कष्ट कल्पना का उदाहरण-

कर्पूर धूलिधवलद्युतिपूरधौत

विङ्मण्डले शिशिरोचिषि तस्य यूनः।

लीला-शिरोऽशुक-निवेश-विशेष-क्लृप्ति

व्यक्तस्तनोन्तिरभूनयनावनौ सा॥

चन्द्रमा के द्वारा कर्पूर की धूलि के समान उज्ज्वल तथा दिग् मण्डल को निर्मल बना देने वाले चन्द्रमा के उदित होने पर, लीलापूर्वक सिर पर पल्ला डालने के विशेष ढंग से अपने स्तनों की उन्नति को व्यक्त करने वाली वह नवयौवना उस युवक को दिखाई दी।

यहां पर शृंगार रस के उद्दीपन विभाव चन्द्रमा और आलम्बन विभाव नायिका का तो वर्णन है, परन्तु नायक में उत्पन्न अनुभावों का वर्णन नहीं है। लेकिन इस उद्दीपन की अवस्था में नायिका को देखकर नायक में स्वेद, रोमांच आदि अनुभाव उत्पन्न हुए होंगे, (जिनका वर्णन नहीं है) वे कठिन कल्पना से ही जाने जाते हैं।

5. विभाव की कष्ट कल्पना का उदाहरण-

परिहरति रतिं मतिं लुनीते स्खलति भृशं परिवर्तते च भूयः।

इति बत विषमा दशाऽस्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कुर्मः॥

इस नाटक में नायक (कामिनी के वियोग में) सभी वस्तुओं से अपनी प्रीति (रति) को हटा रहा है। (परिहरति)। वस्तु-पहचानने की शक्ति को खो रहा है। बार-बार गिरता है और बार बार जमीन पर लोट-पोट होता है। खेद है कि इस प्रकार विषम विरह की अवस्था इसके

शरीर को बरबस अभिभूत कर रही है। (अर्थात् बहुत अधिक विस्मृति उत्पन्न कर रही है तथा हर क्षण लगातार परिवर्तित सी होती जा रही है।) यहां पर वर्णित बेचैनी का होना, बुद्धि का नष्ट होना, बार-बार गिरना, लोट-पोट होना आदि अनुभाव न केवल शृंगार रस में अपितु भयानक एवं वीभत्स रस में भी सम्भव है।

अतः कामिनीरूप विभाव की प्रतीति कठिनता से होती है। यही विभाव की कष्ट कल्पना है।

6. प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण-

प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुवं संत्यज रुषं!

प्रिये! शुष्यन्तृङ्गान्यमृतमिव ते सिञ्चत वचः।

निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं न मुग्धे!

प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः॥

हे प्रिय प्रसन्नता को धारण करो, हर्ष को प्रकट करो और क्रोध को समाप्त करो, अमृत के समान तुम्हारे वचन मेरे अंग-प्रत्यंगों को शक्ति दें। जो सुखों के उत्पत्ति स्थान हैं अर्थात् अपने मुख को क्षण भर के लिए मेरे सामने करो। अरी विवेक शून्य भोली स्त्री! बीता हुआ समय रूप हरिण फिर लौटाया नहीं जा सकता। 'मान मा वुरू तन्यङ्गी!'

हे कृशोदरि! यौवन को अस्थिर जानकर मान छोड़ दे। यहां पर शृंगार रस के प्रतिकूल शान्त रस के विभाव के वर्णन से निर्वेद रूप व्यभिचारी भाव का प्रतिपादन किया गया है। अतः प्रकृत शृंगार रस के प्रतिकूल और शान्त रस के अनुकूल 'अस्थिरतारूप' विभाव तथा 'निर्वेदरूप' व्यभिचारी भाव का ग्रहण रस-दोष है।

7. रस की पुनः-पुनः दीप्ति-

दीप्तिः पुनः पुनर्यथा कुमारसम्भवे रतिविलापे।

अपनी सामग्री से परिपुष्ट हुई रस-धारा का ज्ञेयान्तर के सम्बन्ध से बीच-बीच में विच्छेद कर उसे पुनः-पुनः दीप्त करना भी एक प्रकार का रस दोष है। इस दोष का अर्थ है कि रस का पूर्ण परिपाक हो जाने पर भी फिर उसका वर्णन करना जैसे-कुमारसम्भव में कामदेव के भस्म हो जाने पर रति के विलाप का वर्णन बार-बार किया गया है।

8. अकाण्ड (अनवसर) में रस का प्रथम विस्तार-

अकाण्डे प्रथमं यथा-वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्केऽनेकवीरक्षये प्रवृत्ते

भानुमत्या सह दुर्योधनस्य शृङ्गारवर्णनम्।

अनवसर पर रस का विस्तार के साथ वर्णन भी दोष रूप ही है। जैसे वेणीसंहार नाटक में भीष्मादि अनेक वीरों के विनाश का प्रसंग उपस्थित होने पर भानुमती के साथ दुर्योधन का शृंगार-वर्णन अनुचित होने से दोष है।

9. अकाण्ड में रस का विच्छेद भंग-

अकाण्डे छेदो यथा वीरचरिते द्वितीयेऽङ्के राघवमार्गवयोर्धारा

धिरूढे वीररसे 'कङ्कणमोचनाय गच्छामि' इति राघवस्योक्तौ।

जैसे 'महावीर चरित' नाटक के द्वितीय अंग में राम तथा परशुराम के एक दूसरे के रसों के संवाद में वीर रस के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने पर 'कङ्कणमोचनाय गच्छानि' कंकण खोलने के लिए जा रहा हूँ। विवाह के दसवें दिन कंकणमोचन क्रिया की अनवसर उपस्थिति से यहाँ रसभंग हुआ।

रामचन्द्र का यह कथन सहृदयों की रसानुभूति में बाधक होने से दोष हो जाता है।

10. अंग (अप्रधान पात्र या रस) का विस्तार से वर्णन-

अङ्गस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वर्णनम्। यथा ह्यग्रीववधे इयग्रीवस्य।

अंग का या अप्रधान प्रतिनायक आदि का वर्णन किया जाना भी दोष है जैसे 'हयग्रीव वध' नाटक में नायक विष्णु की अपेक्षा अप्रधान प्रतिनायक 'हयग्रीव' की जल-क्रीड़ा एवं वन-विहार आदि क्रीड़ाओं का विस्तार से वर्णन दोष है। इसी प्रकार से महाकवि भारवि-विरचित वीर रस प्रधान 'किरातार्जुनीयम्' महाकाव्य के आठवें सर्ग में अप्सराओं की शृंगार-परक विलास-क्रीड़ाओं का विस्तृत वर्णन दोषपूर्ण है।

11. अंगी का अनुसन्धान (अर्थात् प्रधानभूत नायक आदि का विस्मरण)-

अङ्गिनोऽननुसंधानम्। यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्के बाभ्रव्या-
गमने सागरिकाया विस्मृतिः।

जैसे 'रत्नावली' नाटिका के चतुर्थ अंक में बाभ्रव्य के आने पर राजा उदयन अवान्तर विषयों में प्रधान नायिका को भूल जाते हैं। काव्य के प्रधान नायक या नायिका का अनुसन्धान न करना अर्थात् भूल जाना भी काव्य का दोष ही है।

प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्या, वीररौद्रशृङ्गारशान्त रसप्रधाना
धीरोदात्त-धीरोद्धत-धीरललित-धीरप्रशान्ताः, उत्तमाधममध्य माश्च।

12. प्रकृति का विपर्यय-

जिस प्रकार की प्रकृति के लिए जो वर्णन अनुचित हो, उसका वहाँ प्रकृति-विपर्यय नामक रस-दोष है। इस प्रकृति विपर्यय दोष को बताने के लिए उसकी प्रतियोगी रूप प्रकृतियों को बताने हैं।

13. अनंग (प्रधान रस के अनुपारक का वर्णन)-

अनङ्गस्य रसानुपकारकस्य वर्णनम्। यथा-कर्पूरमञ्जरी नायिकया
स्वात्मना च कृतं वसन्तवर्णनमनादृ बन्दिवाणिर्तस्य राज्ञा प्रशंसनम्।

रस के अनुपकारक अनंग का वर्णन जैसे 'कर्पूरमञ्जरी' नाटिका में नायिका विभ्रमलेखी और अपने द्वारा वर्णित वसन्त की उपेक्षा करके चारणों द्वारा वर्णित वसन्त शोभा की राजा (चण्डपाल) द्वारा करना। किन्तु इस प्रकार के वर्णन से नाटिका के प्रधान रस शृंगार की अभिव्यक्ति में कोई सहायता नहीं मिलती।

आचार्य मम्मट ने-'रसे दोषाः स्युरीदृशाः' कहकर इस बात की ओर संकेत दिया है कि सुरत-क्रीड़ा में नायिका के पाद-प्रहार आदि से नायक के कोपादि का वर्णन भी रसदोष है।

अतः स्पष्ट है कि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य-लक्षण में 'अदोषौ' पदों का सन्निवेश कर उसे पूर्णता प्रदान की है।

2.7 सारांश

रस परंपरा का प्रामाणिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को माना जाता है जिसे पांचवां वेद भी स्वीकार किया गया है। इसके प्रणेता आचार्य भरतमुनि रस की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले प्रथम आचार्य माने गए हैं यद्यपि इनसे पूर्व रस की चर्चा करने के संबंध में आचार्य नदिकेश्वर एवं उनके ग्रंथ अभिनव दर्पण का उल्लेख किया जाता है किन्तु इसके अप्रामाणिक एवं अप्राप्य होने के कारण भरत का 'नाट्यशास्त्र' ही रस संबंधी प्रथम ग्रंथ ठहरता है।

आचार्य भरतमुनि के रस सूत्र-'विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' की चार टीकाकारों ने अपने-अपने तरीके से व्याख्या की। भट्टलोल्लट ने 'निष्पत्ति' शब्द को 'उत्पत्ति' के अर्थ में लेते हुए 'उत्पत्तिवाद' की प्रतिष्ठा की, वहीं शंकुक ने रस को अनुमान का विषय बताते हुए 'निष्पत्ति' का अर्थ अनुमिति के रूप में लिया और 'अनुमितिवाद' की स्थापना की।

पंडितराज जगन्नाथ तक रसवादी आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा दृष्टिगोचर होती है। पंडितराज जगन्नाथ लिखते हैं-'एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परम रमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदभिधीयते।' इस रस का एक रूप भक्ति रस के रूप में हमें रूप गोस्वामी की 'उज्ज्वल नीलमणि' में मिलता है। इसमें भक्ति के पांच प्रकार-शांत, हास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य माने गए हैं। ये सभी भाव कृष्ण को समर्पित हैं। माधुर्य भाव को भक्ति रसरत्न कहते हैं।

रसों की संख्या दस हैं-शृंगार, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक, वीभत्स, करुण, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। 'भक्ति रस' को ग्यारहवें रस के रूप में देखा जाता है।

भरत के रससूत्र में आए 'निष्पत्ति' शब्द को 'उत्पत्ति' के अर्थ में लेते हुए उत्पत्तिवादी भट्टलोल्लट ने उत्पत्तिवाद की प्रतिष्ठा की। इनका मानना है कि नाटक में रस मुख्यतः नायक-नायिका में ही उत्पन्न होता है परंतु उनका अभिनय द्वारा अनुकरण करने वाले नटों में उस रस की प्रतीति होती है। इस रस की उत्पत्ति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों के संयोग से होती है। विभाव के द्वारा रस उत्पन्न होता है। अनुभाव के द्वारा रस की प्रतीति होती है और संचारी भाव द्वारा रस की पुष्टि होती है।

सामाजिकों के हृदयों में वासना रूप से स्थित स्थायी भाव काव्य में वर्णित विभावादि के कारण उद्बुद्ध होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। इसके लिए भट्टनायक ने तीन स्थितियों का विवेचन किया-(1) अभिधा, (2) भावकत्व और (3) भोजकत्व। काव्य में सदैव असाधारण या विशेष का ही प्रतिपादन किया जाता है। काव्य का वह विशेष जब साधारण या सामान्य रूप में प्रतिभाषित होने लगता है, तब वह स्थिति साधारणीकरण की स्थिति कहलाती है।

संचारी भाव ऐसे मनोवेग या शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो स्थायी भावों की पुष्टि के लिए संचरणशील होते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक रसों की पुष्टि के लिए प्रकट हो जाता है इसलिए संचरणशील होने के कारण संचारी और एक ही भाव से इनका निश्चित संबंध न होने के कारण इन्हें व्यभिचारी नाम दिया गया।

अपनी प्रगति जाँचिए

13. रस के प्रमुख अवयव कितने हैं?
14. स्थायी भाव की जागृति में सहायक बनने वाला कारक क्या कहलाता है?
15. सही-गलत बताइए-
(क) अनुभाव, स्थायी भाव एवं विभाव के आश्रयगत नहीं होते।
(ख) संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है।

'सहृदय' का प्रथम प्रयोग संभवतः अथर्ववेद में मिलता है। 'अथर्ववेद' में इस शब्द की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। भरतमुनि ने 'रस' को 'अथर्ववेद' से ही लिया। आयुर्वेद उसका उपवेद है और उसमें भी अपने तरीके से 'रस' भाव का विवेचन है। भवभूति आयुर्वेद का आधार लेकर ही राम के करुण रस को 'पुटपाकप्रतीकाश' कहते हैं तथा क्षेमेंद्र रसायनतंत्र को संदर्भित करते हुए 'औचित्य रस-सिद्धस्य' कहते हैं। इसलिए अथर्ववेद में प्रयुक्त 'सहृदय' को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें 'सहृदयं सामनस्यमद्विषं कृणोमिवः' पंक्ति मिलती है जिसमें 'सहृदय' का अर्थ 'समान हृदय' है।

'सहृदय' बाह्य सौंदर्य पर नहीं टिकता, वह अंतर्मन का भेदन करता हुआ समभाव पर पहुंचता है। रचना को नहीं रचना के कारण को भी लक्ष्य बनाता है। आत्मप्रकाश से भर उठने वाले हृदय की रचनात्मक सौंदर्य के प्रति दृष्टि गहन होती है। इसलिए आचार्यों ने हृदय को 'विमर्श' भी कहा है। विमर्श या हृदय जो सूखे झुर्रीदार मुख के पीछे छिपी तपस्या के सौंदर्य को अनुभूत कर जगमगा उठता हो उसे रचनात्मक सौंदर्य के नाम से जाना जा सकता है। ऐसा हृदय ही 'सहृदय' हो सकता है। ऐसे हृदय को धारण करने वाला पात्र 'सहृदय' हो सकता है।

2.8 मुख्य शब्दावली

- सृजन : रचना।
- सर्जक : रचनाकार।
- ध्यानस्थ : ध्यान में स्थित।
- नियंता : नियंत्रक।
- औषधि : दवा।
- निष्पत्ति : उत्पत्ति।
- काव्यात्मा : कविता की आत्मा।
- बिखेरना : फैलाना।
- निर्विवाद : बिना विवाद के।
- रसानुभूति : आनंद का अनुभव।
- दृष्टिगोचर : दिखाई देना।
- अनिवार्य : आवश्यक।
- स्वप्रकाशानंद : अपने प्रकाश से आनंदित।
- तिरोहित : समाप्त।
- ऐंद्रिय : इंद्रियों से संबंधित।
- परिधि : सीमा।
- समूल : जड़ से।

- नैसर्गिक : प्राकृतिक।
- उक्ति : कथन।
- चेष्टा : प्रयास।
- व्याधि : रोग।
- विषाद : कष्ट।
- प्रतिस्पर्धा : प्रतियोगिता।

2.9 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. अलग-अलग अर्थ में
2. नौ
3. (क) गलत, (ख) सही
4. रस की भावभूमि पर
5. नाट्यशास्त्र को
6. (क) सही, (ग) गलत
7. आठ
8. संयोग शृंगार एवं वियोग शृंगार
9. (क) सही, (ख) गलत
10. रस निष्पत्ति
11. तीन रूपों की (अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व)
12. (क) सही, (ख) गलत
13. तीन (विभाव, अनुभाव, संचारी भाव)
14. उद्दीपन
15. (क) गलत, (ख) सही

2.10 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु-उत्तरीय प्रश्न

1. नाट्यशास्त्र में विभाव, अनुभाव आदि का विवेचन करते हुए भरतमुनि ने क्या कहा है?
2. रस के अलौकिकत्व से क्या आशय है?
3. पंडितराज जगन्नाथ द्वारा मान्य आनंद की कोटियां क्या हैं?
4. रसों का नामोल्लेख कीजिए।

5. साधारणीकरण क्या है?
6. संचारी भावों का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न

1. रस की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए इसकी महत्ता बताइए।
2. रस की विभिन्न परिभाषाओं की विवेचना कीजिए।
3. रस के स्वरूप को व्याख्यायित कीजिए।
4. सभी रसों का सामान्य परिचय दीजिए।
5. रस निष्पत्ति कैसे होती है? साधारणीकरण से यह कैसे संबंधित है?
6. रस के अवयवों का परिचयात्मक उल्लेख कीजिए।

2.11 आप ये भी पढ़ सकते हैं

1. डॉ. भगीरथ मिश्र, काव्यशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर-1957
2. डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल, हिन्दी साहित्य में विविध वाद, पद्मजा प्रकाशन कानपुर 2010-वि.सं.
3. डॉ. वेंकट शर्मा, भूमिका नगेंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य में समालोचना का विकास, आत्माराम एंड संस दिल्ली-1967
4. डॉ. जगदीश प्रसाद कौशिक, काव्य दर्पण, साहित्यागार, जयपुर-1988
5. डॉ. जगदीश प्रसाद कौशिक, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिमान, साहित्यागार जयपुर-1988
6. सत्यदेव मिश्र, पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धांत और वाद, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, 1975
7. डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी, सहृदय और साधारणीकरण, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, 1984
8. डॉ. लक्ष्मी पांडेय, अधुनातन काव्यशास्त्री : आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी, उर्मिल प्रकाशन, गाजियाबाद।

इकाई 3 काव्यशास्त्र : छन्द और अलंकार

इकाई की रूपरेखा

- 3.0 परिचय
- 3.1 इकाई के उद्देश्य
- 3.2 छन्द
- 3.2.1 छन्द की अवधारणा
- 3.2.2 छन्द के अवयव एवं मात्रा की स्थिति
- 3.2.3 कविता में छन्द का स्थान
- 3.2.4 दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, रोला, बरवै, कुण्डलिया तथा सबैया छन्दों के लक्षण और उदाहरण
- 3.3 अलंकार
- 3.3.1 अलंकार की अवधारणा
- 3.3.2 अलंकारों का काव्य में स्थान
- 3.3.3 शब्दालंकार एवं अर्थालंकार
- 3.3.4 अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा संदेह अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण
- 3.4 सारांश
- 3.5 मुख्य शब्दावली
- 3.6 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर
- 3.7 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 3.8 आप ये भी पढ़ सकते हैं

3.0 परिचय

काव्य और छन्द का अटूट संबंध है। विश्व काव्य साहित्य आदिकाल से ही छन्दोबद्ध रूप में रचा गया है। छन्दों का आधार संगीत है। विभिन्न छन्दों का निर्माण संगीत-शास्त्र के आधार पर ही हुआ है। प्राचीन काल से आधुनिक युग के पूर्व तक काव्य में छन्दों की अनिवार्यता का सिद्धांत मान्य रहा है। वैदिक साहित्य से ही स्पष्ट विदित होता है कि शास्त्र-बद्ध छन्दों के अतिरिक्त कहीं-कहीं शास्त्र मुक्त छन्दों का भी प्रयोग होता था पर वह (शास्त्र-मुक्त) छन्द भी होता छन्द ही था जिसमें स्वर, लय का एक व्यवस्थित क्रम संगीतात्मकता उत्पन्न करता था। आधुनिक युग में जो स्वच्छन्द छन्द की बात निराला ने संभवतः अंग्रेजी या बांग्ला के प्रभाव से हिंदी में की थी, वह कोई नई बात नहीं थी। निराला ने केवल नियम बंधन का विरोध किया था, छन्द का नहीं अर्थात् निराला ने कविता करते समय मात्राओं या अक्षरों की निश्चित गणना से युक्त नियमबद्ध छन्दों के प्रतिबंध का विरोध किया था, भाषा के निश्चित प्रवाह का नहीं; जो अंततः छन्द ही होता है, चाहे उसका पूर्वनामकरण न हुआ हो।

भारतीय काव्यशास्त्र में प्रारंभ से ही छन्द को अनिवार्य मानने की परंपरा मौजूद रही है। भारतीय मनीषी चारक ने छन्दों की परिभाषा देते हुए कहा है कि ये भावों को आच्छादित कर उन्हें समष्टि रूप प्रदान करते हैं। कविता में छन्दों के प्रयोग से संगीतात्मकता आ जाती है और संगीत के समावेश से कविता का प्रभाव और महत्व बढ़ जाता है।

वैदिक काल में जिन छन्दों का सर्वाधिक प्रयोग होता था उनमें गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहती, पंक्ति, जगती आदि छन्द प्रमुख हैं। इन छन्दों की गति स्वरों के आरोहावरोह पर आधारित थी। आगे चलकर प्राकृत-अपभ्रंश काल में मात्रिक छन्दों का विकास हुआ, जैसे-छप्पय, कुंडलिया, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला आदि। आधुनिक काल में हिन्दी छन्द-परंपरा ने नया मोड़ लिया तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, रूपनारायण पांडेय आदि कवियों ने संस्कृत के वर्ण छन्दों की रचना की। किन्तु हिन्दी की आश्लिष्ट प्रकृति के प्रतिकूल होने के कारण आज छन्दों के प्रयोग में काफी कमी आई है।

इस इकाई में हम काव्यशास्त्र के दो सिद्धांत छन्द एवं अलंकार का अध्ययन करेंगे।

3.1 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- छन्द की अवधारणा, अवयव एवं मात्रागत स्थिति को समझ पाएंगे;
- कविता में छन्द का स्थान स्पष्ट कर पाएंगे;
- प्रमुख छन्दों को सोदाहरण रेखांकित कर पाएंगे;
- अलंकार की अवधारणा एवं काव्य में स्थान का उल्लेख कर पाएंगे;
- शब्द एवं अर्थालंकार को समझ पाएंगे;
- प्रमुख अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण की विवेचना कर पाएंगे।

3.2 छन्द

गद्य का नियामक व्याकरण है और पद्य का छन्द शास्त्र। हिन्दी साहित्य की पारंपरिक रचनाएं छन्दबद्ध ही हुआ करती थीं, यानी किसी न किसी छन्द में रची जाती थीं। विश्व की अन्य भाषाओं में भी यही दर्शनीय तथ्य है। आज छन्दमुक्त रचनाएं भी की जा रही हैं।

3.2.1 छन्द की अवधारणा

छन्द भारतीय आर्य भाषा परिवार की उतनी ही प्राचीन परंपरा है जितनी ज्ञान की अन्य शाखाएं हैं। भारत के प्राचीनतम लिपिबद्ध आलेख वेद हैं और वेदों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांगों का अध्ययन अनिवार्य है, ऐसा प्राचीन मनीषी कहते हैं। वेदांगों की संख्या छह है- (1) शिक्षा, (2) कल्प, (3) ज्योतिष, (4) व्याकरण, (5) निरुक्त और (6) छन्द। यजुर्वेद को छोड़कर शेष तीनों संहिताओं में छन्दों का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद गद्य में लिखित है। वेदों में मुख्यतः सात छन्दों के प्रयोग किए गए हैं- (1) गायत्री, (2) उष्णिक, (3) अनुष्टुप, (4) बृहती, (5) पंक्ति, (6) त्रिष्टुप और (7) जगती।

सर्वप्रथम यास्क ने 'छन्द' की व्युत्पत्तिपरक व्याख्या की है। आपके अनुसार, 'छन्दोसि धारणात्' अर्थात् छन्द भावों को आच्छादित कर उन्हें समष्टि रूप प्रदान करते हैं। 'छन्द' शब्द छान्दार्थक 'छद्' धातु से बना है। इसके पश्चात् कात्यायन ने छन्द की परिभाषा करते हुए लिखा है कि 'यदक्षर परिमाणं तच्छन्दः' अर्थात् जिसमें अक्षरों के परिमाण या संख्या में वर्णों

की संख्या निहित होती है, वह छन्द कहलाता है। अर्थात् प्रत्येक छन्द में वर्णों की संख्या निर्धारित रहती है। इसके पश्चात् छन्द एक निश्चित परिभाषा में आबद्ध कर दिया गया कि 'छन्द' काव्य के उस तत्व का नाम है जिसमें वर्णों की या मात्राओं की संख्या, 'गुरु लघु' का क्रम, यति, गति की व्यवस्था निर्धारित हो। इनके भेदोपभेदों एवं वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण आदि की व्यवस्था करने वाले शास्त्र को छन्द-शास्त्र कहा जाता है।

हिन्दी में छन्दों की नवीनता की आवश्यकता पर सर्वप्रथम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने परंपरागत मात्रिक छन्दों के साथ-साथ संस्कृत के वर्ण-वृत्तों को अपनाने की ओर ध्यान दिलाया था, जिससे अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने दिशा-संकेत पाकर संस्कृत के वर्ण वृत्तों में भी कविता आरंभ की। उन्होंने कहा था, "जो सिद्ध कवि हैं वे चाहे जिस छन्द का प्रयोग करें उनका पद्य अच्छा ही होता है, परंतु सामान्य कवियों को विषय के अनुकूल छन्द-योजना करनी चाहिए। दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पय और सवैया आदि का प्रयोग हिन्दी में बहुत हो चुका। कवियों को चाहिए कि यदि वे लिख सकते हैं तो इसके अतिरिक्त और छन्द भी लिखा करें।"

कविकर्म में कठिनाई होते हुए भी कविता में छन्द का गौण व वैकल्पिक स्थान नहीं है। द्विवेदी जी ने भी ऐसा नहीं कहा था। उनका कथन है कि किसी एक छन्द का महत्व नहीं है। प्रतिभावान कवि अपनी कवित्व-शक्ति के बल पर किसी भी छन्द में सफल रचना कर सकता है। निराला ने भी शास्त्र-बद्ध छन्दों का विरोध किया, छन्द में पूर्व सांचे का प्रतिबंध अनावश्यक माना, बंधन को अस्वीकारा, छन्द या मुक्त छन्द अर्थात् स्वतः निर्मित स्व-छन्द को; छन्द को नहीं। वास्तव में निराला का तात्पर्य यही था कि कवि की अनुभूति स्वतः अपने आप जिस प्रवाहात्मक स्वतः व्यवस्थित रूप में प्रकट हो जाती है, वह मुक्त छन्द बन जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं-

1. छन्द कविता का अनिवार्य तत्व है जिसके बिना उसका असली रूप सिद्ध नहीं होता। यह बंधन अवश्य है, पर ऐसा श्रमसाध्य बांध है जो शक्ति उपजाता है।
2. छन्दरहित पाठ्य कविता नहीं, गद्य काव्य हो सकता है- वह भी भावप्रवणता यदि हो।
3. स्वच्छन्द छन्द (निराला द्वारा प्रवर्तित) भी एक तरह का अव्यवस्थित अनिश्चित छन्द है, जो अपनी प्रवाहात्मकता के कारण अपना कुछ पाठ्य सौंदर्य प्रकट कर सकता है- यदि निराला जैसा कोई अच्छा पढ़ने वाला हो। वह संगीतात्मक नहीं, उसकी उपयोगिता कविता की अपेक्षा नाटकों में पात्रों के वार्तालाप में प्रयुक्त करने में है।
4. अपनी प्रतिभा से कवि नयी-नयी संगीतात्मक छन्द-ध्वनियां प्रकट कर सकता है। बने-बनाये सांचों को ही सामने रखना अनिवार्य नहीं। वह स्वच्छन्दता से गुणगुना कर ध्वनियों के साम्य और आरोह-अवरोह से स्वयं संगीतात्मक स्वर, लय प्रकट कर सकता है। ऐसी स्वर-लहरी स्वतः ही कोई-न-कोई छन्द बन जाती है।
5. साधने पर छन्द ऐसे सध जाते हैं कि फिर कवि के इंगितों पर नाचने लगते हैं।
6. छन्दों से कविता में संगीतात्मकता आ जाती है और संगीत के समावेश से कविता का प्रभाव और महत्व खूब बढ़ जाता है। वह मधुर तथा मनोहारी होकर अलौकिक आनंद प्रदान करती है। संगीत अपने में एक महत्वपूर्ण कला है। कविता को उसकी इस सहयोगिनी कला से वंचित करना कविता का अहित करना ही है।

संगीतात्मक छन्दों का ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है कि कभी-कभी अर्थ न समझने पर भी पाठक या श्रोता झूम उठता है और कई बार तो संगीत-ध्वनियों से ही हृदय में भाव उमड़ आता है। संगीत से एक विशेष प्रकार का विलक्षण चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। हम रोज ही कवि सम्मेलनों में देखते हैं कि जो कवि अपनी रचना गाकर 'तरन्नुम' में सुनाता है, उसका प्रभाव श्रोताओं पर अधिक पड़ता है, चाहे उसमें भाव-रस-संपदा अपेक्षाकृत कम हो। इसके विपरीत छन्द और गेयतारहित कविता को पढ़कर सुनाने वाला कवि मंच पर कम जम पाता है। अतः गेय और संगीतमय होने से कविता की प्रभावशक्ति खूब बढ़ जाती है। इसलिए छन्द को कविता का अनिवार्य तत्व मानना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि रसानुभूति करना कविता का लक्ष्य होने के कारण लय और छन्द से उसका अटूट संबंध है।

3.2.2 छन्द के अवयव एवं मात्रा की स्थिति

छन्द वह सांचा या बंध है जिसमें मात्राओं या अक्षरों (स्वर-ध्वनियों) के क्रम, गति और यति के नियम तथा चरणान्त की समता का ऐसा विधान होता है जिससे कविता में प्रवाह, लय, गेयता और संगीतात्मकता आ जाती है।

गण

तीन वर्णों के समूह को 'गण' कहते हैं। इन तीन वर्णों में दो एक जाति के और एक एक जाति का होता है। केवल दो गण ऐसे हैं जिनमें एक जाति के ही तीनों वर्ण होते हैं। यहां पर जाति से तात्पर्य लघु एवं गुरु वर्णों से है। इस आधार पर संस्कृत आचार्यों ने समस्त वाङ्मय को आठ गणों में समेट लिया है। गणों का अधिक प्रयोग वर्णिक छन्दों में ही किया जाता है। कुछ मात्रिक छन्द भी ऐसे हैं जिनमें आचार्यों ने गण विशेष का संकेत दिया है जिनका ज्ञान यथास्थान हो जाएगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इन गणों की कुल संख्या आठ निर्धारित की गई है— (1) भगण, (2) जगण, (3) सगण, (4) यगण, (5) रगण, (6) तगण, (7) मगण, (8) नगण।

क्रम गुरु और लघु के आधार पर रखा गया है। इसी आधार पर हम इनके तीन वर्ग बना सकते हैं— (1) भजसा, (2) यरता और (3) मन।

उपर्युक्त वर्गों में प्रथम दो वर्गों में तीन गण तथा अंतिम वर्ग में दो गण रखने के आधार हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि प्रत्येक गण में तीन वर्ण होते हैं, अतः इनका क्रम होगा— (1) आदि, (2) मध्य और (3) अंत।

यह भी कहा गया है कि प्रत्येक गण में दो वर्ण उस एक जाति के वर्ण को आधार बनाकर बनाए गए हैं। एक वर्ण में तीन गण इसलिए रखे गए हैं कि वह एक वर्ण उस गण विशेष में या तो आदि में होगा या मध्य में या फिर अंत में होगा।

इस आधार पर एक वर्ग में तीन गण रख लिए, उसी क्रम से जिस क्रम से उस एक जाति के वर्ण का सन्निवेश होगा। तीसरे वर्ग का आधार है वर्ण की संपूर्णता अर्थात् इनमें तीनों ही वर्ण एक जाति के होंगे। जाति दो ही हैं— गुरु एवं लघु। अतः पहले में तीनों वर्ण गुरु अर्थात् भगण और दूसरे में तीनों लघु अर्थात् नगण। गुरु बढ़ा होता है अतः पहले गुरु को ही लेते हैं— (1) पहले वर्ग में तीन गण हैं— भगण, जगण और सगण। इनका संक्षिप्त रूप हुआ

'भजसा'। आधार है 'गुरु वर्ण' आदि, मध्य और अंत के रूप में। 'भजसा' में पहला वर्ण 'भ' है। अतः सिद्ध हुआ कि भगण में पहला वर्ण गुरु होगा और शेष दो वर्ण लघु होंगे; यथा— 'SII' यह भगण का रूप हुआ।

'जगण' 'भजसा' शब्द के मध्य में 'ज' रूप में वर्तमान है। अतः स्पष्ट है कि 'जगण' के मध्य में गुरु वर्ण आएगा तथा आदि और अंत में एक-एक लघु वर्ण आएंगे और रूप होगा— 'ISI'

'भजसा' शब्द के अंत में 'स' वर्ण आया है जो सगण का द्योतक है। यह अंत में है। अतः इस गण के अंत में गुरु वर्ण आएगा और आदि तथा मध्य के दोनों वर्ण लघु होंगे। रूप होगा— 'IIS'

गुरु का कार्य पूर्ण हुआ। अब इसी प्रकार लघु वर्ण वाले वर्ग को लेते हैं— लघु वर्ण वाले वर्ग का नाम है— 'यरता'। यह शब्द 'यगण', 'रगण' और 'तगण' शब्दों का संक्षिप्त रूप है। लघु के उसी क्रम आदि, मध्य और अंत में इन गणों की भी व्याख्या की जा सकती है। 'यरता' शब्द के आदि में 'य' वर्ण है जो 'यगण' का प्रतिनिधि है और लघु वाले वर्ग का है तथा वर्ग के आदि में है। अतः 'यगण' का आदि वर्ण 'लघु' होगा और शेष दो वर्ण गुरु होंगे जो मध्य और अंत में होंगे। अतः यगण का रूप होगा— 'ISS'

'रगण' 'यरता' शब्द के मध्य में आए 'र' से सूचित है, लघु वर्ण के वर्ग में है। अतः स्पष्ट है कि 'रगण' में मध्य में लघु आएगा और शेष आदि और अंत में एक-एक गुरु वर्ण आएंगे। इस प्रकार रगण का रूप होगा— 'SIS'

'तगण' को द्योतित कराने वाला 'त' वर्ण 'यरता' शब्द के अंत में आया है। अतः लघु वर्ग का होने के कारण तगण के अंत में 'लघु' वर्ण आएगा और आदि तथा मध्य में एक-एक गुरु वर्ण आएगा। इस प्रकार तगण का रूप होगा— 'SSI'

मगण और नगण के संबंध में संकेत दिया जा चुका है। ये तीसरे वर्ग के गण हैं जो क्रमशः 'गुरु और लघु' से संबद्ध हैं। अतः गुरु के पहले आने से 'मन' के पहले वर्ण 'म' में जो 'मगण' का प्रतिनिधि है, तीनों गुरु वर्ण होंगे। 'लघु' गुरु से छोटा है। अतः बाद में आएगा। 'मन' वर्ग में 'न' बाद में आया है और यह 'नगण' का प्रतिनिधि है। अतः स्पष्ट है कि 'नगण' में तीनों वर्ण लघु होंगे। इस प्रकार इनका रूप होगा मगण— 'SSS' और नगण 'III' समस्त गणों के रूप एक साथ इस प्रकार होंगे—

यगण	—	ISS
मगण	—	SSS
तगण	—	SSI
रगण	—	SIS
जगण	—	ISI
भगण	—	SII
नगण	—	III
सगण	—	IIS

उपर्युक्त विधि संस्कृत भाषा में लिखित श्रुतबोध ग्रंथ के आधार पर प्रतिपादित की गई है। श्रुतबोध ग्रंथ का श्लोक है—

आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम्।
यस्ता लाघवम्यान्ति, मनौ तु गुरु लाघवम्॥

कुछ विद्वान गणों को चिह्नित करने की एक विधि का भी प्रतिपादन करते हैं। इन्होंने एक ऐसा सूत्र बनाया है कि उसमें सभी गणों के संक्षिप्त नाम आ जाते हैं और आपको जिस गण को भी निकालना हो आप उस 'गण' के प्रतिनिधि वर्ण (आद्य वर्ण) से गुरु लघु लगाइए। जब तीन वर्ण पूरे हो जाएं और जो रूप सामने आए उसे ही उस गण का रूप समझ लीजिए। सूत्र इस प्रकार है—

यमाताराजभानसलगा।

1 5 5 5 1 5 1 1 1 5
य मा ता रा ज भा न स ल गा

यमाता	—	यगण	—	155
मातारा	—	मगण	—	555
ताराज	—	तगण	—	551
राजभा	—	रगण	—	515
जभान	—	जगण	—	151
भानस	—	भगण	—	511
नसल	—	नगण	—	111
सलगा	—	सगण	—	115
ल	—	लघु	—	1
गा	—	गुरु	—	5

गणों के स्वरूप को समझने की यह भी एक पद्धति है। वृत्तरत्नाकर के लेखक एवं छन्दोमन्जरी के लेखक ने श्रुतबोध की पद्धति को ही अपनाया है। गुरु एवं लघु वर्ण

मात्राओं को दृष्टि में रखकर छन्द-शास्त्री वर्ण के भार का अनुमान लगाते हैं कि किस वर्ण में कितना भार है। अधिक भार वाले वर्ण को गुरु और कम भार वाले वर्ण को 'लघु' कहा जाता है। इस आधार पर संगीत के आरोहावरोह, क्रम एवं ताल, लय की संगति बैठती है। अतः छन्द शास्त्रकारों ने इस आधार पर वर्ण को दो वर्णों में विभाजित किया है— (1) गुरु एवं (2) लघु।

(1) गुरु वर्ण

मूलतः व्याकरण में जिस वर्ण की दीर्घ संज्ञा होती है, छन्द-शास्त्र में उसे ही 'गुरु' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। सामान्यतः दो मात्राओं वाले वर्ण को गुरु कहा जाता है अर्थात् जिस

वर्ण या अक्षर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे छन्द-शास्त्र में गुरु वर्ण माना जाता है और उसे '5' (अंग्रेजी एस.) चिह्न से द्योतित कराया जाता है। निम्नांकित अन्य स्थलों पर भी लघु वर्ण को छन्द-शास्त्र में 'गुरु' वर्ण माना जाता है—

1. यदि संयुक्त व्यंजन से पहले कोई लघु वर्ण भी होगा तो वह गुरु ही माना जाएगा; यथा— 'प्रयुक्त' शब्द में आगत 'यु' वर्ण लघु है किंतु 'क्त' संयुक्त वर्ण का पूर्ववर्ती होने के कारण इसकी गुरु संज्ञा होगी।
2. अनुस्वार युक्त लघु वर्ण भी छन्द-शास्त्र के अनुसार गुरुसंज्ञक होगा; यथा— 'संसार'। इस शब्द में आद्य 'स' लघु है किंतु अनुस्वार युक्त होने के कारण इसको गुरु माना जाएगा।
3. पाद के अंतिम लघु वर्ण को यदि प्रयोजन हो तो अर्थात् छन्द सिद्धि के लिए, गुरु मान लिया जाता है। इससे कवि छन्दों-भंग दोष से बच जाता है।
4. किसी वर्ण के आगे यदि विसर्गों का प्रयोग हुआ है और वह वर्ण लघु है तो छन्द-शास्त्र में उसे भी गुरु वर्ण ही माना जाएगा; यथा— 'अतः'। इस शब्द में 'त' लघु वर्ण है किंतु इसके आगे विसर्गों के प्रयोग के कारण 'त' गुरु संज्ञक माना जाएगा।

(2) लघु वर्ण

व्याकरण में जिस वर्ण की ह्रस्व संज्ञा होती है उसे ही छन्द शास्त्र के लघुभार वाला लघु वर्ण कहा जाता है। सामान्यतः एक मात्रा वाले वर्ण की लघु संज्ञा होती है अर्थात् जिस वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है वह वर्ण छन्द-शास्त्र में लघु संज्ञक होता है। इसे खड़ी रेखा से द्योतित कराया जाता है; यथा— '।' इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी गुरु वर्ण की छन्द-शास्त्र में लघु संज्ञा हो जाती है—

1. पाद के अंतिम गुरु वर्ण को, यदि किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है तो उसे लघु माना जाना चाहिए, ऐसी शास्त्रकारों की मान्यता है।
2. यदि किसी संयुक्त वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण लघु है और पूर्व नियम के अनुसार उसकी गुरु संज्ञा हो जाती है किंतु उसका लघु रखना ही अभीष्ट है (किसी प्रयोजन विशेष के कारण) तो पूर्व नियम का उल्लंघन कर उसे लघु ही माना जा सकता है। किंतु यह सुविधा केवल चरण के प्रारंभिक वर्ण तक ही सीमित रखी गई है।

उपर्युक्त दोनों नियम संभवतः कवि को छन्दों-भंग दोष से बचाने के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। अनेक अवसर ऐसे आते हैं कि कवि किसी शब्द का साभिप्राय प्रयोग करना चाहता है किंतु छन्द नियम के कारण वह उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा हो और अन्य शब्द के प्रयोग से भाव की हानि होती हो तो कवि को यह छूट दे दी गई है। दूसरे कुछ स्थल ऐसे भी आते हैं कि संगीतात्मकता के कारण गुरु वर्ण लघु और लघु वर्ण गुरु उच्चरित होते हैं। अतः शास्त्रकारों ने निष्कर्षतः ऐसी व्यवस्था कर दी हो।

छन्द में लय एवं प्रवाह लाने के लिए कुछ वर्णों के उच्चारण के पश्चात् विश्राम की आवश्यकता पड़ती है और गायक कुछ क्षण के लिए विश्राम लेता है। छन्द शास्त्रकारों ने किस

छन्द में कहां पर विश्राम लिया जाए इसका सम्यक विधान किया है और उसे 'यति' की संज्ञा से अभिहित किया है।

यति

यति का अर्थ है विराम। किसी पद्य को पढ़ते समय या सुनते समय पाठक या श्रोता अपने कथन का सुविधापूर्वक पाठ कर सके और श्रोता उसे हृदयंगम कर कुछ स्थलों पर कुछ क्षण के लिए विराम करता है या रुकता है। उस रुकने के भाव को यति और जहां पर वह रुकता है या विश्राम करता है उस स्थल को यति स्थान कहा जाता है। पाद के अंत में और मध्य में यति आनी चाहिए। यह सामान्य नियम है किंतु ऐंसा-विशेषकर मध्य यति का-सर्वत्र नहीं होता और कुछ कारणों से संभव नहीं हो पाता। फलतः आचार्यों ने लगभग सभी छन्दों के प्रत्येक चरण में यति स्थान नियत कर दिए हैं। ये यति स्थान संभवतः यादृच्छिक नहीं हैं अपितु प्रत्येक छन्द की संगीतात्मकता एवं आरोहावरोह क्रम को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। भरतादि कुछ आचार्य यति को मान्यता नहीं देते किंतु परवर्ती आचार्यों ने श्लोक या पद्य में विरसता से बचाव के लिए यति के महत्व को स्वीकार किया है। यति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह शब्द के मध्य में न आए। इसके लिए कवि को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कविता में पद विन्यास कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि यति पद के पूर्ण होने पर भी आनी चाहिए अन्यथा पद भंग के कारण सुनने में विरसता आ जाने का भय बना रहेगा।

छन्दोबद्ध रचना को 'पद्य' कहा जाता है। कुछ छन्दों को छोड़कर प्रत्येक शब्द में प्रायः चार चरण या पाद माने जाते हैं। अतः चारों पादों के संपूर्ण रूप को पद्य और उसके एक भाग को पाद या चरण कहा जाता है।

तुकांतता या अन्त्यानुप्रास

यद्यपि तुकांतता या तुक-साम्य छन्द का अनिवार्य तत्व नहीं है, अपितु इसका कविता में विशेष महत्व है। तुक-साम्य के पांच रूप हो सकते हैं-

1. जहां सब चरणों में तुकांतता हो, जैसे कवित्त, सवैया आदि में।
2. जहां दूसरे और चौथे चरणों के अंत में तुल-साम्य हो, जैसे दोहा, बरवै आदि में।
3. जहां पहले और तीसरे के अंत में तुक-साम्य हो, जैसे सोरठा में।
4. जहां पहले-दूसरे तथा तीसरे-चौथे की तुक अंत में मिलती हो।
5. जहां सम चरण की सम चरण से (दूसरे-चौथे की) तथा विषम की विषम से (पहले-तीसरे की) तुक मिलती हो।

तुकांतता या तुक साम्य से छन्द की गेयता और लय का गुण बढ़ जाता है। उसमें संगीत की विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। आज की अतुकांत कविता तो छन्द रहित ही बन गई है।

छन्द के भेदोपभेद एवं मात्रा विधान

छन्द-शास्त्रज्ञों ने छन्द को पहले दो वर्गों में विभाजित किया है- (1) वर्णिक, (2) मात्रिक। पुनः इनका तीन उपविभागों में विभाजन किया गया- (क) समवर्णिक छन्द, (ख) अर्धसम वर्णिक छन्द, (ग) विषम वर्णिक छन्द।

इसी प्रकार मात्रिक के भी तीन भेद होते हैं- (क) सम मात्रिक छन्द, (ख) अर्धसम मात्रिक छन्द, (ग) विषम मात्रिक छन्द।

(1) वर्णिक छन्द

वर्णिक छन्द उन छन्दों को कहा जाता है जिनमें वर्णों की संख्या निर्धारित होती है और गणों के आधार पर जिनके लक्षणों को पुष्ट किया जाता है तथा यति स्थान निर्धारित रहता है। मल्लिका, मन्दाक्रान्ता, वंशस्थ आदि वर्णिक छन्द हैं। उदाहरण-

पीछे बातें विविध करती, काँपती, कष्ट पाती।
S S S S II, I II, S S I S S I S S
म भ न त त गुरु

कुल- 17 वर्ण हैं।

उपर्युक्त पंक्ति में मन्दाक्रान्ता छन्द है। लक्षणानुसार इसमें मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और दो गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं तथा चौथे, फिर छठे और पदान्त में अर्थात् सातवें वर्ण पर यति होती है। उपर्युक्त पंक्ति में इसी क्रम से गणों की स्थापना की गई है तथा तें, ती, तथा ती वर्णों पर यति है जो पंक्ति में क्रमशः चौथे, छठे और सातवें वर्ण हैं। इसके चारों चरण बराबर हैं।

(क) समवर्णिक छन्द- जिस वर्णिक छन्द में चारों चरणों में समान वर्णों और समान क्रम से गणों की स्थापना की जाती है वहां समवर्णिक छन्द होता है अर्थात् इस प्रकार के छन्दों में पद्य के चारों चरण समान लक्षण वाले होते हैं; जैसे-

मुख - मलीन किये दुख में पगे।
I I I S I I S I I S I S
न भ भ र

कुल 12 वर्ण, चार गण हैं।

अमित मानव गोकुल ग्राम के।।

I I I S I I S I I S I I
न भ भ र

कुल 12 वर्ण, चार गण हैं।

सब सदार स बालक-बालिका।

I I I S I I S I I S I S
न भ भ र

कुल 12 वर्ण, चार गण हैं।

व्यथित से निकले निज सद्म से।

I I I S I I S I I S I S
न भ भ र

कुल 12 वर्ण, चार गण हैं।

उपर्युक्त पद्य के चारों चरणों में बारह-बारह वर्ण हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण गणों की योजना की गई है। छन्द के लक्षण के अनुसार यहाँ पर समवर्णिक द्रुतविलम्बित छन्द है।

(ख) अर्धसम वर्णिक छन्द— इस छन्द में प्रथम और तृतीय चरण तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में समान वर्णों एवं समान गणानुक्रम की योजना की जाती है अर्थात् जिस छन्द में पहले और तीसरे चरणों को समान रखा गया हो किंतु तीसरे और चौथे चरणों में परस्पर समानता रखते हुए उन्हें प्रथम और तृतीय चरण से भिन्न रखा गया हो वहाँ पर अर्धसम वर्णिक छन्द होता है। इस प्रकार के छन्दों में न तो पूर्णतया समानता होती है और न ही पूर्णतया असमानता। अतः इन्हें अर्धसम वर्णिक छन्द कहते हैं। 'अर्धसम' इसलिए कहते हैं कि विषमता की तुलना में समता का पलड़ा भारी रहता है। उदाहरण—

सुन्दर कारण जीवन का है।

भ १५॥ भ ५॥ भ ५॥ ५ ५

११ वर्ण, तीन गण, दो गुरु।

अब अकुला कर मौन हुआ था
१ १ १ १ ५ १ १ ५ १ ५ ५
न ज ज य

१२ वर्ण, चार गण।

साम्यरसा धरती पर बैठा
५ १ १ ५ १ १ ५ १ ५ ५
भ म य गु

११ वर्ण, तीन गण, दो गुरु।

मनस नदी पर द्वीप हुआ था।
१ १ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५
ज ज ज य

१२ वर्ण, चार गण।

उपर्युक्त पंक्तियों में पहली और तीसरी पंक्तियों में ग्यारह-ग्यारह वर्ण हैं और क्रमशः तीन भगण दो गुरु हैं जबकि दूसरी और चौथी पंक्तियों में बारह-बारह वर्ण हैं और क्रमशः नगण, जगण और यगण चार गणों की योजना है। इस प्रकार प्रथम एवं तृतीय तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में समानता के कारण, यहाँ पर अर्धसम वर्णिक छन्द है। अतः यहाँ पर द्रुतमध्या नाम का अर्धसम वर्णिक छन्द है।

(ग) विषम वर्णिक छन्द— जहाँ पर 'छन्द' या पद्य के चारों चरणों में वर्णों एवं गणों के क्रम की समानता न हो वहाँ पर विषम वर्णिक छन्द होता है। कभी-कभी कोई दो चरण तो समान होते हैं और शेष दो चरण असमान होते हैं तब भी वहाँ पर विषम वर्णिक छन्द ही होगा क्योंकि इसमें भी चरणों का असम वर्ग अर्थात् तीन वर्ग हो जाते हैं, उदाहरण—

हरिणाक्षिणी शशिमुखी तु शिखिर दशना प्रियम्बदा
१ १ ५ १ ५ १ १ ५ १ १ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५
स ज स ल न स ज गु

भिरं कटि सुगमना मधुरा कुल कामिनी कसक दायिनी बनी
५ १ १ १ १ ५ १ ५ १ १ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५
भ न ज ल गु स ज स ज गु

उपर्युक्त पद्य के पहले चरण में दस वर्ण हैं और क्रमशः सगण, जगण, सगण तथा एक लघु की व्यवस्था है। दूसरे चरण में भी वर्ण तो दस ही हैं किंतु गणों की व्यवस्था भिन्न है, जैसे- नगण, सगण, जगण और गुरु। तीसरे चरण में ग्यारह वर्ण हैं और क्रमशः भजन, नगण, जगण तथा एक लघु और एक गुरु का विन्यास है। चतुर्थ चरण में तेरह वर्ण हैं और क्रमशः सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु का नियोजन है। चारों चरणों की भिन्न-भिन्न रूप से स्थापना होने के कारण यह विषम वर्णिक छन्द है और इसमें 'उद्गता' विषम वर्णिक छन्द के लक्षण होने के कारण उद्गता छन्द है।

(2) मात्रिक छन्द

जहाँ पर छन्द का नियोजन वर्ण या गणों के आधार पर न कर मात्राओं के आधार पर किया जाता है, वहाँ पर मात्रिक छन्द होता है। इसमें गुरु की दो मात्राएं एवं लघु की एक मात्रा परिगणित की जाती है। वर्णों के गुरु-लघु रूपों का विवेचन पहले ही किया जा चुका है। वर्णिक छन्दों की तरह ही इसके भी तीन वर्ग किए जाते हैं— (क) सममात्रिक छन्द, (ख) अर्धसम मात्रिक छन्द और (ग) विषम मात्रिक छन्द।

(क) सममात्रिक छन्द— सममात्रिक छन्द वे होते हैं जिनके चारों चरणों में समान मात्राओं का विन्यास किया जाता है और संबद्ध मात्रिक छन्द के अन्य यति, गुरु, लघु, गण (यदि विधान हो) आदि के नियमों का चारों चरणों में समान रूप से पालन किया जाता है; यथा—

मरै बैल गरियार, मरै वह अडियल टट्टू
१ ५ ५ १ १ ५ १ ५ १ १ १ १ ५ ५ = २४ मात्राएं

मरै करकसा नारि, मरै वह खसम निखदट्टू
१ ५ ५ १ ५ ५ १ ५ १ १ १ १ ५ ५ = २४ मात्राएं

वामन सो मरि जाय, हाथ ले मदिरा प्यावै।
५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ ५ ५ = २४ मात्राएं

पूत वही मर जाय, जो कुल में दाग लगावै।
५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ १ ५ ५ ५ = २४ मात्राएं

उपर्युक्त पंक्तियों में प्रत्येक चरण में चौबीस-चौबीस मात्राएं हैं तथा प्रत्येक चरण में ग्यारह और तेरह मात्राओं पर यति है। अतः चारों चरणों में समान मात्राएं हैं तथा समान रूप से यति है। अतः यह सममात्रिक छन्द है। इसी प्रकार 'रोला' छन्द के लक्षण लक्षित होने से यहाँ पर रोला छन्द है।

टिप्पणी

(ख) अर्धसम मात्रिक छन्द— अर्धसम वर्णिक छन्द की तरह ही अर्धसम मात्रिक छन्द में भी पहले और तीसरे चरण से समान मात्राएं एवं यति का नियम होता है तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में पहले और तीसरे चरण से भिन्न समान मात्राएं एवं यति स्थान होते हैं। दोहा, सोरठा आदि छन्द अर्धसम मात्रिक छन्द हैं; यथा—

मेरी भव बाधा हरौ।

SS II SS IS = 13 मात्राएं

राधा नागरि सोय।।

SS SII SI = 11 मात्राएं

जा तन की झाँई परै।

S II S SS IS = 13 मात्राएं

श्याम हरित दुति होय।।

S I III II SI = 11 मात्राएं

उपर्युक्त पंक्तियों में प्रथम एवं तृतीय चरणों में तेरह-तेरह मात्राएं हैं और अंत में लघु गुरु का क्रमशः नियोजन है। दो-दो चरणों की समानता के कारण अर्धसम मात्रिक छन्द है और ग्यारह एवं तेरह मात्राओं के कारण दोहा छन्द है।

(ग) विषम मात्रिक छन्द— जिस छन्द के चारों चरणों की कुल मात्राएं पृथक-पृथक हों तो वहां पर विषम मात्रिक छन्द होता है। कभी-कभी दो चरण समान मात्रिक भी हो जाते हैं या रखे जाते हैं। उदाहरण—

कैसा मादक क्षण था।

SS S II II S = 12 मात्राएं

जब तुम थी रंग अभीर उड़ाती।।

II II S SI ISI ISS = 18 मात्राएं

स्मृति उर में भर जाती।

II III S II SS = 12 मात्राएं

जब ऊषा पतंग उड़ाती।।

II SS ISI ISS = 15 मात्राएं

उपर्युक्त पद्य के प्रथम चरण में बारह मात्राएं, द्वितीय चरण में अठारह मात्राएं, तृतीय चरण में बारह मात्राएं तथा चतुर्थ चरण में पंद्रह मात्राएं होने के कारण वहां विषम मात्रिक छन्द है। इसमें आर्या के लक्षण होने के कारण आर्या छन्द है। उपरिक्थित छन्द-भेदों के अतिरिक्त गाथा एवं दंडक नाम से छन्द के दो और भेद होते हैं—

गाथा

गाथा छन्द उसे कहते हैं जिसमें तीन या छह चरण होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चरण की मात्रा, संख्या या वर्ण संख्या में समानता नहीं पायी जाती तथा जहां लघु-गुरु का क्रम भी विलक्षण होता है उसे गाथा छन्द कहते हैं। कुछ गाथाएं तो नौ-नौ चरणों की भी होती हैं। संस्कृत के आर्यादि छन्द गाथा के ही रूप हैं। पालि-प्राकृतादि भाषाओं में गाथा को ही कहा जाता है।

दण्डक छन्द

वर्णिक छन्दों में एकाक्षरात्मक छन्द से लेकर छब्बीस अक्षरों तक के छन्द के नाम तो छन्दशास्त्रियों ने निर्धारित किए हैं किंतु छब्बीस से अधिक अक्षरों वाले छन्दों को उन्होंने दण्डक छन्द कहा है। उनके पृथक-पृथक 'चण्डवृष्टिप्रपात' आदि नाम भी रखे गए हैं किंतु इन्हें सामान्यतया दंडक नाम से ही अभिहित किया जाता है। उदाहरण—

पात भरी सहरी, सकल सुत बारे-बारे,

S I IS IIS I II IS IS IS

केवट की जाति, कछु वेद न पढ़ाई हौ।

S II S S I II SI I ISI S = 31

मेरो परिवार सब याहि लागि राजा जू! हौ,

SS IISI II SS SI SS S S

दीन वित्त हीन, कैसे दूसरी गठाइहौ।।

SI SI SI SS SIS ISSS = 31

गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरैगी मेरी,

S II S III S IIS ISS IS

प्रभु सौ निषाद है के बाद न बढाइहौ।।

II S ISI S S SI I ISIS = 31

तुलसी के ईस राम, रावरे सो साची कहौ,

IIS I SI SI SIS S S S IS

बिना पग धोय नाथ, नाव न चढ़ाइहौ।।

IS II SI SI SI I ISIS = 31

उपर्युक्त पद्य के प्रत्येक चरण में इकतीस वर्ण हैं तथा क्रमशः आठ, आठ, आठ और सात पर यति है। यह पद्य क्योंकि छब्बीस वर्णों से अधिक वर्णों से बना है अतः दंडक वर्ग का है और इकतीस वर्णों का तथा आठवें वर्णों पर एवं अंत में सातवें वर्ण पर यति होने से यह मन हरण कवित्त है।

शेष छन्दों के नाम-वर्ण संख्या के क्रम से—

1. उला
2. अत्युला
3. मध्या
4. प्रतिष्ठा
5. सुप्रतिष्ठा
6. गायत्री
7. उष्णिक

टिप्पणी

टिप्पणी

8. अनुष्टुप
9. बृहती
10. पंक्ति
11. त्रिष्टुप
12. जगती
13. अति जगती
14. शक्वरी
15. अति शक्वरी
16. अष्टि
17. अत्यष्टि
18. धृति
19. अतिधृति
20. कृति
21. प्रकृति
22. आकृति
23. विकृति
24. संकृति
25. अतिकृति
26. उत्कृति।

3.2.3 कविता में छन्द का स्थान

भावों को आच्छादित कर समष्टि स्वरूप में लाने के कारण छन्दों की कविता में योगदान अत्यंत अहम है। निम्नांकित मूलभूत उद्देश्यों की अभिपूर्ति के लिए कविता में छन्द आवश्यक होते हैं—

1. भावों की अभिव्यक्ति को स्पष्टता देने और तीव्रतर रूप में प्रस्तुत करने के लिए।
2. भावों में बिखराव में एकसूत्रता स्थापित करने के लिए।
3. कविता में सजीवता लाने के लिए।
4. कविता में रमणीयता और सौंदर्य की प्रतिष्ठा करने के लिए।
5. कविता को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए।
6. रस-निष्पत्ति के योगदान हेतु।
7. प्रेषणीयता लाने के लिए।
8. कवि के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए।
9. उक्ति में पवित्रता की प्रतिष्ठा के लिए।

टिप्पणी

छन्दों का प्रयोग तथा छन्द शब्द की उत्पत्ति वैदिक साहित्य में ही हो गई थी। 'छन्द' शब्द 'छद्' धातु में 'असुन्' प्रत्यय लगाने से बना है। छद् धातु प्रसन्न करना, आच्छादित करना, बांधना आदि अर्थों का बोध कराती है। वैदिक ऋषियों ने प्राकृतिक प्रकोपों से त्राण के लिए मंत्रों की सृष्टि की थी। अतः उन्होंने प्रकृति से बचने के लिए मंत्रों से स्वयं को आच्छादित कर लिया था— संभवतः आरंभ में छन्द शब्द से यही अर्थ ग्रहण किया गया होगा।

'छन्दोग्योपनिषद्' में कहा गया है कि "मृत्यु के डर से देवताओं ने अपने को छन्दों से आच्छादित कर लिया।" साथ ही छन्दों की संगीत-ध्वनि तथा भाव आह्लादक होने से प्रसन्नता का अर्थ-बोध भी रहा होगा और वर्ण-मात्रा आदि का बंधन होने से उसके मूल अर्थ के साथ बंधन या बंध भी लगा है।

वैदिक छन्दों में गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहती, पंक्ति, जगती जाति के अनेक छन्द पाए जाते हैं। वैदिक छन्दों में मात्रा-विचार नहीं था, केवल अक्षर-गणना तथा ध्वनि-साम्य का ध्यान रखा जाता था। किंतु वैदिक छन्दों में नियमों का अपवाद खूब पाया जाता है। छन्दों की गति स्वरों के आरोह-अवरोह पर आधारित थी। गीतात्मक स्वराघात का विधान भी था।

लौकिक (संस्कृत) छन्दों की शास्त्रीय मीमांसा पिंगल ऋषि ने ही सर्वप्रथम की थी। पिंगल ऋषि ने ही गण-शैली का आविष्कार किया था। संस्कृत-छन्दों का निर्माण इन्हीं गणों के आधार पर अतिशय नियमबद्ध रूप में हुआ। सुनिश्चित गतियों में छन्द ऐसा बंध गया कि भावी विकास की संभावनाएं रूढ़ हो गईं। संस्कृत के गण-क्रमबद्ध वर्ण-वृत्तों में सर्वाधिक नियमबद्धता और जटिलता है।

आगे चलकर प्राकृत-अपभ्रंश में स्थिति परिवर्तित हुई। प्राकृत-अपभ्रंश में मात्रिक छन्दों का विकास हुआ। अपभ्रंश में न केवल मात्रिक छन्दों का स्वतंत्र विकास हुआ, अपितु कवियों ने मिश्र छन्दों का प्रयोग भी आरंभ किया। दो छन्दों को मिलाकर कविता रचने की प्रवृत्ति भी विकसित हुई— जैसे छः पदों के छप्पय, कुण्डलियां छन्द। अपभ्रंश साहित्य में संस्कृत के वर्ण-छन्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। पढ़डिया और धन्ता के योग की छन्दशैली, जो दोहा-चौपाई शैली के रूप में हिंदी में विकसित हुई, अपभ्रंश साहित्य की ही देन है।

मध्ययुगीन हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से ही छन्द परंपरा प्राप्त हुई। 'पृथ्वीराज-रासो' में लगभग 60 छन्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें आधे से अधिक मात्रिक छन्द हैं। दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला आदि छन्दों का हिंदी में खूब विकास हुआ। साथ ही हिंदी में कई नए छन्द प्रचलित हुए, जैसे- बरवै, गीत शैली आदि। हिंदी में लोकगीतों के आधार पर गीत शैली का प्रचलन एक अद्भुत घटना है। गीत हिंदी की सर्वलोकप्रिय शैली है।

लोकगीतों की लय पर ही हिंदी में कविता, सवैया आदि कुछ ऐसे वर्ण-छन्दों का विकास हुआ जिनमें गण-गणना के नियम शिथिल हो गए थे। सूफी काव्यों, रामचरितमानस, सूरसागर आदि में अपभ्रंश के कडवक का प्रयोग मिलता है। जायसी ने चौपाई कडवक में चौदह चरण रखे हैं और धन्ता के स्थान पर दोहों का प्रयोग किया है। मात्राओं के आधार पर जो गीत परंपरा सिद्ध साहित्य में प्रचलित हुई, उसका समुचित विकास हिंदी की बहुत बड़ी विशेषता है।

हिंदी में वर्ण-छन्द बहुत ही कम रह गए। 'मानस' में त्रोटक, भुजंगप्रयात आदि का कहीं-कहीं प्रयोग मिलता है। रीतिकाल में केशव ने प्रयोग के लिए कुछ वर्ण छन्द रचे हैं।

टिप्पणी

कवित्त-सवैये का विकास भी हिंदी छन्द-शैली की अदभुत देन है। देव ने घनाक्षरी का नया प्रयोग किया। गीत, सवैया, कवित्त, घनाक्षरी, दोहा, चौपाई, कुण्डलिया, रोला, सोरठा, बरवै आदि छन्द प्राचीन हिंदी के लोकप्रिय छन्द हैं।

आधुनिक काल में हिंदी छन्द परंपरा ने नया मोड़ लिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से हिंदी में संस्कृत वर्ण छन्दों का पुनः उद्धार हुआ। अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, रूपनारायण पांडे, नाथूराम शर्मा, शंकर आदि अनेक कवियों ने संस्कृत के वर्ण-छन्दों की रचना की। किंतु संभवतः वर्ण छन्दों के कड़े-गण-क्रम का नियम हिंदी की आश्लिष्ट प्रकृति के प्रतिकूल था। इसी से इन छन्दों को लोकप्रियता प्राप्त न हो सकी।

इधर अंग्रेजी-बांग्ला आदि के प्रभाव से द्विवेदी जी ने हिंदी में भी भिन्न तुकांत, अतुकांत प्रवाहात्मक छन्द शैली पर जोर दिया। फलतः छन्दों के अतुकांत प्रयोग की खूब परंपरा चली। प्रसाद आदि कई कवियों ने मिश्र छन्दों का नया निर्माण किया। इसी बीच निराला ने अपने स्वच्छन्द या मुक्त छन्द का निर्माण किया जिसका स्वरूप पीछे बताया जा चुका है। निराला का छन्द फिर भी कुछ छन्द था, उसमें प्रवाह और लय का कुछ स्वतः आवर्तन था, क्योंकि वह घनाक्षरी पर आधारित था, बाद में जो कंचुआ, रबड़, कंगारू, स्वच्छन्द पंक्तियों की कविताएं रची जाने लगीं, उनमें तो सब नियम, बंध आदि ताक पर धरे रह गए।

आजकल के घर-घर बसने वाले कवि तो मनमाना पंक्ति-प्रयोग कर रहे हैं। न उन्हें संगीत से कुछ मतलब है, न लय ताल-गति से। कविता करना कितना आसान हो गया है। मनमाने ढंग से पंक्तियों को छोटा-बड़ा रख लिया जाता है। लय की उपेक्षा भला कविता को कब तक जीवित रखेगी? आज की निःछन्द, नीरस, गद्यवत भाव-रसहीन कविता को देखकर बड़ा दुख होता है।

हिंदी में उर्दू की बहरों को भी मात्रिक छन्द-रूप में उतारा गया, जैसे अयोध्यासिंह उपाध्याय ने 'चोखे चौपदे' में। वर्तमान काल में अतुकांत, रन ऑन लाइन, सॉनेट, स्वच्छन्द छन्द आदि कुछ विदेशी प्रभाव से किए गए प्रयोगों के अतिरिक्त पूर्वकाल में हमारी छन्द शैली प्रायः विदेशी प्रभावों से मुक्त रही। हिंदी पिंगल की दृष्टि से विचार करने पर उर्दू के सभी छन्द मात्रिक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें एक गुरु के स्थान पर दो लघु आ सकते हैं। इसलिए उर्दू छन्दों का हिंदी में ध्वनि-साम्य हो सकता है। पारंपरिक काव्य सृजन विश्वासी कवि आधुनिकता पसंद कवियों से चाहते हैं कि वे कविता में लय की उपेक्षा न करें। कविता भी यदि गद्य बन गई- जैसा कि अब हो रहा है तो कविता कहां बचेगी? अतः भिन्न-भिन्न प्रयोग लय-बद्ध छन्दों के निर्माण में दिखाने चाहिए। हम अपनी छन्द परंपरा को भी मिट्टी में न मिलाएं तो अच्छा होगा। नियम बंधन जाने दीजिए, पर गुणगुनाकर तो देख लीजिए कि कविता में स्वर-लय भी कोई बनती है या नहीं।

3.2.4 दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, रोला, बरवै, कुण्डलिया तथा सवैया छन्दों के लक्षण और उदाहरण

(1) दोहा

दोहा अर्द्धसम मात्रा-छन्द है। दोहा छन्द के अनेक भेद हैं, उनमें प्रमुख वह दोहा होता है जिसके विषम चरणों अर्थात् प्रथम व तृतीय चरण में क्रमशः तेरह-तेरह मात्राएं और सम चरणों

अर्थात् द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में ग्यारह-ग्यारह मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं रहता तथा सम चरणों के अंत में गुरु और लघु का क्रम रहता है; यथा—

विषम चरण तेरह कला,

||| ||| S|| |S|

सम ग्यारह अनुमान।

|| S|| | |S|

नहीं हो आदि जगण फिर,

|S S S | ||| ||

दोहा छन्द सुमान॥

SS S | |S|

उपर्युक्त पद्य में विषम चरणों में क्रमशः तेरह-तेरह मात्राएं और सम चरणों में ग्यारह-ग्यारह मात्राएं होने से, आदि में जगण के अभाव और अंत में गुरु-लघु का क्रम रहने के कारण यहां पर दोहा छन्द है।

(2) सोरठा

सोरठा भी दोहे की तरह अर्द्धसम मात्रा-छन्द है। यह छन्द दोहे का विलोम छन्द होता है। यह भी कुल 48 मात्राओं का छन्द है। मात्राओं का क्रम दोहे से उल्टा होता है, इसी से इसे दोहा का उल्टा कहा जाता है। दोहा उलट देने से सोरठा बन जाता है। इसमें पहली-तीसरी पंक्ति में ग्यारह-ग्यारह तथा दूसरी-चौथी में तेरह-तेरह मात्राएं होती हैं। इसकी पहली और तीसरी पंक्तियों के अंत में तुक-साम्य रहता है, दूसरी चौथी के अंत में तुक-साम्य जरूरी नहीं। उपर्युक्त दोहे छन्द की पंक्तियों को उलट कर रख दीजिए अर्थात् दूसरी को पहली, पहली को दूसरी तथा चौथी को तीसरी और तीसरी को चौथी बना दीजिए, सोरठा छन्द बन जाएगा।

इसके विषम चरणों के अंत में गुरु-लघु का क्रम रहता है तथा सम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं रहता; यथा—

सम तेरह विषमेश, दोहा, उलटा सोरठा।

|| S|| |S| SS |S S|S

राजस्थानी भाषा का यह प्रिय छन्द है। उदाहरण—

लिख कर लोहित लेख

|| || S|| S| = 11 मात्राएं

डूब गया है दिन अहा।

S| |S S || |S = 13 मात्राएं

व्योम-सिन्धु सखि देख,

S| S| || S| = 11 मात्राएं

तारक-बुद्बुद् दे रहा॥

S|| S S S |S = 13 मात्राएं

टिप्पणी

(7) कुण्डलिया

छः चरणों वाले इस छन्द के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहों के बीच एक रोला मिलाकर कुण्डलिया बनती है। जिस शब्द से कुण्डलिया का आरंभ होता है, समापन भी उसी शब्द से होता है।

कमरी थोरे दाम की बहुतै आवै काम

1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 = 24 मात्राएं

खासा मलमल वाफता उनकर राखै मान

5 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 1 = 24 मात्राएं

बकुचा बांधे मोर राति को झारि बिछवै

1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 1 5 5 = 24 मात्राएं

सबै दिन राखै साथ बड़ी मर्यादा कमरी

1 5 1 1 5 5 5 1 1 5 1 5 5 1 1 5 = 24 मात्राएं

(प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और जिस शब्द से आरंभ हुआ है, उसी शब्द से अंत भी हुआ है।)

(8) सवैया

बाईस से लेकर छब्बीस वर्णों तक के चरणों वाले समवर्ण-छन्द को सवैया कहते हैं। यद्यपि इसके अनेक रूप होते हैं जो लगभग 48 बताए जाते हैं। इनमें से कुछ सवैया छन्द इस प्रकार हैं-

(क) मदिरा

संस्कृत भाषा में जिसे मदिरा छन्द कहा जाता है हिंदी में उसे ही सवैया छन्द कहते हैं। अंतर केवल इतना है कि संस्कृत में चारों चरणों में 'तुक' मिलना (अन्त्यानुप्रास) आवश्यक नहीं है; जबकि हिंदी भाषा में तुकान्त या अन्त्यानुप्रास अनिवार्य है। इसका लक्षण इस प्रकार है- जिस पद्य के प्रत्येक चरण में बाईस वर्ण हों तथा उन्हें सात भगणों और एक गुरु से सजाया गया हो और क्रमशः दसवें और बारहवें वर्णों पर यति हो वहां पर मदिरा या सवैया छन्द होता है; यथा-

सा त भ का र ग का र इ का,
5 1 1 5 1 1 5 1 1 5
भ भ भ भ गु

तब प्यार भरी मदिरा छल की।
1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5
भ भ भ भ गु

उपर्युक्त पंक्ति में सात भगण और एक गुरु के क्रम से बाईस वर्ण हैं और दसवें तथा बारहवें वर्ण पर क्रमशः यति होने के कारण यहां पर मदिरा छन्द है।

(ख) मत्तगयन्द

जिस पद्य के प्रत्येक चरण में सात भगण और अंत में दो गुरु हों। इसमें क्रमशः बारहवें और ग्यारहवें वर्णों पर यति होती है तथा कुल तेईस वर्ण हों वहां मत्तगयन्द छन्द होता है। कुछ

विद्वान इसे मालती और कुछ इन्दव छन्द कहते हैं। हिंदी में इसे 'सवैया' का ही एक भेद माना जाता है; यथा-

सा त भ का र गुरु द्वय से यति
5 5 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1
भ भ भ भ

बारह ग्यारह मत्तगयन्दा।
5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 5
भ भ भ भ गु गु

उपर्युक्त पंक्ति में सात भगण और दो गुरुओं के क्रम से तेईस वर्ण आए हैं तथा क्रमशः बारहवें और ग्यारहवें वर्ण पर यति है। अतः यहां पर मत्तगयन्द (सवैया) छन्द है।

(ग) दुर्मिल

जिस पद्य के प्रत्येक चरण में चौबीस वर्ण हों तथा उनका आठ चरण में विन्यास किया गया हो तथा क्रमशः आठवें, छठे और दसवें वर्णों पर यति हो वहां पर दुर्मिल छन्द होता है। हिंदी भाषा में इसे ही दुर्मिल सवैया कहा जाता है; यथा-

यति आठ छहा दस, से शुभरा सगणा,
1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5
स स स स स

आठ दुर्मिल गावत है।
1 1 5 1 1 5 1 1 5
स स स

उपर्युक्त पंक्ति में आठ सगणों के क्रम से चौबीस वर्ण आए हैं तथा आठवें, छठे और दसवें वर्णों पर क्रमशः यति है। अतः यहां पर दुर्मिल सवैया है।

(घ) किरिट

जिस पद्य के प्रत्येक चरण में आठ भगणों के क्रम से चौबीस वर्ण स्थापित किए गए हों तथा क्रमशः बारहवें वर्ण पर यति हो वहां पर किरिट (सवैया) होता है, यथा-

आठ भकारान से सजता तब,
5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1
भ भ भ भ

द्वादश की यति काम किरिट सु

5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1
भ भ भ भ

उपर्युक्त पंक्ति में चौबीस वर्ण आठ भगणों के क्रम से आए हैं तथा क्रमशः बारहवें वर्णों पर यति है। अतः यहां पर किरिट (सवैया) छन्द है।

(ङ) गंगोदक

जिस पद्य के प्रत्येक चरण में आठ रगणों के क्रम से चौबीस वर्ण रखे जाते हैं और प्रत्येक बारहवें वर्ण पर यति होती है वहां पर गंगोदक (सवैया) छन्द होता है, यथा-

टिप्पणी

अष्टरा राशि गंगोद का ज्ञात है,
S I S S I S S I S S I S
र र र र

छन्द वेदी कड़ी गीत की पूछते।
S I S S I S S I S S I S
र र र र

उपर्युक्त पंक्ति में चौबीस वर्ण और आठ रगण हैं तथा प्रत्येक बारहवें वर्ण पर यति है। अतः यहां पर गंगोदक सवैया है।

(च) सुंदरी

जिस पद्य के प्रत्येक चरण में पच्चीस वर्ण हों, उसमें आठ सगणों के पश्चात् एक गुरु हो तथा क्रमशः बारहवें और तेहरवें वर्णों पर यति हो वहां पर सुंदरी (सवैया) छन्द होता है, यथा-

सगणा घर आठ सजा गुरु को दस-दो
I I S I I S I I S I I S I I S
स स स स स

यति सुंदर-नारि सजाई।
I I S I I S I I S S
स स स गु

उपर्युक्त पंक्ति में क्रमशः आठ सगण और एक गुरु आया है। इसमें पच्चीस वर्ण हैं तथा क्रमशः बारहवें और तेहरवें वर्णों पर यति है। अतः यहां पर 'सुंदरी' सवैया छन्द है।

(9) इन्द्रवज्रा छन्द

यह समवर्ण छन्द है। इस छन्द में कुल ग्यारह वर्ण होते हैं अर्थात् इसके प्रत्येक चरण में आगत् ग्यारह वर्णों को क्रमशः तगण, तगण, जगण और दो गुरुओं में विन्यस्त किया जाता है; यथा-

हो इन्द्रवज्रा त त जा ग गा से।
S S I S S I I S I S S
त त ज गु गु

उदाहरण-

तू मंगला मंगल कारिणी है।
सद्भक्त के धाम विहारिणी है॥
माता! सदा पूर्ण पिता समेता।
कीजै हमारे चित में निकेता॥

इस प्रकार चारों पंक्तियों में ग्यारह-ग्यारह वर्ण हैं। इसमें क्रमशः तगण, तगण, जगण और दो गुरु अनुस्यूत हैं तथा पादान्त में यति है। अतः यहां पर इन्द्रवज्रा छन्द है।

(10) मन्दाक्रान्ता

यह समवर्ण छन्द है। इस छन्द के प्रत्येक चरण में सत्तरह वर्ण होते हैं और उन्हें मगण, भगण, नगण, तगण और दो गुरुओं के क्रम में अनुस्यूत किया जाता है। इसके चौथे, छठे और सातवें वर्णों पर यति होती है; यथा-

टिप्पणी

मन्दाक्रान्ता, म भ न त त गा, गा क हें छन्द वे दी।
S S S S I I I I S S I S S I S S
म भ न त त गु गु

उदाहरण-

जो मैं को ई, विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ,
तो उत्कण्ठा बरा विवश हो चित्त में सोचती हूँ।
होते मेरे निर्बल तन में, पक्ष जो पक्षियों से,
तो यों ही मैं समुद्र उड़ती श्याम के पास जाती॥

उपर्युक्त पंक्तियों में मगण, भगण, नगण, तगण और दो गुरु के क्रम से सत्तरह वर्णों का प्रयोग किया गया है तथा इसके चौथे, छठे और सातवें वर्णों के पश्चात् यति है; अतः यहां पर मन्दाक्रान्ता छन्द है।

(11) द्रुतविलम्बित या सुन्दरी

यह समवर्ण छन्द है। कवियों का यह अत्यंत प्रिय छन्द है। इसके प्रत्येक चरण में बारह वर्ण होते हैं जिन्हें क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण में ग्रथित किया जाता है। इसके पादान्त में यति होती है। कुछ आचार्य इसे सुन्दरी छन्द भी कहते हैं; यथा-

द्रुतविलम्बित माँहि न भा भ रा।
I I I S I I S I I S I S
न भ भ र

उदाहरण-

दिवस का अवसान समीप था।
गगन था कुछ लोहित हो चला॥
तरुशिखा पर थी अब राजती।
कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा।

उपर्युक्त पंक्तियों में बारह वर्ण हैं जिन्हें क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण में निबद्ध किया गया है। इसके अंत में यति है। अतः यहां पर द्रुतविलम्बित छन्द है।

(12) शार्दूलविक्रीडित छन्द

यह समवर्ण छन्द है। जिस पद्य के प्रत्येक चरण में उन्नीस वर्ण हों और उन्हें मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु के क्रम से सजाया हो तथा क्रमशः बारहवें और सातवें वर्णों पर यति हो वहां पर 'शार्दूलविक्रीडित' छन्द होता है।

उदाहरण

आ बैठी उर मोहजन्य जड़ता विद्या विदा हो गई?
पाई कायरता मलीन मन कोहा। वीरता खो गई।
जागी दीन दशा दरिद्र पन की श्री सम्मदा सो गई,
माया शंकर की हंसाय हमको रुद्रा ठानी रो गई॥

उपर्युक्त पंक्तियों में मगण, सगण, जगण, सगण दो तगण और एक गुरु के क्रम से उन्नीस वर्ण आए हैं और क्रमशः बारहवें और सातवें वर्ण पर यति है। अतः यहां पर 'शार्दूलविक्रीडित' छन्द है।

टिप्पणी

रसानुकूलता-प्रतिकूलता सूचक छन्द-सारिणी

सं.	रस	अनुकूल छंद	प्रतिकूल छंद
1.	शृंगार	शार्दूल विक्रीडित, बसन्तलतिका, पृथ्वी, हरिणी, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, स्रग्धरा, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, रथोहता, द्रुतविलम्बित	पथ्या
2.	हास्य	रोधक, तोटक, भुजंगप्रयात	पृथ्वी
3.	करुण	मालिनी, द्रुतविलम्बित, मन्दाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा	दोधक
4.	रौद्र	शार्दूल विक्रीडित, हरिणी, स्रग्धरा, रथोहता, अनुष्टुप	शिखरिणी
5.	वीर	शार्दूल विक्रीडित, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, वंशस्थ तथा शिखरिणी	प्रशार्षिणी
6.	भयानक	शार्दूल विक्रीडित, स्रग्धरा, पथ्या	मालिनी
7.	वीमत्स	शार्दूल विक्रीडित, स्रग्धरा, वंशस्थ, रथोहता	मन्दाक्रान्ता
8.	अद्भुत	शार्दूल विक्रीडित, नन्दिनी, कुसुमविचित्रा, शालिनी, बसन्तलतिका, इन्द्रवज्रा	शिखरिणी
9.	शान्त	शार्दूल विक्रीडित, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता	कुसुमविचित्रा

3.3 अलंकार

काव्य शरीर, उसके नित्यधर्म तथा बहिरंग उपकारक का विचार करते हुए अलंकारों का स्थान निर्धारण किया जाता है। अलंकारों की योजना का वास्तविक कारण मन का ओज है। अलंकार कविता-कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं।

3.3.1 अलंकार की अवधारणा

'अलंकार' का सामान्य अर्थ है—गहना या आभूषण जो देह की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य के संदर्भ में भी इसे शोभा बढ़ाने वाले धर्म और तत्व के रूप में लिया जाता है। बाह्य तत्व के रूप में काव्य को अलंकृत करने वाले शब्दालंकार तथा धर्म के रूप में शब्द की आत्मा में धारित यानी अर्थ को अलंकृत करने वाले अर्थालंकार। काव्य की आत्मा 'रस' है या अन्य कोई लक्षण इस तर्क-वितर्क के आरंभिक दौर में सर्वप्रथम अलंकार सिद्धांत का जन्म हुआ। काव्य की आत्मा अलंकार है ऐसा मत इस सिद्धांत के अंतर्गत स्थिर हुआ। आचार्य भामह इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य रुद्रट एवं जयदेव ने इस सिद्धांत को प्रतिष्ठा प्रदान की।

'अलंकार' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है—(1) अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः और (2) अलंक्रोति इति अलंकारः। पहली व्याख्या के अनुसार अलंकार की प्रतिष्ठा एक उपादान या 'करण' के रूप में सिद्ध होती है और यह काव्य के मूल से उसका पार्थक्य बताती है।

अपनी प्रगति जांचिए

1. सबसे पहले छंद की व्याख्या किसने की?
2. यति का अर्थ क्या है?
3. छंद के आधारभूत भेद क्या हैं?
4. मल्लिका किस श्रेणी का छंद है?
5. सही-गलत बताइए—
(क) मात्रिक छंद में छंद-नियोजन का आधार मात्राएं होती हैं।
(ख) चौपाई विषम मात्रिक छंद है।

टिप्पणी

दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार अलंकार काव्य का वह तत्व है जो उसे (काव्य को) सुंदर बनाता है। अर्थात् काव्य का ही एक अंग है जो उसका सौंदर्याधारक तत्व है। अलंकारवादियों ने इन दोनों ही व्युत्पत्तियों को आधार मानकर यथास्थान और यथावश्यकता अलंकार की व्याख्या और उसकी महत्ता का दिग्दर्शन कराया है।

अलंकार सिद्धांत का काव्यशास्त्र में काव्य लक्षण के रूप में विशेष महत्व है। यह सत्य है कि यह काव्यात्मा नहीं हो सकता, साध्य नहीं हो सकता। यह साधन मात्र है किंतु रस का सहयोगी हो सकता है। काव्य के लिए किसी आचार्य ने काव्य पुरुष कहा, किसी ने कविता कामिनी...। काव्य पुरुष हो या कविता कामिनी दोनों ही दृष्टियों से उनके लिए आत्मा रस है और अलंकार उनके शोभाधारक धर्म हैं।

काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। यह उपयोगिता तो सिद्ध है ही इसके अतिरिक्त अलंकार काव्य का ऐसा लक्षण है जो इसे वक्रोक्ति और ध्वनि से भी जोड़ता है। रस तो काव्य की आत्मा है ही, औचित्य आत्मा की भी आत्मा है। जहां तक वक्रोक्ति का प्रश्न है वह भी अलंकार है। यह शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों में सम्मिलित है। वक्रोक्ति यानी व्यंग्यार्थ व्यंजना जोकि उत्तम ध्वनि है। इससे निर्मित काव्य उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है। अतः अलंकार सिद्धांत की उपयोगिता वक्रोक्ति एवं ध्वनि सिद्धांत को जानने के साथ-साथ पूरे काव्यशास्त्र की महिमा को जानने के लिए भी है।

अलंकार के भेद असंख्य हैं क्योंकि यह अंतर्बाह्य की शोभा को बढ़ाने वाला लक्षण है। शब्द की, अर्थ की, भाव की शोभा बढ़ाते हुए यह भेदोपभेद होते जाना स्वाभाविक है। काव्यशास्त्रीय जगत में अलंकार सिद्धांत वस्तुतः स्वयं भी अलंकार ही है।

3.3.2 अलंकारों का काव्य में स्थान

अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए अलंकार रहित रचना को काव्य मानने से इनकार किया है। ऐसी घोषणा सर्वप्रथम भामह ने की। उनके अनुसार नारी का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषणों के बिना शोभा नहीं देता—

'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिता मुखम्।' अलंकारवादियों ने 'शोभा' शब्द का प्रयोग काव्य के मुख सौंदर्य के अर्थ में या फिर उसकी आत्मा के अर्थ में किया है। भामह की उक्त पंक्ति से स्वतः सिद्ध होता है कि 'भामह' की दृष्टि में वनिता के स्वाभाविक सौंदर्य का अलंकारों के बिना कोई मूल्य नहीं है। भामह कथन के दो रूप मानकर चलते हैं—
(1) कथन का प्रकृत रूप अर्थात् अनलंकृत रूप और (2) रमणीय अर्थात् अलंकृत रूप।

इनमें प्रथम अकाव्य या वार्ता है तथा दूसरा अपने समग्र रूप में काव्य है और यही अलंकार है। वस्तुतः भामह ने अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में समग्र काव्य ही अलंकार है। अतः उससे भिन्न किसी अन्य तत्व की कल्पना उनकी सीमा से बाहर की वस्तु थी। अलंकार और अलंकार्य की धारणा का आरंभ ध्वनिवादियों ने किया था। कुंतक की दृष्टि भी इस तथ्य की ओर गई थी किंतु उन्होंने इसे केवल प्रतिपादन का माध्यम मात्र स्वीकार किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में 'शब्द' 'अर्थ' और 'अलंकार' की समष्टि का नाम काव्य है। इन्हें एक दूसरे से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। भामह ने अलंकार के मूल में अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति को माना है। उक्ति की अतिशयता या चमत्कार ही

टिप्पणी

अलंकार है और वक्रोक्ति तथा अतिशयोक्ति में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अर्थ ही 'विशिष्ट उक्ति' है। अंत में भामह अपने मतव्य को पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं, जब यह कह देते हैं कि 'कोऽलंकारोऽनया विना' अर्थात् वक्रोक्ति के अभाव में किसी भी अलंकार की कल्पना नहीं कर सकते। वक्रोक्ति के द्वारा ही अर्थ का विभावन होता है अर्थात् अर्थ में वैचित्र्य आ जाता है। भामह ने अतिशयोक्ति को 'लोकातिक्रांतगोचरा' अर्थात् शब्दार्थ के इतिवृत्त कथन से भिन्न चमत्कारपूर्ण प्रयोग कहा है और उसे ही फिर वक्रोक्ति कह दिया है—'सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः' इससे स्पष्ट है कि 'वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति' दोनों ही 'लोकातिक्रांत गोचरा' अर्थात् लोककथन से भिन्न विशिष्ट अर्थ का द्योतन कराने वाला कथन वक्रोक्ति है।

भामह ने अन्य का संकेत देते हुए 'स्वभावोक्ति' को भी एक अलंकार के रूप में अपनी स्वीकृति दी है, क्योंकि इन्होंने उक्त अलंकार का लक्षण भी दिया है और उदाहरण भी। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भामह इसे एक अलंकार के रूप में स्वीकार करते हैं।

सर्वप्रथम अलंकारों का क्रमबद्ध वैज्ञानिक विवेचन 'काव्यालंकार' में भामह ने किया। भामह ने अपने पूर्ववर्ती 'मेधाविन' का उल्लेख किया है जिससे यह पता चलता है कि अलंकार परंपरा पहले से चली आ रही है। लेकिन 'मेधाविन' या किसी भी रचनाकार का अलंकार संबंधी कोई ग्रंथ उपलब्ध न होने के कारण 'काव्यालंकार' को ही अलंकार संप्रदाय का प्रथम प्रामाणिक, उपयोगी और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। भरत ने इससे पूर्व 'नाट्यशास्त्र' में अलंकारों का वर्णन करते हुए उपमा, रूपक, दीपक और यमक चार अलंकारों को मान्यता दी थी। 'उपमा दीपकं चैव रूपकं यमकं तथा। काव्यस्यैते अलंकाराश्चत्वारः परिकीर्तिताः।' बाद में लगभग सभी आचार्यों ने अलंकारों की सत्ता को स्वीकार किया। किसी ने अलंकारों को काव्य का मुख्य तत्व माना तो कुछ ने काव्य में अलंकारों का महत्व है ऐसा स्वीकार किया। भामह कहते हैं, काव्य की आत्मा अलंकार है। रस आदि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है बल्कि वे अलंकारों में ही उनका अंतर्भाव स्वीकार करते हैं। 'वक्राभिधेयशब्दोक्ति-रिष्टावाचामलंकृतिः' अर्थात् वे शब्द और अर्थ के वैचित्र्य को अलंकार की संज्ञा देते हैं। यह विचित्रता वक्रोक्ति में भी पाई जाती है अतः कहा जा सकता है कि अलंकार काव्य की आत्मा है और अलंकारों में वक्रोक्ति का स्थान मुख्य है। वक्रोक्ति अलंकारों को जीवन देने वाला तत्व है। भामह की दृष्टि में वक्रोक्ति से रहित कोई अलंकार नहीं होता। भामह कहते हैं—'सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते। यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना।'

रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार और वामन अर्थालंकार मानते हैं क्योंकि इसमें शब्द और अर्थ दोनों की विचित्रता होती है। भामह के बाद दंडी का मत महत्वपूर्ण है। वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार मानते हैं—'काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते।'

अलंकार को काव्य का नित्यधर्म मानते हुए उन्होंने अतिशयोक्ति को अलंकारों का सर्वस्व बताया—

'अलंकारान्तराणामध्येकमाहुः परायणम्।
वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्।'

टिप्पणी

दंडी ने काव्य के परिप्रेक्ष्य में अलंकारों को स्पष्ट किया है जबकि भामह ने सिद्ध किया कि—'काव्य एक स्वतंत्र एवं अपने में पूर्ण इकाई है।' फलतः दंडी ने काव्य-सौंदर्य के सभी तत्वों को अलंकार के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया है। आपके अनुसार काव्य का विषयगत सौंदर्य सामान्य अलंकार का अंग है तो शैलीगत सौंदर्य विशेष अलंकार में समाहित हो जाता है। दंडी ने रसों को भी रसवत् अलंकारों के अंतर्गत सन्निविष्ट कर अलंकार्य और अलंकार की अभिन्नता की घोषणा कर दी। उधर दूसरी ओर दंडी वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति में अंतर मान कर चलते हैं किंतु भामह जहां स्वभावोक्ति को अलंकार मानकर उसे वक्रोक्ति के अंतर्गत परिगणित कर लेते हैं, वहां दंडी इसे इससे भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने समस्त वाङ्मय को दो वर्गों—स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में विभाजित कर स्वभावोक्ति का शास्त्रादि में साम्राज्य बताया है तथा वक्रोक्ति को इससे भिन्न चमत्कारपूर्ण उक्ति का पर्याय कहा है। आपका कथन इस प्रकार है—

आगे चलकर दंडी स्पष्ट कर देते हैं कि 'शास्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यम्'। काव्यादर्श की हृदयंगमा टीका में स्पष्ट करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि 'वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्णपर्यन्ता अलंकारा उच्यन्ते।' दंडी ने वक्रोक्ति के मूल में चमत्कार के लिए किसी-किसी रूप में 'श्लेष' का योग माना है—'श्लेषो सर्वासु पुष्पाति प्रायः वक्रोक्तिषु श्रियम्'। यहां पर वे चमत्कार का श्रेय अकेली वक्रोक्ति को न देकर 'श्लेष' को भी महत्व प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर भामह की तुलना में दंडी स्वभावोक्ति को अलंकार मानते हैं किंतु उसे वक्रोक्ति से भिन्न आद्य अलंकार के रूप में स्वीकार कर उसे शास्त्रीय उक्तियों की प्रयोजक बताकर एक प्रकार से काव्य-जगत् से बहिष्कृत कर देते हैं और स्वभावोक्ति को अनिवार्य न मानकर वांछनीय ही मानते हैं।

वामन की भी गणना एक रूप से अलंकारवादियों में की जाती है। अंतर केवल इतना है कि जहां भामह और दंडी काव्य में अलंकार को कारक धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, वहां वामन अलंकार की शोभा को अतिशयता प्रदान करने वाले एक सहायक तत्व के रूप में प्रतिपादित करते हैं—'काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय-हेतवस्त्वलंकाराः।' अर्थात् काव्य का शोभाकारक धर्म गुण है और अलंकार उन्हें अतिशयता प्रदान करते हैं। किंतु एक अन्य स्थल पर वे अलंकार को सौंदर्य का पर्यायवाची बता देते हैं, यथा—'सौंदर्यालंकारः। साथ ही यह भी कहते हैं कि 'काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है—'काव्यं ग्राह्यमलंकारात्'। ये दोनों उक्तियां यदि देखा जाए तो पूर्वोक्त कथन 'तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः' और 'रीतिरात्मा काव्यस्य' के विपरीत सी जान पड़ती है। आधुनिक आलोचक तो सौंदर्य को ही काव्य का प्राण मानते हैं और स्वयं वामन भी यह मानते हैं कि काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है, तब रीति और गुण के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। वामन ने भी संभवतः अपने कथन के विरोधाभास को समझ लिया था। फलतः आगे के सूत्रों में उन्हें अपने कथन में सुधार करना पड़ा कि गुण काव्य का नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य धर्म है। फलतः 'गुण' काव्य में सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है किंतु अकेला अलंकार काव्य में सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकता।

कुंतक के अनुसार, काव्य न तो अलंकार है न अलंकार्य, बल्कि दोनों का समन्वित रूप ही काव्य है अर्थात् सालंकार काव्य का ही काव्यत्व है। इससे स्पष्ट है कि कुंतक काव्य

में अलंकार के पक्षधर हैं किंतु वे अलंकार को काव्य का शोभाकारक धर्म नहीं मानते। कुंतक ने वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति को पृथक-पृथक मानकर स्वभावोक्ति को अलंकार्य और वक्रोक्ति को अलंकार की संज्ञा से अभिहित किया है। कुंतक का कथन है कि स्वभावोक्ति का अर्थ होता है- स्वभाव ही उक्ति का विषय अथवा वर्ण्य विषय है। यदि वही अलंकार हो जाए तो कौन सी वस्तु रह जाएगी, जो अलंकार्य कहलाएगी अर्थात् कुछ नहीं। स्वभाव कथन तो काव्य का शरीर है और यदि वही अलंकार हो जाए तो वह दूसरे को किसको अलंकृत करेगा? कहीं कोई स्वयं अपने कंधे पर भी चढ़ सकता है? इन सबको अधिक स्पष्ट करते हुए कुंतक एक स्थान पर लिखते हैं कि 'अन्य पर्याय शब्दों के रहते हुए भी विवक्षित अर्थ का बोधक केवल एक शब्द ही वस्तुतः शब्द है।' इसी प्रकार सहृदयों के हृदय को आनंदित करने वाला अपने स्वभाव से सुंदर अर्थ ही वास्तव में अर्थ है। ये दोनों (शब्द और अर्थ) ही अलंकार्य होते हैं। वैदग्ध्य-पूर्ण उक्ति रूप वक्रोक्ति ही उन दोनों का अलंकार है।

आचार्य उद्भट का नाम भी अलंकारवादी आचार्यों में आता है। इन्होंने भामह के काव्यालंकार की टीका की तथा 'काव्यालंकार सार संग्रह' ग्रंथ की रचना की। इन्होंने गुण और अलंकार को अभिन्न माना। उद्भट अलंकार को काव्य का अभिन्न अंग मानकर चलते हैं और उनकी दृष्टि कुंतक की तरह ही 'सालंकारं काव्यता' को ही मानकर चलती है। दूसरी ओर वे गुण और अलंकार को काव्य में चारूता का द्योतक मानते हैं। वक्रोक्ति को अलंकार के मूल में होने को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं किंतु दूसरी ओर स्वभावोक्ति को भामह की तरह अकाव्य नहीं मानकर उसे एक अलंकार के रूप में मानते हैं किंतु दंडी की तुलना में वे इसके क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। भोजराज ने 'अलंकारैरलंकृतम्' का भी प्रतिपादन किया-

निर्दोषं गुणवत्काव्यमलंकारैरलंकृतम्।

रसान्वितं कविः कुर्वन्कीर्तिप्रीतिं च विन्दति॥

रुद्रट के अनुसार 'वास्तव' अलंकार है और 'वास्तव' अलंकार का यह लक्षण है- 'वास्तव' में वस्तु के स्वरूप का कथन होता है किंतु इसका पुष्टार्थ (रमणीयार्थ) वैपरीत्य, औपम्य, अतिशय तथा श्लेष आदि पर निर्भर नहीं रहता।' इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रुद्रट 'वास्तव' अलंकार में अप्रस्तुत विधान को स्वीकार नहीं करते तथा वस्तु के स्वरूप कथन में भी चमत्कार के अभिनिवेश को स्वीकार करते हैं। संभवतः वह वस्तु के प्राकृत सौंदर्य का वाचक है; जैसे-

वास्तवमिति तज्ज्ञेयं क्रियते वस्तु-स्वरूपकथनं यत्।

पुष्टार्थमविपरीतं निरुपममनतिशयम् अश्लेषम्॥

ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्रट वस्तु के आकृतिगत प्राकृत सौंदर्य को अधिक महत्व देते हैं। महिम भट्ट के अनुसार चारुत्व ही अलंकार है। यह चारुत्व वैचित्र्य का ही पर्याय है। अतः शब्दार्थ की विच्छिन्नता ही अलंकार है। यहां पर विचारणीय विषय दो हैं-(1) चारुत्व के बिना (वस्तु के अपकर्ष और उत्कर्ष) काव्य आस्वाद्य नहीं होता, किंतु (2) कवि अलंकार की सिद्धि के लिए नहीं अपितु रस या सौंदर्य सिद्धि के लिए काव्य रचना करता है।

अलंकार तो स्वतः ही सौंदर्य सिद्धि के लिए काव्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अलंकार रस के साथ बिना किसी प्रयत्न के ही सिद्ध हो जाते हैं। उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि महिम भट्ट की दृष्टि से काव्य में अलंकारों की क्या स्थिति है। वे काव्य के अंग हैं या अंगी हैं। इसके साथ-साथ महिम भट्ट ने स्वभावोक्ति को अलंकारत्व प्रदान करने में अलंकार और अलंकार्य के एकत्व को पुष्ट कर दिया है। इससे रस की स्थिति पुनः डावांडोल हो जाती है अथवा यूं कहें कि अलंकार्यत्व के लिए अवसर नहीं रह जाता क्योंकि वे विशिष्ट स्वरूप कथन को स्वभावोक्ति अलंकार मान लेते हैं।

जयदेव की दृष्टि में अलंकार से रहित उक्ति को काव्य मानना वैसा ही है जैसे अग्नि को उष्णता रहित मानना। ये पक्तियां ही अलंकारों के प्रति जयदेव के अनुराग को स्पष्ट करने में पर्याप्त हैं। जयदेव की दृष्टि में अलंकारों के बिना काव्य का काव्यत्व ही दांव पर लग जाता है और उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण-'शब्दार्थावनलंकृती पुनः क्वापि'-का खंडन करते समय जयदेव ने कहा कि जो व्यक्ति अलंकार रहित काव्य को काव्य मानते हैं वे विद्वान् अग्नि को भी उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि न तो अग्नि उष्णता रहित हो सकती है और न ही काव्य अलंकार रहित हो सकता है-

अंगीकरोति: यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती।

असौ न मन्यते कस्माद् अनुष्णामनलंकृती॥

जयदेव की दूसरी मौलिकता इस तथ्य में निहित है कि वे अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति को काव्य का मूल स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार उपमादि अलंकारों में वक्रता की समानता रहते हुए भी प्रत्येक अलंकार में परस्पर अंतर रहता है, जिस प्रकार मुख के उपांगों में समानता रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के मुख में विलक्षणता रहती है।

अलंकारवादियों के अतिरिक्त ध्वनिवादी, वक्रोक्तिवादी रीतिवादी आचार्यों ने भी 'अलंकार' पर अपने विचार व्यक्त किए। किसी ने काव्य में इनके महत्व को स्वीकार किया। किसी ने कहा कि काव्य में अलंकार हों तो ठीक है, न हों तो भी ठीक है। काव्य के काव्यत्व में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि काव्य की आत्मा रस है या काव्य की आत्मा ध्वनि है आदि। कुछ ने ध्वनि, रस, रीति, गुण आदि को भी काव्य के लिए अलंकार माना। किसी ने अलंकारों को रस का सहायक माना, किसी ने रस का आश्रित माना। किसी ने इन्हें रस के उन्मीलक तत्व के रूप में स्वीकार किया तो किसी ने कहा कि ये काव्य की आकर्षण शक्ति बढ़ाते हैं। भावों के स्पष्टीकरण के लिए भी किसी ने इन्हें आवश्यक माना किंतु अंततः भाव ही रस है ऐसा मानते हुए बात अपनी जगह लौट आई। अपनी-अपनी मान्यताओं, विचारों, दृष्टिकोण के अनुरूप अलंकार सिद्धांत की प्रतिष्ठा बनी रही। यह प्रासंगिकता नई कविता तक निरंतर जारी है।

3.3.3 शब्दालंकार एवं अर्थालंकार

काव्यशास्त्र के क्षेत्र में अलंकारों का सर्वप्रथम विवेचन हमें भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता है। भरत ने अपने ग्रंथ में 'उपमा, रूपक, दीपक एवं यमक' इन चार अलंकारों का

उल्लेख किया है। उपमा के पांच भेदों का उल्लेख भी भरत ने किया है तथा 'अन्य भेद भी हो सकते हैं' का संकेत भी दिया है। 'यमक' के भी अनेक भेदों का उल्लेख मिलता है।

भरत के पश्चात् भामह और दंडी ने अनेक अलंकारों को चिह्नित किया तथा उनके लक्षणों एवं उदाहरणों का विस्तार से विवेचन किया। इन्होंने अलंकारों की संख्या को चालीस तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं दंडी ने यमक के तीन सौ पंद्रह भेदों का भी उल्लेख किया है तथा उपमा के बत्तीस भेद बताए हैं। भामह की तुलना में दंडी ने अर्थालंकारों का विस्तार से विवेचन किया था। दोनों ही आचार्य अलंकार के दो भेद—(1) शब्दालंकार और (2) अर्थालंकार—प्रस्तुत कर चुके हैं। इनके पश्चात् उद्भट ने सर्वप्रथम अलंकारों का वर्ग विभाजन किया। इन्होंने 'इकतालीस' अलंकारों का विवेचन किया है। रीतिवादी वामन ने केवल बत्तीस अलंकारों का विवेचन किया है।

अलंकारवादियों में सर्वप्रथम 'रुद्रट' ने अलंकारों का साधारण वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। रुद्रट ने लगभग छियासठ अर्थालंकारों एवं पांच शब्दालंकारों का विवेचन अपने ग्रंथ में किया है। रुद्रट के पश्चात् मम्मट के अलंकार विवेचन को काव्यशास्त्र में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इन्होंने छह शब्दालंकारों और इकसठ अर्थालंकारों का विवेचन किया है।

रुय्यक के अनुसार अलंकारों का वर्गीकरण इस प्रकार है—(1) शब्दालंकार, (2) अर्थालंकार।

(1) शब्दालंकार—शब्दालंकार वहां होते हैं, जहां कथन का चमत्कार उसमें प्रयुक्त शब्दों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि उक्ति में से संबद्ध शब्दों को हटाकर उनके पर्यायवाची शब्द उक्ति में रख दिए जाएं तो उक्ति का वह चमत्कार भी समाप्त हो जाता है। अतः शब्द पर ही आधारित होने के कारण इन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। इनमें प्रमुख अलंकार हैं—अनुप्रास, यमक, पुनरुक्तवदाभास, श्लेष, वक्रोक्ति आदि।

(2) अर्थालंकार—अर्थालंकार वहां होते हैं, जहां अलंकार का सौंदर्य शब्द पर निर्भर न कर उसके अर्थ पर निर्भर करता है। किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिए जाने पर भी उसका अलंकारत्व यथावत् बना रहता है। अतः ऐसे अलंकारों को अर्थालंकार की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इन अलंकारों को निम्नलिखित पांच वर्गों में विभाजित किया गया है—

● सादृश्यमूलक अर्थालंकार—इस वर्ग में वे अलंकार आते हैं जिनमें सादृश्य न होने पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत के सादृश्य का निरूपण किया जाता है।

● विरोधमूलक अर्थालंकार—जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत में विरोध का चमत्कार पूर्ण कथन होता है वहां विरोधमूलक अलंकार होते हैं। इसमें विरोध कवि कल्पित होता है, वास्तविक विरोध नहीं होता। ऐसी उक्तियों में विरोध प्रतीत होते ही शांत हो जाता है और विरोध की शांति ही उक्ति का चमत्कार होता है। यह दृश्य ठीक इस प्रकार का होता है जैसे कि बादलों में क्षण भर को चमक कर बिजली छिप जाती है। जिस प्रकार बिजली की क्षणिक चमक दर्शकों को

चमत्कृत कर देती है, उसी प्रकार अप्रस्तुत का क्षणिक विरोध काव्य रसिकों को चमत्कृत कर देता है।

● शृंखलामूलक अर्थालंकार—शृंखलामूलक अलंकारों की योजना वहां होती है, जहां प्रत्येक पद शृंखला की तरह परस्पर जुड़े रहते हैं। यह संबंध कभी कार्य-कारण भाव का होता है, कभी विशेषण-विशेष्य का तो कभी यह उत्कर्षापकर्ष भाव का होता है।

● न्यायमूलक अर्थालंकार—न्यायमूलक अलंकारों की अवस्थिति वहां पर होती है जहां पर उक्ति किसी लौकिक न्याय या वाक्य न्याय पर आधारित होती है। कहीं-कहीं तर्क के आधार पर न्याय का दिग्दर्शन कराया जाता है। काव्य लिंग, अलंकार इसी न्याय का प्रतिपादन करता है।

कनक-कनक से सौ गुनी मादकता अधिकाय
इक खाए बौरात हैं इक पावत बौराय।।

इस स्वर्ण में धतूरे से अधिक मादकता होती है। यहां प्रस्तुत अर्थ को तर्कन्याय से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उसके खाने से नशा आता है किंतु इसके पाने मात्र से नशा आ जाता है। इसी प्रकार अन्य न्यायों को भी समझना चाहिए।

● गूढार्थ प्रतीतिमूलक अर्थालंकार—गूढार्थ प्रतीतिमूलक अलंकार वहां होते हैं, जहां अप्रस्तुत विधान के कारण संपूर्ण उक्ति से किसी अन्य अर्थ की समझीय व्यंजना होती है। जहां प्रस्तुत अर्थ का अन्य अर्थ में न्यास होता है तथा व्यंग्यार्थ सदैव प्रतीयमान रहता है, वहां गूढार्थ प्रतीतिमूलक अलंकार ही माना जाना चाहिए।

पंडितराज जगन्नाथ ने अर्थालंकार को तीन वर्गों में विभाजित कर सादृश्यमूलक अलंकारों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया है—(1) जहां पर सादृश्य स्पष्ट एवं स्फुट होता है वहां पर स्फुट सादृश्यमूलक अलंकार होता है, जैसे—उपमा, रूपकादि। (2) जहां पर सादृश्य अस्फुट रहता है वहां पर अस्फुट सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं, जैसे— दीपक, तुल्य, योगिता आदि।

3.3.4 अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा संदेह अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण

(1) अनुप्रास अलंकार

अनुप्रास का अर्थ होता है बारंबार निकट रखना अर्थात् वर्णों का बार-बार प्रयोग। अलंकार रूप में अनुप्रास की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वर्णों की रसानुकूल बार-बार आवृत्ति करना ही अनुप्रास अलंकार होता है। विश्वनाथ ने इसके पांच प्रमुख भेदों का उल्लेख किया है— (1) छेकानुप्रास, (2) वृत्यनुप्रास, (3) श्रुत्यनुप्रास, (4) अंत्यानुप्रास और (5) लाटानुप्रास।

● छेकानुप्रास—जहां पर अनेक व्यंजनों की एक बार स्पष्टतः एवं क्रमशः आवृत्ति की गई हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसे छेकानुप्रास इसलिए कहते हैं कि संभवतः अनुप्रास की

यह योजना छेक अर्थात् विदग्ध जनों को अधिक प्रिय थी। अतः कवियों ने इस अलंकार के पर्याप्त प्रयोग किए हैं। जैसे—

बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। (मानस)

यहां प, सु, स, आदि अनेक व्यंजनों की एक-एक बार आवृत्ति की गई है।

● वृत्यनुप्रास—जहां पर वर्णों की अथवा वर्ण की अनेक बार आवृत्ति की गई हो वहां पर वृत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे—

'कंकन किंकनी नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय गुनि॥ (मानस)
न, नी, नि की आवृत्ति है।

● श्रुत्यनुप्रास—जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले व्यंजनों में समानता पाई जाती है, वहां पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे—

जाहि जन पर ममता अति छोहू। जेहि करुण करि कोन्ह न कोहू॥ (मानस)

यहां 'ह' की चार बार और 'क' की तीन बार आवृत्ति की गई है। दोनों वर्णों का एक कंठ ही उच्चारण स्थान है अतः श्रुत्यनुप्रास होगा।

● अंत्यानुप्रास—जहां पर पद या पद के अंत में सभी पदों में समान स्वर और व्यंजन की आवृत्ति की जाती है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। हिंदी भाषा में ऐसे पदों को तुकांत कविता या तुकांत पद कहते हैं। यह आवृत्ति क्योंकि पद के अंत में होती है, इसलिए इसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे—

धीरज धरम मित्र अरु नारी। आपति काल परखिए चारी। (मानस)
दोनों अर्धाली में 'री' की आवृत्ति है।

● लाटानुप्रास—जहां शब्द और अर्थ की समान रूप से आवृत्ति की जाती है किंतु अन्वय करने पर उनके अभिप्राय में भिन्नता आ जाती हो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे—

पूत कपूत तो का धन संचै। पूत सपूत तो का धन संचै॥

'धन संचय' का रूप एवं अर्थ दोनों बार समान है किंतु तात्पर्य बदल गया है।

(2) यमक अलंकार

जहां सार्थक किंतु भिन्नार्थक या निरर्थक वर्ण-समुदाय की एक से अधिक बार आवृत्ति की जाती है वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे—

कनक-कनक तें सौ गुनी मादकता अधिकाय।
या खाए बौरात जग, का पाये बौराय॥

अर्थात् एक ही शब्द की बार-बार आवृत्ति होती है किंतु हर बार अर्थ अलग होता है।
जैसे—कनक का अर्थ - सोना और धतूरा दोनों हैं। (बिहारी)

(3) श्लेष अलंकार

श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है—शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष।

● शब्द श्लेष—शब्द श्लेष अलंकार वहां होता है, जहां अलंकार का सौंदर्य शब्द विशेष पर आधारित होता है। यदि उस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया

जाए तो श्लेष अलंकार वहां पर नहीं रहेगा। शब्द श्लेष के दो भेद होते हैं—(1) अभंग श्लेष और (2) सभंग श्लेष। अभंग श्लेष में तो प्रयुक्त शब्द ही एक से अधिक अर्थों का द्योतन कराने की क्षमता रखता है। जैसे—

तुम्हारा पी मुख वास तरंग आज बौरै भौरै सहकार।

उपर्युक्त पंक्ति में बौरै शब्द में श्लेष है। इसके दो अर्थ हैं—(1) फूल आना या बौर आना (2) मस्त होना। सहकार अर्थात् आम वृक्ष के प्रसंग में पुष्पित होना और भौरै के प्रसंग में मस्त होना अर्थ लिए जाएंगे। यहां पर एक ही शब्द दोनों अर्थ दे रहा है। अतः यहां पर अभंग श्लेष अलंकार है। यदि हम 'बौरै' शब्द के स्थान पर 'मंजरी' या 'मद' जैसे पर्यायवाची शब्दों का 'बौरै' शब्द के स्थान पर प्रयोग कर दें तो श्लेष अलंकार नहीं रहेगा। अतः यह शब्द श्लेष है।

जहां तक सभंग श्लेष का प्रश्न है, वहां पर शब्द का खंड करने पर दूसरा अर्थ निकलता है तथा शब्द के तोड़ने या भंग करने से दूसरा अर्थ निकलता है, इसलिए इसे सभंग श्लेष कहते हैं। जैसे—

चिर जीवौ जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर।

को घटि वह वृषभानुजा ए हलधर के वीर॥

(बिहारी)

उपर्युक्त दोहे में 'वृषभानुजा' और 'हलधर' शब्दों में श्लेष अलंकार है। वृषभानुजा का अर्थ है 'राधा जी' और 'हलधर के वीर' का अर्थ है बलदेव जी के भाई अर्थात् कृष्ण जी। दोनों का प्रेम गंभीर क्यों न हो, क्योंकि दोनों में कोई भी कम नहीं है। इन दोनों शब्दों में वृषभानु + जा (वृषभानु की पुत्री) का अर्थ है 'राधा' किंतु 'वृषभ + अनुजा' (संधि विच्छेद करने पर) का अर्थ है बैल की छोटी बहिन अर्थात् गाय। 'हल + धर' का अर्थ हो जाएगा 'बैल' और इस प्रकार 'हलधर के वीर' का अर्थ हुआ 'बैल का भाई अर्थात् सांड'। इन पंक्तियों में प्रथम पंक्ति में ही संधि-विच्छेद से दूसरा अर्थ आने से वह सभंग श्लेष का उदाहरण हुआ।

● अर्थ श्लेष—अर्थ श्लेष अलंकार वहां होता है जहां पर अर्थ में अलंकारत्व रहता है। यदि संबद्ध शब्द के स्थान पर उसका कोई भी पर्यायवाची शब्द रख दें तब भी श्लेष का सौंदर्य बना रहे वहां पर अर्थ श्लेष अलंकार रहता है। जैसे—'साधु चरित सुभ सरिस कपासू। निरस विसद गुणमय फल जासू।' इस चौपाई में 'निरस, विशद और गुणमय' तीन एकार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है जो साधु और कपास दोनों के प्रसंग में अपना अर्थ देते हैं जैसे कपास रुखी, उजले धागे वाली होती है और साधुओं का चरित्र (विषय रस से) सूखा, निर्मल गुण वाला होता है। इस चौपाई में 'निरस और विसद' शब्दों 'गुणमय' का प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची (रसहीन, विस्तृत) रख देने पर श्लेष की सत्ता बनी रहने से अर्थ प्राबल्य सिद्ध होता है। अतः यहां अर्थ श्लेष अलंकार है।

(4) वक्रोक्ति अलंकार

किसी एक अभिप्राय वाले अभिव्यक्त वाक्य का, किसी अन्य द्वारा (श्लेष अथवा काकु से) अन्य अर्थ लिए जाने को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार का नियोजन एक जटिल कर्म है। यही कारण है कि कवियों ने इसका प्रयोग कम ही किया है।

टिप्पणी

उदाहरण—

को तुम हौ इत आए कहां घनस्याम हौ तौ कित हूं बरसो।
चितचोर कहावत हैं हम तौ तहां जाहुं जहां धान है सरसों।

वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है— (1) श्लेष वक्रोक्ति, (2) काकु वक्रोक्ति।

- श्लेष वक्रोक्ति में किसी शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण वक्ता के अभिप्रेत अर्थ से अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है।
- काकु वक्रोक्ति में कंठ ध्वनि अर्थात् वक्ता के लहजे में भेद होने के कारण अन्य अर्थ कल्पित किया जाता है।

(5) उपमा अलंकार

जहां उपमेय और उपमान में भेद रहते हुए भी उपमेय के साथ उपमान के सादृश्य का वर्णन हो वहां उपमा अलंकार होता है।

उपमा में चार तत्वों का होना आवश्यक है—(1) उपमेय, (2) उपमान, (3) समान धर्म, और (4) वाचक शब्द।

1. उपमेय—जिस वस्तु का उपमान के साथ सादृश्य का वर्णन होता है, उस वस्तु को उपमेय कहते हैं।
2. उपमान—जिस वस्तु के साथ उपमेय का सादृश्य बताया जाता है, वह वस्तु उपमान कहलाती है।
3. समान धर्म—दोनों वस्तुओं—उपमेय और उपमान—में समान रूप से पाए जाने वाले धर्म का कथन समान धर्म कहलाता है।
4. वाचक शब्द—उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ने वाले शब्द को वाचक कहा जाता है।

उपर्युक्त तत्वों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है जैसे—“मुख चंद्रमा के समान सुंदर है।” इस वाक्य में मुख का चंद्रमा के साथ सादृश्य बताया गया है इसलिए ‘मुख’ उपमेय है और चंद्रमा के साथ तुलना की जाने के कारण ‘चंद्रमा’ उपमान है। सुंदरता को दोनों का समान धर्म बताया गया है, जो चंद्रमा के समान मुख में भी विद्यमान है। अतः यहां पर ‘सुंदर’ शब्द समान धर्म है। इसी वाक्य में ‘के समान’ शब्द मुख और चंद्रमा को सुंदर (समान धर्म) के साथ जोड़ रहा है, इसलिए इसे वाचक शब्द कहा जाएगा। समानता बताने के कारण इसे सादृश्य वाचक भी कह सकते हैं। समान, सादृश्य सरिस सो, से, ज्यों, जैसे, जैसा, जिमि, लौ, तुल्य, सम आदि शब्द सादृश्य वाचक होते हैं।

उपमा को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—(1) पूर्णोपमा, (2) लुप्तोपमा, और (3) मालोपमा।

- पूर्णोपमा—पूर्णोपमा अलंकार वहां होता है जहां उपमा के चारों अवयव—उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द उपस्थित रहते हैं। इस अलंकार को पूर्णोपमा अलंकार इसलिए कहा जाता है कि इसमें उपमा अलंकार के लिए निश्चित चारों अवयव शब्द के द्वारा कथित रहते हैं। उदाहरण—‘पीपर पात सरिस मन डोला।’

टिप्पणी

उक्त पद्य में मन की तुलना पीपर के पत्ते के साथ की गई है इसलिए इसमें ‘मन’ उपमेय है और ‘पीपर पात’ उपमान। दोनों के चांचल्य को ‘डोला’ शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है जो इनमें पाए जाने वाले समान धर्म को भी व्यक्त करता है अतः वह समान धर्म है। ‘सरिस’ शब्द क्योंकि समानता को व्यक्त कर रहा है इसलिए यह वाचक शब्द है।

- लुप्तोपमा—जहां पर उपमा के उक्त चारों अंगों में से जब किसी एक अंग का वर्णन शब्द के द्वारा कथित नहीं होता, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। इस दृष्टि से लुप्तोपमा के चार भेद हो जाते हैं—

(1) उपमेय लुप्तोपमा, (2) उपमान लुप्तोपमा, (3) समान धर्म लुप्तोपमा और (4) वाचक शब्द लुप्तोपमा। कभी-कभी एक ही पद से दो-दो अंगों का लोप भी कर दिया जाता है, उदाहरण—‘कोटि कुलश सम वचन तुम्हारा’। यह पद समान धर्म लुप्तोपमा का उदाहरण है। इसमें वचन उपमेय कुलश उपमान और ‘सम’ वाचक शब्द का कथन तो है ही किंतु ‘कठोर’ का समान धर्म का कथन नहीं किया गया है। अतः समान धर्म का कथन न होने के कारण यह समान धर्म लुप्तोपमा है।

- मालोपमा—जहां एक उपमेय की अनेक उपमानों के साथ समानता का वर्णन किया जाता है वहां मालोपमा अलंकार होता है। उदाहरण—जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ! पुरुष बिनु नारी।

(6) रूपक अलंकार

जहां उपमेय का कथन कर उसका उपमान के साथ अभेद आरोपित किया गया हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है अर्थात् उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है या समझ लिया जाता है। जैसे—मुख चांद है। इस वाक्य में मुख को चांद बता दिया गया है। रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं—(1) निरंग रूपक, (2) सांग रूपक, (3) परंपरित रूपक।

- निरंग रूपक—जहां केवल उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। प्रत्येक वस्तु मूल होती है और उसके अंग भी होते हैं। मूल वस्तु को ‘अंगी’ कहा जाता है। ‘निरंग’ शब्द का अर्थ ही होता है ‘अंग रहित’। कुछ विद्वान इसे निरवयव रूपक भी कहते हैं। जैसे—

विधु वदनी सब भाति संवारी। सोह न वसन बिना वर नारी।

- सांग रूपक—जहां पर उपमेय के सभी अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के सभी अंगों या अवयवों का आरोप वर्णित हो, वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। इस अलंकार-रूप में अंगों सहित अंगी उपमेय पर अंगों सहित अंगी उपमान का आरोप किया जाता है। इसमें अनेक आरोप वर्णित होते हैं, जैसे—

बीती विभावरी जाग री,
अंबर पनघट में डुबो रही।
तारा-घट ऊषा-नागरी।

इन पंक्तियों में अंबर में पनघट का, तारे में घट का और ऊषा में सुंदरी का आरोप किया गया है। यहां पर प्रातःकाल के आकाश, तारा और ऊषा का कुएं के पनघट, घट और

टिप्पणी

नागरी पर आरोप कर रात्रि के बीतने और प्रातःकाल के आगमन का वर्णन किया गया है। अतः समस्त अंगों पर आरोप कथित होने से यहां पर सांग रूपक अलंकार है। सांग रूपक के पुनः दो भेद किए जाते हैं—(1) समस्त वस्तु विषय और (2) एकदेशविवर्ति।

(1) समस्त वस्तु विषय सांग रूपक अलंकार वहां होता है, जहां पर उपमेय और उपमान के समस्त अंगों का शब्दों के द्वारा कथन हो और (2) एकदेशविवर्ति सांग रूपक अलंकार वहां होता है, जहां पर कुछ अंगों का तो शब्द द्वारा कथन कर दिया जाता है और कुछ का आक्षेप से या प्रसंग से ग्रहण किया जाता है।

● परंपरित रूपक—जहां पर एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, वहां पर परम्परित रूपक अलंकार होता है। परंपरित का अर्थ होता है परंपरा या क्रम। इस प्रसंग में कम से कम दो आरोप होते हैं जिनमें एक आरोप कारण होता है और दूसरा कार्य। कहने का तात्पर्य यह है कि एक आरोप कर देने के पश्चात दूसरे आरोप का निरूपण करना आवश्यक हो जाता है। जैसे—

राम कथा सुंदर करतारी। संशय बिहग उड़ावन हारी। (मानस)

उपर्युक्त चौपाई में रामकथा पर करताल (तालियों) का आरोप किया गया है और संशय पर पक्षी का आरोप किया गया है। यहां पर 'संशय-बिहग' आरोप कार्य है और 'रामकथा-करतारी आरोप' कारण है। अतः कार्य-कारण की परंपरा का चित्रण होने के कारण यहां पर परंपरित रूपक अलंकार है।

परंपरित रूपक अलंकार दो प्रकार का होता है—(1) श्लिष्ट परंपरित रूपक और (2) अश्लिष्ट परंपरित रूपक अलंकार।

(7) उत्प्रेक्षा अलंकार

जहां प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना अर्थात् उत्कृष्ट कल्पना का वर्णन हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का व्युत्पत्तिपरक अर्थ होता है— किसी वस्तु को उत्कट या प्रकृष्ट रूप से देखना। इसमें जनु, मानों, मनु, इव आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले दो भेद किए जाते हैं—(1) वाच्या और (2) प्रतीयमान।

वाच्या में वाचक शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है जबकि प्रतीयमान में व्यंग्य की प्रधानता रहने के कारण वाचक शब्दों का अभाव पाया जाता है। वाच्योत्प्रेक्षा के पुनः तीन भेद किए जाते हैं—(1) वस्तुत्प्रेक्षा, (2) हेतुत्प्रेक्षा और (3) फलोत्प्रेक्षा। उदाहरण—

पंथ जात सोहहिं मति धीरा। ज्ञान भक्ति जनु धरे सरीरा। (मानस)

(8) संदेह अलंकार

जहां किसी वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और सादृश्य के कारण अनिश्चय बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। प्राचीन काव्य में यह संदेह किवा, धौं, किधौं आदि तथा खड़ी बोली के काव्य में कि, क्या या तथा अथवा आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए—

मद भरे ये नलिन नयन मलीन हैं,
अल्प जल में या विकल लघु मीन है।

यहां 'नयन' के विषय में 'मीन' का संदेह होता है। 'या' संदेहवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है।

अन्य प्रमुख अलंकार

(1) उपमेयोपमा अलंकार—जहां पर उपमेय और उपमान परस्पर एक दूसरे के उपमेय और उपमान बन जाते हैं, वहां उपमेयोपमा अलंकार होता है। वस्तुतः यहां पूर्व कथित उपमेय उत्तर कथन में उपमान और पूर्व कथित उपमान उत्तर कथन में उपमेय बन जाता है अर्थात् लेखक की दृष्टि में उन दोनों के अतिरिक्त उनकी समता के लिए कोई तीसरी वस्तु नहीं होती, जैसे—'वे तुम सम तुम उन सम स्वामी।' उक्त पद के पूर्व कथन में वे उपमेय हैं और तुम उपमान किंतु उत्तर कथन में तुम उपमेय बन जाता है और 'उन' उपमान बन जाता है। इस कारण यह उपमेयोपमा अलंकार है। अन्य उदाहरण—राम के समान, शंभू, शंभू सम राम है।

(2) अनन्वय अलंकार—अनन्वय अलंकार वहां होता है, जहां उपमेय को ही उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि रचनाकार कार्य विषय की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए यह बताना चाहता है कि विश्व में दूसरी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो उस वस्तु की समता कर सके। इसलिए उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। उदाहरण—

'उपमान विहीन रचा विधि ने, बस भारत के सम भारत है।'

उक्त पद्य में भारत की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए कवि ने भारत उपमेय के लिए भारत उपमान का ही वर्णन किया है अतः यहां अनन्वय अलंकार है। अन्य उदाहरण—

'सुंदर नंदकिशोर से, सुंदर नंदकिशोर।'

(3) उदाहरण अलंकार—जहां पहले किसी सामान्य बात का कथन किया जाए और फिर उसे स्पष्ट करने के लिए उसी सामान्य के एक अंश विशेष का वाचक शब्दों के द्वारा निरूपण कर उनका अवयवावयवी भाव प्रकट किया जाए वहां उदाहरण अलंकार होता है। इसमें उपमेय वाक्य प्रधान होता है—

नीकी पै फीकी लगै, बिन अवसर की बात।

जैसे वर्णन युद्ध में, रस शृंगार न सुहाता।

(4) प्रतीप अलंकार—'प्रतीप' का अर्थ होता है विपरीत। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अलंकार उपमा से विपरीत अर्थात् उलटा होता है। अतः इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जहां प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष दिखाया जाता है वहां प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण—उस तपस्वी से लंबे ये देवदारू दो चार खड़े।—कामयानी

(5) व्यतिरेक अलंकार—जहां गुणाधिक्य के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष वर्णित होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का अर्थ होता है उत्कर्ष या आधिक्य। अतः इस अलंकार के माध्यम से उपमेय का उत्कर्ष प्रदर्शित किया जाता है। जैसे—

सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कहि जाय।

निसि मलिन वह, निसि-दिन यह विगसाय।

(बरवै रामायण)

(6) स्मरण अलंकार—जहां पहले से देखी हुई या अनुभव की हुई वस्तु का उसी के सदृश किसी अन्य वस्तु को देखकर या अनुभव कर, स्मरण हो आने का वर्णन हो, वहां स्मरण

टिप्पणी

अलंकार होता है। जैसे— भएउ कोलाहलु नगर मंझारी
आवा कपि लंका जेहि जारी॥

(7) असम अलंकार—जहां उपमेय के समान किसी उपमान के निषेध का वर्णन हो, वहां असम अलंकार होता है। 'असम' का अर्थ होता है जिसके समान कोई अन्य न हो। जैसे—

फलराज रसाल समान कहीं।
फल और मनोहर एक नहीं॥

(8) उल्लेख अलंकार—जहां एक वस्तु को अनेक प्रकार से वर्णित किया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं—1. प्रथम उल्लेख, 2. द्वितीय उल्लेख।

प्रथम उल्लेख—जहां एक ही वस्तु अनेक व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखी जाए अथवा वर्णित की जाए वहां प्रथम उल्लेख होता है; जैसे

गज रक्षक वृद्धान ने, युवतिन ने श्रीकांत।
असुर-तियन हरि लखे, रिसियाने नरकांत॥

जिस समय श्रीकृष्ण मथुरा में प्रविष्ट हुए तो वृद्ध नारियों ने उन्हें गज का उद्धार करने वाला, युवतियों ने लक्ष्मीकांत, असुरपत्नियों ने साक्षात् विष्णु समझा जिन्होंने सक्रोध नरकासुर का वध किया। अतः यहां श्रीकृष्ण का विभिन्न दृष्टियों से वर्णन होने के कारण प्रथम उल्लेख है।

द्वितीय उल्लेख—जहां पर एक वस्तु एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न दृष्टि से देखी जाए अथवा वर्णित हो, वहां द्वितीय उल्लेख होता है; जैसे—

तू रूप है किरन में, सौंदर्य है सुमन में।
तू प्रण है पवन में, विस्तार है गगन में॥

यहां कवि ने ईश्वर का विभिन्न दृष्टियों से अनेक रूपों में उल्लेख किया है, अतः यहां द्वितीय उल्लेख है।

(9) अपहृति अलंकार—जहां उपमेय को नकार कर उपमान का आरोप किया जाए वहां अपहृति अलंकार होता है। इसके छः भेद हैं—

शुद्धापहृति—इसमें वास्तविक उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोपण किया जाता है; जैसे—वे दो ओठ न थे, राधे, था एक फटा उर तेरा।
यहां ओठों का निषेध करके उर का आरोप किया गया है।

हेत्वपहृति—जहां उपमेय के निषेध के कारण बताते हुए उपमान की स्थापना हो—
अभी उम्र कुल तेइस की थी, मनुज नहीं अवतारी थी।
हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी।

यहां लक्ष्मीबाई में मनुजत्व का निषेध करके उसके अवतारी होने की स्थापना की गई है। दूसरी पंक्ति में कारण देने से यह हेत्वपहृति है।

पर्यस्तापहृति—इसमें किसी वस्तु के धर्म का निषेध दूसरी वस्तु में उसके आरोप के लिए किया जाता है—

तेरे ही भुजनि पर भूतल को भार,
कहिबे को सेसनाग दिगनाग हिमाचल है।

यहां सेसनाग, दिगनाग का निषेध कर उसका आरोप भुजबल पर किया गया है।
भ्रांतापहृति—इसमें सत्य बात प्रकट करके किसी के भ्रम को दूर किया जाता है—

आनन हैं, अरविंद न फूले, अलिंगन भूलैं कहा मंडरात हौ।
बोलती बाल, न बाजती वीन कहा सिगरे मृग घेरति जात हौ॥

यहां भ्रांति कवि-कल्पित है।

छेकापहृति—इसमें सत्य को छिपाकर असत्य के द्वारा भ्रांति दूर करने का प्रयास होता है—

आँखें अति सीतल भई, दीन्हों ताप निहारि।
क्यों सखि पीतम को लखै, ना सखि, ससिहिं निहारि॥

यहां एक सखी अन्य सखी के भाव से अनजान है और प्रियतम दर्शन की बात पूछती है किंतु वह एकदम बात बदलकर चंद्रिका की बात करने को कहती है।

कैतवापहृति—जिसमें उपमेय का स्पष्ट निषेध न करके मिस, ब्याज, छल आदि शब्दों से निषेध किया जाए—

यों लछिराम छटा नख नौल तरंगनि गंग प्रभा फल पेनी।
मैथिली के चरनांबुज ब्याज लसै मिथिला जग मंजु त्रिवेनी॥

यहां 'चरणोदक' का निषेध 'ब्याज' से किया गया है।

(10) भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार—भ्रम का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। जहां पर किसी सदृश वस्तु में अर्थात् उपमेय में अन्य वस्तु अर्थात् उपमान के सुंदर कल्पित मिथ्या ज्ञान का वर्णन होता है, वहां पर भ्रम, भ्रांति या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण—

पाय महावर देन को नाइन बैठी आय।

फिरि-फिरि जानि महावरी, एडी मीड़त जाया॥

—बिहारी

यहां नाइन ने भ्रमवश एड़ी की लाली के कारण एड़ी को ही महावर समझ लिया।

(11) अतिशयोक्ति अलंकार—'अतिशयोक्ति' का अर्थ है उक्ति की अतिशयता अर्थात् किसी कथन को सामान्य रूप में प्रस्तुत न कर उसे बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके प्रमुख छह भेद किए हैं—

- (1) रूपकातिशयोक्ति, (2) भेदकातिशयोक्ति, (3) संबन्धातिशयोक्ति, (4) अक्रमातिशयोक्ति, (5) चपलातिशयोक्ति और (6) अत्यन्तातिशयोक्ति।

● रूपकातिशयोक्ति—'देखो दो-दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी'—यहां दो मेघों के उपमान में दो आँखें उपमेय हुई हैं। उपमेय का उपमान में अध्यवसान हो जाने के कारण यहां रूपकातिशयोक्ति है।

टिप्पणी

● **भेदकातिशयोक्ति**—जहां भेद न रहते हुए भी उपमेय में चमत्कार लाने के लिए अन्य, और अनियार जैसे शब्दों का प्रयोग कर भेद स्थापित किया जाए वहां यह अलंकार होता है—
सुनहुं सखा कह कृपानिधाना।
जेहि जय होई सो स्यंदन आना॥

● **संबंधातिशयोक्ति**—जहां पर संबंधों में असंबंध और असंबंधों में संबंध का वर्णन हो वहां पर यह अलंकार होता है।

‘जो संपदा नीच गृह सोहा।
सो विलोकि सुरनायक मोहा।’ —मानस

● **अक्रमातिशयोक्ति**—जहां क्रम नहीं होता और क्रम का त्याग कर कवि कार्य-कारण का अत्यधिक वर्णन करता है वहां यह होता है—

‘संधानेउ प्रभु बिसिख कराला।
उठी उदधि उर अंतर ज्वाला॥’ —मानस

● **चलातिशयोक्ति**—जहां कारण को देखते ही कार्य की संपन्नता का वर्णन किया जाए वहां यह अलंकार होता है—

‘तब सिव तीसर नयन उघारा।
चितवत काम भयउ जरि छारा।’ —मानस

● **अत्यंतातिशयोक्ति**—इसमें कारण के पहले ही कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे—
हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निसाचर भाग।

(12) **दीपक अलंकार**—जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म के साथ संबंध दिखा कर वर्णन किया जाता है वहां पर दीपक अलंकार होता है। जैसे—

सेवक सठ नृप कृपन कुनारी।
कपटी मित्र सूल-सम चारी॥ (मानस)

(13) **प्रतिवस्तुपमा अलंकार**—जहां एक वाक्यार्थ का दूसरे वाक्यार्थ के साथ बिना वाचक शब्द के सादृश्य का वर्णन हो तथा एक ही समान धर्म का पृथक-पृथक शब्दों के द्वारा कथन हो वहां प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। प्रतिवस्तुपमा का अर्थ होता है—‘प्रतिवस्तु’ अर्थात् प्रत्येक वाक्य के अर्थ में उपमा का समावेश किया गया हो। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं—
(1) उपमेय वाक्य और (2) उपमान वाक्य। दोनों वाक्यों का एक ही समान धर्म होता है।
(3) समान धर्म का कथन पृथक-पृथक शब्दों द्वारा किया जाता है और (4) इसमें सादृश्य, साधर्म्य के द्वारा ही नहीं अपितु वैधर्म्य के द्वारा भी निरूपित होता है। उदाहरण—

सठ सुधरहिं सत्संगति पाई।
परस-परस कुधात सुहाई॥ (मानस)

(14) **दृष्टांत अलंकार**—जहां दो वाक्यार्थों में आए उपमेय और उपमान के समान धर्मों में बिंब-प्रतिबिंब भाव संबंध हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय वाक्य में एक सामान्य बात कही जाती है किंतु उपमान वाक्य में कोई उससे मिलता-जुलता दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है जो उपमेय वाक्य के कथन की पुष्टि करता है। दृष्टांत यानी—उदाहरण—

करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निसान॥ (वृंद)

(15) **निदर्शना अलंकार**—दो वाक्यों में परस्पर संभव और असंभव संबंध होने पर भी उपमा के द्वारा उनमें संबंध की कल्पना करना निदर्शना अलंकार होता है। निदर्शना का अर्थ भी दृष्टांत होता है किंतु इसमें निश्चित रूप से सादृश्य का अभिव्यंजन किया जाता है। उसमें संभव की अभिव्यक्ति की जाती है। उदाहरण—

सो धनु राज कुंअर कर देहीं।
बाल मराल कि मंदर लेहीं॥ —मानस

फल की समानता के कारण असंभव संबंध स्थापित किया गया है।

(16) **समासोक्ति अलंकार**—जहां कवि के प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त शिल्प पदों या शब्दों के संगठन से कोई अप्रस्तुत भाव भी अनायास ही प्रकट होता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है, जैसे—

जीवन के दानि हों, सुजान हौ, सरस अति।
जगत के जीवन मैं, आनन्द उमाहे हौ॥

यहां जीवन शब्द अनेकार्थ सूचक तथा सरस शब्द भी दो अर्थों का सूचक है। इससे इसमें अन्यार्थ प्रतीत होता है।

(17) **अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार**—जहां अप्रस्तुत (उपमान) के द्वारा उपमेय का बोध कराया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे—

नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहि काल।
अली कली ही सौं बंध्यो आगे कौन हवाल॥

यहां भौरे और कली के माध्यम से प्रस्तुत राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा पत्नी का बोध कराया गया है। अतः अन्योक्ति अलंकार है।

विरोधमूलक अलंकार

(18) **विरोधाभास अलंकार**—जहां पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण—

या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोया।
ज्यों-ज्यों बूड़े स्याम रंग, त्यों-त्यों ऊजवल होया॥ (बिहारी)

(19) **विभावना अलंकार**—जहां कारण के अभाव में ही कार्य की संपन्नता का वर्णन किया गया हो, वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण—

‘बिनु पद चलै सुनै बिनु काना।
कर बिनु करम करै बिधि नाना॥’ (मानस)

यह अलंकार दो प्रकार का होता है—(1) शाब्दी विभावना, (2) आर्थी विभावना।

● **शाब्दी विभावना**—इसमें कारण के अभाव का शब्द के द्वारा कथन किया जाता है। जैसे—
‘निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाया।
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुभाया॥’

टिप्पणी

टिप्पणी

यहां पानी और साबुन वस्त्रादि की मैल साफ करने के कारण हैं। इनके अभाव में चित्त के निर्मल होने का वर्णन किया गया है कि निंदक को पास में रखने से वह दोषों को उजागर करेगा जिससे व्यक्ति अपने दोष दूर कर लेगा।

● **आर्थी विभावना**—यहां कारण का अभाव अर्थ द्वारा कथित होता है। जैसे—'बिनु पद चले सुनै बिनु काना'—अर्थ के द्वारा ईश्वर की महिमा का पता चलता है कि उसकी कृपा से मनुष्य बिना पैर के चल सकता है तथा बिना कान के सुन सकता है।

(20) **विशेषोक्ति अलंकार**—जैसा कहा जा चुका है, 'असंगति' में कारण और कार्य दोनों होते हैं, परंतु एक ही जगह नहीं, दूर-दूर, इसके विपरीत जब कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता तब विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे—

मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलै विरंचि सम।

फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसहिं जलद।।

यहां विरंचि समान गुरु की प्राप्ति होने पर भी मूरख सचेत नहीं हो रहा। अर्थात् प्रबल और पूर्ण कारण के रहने पर भी कार्य नहीं हो रहा।

(21) **असंगति अलंकार**—जहां कारण किसी अन्य स्थल पर हो और कार्य की निष्पत्ति किसी अन्य स्थल पर वर्णित हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। उदाहरण—

'कोयल काली मतवाली है, आम्र मंजरी झूम रहीं।

यहां मस्ती कोयल में है और आम्र मंजरी का झूमना दिखाया गया है। कार्य और कारण अलग-अलग जगहों पर स्थित है।

दृग उरझत दूटत कुटुम, जुरत चतुर संग प्रीति।

परति गांठि दुरजन हृदै, दई नई यह रीति।।

—बिहारी

(22) **विषम अलंकार**—जहां विरोधाभास अलंकार में ऐसे पदार्थों का एक-दूसरे में संबंध कहा जाता है जिनमें वास्तव में परस्पर भेद होता है, परंतु जब ऐसे दो पदार्थों का परस्पर संसर्ग कराया जाता है जिनका संबंध अनुचित होता है तब विषम अलंकार होता है। जैसे—

कहँ धनु कुलिसहूँ चाहि कठोरा, कहँ स्यामल मृदुगात किसोरा! —तुलसी

'शिव' के कठोर 'धनुष' और 'राम' के कोमल 'तन' का संबंध होना अनुचित लगता था परंतु यहां ऐसा कराया जा रहा है, अतः यह विषम 'असमान' संयोग है।

(23) **कारणमाला अलंकार**—जहां शृंखला रूप में वर्णित पदार्थों का कार्य-कारण भाव संबंध हो वहां कारणमाला अलंकार होता है। उदाहरण—

विद्या ते उपजै विनय विनय जगत-बस होया

जगत भये बस धन मिलै, धन ते धरम उदोत।।

(हीरा द्वारा उद्धृत)

इस अलंकार की योजना दो प्रकार से होती है—(1) पूर्व-पूर्व में कारण तथा पर-पर में कार्य (2) पूर्व पूर्व में कार्य — पर पर में कारण।

प्रथम योजना का उदाहरण ऊपर दिया गया है। दूसरी योजना का उदाहरण है—

अन्न मूल धन, धनन को मूल जग्य अभिराम।

ताको धन, धन को धरम, धरम मूल हरिनाम।।

टिप्पणी

(24) **एकावली अलंकार**—करणमाला में कार्य कारण का क्रम होता है किंतु जब वस्तुओं के ग्रहण और त्याग की एक श्रेणी विशेषण भाव से बन जाए अथवा निषिद्ध भाव से बन जाए, तब एकावली अलंकार होता है। जैसे—

मैं इस झरने के निर्झर में प्रियवर सुनता हूँ वह गान।

कौन गान? जिसकी तानों से परिपूरित हैं मेरे प्राण।

कौन प्राण? जिनको निशि-वासर करता एक तुम्हारा ध्यान।

कौन ध्यान? जीवन सरसिज को जो सदैव रखता अम्लान।

इसमें गान, प्राण, ध्यान के ग्रहण-त्याग की एक श्रेणी है।

निषिद्ध भाव का उदाहरण—

सोभित सो न सभा जहं वृद्ध न, वृद्ध न ते जे पढ़े कछु नाहीं,

ते न पढ़े जिन साधु न साधत, दीन दया न दिखै जिन माहीं;

सो न दया जु न धर्म धरै धर, धर्म न सौ जहं दान वृथा हीं,

दान न सौं जहं सांच न 'केसव', सांच न सो जु बसै छल छाहीं।

(25) **सार अलंकार**—जब पहले कही हुई वस्तुओं का उत्तरोत्तर बढ़ने (उत्कर्ष) या कम होने (अपकर्ष) का वर्णन किया जाता है, तो 'सार' अलंकार होता है। उदाहरण के लिए—

मधुर से मधु सुधा है रुचिकर, कविता रुचिकर अधिक सुधा से।

यहां मधु सुधा और कविता में क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक मिठास बताकर उत्कर्ष की क्रमशः वृद्धि बताई गई है। अथवा—

तृण से लघु है तूल तूल से लघु है भिक्षा।

इसमें तृण तूल (रुई) और भिक्षा में क्रमशः घटती प्रतिष्ठा दिखाकर अपकर्ष की क्रमिक वृद्धि प्रदर्शित की गई है।

न्यायमूलक अलंकार—

(26) **काव्यलिंग अलंकार**—जहां पर किसी कथन का समर्थन करने के लिए वाक्यार्थ या पदार्थ में उसका कारण भी प्रस्तुत किया जाए वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। काव्यलिंग शब्द का अर्थ भी यही होता है कि काव्य वर्ण्य विषय और लिंग हेतु अर्थात् वर्ण्य विषय का लिंग या हेतु प्रस्तुत किया जाए। जैसे—

स्याम गौर किमि कहऊं बखानी।

गिरा अनयन नयन बिनु बानी।।

(मानस)

यहां राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को वर्णित करने की असमर्थता का कारण वाणी का नेत्रहीन होना तथा नेत्रों का वाणीहीन होना है।

(27) **अर्थांतरन्यास अलंकार**—जहां सामान्य कथन से विशेष या विशेष कथन से सामान्य का समर्थन किया गया हो वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। उदाहरण—

टिप्पणी

निर्वासित थे राम, राज्य था कानन में भी।

सच ही है—श्रीमान भोगते सुख वन में भी॥

(मैथिलीशरण गुप्त)

न्यायमूलक अलंकारों के अंतर्गत परिगणित अन्य अलंकार हैं—

अनुमान अलंकार, परिकर अलंकार, सहोक्ति अलंकार, विनोक्ति अलंकार, यथासंख्या या क्रम अलंकार, पर्याय अलंकार, अत्युक्ति अलंकार, गूढोक्ति अलंकार, उन्मीलित अलंकार, परिवृत्ति अलंकार, परिसंख्या अलंकार, काव्यार्थापत्ति अलंकार, मीलित अलंकार, तद्गुण अलंकार।

गूढार्थ प्रतीति मूलक अलंकार—

(28) पर्यायोक्ति अलंकार—जहां विवक्षित अर्थ को सीधे-सीधे ढंग से न कह कर भिन्न प्रकार से चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है वहां पर्यायोक्ति अलंकार होता है। जैसे—

मातु पितहु जनि सोचबस, करहि महीप किसोर।

गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर।

(मानस)

(29) व्याजोक्ति अलंकार—व्याजोक्ति का अर्थ होता है बहाने का कथन अर्थात् जहां पर गुप्त रहस्य के प्रकट होने पर उसे किसी बहाने से अन्य कथन द्वारा छुपाया जाए, वहां पर व्याजोक्ति अलंकार होता है। इसे अन्योक्ति भी कह सकते हैं। इस अलंकार में वक्ता को लगता है कि उसका गुप्त रहस्य प्रकट हो गया, इसका ज्ञान व्यंजना द्वारा उसके उस रहस्य को छिपाने के कथन से होता है। जैसे—

बहुरि गौरी कर ध्यान करेहू। भूप किशोर देखि किन लेहू॥

राम के प्रति सीता का तल्लीनता के रहस्य को गौरी का 'ध्यान' कहकर छिपाया गया है।

(30) व्याजस्तुति अलंकार—जहां पर स्तुति कथन से निंदा की और निंदा के कथन से स्तुति की व्यंजना की जाती है, वहां पर व्याजस्तुति अलंकार होता है। व्याजस्तुति का अर्थ है किसी बहाने स्तुति या निंदा करना। जैसे—

कहत कौन रण में तुम्हें, धीर वीर सरदार।

लखि रिपु बिनु हथियार जो, डारि देत हथियार॥

(वीर-सतसई)

'हे सरदार (नायक) तुम्हें युद्ध में पराक्रमी वीर कौन कह सकता है क्योंकि तुम जैसे ही शत्रु को शस्त्र विहीन देखते ही उसके सामने हथियार डाल देते हो।' यहां सेनानायक की निंदा के बहाने उसकी स्तुति या प्रशंसा की गई है कि वह शस्त्रहीन शत्रु पर वार नहीं करता। अन्य गूढार्थ प्रतीतिमूलक अलंकार हैं—अवज्ञान अलंकार, अनुज्ञा अलंकार, तिरस्कार अलंकार।

(31) पुनरुक्तवदाभास अलंकार—जहां पर भिन्न आकार वाले किंतु समान अर्थ वाले शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि पुनरुक्ति न होने पर भी पुनरुक्ति का आभास लगता है; वहां पर पुनरुक्तवदाभास अलंकार होता है। जैसे—

पयोधर बने उरोज उदार।

(मानस)

टिप्पणी

यहां 'पयोधर' और 'उरोज' एकार्थक शब्द हैं जिनसे पुनरुक्ति का आभास होता है परंतु पयोधर में मातृत्वकाल के स्तनों का व उससे पूर्व दुग्धहीन स्तनों का वर्णन होने से यह 'पुनरुक्तवत् आभास' है।

उभयालंकार या मिश्रित अलंकार—

इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे कथनों को लिया जाता है, जिनमें एकाधिक अलंकारों का मिश्रण या सम्मिलन रहता है। कुछ आचार्य इन्हें उभयालंकार कहते हैं। उभयालंकार से तात्पर्य होता है जिस कथन में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया गया हो।

(32) संसृष्टि अलंकार—जब दो या दो से अधिक शब्दालंकार या अर्थालंकार किसी काव्य में मिश्रित होते हैं तब इसे संसृष्टि कहा जाता है। संसृष्टि तीन प्रकार की होती है—

1. शब्दालंकार—इसमें शब्दालंकारों का मेल होता है।
2. अर्थालंकार—इसमें कई अर्थालंकारों का मेल होता है।
3. शब्दार्थालंकार—इसमें शब्द एवं अर्थ दोनों प्रकार के अलंकार मिले होते हैं।

शब्दालंकार संसृष्टि का उदाहरण—

दीरघ सांस न लेहि दुख, सुख साईंहिं न भूल।

दई दई क्यों करत है, दई दई, सु कबूल॥

इसमें दीरघ-दुख, सुख साईंहिं आदि में छेकानुप्रास और दई में यमक (दई - दैव, दई - दिया) होने के कारण दो शब्दालंकार एकत्र हैं। ये दोनों अलग-अलग स्पष्ट विदित होते हैं। अतः यहां संसृष्टि शब्दालंकार है।

अर्थालंकार संसृष्टि का उदाहरण—

कीर कै कागर ज्यों नृप चोर विभूषण उप्पम अंगनि पाई।

औध तजी मग बास के रूख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई।

संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनो धर्म क्रिया धरि देह सुहाई।

राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई।

इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों अर्थालंकार की संसृष्टि है।

शब्दार्थालंकार की संसृष्टि है—

सम सुबरन सुषमाकर सुखद न थोर।

सीय अंग सखि कोमल कनक कठोर।

इसमें अनुप्रास शब्दालंकार है और व्यतिरेक अर्थालंकार भी है। इसलिए यहां शब्दार्थालंकार संसृष्टि है। वे दोनों ही यहां अलग-अलग स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं।

(33) संकर अलंकार—जब एक ही छन्द में अनेक अलंकारों का सम्मेलन नीर-क्षीर न्याय से अर्थात् परस्पर सापेक्ष रूप से हो, वहां संकर अलंकार होता है। "जिस प्रकार एक ही पात्र में रखे हुए तिलों और चावलों में परपर अभेद संबंध हो जाता है, उसी प्रकार संकर अलंकार में प्रयुक्त अनेक अलंकार परस्पर सापेक्ष लगते हैं। जैसे—

टिप्पणी

बीती विभावरी जाग री।
अंबर पनघटन में डुबो रही
तारा घट ऊषा नागरी।
खगकुल कुल-कुल सा बोल रहा
किसलय का अंचल डोल रहा,
लो यह लतिका भी भर लाई
मधु मुकुल नवल रस-गागरी।
अधरों में राग अमन्द पिये-
अलकों में मलयज बंद किये,
तू अब तक सोई है आली
आंखों में भरे विहाग री।

कविवर प्रसाद की इन पंक्तियों में ऊषा का वर्णन है तथा सुप्त नायिका का उद्बोधन अप्रस्तुत है। अतएव समासोक्ति है। साथ ही कवि ने अंबर को पनघट तारों का घट, ऊषा की नागरी, मुकुल को गागर कहकर उपमेय और उपमान में अभेद आरोपित किया है, अतः सांग रूपक है। बीती विभावरी, मधु-मुकुल में अनुप्रास है। खगकुल कुल-कुल में यमक है। अधरों में अमंद राग पीना, अब तक सोते रहने में हेतु है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। क्योंकि इसमें हेतु प्रदर्शित किया जाता है, किंतु अंगी रूपक अलंकार है। अन्य अलंकार अंग-रूप में है। अतः इन पंक्तियों में अनुप्रास, यमक समासोक्ति, काव्यलिंग मुख्य रूपक अलंकार का उपकार करते हैं, जिनसे इनका संकर है।

(34) मानवीकरण अलंकार-जहां पर अमूर्त भावों का मूर्तीकरण कर के और जड़ पदार्थों का चेतनवत वर्णन किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां अमूर्त अथवा जड़ पदार्थों का मानवीय चेष्टाओं की तरह चेष्टाएं करते हुए वर्णन किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, जैसे-

उधो! मन नहीं दस-बीस।

एक हुतो सो गयो स्याम संग को आराधे ईसा।

(सूरदास)

यहां अमूर्त मन को स्याम के साथ चला गया कहना उसका मानवीकरण करना है। क्योंकि गमन करना मानवीय कार्य है।

(35) ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार-काव्य रचना में कई बार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है जिनकी ध्वनि ही उन शब्दों के अर्थ को भी ध्वनित या व्यंजित करती है। इस अलंकार के अंतर्गत भाषा की ध्वन्यात्मकता का विशेष महत्व रहता है। उदाहरण के लिए-

कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि।

इस पंक्ति में 'कंकन', 'किकिनि' आदि शब्द ध्वन्यात्मक हैं और अर्थ का द्योतन भी करते हैं, अर्थात् इन शब्दों में 'किकिनि' (रघनी) और 'कंकन' (कंगन) के बजने की-सी ध्वनि निकलती है।

(36) विशेषण विपर्यय अलंकार-जब किसी विशेषण को उसके विशेष्य से न जोड़कर किसी दूसरे शब्द का विशेषण बना दिया जाए, तो इसे विशेषण-विपर्यय अलंकार कहा जाता है।

जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित पंक्ति विशेषण-विपर्यय का उदाहरण है-

कुसुमति कुंजों में थे पुलकित, प्रेमालिंगन हुए विलीन।

यहां 'प्रेमालिंगन' का विशेषण 'पुलकित' है। वास्तव में 'पुलकित' विशेषण व्यक्ति का ही हो सकता है, 'प्रेमालिंगन' का नहीं।

3.4 सारांश

सर्वप्रथम यास्क ने 'छन्द' की व्युत्पत्तिपरक व्याख्या की है। आपके अनुसार, 'छन्दांसि धारनात्' अर्थात् छन्द भावों को आच्छादित कर उन्हें समष्टि रूप प्रदान करते हैं। 'छन्द' शब्द छन्दार्थक 'छद्' धातु से बना है। इसके पश्चात् कात्यायन ने छन्द की परिभाषा करते हुए लिखा है कि 'यदक्षर परिमाणं तच्छन्दः' अर्थात् जिसमें अक्षरों के परिमाण या संख्या में वर्णों की संख्या निहित होती है, वह छन्द कहलाता है।

हिंदी में छन्दों की नवीनता की आवश्यकता पर सर्वप्रथम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने परंपरागत मात्रिक छन्दों के साथ-साथ संस्कृत के वर्ण-वृत्तों को अपनाने की ओर ध्यान दिलाया था, जिससे अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने दिशा-संकेत पाकर संस्कृत के वर्ण वृत्तों में भी कविता आरंभ की।

लौकिक (संस्कृत) छन्दों की शास्त्रीय मीमांसा सर्वप्रथम पिंगल ऋषि ने ही की थी। पिंगल ऋषि ने ही गण-शैली का आविष्कार किया था। संस्कृत-छन्दों का निर्माण इन्हीं गणों के आधार पर अतिशय नियमबद्ध रूप में हुआ। सुनिश्चित गतियों में छन्द ऐसा बंध गया कि भावी विकास की संभावनाएं रूढ़ हो गईं। संस्कृत के गण-क्रम-बद्ध वर्ण-वृत्तों में सर्वाधिक नियमबद्धता और जटिलता है।

काव्य के संदर्भ में भी इसे शोभा बढ़ाने वाले धर्म और तत्व के रूप में लिया जाता है। बाह्य तत्व के रूप में काव्य को अलंकृत करने वाले शब्दालंकार तथा धर्म के रूप में शब्द की आत्मा में धारित यानी अर्थ को अलंकृत करने वाले अर्थालंकार। काव्य की आत्मा 'रस' है या अन्य कोई लक्षण इस तर्क-वितर्क के आरंभिक दौर में सर्वप्रथम अलंकार सिद्धांत का जन्म हुआ। काव्य की आत्मा अलंकार है ऐसा मत इस सिद्धांत के अंतर्गत स्थिर हुआ।

रस तो काव्य की आत्मा है ही, औचित्य आत्मा की भी आत्मा है। जहां तक वक्रोक्ति का प्रश्न है वह भी अलंकार है। यह शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों में सम्मिलित है। वक्रोक्ति यानी व्यंग्यार्थ व्यंजना जोकि उत्तम ध्वनि है। इससे निर्मित काव्य उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है। अतः अलंकार सिद्धांत की उपयोगिता वक्रोक्ति एवं ध्वनि सिद्धांत को जानने के साथ-साथ पूरे काव्यशास्त्र की महिमा को जानने के लिए भी है। अलंकार के भेद असंख्य हैं क्योंकि यह अंतर्बाह्य की शोभा को बढ़ाने वाला लक्षण है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जांचिए

6. अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं?
7. वक्रोक्ति को शब्दालंकार और अर्थालंकार कौन मानते हैं?
8. आधुनिक आलोचक काव्य का प्राण किसे मानते हैं?
9. सही-गलत बताइए-
(क) अर्थालंकार में सौंदर्य शब्द के अर्थ में होता है।
(ख) अलंकार साधार विभाजन सर्वप्रथम बामन ने किया।
(ग) 'प्रतीप' का अर्थ होता है- विपरीत।
(घ) किसी वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह होने पर संदेह अलंकार होता है।

दंडी ने काव्य-सौंदर्य के सभी तत्वों को अलंकार के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया है। आपके अनुसार काव्य का विषयगत सौंदर्य सामान्य अलंकार का अंग है तो शैलीगत सौंदर्य विशेष अलंकार में समाहित हो जाता है। दंडी ने रसों को भी रसवत् अलंकारों के अंतर्गत सन्निविष्ट कर अलंकार्य और अलंकार की अभिन्नता की घोषणा कर दी। उधर दूसरी ओर दंडी वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति में अंतर मान कर चलते हैं किंतु भामह जहां स्वभावोक्ति को अलंकार मान कर उसे वक्रोक्ति के अंतर्गत परिगणित कर लेते हैं, वहां दंडी इसे इससे भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं।

जयदेव की दृष्टि में अलंकारों के बिना काव्य का काव्यत्व ही दांव पर लग जाता है और उसके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण—'शब्दार्थावनलंकृती पुनः क्वापि'—का खंडन करते समय जयदेव ने कहा कि जो व्यक्ति अलंकार रहित काव्य को काव्य मानते हैं वे विद्वान अग्नि को भी उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेते हैं।

3.5 मुख्य शब्दावली

- सम्यक : संपूर्ण।
- संहिता : नियमावली।
- व्युत्पत्तिकारक : उत्पत्ति से संबंधित।
- विरसता : रसहीनता, नीरसता।
- अलंकृत : सुसज्जित।
- पार्थक्य : अलग होना।
- महत्ता : महत्त्व।
- मंतव्य : मान्यता।
- वैचित्र्य : विचित्रता।
- अतिशयोक्ति : अत्यंत बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया कथन।
- स्वभावोक्ति : स्वाभाविक कथन।
- डांवांडोल : विचलित।
- सक्रोध : क्रोध के साथ।
- एकाधिक : एक से अधिक।
- खगकुल : पक्षियों का कुल।

3.6 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. यास्क ने
2. विराम

3. (क) वर्णिक, (ख) मात्रिक
4. वर्णिक
5. (क) सही, (ख) गलत
6. भामह
7. क्रमशः रुद्रत, वामन।
8. सौंदर्य को
9. (क) सही, (ख) गलत, (ग) सही, (घ) सही

3.7 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु-उत्तरीय प्रश्न

1. वेदांगों का नामोल्लेख कीजिए।
2. गण किसे कहते हैं, इनकी संख्या स्पष्ट कीजिए।
3. सोरठा का उदाहरण दीजिए।
4. 'अलंकारोक्ति इति अलंकारः' का आशय स्पष्ट कीजिए।
5. अर्थालंकार के भेद बताइए।

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न

1. छन्द की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके अवयव एवं मात्रात्मक स्थिति पर प्रकाश डालिए।
2. कविता में छन्द का स्थान रेखांकित कीजिए और चौपाई तथा सवैया छन्द को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
3. अलंकारों की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए अलंकारों का काव्य में स्थान स्पष्ट कीजिए।
4. शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का परिचयात्मक विवरण दीजिए।
5. अनुप्रास, उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का सोदाहरण परिचय दीजिए।
6. वक्रोक्ति एवं संदेह अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए।

3.8 आप ये भी पढ़ सकते हैं

1. डॉ. भगीरथ मिश्र, काव्यशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर-1957
2. डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल, हिन्दी साहित्य में विविध वाद, पद्मजा प्रकाशन कानपुर 2010-वि.सं.
3. डॉ. वेंकट शर्मा, भूमिका नगेंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य में समालोचना का विकास, आत्माराम एंड संस दिल्ली-1967

4. डॉ. जगदीश प्रसाद कौशिक, काव्य दर्पण, साहित्यागार, जयपुर-1988
5. डॉ. जगदीश प्रसाद कौशिक, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिमान, साहित्यागार जयपुर-1988
6. सत्यदेव मिश्र, पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धांत और वाद, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, 1975
7. डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी, सहृदय और साधारणीकरण, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, 1984
8. डॉ. लक्ष्मी पांडेय, अधुनातन काव्यशास्त्री : आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी, उर्मिल प्रकाशन, गाजियाबाद।

इकाई 4 भाषा, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 परिचय
- 4.1 इकाई के उद्देश्य
- 4.2 भाषा की परिभाषा एवं विशेषताएं
 - 4.2.1 भाषा की परिभाषाएं
 - 4.2.2 भाषा की विशेषताएं
 - 4.2.3 भाषा के विविध रूप एवं प्रकार
 - 4.2.4 आधुनिक हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास
 - 4.2.5 पुरानी हिंदी का स्वरूप
- 4.3 भाषा और बोली में अंतर
- 4.4 हिंदी भाषा एवं हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय
 - 4.4.1 हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
 - 4.4.2 हिंदी की प्रमुख बोलियां
- 4.5 देवनागरी लिपि तथा उसकी विशेषताएं
 - 4.5.1 देवनागरी लिपि : एक परिचय
 - 4.5.2 देवनागरी लिपि की विशेषताएं
 - 4.5.3 देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता
 - 4.5.4 देवनागरी लिपि में सुधार की संभावनाएं
- 4.6 सारांश
- 4.7 मुख्य शब्दावली
- 4.8 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर
- 4.9 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 4.10 आप ये भी पढ़ सकते हैं

4.0 परिचय

वैदिक ऋषियों ने सर्वप्रथम ऋग्वेद में वाक्-सूक्त के आठ मंत्रों में इस विषय को प्रतिपादित किया है कि 'वाक् तत्व (भाषा) ही वह दिव्य ज्योति है, जो मानव को ऋषि, देवता अथवा विद्वान बनाती है।' वस्तुतः मानव अपने भावों को प्रकट करने हेतु जिस सार्थक मौखिक माध्यम का आश्रय लेता है वही 'भाषा' कहलाती है। यद्यपि संकेत आदि के द्वारा भी भावों की अभिव्यक्ति संभव है, किंतु भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने का माध्यम भाषा ही है।

भाषा ही वह सर्वोत्तम साधन है, जिसके द्वारा सभी लौकिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह ज्ञान का मूलभूत साधन है। मानव का आंतरिक तथा बाह्य कार्य, चिंतन-मनन-अभिव्यंजन, वैयक्तिक और सामाजिक कार्यों के लिए भाषा की सहायता ली जाती है। ज्ञान-विज्ञान, धर्म-दर्शन, आचार-विचार, हेय-उपादेय का विवेक, सभी का आधार भाषा है। अतः भाषा सर्वत्र अनुस्यूत है। इस तथ्य को स्पष्ट एवं उसकी सर्वोत्कृष्टता का उल्लेख करते हुए वाक्यपदीयकार भर्तृहरि कहते हैं कि-

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद् ऋते।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥

(वाक्यपदीय-1.124)

टिप्पणी

इससे ज्ञात होता है कि व्यावहारिक दृष्टि से भाषा की कितनी उपयोगिता है। भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए अनेक जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं कि भाषा क्या है? भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका निर्माण किस प्रकार होता है? इसका प्रयोग किस प्रकार होता है? इसके कौन-कौन से अवयव हैं, इसको किस प्रकार उच्चारित किया जाता है? आदि।

आज जिसे हम हिंदी कहते हैं, वह शौरसेनी का ही विकसित रूप है। इसका जन्म समय 1000 ई. के लगभग माना जा सकता है, क्योंकि चौदहवीं सदी तक साहित्य में अपभ्रंश का प्रयोग होता रहा है और वर्तमान आर्य भाषाओं का साहित्य में प्रयोग तेरहवीं शताब्दी के आदि से आरंभ हो गया था। साहित्यिक रूप लेने में किसी भी भाषा को कुछ समय तो लगता ही है। अतः इस आधार पर हिंदी का जन्म दसवीं शताब्दी में हुआ, ऐसा माना जा सकता है।

नागरी लिपि बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय लिपि है। नागरी अर्थात् नगर के बुद्धिमान, चतुर, शिष्ट जनों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को भी इसके नामकरण का एक कारण मान सकते हैं। शिक्षा शास्त्रियों एवं भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी वैज्ञानिकता की सराहना की है। नागरी को देवनागरी कहा जाता है। भारतीय सभ्यता के विकास में देवनागरी लिपि का महत्वपूर्ण स्थान है।

इस इकाई में हम भाषा, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि से संबंधित अहम तथ्यों का अध्ययन करेंगे।

4.1 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- भाषा की अर्थवत्ता, वैशिष्ट्य एवं स्वरूप को समझ पाएंगे;
- हिंदी भाषा एवं पुरानी हिंदी से संबंधित अहम तथ्यों से अवगत हो पाएंगे;
- भाषा और बोली में अंतर कर पाएंगे;
- हिंदी की प्रमुख बोलियों से परिचित हो पाएंगे;
- देवनागरी लिपि से परिचित होते हुए उसकी विशेषताओं को समझ पाएंगे;
- देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्पष्ट कर पाएंगे।

4.2 भाषा की परिभाषा एवं विशेषताएं

भाषा के प्रयोजन की विविधता के कारण ही हम भाषा को विभिन्न संदर्भों में देखते हैं। कुछ विद्वान इसे मानव मन की सर्जनात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं, तो कुछ मानव व्यवहार की सामाजिक शक्ति के रूप में।

4.2.1 भाषा की परिभाषाएं

भाषा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपनी-अपनी दृष्टि से विचार किया है एवं विभिन्न भाषाविदों ने भाषा की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें से मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं-

टिप्पणी

1. डॉ. श्यामसुंदर दास के अनुसार-"विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं।"
2. डॉ. बाबू राम सक्सेना के अनुसार-"जिन ध्वनि-चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनके समष्टि रूप को 'भाषा' कहते हैं।"
3. हेनरी स्वीट (Henry Sweet) के शब्दों में-"ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।"
4. प्लेटो के अनुसार-"विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार, आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।"
5. वेंद्रीय के शब्दों में-"भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत का आशय, उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे-नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है।"
6. महर्षि पतंजलि के अनुसार-"व्यक्ता वाचि वर्णा येषां ते इमे व्यक्त वाचः।" अर्थात् भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के समक्ष भली-भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट रूप से समझ सकता है। (महाभाष्य-1.3.38)
7. चॉम्स्की के शब्दों में-"I will consider a language to be a set (finite or infinite) of sentences, each finite in length and constructed of a finite set of elements."
8. ब्लॉक तथा ट्रेगर के शब्दों में-"A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates."
9. डॉ. पी.डी. गुणे के अनुसार-"भाषा का व्यापकतम रूप में अर्थ है कि हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने वाले संकेत देखे या सुने जा सकें और जो इच्छानुसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सकें।"
10. A.H. Gardiner के अनुसार-"विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत ही भाषा है।" (The common definition of speech is the use of articulate sound-symbols for the expression of thought.)
11. Mario Apei तथा Frank Gayhor के अनुसार-"भाषा उन सार्थक और विश्लेषण समर्थ मानवोच्चारित ध्वनियों को कहते हैं, जिनका प्रयोग मानव, विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए करता है।"
12. डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार-"भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग परस्पर भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"
13. डॉ. मंगलदेव के शब्दों में-"भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, जिससे वे अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चरित शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।"

“अख्यान कठोदगीण खनि-समिख ही भाषा है।”

सुकमार सेन के अनुसार-

“बड़ा तु भारती भाषा गीरे वाक वाणी सरस्वती।”

अमरकोष में कहा गया है-

“व बुद्धिषयदादर्थस्त्वजः प्रतीयते।”

तथा

“शब्द कारणमर्थस्य स हि तेनोपजायते”

भर्तृहरि के अनुसार-

“व्यक्ता वाचि वर्णा येषां न इमे व्यक्तावाः।”

महर्षि पराशरि के अनुसार-

संकेतितो खनिवातः सा भाषेत्यख्यते।।
संकेतितो खनिवातः, भाषाभिव्यक्तिमाधकः

आचार्य कपिल ने भाषा के लिए कहा है-

असंभवकृपदोषत्रय शून्यम्।

तत्र हि लक्षणा यद्व्यापित-अतिव्यापित

न्यायशास्त्र के अनुसार-

18. संस्कृत विद्वानों ने भी भाषा की परिभाषा की है। उन्होंने भाषा की परिभाषा करते समय अख्यापि, अतिव्यापि और असंभव दोषों से बचने की सलाह दी है।

17. मैक्समूलर के अनुसार-“भाषा और कुछ नहीं है, केवल हमारी चतुरवृद्धि द्वारा आविष्कृत ऐसा उपय है, जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता से दूसरों के मनुष्य के त पदार्थ के रूप में करना उचित है।”

16. इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में कहा गया है-“Language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings, as members of a social group and participants in culture interact and communicate.”

15. वेस्पर्सन के अनुसार-“मनुष्य खत्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्य-कलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है।”

14. स्प्रीर के शब्दों में-“Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols.”

रिपण्ट

भाषा, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि

सदस्यों में प्रयुक्त होती है।

प्रतीक की धारणा त्रिवर्ण्य संकेतन संबंधों पर आधारित है। इन संबंधों का निर्माण तीन इकाइयों का आधार है, जिन्हें हम ‘संकेतित वस्तु’, ‘संकेतार्थ’ और ‘संकेत प्रतीक’ कह सकते हैं। संकेतित वस्तु बाह्य जगत में स्थिर इकाई है; जैसे घोड़ा, पुस्तक, फोन आदि। प्रयोगकर्ता के मन में स्थित उस इकाई की संकल्पना ही ‘संकेतार्थ’ है। इस संकेतार्थ को अभिव्यक्त करने वाली इकाई ‘प्रतीक’ है, जो संकेतित वस्तु के स्थान पर कुछ विशेष

भाषिक वस्तु है, जिसे उसके प्रयोगकर्ता वास्तविक घोंड़े के स्थान पर व्यवहार में लाते हैं। शब्द घोड़ा, स्वयं घोड़ा नहीं होता। वह तो घोड़ा-वस्तु के लिए प्रयुक्त प्रतीकजन्य वह विचार करते हैं, जब उसकी भी प्रतीकवत् प्रयुक्त पाते हैं। उच्चरित या लिखित रूप में body for something else in some respect or capacity.” जब हम ‘घोड़ा’ शब्द के रूप में प्रतीक वह वस्तु है, जो किसी के लिए कही अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है जिसके बारे में सी.एस. पीयर्स ने कहा है-“A sign is something that stands to some

प्रतीक क्या है?

प्रतीकों की व्यवस्था है।

उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अपनी प्रकृति में भाषा

करते हैं।”

हैं, रवींद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार-“भाषा वाग्विद्वय द्वारा निरूपित उन खनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है, जो अपनी मूल प्रकृति में यादृच्छिक एवं कृत्रिमक होते हैं और जिसके द्वारा किसी भाषा समुदाय के लोग अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं और अपनी सामाजिक अस्मिता, पर तथा अंतर्बैयर्थिक संबंधों को सृष्टित करते हैं।”

प्रकटीकरण भाषा है।”

पी.डी. गुणे के अनुसार-“खत्यात्मक शब्दों द्वारा हेतुगत भावों तथा विचारों का

है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है।”

डॉ. देवीशंकर द्विवेदी के अनुसार-“भाषा यादृच्छिक वाक्य प्रतीकों की वह व्यवस्था

दूसरे को सहयोग देते हैं।”

सीतलबद्ध पद्धति है, जिससे लोग समाज में अपने भावों का परस्पर आदान-प्रदान करते हुए एक

हैं, सरयूप्रसाद अग्रवाल के अनुसार-“भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छन्द प्रतीकों की वह

विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है।”

आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा के अनुसार-“उच्चरित खनि संकेतों की सहजता से भाव या

करते हैं।”

भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनीभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट

आचार्य किशोरीदास बाजपेयी के अनुसार-“विभिन्न अर्थों में संकेतिक शब्द समूह ही

सकता है।”


पं. कामलाप्रसाद गुठ के अनुसार-“भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार

रिपण्ट

भाषा, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि

टिप्पणी

संकेतित वस्तु (बाह्य जंगल में स्थित घोड़ा)



संकेतार्थ

प्रतीक

(प्रयोगकर्ता के मन में स्थित घोड़ा) (-शब्द रूप में प्रयुक्त घोड़ा)

यह ध्यातव्य है कि संकेतित वस्तु और संकेतार्थ में सीधा संबंध है, संकेतार्थ और प्रतीक के बीच का भी संबंध सीधा है, लेकिन संकेतित वस्तु और प्रतीक का संबंध सहज और सीधा नहीं है। प्रतीक सीधे वस्तु की ओर संकेतित नहीं करता, बल्कि उसको संकेतित करने के लिए उसे संकेतार्थ का रास्ता चुनना पड़ता है। संकेतित वस्तु और प्रतीक का संबंध आरोपित होता है। उपर्युक्त आरेख में संकेतार्थ और संकेतित वस्तु का सीधा संबंध और संकेतित वस्तु और प्रतीक का संबंध आरोपित है। संकेतार्थ के निर्माण में केवल बाह्य जगत की वस्तुएं ही अपना योग नहीं देतीं, अपितु व्याख्याता या प्रयोगकर्ता का जातीय इतिहास, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी अपना योग देती है। इसीलिए भाषिक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त शब्दों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अर्थ भी हुआ करता है। जैसे 'देवी' शब्द हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति का बोधक है जबकि 'मल्लिका' शब्द जिस संस्कृति का द्योतक है वह 'देवी' के सामाजिक अर्थ से भिन्न है।

सस्यूर के अनुसार, भाषा की प्रत्येक सार्थक इकाई एक भाषिक प्रतीक है। वह भाषिक प्रतीक को कथ्य और अभिव्यक्ति की संश्लिष्ट इकाई के रूप में मानते हैं। प्रतीक का संकेतार्थ काव्य से है और अभिव्यक्ति इस संकेतार्थ को व्यक्त करने वाले ध्वनि समूह से। यदि घोड़ा शब्द एक भाषिक प्रतीक है, तब कथ्य इस शब्द का संकेतार्थ माना जाएगा जबकि अभिव्यक्ति इस शब्द का ध्वनि संयोजन-घ+ओ+ड़+आ। यह कथ्य और अभिव्यक्ति का एकीकरण ही होता है कि अभिव्यक्ति के अभाव में कथ्य पक्ष, प्रतीक रूप में सिद्ध नहीं माना जा सकता। एक के बिना दूसरे की संकल्पना नहीं की जा सकती। मन में किसी प्रतीक के अभिव्यक्ति पक्ष के आने के साथ ही उसका कथ्य पक्ष भी तुरंत उत्पन्न होता है; जैसे घोड़ा या पुस्तक शब्द सुनते ही श्रोता की कल्पना में उसके कथ्य यथा घोड़ा या पुस्तक की संकल्पना उसी समय उभर आती है।

भाषिक प्रतीक अपनी मूल प्रकृति में ध्वनिपरक होता है। अपने अभिव्यक्ति पक्ष के लिए भाषिक प्रतीक जिस माध्यम को अपनाता है, उसका आधार वागेन्द्रिय होता है। वक्ता भाषिक प्रतीक का सहारा लेकर वक्ता के रूप में शब्दों का उच्चारण करता है, श्रोता के रूप में दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है। अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करने के लिए मनुष्य अनेक संकेतों; जैसे झंडा दिखाकर, सीटी बजाकर, हाथ हिलाकर - का सहारा ले सकता है, पर उसे सही अर्थों में न तो भाषिक प्रतीक कहा जा सकता है न भाषा।

टिप्पणी

भाषिक प्रतीक का अभिव्यक्ति माध्यम मनुष्यों की वागेन्द्रिय से निस्सृत ध्वनियां हैं। भाषिक प्रतीक अपनी मूल प्रकृति में ध्वनिपरक होता है, परंतु प्रत्येक ध्वनि प्रतीक, भाषिक नहीं होता। ताली, चुटकी बजाकर हम अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं, परंतु ये ध्वनि प्रतीक भाषिक प्रतीकों के अंतर्गत नहीं आते। भाषिक प्रतीक जिस ध्वनि को अपना अभिव्यक्ति माध्यम बनाता है, वह वागेन्द्रिय द्वारा निस्सृत होना चाहिए।

भाषिक प्रतीक कथन और अभिव्यक्ति के संबंधों की प्रकृति पर आधारित होते हैं। ये सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं—(1) प्रतिमापरक (2) संकेतपरक (3) सामान्य।

1. जिन प्रतीकों में कथ्य और अभिव्यक्ति के संबंधों का आधार सादृश्य होता है, वे प्रतिमापरक होते हैं। किसी देश का चित्र सादृश्य तत्व के आधार पर संकेतार्थ को व्यक्त करता है।
2. सूचनापरक या संकेतपरक प्रतीक— जब कथ्य और अभिव्यक्ति के बीच के संबंधों का आधार कार्य-कारण का सहज और प्राकृतिक संबंध रहता है। बादलों का गर्जन-तर्जन वर्षा एवं तूफान की सूचना देता है, धुआं आग का प्रतीक है।
3. सामान्य प्रतीक में काव्य और अभिव्यक्ति में कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता। इन प्रतीकों में कथ्य और प्रतीक के बीच संबंधों की प्रकृति यादृच्छिक और रूढ़िपरक होती है।

भाषिक प्रतीक अपनी प्रकृति में मूलतः सामान्य (यादृच्छिक और रूढ़िपरक) होता है। इसीलिए एक ही कथ्य के लिए भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न अभिव्यक्ति रूप मिलते हैं। अभिव्यक्ति और कथ्य में यादृच्छिक संबंधों के परिणामस्वरूप अभिव्यक्ति पक्ष में परिवर्तन के बिना ही भाषिक प्रतीकों के संकेतार्थ में परिवर्तन आ जाता है। भाषिक प्रतीकों में पाए जाने वाले अर्थ विस्तार एवं अर्थ संकोच इसके स्पष्ट उदाहरण हैं।

प्रतीकों की व्यवस्था

भाषा प्रतीकों की सार्थक व्यवस्था है। भाषा वाक्य या भाषिक प्रतीकों की शृंखला तो होती है पर भाषिक प्रतीकों की हर कड़ी भाषा या वाक्य का दर्जा नहीं पाती। प्रत्येक मातृभाषी अपनी भाषा में प्रयुक्त प्रतीकों की व्यवस्था को ज्ञात या अज्ञात रूप में पहचानता है और उसके आधार पर उन भाषिक प्रतीकों को पहचानने में सक्षम होता है, जो मान्य होते हैं।

प्रतीक भाषा की वह व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत किसी शब्द विशेष का एक निश्चित अर्थ होता है। यह अर्थ शब्द के गुण से नितांत भिन्न होता है। प्रतीक शब्द के अनिवार्य गुण या धर्म से भिन्न अपनी सत्ता स्वतंत्र रखता है। प्रतीक मूल नहीं होता, वह किसी अन्य पदार्थ (भाव आदि) के लिए प्रयुक्त होता है। प्रतीक में मूल पदार्थ को अनुभव करने की शक्ति होती है। प्रतीक पद्धति का प्रयोग करने वाले लोगों के बीच एक ऐसा आंतरिक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जिस आशय से किसी प्रतीक का प्रयोग करता है, दूसरा व्यक्ति उस प्रतीक से वही आशय ग्रहण करता है। घोड़ा, पुस्तक आदि शब्द रचनात्मक प्रतीक हैं जो एक मान्यक्रम में प्रयुक्त होकर एक निश्चित अर्थ देते हैं, जिन्हें भाषा के प्रयोक्ता उसी अर्थ में बोलते और सुनते हैं। अतः भाषाई ध्वनियां वे प्रतीक हैं, जो अपने द्वारा किसी दूसरे आशय को अभिव्यक्त करती हैं।

भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था सापेक्ष होती है और हर व्यवस्था की तरह कुछ संरचनात्मक नियमों की अपेक्षा रखती है। अर्थात् प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं, जिन नियमों के अनुसार भाषिक प्रतीक कड़ी के रूप में व्यवस्थित होते हैं जैसे हिंदी में कर्ता + कर्म + क्रिया (मैं आम खा रहा हूँ) के क्रम का निर्वाह करते हुए हिंदी भाषी बोलता है तो अंग्रेजी में कर्ता + क्रिया + कर्म (I am eating mango) की व्यवस्था का निर्वाह किया जाता है। भाषिक प्रतीकों के क्रम का नियम हिंदी में कर्म को 'क्रिया' के पहले रखता है, जबकि अंग्रेजी में उसे क्रिया के बाद लाता है।

4.2.2 भाषा की विशेषताएं

भाषा का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य अपने हृदयस्थ विचारों को भाषा के माध्यम से ही अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने की चेष्टा करता है, यद्यपि अन्य साधन भी प्रयोक्तव्य है। यथा मूक बधिर मनुष्य हाथों के संकेतों के द्वारा अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। गार्ड भी लाल या हरी झंडी के माध्यम से ट्रेन के रोकने या चलने का संकेत प्रदान करता है। पशु एवं पक्षी भी अपनी भाषा के द्वारा अपने विचारों को परस्पर प्रकट करते हैं। परंतु हमारा प्रयोजन भाषा के व्यापक अर्थ से न होकर मानव के द्वारा प्रयुक्त सार्थक वाणी से है, जिसके माध्यम से वह अपने भावों तथा विचारों को प्रकट कर सकें।

इसमें न तो हम मानवेतर प्राणियों की भाषा का अध्ययन करते हैं और न ही मनुष्य के सांकेतिक व्यवहारों का, अपितु भाषा विज्ञान में हम केवल मौखिक भाषा, मानव कंठ से निःसृत भाषा तथा ऐसी ध्वनियों का, जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार बताता है, अध्ययन करते हैं। हमें वे ध्वनियां अभिप्रेत हैं, जिनमें आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि विद्यमान हो। वस्तुतः भाषा विज्ञान में जो भाषा अभीष्ट है, वह सांकेतिक आदि से अलग मनुष्य की व्यक्त वाणी है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देने से इस अर्थ की पुष्टि होती है।

भाषा शब्द संस्कृत की भाष् (भ्वादिगणी) धातु से निष्पन्न हुआ है। भाष् धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी (भाष् व्यक्तायां वाचि)। 'भाष्यते व्यक्तवाग् रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा' अर्थात् व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, उसे भाषा कहते हैं। वस्तुतः पशु आदि की बोली व सांकेतिक अर्थों में भाषा शब्द का प्रयोग गौण रूप में होता है, मुख्य रूप में भाषा शब्द का तात्पर्य मनुष्य की व्यक्त वाणी से है, क्योंकि इस व्यक्त भाषा के द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म मानवीय भावों को प्रकट किया जा सकता है।

कपिलदेव द्विवेदी के मत में भाषा से तात्पर्य है—

स्फुटवाक्करणोपात्तो भावाभिव्यक्तिसाधकः।
संकेतितो ध्वनित्रातः सा भाषोत्युच्यतेबुधैः॥

भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार करते हैं—भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है, जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करता है। भाषा के वैशिष्ट्य को इस प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है—

1. भाषा एक पद्धति है— भाषा एक सुसंबद्ध तथा सुव्यवस्थित योजना अथवा संघटना है जिनमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं। सुव्यवस्थित पद्धति

होने के कारण पद रचना तथा वाक्य रचना के विभिन्न नियम हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। किन शब्द रूपों में तृतीया एकवचन में न् का ण् होगा, किन में नहीं, किन शब्दों में तृतीया एकवचन में आ लगेगा, कहां ना लगेगा, इन लगेगा— इस व्यवस्था का ही फल है कि किसी भी भाषा का भाषावैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन और विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न नियम बनाए जाते हैं।

2. भाषा संकेतात्मक है— प्रत्येक भाषा में जो ध्वनियां उच्चरित होती हैं, उनका किसी वस्तु या क्रिया या कार्य से संबंध होता है। ये ध्वनियां प्रतीकात्मक होती हैं। कोई ध्वनि किसी भाषा में किसी एक वस्तु का बोध कराती है और वही ध्वनि दूसरी भाषा में दूसरे अर्थ को बताती है। वस्तुतः भाषा की ध्वनियां केवल संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं।

3. भाषा वाचिक ध्वनि-संकेत है— मनुष्य अपनी वागेंद्रियों की सहायता से जिन संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्रकार के संकेत—इंगित आदि, लाल-पीली झंडियां आदि, तार और वायरलेस के विभिन्न संकेत भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। वाचिक ध्वनि संकेत सूक्ष्मातिसूक्ष्म मूर्त-अमूर्त, दृश्य-अदृश्य, निर्वचनीय और अनिर्वचनीय सभी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतया समर्थ हैं। इन ध्वनियों की एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसका सूक्ष्म विश्लेषण संभव है और इसके आधार पर ही 'ध्वनि-विज्ञान' नाम की एक शाखा प्रचलित है।

लिपि या लेखन पद्धति भी यद्यपि भाषा का कार्य करती है, परंतु यह मूल ध्वनियों का केवल संकेतात्मक चित्रण है। अतः लिपि को गौण रूप से भाषा कहा जाता है। इसी आधार पर उच्चरित ध्वनियों को लिपिबद्ध किया जाता है और लिपिबद्ध ध्वनियों का तात्त्विक रूप से उच्चारण करना संभव होता है। यहां पर यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि वागेंद्रियों से उत्पन्न सभी ध्वनियां सार्थक नहीं होतीं; जैसे— छींकना, खांसना, थूकना, चिल्लाना आदि। इनका भाषाशास्त्र की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है और न ही इनका विवेचन किया जाता है।

4. भाषा यादृच्छिक संकेत है— भाषा में जिन ध्वनि-संकेतों का उपयोग किया जाता है, वे पूर्णतया यादृच्छिक हैं। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है और वह परंपरा के अनुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में अन्य शब्द उस अर्थ का बोध कराता है।

यदि हम बालक की भाषा शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखकर विचार करते हैं, तो ज्ञात होता है कि बालक अपने माता-पिता तथा संबंधियों के द्वारा उच्चारित ध्वनि संकेतों का अनुकरण करता है। वे जिसे माता-पिता, भाई-बहन, बिल्ली, मेज़, कुर्सी, शेर आदि कहते हैं, वह भी उन्हें उसी प्रकार उन्हीं नामों से पुकारता है। बिल्ली को बिल्ली तथा शेर को शेर क्यों कहते हैं, इसका विश्लेषण नहीं करता।

इस प्रकार एक समाज में कुछ विशिष्ट शब्द प्रचलित होते हैं और वह समाज उन विशेष अर्थों को ग्रहण करता है। दूसरे समाज में उत्पन्न व्यक्ति उन्हीं अर्थों को व्यक्त करने

टिप्पणी

हेतु पूर्णतया भिन्न शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे अंग्रेज परिवार में पला हुआ बालक उपर्युक्त अर्थों को व्यक्त करने के लिए बचपन से ही मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कैट आदि शब्दों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि भाषाओं में इन अर्थों के लिए अलग-अलग शब्द हैं।

यदि किसी विशेष अर्थ के लिए किसी विशेष ध्वनि का ही नियंत्रण होता तो वह परिवर्तन संभव न होता। इससे स्पष्ट है कि भाषा में प्रयुक्त सभी संकेत यादृच्छिक हैं। जिस भाषा में जिस अर्थ के लिए जो संकेत स्वीकृत है, वही अर्थ उस भाषा में लिया जाता है। किंतु यह संकेत पूर्णतया यादृच्छिक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार नए ध्वनि संकेत का किसी विशेष अर्थ में प्रयोग तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त न हो जाए।

इस विवेचन से ज्ञात होता है कि भाषा एक व्यवस्थित पद्धति है। इसमें संकेतों के आधार पर भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। ये संकेत वागेंद्रियों द्वारा ही उत्पन्न होने चाहिए और इन संकेतों का आधार यदृच्छा या मानवीय कल्पना हो।

भाषा अपनी प्रकृति में अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय होने के साथ-साथ अपने प्रयोजन में भी बहुमुखी है। यह व्यक्ति के निजी अनुभवों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, साथ ही सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है। यह एक ओर मनुष्य के मानसिक व्यापार का आधार है तो दूसरी ओर हमारे सामाजिक व्यापार (संप्रेषण प्रक्रिया) का एक साधन भी। इसी आधार पर भाषा के दो पक्ष माने गए हैं—(1) मानसिक (2) भौतिक। मानसिक पक्ष उसका अमूर्त रूप है और भौतिक मूर्त। वक्ता के मन में भाव और विचार अमूर्त रूप से विद्यमान रहते हैं, जब वह उन्हें प्रकट करना चाहता है तब उसे वागेंद्रियों से सहायता लेनी पड़ती है और भाषा मूर्त रूप ग्रहण कर लेती है। श्रोता के मन में भी वह अमूर्त रूप में विद्यमान रहती है। इसलिए जब वक्ता द्वारा उच्चरित भाषा श्रवणेंद्रिय के माध्यम से श्रोता तक पहुंचती है, तो वह वक्ता के कथन का अभिप्राय तुरंत समझ लेता है।

इस प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता के बीच सामंजस्य होना जरूरी होता है, अन्यथा संप्रेषण बाधित होता है। कई बार वक्ता और श्रोता के बीच बौद्धिक स्तर की भिन्नता के कारण भी अर्थ संप्रेषण संभव नहीं हो पाता। भाषिक संप्रेषण की दृष्टि से भाषा के तीन पक्ष माने गए हैं—1. उच्चारण पक्ष 2. संवहन पक्ष 3. ग्रहण पक्ष।

4.2.3 भाषा के विविध रूप एवं प्रकार

भाषा के विभिन्न रूप हैं; जैसे—(1) सामान्य भाषा (2) बोली, (3) विभाषा, (4) टकसाली भाषा, आदर्श या परिनिष्ठित भाषा, (5) राष्ट्रभाषा, (6) राजभाषा, (7) साहित्यिक भाषा, (8) विशिष्ट भाषा, (9) कृत्रिम भाषा आदि।

1. सामान्य भाषा (Simple language)— मनुष्य के विचारों के आदान-प्रदान का साधन भाषा होती है। सामान्य भाषा के अंतर्गत किसी भी देश अथवा प्रांत की भाषा आती है, जैसे अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, हिंदी, तमिल आदि। किसी क्षेत्र या देश के नाम पर उस स्थान की भाषा का नामकरण कर दिया जाता है।

टिप्पणी

2. बोली (Patois)— बोली को उपभाषा भी कहा जाता है। इसे भाषा का संकुचित अथवा लघुतम रूप भी कहा जा सकता है। भाषा का बोलचाल में व्यवहृत होने वाला स्थानीय रूप बोली कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य अपने संस्कारों, सामाजिक प्रभावों तथा शिक्षा के अनुरूप प्रचलित भाषा को वैयक्तिक विशेषता देकर बोलता है। हर व्यक्ति की बोली में कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। बोली को 'व्यक्ति बोली' अंग्रेजी में (Idiolact) कहते हैं। बोली की परिभाषा भाषा विज्ञान कोश (Dictionary of Linguistics) में इस प्रकार की गई है— 'किसी समाज की सामान्य भाषा को बोलते समय व्यक्ति द्वारा उससे पैदा की गई वैयक्तिक विशेषता को व्यक्ति बोली कहते हैं।' प्रायः बोली शब्द का प्रयोग फ्रेंच भाषा के पेट्वच (Patois) शब्द के अर्थ में किया जाता है, जिसकी परिभाषा 'भाषा विज्ञान कोश' में इन शब्दों में की गई है— "किसी स्थान विशेष के निम्नवर्गीय अशिक्षित लोगों की बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं।" डॉ. श्यामसुंदर दास ने 'भाषा विज्ञान' नामक पुस्तक में बोली की परिभाषा इस प्रकार बताई है— "बोली से हमारा अभिप्राय उस स्थानीय और घरेलू बोली से है जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और बोलने वालों के मुख में ही रहती है।" बोली की परिभाषा करते हुए 'भाषा विज्ञान' में डॉ. भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, "बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सकें, साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप, रचना, वाक्यगठन, अर्थ, शब्दसमूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती।" जब बोली साहित्यिक रूप धारण कर लेती है या पड़ोसी बोलियों से अधिक भिन्न हो जाती है, तो भाषा का रूप धारण करने लगती है। एक भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां पाई जाती हैं; जैसे हिंदी के क्षेत्र में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी आदि बोलियां हैं। एक बोली में कई उपबोलियां पाई जाती हैं, जैसे बुंदेली की पांवारी, राठौरी, लोघांती। इसी प्रकार अवधी बोली के अंतर्गत लखीमपुरी, सीतापुरी, लखनवी, उन्नवी एवं रायबरेली आदि उपबोलियां हैं।

'बोली' को कुछ विद्वान उपभाषा (Sub-dialect) से संबोधित करते हैं। हिंदी के कुछ भाषा विज्ञानी बोली के स्थान पर 'विभाषा', 'उपभाषा' या 'प्रांतीय भाषा' आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं।

3. विभाषा (Dialect)— विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। विभाषा का रूप परिमार्जित, शिष्ट एवं साहित्य संपन्न होता है। एक विभाषा में कई बोलियां होती हैं। विभाषा का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, गढ़वाली आदि विभाषाओं के अंतर्गत कई बोलियां पाई जाती हैं। डॉ. श्यामसुंदर दास के अनुसार विभाषा की परिभाषा इस प्रकार है— "प्रांत तथा उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाती है।" ऋषि गोपाल ने विभाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है— "विभाषा भाषा का वह स्वरूप है, जो विशेष

टिप्पणी

प्रदेश में बोला जाता है और उच्चारण, व्याकरणिक रूप और शब्द प्रयोगों की दृष्टि से अन्य विभाषाओं से भिन्न होता है, परंतु इतना भिन्न नहीं कि उसे एक भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत न रखा जा सके।" बोलियां धीरे-धीरे विकसित होकर विभाषा अथवा साहित्यिक भाषा बन जाती हैं। बोलियां निम्न कारणों में महत्वपूर्ण होकर साहित्यिक भाषा बन जाती हैं—

- (क) जब कई बोलियों में से कोई बोली अन्य बोलियों के लुप्त होने के कारण शेष रह जाती है, तो उसका महत्व अधिक हो जाता है और उसे भाषा का नाम दे दिया जाता है। मुंडा वर्ग की 'ब्राह्मी' इसी प्रकार की भाषा है।
- (ख) उत्तम साहित्य-सृजन होने से कुछ बोलियां अधिक प्रचलित हो जाती हैं तथा लोकप्रियता के कारण भाषा बन जाती हैं। ब्रजभाषा इसी प्रकार की बोली है।
- (ग) कुछ बोलियां राजाओं के दरबारों में आश्रय पाकर विकसित हुईं। खड़ी बोली का क्षेत्र राजनीतिक केंद्र रहा। दिल्ली के समीप स्थित होने से यह अन्य बोलियों को पीछे छोड़ती हुई राष्ट्रभाषा बन गई तथा हिंदी क्षेत्रों की प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो गई।
- (घ) धार्मिक विशेषता के कारण भी कुछ बोलियां महत्वपूर्ण हो गईं। कृष्ण संबंधी साहित्य का प्रणयन विशेषकर सूरदास की रचनाएं ब्रज में होने से ब्रजभाषा की महत्ता बढ़ गई। इसी प्रकार अयोध्या का संबंध भगवान श्रीराम से होने तथा 'रामचरित' की रचना अवधी में होने से अवधी का भी महत्व अधिक हो गया। खड़ी बोली के प्रचार में ईसाई मिशनरियों तथा आर्यसमाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
- (ङ) बोलने वालों के महत्व के कारण भी कोई बोली विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। अंग्रेजी का क्रमशः विकास होकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनना कुछ इसी प्रकार है। जिन कारणों से कोई बोली विभाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उनके न होने पर पुनः उसका महत्व कम हो जाता है। ब्रजभाषा हिंदी क्षेत्र के बड़े भाग में, यहां तक कि गुजरात तथा बंगाल तक में, व्यवहृत होकर ही रह गई। कभी-कभी पड़ोसी प्रभावशाली बोलियों के प्रभाव से अन्य बोलियां अप्रचलित होकर नष्ट या मृत हो जाती हैं। आयरलैंड की गोलिक भाषा अंग्रेजी के कारण मृत हो गई। लैटिन के कारण रोम के समीप की अन्य भाषाएं नष्ट हो गईं। विकेंद्रित होने पर विभाषा स्थानीय प्रभावों के कारण पुनः अनेक बोलियों में बदल जाती है।

4. **टकसाली भाषा, आदर्श या परिनिष्ठित भाषा (Standard Language)**— जब एक भाषा क्षेत्र की कोई एक बोली आदर्श मान ली जाती है तथा उसका उपयोग संपूर्ण क्षेत्र के कार्यों, शिक्षित वर्ग के लोगों की शिक्षा, पत्र-व्यवहार, समाचार पत्रों तथा शिष्ट लोगों की पारस्परिक बातचीत के लिए किया जाता है, तो उसे टकसाली या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। टकसाली या आदर्श भाषा का प्रभाव समीप की अन्य बोलियों पर पड़ता है, हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली को भाषा का पद मिलने के बाद उसका प्रभाव हिंदी क्षेत्र की अन्य बोलियों जैसे अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी आदि पर पड़ा है।

टिप्पणी

आदर्श भाषा पर समीप की अन्य बोलियों का भी प्रभाव उच्चारण, शब्द भंडार तथा व्याकरण आदि पर दिखाई देता है। आदर्श भाषा के लिखित तथा मौखिक रूप पाए जाते हैं। संस्कृत तथा लैटिन भाषा के लिखित रूप हैं। इनके बोलने वाले अत्यल्प हैं। ये पुस्तकों तक ही सीमित हैं। मौखिक रूप में किसी क्षेत्र की बोलचाल की भाषा आती है। खड़ी बोली का मौखिक रूप हिंदी, मेरठ के समीप के क्षेत्रों में ग्रामीण बोलियों में मिलता है। मौखिक भाषा के वाक्य छोटे-छोटे तथा भाषा के सही रूप को प्रदर्शित करने वाले होते हैं।

खड़ी बोली हिंदी का आदर्श रूप पत्र-पत्रिकाओं तथा साहित्यिक रचनाओं में पाया जाता है। भाषा का मौखिक रूप जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त किया जाता है तथा यह रूप परिवर्तनशील होता है, जबकि साहित्यिक रचनाओं में प्रयुक्त लिखित रूप साहित्य के प्रभाव से अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। भाषा का लिखित रूप अधिक शुद्ध होता है।

आदर्श या टकसाली भाषा की परिभाषा डॉ. श्यामसुंदर दास ने इस प्रकार की है—'कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिगृहीत विभाषा ही भाषा (या टकसाली भाषा) कहलाती है।'

'भाषा विज्ञान कोश' में टकसाली या आदर्श भाषा की परिभाषा इन शब्दों में की गई है—'टकसाली भाषा किसी भाषा की उस विभाषा को कहते हैं, जो अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता अन्य विभाषाओं पर स्थापित करके उन विभाषाओं के बोलने वालों द्वारा उस भाषा के सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाए।'

5. **राष्ट्रभाषा (National Language)**— जब आदर्श भाषा का प्रयोग संपूर्ण देश के शासन संबंधी कार्यों में तथा अन्य भाषाओं के अधिकार क्षेत्र में होने लगता है, तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्र की भाषा होने से इसका क्षेत्र भाषा की अपेक्षा व्यापक हो जाता है। राष्ट्र की जो भी भाषा अपनी व्यापकता, अधिक जनसंख्या, राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणों से राष्ट्र के सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग की जाने लगती है तथा देश की संस्कृति एवं सभ्यता की द्योतक होती है। हिंदी की दशा भारत में इसी प्रकार की है। देश में अन्य अनेक भाषाएं गुजराती, मराठी, बंगाली तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम आदि बोली जाती हैं किंतु राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी ही अधिकार रखती है।

हिंदी का व्यवहार हिंदी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य भाषा क्षेत्रों में भी प्रशासनिक कार्यों में बढ़ रहा है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली होती है। प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होना आवश्यक है। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने राष्ट्रभाषा की परिभाषा इस प्रकार की है—'जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी बढ़ती है और अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों में होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है।' फ्रांस में भी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् बोलियां बोली जाती हैं। दक्षिणी फ्रांस में प्रोवांशाल, कार्सिका प्रांत में इटैलियन, उत्तरी फ्रांस में फ्रेंच तथा बास्क बोली जाती है, परंतु उत्तरी फ्रांस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा फ्रांस की राष्ट्रभाषा है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

6. **राजभाषा (Official Language)**— राष्ट्रभाषा और राजभाषा के एक होने का भ्रम होता है। लोग इन शब्दों को पर्याय समझते हैं, परंतु इनमें भिन्नता भी हो सकती है। साधारणतः किसी राष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रशासनिक कार्यों में प्रचलित होकर स्वयमेव राजभाषा की अधिकारिणी हो जाती है। जब कोई विदेशी शक्ति किसी राष्ट्र पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो विजयी लोग अपनी भाषा को राजभाषा पद पर आसीन कर देते हैं। विजित लोग धीरे-धीरे राजभाषा के प्रति झुकते जाते हैं तथा राजभाषा कालांतर में राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो जाती है। मुगलों के समय फारसी तथा अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी राजभाषा के पद पर थी।

स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा बनाया गया है किंतु अंग्रेजी भी राजभाषा का कार्य कर रही है। उर्दू को ही लिया जाए तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के चारों प्रांतों में किसी भी प्रांत में उर्दू न बोली है न भाषा, किंतु वह पाकिस्तान की राजभाषा है। कभी-कभी जब कोई भाषा राष्ट्र की सीमाओं के बाहर व्यापार, शासन आदि कार्यों में प्रयोग की जाती है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रेंच का व्यवहार होता था किंतु बाद में उसका स्थान अंग्रेजी ने ले लिया।

7. **साहित्यिक भाषा (Literary Language)**— टकसाली या आदर्श का ही साहित्य में प्रयुक्त विशेष रूप साहित्यिक भाषा कहलाता है। टकसाली या आदर्श भाषा जनसाधारण की बोली जाने वाली भाषा होती है, जबकि साहित्यिक भाषा परिष्कार तथा विशेष शब्द प्रयोग के कारण अन्य बोलियों से दूर होती है। साहित्यिक जनसाधारण में व्यवहृत टकसाली भाषा को सुधार कर, परिमार्जन करके, विशेषता उत्पन्न करके उसे साहित्यिक भाषा का रूप देता है। जनसाधारण की भाषा होने के कारण टकसाली भाषा स्वतः ही नदी के प्रवाह की भांति बढ़ती जाती है। साहित्यिक भाषा में कृत्रिमता का समावेश हो जाता है, जबकि जनभाषा स्वाभाविक रूप को प्रकट करती है।

जनभाषा में नये-नये शब्दों का समावेश होने तथा उस पर अन्य भाषाओं, बोलियों का प्रभाव पड़ने से परिवर्तन एवं अस्थिरता की प्रधानता रहती है जबकि साहित्यिक भाषा साहित्य में प्रयोग किए जाने के कारण कुछ काल के लिए स्थिर रूप बना लेती है। साहित्य में प्रयुक्त होने से ही वैदिक संस्कृत का प्राचीन रूप अभी भी स्थिर है जबकि जनभाषा का उस काल का रूप आज बहुत ही बदल गया है। आम बातचीत में हिंदी का टकसाली रूप भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बहुत कुछ साम्य रखता है।

धीरे-धीरे जब साहित्यिक भाषा जनसाधारण के लिए दुर्बोध हो जाती है, तो टकसाली भाषा में साहित्य सृजन प्रारंभ हो जाता है और बाद में यह भी साहित्यिक भाषा का पद पा लेती है। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। भाषा विज्ञान कोश में साहित्यिक भाषा की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है—“किसी भाषा की विभाषा जो सर्वश्रेष्ठ समझ कर साहित्य रचना के लिए प्रयोग की जाए तथा बोलचाल की भाषा की अपेक्षा कुछ विशिष्ट हो।”

डॉ. मंगलदेव शास्त्री साहित्यिक भाषा उसे स्वीकार करते हैं, जिसमें साहित्य सृजन हुआ हो तथा जिसका प्रयोग विशेषतया शिक्षित समूह या शिष्ट वर्ग करता हो।”

8. **विशिष्ट भाषा (Special Language)**— प्रायः दैनिक व्यवहार में देखा जाता है कि कुछ वर्ग अपने कामों में विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। व्यापारियों, छात्रों, सराफों, कहारों, साहित्यिक संस्थाओं आदि की भाषाएं आपस में कुछ भिन्न होती हैं तथा उनमें कुछ विशिष्टताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की भाषा विशिष्ट भाषा कहलाती है।

9. **कृत्रिम भाषा (Artificial Language)**— यद्यपि भाषा का विकास अपनी स्वाभाविक गति से होता है, परंतु कभी-कभी जाति, समाज एवं देश के हित में भाषा की रचना की जाती है, निश्चित शब्द के संकेतों से बातचीत की जाती है। इस प्रकार की भाषा को कृत्रिम भाषा कहते हैं। इस प्रकार की कृत्रिम भाषा एस्पिरैंतो (Esperanto) है जिसकी रचना डॉ. एल.एल. जमेनहाफ ने की थी। इस भाषा का उदाहरण इस प्रकार देखा जा सकता है—कैट (Kat) = बिल्ली। इन (in) = स्त्रीलिंग का चिह्न, इड id = बच्चों का चिह्न, एट (et), छोटे का चिह्न, ओ (O) = संज्ञा का चिह्न। एक बिल्ली (स्त्रीलिंग) = कैट इन ओ (kat=in-o)। एक बिल्ली का बच्चा = (kat-kid-o) कैट-किड-ओ। एक छोटी बिल्ली (स्त्री.) का बच्चा= कैट-इन-एट-इड-ओ (kat=in=et=id=o)। यह भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है तथा एक सप्ताह में सीखी जा सकती है। इसकी सुधार की गई एक शाखा (Ido) के नाम से जानी जाती है। इसमें सोलह नियम हैं, अत्यंत सरल हैं तथा थोड़े समय में सीखे जा सकते हैं। चोर, डाकू, बच्चे अपने संकेत शब्दों का आश्रय लेकर बातचीत कर लेते हैं। कृत्रिम भाषा को दो भागों में बांटा गया है—(1) गुप्त भाषा और (2) सामान्य भाषा।

(1) **गुप्त भाषा**— इस भाषा का प्रयोग सेनाएं, जासूसी विभाग, और डाकू, लड़ाके आदि करते हैं। भाषा के रूप को बिगाड़कर, शब्दों में हेर फेर करके, नये शब्द मिलाकर कृत्रिम भाषा बनाई जाती है। परसाद दो = पिटाई करो या जहर दो। अमर करो = मार डालो। हर्फम जफाति अर्फही = हम जात अहीं = हम जात ही (इलाहाबादी), आदि गुप्त भाषा के कुछ उदाहरण हैं।

(2) **सामान्य भाषा**— सामान्य कृत्रिम भाषा चलती हुई भाषा के आधार पर बनाई जाती है जिससे लोग शीघ्र समझ सकें। विश्व में इस प्रकार की भाषाएं एस्पिरैंतो इडो, नोवियल, इंटरलिंगुवा, ऑक्सिडेंटल आदि हैं। भाषा के इन रूपों के अलावा अन्य रूप भी हैं, जिनमें जाति भाषा (विभिन्न जातियों की बोली), स्त्री भाषा (पुरुषों से भिन्न बोली का प्रयोग), पुरुष भाषा, ग्राम्य भाषा, शिष्ट, अशिष्ट, विकृत, मिश्रित भाषाएं आदि हैं।

भाषा के प्रकार

आज का युग वैज्ञानिक युग है। अतः भाषा के अध्ययन के लिए तदनुरूप तुलनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपेक्षित है, क्योंकि आज प्रत्येक विषय के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का

टिप्पणी

सर्वाधिक महत्व है। अतः भाषा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इस अध्ययन की सुविधा के लिए विश्व की भाषाओं का आकृति-प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। संपूर्ण विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी संख्या के विषय में कुछ भी अनुमान करना अक्षरशः सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु सभी विद्वान इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि विश्व में कुल लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाविद् मेरियो पाई ने तो इन्हें ठीक-ठीक नपे-तुले शब्दों में 2796 बताने का कष्टसाध्य प्रयास किया है। हमें यह कहने में जरा भी संकोच अनुभव नहीं हो रहा है कि पाई का यह निष्कर्ष एक कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई 10-20 भाषाओं का ज्ञाता हो। ऐसी स्थिति में 2796 का ज्ञान रखना, अत्यंत सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंतरों के आधार पर एक को दूसरे से पृथक् करना, इतना ही नहीं 3000 के स्थान पर 2796 बताकर मात्र 204 भाषाओं का सूक्ष्म अंतर स्वीकार करना किसी व्यक्ति-विशेष का कार्य नहीं हो सकता। वस्तुतः यदि उपर्युक्त संख्या को आधार मान भी लिया जाए, तो भी अध्ययन की सुविधा के लिए भाषा के प्रकारों की अर्थात् वर्गीकरण की आवश्यकता स्वाभाविक है, क्योंकि भेदों से किसी वस्तु विशेष के अध्ययन में सौकार्य आ जाता है।

यही वर्गीकरण की व्यावहारिक उपयोगिता है। संसार की भाषाओं के प्रकारों के कई आधार हो सकते हैं; जैसे—महाद्वीप, देश, धर्म, काल, भाषाओं की आकृति, परिवार तथा प्रभाव आदि, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित दो वर्गीकरण महत्वपूर्ण हैं—आकृतिमूलक वर्गीकरण तथा पारिवारिक वर्गीकरण। वस्तुतः इनमें से अर्थात् इन उपर्युक्त आधारों में से आकृति, इतिहास तथा परिवार को आधार बनाकर जो वर्गीकरण किया गया है, वही तर्कसंगत एवं समीचीन है। भाषा विज्ञान में विश्व भाषाओं के दो प्रकार से वर्गीकरण किए गए हैं—

(अ) आकृतिमूलक वर्गीकरण (Morphological Classification)

(ब) पारिवारिक वर्गीकरण (Genealogical Classification)

(अ) आकृतिमूलक वर्गीकरण

आकृतिमूलक वर्गीकरण का आधार है पदों तथा वाक्यों की रचना। पद किस प्रकार बनते हैं और वाक्यों की रचना किस प्रकार होती है, इस आधार पर किए जाने वाले वर्गीकरण को आकृतिमूलक कहते हैं। Morph (मार्फ पद) Morphology (मार्फोलॉजी पद रचना) पर आश्रित होने से इसे Morphological Classification (पद रचनात्मक वर्गीकरण) कहते हैं। इस वर्गीकरण को Syntax (सिंटेक्स) वाक्य रचना के आधार पर होने से syntactical (वाक्य रचनात्मक) और Type (टाइप-रूप) के आधार पर होने से Typical (टिपिकल रूपात्मक) भी कहते हैं। जिन भाषाओं में आकृति (आकार, पद रचना तथा वाक्य रचना) की दृष्टि से समानता होती है, उन्हें एक वर्ग में रखा जाता है।

आकृतिमूलक वर्गीकरण में रचना तत्व की मुख्यता रहती है। इनमें शब्द के बाह्यरूप पर ध्यान दिया जाता है। भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रो. श्लेगल (F. Schlegel) को अत्यधिक श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम आकृतिमूलक भाषाओं को दो वर्गों में विभक्त किया, जिसे आगे चलकर प्रो. बोप (F. Bopp), ग्रिम तथा श्लाइशर ने तीन वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। पॉट (A.F. Pott) ने इसे चार वर्गों

में विभाजित किया, किंतु यथार्थतः प्रमुखता भाषाओं के दो ही वर्गों को प्राप्त हुई—अयोगात्मक एवं योगात्मक।

आकृतिमूलक वर्गीकरण का स्पष्टीकरण

1. अयोगात्मक भाषाएं— अयोगात्मक उन भाषाओं को कहते हैं, जिनमें प्रकृति, प्रत्यय या अर्थतत्व और संबंध-तत्व का संयोग नहीं होता। इस वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता अर्थात् संबंध-तत्वों (उपसर्ग, प्रत्यय) को जोड़कर शब्द नहीं बनाए जाते, अपितु सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं, उनका अपना विशेष अस्तित्व और महत्व होता है। यथा—संस्कृत में 'राम' शब्द में 'टा' प्रत्यय जोड़कर 'रामेण' शब्द निष्पन्न होता है, किंतु हिंदी में 'राम से' दोनों शब्द भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन यह भी योगात्मक ही है, चलना का भूतकाल में चला हो जाता है, किंतु चीनी भाषा में Tsen (चलना) का भूत अर्थ लेने के लिए इसके आगे (lion) रख देते हैं—lion Tsen।

कहने का तात्पर्य यह है कि इस वर्ग की भाषाओं का प्रत्येक शब्द स्वयमेव प्रकृति तत्व एवं अर्थतत्व को व्यक्त करने की शक्ति रखता है। इन शब्दों का परस्पर संबंध, वाक्य में उनके निश्चित स्थान से व्यक्त होता है अर्थात् वाक्य में उनका स्थान बदलने से उनका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है; जैसे—

(क) ता-जेन (बड़ा आदमी, ता = बड़ा, जेन = आदमी)

जेन-ता (आदमी बड़ा है)

(ख) वो-ता-नी (मैं मारता हूँ तुझे, वो= मैं, ता= मारना, नी= तू)

नी-ता-वो (तू मारता है मुझे)

वाक्य में उद्देश्य, विधेय आदि का संबंध स्थान और स्वर के द्वारा प्रकट होता है। ऐसी वाक्यरचना में प्रकृति व प्रत्यय का भेद नहीं रहता। परिणाम यह होता है कि वहां रचना, काल और कारक रचना का सर्वथा अभाव रहता है। यथा चीनी भाषा में 'न्तगो त नि' का अर्थ है 'मैं मारता हूँ तुझको' तथा इसका विपरीत करने पर "नितनो" का अर्थ प्रकट होता है—"तुम मारते हो मुझको"। कभी-कभी शब्दों के अर्थ में निपात भी भेद उत्पन्न करता है। चीनी भाषा में "वांग पाओ मिन" का अर्थ है—राजा लोगों की रक्षा करता है, किंतु "वांग पाओ ची मिन" का अर्थ है— राजा द्वारा रक्षित लोग। ची संबंधवाचक निपात है।

स्वरभेद से भी अर्थपरिवर्तन हो जाता है—"क्वेईक्वोक" में उदात्त स्वर के आने पर इसका अर्थ मान्य या विशिष्ट देश हो जाएगा। इस वर्ग की भाषाओं में स्थान, निपात तथा सुर का विशेष महत्व होता है। इन भाषाओं का व्याकरण इन्हीं का विवेचन करता है। निपात (संबंधसूचक अव्यय) से शब्दरचना और वाक्यरचना में भी सहायता ली जाती है। इसमें संबंध-तत्व का बोध संबंध-तत्व-बोधक शब्दों को लगाकर या स्थान विशेष पर रखकर कराया जाता है। यद्यपि सामान्य रूप से इस वर्ग की सभी भाषाओं में इनका महत्व है, तथापि कुछ भाषाओं में इनमें से किसी एक का महत्व अपेक्षाकृत अधिक रहता है। यथा चीनी भाषा में स्थान तथा सुर का, सूडानी भाषा में स्थान का, अनामी में स्वर का तथा बर्मी, स्यामी व तिब्बती में निपात का सर्वाधिक महत्व है।

टिप्पणी

2. **योगात्मक भाषाएं** (Agglutinative Languages)— योगात्मक भाषाओं में प्रकृति तथा प्रत्यय के योग से शब्द की रचना होती है। इन भाषाओं का प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं इसी वर्ग की हैं। इस वर्ग की भाषाओं का निर्माण अर्थतत्त्व एवं संबंध-तत्त्व के योग से होता है। प्रत्येक शब्द प्रकृतिरूप न होकर प्रकृति प्रत्यय के संयोग का परिणाम होता है। यथा— संस्कृत भाषा में 'रामेण हतो बालिः' में राम के साथ तृतीया के 'एन्' का तथा हन् के साथ 'तः' प्रत्यय का और 'बालि' के साथ 'अः' प्रत्यय का योग है। इस वर्ग की भाषाओं को अध्ययन की दृष्टि से अश्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट तथा श्लिष्ट योगात्मक इन तीन वर्गों में विभक्त किया गया है—

(क) **अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं**— यदि भाषा में अर्थतत्त्व और संबंध-तत्त्व का पारस्परिक योग हो, किंतु उसकी स्थिति स्पष्टतः परिलक्षित होती हो, तो ऐसी भाषा अश्लिष्ट योगात्मक कहलाती है। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के वाक्यों में प्रत्ययों की प्रधानता रहती है, जिनकी सत्ता स्पष्टतः दृष्टिगत होती है। ऐसे वाक्यों में एक से अनेक प्रत्यय लगाकर विभिन्न अर्थ निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, 'जुलु' भाषा में 'तु चिल यवनोकल' के पूर्व प्रत्यय लगाने पर यह वाक्य बनता है—'उमंतु-वेतु ओमुच्चले यवनोकल' अर्थात् 'हमारा आदमी देखने में भला है'। इसी वाक्य का बहुवचन है 'अवंतु वेतु अवच्चले वयवनोकल' अर्थात् 'हमारे आदमी देखने में भले हैं'। इसी प्रकार 'पर प्रत्यय-प्रधान' तुर्की भाषा में एव = घर, एवलेर = कई घर, एवलेरइम = मेरे घर। अश्लिष्ट योगात्मक (प्रत्यय-प्रधान) भाषा में व्याकरण संबंध पुरः प्रत्यय अंतः प्रत्यय, पर प्रत्यय के संयोग से सूचित किया जाता है। कुछ भाषाएं सर्व प्रत्यय प्रधान और कुछ ईषत् प्रत्यय प्रधान होती हैं। प्रत्यय-प्रधान अश्लिष्ट भाषाओं को विद्वानों ने चार भागों में विभक्त किया है :

1. पुरः प्रत्यय-प्रधान-पूर्व योगात्मक (prefix agglutinative)
2. मध्य प्रत्यय-प्रधान-मध्य योगात्मक (Infix agglutinative)
3. पर प्रत्यय-प्रधान-अंत योगात्मक (Suffix agglutinative)
4. पूर्वांत योगात्मक-आंशिक योगात्मक (Prefix-Suffix agglutinative)

1. **पुरः प्रत्यय-प्रधान - पूर्व योगात्मक**— भाषाओं में 'बानू परिवार' की भाषाओं की गणना होती है। पूर्व योगात्मक भाषाओं में संबंध-तत्त्व आरंभ में लगता है। इस परिवार की भाषाओं को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है—(1) पूर्वी, (2) मध्यवर्ती, (3) पश्चिमी। पूर्वी भाषाओं में काफिर और जुलू मुख्य हैं। काफिर भाषा में 'कु' उपसर्ग का अर्थ होता है—को । ति (हम) नि (उन) आदि सर्वनाम हैं। इसका परस्पर योग होने पर:

कु-ति = हमका।

कु-जे = उसको।

कु-नि = उनको।

जुलू भाषा के उदाहरण ऊपर दे चुके हैं। पूर्व प्रत्यय जोड़ने की प्रवृत्ति के दर्शन संस्कृत में भी हो जाते हैं, जैसे—गच्छति = जाता है और अवगच्छति = जानता है।

2. **मध्य प्रत्यय-प्रधान-मध्य योगात्मक**—मध्य योगात्मक भाषाओं में संबंध-तत्त्व की योजना मध्य में होती है। मलाया परिवार की मुख्य भाषा फिलीपींस की टगलॉग (Tagalog) भाषा मध्य योगात्मक भाषा का ही उदाहरण है; जैसे—
सुलत् = लेख। सुमूलत् = (स+उम्+ऊलत्) लिखने वाला।

सिनूलत = (स+इन+ऊलत्) लिखा गया।

इस उदाहरण में 'उम्' और 'इन' मध्य प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। भारत की मुंडा परिवार की भाषाओं में भी मध्य प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है; जैसे—संथाली भाषा में 'मंझि' का अर्थ है मुखिया और 'मपंझि' का अर्थ है मुखियागण। इसी प्रकार स्पष्ट है कि 'प' मध्य प्रत्यय का प्रयोग बहुवचन में होता है। इस प्रकार तुर्की भाषा का एक उदाहरण भी उल्लेखनीय है—'सेव्मेक' का अर्थ है 'प्यार करना' 'सेव् इन मेक' का अर्थ हुआ, 'अपने को प्यार करता है' और 'सेव् इल मेक' का अर्थ हुआ 'प्यार किया जाना'। यहां भी 'इन्' और 'इल' प्रत्ययों का प्रयोग मध्य में हुआ। इसी प्रकार 'दल्' का अर्थ है 'मारना' और 'दपल्' का अर्थ है 'परस्पर मारना'। इस क्रिया में 'प' प्रत्यय का प्रयोग मध्य में हुआ है।

कुछ भाषाएं ईषत् प्रत्यय-प्रधान भी होती हैं, इनमें प्रत्यय के साथ कारक, समास और विभक्ति की भी योजना होती है।

3. **पर प्रत्यय-प्रधान-अंत योगात्मक**—अंत योगात्मक भाषाओं में प्रत्यय अंत में संयुक्त होता है। यूराल, अल्टाइक तथा द्रविड़ परिवार की भाषाओं में अंत योग के उदाहरण मिलते हैं। तुर्की भाषा अंत योगात्मकता के लिए प्रसिद्ध है :

'यव' का अर्थ है 'घर'

'एवलेर' का अर्थ हुआ 'कई घर'।

'एवलेर इम' का अर्थ हुआ 'मेरे घर'।

'यज' का अर्थ है 'लिख'।

'यज्मक्' का अर्थ है 'लिखना'।

यजिस्मक् (यज्+इस्+मक्) = परस्पर लिखना।

यज्दिर्मक् (यज्+दिर्+मक्) = लिखवाना।

यजिल्मक (यज्+इल्+मक्) = लिखाया जाता।

भारतीय दक्षिणी भाषाओं कन्नड़, मलयालम आदि में भी अंत योगात्मकता दृष्टिगत होती है।

कन्नड़ भाषा—सेवक शब्द से सेवकरु (कर्ता), सेवक-रु (कर्म), सेवक-रिन्द (करण), सेवक-रिगे (संप्रदान), सेवक-र (संबंध), सेवक-रल्लि (अधिकरण) आदि रूप बनते हैं।

टिप्पणी

इसी प्रकार मलयालम भाषा में बहुवचन के रूप इस प्रकार बनते हैं—
सेवकन्-मार (कर्ता), सेवकन्-मारे (कर्म), सेवकन्-माराल् (करण), सेवकनमारकु
(संप्रदान), सेवकन्-मारुटे (संबंध), सेवकन्-मार-इल (अधिकरण)। आशय
यह है कि कन्नड़-मलयालम में प्रत्यय अंत में संयुक्त होते हैं। इन भाषाओं को
पर-प्रत्यय-प्रधान या 'अंत-योगात्मक' कहा जाता है।

4. सर्व प्रत्यय-प्रधान या पूर्वांत-योगात्मक— 'सर्व-प्रत्यय-प्रधान' भाषाओं के
अर्थतत्त्व के पूर्व तथा पश्चात दोनों ओर प्रत्यय जोड़े जाते हैं। सर्व-प्रत्यय-प्रधान
भाषाओं में प्रशांत महासागर चक्र की 'पपुआई परिवार' की भाषाएं आती हैं।
न्यूगिनी द्वीप की 'मफोर' भाषा में प्रकृति और प्रत्यय का संयोग शब्द में इस
प्रकार होता है :

मन्फ	= सुनना।
जमन्फ	= मैं सुनता हूं।
जमन्फउ	= मैं तेरी बात सुनता हूं।
यहां 'ज' आदि में और 'उ' प्रत्यय अंत में संयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार:	
मन्फ	= सुनना।
वमन्फ	= तू सुनता है।
इमन्फ	= वह सुनता है।
सिमन्फ	= वे सुनते हैं।
सिमन्इफ	= उसकी बात सुनते हैं।

(ख) प्रश्लिष्ट योगात्मक (Incorporative) समास-प्रधान— प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं
में प्रकृति-प्रत्यय इस प्रकार संश्लिष्ट होते हैं कि उन्हें अलग करना असंभव-सा
लगता है। प्रश्लिष्ट-योगात्मक-भाषाओं की एक विशेषता यह भी है कि इस भाषा के
वाक्यों में अनेक शब्द न आकर शब्दखंड संयुक्त होते हैं। परिणामस्वरूप, एक दीर्घ
वाक्य बन जाता है। ग्रीनलैंड तथा दक्षिणी अमरीका की भाषाएं इसी प्रकार की हैं।
संस्कृत भाषा यद्यपि प्रधानतः श्लिष्ट-योगात्मक है, किंतु उसमें प्रश्लिष्ट-योगात्मकता
के लक्षण दृष्टिगत होते हैं; जैसे—

तैरभिप्रेतार्थसाधनेऽभिनवकौशलप्रदर्शनकृतमासीत्, अर्थात् 'उन्होंने अपना अभिप्राय
सिद्ध करने में नूतन कुशलता दिखाई'। यद्यपि अंग्रेजी भी समास-प्रधान भाषा नहीं है,
तथापि यत्र-तत्र इस प्रकृति के दर्शन किए जा सकते हैं—United Nations Economical,
Social and Cultural Organization इन सभी शब्दों के प्रथमाक्षरों के संयोग से यूनेस्को
(UNESCO) शब्द बनता है।

प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के संबंध-तत्त्व और अर्थतत्त्व की दृष्टि से दो विभाग
हो सकते हैं— (1) पूर्ण प्रश्लिष्ट (2) आंशिक प्रश्लिष्ट

टिप्पणी

1. पूर्ण प्रश्लिष्ट—पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषाएं अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती हैं। अपनी
प्रकृति के कारण इस भाषा के शब्दखंडों से पूरा वाक्य एक लंबा-सा शब्द बन
जाता है। दक्षिणी अमरीका की चैरोकी भाषा का एक उदाहरण—

नातेन = लाओ। आमोखल = नाव। निन = हम।

इन तीनों शब्दों के संयोग से 'नाधोलिनिन' शब्द का अर्थ है—'हमारे पास नाव
लाओ।'

ग्रीनलैंड की एस्किमो भाषा में भी पूर्ण प्रश्लिष्टावस्था के दर्शन होते हैं—

अउलिसर	= मछली मारना।
पेअतोर	= किसी काम में लगना।
पिन्नेसुअर्पोक	= वह जल्दी करता है।

इन तीनों से मिलकर—'अउलिसरिअतोरसुपर्पोक' (वह मछली मारने के लिए
जाने की जल्दी करता है) एक शब्द से निर्मित वाक्य बन जाता है।

2. आंशिक प्रश्लिष्ट—आंशिक प्रश्लिष्ट भाषाओं में क्रियाओं और सर्वनाम का
संयोग इस प्रकार से होता है कि क्रिया का अस्तित्व ही शेष नहीं रहता। बास्क
भाषा का एक उदाहरण दृष्टव्य है :

वकार्क ओत	— मैं इसे उसके पास ले जाता हूं।
नकार्सु	— तुम मुझे ले जाते हो।

इन दोनों ही वाक्यों में सर्वनाम और क्रियाओं के अतिरिक्त संज्ञा, विशेषण
अव्यय आदि का योग नहीं होता है।

(ग) श्लिष्ट योगात्मक (Inflational) विभक्ति-प्रधान— श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के
वाक्यों में विभक्ति की प्रधानता होती है, जिनमें वाक्य आदि का संबंध विभक्ति के
द्वारा प्रकट होता है। विभक्ति-प्रधान वाक्य में प्रत्यय ही संबंध का ज्ञान कराते हैं।
किंतु स्वयं से अस्तित्वहीन हो जाते हैं। "योगात्मक भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का
भेद-भाव स्पष्ट बना रहता है और उनका पूरी रीति से एकीभाव नहीं होने पाता।
इसके विरुद्ध, विभक्तियुक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का प्रायः एकीभाव हो
जाता है।" ... जहां योगात्मक भाषाओं में प्रकृत्यांश सदा जैसा-का-तैसा रहता है और
प्रत्ययांश में ही थोड़ा परिवर्तन होता है, वहां विभक्तियुक्त भाषाओं में प्रकृत्यांश भी
परिवर्तित हो जाता है।

इस प्रकार "विभक्तियुक्त भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय-दोनों के परिवर्तित हो जाने
से ही दोनों परस्पर इतने सट जाते हैं कि उनमें बिल्कुल एकीभाव हो जाता है।" डॉ.
मंगलदेव ने आकृति के आधार पर भाषाओं के तीन वर्गीकरण किए हैं—अयोगात्मक,
योगात्मक और विभक्ति-प्रधान। उनके वर्गीकरण का आधार यही है। पुनश्च वे
लिखते हैं कि—"दोनों की शब्द-रचना का मूल सिद्धांत एक ही है; केवल भेद इतना

1. तुलनात्मक भाषा विज्ञान—डॉ. मंगलदेव, पृष्ठ 72-73

है कि विभक्तियुक्त, भाषाओं में प्रकृति-प्रत्यय का परस्पर मेल योगात्मक भाषाओं की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा होता है। साथ ही, विभक्तियुक्त भाषाओं में भी यह घनिष्ठ संबंध सदा नहीं पाया जाता।²

श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबंध-तत्त्व को अर्थतत्त्व से इस प्रकार संश्लिष्ट कर दिया जाता है कि अर्थतत्त्व के अंश में विकृति आ जाती है। अर्थतत्त्व यद्यपि अपना अस्तित्व खो देता है; फिर भी संबंध-तत्त्व की झलक स्पष्ट परिलक्षित होती रहती है। उदाहरणतः ईश्वर शब्द से ऐश्वर्य की निष्पत्ति होने पर 'य' प्रत्यय जोड़ा गया है, साथ ही ई का ऐ हो गया है। वेद से वैदिक, नीति से नैतिक आदि शब्द इसी प्रकार के हैं, जहां संबंध तथा अर्थतत्त्व की प्रतीति स्पष्ट है। संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है।

विभक्तियां अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी। इसी के आधार पर श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के विद्वानों ने दो विभाग किए हैं—

- (1) अंतर्मुखी श्लिष्ट (विभक्ति-प्रधान भाषाएं),
- (2) बहिर्मुखी श्लिष्ट (विभक्ति-प्रधान भाषाएं)।

इन भाषाओं के भी दो-दो उपभेद मिलते हैं :

- (1) संयोगात्मक (Synthetic)
- (2) वियोगात्मक (Analytic)

अंतर्मुखी भाषाओं में संबद्ध अंश अर्थतत्त्व के बीच में मिल जाते हैं। सैमेटिक और हैमेटिक परिवार की भाषाएं इसी वर्ग में आती हैं। बहिर्मुखी भाषाओं में जोड़े हुए अंश अर्थतत्त्व के अंत में आते हैं। इस वर्ग में भारोपीय परिवार की संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाएं आती हैं।

अंतर्मुखी भाषाओं में एक उदाहरण अरबी भाषा का प्रस्तुत है—

क-त्-ल् धातु का अर्थ है मारना।

क़तल	= खून।
क़ातिल	= मारने वाला।
कित्तल	= शत्रु।
यकतुल	= वह मारता है।
कितल	= प्रहार।

इन उदाहरणों में संबंध-तत्त्व इस प्रकार मूल धातु से संबद्ध हैं कि उन्हें अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषा की संयोगात्मक भाषाओं का उदाहरण अरबी तथा वियोगात्मक भाषा का उदाहरण हिब्रू भाषा है।

बहिर्मुखी भाषाओं में भारोपीय परिवार की भाषाएं आती हैं : इनमें सहायक क्रिया और परसर्ग आदि को संबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से ही उनकी सत्ता विद्यमान रहती


2. वही, पृष्ठ 73

है। उदाहरणतः संस्कृत भाषा में सः गच्छति (वह जाता है) — 'सः' में प्रथमा विभक्ति और 'गच्छति' में ति प्रत्यय संयोगात्मक है।

संयोगात्मक-वियोगात्मक भाषाओं की दृष्टि से आज अधिकांश भाषाएं वियोगात्मक हो गई हैं। लिथुआनियन भाषा आज भी संयोगात्मक है। संयोगात्मक भाषाओं में ग्रीक, लैटिन, संस्कृत और अवेस्ता प्रधान हैं तथा वियोगात्मक भाषाओं में हिंदी, बंगला तथा अंग्रेजी प्रधान हैं।

आकृतिमूलक-वर्गीकरण की समीक्षा


प्रारंभ में आकृतिमूलक-वर्गीकरण बहुत दिनों तक मान्य रहा है। भाषा विज्ञान का एक प्रमुख अंग भाषाओं का रूपविश्लेषण है। यह वर्गीकरण प्रधानतः रूप-विश्लेषण पर आधारित है अतः इसका महत्व स्वीकार्य है।¹ इसीलिए डॉ. श्यामसुंदर दास ने लिखा है—“वाक्य और शब्दों की प्रकृति का सम्यक् विवेचन करने के लिए भाषाओं का आकृतिमूलक अथवा रूपात्मक वर्गीकरण अच्छा समझा जाता है।” आकृतिमूलक-वर्गीकरण भाषा के विकास-क्रम को स्पष्ट करता है।



किंतु आकृतिमूलक-वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं का समुचित विभाजन नहीं हो पाता। इस वर्गीकरण में परस्पर किसी प्रकार का भी संबंध न रखने वाली भाषाओं को एक वर्ग में रख दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हिंदी को अश्लिष्ट योगात्मक मान लें, तो उसी वर्ग में तुर्की, अफ्रीका की काफ़िर, फिलीपींस की टगलॉग, न्यूगिनी की मफोर आदि भाषाएं हैं जिनका हिंदी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। योगात्मक, अयोगात्मक दो वर्गीकरण स्पष्ट होते हुए भी योगात्मक भाषाओं के उपसर्गों की सीमा-रेखा अत्यंत धूमिल है। परिणामस्वरूप एक ही भाषा अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट हो सकती है। हिंदी, संस्कृत, तुर्की आदि भाषाएं विभिन्न वर्गों के लिए उदाहरण दे सकने में समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त यह वर्गीकरण भाषा के बाह्य पक्ष का सूचक है।

टिप्पणी

अमेरिका परिवार की भाषाएं



1. अमेरिका खंड—इस वर्ग के अंतर्गत उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में बोली जाने वाली लगभग चार सौ भाषाओं की गणना की जाती है। किंतु इस वर्ग की अधिकांश भाषाएं अनुसंधान एवं अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं। अधिकांश भाषाएं साहित्य एवं लिपि-रहित हैं तथा अपनी अविकसित दशा में यात्रा पूरी कर रही हैं। मैक्सिको की 'मय' तथा 'नहुअल' भाषाओं की अपनी लिपि तथा साहित्य भी है।

इस भूखंड की भाषाएं प्रश्लिष्ट योगात्मक समास-प्रधान हैं। वाक्य बनाने के लिए शब्दों के प्रधान अंश लेकर मिलाते जाते हैं और एक शब्दवाक्य बन जाता है। एक लंबे शब्द के रूप में एक वाक्य ही इन भाषाओं में कार्य में आता है। कभी-कभी इन भाषाओं में दस-बारह शब्द मिलकर एक शब्द-वाक्य की रचना करते हैं; उदाहरण के लिए—चैरोकी भाषा का पूर्व परिचित उदाहरण ही यहां दृष्टव्य है—'नाधोलिनिन' वाक्य में 'नेतन', 'आमोखल' तथा 'निन' शब्द हैं। 'नेतेन' का अर्थ है लाओ, आमोखल का अर्थ नाव तथा 'निन' का अर्थ हमको। इस प्रकार नाधोलिनिन का अर्थ है—हमको नाव लाओ।

इस वर्ग की भाषाओं के अध्ययन व सामग्री के अभाव में विशेष वर्गीकरण व विवरण देना संभव नहीं है, फिर भी विद्वानों ने इस वर्ग की भाषाओं का एक स्थूल वर्गीकरण किया है, जो ऊपर प्रदर्शित है।

2. अफ्रीका खंड— इस भूखंड में अफ्रीका में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं का समावेश होता है। इस खंड में प्रधानतः पांच भाषा-परिवार हैं—

(क) बुशमैन, (ख) बांटू, (ग) सूडान, (घ) हैमेटिक या हामी और (ङ) सैमेटिक या सामी।

(क) बुशमैन भाषा-परिवार—बुशमैन अफ्रीका के मूल निवासियों की एक जाति का नाम है। यह जाति ऑरेंज नदी से नगामी झील तक बसी हुई है। अफ्रीका के

अतः अधिक वैज्ञानिक नहीं है। इस संबंध में देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि वर्गीकरण के इस आधार पर बहुत वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। इसके दो प्रमुख कारण हैं—

1. एक तो यह कि श्लिष्ट अथवा प्रश्लिष्ट में स्पष्ट विभाजक-रेखा खींचना कठिन है। प्रत्येक भाषा में कुछ अंश ऐसा है जो इन तीनों वर्णों में समाविष्ट हो जाता है। संस्कृत को ही ले लीजिए। उपसर्गों या क्रिया विभक्तियों का अस्तित्व अर्थ-तत्त्व से पृथक् झलकता रहता है। जैसे, प्रभवति, प्रहरति में उपसर्ग (प्र), धातु (भू एवं ह) और विभक्ति (ति) का रूप बिल्कुल स्पष्ट है। 'वैदिक', 'नैतिक' आदि शब्द श्लिष्ट के उदाहरण हैं और 'जिगमिषति' आदि प्रयोग प्रश्लिष्ट के अतः आकृतिमूलक भेद स्थूल दृष्टि से ही ग्राह्य हैं; सूक्ष्मता से विचार करने पर उनमें परस्पर सौकर्य आ जाता है, जो वैज्ञानिकता का विरोधी है।

2. संसार की समस्त भाषाओं का अब तक अध्ययन नहीं हो पाया है। संभव है, उसका अध्ययन होने पर और भी आकृतिगत या रूपात्मक विशेषताओं का पता लगे। अभी संयोगात्मक भाषाओं की जितनी जानकारी है, वह भी अपर्याप्त है। जिस गहराई से भारत-यूरोपीय परिवार की भाषाओं का अध्ययन हुआ है, उस गहराई से चीनी, बर्मा आदि का नहीं। अतः अयोगात्मक भाषाओं के संबंध में जो निष्कर्ष निकलते हैं वे अखंडनीय हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आकृतिमूलक वर्गीकरण का अब वह महत्व नहीं रह गया है जो पहले था। भाषा विज्ञानी आकृतिमूलक वर्गीकरण से पारिवारिक वर्गीकरण को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं।”

(ब) पारिवारिक वर्गीकरण

पारिवारिक वर्गीकरण में रचनातत्त्व के साथ ही अर्थतत्त्व पर भी ध्यान दिया जाता है। इन भाषाओं के रचना साम्य के साथ ही अर्थसाम्य या अर्थतत्त्व पर ध्यान रखना अनिवार्य है। इस प्रकार दोनों का भेद है—

(क) आकृतिमूलक वर्गीकरण = शब्द प्रधान, रचनातत्त्व मुख्य

(ख) पारिवारिक वर्गीकरण = अर्थप्रधान, रचनातत्त्व + अर्थतत्त्व

पारिवारिक वर्गीकरण को वंशानुक्रम पर आधारित होने से Genealogical (वंशानुक्रमिक) (Genea = वंश) तथा भूगोल एवं इतिहास पर निर्भर होने से Historical (ऐतिहासिक) कहते हैं। एक परिवार एक भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त होता है।

विश्व की समग्र भाषाओं को एक बड़ा कुल मानकर उनको विभिन्न परिवारों में विभक्त किया गया है। जैसा कि फ़ैडरिक मूलर आदि विद्वानों का विचार है, समस्त विश्व की भाषाओं को सौ भाषा-परिवारों में विभक्त किया जा सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार दो सौ पचास से कम भाषा-परिवार नहीं हैं। किंतु अद्यावधि उपलब्ध भाषाओं को अध्ययन की सुविधा के लिए भौगोलिक आधार पर चार भौगोलिक खंडों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक खंड की भाषाएं दूसरे खंडों की भाषाओं से पूर्णतः प्रभावित हैं। अतः इस दृष्टिकोण के आधार पर भाषा के चार खंड हैं—(1) अमेरिका खंड, (2) अफ्रीका खंड, (3) प्रशांत महासागर खंड, (4) यूरोशिया खंड।

टिप्पणी

निवासियों की यह भाषा प्राचीनतम है तथा जंगली जातियों की भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। इस भाषा में लोक-गीत एवं लोक-कथाओं के अतिरिक्त किसी प्रकार का साहित्य नहीं मिलता है। डॉ. ब्लाख के अनुसार इस परिवार की भाषाएं 'अश्लिष्ट-अंत-योगात्मक' थीं, किंतु क्रमशः अयोगात्मकता की ओर अग्रसर हैं। इन भाषाओं के लक्षण सूडान-परिवार तथा बांटू कुल की 'जुलू' भाषा से मिलते-जुलते हैं। इस परिवार की भाषाओं की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- इस परिवार की भाषाओं में एकवचन की पुनरावृत्ति कर बहुवचन बनाया जाता है।
- इस परिवार की ध्वनियां कुछ विचित्र हैं। अतः विदेशियों के द्वारा उनका यथावत् उच्चारण दुस्साध्य है। इन्हें स्फोटात्मक क्लिक-ध्वनि कहा जाता है। ये ध्वनियां दंत्य, मूर्धन्य, पार्श्विक, तालव्य और ओष्ठ्य हैं।
- इन भाषाओं में लिंग के नियम पुरुषत्व या स्त्रीत्व पर आधारित न होकर चेतन-अचेतन पर अवलंबित हैं।
- हुंट्टाट इस परिवार की प्रमुख भाषा है।

(ख) बांटू भाषा परिवार-बांटू परिवार की भाषाएं मध्य और दक्षिणी अफ्रीका की भाषाएं हैं। इसके दक्षिण में बुशमैन परिवार की भाषाओं तथा उत्तर में सूडान परिवार की भाषाओं का प्रयोग होता है। इस परिवार में लगभग एक सौ पचास भाषाएं हैं, जिन्हें पूर्वी, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी इन तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है।

- इन भाषाओं में साहित्य का अभाव है। (3) संयुक्त व्यंजनों का अल्प प्रयोग होता है, समस्त शब्द स्वरांत हैं, परिणामस्वरूप भाषाएं मधुर तथा संगीतात्मक हैं। (3) इस परिवार की भाषाएं पूर्व अश्लिष्ट योगात्मक अथवा पुरःप्रत्यय-प्रधान हैं। (4) पदों की रचना उपसर्ग जोड़कर अधिक होती है। (5) इन भाषाओं में लिंग विचार का अभाव तथा स्वरों की विभिन्नता से अर्थ की भिन्नता होती है।

(ग) सूडान भाषा परिवार-सूडान परिवार में भूमध्य रेखा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक विस्तीर्ण भू-भाग में बोली जाने वाली भाषाओं का समावेश होता है। इसके उत्तर भाग में हैमेटिक परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इस परिवार में लगभग चार सौ पैंतीस भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु लिपियां पांच-छह के ही पास हैं। इस परिवार की प्रमुख भाषाएं 'वाइ', 'मोम-', 'कनूरी हाउसा' तथा 'प्यूल' हैं।

- ये भाषाएं पढ़ने में सरस हैं। (2) इन भाषाओं में 'नूबी' भाषा के काष्ठी लिपि में लेखबद्ध चतुर्थ शताब्दी तक के कुछ लेख उपलब्ध हैं। (3) इस परिवार की भाषाएं चीनी भाषा की तरह अयोगात्मक व्यास प्रधान हैं। (4) विभक्तियों का सर्वथा अभाव है। (5) प्रत्ययों के अभाव के कारण अर्थभेद

टिप्पणी

स्वरों पर आधृत हैं। (6) इन भाषाओं में व्याकरण का अभाव है। (7) लिंग-बोधक कुछ शब्दों से लिंग की जानकारी होती है। (8) बहुवचन के नियम भी अस्पष्ट हैं। (9) वाक्य प्रायः छोटे-छोटे होते हैं। (10) इस परिवार को चार भागों में विभक्त कर उसकी भाषाओं का अध्ययन किया गया है-(क) सेनेगल भाषाएं, (ख) ईव भाषाएं (ग) मध्य अफ्रीका समूह, (घ) नील नदी के ऊपरी भाग की बोलियां। इन चारों वर्गों में प्रथम वर्ग की 'बोलोफ' तथा 'ईव' भाषाएं प्रमुख हैं।


(घ) हैमेटिक भाषा परिवार-हैमेटिक या हामी परिवार की भाषाएं संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका में बोली जाती हैं। इंजील के आख्यान के अनुसार नौह के द्वितीय पुत्र हैम व अफ्रीका के कुछ भागों-मिस्र, फोनेशिया, इथोपिया में 'आदि पुरुष' के रूप में मान्य हैं। उन्हीं के नाम पर इस परिवार का हैमेटिक परिवार नामकरण हुआ है। इस परिवार की अनेक भाषाएं नष्ट होती जा रही हैं।

- इन भाषाओं में धार्मिक साहित्य और प्राचीन अभिलेख भी मिलते हैं।
- इस परिवार की भाषाओं पर दूसरे परिवारों की भाषाओं का प्रभाव अधिक है। (3) इस परिवार की प्रमुख भाषा मिस्री तथा लीबियन है। (4) मिस्री भाषा-गठन में सरल धातुएं, एकाक्षर तथा अनेकाक्षर हैं, विभक्तियों के लिए प्रत्यय-योजना नहीं होती। (5) आदि, मध्य और अंत में धातुएं जोड़कर पदों की रचना होती है। (6) ये भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक विभक्ति-प्रधान हैं, जो संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर उन्मुख हैं। (7) इन भाषाओं में स्वर-परिवर्तन से अर्थ-परिवर्तन होता है। (8) विशेष बल देने के लिए पुनरुक्ति का प्रयोग होता है। (9) इन भाषाओं में क्रिया से काल का बोध नहीं होता, अपितु काल का बोध कराने के लिए सहायक शब्दों का प्रयोग होता है। (10) बहुवचन के रूप विभिन्न होते हैं।

(ङ) सैमेटिक भाषा परिवार-सैमेटिक या सामी अफ्रीका में इस परिवार की भाषा मोरक्को से स्वेज तक बोली जाती है। इस कुल की प्रधान भाषा अरबी है। यही अल्जीरिया और मोरक्को में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इस परिवार की भाषाओं में हिब्रू, आरमेनियन भी हैं। (1) भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक विभक्ति प्रधान हैं। (2) विभक्तियां अंतर्मुखी हैं। धातु-रचना तीन व्यंजनों से होती है। (4) स्वर-परिवर्तन से अर्थ-परिवर्तन होता है। (5) क्रिया द्वारा काल का बोध नहीं होता। (6) बहुवचन बनाने के लिए प्रत्ययों का प्रयोग होता है।

3. प्रशांत महासागर खंड-इस खंड की भाषाएं प्रशांत-महासागर और हिंद-महासागर के द्वीपों में विस्तृत भूखंड में व्याप्त हैं। इस वर्ग में मालवा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यूगिनी, फिलिपींस, फारमोसा आदि न्यूजीलैंड की भाषाएं आती हैं। इस खंड के भाषा-परिवार को पालोनेशियाई-परिवार भी कहते हैं।

- इस परिवार के अंतर्गत आने वाली समस्त भाषाओं का मूल एक होने के कारण उनके पद-रचना और वाक्य रचना में पर्याप्त साम्य मिलता है। (2) इस परिवार की



समस्त भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक प्रधान हैं। (3) धातुएं प्रायः दो अक्षरों की हैं, प्रथम अक्षर पर बलाघात होता है। (4) संज्ञा में लिंगभेद नहीं मिलता है, उनके रूप भी परिवर्तित नहीं होते हैं। (5) क्रियाओं में उपसर्ग, प्रत्यय, मध्य में संयुक्त होते हैं। (6) आदि, मध्य और अंत में शब्द संयुक्त कर पद निर्मित होते हैं। (7) समस्त भाषाएं क्रमशः संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर उन्मुख हैं। इस परिवार के अंतर्गत अनेक भाषाएं व बोलियां हैं, किंतु साहित्यिक भाषाएं अल्प ही हैं। इस खंड की समग्र भाषाएं पांच परिवारों में विभक्त की जा सकती हैं। (क) मलयन परिवार अथवा इंडोनेशियाई परिवार, (ख) मलेनेशियाई परिवार, (ग) पालीनेशियाई परिवार, (घ) पपुअन या पापुआई परिवार, (ङ) ऑस्ट्रेलियाई परिवार।


(क) **मलयन परिवार**—मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस प्रायद्वीप के अंतर्गत बोली जाने वाली मलय, जावी, सुन्दियन, तगाल, लदोनी, होता अथवा मलगासी आदि इस परिवार की मुख्य भाषाएं हैं।

(1) इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या लगभग पांच करोड़ है। (2) इनमें कुछ भाषाएं साहित्य-संपन्न भी हैं। (3) आदि, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर उपसर्ग, परसर्ग जोड़कर पद-रचना की जाती है। (4) शब्द और धातु में कोई विशेष अंतर नहीं है। (5) एक ही शब्द संज्ञा, क्रिया, क्रिया-विशेषण सभी का कार्य कर सकता है। (6) बहुवचन के लिए पुनरावृत्ति का सहारा लिया जाता है। (7) इस भाषा-परिवार का क्षेत्र प्राचीनकाल में भारत का उपनिवेश था; फलतः संस्कृत के अनेक शब्द इन भाषाओं में मिल जाते हैं।

(ख) **मलेनेशियाई परिवार**—इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र प्रशांत महासागर के फीजी आदि लघुकाय द्वीपों में व्याप्त है। इस परिवार की फीजी-भाषा मुख्य है।

(1) इस भाषा का स्वरूप मलय जैसा अधिक है। (2) फीजी भाषा पर्याप्त समृद्ध है, साथ ही साहित्य-संपन्न भी है। (3) इसके अंतर्गत अनेक उपभाषाएं भी बोली जाती हैं। (4) इस वर्ग की भाषाओं में एकवचन और द्विवचन तथा बहुवचन भी पाया जाता है। (5) इस परिवार की भाषाएं मलयन परिवार से अधिक विकसित हैं। (6) अधिकांश भाषागत विशेषताएं मलयन परिवार से साम्य रखती हैं। (7) इस परिवार की भाषाओं का एक ही शब्द संज्ञा, क्रिया और क्रिया-विशेषण बन जाता है। (8) शब्द पर बल देने के लिए उसकी पुनरावृत्ति भी की जाती है। (9) इस भाषा-परिवार में प्रत्यय और उपसर्गों का प्राधान्य है।

मलेनेशियाई परिवार



(ग) **पालीनेशियाई परिवार**—ये भाषाएं मलेनेशिया के पूर्व-दक्षिण में बोली जाती हैं। (1) यह भाषा परिवार भाषाओं की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है। (2) भाषाएं

विकसित हैं। (3) व्यंजनों का प्रायः इसमें अभाव है। (4) संयुक्त-स्वर और संयुक्त-व्यंजनों की तो सत्ता ही नहीं है। (5) एकवचन, द्विवचन और बहुवचन का अस्तित्व है। अर्थ को प्रभावात्मक बनाने के लिए पुनरावृत्ति का सहारा लिया जाता है। क्रमशः इस परिवार की भाषाएं वियोगात्मकता की ओर बढ़ रही हैं।

पालिनेशियाई परिवार

माओरी (न्यूजीलैंड)	टोंगी (टोंगा)	समोई (समोआ)	हवाई (हवाई)	ताहितो (ताहितो)	मराक्वीसन (मारक्वीसाज)
-----------------------	------------------	----------------	----------------	--------------------	---------------------------

(घ) **पापुआई परिवार**—इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र मलाया और पालिनेशिया के मध्य न्यूगिनी आदि अल्पकाय द्वीपों में है। (1) इस परिवार की भाषाएं प्रायः अश्लिष्ट योगात्मक हैं। (2) पद-रचना के लिए उपसर्ग और प्रत्यय की योजना होती है। (3) बहुवचन के लिए सी प्रत्यय का प्रयोग होता है। (4) इस परिवार की एकमात्र प्रसिद्ध एवं प्रधान भाषा 'मफोर' भाषा है। इसी का अध्ययन अभी तक हो सका है।

(ङ) **ऑस्ट्रेलियाई परिवार**—इस परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया तथा रस्सानिया द्वीपों के निवासियों की भाषाओं का समावेश होता है। (1) ये भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक तथा अंतः प्रत्यय-प्रधान हैं। (2) 'मैक्वारी' तथा 'कमिलरोई' इस परिवार की प्रधान भाषाएं हैं।

(4) **यूरोशिया खंड**—इस खंड की भाषाएं विश्व की संपन्न भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। इन भाषाओं में विश्व की विकसित जातियों की सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास लेखबद्ध प्राप्त होता है। इस खंड की भाषाएं ही संसार की प्राचीनतम साहित्यनिधि की कुंजी हैं। इस खंड की भाषाओं का सविस्तार अध्ययन किया गया है। इसमें निम्नलिखित भाषा-परिवार आते हैं—(क) सैमेटिक परिवार—सामी परिवार, (ख) काकेशस परिवार, (ग) यूराल-अल्टाई परिवार, (घ) चीनी परिवार—एकाक्षर परिवार, (ङ) द्रविड़ परिवार, (च) ऑस्ट्रेलियाई परिवार—आग्नेय परिवार, (छ) भारोपीय परिवार, (ज) विविध भाषाओं का अनिश्चित परिवार।

(क) **सैमेटिक परिवार**—इस परिवार का संक्षिप्त विवेचन हम अफ्रीका खंड के अंतर्गत कर चुके हैं। 'नौह' के पुत्र 'मैम' दक्षिणी-पश्चिमी एशिया के 'आदिपुरुष' के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। अतः उन्हीं के नाम पर इस परिवार का नामकरण हुआ है।

(1) इस परिवार का साहित्य प्राचीन है। (2) लिपि-परंपरा भी संभवतः प्राचीनतम है। (3) इस परिवार की भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक विभक्ति-प्रधान हैं। (4) धातुओं की रचना त्रिव्यंजनात्मक है। (5) विभक्तियां अंतर्मुखी हैं। (6) कर्ता, कर्म और संबंध तीन ही कारक इस परिवार की भाषाओं में मिलते

हैं। (7) सर्वनाम क्रियाओं के अंत में संयुक्त किए जाते हैं। (8) इस परिवार की भाषाएं मोरक्को से स्वेज नहर तक बोली जाती हैं। प्रधान क्षेत्र एशिया ही है। (9) हिब्रू, आरमेनियन और अरबी इस परिवार की प्रधान भाषाएं हैं। (10) इस परिवार की भाषाओं में स्वर विकास ही भाषाओं के रूप में परिवर्तन करता है। (11) उसी के द्वारा मात्रा, संख्या, स्थान आदि का बोध होता है। (12) इस परिवार की भाषाओं में लिंग-भेद भी मिलता है। 'त्' या 'अत्' प्रत्यय स्त्रीलिंग बोधक है; अरबी भाषा में इबन् (बेटा) और बिन्त् (बेटी), असोरी में मलक् (राजा) और मलकत् (रानी)।

इस परिवार की भाषाओं को उत्तर सैमेटिक और दक्षिण सैमेटिक इन दो भागों में बांटकर इनका अध्ययन किया जा सकता है।

(ख) **काकेशस परिवार**—इस परिवार का क्षेत्र कृष्णसागर एवं केस्पियन सागर के मध्य काकेशस पर्वत पर है। इस क्षेत्र में दो भाषा-समूह प्राप्त होते हैं। एक को उत्तरी शाखा और दूसरे को दक्षिणी शाखा कहते हैं। इन दोनों ही शाखाओं के भाषा-भाषियों की संख्याएं क्रमशः पांच लाख और पंद्रह लाख के लगभग हैं।

पर्वताच्छन्न इस भाग में अनेक बोलियां हैं, जो परस्पर पर्याप्त भिन्न लगती हैं। (1) इस परिवार की भाषाएं अश्लिष्ट योगात्मक प्रत्यय-प्रधान हैं। (2) प्रत्यय पूर्व और पर दोनों ही प्रकार के हैं। (3) उत्तरी काकेशी परिवार में स्वरों का अभाव तथा व्यंजनों का बाहुल्य है। (4) पद-रचना जटिल है। (5) 'अवर' बोली में ही संज्ञा की तीस विभक्तियां तथा 'चेचेन' भाषा में संज्ञा में छह लिंग हैं। (6) क्रिया के रूप जटिल हैं। (7) फलतः मूल धातु का ज्ञान भी कभी-कभी कठिन हो जाता है। (8) इस परिवार की प्रमुख भाषा जार्जियन है, जिसमें शताब्दियों का साहित्य उपलब्ध होता है। (9) इसकी अपनी लिपि है किंतु अन्य भाषाएं साहित्य और लिपि शून्य हैं।

(ग) **यूराल-अल्टाई परिवार**—इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र यूराल और अल्टाई पर्वतों के मध्य में है। इसलिए इसका यह नाम सार्थक है। विद्वानों ने सर्वप्रथम इस परिवार के नाम तूरानी, फिनोतातारिक, स्कीथियन आदि रखे थे। किंतु अब तुर्की भाषा से अधिक संबंध रखने वाले इस परिवार का नाम यूराल अल्टाई ही अधिक प्रसिद्ध है।

इस भाषा-परिवार की भाषाएं भारोपीय भाषा-परिवार के पश्चात विस्तृत भू-खंड की भाषाएं हैं जो "यूराल पर्वत के मध्य में टर्की, हंगरी और फिनलैंड से लेकर ओरबोत्सक सागर तक और भूमध्य-सागर से लेकर उत्तरी सागर तक फैली हुई हैं।" यह भाषा-परिवार पारस्परिक भाषा की समानता के कारण दो वर्गों में बांट दिया गया है—यूराल परिवार और अल्टाई परिवार। यूराल नामक उप-परिवार में फीनी-उग्री और समोयेदी तथा अल्टाई परिवार में तुर्की, मंगोली और तुगूजी नामक भाषा-समूहों की गणना की जाती है। इन दोनों ही उप-परिवारों में धातु, ध्वनि और शब्द समूह की दृष्टि से अल्प भेद होने पर भी पर्याप्त साम्य मिलता है।

टिप्पणी

- (1) इस परिवार की भाषाएं पर-प्रत्यय प्रधान अश्लिष्ट अंतः योगात्मक हैं।
- (2) दोनों ही उप-परिवारों की भाषाओं में स्वर की अनुरूपता भी मिलती है।
- (3) शब्दों में संबंधवाचक प्रत्यय संयुक्त किया जाता है। (4) इस परिवार की समग्र धातुएं अव्यय के समान हैं।

भाषाओं की अधिकता के कारण विद्वान भाषा-परिवार कहने की अपेक्षा भाषा-समुदाय कहना अधिक उचित समझते हैं। इस परिवार की फिनिश भाषा प्राचीनतम साहित्य-संपन्न भाषा है। मेग्यर बारहवीं सदी से प्राप्त भाषा है। इस भाषा के बोलने वाले लगभग एक करोड़ हैं। तुर्की भाषा भी काव्य तथा साहित्य संपन्न भाषा है। तुर्की की लिपि अब अरबी के स्थान पर रोमन स्वीकार कर ली गई है। तुर्की भाषा-भाषी लोग लगभग चार करोड़ हैं। इसका साहित्य चौदहवीं सदी से प्राप्त होता है।

- (घ) **एकाक्षर चीनी परिवार**—एशिया के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी भाग की ओर एक बड़े भू-खंड में एकाक्षर परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या केवल भारोपीय परिवार के लोगों से कम है। इसकी प्रधान भाषा चीनी है। यह भाषा-परिवार चीन, स्याम, तिब्बत और बर्मा तक फैला हुआ है।

इस परिवार की : (1) भाषाएं अयोगात्मक हैं जो चीनी, स्यामी, तिब्बती, बर्मी आदि हैं। किंतु भाषाएं एकाक्षर हैं। (2) चीनी भाषा ही प्राचीनतम एवं साहित्य-संपन्न भाषा है। (3) स्थान-भेद से अर्थ-भेद इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। (4) इस परिवार की भाषाओं में एक शब्द विभिन्न स्वरों से विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति करता है। (5) चीनी भाषा में व्याकरण नामक तत्व का सर्वथा अभाव है। (6) अनुनासिक ध्वनियों का आधिक्य भी चीनी भाषा की अपनी विशिष्ट विशेषता है।

इस परिवार की चीनी पश्चात मंदारी, केंटूनी, पेकिनी, हक्का, टोंकिनी, कोचीन-चीनी, कंबोडियाई, स्यामी आदि प्रधान बोलियां हैं। 'मेईथेंई' प्राचीन साहित्य संपन्न भाषा है। इस भाषा में पंद्रहवीं शताब्दी के साहित्यिक ग्रंथ मिलते हैं। बर्मी में धार्मिक साहित्य की प्रचुरता है। तिब्बती और बर्मी निरंतर अंतःप्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं होती जा रही हैं।

- (ङ) **द्रविड़ परिवार**—यह भाषा-परिवार भारत में नर्मदा और गोदावरी नदियों के कुमारी अंतरीप तक दक्षिण में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तरी लंका, बलूचिस्तान, मध्यभारत, बिहार प्रदेश आदि में इन भाषाओं के बोलने वाले मिल जाते हैं। इस भाषा-परिवार को कभी-कभी तमिल परिवार भी कह दिया जाता है। यह भाषा-परिवार वाक्य तथा स्वर के कारण, यूराल-अल्टाई परिवार के निकट पहुंच जाता है।

इस परिवार की भाषाएं—(1) तुर्की आदि की भांति अश्लिष्ट अंतःयोगात्मक हैं। (2) मूल शब्द या धातु में प्रत्यय जुड़ते हैं। (3) प्रत्यय की सत्ता स्पष्ट रहती है। (4) प्रत्ययों के कारण प्रकृति में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है।

टिप्पणी

- (5) इस परिवार की भाषाओं में निर्जीव शब्द नपुंसक लिंग के माने जाते हैं तथा अन्य शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सूचक शब्द संयुक्त कर दिए जाते हैं। (6) भाषाओं में दो ही वचन होते हैं। बहुवचन प्रत्यय के संयोग से बनता है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाओं में बहुवचन प्रत्यय एक जैसे ही होते हैं। (7) वास्तविक क्रिया का अभाव है। (8) इन भाषाओं में कर्मवाच्य का अभाव होने के कारण कर्मवाच्य का बोध सहायक क्रिया द्वारा कराया जाता है। (9) विशेषण के विभक्ति रूप नहीं होते हैं। (10) शब्द के अंतिम व्यंजन के उच्चारण के लिए एक विशिष्ट ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। (11) स्वर-अनुरूपता इस भाषा परिवार की विशेषता है। स्वरों के अनुसार ही प्रत्ययों का रूप परिवर्तन हो जाता है। (12) इस भाषा-परिवार में मूर्धन्य ध्वनियां, विशेषतः टवर्ग का प्राधान्य है। (13) गिनती दस पर आधारित है। इस भाषा-परिवार में प्रधानतः चौदह भाषाएं हैं, जिनका चार उप-विभागों में विभाजन किया जाता है—(1) द्रविड़ वर्ग, (2) आंध्र वर्ग, (3) मध्यवर्ती वर्ग, (4) ब्राहुई वर्ग। इस परिवार की भाषाएं इस प्रकार हैं—कन्नड़, तमिल, तुलू, कोडगु, टुडा, मलयालम, तेलुगु, ब्राहुई, गोंड, कोंड, कुई, कोलामी, कुरुख, माल्टी।

- (च) **ऑस्ट्रेलियाई परिवार** : आग्नेय परिवार—इस परिवार को स्मिथ ने ऑस्ट्रिक परिवार कहा है। यह भाषा-परिवार प्रशांत-महासागर के द्वीपों में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त स्याम और बर्मा के वनप्रांत, निकोबार द्वीप, आसाम की कुछ पहाड़ियां, मध्यभारत के गोंड प्रदेश और मद्रास के गंजाम जिले में इस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाओं के सामान्य लक्षण ये हैं—(1) भाषाएं प्रधानतः प्रत्यय-प्रधान अश्लिष्ट योगात्मक हैं। किंतु वे निरंतर वियोगात्मक हो रही हैं। (2) पद-रचना के लिए प्रत्यय आदि, मध्य और अंत तीनों ही स्थानों पर जुड़ते हैं। (3) धातुएं द्व्यक्षरी हैं।

आग्नेय परिवार की भाषाएं मोन, रूमेर तथा बोलियां प्लोग 'बा' नीकोबरी आदि हैं। मोन साहित्य-संपन्न परिष्कृत भाषा है। इस परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश, मध्य भारत, उड़ीसा और मद्रास प्रदेश के गंजाम जिले तक यह भाषा तथा इसकी बोलियां बोली जाती हैं।

मुंडा परिवार की भाषाएं—(1) सामान्यतः सरल और स्पष्ट हैं। (2) अश्लिष्ट योगात्मक हैं। (3) इस भाषा के अन्तिम व्यंजनों के पश्चात श्रुति का अभाव है। (4) अर्द्धस्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त इस भाषा में विचित्र ध्वनि पाई जाती है, जिसे अर्द्धव्यंजना की संज्ञा विद्वानों ने दी है। (5) इनका उच्चारण क्लिक ध्वनियों की भांति और कभी-कभी अनुनासिकता से युक्त होता है। (6) लिंग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग ये दो हैं जो सजीव और निर्जीव तत्वों के आधार पर माने जाते हैं। कभी-कभी यह लिंग हिंदी की भांति 'ई' और 'आ' से भी बन जाते हैं। (7) इस भाषा में वचन तीन हैं। द्विवचन तथा बहुवचन

टिप्पणी

के लिए संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। (8) मुंडा भाषा की वाक्य-रचना आर्य-भाषाओं से भिन्न है। इसमें शब्द भेद की यथार्थ कल्पना कठिन है। (9) संबंध-तत्व का बोध प्रायः अंत्योग और मध्ययोग से होता है। (10) उपसर्ग भी संयुक्त किए जाते हैं। (11) मूल शब्द द्वयक्षरात्मक हैं। (12) चीनी भाषा की भांति एक ही शब्द संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि का रूप ले लेता है। (13) संख्याएं दस तक तथा बीस भी हैं। इन्हीं के आधार पर संपूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। (14) क्रिया के लिए अलग शब्द नहीं है। कभी कोई शब्द एक स्थान पर क्रिया है तो दूसरे पर वही संज्ञा है। (15) प्रभावात्मकता के लिए पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति है। (16) क्रिया-रूपों के आधार पर काल-ज्ञान होता है। (17) मुंडा परिवार की भाषाओं के अव्यय स्वतंत्र हैं।

(छ) **भारोपीय परिवार**—यह यूरोशिया ही नहीं विश्व का महान् भाषा-परिवार है, महत्वपूर्ण है, साहित्य-लिपि संपन्न है, प्राचीनतम है। अध्ययन की दृष्टि से भी इसका अध्ययन अधिकतम हुआ है। यह भाषा-परिवार सर्वाधिक विकसित भी है। अस्तु, इस परिवार की भाषाएं भारत, ईरान, आर्मीनिया, संपूर्ण यूरोप, अमेरिका, दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि में बोली जाती हैं। इस परिवार के भाषा-भाषी सर्वाधिक हैं।

इस परिवार का नामकरण एक विवादास्पद विषय रहा है। किंतु आज भारोपीय भाषा-परिवार नाम अधिक प्रसिद्धि-प्राप्त है। सर्वप्रथम इस परिवार का नाम इंडोजर्मनिक रखा गया था, किंतु इस परिवार में केल्टी शाखा की भाषाएं भी थीं, जो जर्मन भाषा नहीं थी; अतः यह नाम उचित न होने के कारण इसका नाम इंडोकैल्टिक रखा गया। इसके सांस्कृतिक, जैफाइट, काकेशियन आर्य, इंडो-यूरोपियन आदि नाम भी रखे गए हैं। किंतु आज भारोपीय नाम ही अधिक उपयुक्त होने के कारण प्रचलित है।

(ज) **विविध भाषाओं का अनिश्चित परिवार**— भारोपीय भाषा-परिवार की दो प्रधान शाखाएं हैं—(1) भारोपीय शाखा, (2) भारत ईरानी शाखा। इन दोनों के अतिरिक्त इसके वर्गीकरण भी किए जा सकते हैं—

(क) कैल्टिक शाखा, (ख) जर्मन शाखा, (ग) इटालिक शाखा, (घ) ग्रीक शाखा, (ङ) तोखारी शाखा, (च) अल्बेनियन शाखा, (छ) लैटोस्लाविक शाखा, (ज) आर्मेनियन शाखा, (झ) आर्य या हिंदी-ईरानी शाखा।

इस भाषा-परिवार की भाषाओं की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- (1) भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक बहिर्मुखी विभक्ति-प्रधान हैं। किंतु आज ये भाषाएं भी निरंतर योगात्मकता की ओर उन्मुख हैं।
- (2) धातुएं एकाक्षर हैं।
- (3) प्रत्यय कृदंत एवं तद्धितांत हैं, जिनके कारण अनेक रूप एवं शब्द बनते हैं।
- (4) इस परिवार में विभिन्न संबंधों के द्योतन के लिए विभक्तियां अवश्य हैं।

(5) समास इन भाषाओं का अद्भुत तत्व है। समास कर देने पर शब्दों की विभक्तियों का लोप हो जाता है। कभी-कभी समस्त शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है।

(6) भारोपीय परिवार की भाषाएं प्रत्यय-बहुल हैं, क्योंकि ये विभिन्न स्थानों पर विकसित हुई हैं।

4.2.4 आधुनिक हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास

हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास को क्रमिक रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है—

(अ) विकास का आदि काल

हिंदी का विकास क्रमशः प्राकृत और अपभ्रंश के पश्चात् हुआ है। हिंदी के विकास का स्पष्ट दर्शन हमें चन्द्रबरदाई के समय से होने लगता है। यह समय बारहवीं सदी का अंतिम अर्द्ध भाग है परंतु उस समय में भी इसकी भाषा हिंदी से बहुत भिन्न हो गई थी। व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान हेमचंद्र का समय संवत् 1144 और संवत् 1229 के बीच है। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में अपभ्रंश के कुछ उदाहरण दिए हैं। इससे पूर्व, विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के दूसरे भाग में वर्तमान महाराज भोज का पितृव्य द्वितीय वाकपति राजा परमार मुंज एक पराक्रमी राजा के साथ-साथ एक सहृदय कवि भी था। एक बार वह कल्याण के राजा तैलप के यहां बंदी हो गया। उसी समय मुंज ने कुछ दोहों की रचना की थी। उदाहरण रूप में एक प्रस्तुत है—

जा मति पच्छई संपज्जइ सा मति पहली होई।

मुंज भणइ मृणालपइ विघन न बेंठई कोई।

अर्थात्, जो मति पीछे संपन्न होती है, वह यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, कोई विघ्न न सतावे।

यह दोहा पढ़ते ही पता लग जाता है कि यह हिंदी के कितने पास पहुंचता है। भाषा साहित्यिक होने के कारण कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका रूप प्राकृत है जैसे—संपज्जइ। इन्हें पृथक् कर देने पर भाषा और भी स्पष्ट हो जाती है।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिंदी का विकास हेमचंद्र से पूर्व ही होने लगा था तथा चन्द्रबरदाई के समय उसका कुछ-कुछ रूप स्थिर हो गया था। अतः हिंदी का आदि काल हम संवत् 1050 के लगभग मान सकते हैं।

हिंदी प्रदेश की भाषा के सबसे प्राचीन उदाहरण पृथ्वीराज तथा समर सिंह के दरबारों से संबंधित पत्रों के रूप में थे। इनका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा ने किया था।

नाथ पंथ तथा वज्रयानी सिद्ध साहित्य से संबंधित बहुत-सी नवीन सामग्री पीतांबर दत्त बड़थवाल व राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान सर्वप्रथम प्रकाश में लाए थे। इस साहित्य के रचयिताओं के काल का अनुमान 700 ई. से 1300 ई. के मध्य लगाया जाता है। प्रारंभिक सिद्ध साहित्य की भाषा स्पष्ट रूप से अपभ्रंश (मागधी) है।

आदि काल की भाषा का तीसरा रूप चारण, धार्मिक तथा लौकिक काव्य ग्रंथों में मिलता है। इस प्रकार के लेखकों में नरपति नाल्ह, चन्द्रबरदाई तथा रासो की भाषा राजस्थानी

टिप्पणी

टिप्पणी

है, कहीं-कहीं खड़ी बोली के कुछ रूप पाए जाते हैं। 'पृथ्वीराज रासो' चन्द्रबरदाई का प्रमुख ग्रंथ है। चंद की काव्य रचना का समय 1168 ई. से लेकर 1192 ई. तक माना जाता है। वर्तमान पृथ्वीराज रासो में ब्रजभाषा के साथ अपभ्रंश खड़ी बोली तथा राजस्थानी मिश्रण दिखलाई पड़ता है।

जगनिक चन्द्रबरदाई का समकालीन कवि था। वह बुंदेलखंड के राजा परमार के दरबार में था। उस कवि की मूल कृति का पता नहीं चलता है। पर यह माना जाता है कि उसके बनाए ग्रंथ के आधार पर ही प्रारंभ में आल्ह खंड की रचना हुई थी।

विद्यापति कवि के जिन पदों का संग्रह मिथिला में हुआ है, उनकी भाषा मैथिली है तथा बंगाल में संगृहीत पद समूह की भाषा बंगाली है। इनके किसी भी वर्तमान संग्रह की भाषा पंद्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ की नहीं मानी जा सकती है। हिंदी अथवा दक्खनी उर्दू साहित्य का विकास दक्षिण भाषा में हुआ। इस साहित्य का आरंभ 1326 ई. में मुहम्मद तुगलक के दक्षिण आक्रमण के पश्चात हुआ। इस साहित्य की भाषा पुरानी खड़ी बोली है। इन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा बंदा नवाज थे। इनका समय 1121 ई. से 1452 ई. तक रहा।

आदि काल की हिंदी में अपभ्रंश की लगभग सभी ध्वनियां आ गई थीं पर साथ में कुछ नई ध्वनियों का भी विकास हुआ। अपभ्रंश में संयुक्त स्वर नहीं थे। हिंदी में 'ए' तथा 'ओ' दो संयुक्त स्वर इस काल में प्रयुक्त होने लगे। व्यंजनों में एक तो दंत्योष्ठ्य 'व' नया विकसित हो गया तथा दो उत्क्षिप्त ध्वनियां 'ड़', 'ढ़' भी प्रयुक्त होने लगीं।

इस काल का साहित्य जिस भाषा में लिखा गया उसके विशेषतया दो रूप थे- डिंगल तथा पिंगल। डिंगल तो वह भाषा थी जिसमें प्राकृत के प्राचीन शब्दों का बाहुल्य था। इस भाषा का ढांचा राजस्थानी या गुजराती था। पिंगल उस भाषा को कहते थे, जिसका ढांचा पुरानी ब्रजभाषा का होता था, जिसमें थोड़ा बहुत खड़ी बोली या पंजाबी का भी पुट होता था। यह एक सामान्य साहित्यिक भाषा थी। वास्तव में हिंदी का संबंध इसी पिंगल भाषा से है। 'पृथ्वीराज रासो' इसी साहित्यिक सामान्य भाषा में लिखा गया है।

(ब) विकास का मध्यकाल

आदिकाल के पश्चात हिंदी के विकास का दूसरा चरण अर्थात् मध्यकाल लगभग 525 वर्षों तक माना जाता है। इस काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग 1375 ई. से 1700 ई. तक मानते हैं। इस काल में हिंदी की पुरानी बोलियां परिवर्तित होकर ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली का रूप धारण करती हैं।

दूसरा भाग 1700 ई. से लेकर 1900 ई. तक माना जाता है। इसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोलियां परिष्कृत होती हैं, परिमार्जित होती हैं और उनमें प्रौढ़ता आती है। वे मात्र बोलियां न रहकर भाषा का रूप ले लेती हैं।

अवधी तथा ब्रज, इन दो बोलियों का साहित्यिक रूप में विकास सोलहवीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ।

अवधी : मध्ययुग में भक्ति आंदोलन का विशेष स्थान है। इस काल में धर्म प्रचारकों ने जनमानस तक पहुंचने की आवश्यकता का अनुभव किया। जनमानस तक पहुंचने के लिए

जनसाधारण की भाषा का ज्ञान तथा उसका उपयोग आवश्यक हो गया। इसी आवश्यकता के कारण निर्गुण पंथी संत कवियों ने जनसाधारण की भाषा को अपनाया, उसमें कविता की परंतु इन कवियों की भाषा एक विचित्र प्रकार की खिचड़ी है।

1. संत कवि कबीर के प्रभाव से इस प्रकार की खिचड़ी भाषा में विशेषकर पूरबी भाषा (अवधी) की बहुलता रही है।

2. आगे चलकर जब यही अवधी प्रेमाख्यानक मुसलमान कवियों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी तो इसमें किंचित परिमार्जन हुआ, जैसे- जायसी के 'पद्मावत' की अवधी।

अंत में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने उसका परिमार्जन कर उसे प्रौढ़ता प्रदान की तथा उसे साहित्यिक आसन पर सुशोभित किया। मध्य काल में अवधी में लिखे गए ग्रंथों में दो मुख्य हैं- जायसी कृत 'पद्मावत' (1540 ई.) तथा तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' (1585)।

ब्रजभाषा : सोलहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में पुष्टि मार्ग के प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य से साहित्यिक सृजन को विशेष प्रोत्साहन मिला। इसका विवेचन निम्न प्रकार से है-

1. ब्रजभाषा का विकास, एक प्रकार से चिर प्रतिष्ठित प्राचीन काव्य भाषा से हुआ। 'पृथ्वीराज रासो' में इसके स्वरूप का कुछ आभास मिल जाता है। रासो की यह पंक्ति - 'तिहि रिपुजय पुरहन को भए प्रथिराज नारिंद' इसका उदाहरण है।

2. ब्रजभाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में यशस्वी करने का श्रेय सूरदास को है। सूरदास के रचना काल के समय तक अर्थात् 1550 ई. तक ब्रजभाषा संपूर्ण रूप में काव्य का माध्यम बन चुकी थी। ब्रजभाषा का रूप दिन-प्रतिदिन साहित्यिक, परिमार्जित, प्रौढ़ तथा सुसंस्कृत होता चला गया। जिस प्रकार अवधी भाषा ने तुलसी के 'रामचरितमानस' में प्रौढ़ता प्राप्त की है, उसी प्रकार अष्टछाप के कवियों की पदावली में ब्रजभाषा भी विकसित हुई।

3. घनानंद, नंददास, बिहारी, पद्माकर की कविता में तो उसका पूर्ण परिपाक हुआ। मध्यकाल के दूसरे चरण की प्रमुख विशेषता है ब्रजभाषा की विशुद्धता। वर्तमान युग में इस विशुद्धता के प्रतिनिधि के रूप में बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर का नाम लिया जा सकता है।

ध्वनियों की दृष्टि से देखा जाए तो इस काल में पढ़े-लिखे लोगों की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ में पांच व्यंजन ध्वनियां सम्मिलित हो गईं। इस काल में लोगों की धर्म के प्रति आस्था थी, इसी कारण इस युग के पूर्वार्द्ध तक धार्मिक साहित्य अधिक लिखा गया। धर्म की प्रमुखता के कारण संस्कृत के धार्मिक ग्रंथों का प्रचार हुआ। फलतः आदि काल की अपेक्षा बहुत अधिक तत्सम् शब्द साहित्यिक भाषा में प्रयुक्त होने लगे।

(स) विकास का आधुनिक काल

आधुनिक काल खड़ी बोली का युग है। खड़ी बोली अवधी तथा ब्रज बोलियों की भाँति प्राचीन है। प्राचीन तथा मध्यकाल के ग्रंथों में यत्र-तत्र खड़ी बोली के प्रयोग देखने में आते हैं, यह

टिप्पणी

बात और है कि साहित्य के माध्यम के रूप में वह इतनी शीघ्र स्वीकृत नहीं हुई। मराठा भक्त कवि नामदेव की कविता में पहले शुद्ध खड़ी बोली के दर्शन होते हैं-

पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी।

लैकरि ढेंगाटंगरी तोड़ी लंगत-लंगत जाती थी॥

नामदेव का जन्म 1192 ई. में हुआ था, अतः खड़ी बोली की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। रासो, कबीर, भूषण आदि के द्वारा खड़ी बोली का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि खड़ी बोली का अस्तित्व प्रारंभ से ही था यद्यपि साहित्य का माध्यम वह नहीं बनी थी। अतएव हिंदी भाषा अपने मध्यकालीन विकास में तीन रूपों में दिखाई पड़ती है- अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली। आधुनिक काल तक आते-आते साहित्य की माध्यम भाषा के रूप में अवधी तथा ब्रज का प्रयोग घटता गया और खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ता गया। अठारहवीं शताब्दी में ब्रज भाषा की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और इधर मुसलिमों के मध्य खड़ी बोली (उर्दू) जोर पकड़ चुकी थी। उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों की प्रेरणा से हिंदुओं ने खड़ी बोली गद्य के संबंध में कुछ प्रयोग किए। फलस्वरूप फोर्ट विलियम कॉलेज के लल्लूलाल ने 'प्रेमसागर' तथा सदल मिश्र ने 'नासिकेतोपाख्यान' की रचना की। खड़ी बोली के प्रारंभिक ग्रंथों पर ब्रजभाषा का प्रवाह है, जो स्वाभाविक ही है।

खड़ी बोली हिंदी के विकसित रूप के गद्य साहित्य में प्रचार का प्रमुख श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। उनके काल में भाषा में राष्ट्रीयता की एक लहर उठी। हिंदी को उर्दू-फारसी के प्रवाह से मुक्त करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। भाषा की समृद्धि के लिए संस्कृत के शब्द लिए जाने लगे। हिंदी भाषा के परिष्कार का कार्य प्रारंभ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हिंदी सिर ऊंचा कर आगे बढ़ती रही। इधर उसने अपने रूप को इतना विकसित कर लिया है कि समस्त गद्य साहित्य में ही नहीं वरन् पद्य साहित्य में भी खड़ी बोली का बहुलता से प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी भाषा का रूप ले चुकी है।

भारतेंदु युगीन लेखकों में व्याकरण संबंधी बहुरूपता, लिंग, वचन, कारक प्रयोगों में अस्थिरता आदि दोष मिलते हैं। कालांतर में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषागत दोषों को दूर करने का प्रशंसनीय प्रयास किया। छायावादी कवियों को यह श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने खड़ी बोली को एक उच्च साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान किया। बाद में वह उन्मुक्त होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विचरने लगी। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, प्रसाद, पंत, निराला, यशपाल डॉ. रांगेय राघव, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि इस काल के समर्थ साहित्यकार हैं। साहित्य की समस्त विधाओं का इस युग में पर्याप्त विकास हो रहा है।

आज हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है किंतु किंचित राजनीतिक एवं भौगोलिक कारणों से उसका समग्र भारत में उतना प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है, जितना कि एक स्वतंत्र राष्ट्र में होना चाहिए। किंतु आशा है, भविष्य में हिंदी समग्र भारतीयों का कंठहार बन कर विश्व की भाषाओं में समादृत स्थान पर प्रतिष्ठित होगी।

साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उद्भव एवं विकास

खड़ी बोली को अनेक नामों से अभिहित किया जाता है, जैसे- हिंदुस्तानी, नागरी हिंदी, सरहिंदी, कौरवी आदि। खड़ी बोली इसका सबसे नवीन नाम है। 'खड़ी बोली' शब्द का प्रथम प्रयोग 1800 ई. के लगभग मिलता है। 1805 ई. में लल्लूलाल ने अपने 'प्रेम-सागर' में इस शब्द का प्रयोग किया है। जैसे- 'प्रेम-सागर' से उद्धृत यह वाक्य देखिए- 'जॉन गिलक्राइस्ट महाशय की आज्ञा से सन् 1806 में लल्लूलाल कवि ब्राह्मण, गुजराती, सहस, अवदीच आगरे वाले ने इसका सार ले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली, आगरे की खड़ी बोली में कह 'प्रेम-सागर' नाम रखा।

इससे भी पहले 1803 ई. में गिलक्राइस्ट ने इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक 'The Hindee Story Teller' में किया-

'उन कहानियों में से कोई-कोई कहानी खड़ी बोली अथवा हिंदुस्तानी की शुद्ध हिंदवी शैली में है।'

खड़ी बोली के अर्थ व व्युत्पत्ति के संबंध में 8 मत प्रचलित हैं-

1. **खड़ी का अर्थ खरी या विशुद्ध भाषा** : अरबी फारसी के शब्दों से रहित, विशुद्ध भारतीय। समर्थक- जॉन गिलक्राइस्ट, गार्सा द-तासी, केलॉग (हिंदी व्याकरण) इस्टविक प्लैटस (A Dictionary of Urdu Classical Hindi and English) सुधाकर बेदी (सीधी बोली की राम कहानी) - इन्होंने 'र' व 'ड़' को पर्याय माना है, इसलिए खड़ी बोली को खरी बोली के नाम से पुकारा। इन्होंने इसका नाम 'ठेठ हिंदी' भी दिया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन (इन्होंने भी इसको 'ठेठ हिंदी' कहा है) चंद्रबली पाण्डेय ('उर्दू का रहस्य'- इन्होंने प्राकृत, शुद्ध या खरी बोली माना है)।
2. **खड़ी या उठी हुई** : जो पड़ी हुई न हो (पड़ी = गिरी पड़ी)। इसके समर्थकों ने ब्रज या पूर्वी बैसवाड़ी, अवधी, राजस्थानी और गुजराती को गिरी-पड़ी भाषाएं माना है। इन सब भाषाओं का विरोध करने वाली भाषा खड़ी बोली कहलाई। इसके समर्थक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी हैं।
3. **खड़ी और खरी बोली दोनों का समन्वित रूप** : इन्होंने गिरी-पड़ी भाषाओं में रेखा को गिरी-पड़ी माना तथा इसके विरोध में उत्पन्न भाषा को खड़ी बोली माना। विदेशी शब्दों का बहिष्कार होने से इन्होंने इसे खरी बोली भी कहा। अतः यह दोनों का समन्वित रूप है। समर्थक - ब्रजरत्नदास (भारतेंदुकालीन विद्वान)।
4. **खड़ी या कर्कश बोली** : अवधी की अपेक्षा कर्कश भाषा होने के कारण इसको कर्कश कहा गया है। इस मत के समर्थक कामता प्रसाद गुरु (हिंदी व्याकरण) और डॉ. धीरेंद्र वर्मा हैं। मारवाड़ के लोग इस भाषा को 'ठेठ बोली' (कठोर-बोली) भी कहते हैं।
5. **खड़ी पाई वाली** : जिसमें 'अ' ध्वनि की मात्रा अधिक हो। खड़ी पाई के कारण इसे खड़ी बोली कहा गया। इसके समर्थक आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं। इन्होंने कुछ हद तक इसका वैज्ञानिक विवेचन भी किया है।

टिप्पणी

6. गंवारू बोली : गांव की असंस्कृत भाषा खड़ी बोली है। एक मुसलिम लेखक अब्दुल हक ने औरंगाबाद से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका में सन् 1904 में लिखा- 'खड़ी बोली के मायने हिंदुस्तान में आमतौर पर गंवारू बोली के हैं, जिसे हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है। वह न कोई खास जबान है और न जबान की कोई शाखा।'

7. प्रचलित या चलती बोली : इन्होंने इसे बहुत अच्छी व पूर्ण स्थापित प्रचलित बोली माना है। समर्थक- टीग्राह्य बोली।

8. टकसाली या स्टैंडर्ड बोली : अंग्रेजी की Stand धातु से Standard बना और धीरे-धीरे इस खड़ी बोली को Standard Speech नाम दिया गया, जिसका एक निश्चित मापदंड है क्योंकि Standard= निश्चित मापदंड। समर्थक- आ. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एवं हरदेव वाहरी।

Hindoostani Philology part-I में Standard का अर्थ खरा किया गया है, इसलिा इसका नाम खरी बोली Standard Speech बना।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि खड़ी बोली के नामकरण के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, किंतु मत संख्या 1, 3, 5 अधिक मान्य है।

क्षेत्र : डॉ. प्रियर्सन ने इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत माना है। यद्यपि इसको बोली के रूप में लिखा जाता है, लेकिन आज यह समृद्ध, संपन्न, साहित्यिक भाषा है। इसको 'राष्ट्रभाषा' का गौरव प्राप्त हो चुका है, अतः इसको बोली के रूप में मानना, इसके साथ अन्याय करना होगा।

इसका शुद्ध क्षेत्र गंगा-यमुना का उत्तरी दोआब अर्थात् देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के पूरे जिले। यह पश्चिम में यमुना के समीपवर्ती अंबाला, दक्षिण पूर्व में बिजनौर और मुरादाबाद तथा रामपुर जिलों में बोली जाती है।

विकास : खड़ी बोली का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत प्राचीन समय से ही मिलता है। ग्यारहवीं शताब्दी में अपभ्रंश मिश्रित लोकभाषा में खड़ी बोली के बीज दिखाई देते हैं। तत्कालीन जैन धर्म-ग्रंथों में खड़ी बोली का आदि रूप उपलब्ध होता है। महापंडित शङ्कर सांकृत्यायन खड़ी बोली का विकास इससे भी पूर्व का मानते हैं अर्थात् आठवीं शताब्दी में सिद्ध कवियों की रचनाओं में इन्होंने खड़ी बोली को माना है। लेकिन वास्तविक खड़ी बोली चौदहवीं शताब्दी में उत्पन्न हुई। प्रथम रचना अमीर खुसरो की पहेलियाँ-मुकरियाँ आदि माना जा सकती हैं।

दुर्भाग्यवश बीच में यह विकास रुक गया, लेकिन धीरे-धीरे इसका विकास पुनः भारतेंदु काल में हुआ और आज यह पूर्ण यौवन पर है।

बोलने वालों की संख्या : इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है। विशेषताएं : अवधी अकारांत या व्यंजनांत, ब्रजभाषा ओकारांत और खड़ी बोली अकारांत है जैसे-

टिप्पणी

अवधी : करत, होत, जात, होब, घोर, बड़, छोट, खोट आदि।

ब्रजभाषा : करतो, होतो, घोरो, बड़ो, छोटो, खोटो, छोरो, करैबो, करनो, लीनो आदि।

खड़ी बोली : करता, होता, जाता, किया, करना, होना, जाना, बड़ा, छोटा, घोड़ा, खोटा आदि।

4.2.5 पुरानी हिंदी का स्वरूप

अपभ्रंश

प्राकृत-कालीन जनभाषा के विकसित रूप को 500 ई. से 1000 ई. के बीच अपभ्रंश कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से विचार करें तो जैसा विचित्र और आश्चर्यजनक नाम अपभ्रंश का मिलता है वैसा किसी दूसरी भाषा का नहीं मिलता। अपभ्रंश नाम से एक दूसरी ही मनःस्थिति का बोध होता है। संस्कृत कोश ग्रंथों में अपभ्रंश का अर्थ 'बिगड़े हुए शब्दों वाली भाषा' अथवा 'बिगड़ा हुआ शब्द' ही दिया गया है। अपभ्रंश का प्राचीनतम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि (150 ई.पू. के लगभग) के 'महाभाष्य' में मिलता है। जैसे तो भर्तृहरि के वाक्यपदीय में शब्द प्रकृति अपभ्रंश है। वाक्यदीप, काण्ड 1, कारिका 148 का वार्तिक (ला.सं.पू. 134) से भी ज्ञात होता है कि 'व्याडि' नाम के संग्रहकार ने भी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। व्याडि का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है। ये 'व्याडि' महाभाष्यकार पतंजलि से पहले हुए थे। अतः अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्हीं के द्वारा किया गया मान सकते हैं लेकिन व्याडि का मूल ग्रंथ उपलब्ध न होने के कारण पतंजलि के अपभ्रंश विषयक कथन को ही प्रामाणिक माना जा सकता है।

आगे भरत द्वारा अपभ्रंश को आभीरोक्ति कहा गया। अपने नाट्यशास्त्र में भरत ने 'विभ्रष्ट' या 'प्रभ्रष्ट' शब्द का प्रयोग किया। यह लक्षण पतंजलि के 'अपशब्द' का ही प्रसार है। चंड द्वारा उनके ग्रंथ 'प्राकृत लक्षणम्' में 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया गया। वलभी के राजा द्वितीय धारसेन ने इसी सदी के एक ताम्रलेख में अपने पिता गुहसेन की प्रशस्ति में लिखा है कि वे संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश की काव्य रचना में निपुण थे। भामह ने इसी सदी में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा कहा है। आचार्य रुद्रट (9वीं शताब्दी) ने भी संस्कृत एवं प्राकृत के साथ ही अपभ्रंश को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दी।

काव्य मीमांसाकार राजशेखर (10वीं सदी) के अनुसार यह सकल, मरु, टक्क और भादानक वासियों द्वारा बोली जाती थी। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के महान विद्वान हेमचंद्राचार्य ने अपने ग्रंथ 'सिद्ध-हेम शब्दानुशासन' के आठवें अध्याय में अपभ्रंश सूत्रों की व्याख्या दोहों के रूप में की है। इससे यह सिद्ध होता है कि इनके समय में अपभ्रंश विकास की अवस्था को ग्रहण करने लगी थी। ग्यारहवीं शती में प्राकृत वैयाकरण पुरुषोत्तम ने अपभ्रंश की अवस्था को ग्रहण करने लगी थी। बारहवीं शती में हेमचंद्र ने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा। इस को शिष्ट वर्ग की भाषा माना। बारहवीं शती में हेमचंद्र ने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा। इस प्रकार ईसा पूर्व दूसरी शती से बारहवीं शती तक अपभ्रंश का प्रयोग भिन्न-भिन्न कालों में 'अपशब्द, विभाषा, लोकभाषा, शिष्ट और साहित्यिक' भाषा के अर्थ में हुआ। प्राचीन और मध्यकालीन भाषाओं में अपभ्रंश ही एक ऐसी भाषा थी जो जनसाधारण की शक्ति से संबलित

टिप्पणी

होकर संस्कृत के पश्चात दूसरी सबसे लंबे काल तक साहित्य की भाषा बनी। इसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भी कहा जाता है।

अपभ्रंश का काल 500 ई. से 1000 ई. तक माना जाता है लेकिन कुछ लोगों ने इसका काल 600 से 1100 ई. तक और कुछ ने 1200 ई. तक इसका समय माना है। कुछ अन्य ने इसका काल 7वीं सदी से 13वीं सदी तक माना है। डॉ. सुकुमार सेन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan' के नये संस्करण में अपभ्रंश का काल 1 ई. से 600 ई. तक माना है। छठी शती से चली आ रही काव्य भाषा-अपभ्रंश, लोकभाषा न रहकर साहित्य की रूढ़ भाषा बन गई। आचार्य हेमचंद्र पहले वैयाकरण हैं जिन्होंने इस काल में ग्राम्य भाषा और साहित्य रूढ़ अपभ्रंश का भेद किया। उनके द्वारा लिखित अपभ्रंश व्याकरण से भी बोलचाल की भाषा के विकास की पुष्टि होती है। छठी शती से 12वीं शती तक अपभ्रंश का काल मानने का एक तथ्य यह भी है कि ईसा की 13वीं शती से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के ग्रंथ प्राप्त होने लगते हैं। अतः छठी से 12वीं शती तक के समय को ही अपभ्रंश का काल मानना उचित होगा।

ईसा की तीसरी शताब्दी से अपभ्रंश भाषा का काव्यार्थ प्रयोग माना जाता है। भामह और दंडी ने भी अपभ्रंश काव्य की चर्चा की है। साहित्य की दृष्टि से अपभ्रंश अंशों का प्रथम दर्शन कालिदास के 'विक्रमोर्वशीयम्' में होता है। इसे याकोबी तथा स.प. पंडित अप्रामाणिक मानते हैं किंतु डॉ. उपाध्ये एवं डॉ. तगारे आदि इसे प्रामाणिक मानते हैं। 'मृच्छकटिक' के टीकाकार पृथ्वीधर ने विभाषा को अपभ्रंश के अंतर्गत स्वीकार किया है। इस प्रकार चांडाली, शाकरी, शाकारी और टक्की अपभ्रंश ही हैं। जर्मन भाषा में 'प्राकृत भाषाओं के व्याकरण' के लेखक पिशेल के समय तक अपभ्रंश के बहुत कम काव्य प्रकाश में आए थे। आठवीं सदी में स्वयंभू का महाकाव्य 'पउमचरिउ' लिखा जो रामचरित को प्रस्तुत करता है। स्वयंभू का दूसरा महाकाव्य 'रिट्ठेणमिचरिउ' है जिसका आधार हरिवंशपुराण और महाभारत है। स्वयंभू द्वारा छन्दों पर 'स्वयंभू छन्दस्' नामक एक ग्रंथ लिखा गया जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों के उद्धरण दिए गए हैं। हेमचंद्र द्वारा लिखित अपभ्रंश व्याकरण के साथ ही अपभ्रंश रूढ़ बन गई थी। यह केवल साहित्यिक भाषा बनकर रह गई। दसवीं सदी में अस्तित्व में आने वाली भाषा जनसाधारण में लोकप्रिय होने लगी और बारहवीं सदी तक अपभ्रंश को पीछे धकेल, स्वयं साहित्यिक भाषा के पद पर आसीन हो गई। इस नई भाषा को 'अवहट्ट' कहा गया जो परवर्ती अपभ्रंश का रूप था।

अपभ्रंश की बोलियां और उनसे निकलने वाली आधुनिक भाषाएं

अपभ्रंश-बोलियां और उनसे निकलने वाली आधुनिक भाषाओं का वर्णन इस प्रकार है-

अपभ्रंश-बोलियां

1. शौरसेनी

उनसे निकलने वाली आधुनिक भाषाएं

(क) पश्चिमी हिन्दी

(ख) इस अपभ्रंश के नागर रूप से-

(अ) राजस्थानी

(ब) गुजराती

(ग) इस अपभ्रंश के पहाड़ी भागों में स्थित रूप से-पहाड़ी

2. पैशाची या केकय टक्क

(क) लहंदा

(ख) पंजाबी (इस पर शौरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव है)

3. ब्राचड,

सिंधी

4. महाराष्ट्री

मराठी

5. अर्धमागधी

पूर्वी हिन्दी

6. मागधी

(क) बिहारी

(ख) बंगाली

(ग) उड़िया

(घ) असमिया

टिप्पणी

अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रूप

शौरसेनी अपभ्रंश- शौरसेनी अपभ्रंश शौरसेनी प्राकृत का परिवर्ती रूप है। यह अपभ्रंश उत्तर में पहाड़ी बोलियों के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ पूर्वी पंजाब, मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात में बोली जाती थी। इसी का परिनिष्ठित रूप तत्कालीन आर्यभाषी पूरे भारत की भाषा थी। अपभ्रंश साहित्य में इसी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसे पश्चिमी अपभ्रंश, नागरिक अपभ्रंश, नागरिका या नागर अपभ्रंश भी कहते हैं। कभी-कभी नागरिक अपभ्रंश का प्रयोग शौरसेनी अपभ्रंश के गुजरात में प्रयुक्त रूप के लिए भी हुआ है। परमात्मप्रकाश, योगसार, पाहुड़ दोहा, सावयधम्म दोहा, भविस्सयत्तकहा, उपदेश-तरंगिणी, सनत्कुमारचरित तथा कुमारपाल-प्रतिबोध आदि इसकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं।

- (1) प्राकृत-कल्पतरु के अनुसार इसका आधार महाराष्ट्री एवं शौरसेनी प्राकृत है।
- (2) उसी के अनुसार इसमें असंयुक्त, अनादि क्, ख्, त्, थ्, क्रमशः ग्, घ्, द्, ध् हो जाते थे: नाक > णाग, सुख > सुधु, पतितु > पदिदु, शोथ > सोधु। किंतु 'सकल' जैसे कुछ शब्द महाराष्ट्री प्राकृत की तरह सअल आदि हो जाते हैं।
- (3) प्राकृतानुशासन के अनुसार श्, ष् का स् हो जाता था : शोथ > सोधु।
- (4) अंत्य स्वर ह्रस्व हो गया था-संध्या > सांझ।
- (5) स्वर-संयोग के बीच य्, व्, ह का आगम हो जाता था।
- (6) स्वरमध्यग- म्- कभी-कभी-ब्- हो जाता था तथा परवर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता था : कमल > कंवल।
- (7) अंत्य - अ, इ-उ कभी-कभी अनुनासिक हो जाते थे।
- (8) आदि अल्पप्राण स्पर्शों का अनेक शब्दों में महाप्राणीकरण हो गया था।
- (9) -ई का स्त्री प्रत्यय तथा -आ का पुल्लिङ्ग प्रत्यय के रूप में विकास हो चुका था।
- (10) -डा, -डी, -उल्ल, उल्लि, -अ आदि कई प्रत्यय प्रयुक्त होते थे।

टिप्पणी

- (11) अकारांत पु. प्रथमा एक. -अहः का -ओ (कभी-कभी -ए) तो मिलता ही है, साथ ही -उ एवं -अ भी मिलता है। देवः > देवा > देवु > देवा नपु. -अं तो था ही, पुल्लिंग के प्रभाव से नपुं. में -उ, -अ भी मिलता है।
- (12) कुछ सर्वनामों में रूपों का आधिक्य है। समवेत रूप से रूप कम हो गए।
- (13) वर्तमानकालिक कृदंत का प्रयोग तीनों कालों के लिए हो सकता था। कृदंत का प्रयोग बढ़ गया था।
- (14) क्रिया-रूप कम हो गए थे।

ब्राह्मण अपभ्रंश- पुरुषोत्तम के प्राकृतानुशासन के अनुसार इसमें ष्, स् का स्, त, ध का अस्पष्ट उच्चारण, तथा चवर्ग का तालव्यीकरण हो गया था। इसका स्थान सिंध के आसपास था।

उपनागर अपभ्रंश- पुरुषोत्तम द्वारा वैदर्भी, लाटी, औड़ी, कैकेयी, गौड़ी, बर्बरी, कौतल, पांड्य तथा सिंहली का उल्लेख किया गया है। इनमें कैकेयी में प्रतिध्वन्यात्मक शब्द, औड़ी में इ, ओ के अधिक प्रयोग, लाटी में संबोधन के रूपों का आधिक्य तथा वैदर्भी में उल्लेख प्रत्यययुक्त शब्दों के आधिक्य का उल्लेख है। टक्की को हरिश्चंद्र ने अपभ्रंश के अंतर्गत रखा है, यद्यपि पुरुषोत्तम इसे प्राकृत मानते हैं।

दक्षिणी अपभ्रंश- पुष्पदंत कृत महापुराण, जसहर चरिउ तथा मुनि कनकामर करकंडचरिउ की भाषा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- (1) अन्य अपभ्रंशों में ष् का ख् या क्ख हो जाता है, किंतु इसमें छ् हो जाता है।
- (2) अकारांत पुल्लिंग का एकवचन तृतीया पश्चिमी में -एँ होता है, किंतु इसमें एण अर्थात् इसमें इस दृष्टि से विकास कम हुआ है।
- (3) वर्तमान (उत्तमपुरुष एकवचन) में भी वही प्राचीनता दृष्टिगत होती है : पश्चिमी में -उँ, जबकि इसमें -मि। अन्य पुरुष बहुवचन में -न्ति (पश्चिमी में -हि)। बहुत से लोग दक्षिणी अपभ्रंश का साहित्य में अस्तित्व नहीं मानते।

पूर्वी अपभ्रंश- यह सरहदपाद तथा कण्ठपा के दोहाकोश और चर्यापदों की भाषा है। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा इसका क्षेत्र था। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं-

- (1) क्ष् > ख्, क्ख (क्षण = खण, अक्षर = अक्खर)।
- (2) व् > व् (वेद > बेअ)।
- (3) श् सुरक्षित है तथा स्, ष् दोनों ही श् हो गए हैं।
- (4) प्रारंभ में महाप्राण प्रायः नहीं है।
- (5) अनेक संज्ञाएं बिना विभक्ति के प्रयुक्त हुई हैं।
- (6) लिंग का बंधन कम हो गया है।
- (7) क्रियार्थक संज्ञा-इब से बनती थी, न कि पश्चिमी की तरह-अण से।

अपभ्रंश की भाषिक विशेषताएं

अपभ्रंश की कतिपय विशेषताएं निम्नांकित हैं-

- (1) इसमें निम्नलिखित ध्वनियां थीं। ह्रस्व स्वर- अ, इ, उ, ए, ओ तथा दीर्घ स्वर- आ, ई, ऊ, ऐ, औ और ऋ। व्यंजन- कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य, र, ल, व्, स, ह्, ळ, ळह, म्ह, न्ह, ण्ह, ल्ह, र्ह, ड, ढ। ए, ओ के लिए स्वतंत्र चिह्न न होने से, इनके लिए प्रायः इ, उ का व्यवहार होता था। 'अ' का पूर्वी तथा पश्चिमी अपभ्रंशों में संवृत-विकृत का भेद था। ऋ का लिखने में प्रयोग था, किंतु उसका उच्चारण रि होता था। श का प्रचार केवल मागधी में था। ळ महाराष्ट्री में तो था ही, साथ ही उड़ीसा में बोली जाने वाली मागधी अपभ्रंश एवं गुजरात, राजस्थान, बांगड़, पहाड़ी में बोली जाने वाली शौरसेनी में भी था। इन क्षेत्रों में अब भी यह ध्वनि है। व्ह भी कहीं-कहीं था। म्ह आदि महाप्राण थे।
- (2) ऋ को छोड़कर अन्य स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयुक्त होने लगा था।
- (3) संगीतात्मक स्वराघात समाप्त हो चुका था। बलात्मक स्वराघात विकसित हो चुका था।
- (4) अपभ्रंश एक उकार-बहुला भाषा थी। वैसे तो 'ललितविस्तर' तथा 'प्राकृत धम्मपद' आदि ग्रंथों में भी यह प्रवृत्ति मिलती है, किंतु वहां यह प्रवृत्ति अपने बीज रूप में है। अपभ्रंश में यह बहुत अधिक है जहां से यह ब्रजभाषा या अवधी आदि को मिली है; जैसे एक्कु, कारणु, पियासु, अंग, मूलु और जगु आदि।
- (5) ध्वनि-परिवर्तन की दृष्टि से जो प्रवृत्तियां (लोप, आगम, विपर्यय आदि) पालि में शुरू होकर प्राकृत में विकसित हुई थीं, उन्हीं का यहां आकर और विकास हो गया।
- (6) शब्द के अंतिम स्वर के ह्रस्व होने की प्रवृत्ति प्राकृत में भी थी, किंतु अपभ्रंश में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बढ़ गई। अपभ्रंश की ध्वन्यात्मक विशेषताओं में प्रमुख होने के कारण यह उल्लेखनीय है। अन्त्य स्वर का यह ह्रस्वीकरण या कभी-कभी लोप स्वराघात के कारण हुआ है। जिस अंतिम स्वर पर स्वराघात होगा, उसका लोप या ह्रस्व रूप नहीं होता, किंतु जिस पर स्वराघात नहीं होता, उस पर बल कम होता जाता है। इस प्रकार उसका रूप ह्रस्व हो जाता है, या और आगे बढ़कर वह समाप्त हो जाता है। सं. गर्भिणी, प्रा. गब्भिणी, अप. गाब्भिणि। संस्कृत की तुलना में तो यह प्रवृत्ति अपभ्रंश में और भी मिलती है, जैसे हरीडइ (हरीतकी), संज्ञ (संध्या), वरआत्त (वरयात्र) आदि।
- (7) अपभ्रंश में स्वराघात प्रायः आद्यक्षर पर था, इसीलिए आद्यक्षर तथा उसका स्वर यहां प्रायः सुरक्षित मिलता है। जैसे माणिक्य-माणिक्य, घोटक-घेडअ, या घोड़ा आदि (संस्कृत की तुलना में)। प्राकृत की तुलना में छाहा (सं. छाया) से छाआ, आमलअ (सं. आमलक) से आवँलअ आदि है।
- (8) म का वँ (प्रा. आमलअ, अप. आवँलअ, कमल-कवँल), ष्ण का न्ह (कृष्ण-कान्ह), क्ष का क्ख या च्छ (पक्षी-पक्खी, पच्छी), स्म का म्ह (अस्मै-अम्ह), य का ज

टिप्पणी

टिप्पणी

- (युगल-जुगल) ड, द, न, र के स्थान पर 'ल' (प्रदीप्त-पलित आदि) आदि रूप में ध्वनि-विकास की बहुत-सी प्रवृत्तियां मिलती हैं।
- (9) विशेषतः परवर्ती अपभ्रंश में समीकरण के कारण उत्पन्न द्वित्वता में एक व्यंजन बच गया है और पूर्ववर्ती स्वर में क्षतिपूरक-दीर्घीकरण हो गया है। (सं. तस्य, प्राय., तस्स, अप. तासु, कस्य, कस्सं, कासु, कर्म, कम्म, कामु)।
- (10) पालि, प्राकृत में विकास तो हुआ था, किंतु सब कुछ ले-देकर वे संस्कृत की प्रवृत्ति से अलग नहीं थीं। अपभ्रंश पूर्णतः अलग हो गई और वह प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं की ओर अधिक झुकी है।
- (11) भाषा में धातु और नाम दोनों के रूप कम हो गए इस प्रकार भाषा अधिक सरल हो गई।
- (12) वैदिकी, संस्कृत, पालि तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थीं। प्राकृत में वियोगात्मकता या अयोगात्मकता के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे, किंतु अपभ्रंश में आकर ये लक्षण प्रमुख हो गए, इतने प्रमुख कि संयोगात्मक और वियोगात्मक भाषाओं के संधिस्थल पर खड़ी अपभ्रंश भाषा वियोगात्मकता की ओर ही अधिक झुकी है।
- (13) संज्ञा, सर्वनाम से कारक के रूप के लिए संयोगात्मक भाषाओं में केवल विभक्तियां लगती हैं जो जुड़ी होती हैं, किंतु वियोगात्मक में अलग से शब्द लगाने पड़ते हैं तो अलग रहते हैं। हिंदी में ने, को में, से आदि ऐसे ही अलग शब्द हैं। प्राकृत में इस तरह के दो-तीन शब्द मिलते हैं, किंतु अपभ्रंश में बहुत से कारकों के लिए अलग शब्द मिलते हैं। जैसे करण के लिए सहूँ, तण, संप्रदान के लिए केहि, रेसि, अपादान के लिए थिउ, होन्त, संबंध के लिए केरअ, कर, का, और अधिकरण के लिए महें, मज्झ आदि।
- (14) ऊपर नाम-रूप थे और काल-रूपों के बारे में भी यही स्थिति है। संयोगात्मक भाषाओं में तिङ् प्रत्यय के योग से काल और क्रियार्थ की रचना होती है। वियोगात्मक में सहायक क्रिया के सहारे कृदन्ती रूपों से ये बातें प्रकट की जाती हैं। इस प्रकार की वियोगात्मक प्रवृत्तियां प्राकृत में अपनी झलक दिखाने लगी थीं, किंतु अब ये बातें बहुत स्पष्ट हो गईं। संयुक्त क्रिया का प्रयोग होने लगा। तिङ्न्त रूप कम रह गए।
- (15) नपुंसक लिंग समाप्तप्राय हो गया लेकिन महाराष्ट्रीय एवं दक्षिणी शौरसेनी में इसका प्रयोग होता था।
- (16) अकारांत पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकों की प्रमुखता हो गई। अन्य प्रकार के थोड़े-बहुत प्रातिपदिक थे भी तो उन पर इसी के नियम प्रायः लागू होते थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में एकरूपता आ गई।
- (17) कारकों के रूप कम हो गए जैसे संस्कृत में एक शब्द के लगभग 24 रूप होते थे, प्राकृत में उनकी संख्या लगभग 12 रह गई थी, अपभ्रंश में लगभग 6 रूप रह गए- दो वचनों और 3 कारकों- 1. कर्ता, कर्म, संबोधन, 2. करण, अधिकरण, 3. संप्रदान, अपादान, संबंध) के।

टिप्पणी

- (18) स्वार्थिक प्रत्यय -ड का प्रयोग अधिक होने लगा। राजस्थानी आदि में इसका रूप -ड़, डि-डिया आदि मिलता है।
- (19) वाक्य में शब्दों के स्थान निश्चित हो गए।
- (20) अपभ्रंश के शब्द-भंडार की प्रमुख विशेषताएं हैं-
- (क) तद्भव शब्दों का अनुपात अपभ्रंश में सर्वाधिक है।
- (ख) दूसरा नंबर देशज शब्दों का है। क्रियाओं में भी ये शब्द पर्याप्त हैं। ध्वनि और दृश्य के आधार पर बने नये शब्द भी अपभ्रंश में काफी हैं।
- (ग) तत्सम शब्द अपभ्रंश के पूर्वार्द्ध-काल में तो बहुत ही कम हैं, किंतु उत्तरार्द्ध में उनकी संख्या काफी बढ़ गई है।
- (घ) इस समय तक बाहर से भारत का पर्याप्त संपर्क हो गया था, इसी कारण उत्तरकालीन अपभ्रंश में कुछ विदेशी शब्द भी आ गए हैं, जैसे ठट्टा (फा. तशत), ठक्कुर (तुर्की तेगिन), नीक, तुर्क, तहसील, नौबति, हुद्दादार (फा. ओहदादार) आदि।
- (ङ) आस्ट्रिक एवं द्रविड़ के अनेक शब्द तो आत्मसात् ही कर लिए गए थे।

अवहट्ट या अवहट्ट

अपभ्रंश और जनसाधारण की बोली का एक मिश्रित रूप, नई भाषा के निर्माण का कारण माना जाता है और यह नई भाषा परवर्ती अपभ्रंश अवहट्ट कहलाई। भाषा शास्त्रियों में अवहट्ट के विषय में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वानों ने इसे मैथिल अपभ्रंश कहा, कुछ ने संक्रान्तिकालीन भाषा और कभी इसे पिंगल कहा गया। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्णरत्नाकर (1325 ई.) में मिलता है। राजभाषाओं में जिन छह भाषाओं का वर्णन भाट करते हैं उनमें से एक भाषा अवहट्ट भी है। दूसरा प्रयोग विद्यापति की कीर्तिलता में हुआ। तीसरा प्रयोग प्राकृत पैंगलम् के टीकाकार वंशीधर ने किया। वे अवहट्ट को ही प्राकृत पैंगलम् की भाषा मानते हैं। चौथा प्रयोग संदेशरासक के कृतिकार अद्दहमाण द्वारा किया गया।

अवहट्ट परवर्ती अपभ्रंश का वह रूप है जिसके मूल में परिनिष्ठित अपभ्रंश यानी शौरसेनी है। व्यापक प्रचार के कारण इसमें कई रूप दिखाई पड़ते हैं। अवहट्ट भिन्न-भिन्न स्थानों की क्षेत्रीय भाषाओं से प्रभावित हुई है जैसे कि हर साहित्यिक भाषा होती है। अवहट्ट भाषा के समुचित शास्त्रीय अध्ययन के अभाव के कारण कुछ विद्वानों ने इसे मैथिल भ्रंश मान लिया। विद्वानों का विश्वास था कि अवहट्ट शब्द का पहला प्रयोग विद्यापति द्वारा अपनी रचना कीर्तिलता में किया गया और दूसरा प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा अपनी कृति वर्णरत्नाकर में किया गया। ये दोनों मैथिल कवि हैं इसलिए विद्वानों ने अवहट्ट को मैथिल अपभ्रंश कहा। कीर्तिलता के संपादक डॉ. बाबूराम सक्सेना ने कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट को आधुनिक मैथिली और मध्यकालीन प्राकृत के बीच की कड़ी बताया है, दूसरी जगह उन्होंने कीर्तिलता के अपभ्रष्ट को मैथिली अपभ्रंश कहा है लेकिन अपने मत को उचित ठहराने के लिए उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया।

टिप्पणी

अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी तो है ही लेकिन इसे अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं की संधिकालीन भाषा कहना अधिक उचित होगा। अपभ्रंश अनुमानतः 1000 ई. के लगभग समाप्त हो गई थी, इसके उपरान्त ही आधुनिक भाषाओं का आरंभ हुआ। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि लगभग 900 से 1100 ई. या कुछ बाद तक की भाषा में अपभ्रंश एवं आधुनिक भाषाएं आपस में मिश्रित हुई होंगी। 900 से प्रायः 1000 ई. तक अपभ्रंश के अंशों का आधिक्य और आधुनिक भाषाओं के नए होने के कारण इनके अंश कम रहे होंगे। 1000 से 1100 या कुछ बाद तक अपभ्रंश के अंश धीरे-धीरे कम होते गए और आधुनिक भाषाओं के अंश बढ़ते गए। वैसे तो उसके बाद भी लगभग 13-14वीं सदी तक कुछ-न-कुछ अपभ्रंश-अंश मिलते हैं, किंतु बहुत कम मात्रा में हैं। इस प्रकार संधिकालीन अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा का काल 900 ई. से 1100 ई. या कुछ बाद रहा होगा। वैसे तो साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता रहा है।

साहित्यिक अवहट्ट का मूल रूप परिनिष्ठित पश्चिमी अपभ्रंश होते हुए भी जहां ग्रंथ रचा गया, वहां की भाषा का भी कुछ प्रभाव उस पर अवश्य पड़ा होगा। अवहट्ट साहित्य में प्रमुखतः सनेहरासक, उक्ति-व्यक्ति प्रकरण, वर्णरत्नाकर तथा कीर्तिलता आदि हैं लेकिन कुछ लोग ज्ञानेश्वरी, राउलवेलि आदि को भी इसके अंतर्गत रखते हैं। डॉ. हीरालाल जैन तथा डॉ. बाबूराम सक्सेना ने अवहट्ट तथा देशी को एक ही माना है, किंतु ब्लॉक, पिशेल आदि वैयाकरण दोनों को अलग-अलग मानते हैं। वस्तुतः देशी या देसी शब्द का प्रयोग समय-समय पर प्राकृत एवं अपभ्रंश के लिए होता रहा है और अवहट्ट जब बोली जा रही थी तो उसके लिए भी इसका प्रयोग हुआ। इस प्रकार अवहट्ट-काल में देशी का प्रयोग उसी के लिए हुआ है, किसी अन्य के लिए नहीं।

अवहट्ट की प्रमुख विशेषताएं ये हैं-

- अवहट्ट और अपभ्रंश में ध्वनि विचार की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अवहट्ट में वे सभी ध्वनियां थीं जो अपभ्रंश में थीं। साथ ही उनके अतिरिक्त ऐ, औ दो नई ध्वनियों का विकास हो गया है। ह्रस्व ए, ओ का प्रयोग कम हो गया। ऋ का प्रयोग लेखन में है, किंतु उच्चारण में यह रि थी। संस्कृत के तत्सम शब्दों के आने पर श् ध्वनि का प्रसार और अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। ष केवल लेखन में ही था परंतु उच्चारण में यह श् ही था।

- क्षतिपूरक दीर्घीकरण-व्यंजन-द्वित्व के स्थल पर एक व्यंजन हो जाता है, अतः उस व्यंजन की अनुपस्थिति के कारण हुई मात्रिक क्षति की पूर्ति के लिए पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है।

- स्वर-संयोगों के मिलकर एक हो जाने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है।

- अकारण अनुनासिकता भी मिलती है।

- अकारांत प्रथमा एकवचन (पुल्लिंग) का- अः तथा नपुंसक लिंग -अम्- इन दोनों ही के स्थान पर -उ या -अ मिलता है। पुल्लिंग -अः का ओ और -ओ का -उ हो गया। इस पुल्लिंग का ही प्रभाव नपुंसक लिंग पर पड़ा और वह भी -उ हो गया। अंत में -उ निर्बल होकर -अ रह गया।

टिप्पणी

- पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में भी काफी रूप समान हो गए।

- संयुक्त क्रिया का प्रयोग होने लगा।

- परंपरा रूप से तद्भव शब्द अधिक प्रयोग में आते रहे और तत्सम शब्द भी काफी प्रयुक्त होने लगे। इसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द भी काफी मात्रा में प्रवेश कर गए।

पुरानी हिंदी

अपभ्रंश को कई विद्वानों ने पुरानी हिंदी माना है। राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन् 1921 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका में 'युगीन हिंदी' शीर्षक से एक लेखमाला प्रारंभ की थी। उनका कहना था- "विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति है वह और कई काम देने लगी हैं। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा है।" आगे चलकर वे पुनः कहते हैं- "पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से।" गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टतः दो भागों में बांट देते हैं- पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा।

रामचंद्र शुक्ल अपने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते हैं- "आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषाकाव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं।" वे अपभ्रंश को 'अपभ्रंश' या 'पुरानी हिंदी' अथवा 'प्राकृताभास (प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध) हिंदी' कहते हैं।

अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर्विरोध मिलता है। वे एक ओर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोज और मुंज के समय (1050 सं.) में पाते हैं तो दूसरी ओर वे बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। "सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देशभाषामिश्रित अपभ्रंश अर्थात् पुरानी हिंदी की काव्यभाषा है।" इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कण्ठपा का नाम लेते हैं।

राहुल जी 'काव्यधारा' (1945) में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। उनके यहां पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं।

हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है- "अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता।" 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने दो श्रेणियों में बांटा है- 1. जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठत साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं, 2. मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोकभाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद्र

टिप्पणी

के व्याकरण, मेरुतुंग के 'प्रबंध चिंतामणि' आदि के दोहे, और अब्दुल रहमान का 'संदेशरासक' तथा 'प्राकृत पैगलम्' में उदाहरित लोकभाषा के छन्द। दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना की गयी है। लोकभाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। लोकभाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है।

प्राकृत अपभ्रंश का महत्व हिंदी भाषा के लिए नकारा नहीं जा सकता। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भू-भाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

अपभ्रंश साहित्य में सातवीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों, परसर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्वरूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्यरूपों, कथानक-रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है- न प्राकृत से, न संस्कृत से। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्थ है।

पुरानी हिंदी की विशेषताएं

पुरानी हिंदी का समय 1000 ई. से 1500 ई. तक माना जाता है। यह अपभ्रंश के काफी निकट थी क्योंकि उसी से (या उसके परवर्ती रूप अवहट्ट से) हिंदी का उदय हुआ था। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थीं। पुरानी हिंदी की प्रमुख विशेषताएं हैं-

1. अपभ्रंश में केवल आठ स्वर थे- अ आ इ ई उ ऊ ए ओ। ये आठों ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में ये दो नये स्वर ऐ औ विकसित हो गए जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः अऐ, अऔ था।
2. च, छ, ज, झ संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे किंतु पुरानी हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए और तब से ये स्पर्श-संघर्षी ही रहे।
3. इसी तरह न र ल स दन्त्य से वर्त्स्य हो गए।
4. अपभ्रंश में ङ ढ व्यंजन नहीं थे। आदिकालीन हिंदी में इनका विकास हुआ।
5. न्ह, म्ह, ल्ह पहले संयुक्त व्यंजन से अब ये न य ल के महाप्रण रूप, अतः मूल व्यंजन हो गए।
- संयोग में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा।
6. संस्कृत, फारसी आदि के कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नये संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजनों, स्वरानुक्रमों तथा व्यंजानुक्रमों के लोप की भी संभावना हो सकती है जो अपभ्रंश में थे।

व्याकरण की दृष्टि से देखें तो धीरे-धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। 1500 ई. तक आते-आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रायः प्रयोग से निकल गए।

पुरानी हिंदी का व्याकरण समवेततः अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों में भिन्न है-

1. अपभ्रंश काफी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे किंतु पुरानी हिंदी में नियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला। सहायक क्रियाओं, संयुक्त क्रियाओं तथा परसर्गों (कारक चिह्नों) का प्रयोग काफी होने लगा।
2. नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में रह गया था। पुरानी हिंदी में यह पूर्णतः समाप्त हो गया। दो लिंग दो वचन।
3. हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम- कर्ता, कर्म, क्रिया- धीरे-धीरे निश्चित होने लगा था।

पुरानी हिंदी का शब्द भंडार अपने आरंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन आते गए जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं-

1. भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था अतः तत्सम शब्दावली अपभ्रंश की तुलना में बढ़ने लगी थी।
2. मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी और तुर्की भाषाओं से हिंदी में आए।
3. भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा जिसके परिणामस्वरूप इस बात की भी संभावना है कि कुछ ऐसे पुराने शब्द, जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक या अल्पावश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए या फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया।

इस काल के साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्खिनी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल्ह, चन्दबरदाई, कबीर आदि हैं।

आरंभिक हिंदी

आरंभिक हिंदी 11वीं शती ईस्वी के आसपास परवर्ती अपभ्रंश से विकसित है। यह उस समय की समस्त मध्यदेशीय बोलियों के लिए एक सामान्य संज्ञा या सामूहिक नाम है। राउल वेल के आधार पर इसकी प्रमुख विशेषताओं का निरूपण किया जा सकता है।

ध्वनि- ङ, ज ङ ढ नई विकसित ध्वनियां हैं।

ध्वनि परिवर्तन-

1. अन्त्य स्वर का लोप- अग्नि > अग्गि > आग, जिब्भा > जीभ
2. क्षतिपूरक दीर्घीकरण- पश्चात > पच्छा > पाछै, पुत्र > पुत्त > पूत

टिप्पणी

टिप्पणी

3. स्वर हस्वीकरण, दीर्घकाय तथा विपर्यय की भी प्रवृत्ति मिलती है- आनंद > अनंद, मनुष्य > मानुष, दिवस > देवस, कपाट > किवाड़
4. ऋ के स्थान पर रि अ ठ इ ई आदि कई ध्वनियां आ गई थीं। ऋतु > रितु, वृद्ध > बुद्धो
5. मध्यम अल्पप्राण व्यंजनों के लोप की प्रवृत्ति तीव्र हुई। कोकिल > कोइल, राजा > राइ। अतः तत्समों का व्यवहार बढ़ा है।
6. मध्यम महाप्राण के स्थान पर ह की अत्यधिक प्रवृत्ति देखी जाती है। मेघ > मेह, दधि > दहि।
7. अनुनासिक व्यंजनों से संयोग वाले स्थलों पर अनुनासिक की जगह अनुस्वार- पण्डित > पंडित, खम्भ > खंभ।
8. र ल में अभेद सरिता > सलिला, सकाले > सकारे।
9. पूर्व में ण का न- पुण्य > पुन्न, अख्य > अरन्त पश्चिम में ण अत्यधिक न के स्थान पर थी ण सुत्रण, तिण, जाणड।
10. क्ष का पूर्व में छ तथा पश्चिम में ख हो गया है- लक्ष्मण > लछिमन > लखन।

रूप रचना-आरंभिक हिंदी में वियोगात्मक प्रक्रिया आगे बढ़ी है। नये-नये व्याकरणिक प्रत्यय विशेषतः परसर्ग और कृदन्तीय रूप विकसित हुए हैं।

1. दो लिंग और दो वचन। संज्ञा और विशेषण में उकारांत प्रायः पुल्लिंग तथा इकारांत प्रायः स्त्रीलिंग है। धर्म, कारण पुल्लिंग है। जुगति राति स्त्रीलिंग हैं।
2. बहुत थोड़े सविभक्तिक प्रयोग मिलते हैं। हि ऐसा विभक्ति चिह्न है जो सभी कारकों के अर्थ देता है-

कर्म- सतरूपहि बिलोकि

संप्रदान- वरहि कन्या दे

इसके अतिरिक्त न, न्ह, नि, न्हि भी सभी कारकों के लिए प्रयुक्त। साथ ही कारक के लिए ऐ अधिकरण के लिए ए विभक्ति चिह्न शेष है।

3. निर्विभक्तिक प्रयोग खूब मिलते हैं अर्थात् जिनमें परसर्ग है न विभक्ति चिह्न-
चेरी धाई, विरह तपाइ तपाइ, बासन फोरे

4. नये-नये परसर्ग विकसित हुए हैं। उदाहरणार्थ-

कर्म के लिए- कहं कह कौ को कौं कूँ

संप्रदान के लिए- लागि लगा तण तई

5. सर्वनामों के केवल चार रूप सामान्य एक वचन, बहुवचन और तिर्यक एक वचन बहुवचन। मैं के बजाय हों का प्रयोग व्यापक है।

6. हिंदी का विकास अलग-अलग केंद्रों में हुआ। अतः इसमें एक क्रिया रूप के एक ही वचन पुरुष तथा काल में विविध प्रयोग प्रचलित दिखाई पड़ते हैं।

टिप्पणी

7. अपभ्रंश के विध्यर्थ करिज्जइ, पढिज्जइ अवहट्ट की भांति आरंभिक हिंदी में भी करीजै पढ़ी जै रूप में प्रयुक्त होते हैं।
8. क्रिया के कृदन्तीय रूपों का खूब विकास हुआ। वर्तमान कालिक कृदन्त त तथा भूतकालिक कृदन्त इया ने काल रचना को सरल कर दिया।
9. संयुक्त क्रियाओं का भरपूर विकास हुआ और उनमें नयी अर्थवत्ता विकसित हुई। आया से आ गया, आ बैठा, आ चुका, आ मरा करना से कर लिया, कर दिया, कर छोड़ा, कर पाया
10. आरंभिक हिंदी में सहायक क्रियाओं में अभूतपूर्व वृद्धि लेकिन अधिकांश अवहट्ट की सहायक क्रियाओं के समरूप हैं। भूतकालिक हुतो, हुत, था, थे आदि आरंभिक हिंदी की अपनी सहायक क्रियाएं हैं।
11. उकारांत, आकारांत विशेषणों का स्त्रीलिंग रूप ईकारांत और पुल्लिंग बहुवचन ऐकारांत हो जाता है- गाढ़ी, तीखी, तीखे, ऊंचे।

वाक्य विन्यास- लुप्त विभक्तिक पदों के प्रयोग के कारण अवहट्ट की भांति ही कर्ता क्रिया कर्म के क्रमिक पदस्थान की महत्ता बरकरार है।

शब्द भंडार- हिंदी में लगातार तत्सम शब्द बढ़ते गए। बढ़ते हुए विदेशी प्रभाव के कारण अपभ्रंश और हिंदी में शब्द समूह के स्तर पर महत्वपूर्ण अंतर है।

हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान

भाषिक योगदान

(अ) ध्वनिगत- अपभ्रंश ने ध्वनि परिवर्तन द्वारा संस्कृत, प्राकृत शब्द के हिंदीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किया-

1. क्षतिपूरक दीर्घीकरण - अग्नि > अगिग > आग
उष्ट्र > उट्ट > ऊंट
2. अंत्यस्वर का हस्वीकरण तथा लोप - जिह्वा > जिब्बा > जीभ
घृणा > घिन
दूर्वा > दूध
3. पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग-
दण्ड > दंड
अडक > अंक
पञ्च > पंच
4. मध्यम महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर ह का प्रयोग-
आखेट > अहेर
गर्दभ > गदहा
बधिर > बहिरा

टिप्पणी

5. मध्यम अल्पप्राण व्यंजनों के लोप से स्वर गुच्छों की संख्या बढ़ी। अपभ्रंश या अवहट्ट में यह प्रवृत्ति पाई कि या तो स्वर गुच्छों का संकोच हुआ या तत्सम शब्द को पुनरुज्जीवित किया गया या बीच में य. श्रुति लाई गई।

पिअ > प्रिय

काअर > कायर

गत > गअ > गय (य ध्वनि का प्रयोग)

गज > गअ > गज (तत्सम पुनरुज्जीवन)

साअर > सागर (तत्सम पुनरुज्जीवन)

निअ > निज (तत्सम पुनरुज्जीवन)

नअर > नायर (तत्सम पुनरुज्जीवन)

स्वर संकोच

- तउ > तो

जइसइ > जैसा

कहउ > कहूँ

(ब) रूप रचना

1. दो लिंग और दो वचना।
2. विश्लेषणात्मकता अर्थात् परसर्गों का उदय हुआ। कुछ परामर्श अपभ्रंश में ही उदित हुए जो थोड़े बहुत घिसकर हिंदी में आ गए। कुछ परसर्ग निरंतर उदित हुए। अपभ्रंश, अवहट्ट में प्रयुक्त परसर्गों में से- को, से, का, के, की, में, पर हिंदी में आए। 'न' का विकास अपभ्रंश 'टणे' या अवहट्ट 'सणे' से हुआ है।
3. उ, हि, हिं आदि अपभ्रंश से हिंदी में आए।
4. सर्वनाम और विशेषण भी काफी कुछ अपभ्रंश से हिंदी में आए हैं।
5. क्रिया के रूप हूबहू हिंदी के तो नहीं हैं, उन पर अपभ्रंश का प्रभाव रहा है।
6. सबसे महत्वपूर्ण बात क्रिया की रचना में कृतदंत पद रूपों का विकास था जो अपभ्रंश और अवहट्ट में हुआ। वर्तमान कालिक कृतदंत 'त' एवं भूतकालिक कृतदंत 'इआ' ने काल रचना को स्पष्ट कर दिया। अवहट्ट में छिटपुट 'ग' आने लगा था। इससे गा, गी, गे बने।
7. संयुक्त क्रियाओं का विकास 'आ गया', आ बैठा, कर लिया, कर चुका, हो गया।

शब्द भंडार

अपभ्रंश काल में तत्सम शब्दों का पुनरुज्जीवन, विदेशी शब्दावली का ग्रहण, देशी शब्दों का प्रयोग द्रुत गति से बढ़ा, जिससे हिंदी का शब्द भंडार समृद्ध हुआ।

साहित्यिक योगदान

अपभ्रंश साहित्य विविधतापूर्ण था। इसके अंतर्गत रासो काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य और खंड काव्य; रूपक रचनाएं; स्फुट रचनाएं (जैसे- बारहमासा, फागु, दोहा, चउपई); सिद्धों के

टिप्पणी

चर्यापद और नाथों की वाणियां आदि का सृजन हुआ। इन सबका प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा है। उदाहरणार्थ- 'संदेश रासक' एक खंड काव्य है। सिद्धों की परंपरा को संत साहित्य ने आगे बढ़ाया। सिद्धों की ही तरह हठयोग, धार्मिक और नैतिक उपदेश आदि संत साहित्य में मिलते हैं। दोहा-पदों का प्रयोग भी मिलता है। प्रेमाख्यानों का प्रभाव निर्गुण प्रेममार्गी शाखा पर देखा जा सकता है।

अतिलौकिक तथा धार्मिक तत्वों से अनुरंजित कथानायक का जीवन चरित; नायक-नायिका के प्रेम व्यापारों का चित्रण; रूपदर्शन, चित्रदर्शन या श्रव्य आदि से प्रेमोत्पत्ति; विरह में अतिशय व्याकुलता; प्राप्ति का उपाय; असाधारण घटनाओं का घटित होना; एक बार मिलना; पुनः वियोग; अंत में सभी विघ्न बाधाओं को परास्त कर लक्ष्य प्राप्ति आदि संपन्नताएं दोनों में द्रष्टव्य हैं। काव्य रूढ़ियों तथा काव्य रूप की दृष्टि से इनमें काफी समानता है। चरित काव्यों का प्रभाव रामचरितमानसकार ने स्वयं ही स्वीकार किया है। पुष्पदंत द्वारा 'महापुराण' में वर्णित नटखट कृष्ण की बाल लीलाएं कृष्ण भक्ति साहित्य में पल्लवित हुई हैं। आदि काल की भक्ति काल पर गहरी छाप है। यदि नये-नये उपमानों, नखशिख वर्णनों, नायकों के सौंदर्य चित्रण, छन्द, अलंकार योजना पर गहराई से विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि रीतिकाल तक उसका प्रभाव जारी रहा है।

समग्रतः हिंदी के मूल उत्सों में से अपभ्रंश साहित्य एक है। भावधारा की दृष्टि से उसका ऐतिहासिक संबंध है। छन्दों और काव्य रूपों की भी गहरी छाप है।

हिंदी भाषाओं के कई नाम गिनाए गए हैं- देहलवी, बंगाली, मुलतानी, मारवाड़ी, गुजराती, तिलंगी, मरहट्टी, कर्नाटकी, सिंधी, अफगानी, बिलोचिस्तानी और कश्मीरी (अबुल फजल) इसके पश्चात 'हिंदी' शब्द के ऐतिहासिक विकास का एक लंबा इतिहास मिलता है। आज भाषा-प्रसंग में 'हिंदी' का प्रयोग तीन अर्थों में किया जाता है।

- (1) विशिष्ट,
- (2) सामान्य, तथा
- (3) भाषा-शास्त्रीय।

विशिष्ट अर्थ में नागरी हिंदी को ही हिंदी कहते हैं। इसे हम खड़ी बोली का परिमार्जित स्वरूप कह सकते हैं। भारतीय संविधान में 'हिंदी' का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है और यही भारतीय संघ की राजभाषा घोषित की गई है। यहां हम इसी राजभाषा के अर्थ में ही 'हिंदी' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

आज हम जिस अर्थ में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। ग्रियर्सन ने अंबाला (पंजाब) से लेकर बनारस तक और नैनीताल की तलहटी से लेकर बालाघाट (मध्यप्रदेश) तक की बोलियों को 'हिंदी' कहा है। उन्होंने इसके दो भाग कर दिए हैं, अर्थात् पश्चिमी हिंदी और पूर्वी 'हिंदी'। यह सब उन्होंने ऐतिहासिक आधार पर निश्चित किया है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी से और पूर्वी हिंदी का अर्थ मागधी से माना। किंतु इस विषय में डॉ. हरदेव बाहरी का कहना है, "वास्तव में पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। अवधी और बुंदेली अथवा अवधी और कन्नौजी की तुलना

टिप्पणी

करके देखने पर पता चलता है कि भरत मुनि ने ठीक ही कहा था, 'शौरसेन्याऽविदुरत्वात् इयमेवाअर्धामागधी'।" लगता है कि ग्रियर्सन शौरसेनी की उत्तराधिकारिणी को ही हिंदी मानना चाहते हैं। इसी आधार पर वे राजस्थानी, बिहारी और मध्य पहाड़ी को अलग-अलग और हिंदी से भिन्न भाषाएं कहते हैं। वे हिंदी के विकास को नहीं देख पाए। दरअसल प्राकृत काल में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने हिंदी को एक बहुत बड़े क्षेत्र में व्याप्त होने का अवसर दिया है। इसका प्रमाण उन प्रांतों के लोगों की अपनी मान्यता है। डॉ. उदयनारायण तिवारी ने भी भोजपुरी को हिंदी क्षेत्र से बाहर की माना है। मैथिल साहित्य के लेखक इतिहासकार डॉ. जयकांत मिश्र ने भोजपुरी को हिंदी क्षेत्र के भीतर और मैथिली को उसके बाहर रखा है। एक चमत्कार उन्होंने यह किया कि भोजपुरी को मैथिली की बोली घोषित किया।

किंतु विभिन्न तर्कों के आधार पर डॉ. रामविलास शर्मा ने सिद्ध किया है कि वर्तमान काल में भोजपुरी, मैथिली आदि हिंदी की बोलियां मात्र रह गई हैं। डॉ. बाहरी का भी इस विषय में स्पष्ट मत है कि बिहार और राजस्थान प्रांतों में बोलियां तो अवश्य हैं, किंतु बिहारी, राजस्थानी अथवा पहाड़ी, नाम की कोई 'भाषाएं' नहीं हैं, कोई अपनी लिपि नहीं, साहित्य की कोई अपनी परंपरा नहीं, शासन द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं। अपनी पुस्तक 'राजस्थानी भाषा' में चटर्जी ने राजस्थानी को हिंदी भाषा कहा है। कोलकाता में लोग राजस्थानी को 'मारवाड़ी हिंदी' कहते हैं और मुंबई या पंजाब में बिहारी हिंदी या पूर्वी प्रचलित नाम है। पहाड़ी के बारे में स्वतः ग्रियर्सन ने कबूल किया है कि पहाड़ी नाम की कोई एक भाषा नहीं है, सुविधा के लिए यह नाम दिया गया है। डॉ. भगीरथ मिश्र सुझाव देते हैं कि बिहार की बोलियों की इकाई को बिहारी हिंदी, राजस्थान की बोलियों की इकाई को राजस्थानी हिंदी और गढ़वाली कुमाऊंजी को पहाड़ी हिंदी कहना अधिक समीचीन है। जिसे हम हिंदी कहते हैं वह वास्तव में पांच उपभाषाओं का समूह है- पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी।

पश्चिमी हिंदी की ही एक शाखा दक्षिण में जा लगी है जिसे दक्खिनी हिंदी कहते हैं। इससे प्राचीन काल में भाषा की विभिन्नता, किंतु वर्तमान समय में विस्तृत हिंदी क्षेत्र की एकता और लोकमान्यता का परिचय भी अपने-आप प्राप्त हो जाता है और साथ ही इस वर्गीकरण के द्वारा हम इन उपभाषाओं को हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ऊंचा पद दे सकते हैं। संविधान ने तो इस सारे क्षेत्र की एक ही भाषा हिंदी स्वीकृत की।

हिंदी भाषा के नामकरण का प्रश्न

हिंदी शब्द की उत्पत्ति का संबंध भारत के उत्तर-पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी से माना जाता है। अधिकतर आक्रमणकारी और यात्रियों ने उत्तर-पश्चिम सिंहद्वार से ही भारत में प्रवेश किया था। ईरान और भारत के आपसी संबंध प्राचीन काल से ही थे। इरानियों द्वारा 'सिंधु' को 'हिंदू' कहा जाता था। 'हिंदू' शब्द संस्कृत के शब्द 'सिंधु' का ही विकसित रूप है। 'हिंदू' शब्द से 'हिंद' शब्द बना और इसमें फारसी भाषा का संबंधकारक प्रत्यय 'ई' जोड़ने (हिंद + ई) से 'हिंदी' शब्द बन गया। हिंदी से तात्पर्य है-हिंद का। हिंद देश के निवासियों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग प्रचलित हुआ जिसे आगे चलकर 'हिंदी की भाषा' के अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाने लगा।

टिप्पणी

भारतीय समाज में 'नाम' की बहुत महिमा है। हिंदी भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी जिस भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है, उस परिवार का नाम 'भारतीय आर्य भाषा' परिवार रखा गया है। आर्य भाषा से गौरव-बोध अवश्य होता है। आर्यों की निवास भूमि यूरोप या यूरोपेशिया के बीच कैस्पियन सागर के आस-पास कहीं मानी जाती है। वहां से उनका एक दल पश्चिम की ओर गया, जिसके ग्रीक, लेटिन, जर्मन एवं अन्य आधुनिक योरोपीय भाषाओं का विकास हुआ। दूसरा दल पूरब की ओर बढ़ा, जिससे मध्य एशिया की तोखरी भाषा का विकास हुआ, जिसके घुमंतू लोगों के साथ हिमालय के उत्तर चीन तक में भारोपीय भाषा के शब्द पहुंच गए। फिर उत्तर-पश्चिम एशिया के तुर्की अंचल में निवास करने वाले हिती भी इसी भारोपीय परिवार की भाषावाले बने। आगे चलकर जब वे लोग और पूरब की तरफ बढ़े, तो ईरान की पुरानी 'अवेस्ता' भाषा के जनक बने। भारतवर्ष में संस्कृत, पालि आदि प्राचीन, मध्यकालीन जो भी भाषाएं विकसित हुईं और फिर उनसे आधुनिक सभी भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुईं, तो सभी के लिए आर्य भाषा नाम बड़े गौरव के साथ अपना लिया गया।

फारसी भाषा का शब्द 'हिंदू' मूलतः फारसी भाषा का नहीं है, बल्कि यह संस्कृत 'सिंधु' शब्द का फारसी उच्चारण है। फारसी उच्चारण की बात तो 'सिंधु' शब्द पर आश्रित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईरान या फारस के लोग जब भारत की सिंधु नदी से परिचित हुए तो चूंकि पुरानी ईरानी अर्थात् 'अवेस्ता' भाषा में महाप्राण ध्वनियां नहीं होतीं, अतः जो 'ध' महाप्राण ध्वनि थी, उसके लिए अल्प प्राण ध्वनि 'द' उच्चरित हुई- यानी 'धु'-'दु' हो गई। इसी प्रकार 'संस्कृत' की 'स' ध्वनि फारसी में 'ह' उच्चरित हुई, जैसे 'असुर' का अहुर, उसी तरह 'सिंधु' का 'स' 'ह' हो गया; तो 'सिंधु' का 'हिंदु' बन गया।

सन् 500 ई. पूर्व ईरान के शासक दारयवहु के लेखों में भारत के लिए 'हिंदु' का प्रयोग हुआ। 'सप्त सिंधव' के लिए वहां 'हप्त हिंदवः' प्रयोग मिलता है। तात्पर्य यह कि ईरान के लोग जब भारत में सिंधु नदी क्षेत्र में आए तो इस विशाल नदी को देख इसके संस्कृत नाम 'सिंधु' को अपने फारसी उच्चारण के आधार पर 'हिंदु' कहने लगे। फिर इसके किनारे रहने वाले लोगों को भी 'हिंदु' कहने लगे। फिर जब और पूरब में बढ़ते गए तो जहां तक जा सके पूरब में बंगाल, असम तक, फिर जब उत्तर दक्षिण भी फैले तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सारी जगहों के निवासियों को 'हिंदू' कहने लगे।

आगे चलकर इसी आधार पर इस 'हिंदु' देश में बोली जाने वाली एक प्रसिद्ध बोली 'हिंदी' के नाम से विख्यात हुई। यद्यपि कई विद्वान सीधे 'हिंदी' का विकास आज की भाषा के रूप में न मानकर 'हिंदुई', 'हिंदवी', 'हिंदीकी' और 'हिंदी' के अनेक स्तरों को पार करते हुए बताते हैं। परंतु सबका निचोड़ यही है कि ईरान से आए फारसी भाषा-भाषियों ने 'सिंधु' को जो हिंदु नाम दिया, वही 'हिंदी' नाम का एकमात्र आधार बन गया।

'हिंदी' शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने भी किया। अमीर खुसरो तुर्क थे, लेकिन वे भारत में पैदा हुए थे। 1317 ई. के आसपास जन्मे अमीर खुसरो का कहना था- "चूंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ अतः मैं यहां की भाषा के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। इस समय, यहां प्रत्येक प्रदेश में ऐसी विचित्र एवं स्वतंत्र भाषाएं प्रचलित हैं जिनका एक-दूसरे से संबंध नहीं है। ये हैं- हिंदी (सिंधी), लाहौरी (पंजाबी), कश्मीरी-डूंगरों (जम्मू के डूंगरों) की भाषा, धूर समुंदर (मैसूर की कन्नड़ भाषा), तिलंग (तेलुगु), दिल्ली तथा उसके आसपास की भाषा

(पश्चिमी हिंदी)। ये सभी हिंदी की भाषाएं हैं, जो प्राचीन काल से ही जीवन के सामान्य कार्यों के लिए, हर प्रकार से, व्यवहृत होती आ रही हैं।”

एक अन्य स्थान पर हिंदी की चर्चा करते हुए अमीर खुसरो लिखते हैं- “यह हिंदी की भाषा है।” ऐसा प्रतीत होता है कि यहां वास्तव में खुसरो का संस्कृति से तात्पर्य है, न कि उस भाषा से जिसे आज हम इस नाम से अभिहित करते हैं।

हिंदी की जगह ‘भाषा’ नाम का प्रयोग

हिंद के एक विशेष क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को कालांतर में ‘हिंदी’ के नाम से पुकारा जाने लगा। मध्यकालीन अपभ्रंशों से जो भी आधुनिक भाषाएं विकसित हो रही थीं, बहुत दिनों तक उनका कोई एक नाम स्थिर नहीं हो पाया था। तब सभी क्षेत्रों में उन्हें अलग-अलग अर्थों में ‘भाषा’ ही कहा जाता था।

आधुनिक हिंदी के विविध रूपों के लिए भाषा या ‘भाखा’ शब्द का प्रयोग-संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की जगह केवल मात्र ‘भाषा कविता’ के सम्मान का प्रथम उल्लेख काशी के गायकवाड़ राजाओं के दरबार में होने का विवरण मिलता है, जहां परम विद्वान कवि विद्याधर की ‘भाषा में कविता’ करने के लिए बड़ाई की गई है। बारहवीं शताब्दी में काशी-कन्नौज के गाहड़वल वंश के राजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने संस्कृत के माध्यम से राजकुमारों को ‘भाषा’ सिखाई थी। यहां ‘भाषा’ का प्रयोग काशी की पुरानी कोसली या भोजपुरी भाषा के लिए किया गया है। कबीर ने अपनी ‘पूरबी बानी’ (मेरी बानी पूरबी- अर्थात् काशी की भोजपुरी) को ‘भाषा’ कहा, ‘कविरा संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर।’ उल्लेखनीय बात यह है कि कबीर धर्म के प्रसंग में ‘हिंदू’ नाम तो खूब लेते हैं परंतु ‘भाषा’ के अर्थ में ‘हिंदी’ का व्यवहार कहीं नहीं करते।

अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक भारतीय भाषाओं के जन्मकाल के समय को संक्रांतिकाल कहा जा सकता है। हिंदी का स्वरूप शौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से विकसित हुआ है। 1000 ई. के आसपास इसकी स्वतंत्र सत्ता का परिचय मिलने लगा था, जब अपभ्रंश भाषाएं साहित्यिक संदर्भों में प्रयोग में आ रही थीं। यही भाषाएं बाद में विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में अभिहित हुईं। अपभ्रंश का जो भी कथ्य रूप था वही आधुनिक बोलियों में विकसित हुआ। अपभ्रंश के संबंध में ‘देशी’ शब्द की भी बहुधा चर्चा की जाती है।

वास्तव में ‘देशी’ से देशी शब्द एवं देशी भाषा दोनों का बोध होता है। प्रश्न यह है कि देशीय शब्द किस भाषा के थे? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में उन शब्दों को ‘देशी’ कहा है जो ‘संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव रूपों से भिन्न हैं।’ ये ‘देशी’ शब्द जनभाषा के प्रचलित शब्द थे, जो स्वभावतया अपभ्रंश में भी चले आए थे। जनभाषा व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करती, परंतु व्याकरण को जनभाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना पड़ता है, प्राकृत-व्याकरणों ने संस्कृत के ढांचे पर व्याकरण लिखे और संस्कृत को ही प्राकृत आदि की प्रकृति माना। अतः जो शब्द उनके नियमों की पकड़ में न आ सके, उनको देशी संज्ञा दी गई। प्राचीन काल से बोलचाल की भाषा को देशी भाषा अथवा ‘भाषा’ कहा जाता रहा। पाणिनी के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। अतः पाणिनी ने इसको ‘भाषा’ कहा है।

कुल मिलाकर हिंदी भाषा के नामकरण के प्रश्न पर विचार करें तो चाहे ‘हिंदी’ नाम देने का श्रेय भले ही बाहरी आगंतुकों का हो लेकिन आज यह न केवल हिंदी भाषा बल्कि कई भारतीय भाषा समूहों के लिए प्रयुक्त होता है।

4.3 भाषा और बोली में अंतर

तेरहवीं शताब्दी में आज की हिंदी भाषा केवल अपने स्थान दिल्ली की सीमित बोली थी। लगभग सात सौ वर्षों तक यह बोली के रूप में प्रचलित रही। इसकी अपेक्षा इसके साथ की बोलियां अधिक विकसित हुईं, और भाषा के रूप में साहित्य का माध्यम बनीं। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ऐसी परिस्थितियां बनती गईं जिनके कारण खड़ी बोली ने अत्यंत तीव्रता से भाषा का दर्जा प्राप्त किया और लगभग सौ वर्ष के भीतर ही हिंदी का मानक स्वरूप निर्धारित हो गया। स्वाधीनता के उपरांत संवैधानिक तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। वर्तमान में, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसके प्रयोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। मॉरीशस, जर्मनी तथा कई यूरोपीय देशों में भी शिक्षण व साहित्य के स्तर पर मानक हिंदी की उपस्थिति है।

किसी समाज की विभिन्न बोलियों या भाषा रूपों में से जिस बोली को परंपरा से प्रधानता प्राप्त होती है, वही प्रायः परिभाषित होकर भाषा के रूप में ढलती है। इस प्रकार भाषा के स्वरूप की स्वीकृति में सुदीर्घ ऐतिहासिक परंपरा विद्यमान रहती है।

इसी दृष्टि से खड़ी बोली ने मानकीकरण की ऐतिहासिक और प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरकर हिंदी भाषा का रूप ग्रहण किया है। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से भाषा के स्तर तक पहुंचने वाली खड़ी बोली का नाम लगभग दो सौ वर्ष पुराना है जबकि हिंदी शब्द लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व प्रयोग में आना शुरू हो गया था। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति ‘हिंद’ शब्द से हुई।

हिंदी प्राचीनकाल से ही भारत में प्रायः सभी प्रदेशों में प्रचलित रही है। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित हुआ लेकिन भारतीय समाज में हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संवैधानिक तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का दर्जा दिया गया।

इस प्रकार किसी भाषा के स्वरूप की स्वीकृति में ऐतिहासिक या परंपरागत मान्यता का भी महत्व होता है। परंपरा से जो बोली बनती है वह अपने क्षेत्र में आनेवाली अन्य बोलियों को प्रभावित करती है तथा खुद भी उनसे प्रभाव ग्रहण करके उस संपूर्ण भाषा क्षेत्र में सशक्त बन जाती है। यह भाषा अपने प्रदेश की अन्य बोलियों की अपेक्षा अधिक सशक्त तथा प्रचलित होती है।

क्षेत्रीय बोली का स्वरूप अधूरे वाक्यों, अशुद्ध या असंगत शब्दों या उच्चारणों से युक्त हो सकता है, लेकिन शिष्ट समाज में, प्रशासनिक कार्यों में या शिक्षा संस्थाओं आदि में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह व्याकरण-सम्मत तथा व्यवस्थित होती है। उसमें स्थानीय बोलियों के वैकल्पिक रूप नहीं होते अपितु एकरूपता होती है। भाषा एक स्वीकृत रूप होता है जो सभी जगह उसी-उसी रूप में प्रयुक्त होता है।

अपनी प्रगति जांचिए

1. भाषा को मानव समुदाय के पारस्परिक व्यवहार का माध्यम बनने वाले यादृच्छिक वाक्य प्रतीकों की व्यवस्था कहकर किसने परिभाषित किया है?

2. कृत्रिम भाषा के कितने भाग होते हैं?

3. सही-गलत बताइए-

(क) भाषा के आकृतिमूलक वर्गीकरण का आधार पदों व वाक्यों की रचना है।

(ख) अपभ्रंश को किसी विद्वान ने पुरानी हिंदी नहीं माना।

भाषा और बोली में प्रमुख अंतर

किसी भाषा के सीमित और लघुतम रूप को बोली कहा जाता है। बोली व्यक्ति-विशेष के भाषित प्रयोग पर आधारित होती है।

बोली का क्षेत्र प्रायः एक स्थान-विशेष या अधिक से अधिक एक प्रांत होता है जबकि भाषा किसी राष्ट्र या राज्य-समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका प्रयोग वहां के सुशिक्षित समुदाय द्वारा अपने साहित्यिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आदि समस्त औपचारिक कार्यों में किया जाता है। यही समान भाषा रूप वैश्विक संदर्भों में भी व्यवहृत होता है।

किसी भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन किसी बोली के अंतर्गत एक या अधिक भाषाएं नहीं हो सकतीं। हिंदी भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं, लेकिन किसी बोली विशेष में हिंदी को समेटा नहीं जा सकता। बोली को विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा भी कहा जाता है।

वस्तुतः गहरे उतरकर देखें तो भाषा और बोली के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि दोनों गहन रूप से अंतःसंबंधित हैं। जब कोई बोली किन्हीं कारणों से प्रमुखता पाकर व्यापक क्षेत्र में साहित्य-शिक्षा-शासन आदि के कार्यों में व्यवहृत होने लगती है तो उसे भाषा कहा जाने लगता है। इस प्रकार भाषा और बोली का अंतर मूलतः स्वरूप, गुण और मात्रा का है।

भाषा की विभिन्न बोलियां अपने अस्तित्व की दृष्टि से स्वतंत्र होती हैं। ये विचार-विनिमय के अपने उद्देश्य की दृष्टि से पूर्ण होती हैं और उच्चारण, व्याकरण व शब्द-समूह की दृष्टि से विविधता-संपन्न भी।

भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का सीमित। भाषा व्याकरण-सम्मत तथा शुद्ध होती है, जबकि बोली का कोई सुनिश्चित व्याकरण नहीं होता। बोली के बहुत से प्रयोगों में व्याकरण का अभाव देखा जा सकता है।

भाषा में एकरूपता-सम्मत विशिष्टता होती है। उसकी शब्दावली, वाक्य-रचना, उच्चारण आदि की एकरूपता व समानता बनाए रखने के लिए प्रयोक्ता सचेत रहते हैं। बोली में ऐसी एकरूपता नहीं पाई जाती। यह अपने क्षेत्र के प्रयोक्ताओं द्वारा ही बोली जाती है। भाषा के मौखिक व लिखित रूपों में भी एकरूपता व समानता होती है। उच्चरित शब्द-रूप की वर्तनी भी व्याकरणिक नियमों के अनुसार निश्चित होती है, जबकि बोली अधिकतर मौखिक रूप में प्रयुक्त होती है और उसके मौखिक-लिखित रूप में एकरूपता भी नहीं होती। यही कारण है कि भाषा शिक्षा-साहित्य आदि औपचारिक प्रसंगों में प्रयुक्त होती है जबकि बोली अनौपचारिक प्रसंगों में ही प्रायः अस्तित्व में प्रत्यक्ष होती है।

भाषा में चार विशिष्टताओं का होना अत्यंत आवश्यक है— स्वायत्तता, मानकीकरण, ऐतिहासिकता एवं जीवन्तता। ये चारों लक्षण भाषा में अनिवार्य रूप से विद्यमान रहते हैं, जबकि बोली में ये नहीं मिलते। बोली में ऐतिहासिकता तथा जीवन्तता तो नहीं होती है, किंतु मानकता तथा स्वायत्तता का वैशिष्ट्य नहीं पाया जाता। यद्यपि हिंदी की कुछ बोलियों को मानकीकृत करने के प्रयत्न हुए हैं, तथापि इन्हें भाषा नहीं कह सकते।

भाषा और बोली के तीन आधारभूत अंतरों को इस प्रकार देखा जा सकता है—

भाषा	बोली
1. भाषा का अपना एक विस्तृत क्षेत्र होता है।	भाषा का स्थानीय रूप होने के कारण बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक भाषा क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जाती हैं।
2. भाषा में साहित्य-सृजन का कार्य होता है।	बोली में साहित्य-सृजन नहीं होता। यदि बोली में रचना की जाती है तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है।
3. भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में तथा शासकीय कामकाज में भी होता है।	बोली सामान्य बोलचाल के लिए प्रयुक्त होती है। शासकीय कामकाज में यह प्रयुक्त नहीं होती।

4.4 हिंदी भाषा एवं हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय

हिंदी भाषा का इतिहास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल (2000 या 1500 ई. पू.), मध्यकालीन आर्य भाषा काल (500-1000 ई.) तथा आधुनिक आर्यभाषा काल (1000 ई.- वर्तमान तक) इन तीन खंडों से मिलकर पूरा होता है। इनमें वैदिक, लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती आदि वर्तमान भाषाएं सम्मिलित हैं।

4.4.1 हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय यूरोपीय परिवार की पहली प्रमुख शाखा भारत-ईरानी शाखा है। इस परिवार की भाषाओं को ही आर्य भाषाओं की संज्ञा दी जाती है। इसकी दो शाखाएं हैं—1. भारतीय भाषाएं और 2. ईरानी भाषाएं।

इस उपशाखा को विवरण की सुविधा की दृष्टि से तीन वर्गों में विभक्त किया गया है—

- प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (2000 ई. पू. से 500 ई. पू. तक) (इसे कुछ विद्वानों ने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का नाम दिया है) संक्षेप में इसे प्रा. भा. आ. भा. नाम दिया जाता है।
- मध्य भारतीय आर्य भाषा—(500 ई. पू. से 1000 ई. तक) (संक्षेप में म. भा. आ. भा.)
- आधुनिक भारतीय आर्य भाषा (1000 ई. से वर्तमान समय तक) (संक्षेप में आ. भा. आ. भा.)

वस्तुतः आज की हिंदी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का ही विकसित रूप है। डॉ. हरदेव बाहरी ने इस विषय में बड़ी स्पष्टता से लिखा है— “हिंदी का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरंभ होता है। एक तरह से यह कहना ठीक होगा कि वैदिक भाषा ही

टिप्पणी

प्राचीनतम हिंदी है। इस भाषा के इतिहास का यह दुर्भाग्य है कि हर युग में इसका नाम परिवर्तित होता रहा है। कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश और अब हिंदी। तमिल, रूसी, जर्मन, आदि भाषाओं में भी परिवर्तन आए हैं। लोगों ने उनके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक रूपभेद तो बताए किंतु उनका नाम नहीं बदला। भारत में प्रत्येक युग की भाषा का नया नाम रखा जाता रहा है।”

यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो हिंदी के पूरे विकास में हमें एकसूत्रता प्राप्त होती है, इसीलिए कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय भाषाओं से हिंदी तक के विकास की तुलना गंगा से की है। जिस प्रकार हिमालय से सागर तक गंगा का प्रवाह एक ही है किंतु उसके नाम भिन्न-भिन्न हो गए हैं। कहीं हम उसे गंगोत्री पुकारते हैं, तो कहीं गंगा और कहीं उसी का नाम हुगली कर देते हैं, किंतु वास्तव में यह विभिन्न नाम गंगा के ही रहते हैं। ठीक इसी प्रकार वैदिक बोलियों का अनंत प्रवाह संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि के रूप में अनवरत बहता हुआ हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि रूपों में दिखाई दे रहा है। यह सत्य है कि परिवर्तन प्रकृति का चिरंतन और शाश्वत नियम है और इस परिवर्तन से भाषा भी अछूती नहीं रही है, किंतु भाषा का यह कालगत परिवर्तन इतनी मंद गति से होता है कि हम अपने जीवन काल में इस परिवर्तन के स्वरूप को ही पहचान नहीं पाते। इस परिवर्तन को समझने के लिए हमें विभिन्न कालों के साहित्य को परखना पड़ता है।

वास्तव में किसी भी भाषा का विकास उसकी बोलचाल के रूप से होता है। भाषाओं के बारे में जितनी भी सामग्री प्राप्त है, उससे यही सिद्ध होता है कि बोली के आधार पर परिनिष्ठित भाषा का विकास होता है और फिर परिनिष्ठित भाषा से बोलियां उत्पन्न होती हैं। दो भाषाओं या बोलियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाले रूपों की बात अलग है। खड़ी बोली के आधार पर हिंदी विकसित हुई, लंदन (या मिडलैंड) की बोली के आधार पर अंग्रेजी और मास्को की बोली के आधार पर रूसी विकसित हुई। इंग्लैंड, रूस और हिंदी-प्रदेशों की बोलियां, अंग्रेजी, रूसी या हिंदी से उत्पन्न नहीं हुईं।

डॉ. रामविलास शर्मा के उपर्युक्त मत से श्री जगदीश प्रसाद कौशिक सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार, यदि यह मत मान भी लिया जाए तो आज भारत में आर्य परिवार की भाषाओं के अधीन बोली जाने वाली तीन-चार सौ बोलियों का अस्तित्व छांदस् युग में भी मानना पड़ेगा जो कि संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कौशिक ने डॉ. शर्मा के उपर्युक्त वाक्य-‘दो भाषाओं या बोलियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाले रूपों की बात अलग है’ पर विशेष ध्यान नहीं दिया है अन्यथा उनकी शंका का समाधान इस वाक्य में ही था।

तात्पर्य केवल यह है कि हमारे पास प्राचीन से प्राचीन जो लिखित साहित्य प्राप्त है उसके पहले भी कोई मौखिक भाषा रही होगी जिसे हम उस समय की जन बोली कह सकते हैं। उसी का विकसित और परिमार्जित रूप ही हमें तत्कालीन लिखित साहित्य में प्राप्त होता है। अतः प्राचीन भा. आ. काल से पूर्व जो बोलियां थीं, उनका लिखित रूप प्राप्त न होने के कारण उनके विषय में कुछ नहीं बताया जा सकता। अतः वैदिक संस्कृत काल से ही प्रा. भा. भाषाओं के विकास को प्रारंभ किया जाता है।

टिप्पणी

भारत में आर्यों का आगमन

भारत में आर्यों के आगमन के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इस समय को 2000 ई.पू. से 1500 ई.पू. के आसपास मानते हैं। साथ ही, इस बात से भी लगभग सभी विद्वान सहमत हैं कि सभी आर्य यहां पर एक साथ नहीं आए वरन् अलग-अलग समय में विभिन्न टोलियों में आते गए। यहां के मूल निवासियों से उनका संघर्ष भी हुआ और उससे उनके रहन-सहन, खानपान और उनकी भाषा पर भी प्रभाव पड़ा। उनके जीवन में कुछ स्थायित्व आने पर उन्होंने अपनी यज्ञप्रधान संस्कृति का प्रसार यहां प्रारंभ किया। इसके लिए विभिन्न जनपदों के ऋषियों ने ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक साहित्य की रचना की, उसे विद्वानों ने छांदस् नाम दिया। छांदस् भाषा किस बोली से विकसित हुई इसका कोई भी प्रमाण हमारे सामने नहीं है। तो भी कुछ विद्वानों ने अनुमानतः उसके रूप-निर्धारण का प्रयत्न किया है। डॉ. चाटुर्ज्या का मत है कि वेदों के संकलन काल और लेखन काल की भाषा में अवश्य अंतर रहा होगा क्योंकि लेखन के हजारों वर्ष पश्चात वेदों का संकलन किया गया। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है ‘हमें ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंत्रों के रचयिता ऋषि मधुच्छन्दस के काल का पता नहीं चलता और न विश्वामित्र का ही, जिन्होंने प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की। हम तो इन मंत्रों को उनके नाम से उसी रूप में पाते हैं जिसमें वे सर्वप्रथम लेखबद्ध होते समय प्रचलित थे। परंतु संकलन के चार-पांच सौ वर्ष पहले यदि उनकी रचना हुई होगी तो उनका रूप आज के उपलब्ध पाठ से बहुत भिन्न रहा होगा। अब वह रूप कुछ भी रहा हो हमें छांदस् भाषा का सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद की ऋचाओं में ही प्राप्त होता है। इस काल की भाषा को वैदिक संस्कृत का नाम भी दिया जा सकता है। इसके पश्चात लौकिक संस्कृत का काल आता है।’

अतः अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो वर्गों में विभक्त कर लेते हैं-1. वैदिक संस्कृत 2. लौकिक संस्कृत।

वैदिक संस्कृत

कुछ विद्वानों ने इन दोनों के लिए संस्कृत नाम का ही प्रयोग किया है।

विभिन्न नाम- इस भाषा के अन्य नाम छांदस्, वैदिकी, प्राचीन संस्कृत, संस्कृत आदि हैं।

प्राचीन रूप- इसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है। ऋग्वेद का समय अनिश्चित है। कुछ विद्वान ऋग्वेद को पंजाब के साहित्यकारों की कृतियों का संग्रह मानते हैं। इसका कारण ऋग्वेद के मंत्रों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनकी रचना न एक व्यक्ति द्वारा हुई है और न ही एक समय और एक स्थान पर ही। वस्तुतः वह कई शताब्दियों में पंजाब के विभिन्न स्थानों में उत्पन्न हुए कितने ही साहित्यकारों की रचनाओं का संकलन ज्ञात होता है। ऋग्वेद के दस मंडलों में प्रथम और दशम बाद की रचना माने जाते हैं। बीच के आठ मंडलों की भाषा अवेस्ता के अधिक निकट है। किंतु पहले और दसवें मंडल की भाषा पर किंचित अनार्य जातियों की भाषाओं का प्रभाव लक्षित होता है। सामवेद और यजुर्वेद में यह प्रभाव कुछ बढ़ गया दिखता है।

टिप्पणी

वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक और उपनिषदों की गणना की जाती है। वेदों की भाषाओं से ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा, ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा से आरण्यक और उपनिषदों की भाषा में हमें क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। यह विकास शताब्दियों में ही हुआ होगा, यह निश्चित है। पाणिनि के समय तक वैदिक साहित्य की भाषा छांदस् और तत्कालीन साधारण शिष्ट एवं शिक्षित लोगों की भाषा में पर्याप्त अंतर आ चुका था। पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती व्याकरणों का उल्लेख किया है। पाणिनि के काल तक वैदिक भाषा कई रूपों में विकसित हो चुकी थी। जिस भाषा में ऋग्वेद की रचना हुई थी वह उस समय की सबसे अधिक परिनिष्ठित, साहित्यिक भाषा थी। वह अपने से पूर्व की ही किसी लोक भाषा से विकसित हुई थी, किंतु लिखित साहित्य के अभाव में उस लोक भाषा के विषय में आज कुछ भी ज्ञात करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। वैदिक संस्कृत के विकास के भी हमें दो रूप प्राप्त होते हैं। उसका एक रूप हमें वेदों की ऋचाओं में प्राप्त होता है और दूसरा रूप ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः गद्य में है अतः इनका महत्व भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कुछ विशेष ही है। इनसे वाक्य रचना की प्रणाली जानने में विशेष सहायता मिलती है। गद्य और पद्य में प्राप्त इनके लिखित रूपों के अतिरिक्त उस समय की लोक भाषाएं भी मौखिक रूप से साथ ही साथ विकसित हो रही थीं। तभी गौतम बुद्ध के समय तक उत्तर भारत में उदीच्य, प्राच्य, और मध्यदेशीय, ये तीन भाग भाषा के विभेदों के कारण हो गए थे।

लौकिक संस्कृत

विभिन्न नाम- इसे 'संस्कृत', 'लौकिक संस्कृत' तथा 'क्लासिकल संस्कृत' भी कहते हैं। भाषा के अर्थ में 'संस्कृत (संस्कार की गई, शिष्ट या अप्राकृत) शब्द का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है' इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है कि मूल भाषा का नाम प्राकृत भाषा था और संस्कृत रूप उसके बाद का है। कुछ विद्वान वैदिक भाषा से ही संस्कृत का विकास मानते हैं। इससे भिन्न कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि संस्कृत का विकास वैदिक भाषा से न होकर उस समय की किसी लोक भाषा से हुआ है। 'संस्कृत' की स्थिति को समझने के लिए हम खड़ी बोली का उदाहरण ले सकते हैं। खड़ी बोली मेरठ के आस-पास के कुछ जिलों की बोली है, किंतु राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक आदि कारणों से वह अन्य बोलियों की तुलना में आगे निकल आई और आज संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा बन गई है। खड़ी बोली के राष्ट्रीय भाषा या साहित्यिक भाषा होने का यह अर्थ नहीं कि आज दूसरी बोलियां या भाषाएं ही नहीं हैं। बोलियां तो अनेक हैं, किंतु जो महत्ता खड़ी बोली को मिली है वह अन्यो को नहीं। इसी तरह संस्कृत भी समसामयिक इतर भाषाओं की तुलना में आगे निकल गई और भारत की सांस्कृतिक भाषा बन गई, किंतु जो भाषाएं उस समय जन साधारण में प्रचलित रही होंगी, उनका मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ होगा। इन्हीं से भारत की अनेक भाषाओं का विकास मानना असंगत न होगा।

किंतु डॉ. ग्रियर्सन, वेबर एवं हार्नली आदि विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा नहीं रही। डॉ. भंडारकर और डॉ. गुणे ने इन विद्वानों के मत का खंडन करते हुए कहा है कि संस्कृत निश्चित रूप से बोलचाल की भाषा से विकसित हुई है, क्योंकि बुद्ध के समय तक भाषा के तीन विभेद हो गए थे। इनमें से उदीची की भाषा को पाणिनि ने प्रश्रय दिया। उदीच्य भाषा वस्तुतः पंजाब की भाषा थी। इसमें

टिप्पणी

आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप बहुत कुछ सुरक्षित था। मध्य देशीय और प्राच्य भाषाओं पर द्रविड़ प्रभाव कुछ अधिक आ चुका था। पाणिनि उसी प्रदेश के थे जहां उदीच्य भाषा बोली जाती थी। वस्तुतः वे तक्षशिला के समीप के शालातुर नामक स्थान के निवासी थे। अतः वे उदीच्य भाषा से पूर्ण परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसी भाषा का संस्कार किया और अपनी प्रसिद्ध कृति, 'अष्टाध्यायी' में इसी भाषा का व्याकरण एवं आदर्श रूप प्रस्तुत किया। 'अष्टाध्यायी' द्वारा संस्कृत भाषा का रूप हमेशा के लिए स्थिर हो गया, परंतु इससे वह परिणाम नहीं निकला जैसा कुछ यूरोपीय विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि संस्कृत सर्वथा 'कृत्रिम भाषा' है और कभी बोलचाल की भाषा न थी। पाणिनि ने वैदिक भाषा को 'छांदस्' नाम दिया है और अपने व्याकरण की आदर्श भाषा को लोक प्रचलित भाषा कहा है। डॉ. बाहरी का भी यही मत है। उनका कहना है कि पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को देववाणी और इसको भाषा कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी।

अतः कह सकते हैं कि संस्कृत का विकास उदीच्य प्रदेश में बोली जाने वाली किसी बोली से ही हुआ।

आर्यभाषा की प्रमुख विशेषताएं

1. हिंदी की आज की वर्णमाला वस्तुतः प्राचीन आर्य भाषा काल की ही है। संस्कृत में 'ऐ' और 'औ' का 'अइ', 'अउ' उच्चारण होता है, वैदिक में 'आइ', 'आउ' था। 'ल' और 'लह' वैदिक भाषा की विशिष्ट ध्वनियां थीं जो आज भी कुछेक भाषाओं में चल रही हैं किंतु संस्कृत में यह नहीं थीं।
2. वैदिक भाषा शिष्ट योगात्मक है।
3. वैदिक भाषा स्वर प्रधान है किंतु संस्कृत भाषा बल प्रधान हो गई।
4. वैदिक और संस्कृत दोनों में तीन लिंग और तीन वचन होते हैं।
5. वैदिक भाषा में शब्दों के एकाधिक रूप मिलते हैं, जबकि संस्कृत में प्रायः एक ही रूप लिया गया है।
6. संधियों की दृष्टि से भी लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में स्पष्ट अंतर आ गया था।
7. वैदिक भाषा में उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द से हटकर भी हो सकता है, किंतु संस्कृत में नहीं।
8. वैदिक संस्कृत में धातु का अर्थ प्रायः सुरक्षित था, किंतु लौकिक संस्कृत के काल तक आते-आते उनमें कुछ-कुछ अर्थ-परिवर्तन आरंभ हो गया था।
9. वैदिक भाषा की रूप रचना में विविधता और जटिलता थी। रूप बहुत अधिक थे और इनमें अपवादों की संख्या भी बढ़ी-चढ़ी थी, जबकि लौकिक संस्कृत में आकर रूप कुछ कम हो गए और अपवाद भी पहले से बहुत कम हो गए। पाणिनि के प्रयास से संस्कृत भाषा अधिक नियमबद्ध हो गई।
10. इस युग की भाषा के साहित्य की रक्षा के लिए जो युक्तियां काम में लायी गईं, वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः उनका उल्लेख भी यहां अनुचित न होगा। श्रुति की रक्षा के लिए पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, धनपाठ आदि कृत्रिम उपायों का आश्रय

टिप्पणी

लेकर इन्हें विद्वत् मंडली में जीवित रखने का सफल प्रयत्न किया गया। भाव-गरिमा की रक्षा भी सूत्रशैली के द्वारा की गई। इस प्रकार इस प्राचीन भाषा की ठीक-ठीक रक्षा संभव हो सकी।

11. वैदिक के पश्चात संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचार-विनिमय की भाषा बनी। संस्कृत यह काम कई सदी बाद तक करती रही। प्राच्य प्रभाव के कारण कुछ सदियों तक संस्कृत का प्रभाव सीमित हो गया, परंतु मौर्य साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर संस्कृत भाषा ने फिर अपना आधिपत्य जमा लिया। संस्कृत का पहला शिलालेख रुद्रदामन् का गिरनार वाला है। जिसकी तिथि 150 ई. है। तब से लेकर प्राकृतों के प्रसाद तक संस्कृत ही हिंदू राज्यों की राजभाषा रही। प्रायः बारहवीं सदी तक इसको राजदरबारों से विशेष प्रश्रय मिलता रहा।
12. वैदिक संस्कृत के शब्द-भंडार में अधिकतर तत्सम शब्द ही थे, किंतु धीरे-धीरे तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द भी इसमें प्रवेश करने लगे थे। द्रविड़ और आस्ट्रिक भाषाओं के भी कितने ही शब्द इसमें प्रवेश करने लगे थे। वैदिक संस्कृत ने द्रविड़ एवं आस्ट्रिक भाषाओं को ही नहीं भारत से बाहर की, चीन, तिब्बत, हिंदचीन, जावा, सुमात्रा, बाली, कोरिया एवं जापान आदि की भाषाओं को भी प्रभावित किया था। यूरोप में जो प्रभाव लैटिन का और अफ्रीका तथा एशिया के पश्चिमी भाग में जो प्रभाव अरबी का पड़ा है, वैसा ही अथवा उससे भी अधिक संस्कृत का प्रभाव एशिया के शेष भागों पर बराबर पड़ा है। भारतीय आर्य इसे देववाणी कहते हैं और आज भी यह 30 करोड़ (इस समय लगभग 60 करोड़) हिंदुओं के लिए श्रद्धा की चीज है। बोलचाल की भाषा न होते हुए भी आज जो श्रेय इसे प्राप्त है, वह संसार की किसी भाषा को प्राप्त नहीं है।

मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषाएं : पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश

उदीच्य भाषा का संस्कार करके जब पाणिनि ने उसे संस्कृत भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया तो उत्तर भारत ने शीघ्र ही उसे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक भाषा के रूप में अपना लिया। किंतु लोकभाषा के रूप में प्राच्य और देशीय भाषाएं भी संस्कृत के समानांतर चल रही थीं। भगवान बुद्ध एवं महावीर के समय तक प्राच्य प्रदेश की लोकभाषा उदीच्य प्रदेश की भाषा संस्कृत से भिन्न हो चुकी थी। प्राच्य प्रदेश में उस समय संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा रह गई थी। अतः गौतम बुद्ध एवं महावीर ने उसके विरुद्ध विद्रोह करके अपनी-अपनी मातृ भाषाओं को ही अपने उपदेशों के प्रसार-प्रचार का साधन बनाया और इसी के फलस्वरूप मध्य भारतीय भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ। आर्य भाषाओं के मध्य काल की भाषाओं की तीन स्थितियां हैं। इनके नाम एवं समय के विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं।

- | | |
|--|---|
| (1) प्रथम संस्कृत (वेदों की भाषा) | (1) प्रथम प्राकृत (वैदिक युग की साधारण जनभाषा) |
| (2) द्वितीय संस्कृत (ब्राह्मण, ग्रंथों की और उपनिषदों की भाषा) | (2) द्वितीय प्राकृत (जिसका 'पालि' रूप प्राकृत है और अन्य साहित्यिक रूप व्यंजन-लोप |

तथा णकार-प्रियता से विकृत कर दिए गए हैं।)

टिप्पणी

(3) तृतीय संस्कृत (जो आज भी अपने निखरे हुए रूप में 'लौकिक संस्कृत' नाम से प्रसिद्ध है। पाणिनि द्वारा व्यवस्थित जिसमें कालिदास आदि की रचनाएं हैं।

(3) तृतीय प्राकृत (जिसे 'अपभ्रंश' कहते हैं और जिसके विभिन्न प्रादेशिक भेदों से आज की भारतीय भाषाओं का विकास है। यानी यही प्राकृत विकसित व्यवस्थित होकर आज की भारतीय (हिंदी आदि) भाषाओं के रूप में स्थित है।

अर्थात् जिसे हम आज की 'पालि' भाषा कहते हैं उसका प्रारंभिक क्षेत्र वही रहा होगा जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, अर्थात् मगध प्रदेश। किंतु बुद्ध के जन्म के समय में यह एक बोली के रूप में रही होगी। भगवान बुद्ध की मातृभाषा भी यह बोली रही होगी। बुद्ध ने अपने प्रारंभिक उपदेशों की भाषा इसी बोली को बनाया होगा। ज्यों-ज्यों बुद्ध के प्रचार का क्षेत्र बढ़ता गया, यह बोली भी फैलती गई और विभिन्न बोलियों के शब्दों को अपने में आत्मसात करके पुष्ट होती गई, इसीलिए बुद्ध के उपदेशों का जो लिखित रूप मिलता है, उसमें कई क्षेत्रों की बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसी से लोगों ने उसके क्षेत्र के विषय में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर डालीं।

साहित्य (पालि)

पालि भाषा में पर्याप्त साहित्य प्राप्त होता है। इसमें बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ, टीकाएं, कथा साहित्य, काव्य, कोश, व्याकरण आदि सभी कुछ प्राप्त होता है। इसमें भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह 'त्रिपिटक' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 'सुत्त', 'विनय' तथा 'अभिधम्म' पिटक आते हैं। सुत्त (सूत्र) पिटक में साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें सारिपुत्त तथा मोग्गलान आदि द्वारा भी कतिपय सूत्र सम्मिलित कर लिए गए हैं, जिनका अनुमोदन भगवान ने अंत में कर दिया है। इन पिटकों के पश्चात इन पिटकों पर लिखी गई टीकाओं का साहित्य आता है, जिन्हें अनुपालि या अनुपिटक कहते हैं। विनयपिटक में भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं का संग्रह है, जो उन्होंने समय-समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। इसके अतिरिक्त जातक साहित्य भी पालि भाषा की महत्वपूर्ण निधि है। अनुपिटक का अधिकांश भाग सिंहली विद्वानों ने लिखा है। इसके अतिरिक्त छन्द शास्त्र, व्याकरण (कच्चान व्याकरण) कोष, इतिहास (दीपवंस, तथा महावंस) आदि विषयों पर भी श्रेष्ठ ग्रंथ इस भाषा में लिखे गए हैं।

द्वितीय प्राकृत-साहित्यिक प्राकृत

पूरे मध्य भा. आ. काल को प्राकृत नाम से अभिहित किया गया है। इसका पुनः तीन पर्वों या तीन प्राकृतों में विभाजन किया गया है। साहित्यिक प्राकृतें इस काल की दूसरी अवस्था की द्योतक हैं। 'प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रकृति या मूल से उत्पन्न अर्थात् संस्कृत की पुत्री। दूसरे कुछ विद्वानों का मत है 'प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति 'प्रकृति' (जनसाधारण) से है, अतः 'प्राकृत' का अर्थ हुआ जनसाधारण की भाषा। शिष्ट समाज की भाषा और संस्कृत से भेद प्रकट करने के

लिए जन सामान्य की भाषा को 'प्राकृत' संज्ञा दी गई। इस मत के मानने वालों का यह भी कहना है कि वेद से पूर्व भी प्राकृतें थीं, जिनमें से एक ने विकसित होकर ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण किया। वैदिक काल में भी प्राकृतें थीं और जिस प्रकार वे साहित्यिक भाषा से प्रभावित होती थीं उसी प्रकार साहित्यिक भाषा को प्रभावित भी करती थीं। वेद में रूपों का वैविध्य और ध्वनि द्वैध जनभाषाओं के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। वेद में अनेक प्रादेशिक तथा प्राकृत शब्द और प्रयोग मिलते हैं। ऐसा डॉ. बाहरी का विचार है। प्राकृत के वैयाकरणों के ग्रंथों को देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अपने से कुछ ही पहले तक 'पालि' भाषा का ज्ञान ही न था। संभवतः इसका पहला कारण यह रहा होगा कि 'पालि' भाषा उस समय तक धार्मिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और वैयाकरणों और साहित्यकारों ने उसे साहित्यिक से भिन्न भाषा मान लिया था। अतः उसमें साहित्य लिखना अथवा उसकी चर्चा करना भी वे उचित नहीं समझते थे। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि जिन क्षेत्रों में पालि का प्रसार था, उससे भिन्न क्षेत्र की बोलियां पालि के समानांतर विकसित हो रही थीं। 'पालि' उन क्षेत्रों में यदि आई भी होगी तो केवल प्रचार की भाषा बनकर। अतः जनमानस पर उसका विशेष प्रभाव नहीं हुआ होगा। दूसरी ओर वहां की क्षेत्रीय बोलियों को साहित्यकारों और वैयाकरणों का सहयोग मिल गया होगा और वे 'साहित्यिक प्राकृतों' के रूप में विकसित होने लगी होंगी। संभवतः इन्हीं कारणों से उत्तरकालीन प्राकृत वैयाकरणों ने 'पालि' एवं अशोक के अभिलेखों की भाषा पर विचार न किया होगा। इन वैयाकरणों ने संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त तथा कुछ काव्य ग्रंथों एवं जैनों के धार्मिक ग्रंथों में व्यवहृत प्राकृत पर ही विचार किया होगा।

साहित्यिक प्राकृतें कितनी थीं, इस पर भी विद्वान एकमत नहीं है। यह संख्या 5 से लेकर 18 तक पहुंच गई है। सबसे प्रथम प्राकृत वैयाकरणों में वररुचि का नाम आता है। उन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ 'प्राकृत प्रकाश' में चार प्राकृत भाषाओं का विवेचन प्रस्तुत किया है। ये हैं—

1. महाराष्ट्री
2. पैशाची
3. मागधी
4. शौरसेनी

जैन आचार्य हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ 'हेम शब्दानुशासन' में सात प्राकृतों की चर्चा की है। ये हैं—

1. महाराष्ट्री अथवा प्राकृत
2. शौरसेनी
3. पैशाची
4. चूलिका पैशाची
5. मागधी
6. आर्ष या अर्धमागधी
7. अपभ्रंश।

इनके अतिरिक्त लगभग अन्य ग्यारह प्राकृतों की चर्चा विभिन्न विद्वानों ने की है।

तृतीय प्राकृत - अपभ्रंश

म. भा. आ. भाषा के अंतिम विकास को 'अपभ्रंश' के नाम से अभिहित किया गया है इसका समय मोटे रूप से 500 ई. और 1000 ई. के बीच माना जाता है। इसके अन्य भी कई नाम हैं, जैसे- 'अवहंस', 'देसी भाषा', 'आभीरोक्ति', 'आभीरी ग्रामीण भाषा', 'देसी' आदि। पं. किशोरीदास वाजपेयी ने इसे तृतीय प्राकृत कहना ही उचित समझा है। अपभ्रंश कहना ठीक नहीं। उनके अनुसार "इन तीसरी प्राकृतों को या प्राकृत की तीसरी अवस्था के रूपों को, लोग 'अपभ्रंश' कहते हैं, जो ठीक नहीं। तीसरी प्राकृत कहना ठीक है। कली खिलकर फूल बन जाए, तो कहा जाएगा-कली खिल गई, कली फूल बन गई। यह न कहा जाएगा कि 'कली बिगड़ गई-या कली का बिगड़ा हुआ रूप फूल है।" (हिंदी शब्दानुशासन)

वस्तुतः यह भाषा ही म. भा. आ. भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं (हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि) के बीच की कड़ी है। इन सभी भाषाओं को अपभ्रंश की स्थिति से होकर गुजरना पड़ा है।

अपभ्रंश शब्द का प्रयोग दो अर्थों में मिलता है- प्रथमतः, एक भाषा विशेष के अर्थ में और दूसरे, संस्कृत से विकृत तद्भव शब्दावली के रूप में। दूसरे अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत वैयाकरणों ने तो संस्कृत से भिन्न समस्त भाषाओं को ही 'अपभ्रंश' कहा है किंतु अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि का समय ई. पूर्व दूसरी शताब्दी माना जाता है। इसके पश्चात भामह, चंड, दंडी आदि ने भी काव्य भाषाओं की चर्चा करते समय अपभ्रंश का उल्लेख किया है। 'काव्यादर्श' में आचार्य दंडी ने स्पष्ट लिखा है कि काव्य में आभीरों आदि की भाषा अपभ्रंश कहलाती है। इसी कारण डॉ. नामवर सिंह ने कहा कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का योग छठी शताब्दी के आस-पास ही आरंभ हो गया था, यद्यपि उसका लिखित रूप सर्वप्रथम हमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में मिलता है, जिसका समय चौथी शताब्दी है। कुछ विद्वानों ने तो यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अपभ्रंश भाषा तीसरी शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी और उसका काव्य ग्रंथों में प्रयोग आरंभ हो गया था। किंतु भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग छठी शताब्दी से आरंभ हुआ और ग्यारहवीं शताब्दी तक यह भारत की एकमात्र साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। तीसरी शताब्दी में भी अपभ्रंश का अस्तित्व था किंतु वह एक बोली के रूप में ही थी। इससे स्पष्ट होता है कि शौरसेनी, मागधी आदि की भांति अपभ्रंश भी एक प्रदेश की बोली थी और उसका साहित्यिक विकास बाद में उसी प्रकार हुआ जैसे खड़ी बोली का साहित्य के रूप में विकास, ब्रजभाषा के साहित्य के पश्चात होता है। किंतु इस विकास से यह तात्पर्य निकालना कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली का विकास हुआ, उचित नहीं है। ठीक इसी प्रकार प्राकृत से अपभ्रंश का विकास मानना भी असंगत है। भरत, चंड, हेमचंद्र विश्वनाथ आदि विद्वानों ने भी अपभ्रंश को प्राकृतों में गिना है। डॉ. बाहरी इससे सहमत हैं और इसका उस समय की पश्चिमी भाषा के रूप में उल्लेख किया है। इसी प्रसंग में उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योग की अतिरंजना की जाती रही है। वास्तव में अपभ्रंश के जो लक्षण बताए जाते रहे हैं, वे सब अपभ्रंश के अपने नहीं हैं, उनमें अधिकतम शौरसेनी और महाराष्ट्री के हैं।

टिप्पणी

टिप्पणी

आधुनिक विद्वानों ने प्रत्येक प्राकृत से एक-एक अपभ्रंश का उद्भव माना है और उनके अनुसार आगे चलकर इन विभिन्न अपभ्रंशों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इस विकास को निम्नलिखित रूप में समझने में सरलता होगी—

अपभ्रंश बोलियां	उनसे निकलने वाली आधुनिक भाषाएं
1. शौरसेनी	1. पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेलखंडी। 2. इसके नागर रूप से विकसित गुजराती। 3. उपनागर रूप से विकसित राजस्थानी हिंदी। 4. इस अपभ्रंश के पहाड़ी भागों में स्थिति रूप से-पहाड़ी यह शौरसेनी से प्रभावित है।
2. अर्ध मागधी	1. पूर्वी हिंदी-अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी
3. मागधी	1. भोजपुरी 2. मगही 3. बांग्ला 4. असमी 5. उड़िया
4. ब्राह्मण सिंधी	(1) लहंदा (2) पंजाबी (इस पर शौरसेनी अपभ्रंश का भी प्रभाव है)
5. पैशाची	
6. महाराष्ट्री	मराठी

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव 1000 ई. के लगभग हुआ। इन भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों में हुआ। इस वर्ग की भाषाओं में कुछ ध्वनि, शब्द और व्याकरण संबंधी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इन्हें अन्य वर्ग की भाषाओं से अलग कर सकते हैं। इन भाषाओं में कुछ प्रमुख भाषाओं का उल्लेख यहां किया जा रहा है—

असमी

यह असम प्रदेश की भाषा है। इसका अति प्राचीन नाम 'प्रागज्योतिष' मिलता है। असम के दक्षिणी भाग का नाम कामरूप था। असम में अनेक आदिवासी कबीले हैं। वे असमी के अतिरिक्त अपनी-अपनी बोलियों का उपयोग करते हैं। इन कबीलों में ईसाई मिशनरियों ने पर्याप्त प्रचार किया है, फलस्वरूप अंग्रेजी का भी प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। असमी भाषा बांग्ला भाषा से प्रभावित है। किंतु इसका साहित्य बांग्ला की भांति समृद्ध नहीं है। इसकी

लिपि भी दो तीन अक्षरों को छोड़कर शेष बांग्ला ही है। इसके नाम के विषय में कुछ लोगों का विश्वास है कि तेरहवीं शताब्दी में 'थाई' या 'शान' जाति के 'अहोम' लोग यहां आ बसे थे, जिनके नाम पर इस प्रदेश का नाम अहम-असम पड़ा। इसकी उत्पत्ति भी मागधी अपभ्रंश से हुई मानी जाती है।

मुख्य असमिया भाषा केवल दक्षिणी असम, लखीमपुर से गोलापुर तक के प्रदेश में बोली जाती है। इसके पूर्व में बर्मी भाषा, पश्चिम में बांग्ला, उत्तर में पहाड़ी भाषाएं तथा तिब्बती बर्मी परिवार की भाषाएं तथा दक्षिण में भी बांग्ला भाषा बोली जाती है। इसमें लोकगीतों की परंपरा अच्छी है, किंतु प्रकाशित साहित्य कम है। प्राचीन असमिया में शंकरदेव, रामस्वामी आदि का नाम भी उल्लेखनीय है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं रघुनाथ चौधरी, देवकांत बरुआ, हेम बरुआ, चंद्रकुमार अग्रवाल, अतुलचंद्र आदि।

विशेषताएं

1. बांग्ला की तुलना में असमी में च, छ का स, और स का ह या ख होता है।
2. संयुक्त व्यंजनों में द्वित्व का आभास होता है, 'अ' का 'ओ', 'य' 'व' का 'ज', 'ब', 'ण' का 'न' बांग्ला की तरह होता है।
3. 'ट', 'ड', का उच्चारण 'त', 'द' की तरह सुनाई देता है। 'ड' का उच्चारण 'र' तथा 'ज' का 'ज' के समान होता है।
4. यह बांग्ला की अपेक्षा अधिक संयोगात्मक है।
5. असमी में दो लिंग और दो वचन होते हैं।

उड़िया

वर्तमान उड़ीसा की भाषा उड़िया कहलाती है। उड़ीसा का प्राचीन नाम 'कलिंग' तथा 'उत्कल' भी मिलता है। इसलिए इस भाषा को उड़िया, ओड़ी या उत्कली भी कहते हैं। तमिल 'ओड़' शब्द (कृषि करना) के नाम पर हिंदी ओड़ एवं सा मिलकर ओड़िसा पड़ा, इसलिए कुछ विद्वान उड़ीसा के स्थान पर ओड़िसा ही कहते हैं। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। किंतु कुछ विद्वानों ने ओड़ और उत्कली अपभ्रंश की कल्पना करके उड़िया के विकास को माना है। उड़िया का असमी के समान बांग्ला से घनिष्ठ संबंध है। बहुत समय तक इस प्रदेश पर तैलंगों तथा मराठों का शासन रहा है इसलिए इस भाषा में तेलुगु और मराठी के शब्दों की भी काफी संख्या मिलती है। ग्यारहवीं शताब्दी के अनंत वर्मा उरजम के शिलालेखों में उड़िया का प्रारंभिक रूप मिलता है।

उड़िया में प्राचीन कृष्ण साहित्य प्राप्त है। प्राचीन कवियों में उपेंद्र भंज, सरलदास, दीन कृष्ण, गोपाल कृष्ण आदि का नाम उल्लेखनीय है। राधानाथ झा, मधुसूदन, फकीर मोहन, रघुनाथ राय, गंगाधर, गोपालचंद्र, गोपबन्धु दास, कुंतल कुमारी देवा आदि आधुनिक युग के प्रमुख साहित्यकार हैं।

विशेषताएं

1. अधिकांश ध्वन्यात्मक विशेषताएं बांग्ला से मिलती-जुलती हैं।

टिप्पणी

2. 'ऋ' के स्थान पर 'रू'; 'श' 'ष' के स्थान पर 'स' हो जाता है।
3. इसमें भी दो वचन और दो लिंग हैं। व्याकरणगत लिंग नहीं हैं, केवल स्वाभाविक लिंग हैं।
4. 'न' का विभिन्न रूपों में परसर्गों के लिए प्रयोग किया जाता है।

गुजराती

यह गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात के अतिरिक्त इस भाषा के बोलने वालों की संख्या मुम्बई नगर में भी काफी है। इसकी उत्तरी सीमा पर सिंधी और मारवाड़ी, दक्षिणी सीमा पर मराठी तथा पूर्वी सीमा पर भीली, जयपुरी और खानदेशी भाषाएं बोली जाती हैं। इसका संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। किंतु कुछ विद्वानों ने इसका उद्भव गुर्जर से भी माना है। राजस्थानी और इसकी समानता देख कर कुछ विद्वानों का विचार है कि प्रारंभ में पश्चिमी राजस्थानी एवं गुजराती एक ही भाषा थी। लगभग पंद्रहवीं अथवा सोलहवीं शताब्दी में ये दो भागों में विभक्त हो गईं- गुजराती और मारवाड़ी। इसकी क्षेत्रीय बोलियां कम ही हैं। इन बोलियों में सबसे महत्वपूर्ण 'काठियावाड़ी' है। गुजराती भाषा की लिपि 'कैथी' से मिलती-जुलती है। यह देवनागरी लिपि के अति निकट है। इस भाषा का साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। प्राचीन कवियों में नरसी मेहता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक काल के साहित्यकारों में श्री गोवर्धन राम त्रिपाठी (सरस्वती चंद्र) क. मा. मुंशी, रमणलाल देसाई, धूमकेतु आदि का स्थान महत्वपूर्ण है।

विशेषताएं

- (1) 'द्वित्व' व्यंजन का सरलीकरण द्वित्व को समाप्त कर प्रथम स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है।
- (2) 'क' 'ख' 'ग' के स्थान पर क्रमशः 'च' 'छ' 'ज' हो जाता है।
- (3) 'स' का 'ह' और 'ह' का 'अ' हो जाता है।
- (4) दंत्य और मूर्धन्य व्यंजन परस्पर परिवर्तित होते हैं।
- (5) इनमें दो वचन और तीन लिंग पाए जाते हैं। ऊकारांत नपुंसक लिंग उभयलिङ्गी होता है।

पंजाबी

यह भारतीय पंजाब की भाषा है। हरियाणा प्रांत के अलग हो जाने के पश्चात अब यह पूरे भारतीय पंजाब की भाषा है। 'पंजाब' शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ है: पांच नदियों का प्रदेश। महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल के पश्चात इस भाषा ने आश्चर्यजनक उन्नति की है। इसकी उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डॉ. उदयनारायण तिवारी के अनुसार, पंजाबी की उत्पत्ति 'टक्क' अपभ्रंश से हुई तथा इस पर शौरसेनी का पर्याप्त प्रभाव है। डॉ. धीरेंद्र वर्मा एवं डॉ. भोलानाथ तिवारी ने इसका विकास पैशाची या कैकय अपभ्रंश से माना है। मूलतः इसे शौरसेनी से प्रभावित पैशाची अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। प्रारंभ में इसकी अपनी लिपि थी। जिसका नाम 'लंडा' था। बाद में गुरु अंगद देव ने देवनागरी की सहायता से इस लिपि में सुधार किया और उस लिपि को गुरुमुखी नाम दिया। आजकल यही लिपि प्रचलित है।

टिप्पणी

इसकी चार प्रमुख बोलियां हैं-

- (1) पौवाधी (पंजाबी के पूर्वी क्षेत्र की बोली।)
- (2) मालवाई (पटियाला और उसके आसपास की बोली।)
- (3) डोगरी (जम्मू-कांगड़ा की : इसकी लिपि टक्करी है।)
- (4) माझी (लाहौर-अमृतसर की। यही आज साहित्यिक भाषा है।)

इस भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में भाई वीरसिंह, धनीराम चात्रिक, अमृता प्रीतम, पूरन सिंह, बेलवंत सिंह आदि का महत्वपूर्ण स्थान है।

विशेषताएं

- (1) पंजाबी में सघोष महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण अल्पप्राण के साथ 'ह' मिले हुए के समान होता है। डॉ. चटर्जी के अनुसार पंजाबी में 'ह' का उच्चारण भी सघोषवत् न होकर विसर्गवत् होता है।
- (2) इसमें यद्यपि 'ल' ध्वनि लिखी नहीं जाती, फिर भी बोलने में इसका प्रयोग होता है।
- (3) इसमें स्वर भक्ति की अधिकता है।
- (4) 'न' और 'ण' का अंतर स्पष्ट नहीं है।

बांग्ला

यह बांग्ला की भाषा है। पश्चिमी बांग्ला भारत में है। पूर्वी बांग्ला पहले पाकिस्तान में था किंतु अब वह बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश है। बांग्ला शब्द बांग्ला के प्राचीन नाम 'बंग' से बना है। इसकी दो प्रमुख बोलियां हैं। एक बांग्लादेश में बोली जाती है और दूसरी पश्चिम बांग्ला में। प्रथम का केंद्र ढाका है और दूसरी का कोलकाता है। इसका साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। कवि रवींद्र नाथ ठाकुर इसी भाषा के कवि हैं, जिन्हें 'गीतांजलि' पर नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख साहित्यकार हैं बंकिमचंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, जितेंद्र लाल राय, शरतचंद्र, विभूति भूषण, ताराशंकर, बनफूल, परशुराम, नजरूल इस्लाम, विमल मित्र, शंकर आदि। साहित्यिक भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस साहित्य पर संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य का भी पर्याप्त प्रभाव है। हिंदी साहित्य को बांग्ला साहित्य ने विशेष रूप से प्रभावित किया है।

इसका विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। कुछ विद्वानों ने गौड़ी अपभ्रंश से इसका विकास माना है। ढक्की अपभ्रंश का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। बांग्ला भाषा पर डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी का कार्य अत्यंत उच्चकोटि का माना जाता है।

विशेषताएं

- (1) इसमें 'अ' का उच्चारण ह्रस्व 'ओ' की तरह होता है। 'ऐ' और 'औ' का उच्चारण 'ओइ' और 'आए' होता है।

टिप्पणी

- (2) इसमें 'य' का 'ज', 'व' का 'ब', 'ण' का 'न', 'ष', 'स' का 'न', हो जाता है। इसमें विशेषण और क्रियाएं लिंगानुसार बदलती हैं।
- (3) निर्जीव पदार्थों में व्याकरणिक लिंग भेद नहीं होता।
- (4) वचन दो ही हैं।

मराठी

महाराष्ट्र की भाषा है। इसका नामकरण 'महाराष्ट्री' अथवा 'माहाराष्ट्री' अथवा 'माहाराष्ट्री' के आधार पर हुआ है। इसका विकास महाराष्ट्री प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है। डॉ. तगारे के अनुसार दक्षिणी अपभ्रंश से, जिसमें पुष्पदंत और मुनि कनकामर ने अपनी रचनाएं की हैं, महाराष्ट्री भाषा का विकास हुआ। किंतु आज यह सिद्धांत अमान्य हो चुका है। आज लगभग सभी विद्वान इस विषय में एकमत हैं कि इसका उद्भव महाराष्ट्री में प्रचलित किसी अपभ्रंश बोली से हुआ होगा, जिसका आज कोई नमूना उपलब्ध नहीं है। इस पर वैदर्भी अपभ्रंश का भी प्रभाव है।

इसकी चार प्रमुख बोलियां हैं-

- (1) खड़ीबोली मराठी, आज यही साहित्यिक भाषा है।
- (2) बरारी (वैदर्भी)।
- (3) कोंकणी : इस पर द्रविड़ प्रभाव बहुत अधिक है। कुछ विद्वानों ने इस पर यह विचार प्रकट किया है कि यह स्वतंत्र भाषा है।
- (4) हल्बी यह हिंदी से बहुत प्रभावित है।

मराठी का साहित्य प्राचीन है। इसके ताम्रपत्र और शिलालेख 923 ई. से उपलब्ध हैं। प्राचीन कवियों में संत ज्ञानेश्वर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त एकनाथ, तुकाराम, समर्थ रामदास, मोरोपंत खांडेकर, तिलक, ना. सी. फडके, साने गुरु, सावरकर, हरिनारायण आपटे, पु. न. भावे आदि। इसकी लिपि देवनागरी ही है। जिसे 'बाल बोध' कहते हैं। इसके अतिरिक्त 'मोड़ी' लिपि का भी प्रचलन है।

विशेषताएं

- (1) 'ऋ' का उच्चारण 'रू', 'न' के स्थान पर 'ण', 'स' के स्थान पर 'श' और 'र' के स्थान पर 'ल' पाया जाता है।
- (2) 'ड' और 'ड़', 'व' और 'ब' में स्पष्ट अंतर है।
- (3) इसमें दो वचन और तीन लिंग हैं।

सिंधी

'सिंध' शब्द का संबंध संस्कृत शब्द 'सिंधु' नदी के नाम से जोड़ा जाता है किंतु डॉ. भोलानाथ तिवारी का मत इससे भिन्न है। उनके अनुसार 'मूल' शब्द संभवतः संस्कृत न होकर द्रविड़ 'सिद्' या 'सित्' है और 'सिंधु' उसी का संस्कृतीकृत रूप है। आगे चल कर 'सिंधु' का विकास 'सिंध' रूप में हुआ और यह उक्त नदी की तटवर्ती भूमि के लिए प्रयुक्त होने लगा।

टिप्पणी

यह सिंध प्रदेश की भाषा है, जो कि अब पाकिस्तान में है। किंतु भारत विभाजन के पश्चात इस भाषा को बोलने वाले अधिकांश हिंदू भारत में आ गए हैं, जो भारत के विभिन्न प्रांतों में यत्र-तत्र बिखर गए हैं। अब इसे संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाओं की सूची में भी स्थान प्राप्त हो चुका है। इस भाषा की चार बोलियां प्रमुख हैं-

- (1) सिरा (शिरोभाग) में बोली जाने वाली सिराकी।
- (2) लाड़ या लाट (नीचे के प्रदेश में बोली जाने वाली)
- (3) बिचोली जो दोनों के बीच में बोली जाती है। यही आज सिंध की सामान्य एवं साहित्यिक भाषा है।
- (4) कच्छी-यह गुजराती से अधिक प्रभावित है। कुछ लोगों ने इसे गुजराती सिंधी मिश्रित एक अलग भाषा भी माना है। किंतु वास्तव में यह सिंधी की एक बोली ही है। पहले सिंधी देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी किंतु सन् 1853 से इसकी अपनी लिपि प्रचलित है जो अरबी लिपि के आधार पर बनी है। आजकल इसे देवनागरी लिपि में लिखी जाने का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। इसमें साहित्य कम ही मिलता है किंतु इधर इस पर और कुछ ध्यान दिया जा रहा है। सिंधी सूफियों के दोहे प्रसिद्ध हैं। शाह लतीफ का 'रिसाला' लोकप्रिय काव्य है।

विशेषताएं

- (1) सिंधी के शब्द स्वरांत होते हैं। व्यंजन-ध्वनियों में ग, ज, ड, ब, अतिरिक्त और विशिष्ट ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण, स्वर तंत्रियों का कपाट संवार कर एक विशेष प्रकार से किया जाता है। 'द' के स्थान पर 'ड' का उच्चारण पाया जाता है जैसे दस, दश, डह। स को ह का आदेश भी इस भाषा की अपनी विशेषता है पदांत 'अ' का उच्चारण स्पष्ट रूप से पाया जाता है।
- (2) इसमें दो लिंग और दो ही वचन हैं।

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण

हार्नले का वर्गीकरण

आर्यभाषा के नवीनतम रूप या आधुनिक काल की भाषा को 'आधुनिक आर्य भाषा' या आधुनिक नव्य भारतीय भाषा की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसके अंतर्गत वे भाषाएं आती हैं जो अपभ्रंश के विविध रूपों से निकली हैं। इनका काल 1000 ई. से लेकर अद्यतन है।

इसके वर्गीकरण की समस्या को हार्नले, वेबर, ग्रियर्सन, चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि ने चिंतन का विषय बनाया तथा समाधान किया।

सर्वप्रथम हार्नले ने आर्यों के आगमन के आधार पर भाषा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भारत में आर्यों की दो शाखाएं आईं। पहली शाखा ईरान और काबुल से होती हुई सिंधु पार करके पंजाब में जा बसी। कुछ दिन बाद दूसरी शाखा ने हमला किया। फलस्वरूप पूर्वागत शाखा अपना पूर्व स्थान छोड़कर पश्चिमी पंजाब, सिंधु, बिहार, उड़ीसा,



बंगाल और असम तक फैल गई। नवागत शाखा पूर्वी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान नेपाल आदि में बस गई। इस प्रकार नवागत आर्य भीतरी कहे जा सकते हैं और पूर्वागत आर्य बाहरी।

डॉ. हार्नली ने मध्यप्रदेश या भीतरी आर्य प्रदेश की भाषाओं को एक वर्ग में तथा उसके आसपास की भाषाओं को दूसरे वर्ग में रखते हुए आधुनिक आर्य भाषाओं की अपनी पुस्तक Comparative Grammar of Gaudian Languages में चार वर्गों में रखा है-

- क. पूर्वी गौड़ियन : पूर्वी हिंदी (बिहारी), बांग्ला, असमी, उड़िया।
- ख. पश्चिमी गौड़ियन : पश्चिमी हिंदी (राजस्थानी), गुजराती, सिंधी पंजाबी।
- ग. उत्तरी गौड़ियन : गढ़वाली, नेपाली आदि पहाड़ी भाषाएं।
- घ. दक्षिणी गौड़ियन : मराठी।

ग्रियर्सन का वर्गीकरण

डॉ. जार्ज ग्रियर्सन ने उपर्युक्त मत के समर्थन में अनेक तर्क एवं प्रमाण देते हुए भीतरी (अंतरंग) और बाहरी (बहिरंग) भाषा वर्गों के अतिरिक्त एक मध्यवर्ती वर्ग को स्वीकार किया एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को तीन उपशाखाओं, छह समुदायों तथा सत्रह भाषाओं में विभाजित किया है जिसे आगे दी जा रही तालिका से समझा जा सकता है। उन्होंने अपना यह प्रथम वर्गीकरण Linguistic Survey of India भाग एक तथा Bulletin of the school of Oriental Studies, London Institution, Volume, I part III 1920 AD में प्रस्तुत किया है।



इस वर्गीकरण को मान्यता देते हुए डॉ. ग्रियर्सन ने निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए हैं-

1. प्रत्येक उप शाखा के उच्चारण दूसरे से भिन्न हैं- जैसे अंतरंग शाखाओं के दंत्य 'स' का उच्चारण बहिरंग में 'श' हो जाता है। पश्चिमोत्तरी वर्ग की सिंधी भाषा में 'स' 'ह' बन जाता है जैसे 'कोस' का 'कोह'।
2. अंतरंग भाषाएं वियोगावस्था में हैं जबकि बहिरंग की भाषाओं ने संयोगावस्था प्राप्त कर ली है। उदाहरणार्थ हिंदी का संबंध कारक का, के, की लगाकर बनाया जाता है जिन्हें संज्ञा से पृथक ही समझा जाता है। जैसे घोड़े का में 'का' प्रत्यय अलग है। यही कारक बंगाली में जो बहिरंग उपशाखा की भाषा है संज्ञा में 'र' लगाकर बनता है और यह चिह्न संज्ञा का एक भाग हो जाता है। जैसे घोड़ार में 'र' साथ मिला है।
3. बहिरंग भाषाओं में भूतकालिक क्रियाओं के साधारण रूपों से ही अनेक कर्ताओं का पुरुष और वचन माना जा सकता है, क्योंकि भूतकालिक क्रिया का रूप कर्ता पुरुष के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे मराठी में गेलो (मैं गया) और गेला (वह गया), बंगाल का 'भरिलाए' शब्द भी उसके कर्ता के उत्तम पुरुष होने की सूचना देता है किंतु अंतरंग भाषाओं में भूतकालिक क्रियाएं सभी पुरुषों में एक रहती हैं। जैसे हिंदी में मैं गया, वह गया, तू गया - सभी में 'गया' समान है।
4. बहिरंग भाषाओं की भूतकालिक क्रियाओं में सर्वनाम भी उनकी क्रियाओं में ही अंतर्भूत रहता है, जबकि अंतरंग भाषाओं में सर्वनाम अपना रूप बनाए रखता है।
5. बहिरंग शाखा की भाषाओं के शब्दों तथा धातुओं में भी साम्य है, किंतु अंतरंग में ऐसा नहीं है।

डॉ. ग्रियर्सन के मत का खंडन

एशिया के प्रतिष्ठित भाषा वैज्ञानिक डॉ. सुनीतकुमार चटर्जी ग्रियर्सन साहब के वर्गीकरण से सहमत नहीं हो सके। उन्होंने उनके वर्गीकरण का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया और ग्रियर्सन के तर्कों को बड़े युक्तियुक्त ढंग से खंडित किया है। जैसे-

1. परिवर्तन का नियम सर्वमान्य नहीं हो सकता, 'स' संबंधी परिवर्तन सभी भाषाओं में नहीं होता है। सिंधी तथा लहंदा में 'स' का 'ह' मराठी, बांग्ला आदि में 'श' हो जाता है। इसके अतिरिक्त 'स' का 'ह' और 'श' का होना अंतरंग में भी पाया जाता है। जैसे- कोस-कोह, पश्चिमी हिंदी में, केशरी-केसरी, तस्य-तस्स, ताह, एकादश-ग्यारह, द्वादश-बारह इत्यादि।
2. महाप्राण-अल्पप्राण का अभेद होना, यह गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी आदि अंतरंग भाषाओं में भी पाया जाता है। जैसे- भगिनी से बहिन, वेष से भेस, भवभूति से भभूति, वाष्य से भाप इत्यादि।
3. 'इव' का 'म' तथा 'ब' हो जाना अंतरंग में पाया जाता है। जैसे पश्चिमी हिंदी में जंबु का जामुन, निंब का नीम, अंबी का अमिया, निंबू का नींबू इत्यादि। इसी प्रकार 'इ' तथा 'उ' खुलना बिंदु का बूंद इत्यादि।
4. विभक्ति प्रधान शब्द बहिरंग में ही नहीं अंतरंग में भी पाए जाते हैं। जैसे- ब्रज में मैं (मैंने), तैं (तूने), भूखों (भूख से) इत्यादि।
5. कर्ता में पुरुष तथा वचन का बोध बहिरंग भाषाओं की भूतकालिक क्रियाओं में नहीं होता, केवल अकर्मक क्रियाओं के भूतकाल से होता है। सकर्मक क्रियाओं में दोनों में बहुत अंतर है। सभी पूर्वी कर्तृप्रधान और पश्चिमी कर्म प्रधान है। अतः सकर्मक भूतकालिक क्रियाओं से कर्ताओं के पुरुष और वचन का बोध केवल पूर्वी बहिरंग भाषाओं में हो सकता है। पश्चिमी में नहीं। उधर पूर्वी हिंदी में भी ऐसा ही होता है।
6. भूतकालिक क्रियाओं में सर्वनाम का अंतर्भुक्त होना सब बहिरंग भाषाओं तथा क्रियाओं में नहीं पाया जाता है।
7. सभी धातु शब्द अंतरंग और बहिरंग के समान नहीं हैं।
8. आर्यों का भारत में दोबारा आना भी मान्य नहीं रहा, पर यह कहा जा सकता है, क्योंकि इसके विपरीत आर्यों का सप्त सिंधु में पहले से ही निवास करना प्रमाणित हो चला है। ऐसी अवस्था में आर्यों का न तो पूर्वागमन माना जा सकता है और न पश्चगमन ही। फिर उस आधार पर उनकी भाषाओं का अंतरंग और बहिरंग विभाजन भी उचित नहीं कहा जा सकता।
9. मध्यप्रदेश की भाषा सदैव से राष्ट्रभाषा अथवा सर्वप्रथम भाषा रही है। अतएव इस दृष्टि से पश्चिमी हिंदी को अन्य भाषाओं के साथ रखना अनुचित है। यदि वर्गीकरण किया ही जाए तो पश्चिमी हिंदी को केंद्रीय भाषा मानकर किया जाना चाहिए।

अतः डॉ. चटर्जी ने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है :

1. उदीच्य : सिंधी, लहंदा, पंजाबी
2. प्रतीच्य : गुजराती, राजस्थानी

3. मध्यदेशीय : पश्चिमी हिंदी

4. प्राच्य : पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमी, बंगाली

5. दाक्षिणात्य : मराठी।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि डॉ. चटर्जी ने कश्मीरी तथा पहाड़ी भाषाओं को आर्य भाषाओं से पृथक वर्ग में रखा है। चटर्जी महोदय के वर्गीकरण के आधार पर डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने भी एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है :

1. उदीच्य : सिंधी, लहंदा, पंजाबी
2. प्रतीच्य : गुजराती
3. मध्यदेशीय : राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी
4. प्राच्य : खड़िया, असमी, बंगाली
5. दाक्षिणात्य : मराठी।


डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपना एक वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है-

1. मध्यवर्ती- पूर्वी और पश्चिमी हिंदी
2. पूर्वी- बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी
3. दक्षिणी- मराठी
4. पश्चिमी- सिंधी, गुजराती, राजस्थानी
5. उत्तरी- लहंदा, पंजाबी, पहाड़ी

4.4.2 हिंदी की प्रमुख बोलियां

हिंदी की बोलियों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं-

हिंदी की विविध बोलियां



(क) पश्चिमी हिंदी और उनकी बोलियां

पश्चिमी हिंदी की पांच मुख्य बोलियां हैं -1. खड़ी बोली, 2. बांगरू, 3. ब्रज, 4. कन्नौजी
5. बुंदेली।

● खड़ी बोली

दिल्ली और उसके पूर्व तथा उत्तर-पूर्व के समीपवर्ती जिलों की भाषा खड़ी बोली है। इस बोली को मुसलमान 'हिंदी' या 'हिंदवी' कहते थे। हिंदी के लिए 'खड़ी बोली' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लूलाल जी ने अपने 'प्रेम-सागर' की भूमिका में किया है। इसी का परिष्कृत रूप राष्ट्र-भाषा 'हिंदी' कहलाता है।

खड़ी बोली का क्षेत्र मुसलमान शासकों का भी गढ़ रहा है। अतः हिंदी की अन्य बोलियों की अपेक्षा खड़ी बोली में अरबी-फारसी के शब्दों की अधिकता है, जिनमें प्रायः अपने शुद्ध उच्चारण के साथ लिखने की प्रवृत्ति है। किंतु ग्रामीण खड़ी बोली में इन विदेशी शब्दों को ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ ग्रहण किया गया है। ग्रामीण खड़ी बोली तथा साहित्यिक खड़ी बोली में उच्चारण का और कहीं-कहीं रूपात्मकता का भी अंतर है। खड़ी बोली क्षेत्र में जाट जाति के लोगों की संख्या अधिक है, अतः बोलचाल की भाषा में जाटों के जातिगत गुण, पौरुष और कठोरता आ गई है। अंतिम व्यंजन को द्वित्व कर देने की प्रवृत्ति है। जैसे-गाड्डी (गाड़ी), भूक्खा (भूखा), देक्खा (देखा), रोट्टी (रोटी), 'ड' और 'ढ' स्थान पर उच्चारण में प्रायः 'ड' और 'ढ' ही रहता है— जैसे पड्ढा (पढ़ा), गाड्डी (गाड़ी)। 'न' के स्थान पर 'ण' की प्रवृत्ति है— जैसे- अपना (अपना), सुण्णा (सुनना)। तत्कालिक वर्तमान 'मार रहा हूँ', 'मार रहे हैं', के स्थान पर 'मारे हूँ', 'मारे हैं', हो जाता है।

● बांगरू

यह शब्द 'बांगर' से निकलता है जिसका अर्थ— ऊबड़-खाबड़ या ऊंची-नीची भूमि से है। दिल्ली के उत्तर-पश्चिम की भूमि इसी प्रकार की है। यह प्रदेश सतलुज-सिंधु तथा गंगा-यमुना के बीच की उच्च भूमि है। इसका प्राचीन नाम 'सारस्वत' देश था। हिसार जिले में 'हरियाणा' एक स्थान का नाम है, जिसके कारण इसको 'हरियानी' भी कहते हैं। यह दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र— रोहतक, करनाल, नाभा, पटियाला के पूर्वी भाग तथा हिसार जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। जाटों का प्रदेश होने के कारण इसे 'जाटू' भी कहते हैं। दिल्ली में चमड़े का काम करने वाले आस-पास के गांवों से आ गए हैं जो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अतः दिल्ली में यह 'चमरुवा' भी कहलाती है। ग्रामीण खड़ी बोली के समान ही बांगरू में पौरुष और कठोरता है।

साहित्यिक भाषा न होने से स्वरों का उच्चारण अस्थिर है। 'जवाब' और 'जुबाब' 'बहुत' और 'बौहत' समान रूप से बोले जाते हैं। 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग ग्रामीण खड़ी बोली से भी अधिक है। जैसे— होणा (होना), चल्लाणा (चलाना)। खड़ी बोली में केवल वत्सर्यल है किंतु बांगरू में 'ल' की मूर्धन्य ध्वनि 'ल' भी है, जैसे—काल। ग्रामीण खड़ी बोली के समान ही ड, ढ के स्थान पर ड, ढ पाया जाता है तथा द्वित्व की भी प्रवृत्ति अधिक है— जैसे राज्जी (राजी), भित्तर (भीतर)।

● ब्रजभाषा

ब्रजप्रदेश की ब्रजभाषा आदर्श ब्रजभाषा है। किंतु ब्रजभाषा का क्षेत्र विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, मैनपुरी, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, हरियाणा का गुड़गांव,

राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर तथा जयपुर का पूर्वी भाग, मध्यप्रदेश का ग्वालियर ब्रज भाषा-भाषी क्षेत्र हैं। इसकी क्षेत्रीय बोलियों का अंतर भूतकृदंत के रूपों पर यौ, यो, औ, ओ प्रत्ययों द्वारा ज्ञात हो जाता है, जैसे— चल्थो, चल्थौ, चलौ, चलो। शौरसेनी प्राकृत की वास्तविक प्रतिनिधि ब्रजभाषा ही है। खड़ी बोली पर पंजाबी का प्रभाव है।

खड़ी बोली के अकारांत शब्द ब्रजभाषा में आकारांत या ओकारांत हो जाते हैं, जैसे खड़ी बोली का 'भला' ब्रज में 'भलौ' या 'भलो', खड़ी बोली में 'का' ब्रज में 'को' या 'कौ', खड़ी बोली का 'करना' ब्रज 'करनो' या 'करनौ'। आकारांत संज्ञा शब्द ब्रज की कुछ बोलियों में, जिनका क्षेत्र खड़ी बोली के क्षेत्र से मिला हुआ है, आकारांत ही रहता है, जैसे— ढौटा।

बहुवचन का विकारी रूप खड़ी बोली में 'ओ' प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। इसके विपरीत ब्रजभाषा में 'न' प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे खड़ी बोली 'घोड़ों' ब्रज में 'घोड़न'। बहुवचन के प्रत्यय की दृष्टि से ब्रजभाषा अवधी से मिलती है।

कर्ताकारक में ब्रजभाषा में 'मैं' की अपेक्षा 'हैं' का प्रयोग अधिक होता है, जैसे— 'हैं' खड़ी बोली में 'हैं', किंतु सकर्मक क्रिया का कर्ता 'मैं' ही होता है। जिस पर खड़ी बोली के समान 'ने' परसर्ग लगाया जाता है, जैसे— मैंने आम खायी। अन्य सर्वनाम खड़ी बोली के समान हैं, 'ने' केवल ध्वनि विकार उत्पन्न हो गया है; जैसे वह 'बुह', यह 'इह' हो जाता है। खड़ी बोली के परसर्ग ब्रजभाषा में 'नै', को 'कू', कौ, कै, से, सों, सू, तों, ते का कौ, को में पर पै रूपों में पाए जाते हैं।

ब्रजभाषा में भविष्य काल के लिए, खड़ी बोली के समान, क्रिया के साथ गा, गे, गी, प्रत्यय भी लगते हैं और कन्नौजी के समान सीधा संस्कृत के भविष्यत रूपों से विकसित रूपों में भी प्रयोग में आते हैं। जैसे संस्कृत 'चलिष्यति', ब्रज— 'चलिस्सति', या 'चलिहई', ब्रज— 'चलिहै'।

सहायक क्रिया में भी अंतर पाया जाता है। खड़ी बोली के 'था, थे, थी' ब्रज में प्रायः 'हो, हे, ही' हो जाते हैं। 'हुआ' के स्थान पर 'भयौ' और 'हुई' के स्थान पर 'भई' का प्रयोग होता है। पालि और प्राकृत में संस्कृत-भू धातु के 'भू' और 'हू' दोनों शब्द पाए जाते हैं। भूतकृदंत के लिए खड़ी बोली ने 'हू' को और ब्रज ने 'भू' को अपनाया है।

खड़ी बोली में पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु के साथ 'कर' प्रत्यय लगाया जाता है। किंतु ब्रजभाषा में धातु के साथ 'इ' प्रत्यय लगाकर पुनः उसके साथ 'करि' या 'कै' लगाया जाता है। या कभी बिना 'करि' या 'कै' के भी काम चल जाता है— जैसे— खड़ी बोली में 'चलकर', ब्रज में चलि, चलिकरि।

● कन्नौजी

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कन्नौज एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। यह शब्द 'कान्यकुब्ज' का तद्भव रूप है। कन्नौजी 'कन्नौज' शब्द से बना है, कन्नौजी का उद्भव शौरसेनी प्राकृत की एक शाखा पांचाली अपभ्रंश से माना जाता है। कुछ लोग इसे ब्रज की ही एक बोली मानते हैं। यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई के पश्चिमी भाग तथा कानपुर जिलों में बोली जाती है। इसमें और ब्रज में बहुत कम अंतर होने के कारण कन्नौजी का साहित्य ब्रजभाषा के अंतर्गत ही गिना जाता है।

टिप्पणी

जो शब्द खड़ी बोली में 'आ' से समाप्त होते हैं, वे ब्रज में 'औ' या 'यौ' से और कन्नौजी में ओकारांत हो जाते हैं। खड़ी बोली का 'चला' ब्रज में 'चल्यौ' तथा कन्नौजी में 'चलो' हो जाता है।

कन्नौजी में अकारांत शब्दों को उकारांत करने की प्रवृत्ति ब्रज से अधिक है; जैसे-मालू, बांटु, चलतु, खातु, धारू। भूतकालिक सहायक तथा स्थिति सूचक क्रिया 'था, थे, थी' के स्थान पर 'हतो, हते, हती' का प्रयोग होता है।

• बुंदेली

बुंदेलखंड की बोली बुंदेली है। बुंदेला राजपूतों के कारण इस भूखंड का नाम बुंदेल खंड पड़ा। किंतु वर्तमान काल में बुंदेली का क्षेत्र विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, झांसी जिलों तथा मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिलों में यह अपने मूल रूप में बोली जाती है। दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट, छिन्दवाड़ा आदि स्थानों पर इसका मिश्रित रूप मिलता है।

इसके उत्तर-पूर्व तथा पूर्व में कोसली, दक्षिण में मराठी, पश्चिम में राजस्थानी तथा उत्तर में ब्रजभाषा बोली जाती है। बुंदेली साहित्य को भी ब्रज के ही अंतर्गत गिना जाता है, क्योंकि बुंदेली को भी कन्नौजी के समान ब्रज की ही एक बोली माना जाता है। बुंदेली कवियों ने क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग बहुत किया है, जिनका प्रयोग सामान्यतः साहित्य भाषा में नहीं होता। केशवदास की रचनाओं में इस प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। बुंदेली की कई उपबोलियां भी हैं, जैसे-राठौरी, लौघंती, बनाफरी आदि। ब्रज के 'ए' और 'औ' बुंदेली में 'ए' और 'ओ' हो जाते हैं, जैसे, और-ओर, जैसा-जेसों।

कन्नौजी के ही समान खड़ी बोली के अकारांत शब्द बुंदेली में ओकारांत हो जाते हैं, जैसे-घोड़ा - घोरो। गया - गयो। खड़ी बोली का 'ड़' बुंदेली में 'र' में परिणत हो जाता है। 'वह', 'वो' जैसे सर्वनाम प्रायः खड़ी बोली के समान होते हैं। किंतु खड़ी बोली के परसर्ग बुंदेली में- को - कों या खों, से-सें, सों, में-में, रूपों में पाए जाते हैं। भविष्यत काल के रूप खड़ी बोलियों के समान गा, गे, गी लगाकर ब्रज के समान हो, है, हैं से भी समाप्त होते हैं।

(ख) पूर्वी हिंदी और उनकी बोलियां

जिस तरह पश्चिमी हिंदी की जननी शौरसेनी- प्राकृत है, उसी तरह पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्द्धमागधी से है। यह उस प्रदेश की भाषा है, जहां प्राचीन काल में कोसल जनपद था। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी ही हिंदी कहलाने की अधिकारिणी है, क्योंकि मूलतः 'हिंदी' शब्द इसी के लिए प्रयुक्त होता रहा है।

डॉ. चटर्जी ने पूर्वी हिंदी को प्राच्य भाषाओं के साथ रखा है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 'कोसली' को पूर्वी हिंदी इसलिए कहा है कि पश्चिमी और पूर्वी हिंदी का क्षेत्र, विशेषतः अवधी का क्षेत्र सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से एक ही रहा। सूर का 'सूर सागर' और 'तुलसी' का 'रामचरितमानस' क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के होते हुए भी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में समान रूप से मान्य ग्रंथ हैं। गत शताब्दी तक ब्रजभाषा तो पंजाब से लेकर काशी तक की साहित्यिक भाषा हो गई थी। अतः पूर्वी और पश्चिमी-हिंदी इसी कारण समीप आ

टिप्पणी

गई हैं। इनका तात्विक अंतर पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। पूर्वी हिंदी की तीन प्रमुख बोलियां हैं, जैसे- अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी।

• अवधी

अवध प्रांत के आधार पर इसका नामकरण हुआ। प्राचीन काल में इसका केंद्र अयोध्या नगर था, किंतु अब लखनऊ अवधी का केंद्र है क्योंकि अवधी का क्षेत्र कुछ पश्चिम को हट गया है। गंगा के दक्षिण में भी यह फतेहपुर, इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर जिलों में बोली जाती है। अवधी के बोलने वालों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। अवधी के पश्चिमी भाग उन्नाव, फतेहपुर आदि जिलों में इसे 'बैसवाड़ी' भी कहते हैं। बैसवाड़ी मूल अवधी से कुछ कर्णकटु है।

अवधि के साहित्य को प्रेमाख्यानकार जायसी आदि तथा 'श्री रामचरितमानस' के रचयिता तुलसी द्वारा अमरत्व प्रदान किया गया है। पूर्वी हिंदी बोलियों के समूह की प्रमुख भाषा अवधी है। यह पूर्वी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। ब्रजभाषा के उपरांत जिस प्राचीन भाषा को साहित्यिक भाषा का गौरव प्राप्त हुआ, वह अवधी है। अवधी में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य एवं पुराण काव्य 'रामचरितमानस' की रचना की है। कुछ विद्वान इसे कौशली एवं बैसवाड़ी बोली भी कहते हैं।

• बघेली

यह बघेलखंड की भाषा है, जिसका नामकरण बघेले राजपूतों के कारण हुआ। रीवा बघेलखंड का केंद्र है। यह पश्चिमी बांदा तथा मध्यप्रदेश के दमोह, जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट जिलों में भी बोली जाती है। कुछ विद्वान इसे अवधी की ही एक बोली मानते हैं।

• छत्तीसगढ़ी

यह छत्तीसगढ़ की बोली है, किंतु कुछ भागों में इसे खलोटी और लरिया भी कहा जाता है। यह जबलपुर से लेकर छोटा नागपुर तक और उत्तर में रीवा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक बोली जाती है। इसकी कई क्षेत्रीय बोलियां हैं, क्योंकि यह उत्तर में अवधी, पूर्व में मुंडा और उड़िया, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में मराठी और पश्चिम में बघेली और बुंदेली से घिरी हुई है। इसमें साहित्य का प्रायः अभाव है।

(ग) बिहारी हिंदी और उनकी बोलियां

• भोजपुरी

भोजपुरी मुख्य रूप से पश्चिम बिहार, पूर्वी-उत्तर प्रदेश और झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। आधिकारिक और व्यावहारिक रूप से भोजपुरी हिंदी की एक उपभाषा या बोली है। भोजपुरी अपनी शब्दावली के लिए मुख्यतः संस्कृत एवं हिंदी पर निर्भर है। कुछ शब्द इसने उर्दू से भी ग्रहण किये हैं। भारत के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 3.3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। पूरे विश्व में भोजपुरी जानने वालों की संख्या लगभग 5 करोड़ है।

टिप्पणी

डॉ. ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं को अंतरंग और बहिरंग इन दो श्रेणियों में विभक्त किया है जिसमें बहिरंग के अंतर्गत उन्होंने तीन प्रधान शाखाएं स्वीकार की हैं-

1. उत्तर पश्चिमी शाखा
2. दक्षिणी शाखा
3. पूर्वी शाखा।

इस अंतिम शाखा के अंतर्गत उड़िया, असमी, बांग्ला और पुरबिया भाषाओं की गणना की जाती है। पुरबिया भाषाओं में मैथिली, मगही और भोजपुरी- ये तीनों बोलियां मानी जाती हैं। क्षेत्र विस्तार और भाषा-भाषियों की संख्या के आधार पर भोजपुरी अपनी बहनों मैथिली और मगही में सबसे बड़ी है।

● मगही या मागधी

यह भाषा भारत के मध्य-पूर्व में बोली जाने वाली एक मुख्य भाषा है। इसका निकट का संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है और अक्सर ये भाषाएं एक ही साथ बिहारी भाषा के रूप में रख दी जाती हैं। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मगही बोलने वालों की संख्या (2002) लगभग 1 करोड़ 30 लाख है। मुख्य रूप से यह बिहार के गया, पटना, राजगीर और नालंदा के इलाकों में बोली जाती है।

● मैथिली

हिंदी प्रदेश की उपभाषा 'बिहारी' की एक बोली है। 'मैथिली' नाम उस क्षेत्र के नाम 'मिथिला' से संबद्ध है। 'मिथिला' शब्द भारतीय साहित्य में बहुत पहले से है। मैथिली मुख्य रूप से भारत में बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों तथा नेपाल के तराई के इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। यह प्राचीन भाषा हिंदी आर्य परिवार की सदस्य है और भाषाई तौर पर हिंदी (जिससे इसकी लगभग 65 प्रतिशत शब्दावली आती है), बांग्ला, असमिया, उड़िया और नेपाली से इसका काफी निकट का संबंध है।

(घ) राजस्थानी हिंदी और उनकी बोलियां

राजस्थान प्रांत में बोली जाने वाली भाषा को राजस्थानी कहते हैं। इसे अपभ्रंश की 'जेठी बेंटी' की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अपभ्रंश की जितनी अधिक विशेषताएं राजस्थानी में हैं उतनी अन्य किसी आधुनिक बोली में नहीं। इसका संबंध एक ओर ब्रजभाषा और बुंदेली से और दूसरी ओर गुजराती से निश्चित होता है। आज इसका नाम 'राजस्थानी' है किंतु पहले इसे मारू सोरठ या मारू भाषा तथा डिंगल कहा जाता था। इसका उद्भव कुछ विद्वान शौरसेनी से और कुछ गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या 2, 57, 24, 144 है।

भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश में एकरूपता नहीं मिलती। कहीं रेतीले मैदान हैं (जैसे जैसलमेर और बीकानेर) तो कहीं पहाड़ी प्रदेश (जैसे उदयपुर) मालवा का हरा-भरा इलाका और अजमेर की घाटियां भी इसी प्रदेश में हैं। इसी कारण से यहां अनेक बोलियां और उपबोलियां मिलती हैं। इनकी उपबोलियों की संख्या 30 के लगभग है। इसमें निम्न बोलियां प्रमुख हैं-

टिप्पणी

● मारवाड़ी

शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। इसकी लगभग 12 उपबोलियां हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। बोलने वाले लगभग 78 लाख हैं। यही प्राचीन डिंगल का विकसित रूप है। इसमें चंद दुरसाजी, मुरारीदान, पृथ्वीराज, सूर्यमल्ल, मोरा, दादू, चरणदास-हरिदास, गद्य साहित्य में बचनिकाओं, प्रसिद्धियों या यश गाथाओं की अपनी विमल परंपरा प्राप्त होती है। यही आज के राजस्थान की आदर्श बोली है।

विशेषताएं- इसमें दो क्लिक ध्वनियां हैं - घृ, स।

घृ का उच्चारण द-धा के बीच में होता है - धावो (पशु)

स का स-ह के बीच में - जास्यो

स < श में उच्चारित

● मालवी

मालवा की बोली मालवी है। इसके अंतर्गत पश्चिम में प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, गुना, झालावाड़, टोंक तथा चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग आते हैं। शुद्ध मालवी उज्जैन, इंदौर और देवास में बोली जाती है। लगभग 65 लाख लोग इसे बोलते हैं।

इसकी स्थिति बुंदेली और मारवाड़ी के बीच की है।

ड़ > ड

ऐ > ए

औ झ ओ

● जयपुरी

इसको दूंडाड़ी भी कहते हैं। इसको पश्चिमी सीमा पर दूंडा या पाया गया है, जहां किसी युग में बड़े-बड़े यज्ञ हुए थे। इसी दूंडाड़ से इसका नाम पड़ा। इसको जंगली बोली भी कहा गया है। इसे बोलने वालों की संख्या 40 लाख के लगभग है। जयपुर नगर के 50 मील के क्षेत्र में इसे बोला जाता है।

● मेवाती

मेओ जाति के नाम पर क्षेत्र का नाम मेवात और बोली का नाम मेवाती पड़ा है। इस पर अब जयपुरी का प्रभाव अधिकाधिक पड़ता जा रहा है।

(ङ) पहाड़ी हिंदी और उनकी बोलियां

शौर सेनी अपभ्रंश से विकसित पहाड़ी भाषा हिमाचल प्रदेश के भद्रावह के उत्तर पश्चिम से लेकर नेपाल के पूर्वी भाग तक की भाषा है। इसके तीन मुख्य रूप हैं- पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी।

● पश्चिमी पहाड़ी

यह बोली शिमला के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है।

टिप्पणी

● मध्य पहाड़ी

इस बोली की दो शाखाएं हैं- कुमाऊंनी और गढ़वाली।

1. **कुमाऊंनी**-कुमाऊं का पुराना नाम कूर्माचल था। इसके अंतर्गत नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिले सम्मिलित हैं। ग्रियर्सन ने इसकी 12 बोलियों की गिनती की है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 10 लाख है। लोककवियों में गुमानी पंत और कृष्ण पांडेय का नाम प्रसिद्ध है।

इस पर दरद, खस, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के अतिरिक्त किरात और मोटा आदि तिब्बती चीनी परिवार की भाषाओं का प्रभाव रहा है।

2. **गढ़वाली**-ठाकुरों के बावन गढ़ियों में विभक्त हो जाने के कारण इसका नाम गढ़वाल या बावनी पड़ा। यहां की बोली होने के कारण ही इसे गढ़वाली कहते हैं। आज इस क्षेत्र का नाम उत्तराखंड है। इसमें गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी का दक्षिणी भाग आता है। इसके लगभग 11 लाख बोलने वाले हैं। लोकगीतों के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। लेखकों में चंद्रमोहन रतूड़ी, गैरोला, बहुगुणा आदि के नाम प्रसिद्ध हैं।

● पूर्वी पहाड़ी

इस बोली को गोरखाली भी कहते हैं। यह नेपाल की राजभाषा है।

4.5 देवनागरी लिपि तथा उसकी विशेषताएं

भाषा की उत्पत्ति की तरह ही लिपि की उत्पत्ति के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। लिपि भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति का मूर्त माध्यम है। यह मनुष्य के दृश्य संवाद की पद्धति है जिसमें उन विभिन्न चिह्नों और प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जिनका संबंध भाषा से होता है। यह विचारों के आदान-प्रदान को सक्षम बनाती है। प्रारंभ में जादू टोने की खींची गई लकीरें, धार्मिक प्रतीकों के चित्र, पहचान के लिए बरतनों इत्यादि पर बनाए गए चित्र, किसी वस्तु को अलंकृत करने के लिए बनाए गए चित्र आदि लिपि की मूल सामग्री कहे जा सकते हैं। वाचिक अर्थात् ध्वन्यात्मक भाषा क्षणस्थायी होती है। उसे स्थायित्व देने की भावना से ही लिपि का आविर्भाव हुआ। लिपि ने भाषा को देश और काल के बंधन से मुक्त कर दिया और भाषा की क्षणस्थायिता को चिरस्थायिता में परिणत कर दिया।

भाषा की उत्पत्ति की तुलना में लिपि की उत्पत्ति बहुत बाद की चीज है। भाषा आज से लाखों वर्ष पहले उत्पन्न हुई, किंतु लिपि का इतिहास पांच-छह हजार वर्ष के पहले का नहीं है। वास्तव में भाषा का संबंध जीवन से है और लिपि का संबंध सभ्यता के विकास से। बिना लिपि के भी मनुष्य का कार्य चल सकता है लेकिन भाषा के बिना नहीं। आज भी संसार में ऐसे मनुष्य हैं जो पढ़ें-लिखें नहीं हैं, किंतु भाषा का प्रयोग करते हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

4. आधुनिक आर्य भाषाओं का विभाजन डॉ. हार्नले ने अपनी किस पुस्तक में किया है?
5. नेपाल की राजभाषा होने का गौरव किस बोली को प्राप्त हुआ है?
6. सही-गलत बताइए-
(क) मध्य पहाड़ी बोली की दो शाखाएं कुमाऊंनी और गढ़वाली हैं।
(ख) मेवाती बोली को दूढ़ाड़ी भी कहते हैं।

टिप्पणी

4.5.1 देवनागरी लिपि : एक परिचय

देवनागरी एक ध्वन्यात्मक लिपि है। यह प्रचलित रोमन, अरबी, चीनी आदि लिपियों से अधिक वैज्ञानिक है। यह विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। संस्कृत, पालि, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली आदि कई भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी इसमें लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जिसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जो 'शिरोरेखा' कहलाती है।

विद्वानों ने नागरी या देवनागरी नामकरण को लेकर अनेक विचार प्रस्तुत किये हैं, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-


1. कुछ विद्वानों का विचार है कि इसका विकास गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था और उसी के आधार पर इसे नागरी कहा जाने लगा।
2. कुछ विद्वान इसे बौद्ध-ग्रंथ 'ललित विस्तार' की नाग लिपि से उद्भूत मानते हैं। परंतु डॉ. बॉनेट जैसे अनेक विद्वान इसे उपयुक्त नहीं समझते।
3. देवनागर काशी में प्रचलित होने के कारण 'देवनागरी' नाम पड़ा।
4. पहले देवताओं की प्रतिमा के स्थान पर, सांकेतिक चिह्नों के आधार पर ही उनकी उपासना की जाती थी। ये भिन्न प्रकार के त्रिकोणादि चिह्नों के बीच लिखे जाते थे, जिनका नाम देवनागर था। इन त्रिकोणादि चिह्नों के बीच लिखे जाने वाले 'देवनागर' चिह्न ही कालांतर में अक्षरों के रूप में विकसित होकर देवनागर और देवनागरी कहे जाने लगे।
5. देववाणी संस्कृत के लेखन में इसका प्रयोग होता रहा, इसलिए नागरी के साथ 'देव' शब्द जोड़कर देवनागरी कहा जाने लगा।
6. नगरों की संबद्धता के कारण ही यह नागरी कहलाई।
7. इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को नगर तथा चंद्रगुप्त द्वितीय को 'देव' कहकर संबोधित किया जाता था। अतएव देवनागरी से प्रचलित होने वाली लिपि देवनागरी कहलाई।
8. डॉ. धीरेंद्र वर्मा ने इस विषय में एक अद्भुत कल्पना की है। वे कहते हैं-"मध्ययुग में स्थापत्य की एक शैली थी 'नागर', जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थीं। इन चतुर्भुजी लिपियों (प, म, भ, ग, ष) के कारण ही इसे 'देवनागरी' कहा जाने लगा।"

देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास

विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर यह माना जाता है कि भारत की आधुनिक लिपियों का उद्गम स्थल ब्राह्मी लिपि ही है। यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य की आविष्कार-प्रिय तथा परिष्कार-प्रिय बुद्धि एवं युगीन आवश्यकताओं के कारण ही ब्राह्मी का सर्वाधिक विकसित एवं परिमार्जित रूप देवनागरी में देखा जा सकता है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही संविधान द्वारा भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। संस्कृत ग्रंथों के मुद्रण में

भी देवनागरी लिपि का उपयोग ही सर्वाधिक हुआ है और मराठी तथा नेपाली भाषाओं की लिपि भी यही है। उत्तर भारत में प्रचलित सभी लिपियां थोड़े अंतर के साथ एक तरह से प्रस्तुत देवनागरी के ही भेद हैं। अतएव आज भारत की समस्त लिपियों में इसका स्थान सर्वोपरि है।


नागरी लिपि



अब तक प्राप्त शिलालेखों और अनेक खोजों के आधार पर देवनागरी लिपि का उद्भव सातवीं-आठवीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट (सातवीं-आठवीं शताब्दी) के एक शिलालेख में देखा गया है। आठवीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों ने तथा नवीं शताब्दी में बड़ौदा नरेश धुवराज ने अपनी राजाज्ञाओं में देवनागरी लिपि का व्यवहार किया है। विजयनगर तथा कोंकण राज्यों में भी सामान्यतया देवनागरी के प्रयोग का संकेत मिलता है। इसे देखकर कुछ विद्वानों का तो यह भी अनुमान है कि इसका विकास दक्षिण-भारत में हुआ और बाद में उत्तर भारत में इसका प्रचार होने लगा।

विद्वान पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि आधुनिक देवनागरी बारहवीं शताब्दी की इस प्राचीन नागरी से ही विकसित हुई है। इसमें वर्तमान अनेक वर्णों का आधुनिक रूप तेरहवीं शताब्दी पर्यन्त निर्मित हो चुका था और सोलहवीं शताब्दी तक लगभग सभी वर्ण अपनी वर्तमान आकृति ग्रहण कर चुके थे।

उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास



देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा के रूप में विकास

देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने के रास्ते में कई रुकावटें आईं। अंग्रेजों का भरसक प्रयास रहा कि हिंदी को फारसी लिपि में ही लिखा जाए। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट का विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। गिलक्रिस्ट ने दरबारी अथवा फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली इन तीन शैलियों को हिंदुस्तानी की शैलियां माना। उनके अनुसार फारसी शैली कठिन थी और हिंदवी शैली गंवारू शैली थी। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी शैली को प्राथमिकता देते हुए इसके जिस रूप को बढ़ावा दिया उसका मूल आधार हिंदी था। लेकिन उसमें अरबी-फारसी की बहुलता होने के कारण उसे फारसी लिपि में ही लिखा जाता था। इससे ऐसा लगता है कि गिलक्रिस्ट का उद्देश्य हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू का प्रचार-प्रसार करना ही था। गिलक्रिस्ट के बाद विलियम प्राइस फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष बने।

अपने कार्यकाल में उन्होंने गिलक्रिस्ट द्वारा भाषा से संबंधित पैदा की गई भ्रातियों को दूर करने का प्रयास किया और हिंदुस्तानी के नाम पर हिंदी पर जोर दिया। विलियम प्राइस के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से हिंदी के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। 1830 ई. में अंग्रेजी कंपनी ने अदालतों में फारसी के साथ-साथ देशी भाषाओं का प्रयोग करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई। लेकिन 1837 ई. से पहले इस विज्ञप्ति पर पूर्णरूपेण अमल नहीं हो सका। 1837 ई. में इस विज्ञप्ति पर सही रूप से अमल होने के बाद बंगाल में बांग्ला भाषा और लिपि का प्रचलन शुरू हो सका। मुसलमानों द्वारा उर्दू का भरपूर समर्थन किया गया। वे नहीं चाहते थे कि अदालतों में हिंदी का प्रयोग किया जाए।

टिप्पणी

अदालतों में ही नहीं शिक्षा में भी हिंदी का प्रयोग करने के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में हिंदी का प्रचलन शुरू होने पर भी उन्होंने नागरी लिपि के खिलाफ उर्दू लिपि का प्रचार करना शुरू कर दिया। 1857 ई. के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने हिंदू-मुसलमानों में फूट डालना शुरू कर दिया और हिंदी और उर्दू भाषा को लेकर भेदभाव करना शुरू कर दिया। हिंदू-मुसलमानों की फूट ने अंग्रेजों के लिए सुरक्षा-कवच का कार्य किया। भाषा को लेकर अंग्रेज विद्वान दो दलों में बंट गए। कुछ विद्वानों ने हिंदी के पक्ष में अपने तर्क दिए और कुछ विद्वानों ने उर्दू के पक्ष में। भाषा को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ।

राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने 1868 ई. में अपने लिपि संबंधी प्रतिवेदन 'मेमोरेण्डम कोर्ट कैरेक्टर इन द अपर प्रोविन्स ऑफ इंडिया' द्वारा फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए प्रथम प्रयास किया। एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक जॉन शोर ने भी अदालतों में हिंदुस्तानी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रयोग का समर्थन और फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का विरोध किया। 1870 ई. में गवर्नर ऐशले द्वारा देवनागरी के पक्ष में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि ऐसी भाषा लिखी जाए जिसे एक कुलीन हिंदुस्तानी, जो फारसी भाषा नहीं जानता, वह भी उसे आसानी से बोल सके और फारसी पूरित उर्दू न लिखी जाए। 1873 ई. में पटना, भागलपुर, और छोटा नागपुर डिविजनों की अदालतों और कार्यालयों में सभी विज्ञप्तियां और घोषणाएं हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में जारी करने का आदेश बंगाल सरकार द्वारा किया गया। 1881 ई. में बिहार और मध्य प्रदेश में नागरी लिपि और हिंदी का प्रयोग करने का सरकारी आदेश लागू किया गया जिसने उत्तर प्रदेश में नागरी आंदोलन को नैतिक रूप से प्रोत्साहित किया।

भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नागरी आंदोलन को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान किए जाने के कारण उन्हें इस आंदोलन का प्रतीक और नेता माना जाने लगा। 1882 ई. में उन्होंने शिक्षा आयोग के प्रश्न-पत्र का जवाब देते हुए कहा- "सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग होता है। यही ऐसा देश है, जहां न तो अदालती भाषा शासकों की मातृभाषा है और न ही प्रजा की।"

1893 ई. में अंग्रेजी सरकार ने जब भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने की बात की तो इसके विरोध में एक तीव्र प्रतिक्रिया सामने आई। 1893 ई. में ही नागरी प्रचार एवं हिंदी भाषा के संवर्द्धन के लिए नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की स्थापना की गई। इस समिति ने अपना सर्वप्रथम ध्येय अदालतों में नागरी लिपि के प्रयोग को आरंभ कराना ही तय किया। सभा द्वारा 'नागरी कैरेक्टर' नामक एक पुस्तक तैयार की गई। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में तैयार की गई थी।

इस पुस्तक में सभी भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि की क्या उपयुक्तता होगी, इस बारे में बताया गया था। 1897 ई. में मदन मोहन मालवीय ने 'कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नार्थ-वेस्टर्न प्रोविन्सेज' नाम से एक स्वतंत्र पुस्तिका लिखी जिसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। 1898 ई. में प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जब काशी आए तो नागरी प्रचारिणी सभा के एक प्रभावशाली प्रतिनिधि मंडल ने मालवीय के नेतृत्व में उनसे मुलाकात कर उन्हें एक मेमोरियल दिया। इस मेमोरियल पर हजारों लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। मालवीय

टिप्पणी

के इस अथक प्रयास से अदालतों में नागरी को स्थान प्राप्त हो सका। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप 18 अप्रैल, 1900 ई. को गवर्नर द्वारा अदालतों में फारसी के साथ-साथ नागरी को भी बराबर का अधिकार दे दिया गया। 20वीं शताब्दी में इस लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ।

नागरी अंकों एवं नागरी लिपि की उत्पत्ति

यह निर्विवाद सत्य है कि अंकों की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में हुई। अरब देश में अंकों को 'हिंदस' या 'हिंदसा' कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिंदुस्तान से आयातित। जबसे प्राचीन लिपि के चिह्न उपलब्ध हैं, तभी से अंकों के भी चिह्न मिलते हैं। अंकों की दो शैलियां हैं- प्राचीन एवं अर्वाचीन। प्राचीन शैली में शून्य चिह्न (0) नहीं था, दस, बीस, सौ आदि शून्यात्मक संख्या वाली गणनाओं के लिए पृथक अंक प्रचलित थे। नवीन शैली में शून्य की उद्भावना से बड़ी सुगमता हो गई। नवीन शैली पांचवीं शताब्दी से प्रयोग में आई है।

देवनागरी अंक	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९
हिन्दी	शून्य	एक	दो	तीन	चार	पांच	छह	सात	आठ	नौ

भारत की सभी वर्तमान लिपियां ब्राह्मी लिपि की वंशज होने की बात भले ही आश्चर्यजनक प्रतीत हो परंतु इनके चित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मी की उत्तरी एवं दक्षिणी शाखा से ही समस्त भारतीय लिपियों का विकास हुआ है।

१	-	१	१	१	१	१
२	=	२	२	२	२	२
३	≡	≡	≡	≡	≡	≡
४	+	+	+	+	+	+
५	५	५	५	५	५	५
६	६	६	६	६	६	६
७	७	७	७	७	७	७
८	८	८	८	८	८	८
९	९	९	९	९	९	९

4.5.2 देवनागरी लिपि की विशेषताएं

यह लिपि बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती है। यह न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णात्मक लिपि।

टिप्पणी

इसकी प्रमुख विशिष्टताएं निम्नांकित हैं—

1. इस लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है और इस एक वर्ण संकेत से एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जैसे 'ब' को 'ब' ही बोला जाएगा रोमन का अक्षर 'बी' है परंतु उससे ध्वनि 'ब' का संदर्भ लिया जाता है।
2. ध्वनि के नाम पर ही वर्ण का नाम रखा गया है।
3. इसमें कोई मूक वर्ण नहीं।
4. इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। रोमन में 'But' बट पढ़ा जाता है जबकि 'Put' पुट हो जाता है।
5. इस लिपि में एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है।
6. यह लिपि उच्चारण के सूक्ष्मतरंग भेद को भी प्रकट करती है। लिखे शब्दों का हूबहू उच्चारण कर भिन्न अर्थ प्रकट करती है।
7. इसकी वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है।
8. संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि होने के कारण इसका प्रयोग व्यापक रूप में होता है।
9. इस लिपि का भारत की अनेक लिपियों से निकट संबंध है। भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है।

4.5.3 देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता

देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक तथा आदर्श लिपि है। प्रो. देवेन्द्र नाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक- 'राष्ट्र भाषा हिंदी : समस्याएं और समाधान' में इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसमें अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपियों की विशेषताएं भी लक्षित होती हैं। इसकी वैज्ञानिकता के कारण ही यह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि प्रांतों के विशाल भूभाग में फैली हुई है, इसलिए इसे भारत राष्ट्र की 'राज्य लिपि' के पद पर अभिषिक्त किया गया है और भारत की समृद्धतम भाषा संस्कृत, चाहे उसका वाङ्मय दक्षिण भारत का है अथवा उत्तर भारत का, इसी लिपि में सृजित है।

आधुनिक नागरी के अधिकांश लिपि चिह्न परंपरा से ही विकसित हुए हैं। किंतु ध्वनियों के अधिकाधिक स्पष्टीकरण के लिए उसने कुछ चिह्न विदेशी लिपियों से भी ग्रहण किए हैं, जैसे अंग्रेजी से ओ (O) तथा फारसी के प्रभाववश क, ख, ग, ज, फ आदि। पहले इसमें केवल दो विराम चिह्न थे- अर्द्ध विराम के लिए एक खड़ी पाई और पूर्ण विराम के लिए दो खड़ी पाइयां। किंतु आधुनिक काल में दो खड़ी पाइयां लुप्त हो गई हैं और पूर्ण विराम के लिए एक खड़ी पाई (।) तथा अर्द्धविराम के लिए कौमा (,) तथा अल्पविराम के लिए सैमी कालन (;) उद्धरण चिह्न (" "), रेखिका या डैश (-), कोष्ठक () आदि का भी प्रयोग होने लगा है, जो अन्य भाषाओं के प्रभाववश आया है और जो वैज्ञानिकता में अतिरिक्त अभिवृद्धि करता है।

टिप्पणी

देवनागरी उन सभी आदर्शों पर खरी उतरती है, जो एक आदर्श और वैज्ञानिक लिपि के लिए अनिवार्य हैं, जैसे-

1. देवनागरी अर्द्ध अक्षरात्मक लिपि है।
2. ध्वनि और लिपि का पूर्ण सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है, अर्थात् इसमें जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है।
3. एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है, अर्थात् ध्वनि लिपि संकेतों में पूर्ण निश्चितता है। रोमन अथवा उर्दू लिपि की भांति न तो एक ही ध्वनि के लिए अनेक संकेत हैं और न ही किन्हीं ध्वनियों के लिए संकेतों का अभाव है।
4. इसमें समग्र ध्वनियों को उत्पन्न व प्रकट करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है।
5. लिपि सुपाठ्य एवं संदेह रहित है। फारसी की भांति नुक्तों और जवर, जेट, पेश की पेचीदगियों से मुक्त है। 'खुदा से जुदा हुए एक नुक्ते के लिए' वाली कहावत इस पर चरितार्थ नहीं होती और न ही मुंडी-लिपि की भांति बही का बहू लिखा जाता है।
6. सौंदर्य भी इस लिपि का एक गुण है। अक्षरों की सुडौलता के कारण लिपि पूर्ण कलात्मक है।
7. आधुनिक गत्यात्मक युग में त्वरा एवं आशुलेखन की पूर्ण क्षमताओं से संपन्न है।
8. बायीं ओर से दायीं ओर को लिखी जाती है।
9. ध्वनियों का क्रम पूर्णतः वैज्ञानिक है। स्पर्श ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ग कंट्य ध्वनियों का और अंतिम वर्ग ओष्ठ्य ध्वनियों का है। अल्प प्राण ध्वनि के पश्चात् महाप्राण ध्वनि सूचक चिह्नों का विधान है जैसे - क, ख; प्रत्येक वर्ग की ध्वनियों में पहले अघोष ध्वनियों एवं पश्चात् सघोष ध्वनियों का निर्धारण हुआ है, अर्थात् प्रत्येक वर्ग की प्रथम दो ध्वनियां अघोष एवं अंतिम तीन सघोष हैं। वर्गों के अंत में अनुनासिक ध्वनियां हैं।
10. अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों के चिह्न पृथक-पृथक हैं।
11. छपाई एवं लिखाई का एक ही रूप है।
12. स्वरों में ह्रस्व एवं दीर्घ का भेद है तथा मात्राएं निश्चित हैं।
13. अमेरिकी विद्वानों ने अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि देवनागरी लिपि ही पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। उनका कथन है कि 'देवनागरी के सभी वर्णों को दफ्ती के टुकड़ों में काटकर उनमें विशिष्ट विधि से वायु प्रविष्टि की जाए तो उनसे उनके उच्चारण के अनुरूप ही ध्वनि निसृत होगी।

देवनागरी लिपि को वैज्ञानिकता के बारे में संदेह होने के निम्न कारण माने जा सकते हैं-

1. इस लिपि में कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण अंकण और मुद्रण में कठिनाई होती है।
2. इसमें शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए किया जाता है।
3. ऋ, ॠ, लृ, लृ, लृ, ड, ङ, ष शुद्ध उच्चारण करने में कठिनाई होती है।

टिप्पणी

4. इस लिपि में ख में र व का, घ में ध का और म में भ का भ्रम होता है।
5. इस लिपि में वर्णों को संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई।
6. इस लिपि में अनुस्वार एवं अनुनासिकता के प्रयोग में एकरूपता का अभाव दिखलाई देता है।
7. इस लिपि में त्वरापूर्ण लेखन नहीं किया जा सकता क्योंकि लेखन में हाथ बार-बार उठाना पड़ता है।
8. इस लिपि में वर्णों के संयुक्तीकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
9. इस लिपि में इ की मात्रा (i) का लेखन वर्ण के पहले किया जाता है जबकि उच्चारण वर्ण के बाद किया जाता है।

4.5.4 देवनागरी लिपि में सुधार की संभावनाएं

कोई भी भाषा अथवा लिपि समय और व्यवहार के साथ-साथ बदलती रहती है। भाषा का स्वरूप उसके प्रयोग और व्यवहार पर निर्भर करता है। लिपि भी उसी अनुसार बदलती रहती है। आज के तकनीकी युग में यह बदलाव अपरिहार्य हो गया है।

नागरी लिपि सुधार : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नागरी लिपि में सुधार के ऐतिहासिक प्रयासों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि कदाचित् 'अ' की बारहखड़ी (यथा आ, आ, अि, ओ, ओ, ओ, ऐ, औ आदि) का प्रचलन सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने किया था और व्यावहारिक रूप में इसे मराठी समाचार पत्रों ने अपनाया था। सन् 1939 में, इंदौर में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक छोटी उपसमिति बनाई गई और श्री काका कालेलकर इसके संयोजक नियुक्त किए गए। गांधीजी बहुत दिनों से यह बात सोच रहे थे कि किसी प्रकार यदि देवनागरी लिपि के वर्णों की संख्या कुछ कम की जाए ताकि देश के लोगों को शीघ्रता से साक्षर करने में मदद मिल सके। इसी के फलस्वरूप इस समिति का निर्माण हुआ। कई वर्षों के निरंतर प्रयासों के बाद इस सम्मेलन में 14 सुझावों को स्वीकृत किया गया-

1. लिखने में शिरोरेखा लगाना आवश्यक नहीं है। छपाई में साधारण रीति से शिरोरेखा लगाना ही नियम रहे। किंतु विशेष स्थानों में अक्षरों की विभिन्नता प्रकट करने के लिए शिरोरेखाहीन अक्षर भी प्रयुक्त हो सकते हैं। सम्मेलन की सिफारिश है कि विशेष या छोटे अक्षरों में जहां शिरोरेखा होने से छपाई की स्पष्टता में कमी आ जाती हो, वहां शिरोरेखाहीन अक्षरों का प्रयोग करना अच्छा होगा।
2. प्रत्येक वर्ण ध्वनि के उच्चारण-क्रम से लिखा जाए।
 - (क) जब तक कोई संतोषजनक रूप सामने न आए तब तक 'इ' की मात्रा अपवाद रूप से वर्तमान पद्धति के अनुसार ही 'i' लिखी जाए। यथा-सिर।
 - (ख) ए, ऐ की मात्राएं वर्ण के ठीक ऊपर लगाई जाएं। यथा-देवता, अनेक। ओ और औ भी ऊपर के सिद्धांत के अनुसार लिखे जाएं; यथा-ओला, औरत।

टिप्पणी

- (ग) उ, ऊ, ऋ की मात्राएं अक्षर के बाद आएँ और पंक्ति में ही लिखी जाएं। यथा-कुटिल, पूजा, सृष्टि।
- (घ) अनुस्वार और अनुनासिक के चिह्न भी अक्षर के बाद ऊपर लिखे जाएं। यथा-अंश।
- (ङ) रेफ से व्यक्त होने वाले अर्द्ध 'र' उच्चारण-क्रम से योग्य जगह पर लिखा जाए। यथा-धर्म।
- (च) संयुक्ताक्षर में भी, सर्वत्र, वर्ण उच्चारण-क्रम से एक के पीछे एक लिखे जाएं। यथा-द्वारका (द्वारका नहीं), विद्वत्ता (विद्वत्ता नहीं)।
3. स्वरों और मात्राओं में समानता तथा सामंजस्य करने के लिए 'इ, ई, उ, ऊ' के वर्तमान रूप छोड़कर केवल 'अ' में ही इन स्वरों की मात्राएं लगाकर इन स्वरों के मूल स्वरूप का बोध कराया जाए। अर्थात् 'अ' की बारहखड़ी की जाए; यथा-अ, आ, अि, ओ, ओ, ओ, ऐ, औ, ओ, औ, अं, अः।
4. दक्षिण की लिपियों के स्वरों में ह्रस्व 'ए' और 'ओ' के स्वरूप आते हैं, उनके लिए ह्रस्व मात्राएं बनाई जाएं।
5. पूर्ण अनुस्वार के स्थान पर '॰' लगाया जाए और अनुनासिक के लिए केवल बिंदी 'ं' लिखी जाए; यथा-सिंह, चांद। व्यंजन के पूर्व ह्रस्व 'ङ, ज, ण, न, म' की जगह पर जहां प्रतिकूलता न हो (यथा-वाङ्मय, तन्मय) अनुस्वार लिखा जाए; यथा-चंचल, पंथ, पंप।
6. छपने में अक्षरों के नीचे बाई ओर यदि अनुकूल स्थान पर बिंदी लगाई जाए तो उसका अभिप्राय होगा कि उस अक्षर की ध्वनि उस अक्षर की मूल ध्वनि से भिन्न है। उस ध्वनि का निर्णय प्रचलन के अनुसार होगा; यथा-फारसी, मराठी, सिंधी इत्यादि।
7. विराम चिह्न आजकल सब भारतीय भाषाओं में प्रचलित हैं, वैसे ही कायम रखे जाएं, पूर्ण विराम का चिह्न पाई '।' रहे।
8. अंकों के स्वरूप इस प्रकार रहें-
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ०।
9. वर्तमान 'ख' के स्वरूप का परिवर्तन करना आवश्यक है। उसके स्थान पर गुजराती 'ख' स्वीकार किया जाए।
10. अ, झ, ण की जगह बंबई के अ, झ, ण रखे जाएं और 'ल' 'श' की जगह हिंदी के रूप 'ल' 'श' रखे जाएं। 'क्ष' का 'क्ष' रूप प्रचलित किया जाए। बीजगणित आदि वैज्ञानिक साहित्य में संज्ञारूप 'क्ष' आ जाता है।
11. मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, आदि भाषाओं में विशिष्ट ध्वनि के लिए जो ल प्रयुक्त होता है वही रखा जाए। ड या ल से न व्यक्त किया जाए।
12. ज्ञ के उच्चारण में प्रांतीय भिन्नता होने से ज्ञ का रूप जैसा है वैसे ही रखा जाए।
13. संयुक्त अक्षरों के बनाने के लिए जिन वर्णों में खड़ी पाई अंतिम भाग में है जैसे-
ख, ग, घ, च, ज, ञ, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, ष, स उनका

संयोज्य रूप खड़ी पाई हटाकर समझा जाए। यथा- ख, ग, घ, च, ट, थ, न, ण, ष इत्यादि। क और फ का वर्तमान संयोज्य रूप क, फ स्वीकृत किया जाए। जिन अक्षरों में खड़ी पाई अंतिम भाग में नहीं है उनका संयोज्य रूप चिह्न (.) लगाकर समझा जाए। संयोजक चिह्न पिछले अक्षर से मिला रहे। यथा-विद्य, विट्ठल, उच्छ्वास, बुद्ध, ब्रह्मा।

14. शिरोरेखा हटाकर लिखने में भ और ध के म और घ से पृथक् करने हेतु भ और ध में गुजराती की तरह घुंड़ी लगाई जाए।

नागरी प्रचारिणी सभा एवं लिपि सुधार

लिपि में सुधार के सभी सुझावों का व्यावहारिक प्रयोग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा संचालित परीक्षाओं तथा वहां से प्रकाशित पुस्तकों में जोर-शोर से हुआ, किंतु जिन प्रदेशों में काव्यभाषा तथा साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रसार था, वहां के लोगों ने इन सुधारों को स्वीकार नहीं किया। इन सुझावों का प्रबल विरोध काशी के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में हुआ और हैरानी की बात यह थी कि इसके विरोधियों में नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य सर्वप्रमुख थे। हालांकि अधिकांश सुझाव व्यावहारिक थे, किंतु उस समय प्रचारिणी सभा किसी भी प्रकार के सुधारों के लिए तैयार न थी।

इस घटना के ठीक 10 वर्ष बाद, 1945 में नागरी प्रचारिणी सभा ने उपयोगिता और प्रचार की दृष्टि से वर्तमान नागरी लिपि में सुधार और पुनःसंस्कार की आवश्यकता को महसूस किया। इसके साथ ही सभा ने सुधारों के संबंध में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए और अपनी ओर से देश के प्रमुख हिंदी पत्रों में यह सूचना प्रकाशित की कि इस दिशा में कार्य करने वाले सज्जन, और संस्थाएं अपने-अपने प्रयत्न की सूचना और सामग्री सभा की समिति के पास भेजने की कृपा करें। यह गौरतलब है कि सुधार के प्रयत्नों में केवल श्रीनिवासन के प्रयत्न ही समिति को ठीक लगे।

श्रीनिवासन ने बड़े प्रयत्न से अपनी प्रस्तावित वर्णमाला में एकरूपता लाने का उद्योग किया, किंतु फिर भी इस लिपि में अनेक त्रुटियां हैं। उनके प्रस्तावित सुधार में सबसे पहली त्रुटि यह है कि इसमें नागरी के अनेक वर्णों का रूप विकृत हो गया। उन्होंने अपनी वर्णमाला में समूचे अ की बारहखड़ी नहीं की है। जो विज्ञान और व्यवहार दोनों की दृष्टि से भ्रामक और अशुद्ध है। इसके अतिरिक्त अल्प्राण वर्ण में ही प्राण जोड़कर आप महाप्राण बनाते हैं। यह प्राण चिह्न इतना सूक्ष्म है कि उसके स्पष्ट न होने पर कुछ का कुछ पढ़ा जा सकता है।

छपाई को दृष्टि में रखकर डॉ. गोरखप्रसाद ने भी कतिपय व्यावहारिक सुझाव रखा था। आपका पहला सुझाव यह है कि उ, ऊ, ए, ऐ, तथा अं की मात्राओं को थोड़ा-सा दाहिनी ओर हटाकर लगाया जाए। इससे यह लाभ होगा कि 700 के बदले केवल 150 या यदि सभी वर्तमान संयुक्ताक्षर रखे जाएं तो 200 टाइपों से कम्पोजिंग हो जाया करेगी। दूसरा सुझाव यह है कि छोटे (8 पाइंट से कम नाप के) अक्षरों से कम्पोज करने में शिरोरेखा विहीन अक्षरों से काम लिया जाए। आपने इस प्रकार के टाइप तैयार कर नमूने के लिए छपाई भी की है। इसमें संदेह नहीं कि इन छोटे टाइपों के अक्षर स्पष्ट हैं और उन्हें पढ़ने में कठिनाई नहीं होती। परंतु शिरोरेखा विहीन नागरी लिपि सुंदर प्रतीत नहीं होती।

आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझाव

उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया था। समिति की कुल 9 बैठकें हुईं। केंद्रीय शासन की ओर से हिंदुस्तानी शीघ्र लिपि तथा लेखन यंत्र समिति सन् 1948 में नियुक्त हुई थी। उनके साथ भी इस समिति ने विचार-विमर्श किया। जो योजनाएं इस समिति के पास विशेषज्ञों ने भेजी थीं उन पर समिति ने समुचित विचार किया तथा कुछ सज्जनों का साक्ष्य भी लिया। अंत में समिति ने 25-5-1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में समिति ने अपने नकारात्मक और स्वीकारात्मक दोनों प्रकार के सुझावों को प्रस्तुत किया।

समिति के नकारात्मक निश्चय इस प्रकार हैं-

1. निश्चय हुआ कि श्रीनिवासन जी के एकमात्रिक और द्वैमात्रिक आदि स्वरों के भेद समिति को मान्य नहीं हो सकते।
2. 'अ' की बारहखड़ी या काका कालेलकर के अनुसार 'अ' की स्वर खड़ी नहीं बनाई जा सकती।
3. 'इ' की मात्रा को छोड़कर अन्य मात्राओं के वर्तमान स्वरूप में कोई परिवर्तन न किया जाए।
4. किसी व्यंजन के नीचे कोई दूसरा व्यंजन वर्ण न लगाया जाए।
5. कुछ लोग नागरी लिपि में सुधार के नाम पर आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं। इन सुधारों के वांछनीय न होने के कारण उन पर विचार करने के लिए उनके प्रेषकों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है।
6. केवल मशीन की सुविधा के लिए कोई अवांछनीय परिवर्तन न किए जाएं।

साधारण लिपि संबंधी अनुरोध

1. मुद्रण और टाइपराइटिंग की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार मात्राओं को थोड़ा हटाकर केवल दाहिनी ओर ही बगल में ऊपर और नीचे लगाया जाए।
2. शुद्ध अनुस्वार के स्थान पर "०" शून्य लगाया जाए। व्यंजन के हलंत ड्, ज्, ण्, न्, म् की जगह पर जहां प्रतिकूलता न हो (यथा वाङ्मय, तन्मय) शून्य लिखा जाए। अनुनासिक स्वर के लिए (ं) बिंदी का प्रयोग हो; यथा हंसना, किंतु, हंस (पक्षी)।
3. शिरोरेखा लगाई जाए।
4. ऋ, लृ की मात्राएं भी अन्य मात्राओं के सदृश्य थोड़ा हटाकर दाहिनी ओर नीचे लगाई जाएं।
5. जिन वर्णों का उत्तरार्ध खड़ी पाई युक्त हो उनका आधा रूप खड़ी पाई निकालकर बनाया जाए। यथा-ग, र अर्धरूप, उदाहरण वक्क (वक्र), ध्राम (धर्म), वस्त्र (वस्त्र)।
6. जिन वर्णों का उत्तरार्ध खड़ी पाई युक्त नहीं है उनका आधा रूप 'क' और 'फ' को छोड़कर हल चिह्न मात्राओं के ही समान, बगल में, नीचे की ओर लगाकर बनाया जाए यथा- 'ड' का आधा 'ड्', राष्ट्र (राष्ट्र), विद्या (विद्या), ब्राह्मण (ब्राह्मण)।
7. ह्रस्व 'इ' की मात्रा भी दाहिनी ओर लगाई जाए।

1. स्वरों में 'अ' का रूप अब केवल 'अ' रहेगा।
2. व्यंजनों में छ, म, ण, ल, ह के केवल निर्माकित रूप ही स्वीकृत हुए हैं। छ, म, ण, ल, च और ह।
3. मात्राओं के ह्रस्व 'इ' की मात्रा का रूप 'ी' होगा।
4. क्ष और ञ के स्थान पर ष और ञ से काम लिया जाएगा। इस प्रकार इन परिवर्तनों के हो जाने के अनंतर हमारी वर्णमाला और अंकों का लिए सुधार समिति की ओर से अनुसूचित रूप इस प्रकार होगा-

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ

ओ औ ऋ ॠ अं अः

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व श

ष स ह झ।

विशेष अक्षर श, ओड़म तथा छ होंगे।

5. विराम चिह्न यथासंभव वे सब ले लिए जाएं जो इस समय अंग्रेजी में प्रचलित हैं। केवल पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई '।' स्वीकार की जाए।

समिति के सुधार संबंधी सुझावों का विरलेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि समिति ने नागरी लिपि का स्थिरीकरण का प्रयास विशेष रूप से किया, जिसका महत्व अक्षुण्ण है। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने नागरी लिपि में सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा कुछ चुने हुए विद्वानों की एक सभा बुलाई। जहां तक अक्षरों के रूप का संबंध है, इस सभा में आमंत्रित विद्वानों ने एक-दो परिवर्तनों के साथ नरेंद्र देव समिति द्वारा सुझाए हुए रूपों को ही स्वीकार कर लिया। इनमें से एक परिवर्तन तो 'स्व' के संबंध में है।

इसके वर्तमान रूप में दोष यह है कि इससे र और व का भ्रम हो जाता है। यही कारण है कि इस सभा में समवेत विद्वानों ने इससे यह रूप (ख) दिया है। नरेंद्र देव समिति ने 'क्ष' की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर ली है। नरेंद्र देव समिति ने ह्रस्व 'इ' की मात्रा का जो रूप दिया था उसे इस समिति ने बदल दिया। यथा हीन्दी (= हिंदी) संयुक्त अक्षरों के संबंध में इस समिति ने हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा नरेंद्र देव समिति के सुझावों को प्रायः उसी रूप में

4.6 सारांश

प्रतीक सीधे वस्तु की ओर संकेतित नहीं करता, बल्कि उसको संकेतित करने के लिए उसे संकेतार्थ का रास्ता चुनना पड़ता है। संकेतित वस्तु और प्रतीक का संबंध आरोपित होता है। उपर्युक्त आरेख में संकेतार्थ और संकेतित वस्तु का सीधा संबंध और संकेतित वस्तु और प्रतीक का संबंध आरोपित है। संकेतार्थ के निर्माण में केवल बाह्य जगत की वस्तुएँ ही अपना योग नहीं देती, अपितु व्याख्याता या प्रयोगकर्ता का जातीय इतिहास, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी अपना योग देती है। इसीलिए भाषिक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त शब्दों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अर्थ भी हुआ करता है।

संपूर्ण विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी संख्या के विषय में कुछ भी अनुमान करना अक्षरशः सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु सभी विद्वान इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि विश्व में कुल लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाविद् मंत्रिया पाई ने तो इन्हें ठीक-ठीक नपे-तुले शब्दों में 2796 बताते का कस्टसाथ प्रयास किया है। हमें यह कहने में जग भी संकोच अनुभव नहीं हो रहा है कि पाई का यह निष्कर्ष एक कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई 10-20 भाषाओं का ज्ञान हो। ऐसी स्थिति में 2796 का ज्ञान रखना, अत्यंत सूक्ष्मांतिसूक्ष्म अंतरो के आधार पर एक को दूसरे से पृथक् करना, इतना ही नहीं 3000 के स्थान पर 2796 बताकर मात्र 204 भाषाओं का सूक्ष्म अंतर स्वीकार करना किसी व्यक्ति-विशेष का कार्य नहीं हो सकता।

हिंदी के विकास का स्पष्ट दर्शन हमें चन्द्रबर्दारई के समय से होने लगता है। यह समय भारतवर्षी सदी का अंतिम अर्द्ध भाग है परंतु उस समय में भी इसकी भाषा हिंदी से बहुत भिन्न हो गई थी। प्रसिद्ध वैद्यकरण हेमचंद्र का समय संवत् 1144 और संवत् 1229 के बीच है। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में अपभ्रंश के कुछ उदाहरण दिए हैं। इससे पूर्व, विक्रम की

स्वीकार कर दिया। यहां यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न राज्यों में यह सुधारी गई लिपि ही प्रचलित की जाएगी और उत्तर प्रदेश शासन की ओर से कई आरंभिक पुस्तकें इसी लिपि में प्रकाशित की गई।

देवनागरी लिपि को कम्प्यूटर के अनुकूल बनाने के लिए इसमें अनेक सूक्ष्म व स्थूल बदलाव किए गए हैं। हलंत, आर्य शब्दों का प्रयोग व अनुस्वार को भी कम्प्यूटर के को-बोर्ड के अनुकूल बनाया गया है। 'सुधार' की अपेक्षा यदि हम परिवर्तन या 'बदलाव' शब्द का प्रयोग करें तो उचित होगा। देवनागरी में स्थानीय भाषाओं का प्रभाव आना और होना भी स्वाभाविक है। हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों का अधिकधिक प्रयोग होने लगा है। अतः लिपि में भी उन शब्दों का समायोजन अपेक्षित है।

भाषा जितनी लोचदार होगी उतना ही संवर्द्धित भी होगी। अतः बदलाव की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। आज पूरी दुनिया तकनीकी प्रगति के साथ-साथ एक 'भूमंडलीय गाम' में बदल रही है जहां संप्रषण के लिए भाषाओं का लोचदार व सरल होना स्वाभाविक ही है। देवनागरी भी धीरे-धीरे इस परिवर्तन को आमसात कर रही है और शिष्य

प्रतीक का संबंध आरोपित है। संकेतार्थ के निर्माण में केवल बाह्य जगत की वस्तुएँ ही अपना योग नहीं देती, अपितु व्याख्याता या प्रयोगकर्ता का जातीय इतिहास, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी अपना योग देती है। इसीलिए भाषिक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त शब्दों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अर्थ भी हुआ करता है।

संपूर्ण विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी संख्या के विषय में कुछ भी अनुमान करना अक्षरशः सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु सभी विद्वान इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि विश्व में कुल लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाविद् मंत्रिया पाई ने तो इन्हें ठीक-ठीक नपे-तुले शब्दों में 2796 बताते का कस्टसाथ प्रयास किया है। हमें यह कहने में जग भी संकोच अनुभव नहीं हो रहा है कि पाई का यह निष्कर्ष एक कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई 10-20 भाषाओं का ज्ञान हो। ऐसी स्थिति में 2796 का ज्ञान रखना, अत्यंत सूक्ष्मांतिसूक्ष्म अंतरो के आधार पर एक को दूसरे से पृथक् करना, इतना ही नहीं 3000 के स्थान पर 2796 बताकर मात्र 204 भाषाओं का सूक्ष्म अंतर स्वीकार करना किसी व्यक्ति-विशेष का कार्य नहीं हो सकता।

हिंदी के विकास का स्पष्ट दर्शन हमें चन्द्रबर्दारई के समय से होने लगता है। यह समय भारतवर्षी सदी का अंतिम अर्द्ध भाग है परंतु उस समय में भी इसकी भाषा हिंदी से बहुत भिन्न हो गई थी। प्रसिद्ध वैद्यकरण हेमचंद्र का समय संवत् 1144 और संवत् 1229 के बीच है। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण में अपभ्रंश के कुछ उदाहरण दिए हैं। इससे पूर्व, विक्रम की

टिप्पणी

भाषा, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि

- अपनी प्रगति जांचिए
7. भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति का पूर्व माध्यम क्या है?
 8. भारत की आधुनिक लिपियों का उद्गम कहाँ से हुआ?
 9. सही-गलत बताइए-
(क) अंकों की उत्पत्ति अरब देश से हुई।
(ख) देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक तथा आदर्श लिपि है।

टिप्पणी

ग्यारहवीं शताब्दी के दूसरे भाग में वर्तमान महाराज भोज का पितृव्य द्वितीय वाकपति राजा परमार मुंज एक पराक्रमी राजा के साथ-साथ एक सहृदय कवि भी था। एक बार वह कल्याण के राजा तैलप के यहां बंदी हो गया। उसी समय मुंज ने कुछ दोहों की रचना की थी।

साहित्य की दृष्टि से अपभ्रंश अंशों का प्रथम दर्शन कालिदास के 'विक्रमोर्वशीयम्' में होता है। इसे याकोबी तथा स.प. पंडित अप्रामाणिक मानते हैं किंतु डॉ. उपाध्ये एवं डॉ. तगारे आदि इसे प्रामाणिक मानते हैं। 'मृच्छकटिक' के टीकाकार पृथ्वीधर ने विभाषा को अपभ्रंश के अंतर्गत स्वीकार किया है। इस प्रकार चांडाली, शावरी, शाकारी और टक्की अपभ्रंश ही हैं। जर्मन भाषा में 'प्राकृत भाषाओं के व्याकरण' के लेखक पिशेल के समय तक अपभ्रंश के बहुत कम काव्य प्रकाश में आए थे। आठवीं सदी में स्वयंभू का महाकाव्य 'पउमचरिउ' लिखा जो रामचरित को प्रस्तुत करता है। स्वयंभू का दूसरा महाकाव्य 'रिट्ठेणमिचरिउ' है जिसका आधार हरिवंशपुराण और महाभारत है। स्वयंभू द्वारा छन्दों पर 'स्वयंभू छन्दस्' नामक एक ग्रंथ लिखा गया जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों के उद्धरण दिए गए हैं।

अपभ्रंश अनुमानतः 1000 ई. के लगभग समाप्त हो गई थी इसके उपरान्त ही आधुनिक भाषाओं का आरंभ हुआ। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि लगभग 900 से 1100 ई. या कुछ बाद तक की भाषा में अपभ्रंश एवं आधुनिक भाषाएं आपस में मिश्रित हुई होंगी। 900 से प्रायः 1000 ई. तक अपभ्रंश के अंशों का आधिक्य और आधुनिक भाषाओं के नए होने के कारण इनके अंश कम रहे होंगे। 1000 से 1100 या कुछ बाद तक अपभ्रंश के अंश धीरे-धीरे कम होते गए और आधुनिक भाषाओं के अंश बढ़ते गए। वैसे तो उसके बाद भी लगभग 13-14वीं सदी तक कुछ-न-कुछ अपभ्रंश-अंश मिलते हैं, किंतु बहुत कम मात्रा में हैं।

डॉ. रामविलास शर्मा ने सिद्ध किया है कि वर्तमान काल में भोजपुरी, मैथिली आदि हिंदी की बोलियां मात्र रह गई हैं। डॉ. बाहरी का भी इस विषय में स्पष्ट मत है कि बिहार और राजस्थान प्रांतों में बोलियां तो अवश्य हैं, किंतु बिहारी, राजस्थानी अथवा पहाड़ी, नाम की कोई 'भाषाएं' नहीं हैं, कोई अपनी लिपि नहीं, साहित्य की कोई अपनी परंपरा नहीं, शासन द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं। अपनी पुस्तक 'राजस्थानी भाषा' में चटर्जी ने राजस्थानी को हिंदी भाषा कहा है। कोलकाता में लोग राजस्थानी को 'मारवाड़ी हिंदी' कहते हैं और मुंबई या पंजाब में बिहारी हिंदी या पूर्वी प्रचलित नाम है। पहाड़ी के बारे में स्वतः ग्रियर्सन ने कबूल किया है कि पहाड़ी नाम की कोई एक भाषा नहीं है, सुविधा के लिए यह नाम दिया गया है। डॉ. भगीरथ मिश्र सुझाव देते हैं कि बिहार की बोलियों की इकाई को बिहारी हिंदी, राजस्थान की बोलियों की इकाई को राजस्थानी हिंदी और गढ़वाली कुमाऊं की पहाड़ी हिंदी कहना अधिक समीचीन है।

भाषा में एकरूपता-सम्मत विशिष्टता होती है। उसकी शब्दावली, वाक्य-रचना, उच्चारण आदि की एकरूपता व समानता बनाए रखने के लिए प्रयोक्ता सचेत रहते हैं। बोली में ऐसी एकरूपता नहीं पाई जाती। यह अपने क्षेत्र के प्रयोक्ताओं द्वारा ही बोली जाती है। भाषा के मौखिक व लिखित रूपों में भी एकरूपता व समानता होती है। उच्चरित शब्द-रूप की वर्तनी भी व्याकरणिक नियमों के अनुसार निश्चित होती है, जबकि बोली अधिकतर मौखिक रूप में प्रयुक्त होती है और उसके मौखिक-लिखित रूप में एकरूपता भी नहीं होती।

देवनागरी लिपि का उद्भव सातवीं-आठवीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट (सातवीं-आठवीं शताब्दी) के एक शिलालेख में

देखा गया है। आठवीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों ने तथा नवीं शताब्दी में बड़ौदा नरेश ध्रुवराज ने अपनी राजाज्ञाओं में देवनागरी लिपि का व्यवहार किया है। विजयनगर तथा कोंकण राज्यों में भी सामान्यतया देवनागरी के प्रयोग का संकेत मिलता है।

टिप्पणी

4.7 मुख्य शब्दावली

- हास : क्षति।
- सम्यक् : संपूर्ण।
- विशिष्ट : विशेष।
- प्रागैतिहासिक : उपलब्ध इतिहास से पूर्वा।
- अश्व : घोड़ा।
- अपरिहार्य : आवश्यक।
- वैभाषिक : विभाषा संबंधी।
- शरीरावयवों : शरीर के अवयवों।
- संप्रेषण : संचार।
- वैयक्तिक : व्यक्तिगत।
- स्वमेव : स्वतः।
- ऑक्सिडेंटल : दुर्घटनाजनित।
- निष्पन्न : उत्पन्न।
- घनिष्ठ : गहरा।
- पुनरावृत्ति : दुहराव।
- भारोपीय : भारत-यूरोपीय।
- विघ्न : बाधा।

4.8 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर

1. डॉ. देवीशंकर द्विवेदी
2. दो (गुप्त भाषा एवं सामान्य भाषा)
3. (क) सही, (ख) गलत
4. Comparative Grammar of Gaudian Languages में
5. पूर्वी पहाड़ी (गोरखाली)
6. (क) सही, (ख) गलत
7. लिपि

8. ब्राह्मी लिपि से
9. (क) गलत, (ख) सही

4.9 अभ्यास हेतु प्रश्न

लघु-उत्तरीय प्रश्न

1. भाषा के विविध प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए।
2. अपभ्रंश को पुरानी हिंदी क्यों माना जाता है?
3. बोली से आप क्या समझते हैं?
4. हिंदी भाषा का उद्भव काल स्पष्ट कीजिए।
5. देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक कैसे कहा जा सकता है?

दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न

1. भाषा को परिभाषित कीजिए और बताइए कि प्रतीक क्या है?
2. भाषा की विशेषताएं क्या हैं? भाषा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए।
3. भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए।
5. देवनागरी लिपि का परिचय देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए।
6. देवनागरी लिपि में सुधार की संभावनाएं रेखांकित कीजिए।

4.10 आप ये भी पढ़ सकते हैं

1. डॉ. भगीरथ मिश्र, काव्यशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर-1957
2. डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल, हिन्दी साहित्य में विविध वाद, पद्मजा प्रकाशन कानपुर 2010-वि.सं.
3. डॉ. वेंकट शर्मा, भूमिका नगेंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य में समालोचना का विकास, आत्माराम एंड संस दिल्ली-1967
4. डॉ. जगदीश प्रसाद कौशिक, काव्य दर्पण, साहित्यागार, जयपुर-1988
5. डॉ. जगदीश प्रसाद कौशिक, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिमान, साहित्यागार जयपुर-1988
6. सत्यदेव मिश्र, पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धांत और वाद, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, 1975
7. डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी, सहृदय और साधारणीकरण, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, 1984
8. डॉ. लक्ष्मी पांडेय, अधुनातन काव्यशास्त्री : आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी, उर्मिल प्रकाशन, गाजियाबाद।

इकाई 5 भाषा विज्ञान

इकाई की रूपरेखा

- 5.0 परिचय
- 5.1 इकाई के उद्देश्य
- 5.2 भाषा विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र एवं अन्य विषयों से संबंध
 - 5.2.1 भाषा विज्ञान की परिभाषाएं एवं क्षेत्र
 - 5.2.2 भाषा विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध
- 5.3 भाषा विज्ञान की शाखाओं का परिचय
 - 5.3.1 वर्णनात्मक
 - 5.3.2 ऐतिहासिक
 - 5.3.3 तुलनात्मक
- 5.4 ध्वनि विज्ञान : स्वनों की अवधारणा
 - 5.4.1 स्वर स्वनों का वर्गीकरण
 - 5.4.2 व्यंजन स्वनों का वर्गीकरण
 - 5.4.3 स्वन गुण एवं नियम
- 5.5 स्वन परिवर्तन की दिशाएं और कारण
 - 5.5.1 स्वन परिवर्तन की दिशाएं
 - 5.5.2 स्वन परिवर्तन के कारण
- 5.6 सारांश
- 5.7 मुख्य शब्दावली
- 5.8 'अपनी प्रगति जांचिए' के उत्तर
- 5.9 अभ्यास हेतु प्रश्न
- 5.10 आप ये भी पढ़ सकते हैं

5.0 परिचय

भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान के अध्येता 'भाषा विज्ञानी' कहलाते हैं। भाषा विज्ञान व्याकरण से भिन्न है। व्याकरण में किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन (Functional description) किया जाता है जबकि भाषा विज्ञानी इसके आगे जाकर भाषा का अत्यंत व्यापक अध्ययन करता है। अध्ययन के अनेक विषयों में से आजकल भाषा विज्ञान को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भाषा संबंधी अध्ययन को अनेक संज्ञाओं से अभिहित किया जाता रहा है। शुरू में इस अध्ययन को फिलोलॉजी (Philology) शब्द के आगे विशेषण के रूप में एक शब्द जोड़ा गया- कम्पैरेटिव (Comparative) तब इसे कम्पैरेटिव फिलोलॉजी कहकर पुकारा गया। उन्नीसवीं सदी में संपूर्ण यूरोप में ही Linguistics अथवा Linguistics नाम ही प्रचलित रहा। भारतवर्ष में इन सभी यूरोपीय नामों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में जो नाम प्रयोग में लाए जाते हैं, वे हैं- भाषाशास्त्र, भाषा तत्व तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान आदि। इन सभी नामों में सर्वप्रचलित नाम भाषा विज्ञान ही है। 'भाषा विज्ञान' नाम में दो पदों का प्रयोग हुआ है- 'भाषा' तथा 'विज्ञान'। अतः यही नाम इस शास्त्र के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है।

भाषा विषयक जिज्ञासाओं की तृप्ति, अर्थ-उच्चारण-प्रयोग विषयक समस्याओं का समाधान, विदेशी भाषाओं को सीखने में योगदान, भाषा-लिपि आदि में सरलता-शुद्धता संबंधी सहयोग की दृष्टि से भाषा विज्ञान का महत्व अक्षुण्ण है।

ध्वनि-विज्ञान भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। इसका संबंध भाषा के भौतिक आधार स्वन अर्थात् ध्वनि से है। ध्वनि-विज्ञान में मानव मुख से निस्सृत ध्वनियों का सर्वांगीण विवेचन किया जाता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जितना इस क्षेत्र में कार्य हुआ है, उतना किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। ध्वनि शब्द संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में 'ध्वनि शब्द' एक धातु है, उसी धातु से ध्वनि शब्द निर्मित हुआ है।

सामान्यतः कर्णगोचर कोई भी शब्द ध्वनि संज्ञा से अभिहित किया जाता है, किंतु भाषा विज्ञान में इस प्रकार की किसी ध्वनि की अपेक्षा नहीं है, जिसका संबंध भाषा से न हो, जो सार्थक न हो।

इस इकाई में हम भाषा विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र एवं अन्य विषयों से संबंध को रेखांकित करते हुए स्वनों के वर्गीकरण, स्वन गुण एवं नियम, स्वन परिवर्तन की दिशाएं और काल से परिचित होंगे।

5.1 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- भाषा विज्ञान, इसके क्षेत्र एवं इसका अन्य विषयों से संबंध को समझ पाएंगे;
- भाषा विज्ञान की विविध शाखाओं से परिचित हो पाएंगे;
- स्वर एवं व्यंजन स्वनों का वर्गीकरण कर पाएंगे;
- स्वन के गुण एवं नियम समझ पाएंगे;
- स्वन परिवर्तन की दिशा और कारणों से अवगत हो पाएंगे।

5.2 भाषा विज्ञान : परिभाषा, क्षेत्र एवं अन्य विषयों से संबंध

भाषा विज्ञान एक यौगिक शब्द है, जो 'भाषा' और 'विज्ञान' इन दो शब्दों के योग से बना है। इनमें से भाषा उस वाणी को कहते हैं, जिसके नियमों में विकल्प के लिए तनिक भी अवकाश नहीं होता, जो अकाट्य एवं अतर्क्य होते हैं। अर्थात् 'भाषा विज्ञान' वह विज्ञान है जिसमें भाषा एवं भाषा तत्वों का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक आधार पर वैज्ञानिक-अध्ययन किया जाता है।

अंग्रेजी में 'भाषा विज्ञान' के लिए प्रायः दो शब्द प्रचलित हैं—'Philology' तथा 'Linguistics'। भाषा के मर्मज्ञ ब्लूमफील्ड (Bloomfield) का मतव्य है कि जिसमें लिखित भाषा का अध्ययन किया जाता है उसे 'Philology' कहते हैं तथा जिसमें बोलचाल की भाषा का अध्ययन किया जाता है उसे 'Linguistics' कहते हैं। वहीं, डॉ. अंबा प्रसाद 'सुमन' ने अपने ग्रंथ 'भाषा विज्ञान' में लिखा है कि—“जिसमें भाषाओं की आंतरिक रचना का अध्ययन किया जाता है, उसे 'Linguistics' तथा जिसमें भाषाओं के आंतरिक एवं बाह्य सभी रूपों का अध्ययन

किया जाता है, उसे 'Philology' कहते हैं। इसी तरह 'Philology' का वही अर्थ है, जो 'Linguistics' का है।

भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन ही भाषा विज्ञान है। प्राचीन काल में भाषा विषयक विभिन्न अंगों के अध्ययन के लिए शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, प्रातिशाख्य जैसे शब्द प्रचलित थे—इनमें से प्रत्येक का संबंध भाषा के किसी अंग विशेष से रहता था। पश्चिम में इसे Comparative Philology, Comparative Grammar, Glossology कहा गया। आगे चलकर अंग्रेजी में इसे Science of Language कहा गया, जो Linguistics के रूप में प्रचलित हुआ। हिंदी के भाषाविदों ने इसे 'भाषाशास्त्र', 'भाषा लोचन' और भाषिकी कहा है, लेकिन इसका नाम भाषा विज्ञान ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। यह भाषा के विभिन्न अवयवों और पहलुओं का विवेचन करने वाली विद्याशाखा है, जिसमें उसकी संरचना, प्रकृति और विकास की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किया जाता है।

5.2.1 भाषा विज्ञान की परिभाषाएं एवं क्षेत्र

भाषा विज्ञान की परिभाषाएं विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

1. डॉ. पी.डी. गुणे ने भाषा विज्ञान को 'Science of Language' माना है। उनके अनुसार, 'तुलनात्मक भाषा विज्ञान' या केवल 'भाषा विज्ञान' भाषा का विज्ञान है। यथार्थतः फिलोलॉजी शब्द का अर्थ किसी भाषा का साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन है। जर्मनी में यूरोप के अन्य देशों की भांति ही, फिलोलॉजी का अर्थ अब भी किसी साहित्य का अध्ययन है। संप्रति भाषाओं में किसी विशेष वर्ग के तुलनात्मक भाषा विज्ञान का उद्देश्य है, उनकी पारस्परिक समानता का अन्वेषण एवं उनकी व्याख्या। इस प्रकार गुणे के अनुसार भाषा विज्ञान भाषाओं के विशिष्ट अध्ययन, साहित्यिक दृष्टि से भाषाओं का अध्ययन एवं विभिन्न वर्गों की भाषाओं की वर्गीय समानता तथा असमानता का अध्ययन है।
2. डॉ. श्यामसुंदर ने अपनी पुस्तक 'भाषा रहस्य' में भाषा विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार की है—“भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके हास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है।”
3. डॉ. मंगलदेव शास्त्री भाषा विज्ञान की परिभाषा करते हुए लिखते हैं—
भाषा विज्ञान उसे कहते हैं, जिसमें— सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अंततः भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं पर तुलनात्मक विचार किया जाता है।
4. डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, “जिस विज्ञान के अंतर्गत समकालीन, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति और विकास आदि की सम्यक् व्याख्या करते हुए उन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं।”

5. डॉ. देवीशंकर द्विवेदी के अनुसार, भाषा विज्ञान को अर्थात् भाषा के विज्ञान को भाषिकी कहते हैं। भाषिकी में भाषा का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है।
6. आर.एच. रोबिन्स के अनुसार, General linguistics may be defined as the science of language. —R.H. Robins, General Linguistics, p. 1
7. जॉन लायंस के अनुसार, “भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जा सकता है। (Introduction to theoretical linguistics)
8. डॉ. मनमोहन गौतम ने ‘सरल भाषा विज्ञान में’ भाषा विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार की है—“भाषा विज्ञान वह शास्त्र है जिसमें ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्रकृति, विकास एवं हास आदि की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है।”
9. डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा के अनुसार, “भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान ही भाषा विज्ञान कहलाएगा।”
10. डॉ. बाबूराम सक्सेना ने भाषा विज्ञान की परिभाषा करते हुए लिखा है कि, “भाषा तत्वों का अध्ययन भाषा विज्ञान है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं का अनुशीलन कर हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान में भिन्न-भिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। यह अध्ययन ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक रीति से किया जाता है। ऐतिहासिक रीति से भाषाओं की उत्पत्ति, विकास और भाषा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक रीति से विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक विवेचन किया जाता है। भाषा में परिवर्तन होता है, जो साधारण लोगों की बोलचाल में अधिक दिखाई देता है। अतः भाषा विज्ञान में बोलियों का भी विस्तृत विवेचन किया जाता है। भाषा विज्ञान में भी विज्ञान की भांति सिद्धांत या नियम होते हैं।

भाषा विज्ञान का क्षेत्र

भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है। भाषा मानव मात्र के लिए अनिवार्य तत्व है, उसकी व्यवहार साधिका है। अतः भाषा विज्ञान का विषय क्षेत्र व्यापक है। कहा गया है कि “भाषा विज्ञान का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितनी कि संपूर्ण मानवता, क्योंकि इसका संबंध विश्व के मनुष्यों की भाषा से है।” यह भाषा विज्ञान तथा उसके विभिन्न अंगों का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जिन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, उन्हें सुविधा की दृष्टि से प्रधान विषय तथा गौण विषय, इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।

प्रधान विषयों के अंतर्गत वाक्य-विज्ञान, रूप-विज्ञान, ध्वनि-विज्ञान तथा अर्थ-विज्ञान की गणना होती है। गौण विषयों के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण, व्युत्पत्तिशास्त्र, शब्दसमूह, लिपि, प्रागैतिहासिक खोज तथा भाषा विज्ञान का इतिहास आदि विषय सन्निविष्ट होते हैं।

(क) प्रधान विभाग

प्रधान विभाग के अंतर्गत निम्न विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है—

1. **वाक्य विज्ञान**— भाषा मनुष्य के विचार विनिमय का साधन है। वाक्य विचारों द्वारा प्रकट किए जाते हैं। किन्हीं दो भाषाओं के वाक्यों की तुलना को वाक्यविचार या वाक्य-विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य रचना पर विचार किया जाता है। वाक्यविचार के अध्ययन को तीन उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है— वर्णनात्मक वाक्यविचार (Descriptive syntax), ऐतिहासिक वाक्यविचार (Historical syntax) तथा तुलनात्मक वाक्यविचार (Comparative syntax)। इनमें वर्णनात्मक वाक्यविचार में वाक्य का अध्ययन साधारण रूप से किया जाता है। ऐतिहासिक वाक्यविचार में वाक्यरचना का इतिहास तथा तुलनात्मक वाक्यविचार में दो भाषाओं के वाक्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार वाक्य-विज्ञान में वाक्य का अध्ययन पदक्रम, अन्वय, परिवर्तन आदि की दृष्टि से किया जाता है। वाक्य-विज्ञान को ‘वाक्यविचार’ अथवा ‘वाक्य रचना शास्त्र’ के नाम से भी अभिहित किया जाता है।
2. **रूप-विज्ञान**— इसे पद विज्ञान या पद रचना शास्त्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भाषा का रूपात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें उन विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिनसे शब्द-रचना होती है। इसमें मुख्य रूप से धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, विभक्ति आदि का विवेचन किया जाता है। पद विज्ञान का अध्ययन भी वाक्य विज्ञान की भांति ही वर्णनात्मक, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक इन तीन प्रकारों से किया जा सकता है। रूप-विज्ञान को पद विज्ञान, पद रचना शास्त्र, रूप विचार आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है।
3. **ध्वनि-विज्ञान**— ध्वनियों की सहायता से ही पद या शब्द की रचना होती है अर्थात् शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। अतः भाषा विज्ञान में ध्वनियों का महत्व स्वयंसिद्ध है। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान का नीरस, क्लिष्ट किंतु अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण विषय है। इस विभाग के अंतर्गत ध्वनि परिवर्तन, उसके कारण और दिशा के विश्लेषण के साथ ध्वनि अवयव अर्थात् मुखविवर, नासिकाविवर, स्वरतंत्री, ध्वनियंत्र आदि, ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया, ध्वनि लहरों का प्रसरण, ध्वनि का सुना जाना, ध्वनि तरंग आदि का तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, सामान्य नियम निर्माणादि का अध्ययन किया जाता है।
- डॉ. गुणे का कथन है कि वस्तुतः इसे ध्वनियों का उच्चारण, अक्षर रूप में उनका संयोग, उन अक्षरों का शब्द रूप में संयोग तथा अंततः शब्दों से वाक्यों का निर्माण आदि भाषा विषयक विभिन्न तत्वों पर विचार करना पड़ता है।
4. **अर्थ-विज्ञान**— शब्दों का अर्थ ही विचार-विनिमय के साथ ग्राह्य होता है। अर्थ ही भाषा की आत्मा है। भाषा विज्ञान में भाषा अध्ययन का विषय है, अतः भाषा की आत्मा अर्थ पर आवश्यक रूप से विचार किया जाता है। अर्थ विज्ञान में शब्दों का अर्थ से संबंध, अर्थ-परिवर्तन, अर्थ-परिवर्तन के कारण, अर्थ-ध्वनि-संबंध, पर्याय, विलोम आदि बातों पर विचार किया जाता है। अर्थ-विचार वर्णनात्मक, ऐतिहासिक

तथा तुलनात्मक रूप से किया जा सकता है। इसमें किस प्रकार शब्द अपने अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, कैसे अर्थ का संकुचन एवं विस्तारण होता है, आदि का विचार किया जाता है। 'अश्व' का अर्थ घोड़ा ही क्यों हुआ, 'उपाध्याय' किस प्रकार 'ओझा' अथवा 'झा' हो गए - इनका अध्ययन अर्थ विज्ञान के आश्रय से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे 'अर्थ विचार' या 'अर्थ उद्बोधन शास्त्र' भी कहते हैं।

इन प्रधान विभागों के अतिरिक्त डॉ. भोलानाथ तिवारी ने एक अन्य विभाग 'शब्द विज्ञान' भी स्वीकार किया है। 'शब्द विज्ञान' के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण, शब्दसमूह में परिवर्तन के कारण, शब्दों का तुलनात्मक विवेचन, शब्दों की व्युत्पत्ति आदि का अध्ययन किया जाता है।

(ख) गौण विभाग

गौण विभाग के अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है-

1. **भाषा की उत्पत्ति**- भाषा विज्ञान का सबसे अधिक स्वाभाविक तथा आवश्यक अध्ययन 'भाषा की उत्पत्ति' का है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से मंतव्य व्यक्त किए हैं, किंतु कुछ विद्वान भाषा की उत्पत्ति पर चिंतन करना भाषा विज्ञान के अंतर्गत स्वीकार नहीं करते, किंतु यह असमीचीन है। यद्यपि भाषा की उत्पत्ति का प्रतिपादन करना एक दुष्कर कार्य है, किंतु इसकी उत्पत्ति सिद्धांत की चर्चा करना भी अपरिहार्य है। अतः भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, उसके विकास आदि के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

इस संदर्भ में डॉ. गुणे का कथन है कि, "इसमें भाषा की उत्पत्ति तथा विकास एवं परिवर्तन के कारण आदि अन्य प्रश्न भी समाविष्ट होते हैं। इस प्रकार, इसकी समस्या गत्यात्मक है। यह केवल भाषा की चिर परिवर्तनशीलता का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु उस परिवर्तन के कारणों का भी पता लगाने का प्रयास करता है।"

2. **भाषाओं का वर्गीकरण**- इस विभाग में भाषाओं का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन करके भाषा का वर्गीकरण किया जाता है तथा यह निश्चित किया जाता है कि भाषा किस कुल की है। भिन्न-भिन्न भाषाओं का अध्ययन वाक्य-विज्ञान, रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान आदि तथ्यों पर विचार करके किया जाता है। भाषाओं को आकृतिमूलक तथा पारिवारिक वर्गीकरण में विभक्त करना भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है।

इस विषय में डॉ. गुणे का कथन है कि भाषाओं के किसी वर्ग विशेष की पारस्परिक समानताओं का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करना, तुलनात्मक भाषा विज्ञान का उद्देश्य है-इस प्रसंग में ह्विटनी का उद्धरण द्रष्टव्य है-"भाषा मानव अभिव्यक्ति (पशु अभिव्यक्ति से भिन्न) के साधन के रूप में, उसकी एकरूपता तथा सामग्री एवं संरचना की दृष्टि से आंतरिक अनेकता को ठीक से समझने के लिए भाषाओं की समानता और अंतर के कारण का पता लगाना पड़ता है एवं समानता तथा अंतर की स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित करके उन्हें वर्गीकृत करना पड़ता है।"

3. **व्युत्पत्तिशास्त्र**- भाषा विज्ञान का प्रारंभ व्युत्पत्तिशास्त्र से ही हुआ है। इसके अंतर्गत शब्द के संपूर्ण जीवन का इतिहास तथा उसमें होने वाले बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। इसमें ध्वनि, अर्थ, रूप आदि पर भी विचार किया जाता है। यह भाषा विज्ञान का स्वतंत्र विषय नहीं अपितु ध्वनि, अर्थ और रूपविचार का सम्मिलित रूप है।

4. **शब्द समूह**- इस विभाग के अंतर्गत किसी भाषा के नवीन शब्दों का सृजन एवं विदेशी शब्दों की स्वीकृति आदि बातों पर विचार होता है। शब्द समूह के अध्ययन से उसके प्रयोगकर्ताओं की विचारधारा पर प्रकाश पड़ता है।

5. **लिपि**-भाषा के लिखित रूप के लिए किसी न किसी लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि के बिना भाषा साहित्य का सुरक्षित रहना अत्यंत कठिन है। अतः भाषा का लिपि से घनिष्ठ संबंध है। इसी से भाषा विज्ञान में लिपि की उत्पत्ति, विकास, लिपि का वर्तमान तथा भविष्य, लिपि की उपादेयता, ध्वनि-विज्ञान की सहायता से लिपि सुधार आदि का अध्ययन किया जाता है।

6. **प्रागैतिहासिक खोज**- यह भाषा विज्ञान का नवीनतम विभाग है। इसमें भाषा के आधार पर प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति एवं सभ्यता पर प्रकाश डाला जाता है। इस क्षेत्र में भाषा विज्ञान ने एक नवीन आशा की किरण दी है। अभी इस विषय का विस्तृत अध्ययन यद्यपि नहीं हुआ है, तथापि इस दिशा में जो कुछ कार्य हुआ है, वह प्रशंसनीय एवं आशाजनक है।

7. **भाषा विज्ञान का इतिहास**- यह भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत विश्लेषण का विषय है। जिस विषय के विभिन्न पहलुओं पर हम सूक्ष्म रूप से विचार कर रहे हैं, उसकी आत्मकथा-ज्ञान विषयक भावना का अंतर्गोपन कहां तक उचित है, भाषा विज्ञान का किन परिस्थितियों में विकास हुआ, किस-किस देश में किन-किन भाषाओं पर कार्य किया गया आदि को समझना आवश्यक है। भारत में इस पर किए गए कार्यों को दो भागों में विभक्त किया गया है-भारतीय विद्वानों द्वारा भाषा विज्ञान पर किए गए कार्य और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किए गए कार्य।

8. **कोशविज्ञान**- कोश-निर्माण की क्या प्रक्रिया है? शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? शब्द के अर्थों का निर्धारण कैसे होता है? शब्दों को कोश में किस क्रम से रखना चाहिए? ये बातें भाषा विज्ञान से संबद्ध हैं। इसलिए कोशविज्ञान भाषा विज्ञान का ही क्षेत्र माना जाता है। व्युत्पत्ति का विचार अलग से भी हो सकता है जिसके लिए हमारे यहां निरुक्त शब्द का प्रयोग होता था और अंग्रेजी में 'एटिमॉलॉजी' का। आज निरुक्त भी कोश विज्ञान के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है।

9. **भाषिक भूगोल**- भाषिक भूगोल भाषा विज्ञान के क्षेत्र विस्तार की एक नवीन दिशा है, जिसमें भाषा संबंधी सीमाओं का विचार और निर्धारण किया जाता है। कोई भाषा कहां तक बोली जाती है, उसके वैभाषिक रूप क्या हैं एवं कहां प्रयुक्त होते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा की सीमाएं जब मिलती हैं तो वे कैसे एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं, सीमा प्रदेश की भाषा को किस भाषा के अंतर्गत माना जाए? आदि प्रश्न भाषिक भूगोल के द्वारा निर्णीत होते हैं।

पीछे वर्णित प्रधान एवं गौण विभागों के अतिरिक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का भी अध्ययन किया जाता है—

1. भाषा, भाषा की प्रकृति, विकास तथा उसके अनेक रूप जैसे बोली, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि।
2. भाषा के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारण तथा भाषिक पुनर्निर्माण आदि।
3. किसी वर्तमान भाषा के अध्ययन तथा अध्ययन सामग्री एकत्र करने की प्रणाली का विवेचन।
4. सुरविज्ञान, गलासे मेटिक्स, नाम विज्ञान, शैली शास्त्र, बोली विज्ञान, जाति भाषा विज्ञान आदि।
5. इसी प्रकार भाषा विज्ञान के गौण अंग भौगोलिक अध्ययन में भाषा का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है।
6. विश्व के विभिन्न भागों में प्रयुक्त भाषाएं, उनकी बोलियां तथा बोली भूगोल (Dialect Geography) भाषा विज्ञान के इसी अंग के अंतर्गत आती हैं।
7. शैली विज्ञान, जिसका संबंध साहित्य में भाषा के प्रयोग से है, का अध्ययन भाषा का ही अंग है, जिसमें यह देखा जाता है कि साहित्य या वार्तालाप में प्रभाव की दृष्टि से किस प्रकार के स्वरों (ध्वनियों), रूपों, वाक्यों या अर्थों को छोड़ा जाए और किन्हें संयुक्त किया जाए। इस विज्ञान द्वारा लेखक, कवि और वक्ता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है।
8. भू-भाषा विज्ञान में विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों का संग्रह किया जाता है। बोली विज्ञान और भू-भाषा विज्ञान एक दूसरे से संबद्ध हैं। विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, भाषा और समाज का पारस्परिक संबंध, भाषा का मानस पटल पर प्रभाव, भाषा और अनुभूति आदि के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान (Socio-Linguistics) के अंतर्गत किया जाता है।
9. मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा और मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध, भाषा का व्यक्तिगत और सामूहिक मानसिकता पर प्रभाव, भाषा और अनुभूति आदि मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है।

5.2.2 भाषा विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध

भाषा मनुष्य के अंतर्मन में निहित समस्त राग-विरागों, द्वंद्व, तनाव, करुणा, प्रेम, घृणा आदि को अभिव्यक्त करती है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं जिनका इतिहास भाषा विज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये विविध भाषाएं विविध विषयों से संबद्ध हैं अतः भाषा विज्ञान का इन विषयों के साथ संबंध कैसा है यह वैज्ञानिक विधि से जाना जाता है। जीवन से साहित्य का और विविध विषयों का स्वाभाविक नाता है अतः भाषा और भाषा विज्ञान से भी यह संबंध स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है।

ज्ञान अखंड और अनंत है। विभिन्न नदियों के सागर में मिलने के समान ही वह भी अनंत धाराओं के रूप में प्रवाहित होता हुआ एक ही अखंड ज्योति में जाकर विलीन हो जाता है। जिज्ञासा के क्रम में एक स्थान ऐसा भी आता है, जहां शास्त्र और ज्ञान की काल्पनिक उपाधियां समाप्त हो जाती हैं और सम्मिलित एकाकार होकर ज्ञान अविभाज्य रूप में दृष्टिगत होने लगता है। परंतु व्यवहार की दृष्टि से उसके भेद करके अध्ययन करने में थोड़ी सुविधा रहती है और हम उसे विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों का रूप देकर संतुष्ट हो जाते हैं। अतएव इन भेदों के उपरांत भी अनेकता को प्राप्त शास्त्रों और विज्ञानों का अन्योन्याश्रित संबंध बना ही रहता है। कुछ शास्त्र परस्पर निरपेक्ष भी होते हैं, किंतु कुछ परस्पर सापेक्ष होते हैं। यहां भाषा विज्ञान के सापेक्ष शास्त्रों का अध्ययन ही अभिप्रेत है।

भाषा विज्ञान, भाषा का क्रमबद्ध ज्ञान है। भाषा मानव जीवन का अत्यंत उपकारक माध्यम है। अपने अनेक मंतव्य और भाव हम परस्पर भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। अर्थात् भाषा के माध्यम से ही हम एक-दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं, अपनी इच्छा या अभिलाषा व्यक्त करते हैं और लोक-व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। भाषा ही हमें ज्ञान-विज्ञान के अनुसंधान में सहायता प्रदान करती है और भाषा से ही हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर प्रकृति के विविध रहस्यों का उद्घाटन करने में समर्थ होते हैं। जब भाषा हमारे जीवन, जगत, ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार रखती है, तब भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले भाषा विज्ञान का संबंध ज्ञान-विज्ञान की अन्य शाखाओं एवं ज्ञान विज्ञान के प्रतिपादक विविध शास्त्रों से होना स्वाभाविक है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान भाषा विज्ञान का विविध शास्त्रों से बड़ा ही निकट एवं घनिष्ठ संबंध मानते हैं।

भाषा विज्ञान और साहित्य

यद्यपि भाषा विज्ञान को किसी भाषा के स्वभाव और उसकी सहज प्रवृत्तियों को समझने में असमर्थ, अनपढ़ गंवारों और ठेठ ग्रामीणों की बोलियों से अधिक सहायता मिलती है तथापि साहित्य की संपन्न भाषाएं भी उसके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं होतीं। साहित्य एक प्रकार से भाषा का स्थायी रूप है, इसलिए भाषा विज्ञान के अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण आधार है। जिस भाषा का साहित्य नहीं है, उसके भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन का अवकाश भी कम है, उस भाषा का कम से कम ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन तो संभव ही नहीं है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए (जीवित भाषाओं के जीवित रूप को छोड़कर) सारी सामग्री साहित्य से लेता है।

• साहित्य की भाषा विज्ञान को देन

1. साहित्य ही यह बता सकता है कि प्राचीन 'वैदिक भाषा का स्वरूप' क्या था, क्योंकि 'ऋग्वेद' में उस भाषा का स्वरूप आज तक सुरक्षित मिलता है।
2. साहित्य से ही यह बोध होता है कि किस तरह व्याकरण के नियमों से मुक्त कोई दूसरी भाषा भी जन-साधारण में उस समय प्रचलित थी, जिस समय वैदिक भाषा का संस्कार एवं परिष्कार हो रहा था, क्योंकि 'पालि' एवं 'प्राकृत' का साहित्य उस भाषा को आज तक संजोए है।

3. साहित्य से ही भाषा विज्ञान को यह ज्ञान होता है कि किस तरह अपभ्रंश भाषा के उपरांत हिंदी के प्राचीन रूपों का विकास हुआ, किस तरह खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बघेली, बांगरू आदि बोलियों का प्रादुर्भाव हुआ और किस तरह खड़ी बोली उत्तरोत्तर विकसित होती हुई आज एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में प्रचलित है, क्योंकि इन सभी बोलियों एवं भाषाओं का साहित्य उपलब्ध है, जो भाषाओं के क्रमिक ऐतिहासिक विकास के अध्ययन हेतु प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करता है।
 4. भाषा विज्ञान की प्रारंभिक अवस्था में व्याकरण और कोश से ही काम चल जाता था पर अब वाक्य विचार और अर्थातिशय का भी अध्ययन होने लगा है। इनका संबंध तो साहित्य से ही है। साहित्य भाव प्रधान होता है, इसलिए शब्द के भावों और अर्थों का अध्ययन करना भी भाषा विज्ञान के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य माना जाता है।
 5. जिन प्राचीन भाषाओं का अध्ययन एक वैज्ञानिक करता है, वे साहित्य के द्वारा रक्षित रहकर ही आज तक अमर हो सकी हैं अर्थात् भाषा विज्ञान अपने अध्ययन के लिए संपूर्ण सामग्री साहित्य से लेता है। यदि आदि काल से आधुनिक काल तक का हिंदी साहित्य हमें उपलब्ध न हुआ होता तो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा के 'ऐतिहासिक विकास' का अध्ययन किस प्रकार कर पाता? यदि आज 'संस्कृत', 'ग्रीक' और 'अवेस्ता' साहित्य हमारे समक्ष न होते तो यह जानना बड़ा कठिन होता कि इन तीनों भाषाओं के मूल में संस्कृत है।
 6. भाषा के संबंध में क्यों, कब और कैसे का उत्तर देने के लिए साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। जीवित भाषा तो यह बतला देगी कि भोजपुरी में 'बाटे' शब्द है, पर यह कहां से आया, इसके लिए भाषा विज्ञान संस्कृत साहित्य को खोजेगा और तब यह कह सकेगा कि इसका मूल संस्कृत शब्द 'वर्तते' है या बुंदेलखंड की ओर नटखट लड़कों को, 'ओना मासी धम, बाप पढ़े ना हम' सुनकर जब जिज्ञासा बढ़ेगी कि यह 'ओना मासी धम' क्या बला है, तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन ही उसे बतलाएगा कि 'शाकटायन' के प्रथम सूत्र 'ॐ नमः सिद्धम्' का ही यह बिगड़ा रूप है।
- साहित्य केवल अपने ऐतिहासिक विकास द्वारा भाषा विज्ञान के अध्ययन में सहायक नहीं होता, अपितु भाषा विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी पर्याप्त उपयोगी सामग्री प्रदान करता है।
7. साहित्य के आधार से ही आज भाषाओं के पारिवारिक विकास के अध्ययन का कार्य भाषा विज्ञान कर सका है, क्योंकि भाषा विज्ञान को साहित्य में ही वह सामग्री स्थायी रूप में मिल सकती है, जिसके आधार पर वह तुलना करता हुआ किसी एक भाषा-परिवार को निश्चित करता है, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, जर्मन, ईरानी, अवेस्ता आदि भाषाओं का मूल स्रोत एक है और ये सभी एक परिवार की भाषाएं हैं- यह पता इनके प्राचीन साहित्य के अध्ययन का ही परिणाम है। जिन भाषाओं

- का प्राचीन साहित्य आज लुप्त हो गया है अथवा नष्ट हो गया है, उनका तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन करना आज भाषा विज्ञान के लिए सर्वथा असंभव है।
8. ऋग्वेद से पहले यहां कौन-सी भाषा प्रचलित थी, आज ऋग्वेद से पूर्व का साहित्य उपलब्ध न होने के कारण कुछ पता नहीं चलता। आज वैदिक भाषा, संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश आदि का अध्ययन सुगमता से इसीलिए हो सकता है, क्योंकि इनका साहित्य उपलब्ध है और उसमें भाषा-विकास के सभी सोपान विद्यमान हैं। अतः भाषा विज्ञान को तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य साहित्य ही करता है।
 - “साहित्य से ही भाषा विज्ञान को ध्वनियों के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है।”
 9. साहित्य ही यह बता सकता है कि वैदिक काल में कितनी ध्वनियां प्रचलित थीं, प्राकृत काल में आकर उनमें क्या-क्या परिवर्तन हुए। अपभ्रंश काल में आकर वे पुनः किस तरह परिवर्तित हुईं और आधुनिक युग में आकर उनके अंतर्गत कैसे-कैसे परिवर्तन हुए हैं।
 10. साहित्य से ही रूप परिवर्तनों का क्रमिक इतिहास ज्ञात होता है, क्योंकि साहित्य में ही किसी भाषा के प्राचीन एवं अर्वाचीन रूप विद्यमान रहते हैं। आज आर्य भाषा के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा विज्ञान को वैदिक साहित्य से लेकर प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मैथिली आदि विविध भाषाओं के साहित्य में व्यवहृत शब्दावली का अध्ययन करना पड़ता है।
- भाषा विज्ञान की साहित्य को देन
- जिस प्रकार भाषा विज्ञान साहित्य का ऋणी है, उसी प्रकार साहित्य भी किन्हीं अंशों में भाषा विज्ञान का ऋणी है।
1. साहित्य के ज्ञाता को साहित्य के; विशेषतः प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने के लिए भाषा विज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है। अति प्राचीन साहित्य को समझना तो भाषा विज्ञान पर ही निर्भर करता है।
 2. प्राचीन साहित्य में बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं, जिनका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक शब्द पहले किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता था और आज किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे 'असुर' शब्द का अर्थ देवता से बदलकर राक्षस हो गया, 'साहसिक' शब्द जो पहले डाकू का वाचक था, धीरे-धीरे हिम्मत वाले वीर पुरुष का द्योतक हो गया, 'स्वर्गवास' जो पहले देवों के निवास का द्योतक था धीरे-धीरे मृत्यु का वाचक हो गया है। ऐसे स्थलों का समाधान भाषा विज्ञान की सहायता से आसान हो जाता है।
 3. भाषा विज्ञान साहित्य से क्लिष्ट अर्थों, शब्दों के विचित्र प्रयोगों तथा उच्चारण संबंधी अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालता है, इसके अतिरिक्त साहित्य का अध्येता भाषा

विज्ञान के आधार पर भाषाओं के स्वरूप एवं गठन से इतना परिचित हो जाता है कि उसे अन्य भाषाओं को सीखने में सुविधा होती है। डॉ. वासुदेव नारायण अग्रवाल ने भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर जायसीकृत 'पद्मावत' के बहुत से शब्दों को उनके मूल रूपों से जोड़कर उनके अर्थों को स्पष्ट किया है, साथ ही शुद्ध पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता ली है।

4. भाषा विज्ञान ध्वनि परिवर्तन या अर्थ परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट कर जिज्ञासाओं को शांत कर देता है।

यद्यपि भाषा विज्ञान और साहित्य, दोनों का संबंध भाषा से ही है, दोनों का उद्देश्य भाषा का अध्ययन करना है, तथापि साहित्य के अध्ययन में भाषा पर विचार अर्थ की दृष्टि से किया जाता है, जबकि पहले भाषा विज्ञान में विशेष रूप से भाषा के स्वरूप का ही विचार किया जाता था।

एक वनस्पति-विज्ञानी और माली में जो अंतर है वस्तुतः वैसा ही भेद एक भाषा विज्ञानी और साहित्यसेवी में है। साहित्यकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, वह केवल एक भाषा का अध्ययन करता है और उसी की पूर्णता में अपनी संपूर्ण शक्ति को लगा देता है, परंतु भाषा विज्ञान का विद्वान केवल एक भाषा के ज्ञान से अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि अनेक भाषाओं के ज्ञान के बिना उनकी परस्पर तुलना करना असंभव है जो कि भाषा विज्ञान का मुख्य आधार है।

इस प्रकार साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं।

भाषा विज्ञान और व्याकरण

भाषा विज्ञान के वास्तविक रूप को समझने के लिए व्याकरण के अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है। इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। एक का अध्ययन करते हुए दूसरे का ज्ञान प्राप्त होना स्वाभाविक है। व्याकरण भाषा के टुकड़े-टुकड़े करके उसके ठीक स्वरूप को सामने लाता है, तथा भाषा विज्ञान को पढ़ते हुए व्याकरण की जानकारी हो जाती है। जैसा कि भर्तृहरि ने कहा भी है-

साधुत्व ज्ञान विषया सैवा व्याकरण मृतिः

अर्थात्, "व्याकरण का कार्य भाषा तथा उसके शब्दों की साधुता तथा असाधुता का ज्ञान प्राप्त कराना है।"

प्राचीन काल में व्याकरण और भाषा विज्ञान में कोई विशेष अंतर नहीं माना जाता था अतः भाषा विज्ञान को 'तुलनात्मक व्याकरण' कहा गया था। परंतु दोनों में कुछ साम्य होते हुए भी पर्याप्त भेद दिखाई देता है।

• भाषा विज्ञान और व्याकरण में साम्य

1. भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों का संबंध भाषा से है। दोनों ही भाषा के विषय में अध्ययन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसके संबंध में नवीन तथ्यों तथा नियमों पर प्रकाश डालते हैं।

2. व्याकरण में चार दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है-

क. वर्णनात्मक	ख. विश्लेषणात्मक
ग. ऐतिहासिक	घ. तुलनात्मक

भाषा विज्ञान में भी इन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक रूपों में भाषा विज्ञान और व्याकरण प्रायः अभिन्न से हैं। अब कुछ विद्वान इन रूपों को भाषा विज्ञान के अंतर्गत मानते हैं। केवल व्याकरण को वर्णनात्मक रूप प्रदान करते हैं।

• व्याकरण और भाषा विज्ञान में वैषम्य

यद्यपि भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों का संबंध भाषा से ही है, परंतु दोनों की दृष्टि और उद्देश्य भिन्न-भिन्न होने के कारण दोनों में पर्याप्त भेद हैं। प्रमुख कारण निम्नांकित हैं-

भाषा विज्ञान

1. भाषा विज्ञान, एक विज्ञान है, वह भाषा का वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन करता है।
2. भाषा विज्ञान का क्षेत्र व्यापक व विस्तृत है। भाषा विज्ञान की दृष्टि किसी विशेष भाषा के सामान्य ज्ञान तक सीमित न रहकर भिन्न-भिन्न कालों और देशों की भाषाओं की ओर जाती है। भाषा विज्ञान के व्यापक सिद्धांतों और नियमों को निश्चित करने के लिए अनेक भाषाओं के ज्ञान की अपेक्षा रहती है। एक भाषा का संबंध दूसरी पृथक कालीन और पृथक देशीय भाषाओं के साथ जाने बिना भाषा विज्ञान में काम नहीं चल सकता।
3. भाषा विज्ञान विवेचन और शोध प्रधान है। भाषा विज्ञान भाषा के सिद्ध, शुद्ध एवं निष्पन्न स्वरूपों के कारणों एवं मूल की खोज करता है। इसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि वह शब्दों और अर्थों के वर्तमान या सिद्ध रूपों के कारणों को खोजकर उनके इतिहास और दूसरी मिलती-जुलती भाषाओं के साथ संबंध प्रकट करता है। उदाहरणस्वरूप- आग शब्द को लें- इसका इतिहास और उत्पत्ति यह है कि आग शब्द की उत्पत्ति 'अग्नि' से हुई, उसके पश्चात् 'अग्नि' और फिर उससे 'आग' शब्द बना।
4. भाषा विज्ञान विविध भाषाओं का तुलनात्मक विवेचन करता है।
5. भाषा विज्ञान में भाषा रूपों के अतिरिक्त ध्वनियों, वाक्यों, अर्थों आदि का अध्ययन किया जाता है।
6. भाषा विज्ञान यह बतलाता है कि 'आग' शब्द किस तरह अपने मूल रूप अग्नि से विकृत होकर पहले 'अग्नि' और फिर 'अग्नि' बना।
7. भाषा विज्ञान भाषा के अनुशीलन के आधार पर नियमों का निर्धारण करता है।
8. भाषा विज्ञान एक गत्यात्मक ज्ञान का भंडार है। भाषा विज्ञान जिन नवीन बातों की खोज करके उनके विषय में सिद्धांतों और नियमों की घोषणा करता है, बाद में

व्याकरण भाषा विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित उन नए विकासों को अपनाने लगता है। आज भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि-विचार में हिंदी के अधिकतर अकारांत शब्द व्यंजनार्थ माने जाने लगे हैं, क्योंकि आज का हमारा उच्चारण 'राम' न होकर 'राम्' है। यदि यह परिवर्तन भाषा में कर दिया जाए तो व्याकरण लोग असंतुष्ट होने लगेंगे, भले ही बाद में वे भी उस मत के अनुगामी बन जाएं। अतः भाषा विज्ञान भी प्रगतिवादी या नवीनतावादी है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से धर्म से धम्म या धरम हो जाना अवनति या विकार का सूचक नहीं है अपितु वह भाषा का विकास है। इस प्रकार भाषा विज्ञान को हम व्याकरण का आधार कह सकते हैं, इसलिए व्याकरण को भाषा विज्ञान का अनुगामी कहा गया।

9. भाषा विज्ञान का संबंध भाषा मात्र से अर्थात् सभी भाषाओं से है और उसके नियम भी व्यापक और स्थायी होते हैं।
10. भाषा विज्ञान भाषा की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसी कारण वर्णनात्मक व्याकरण ही व्याकरण समझा जाता है और व्याख्यात्मक व्याकरण भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है।

व्याकरण

1. व्याकरण कोई विज्ञान नहीं है, वह कला के अंतर्गत माना जाता है। व्याकरण की व्यावहारिक उपयोगिता भाषा का शुद्ध रूप, उसका बोलना, समझना और लिखना आदि है। पाश्चात्य विद्वान हेनरी स्वीट ने इसलिए व्याकरण को 'भाषा-कला' कहा है, क्योंकि उसका संबंध पूर्णतः निर्माण प्रक्रिया से है।
2. व्याकरण का क्षेत्र सीमित है। किसी भाषा के व्याकरण को जानने के लिए किसी दूसरी भाषा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। उसका संबंध मात्र एक ही भाषा से होता है।
3. व्याकरण वर्णन-प्रधान है। यह भाषा के सिद्ध, शुद्ध एवं निष्पन्न स्वरूप को दिखाता है। व्याकरण भाषा के व्यावहारिक रूप पर ध्यान देता है तथा भाषा के शब्द, अर्थ और इनके संबंध को प्रवृत्त मानकर चलता है। उदाहरण के लिए आग शब्द संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, यह व्याकरण ही बताता है। इसी प्रकार यदि कोई संस्कृत में एकादश न कहकर एकदश कहे तो व्याकरण केवल इसे अशुद्ध प्रयोग कहकर मौन हो जाएगा।
4. व्याकरण किसी एक भाषा तक ही सीमित रहता है।
5. आधुनिक व्याकरणों के अनुसार भाषा के रूप, रचना और वाक्य, गठन, रचना आदि व्याकरण के प्रमुख विवेच्य हैं।
6. व्याकरण तो केवल इतना ही बता सकता है कि आग शब्द संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है आदि।
7. व्याकरण केवल नियमों के आधार पर भाषा की विवेचना करता है।

8. व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है, दूसरे शब्दों में वह स्थित्यात्मक है। उदाहरण के लिए व्याकरण धम्म या धरम शब्द को अशुद्ध या विकार मानता है। स्पष्ट शब्दों में व्याकरण अप्रगतिवादी या पुरातनवादी है।
9. व्याकरण का संबंध भाषा विशेष से होता है और उसमें भी काल विशेष से व्याकरण तुलनात्मक भी हो सकता है, किन्हीं दो भाषाओं- जैसे, संस्कृत और लातिन की तुलना की जा सकती है किंतु वह तुलना भी भाषा-विशेष की ही होगी और साथ ही काल-विशेष की भी। तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक रूप में भी व्याकरण की सीमा बनी रहती है।
10. व्याकरण एक कला है। वह भाषा और उसके शब्दों की साधुता और असाधुता पर विचार करती है।

5.3 भाषा विज्ञान की शाखाओं का परिचय

भाषा विज्ञान की तीन शाखाएं प्राप्त हैं—(1) वर्णनात्मक, (2) ऐतिहासिक तथा (3) तुलनात्मक।

5.3.1 वर्णनात्मक

किसी भाषा के कालविशेष के स्वरूप का अध्ययन और विश्लेषण कर कुछ नियमों का निर्धारण करना वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसा कि वर्णनात्मक नाम से ही स्पष्ट है, इसमें भाषा के स्वरूप का वर्णन या विश्लेषण रहता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को ही दूसरे शब्दों में व्याकरण के नाम से अभिहित किया जाता है। इस शाखा के संबंध में इतना ध्यान में रखना चाहिए कि यह किसी भाषा के कालविशेष से ही संबद्ध होती है।

हम ध्वनि का वर्णन करें या पद का या वाक्य का, ये सारे तत्व किसी एक काल के ही होंगे। वर्णनात्मक भाषा विज्ञानी का लक्ष्य भाषा के विकास को दिखाना नहीं होता और न किसी अन्य भाषा से उसकी तुलना करना होता है। इसलिए विभिन्न विद्वानों ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को स्थित्यात्मक भी कहा है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण पाणिनीय व्याकरण है। पाणिनि की विश्लेषणात्मक क्षमता पर विदेशी भी मुग्ध रह गए हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि भाषा के वर्णनात्मक अध्ययन का इससे उत्कृष्ट उदाहरण संसार के इतिहास में अलभ्य है।

आधुनिक भाषावैज्ञानिक अध्ययन में वर्णनात्मक प्रणाली का रूप अत्यधिक प्रमुख हो गया है और वह स्वतंत्र विज्ञान के रूप में गृहीत होने लगा है। इस प्रणाली के अनुगामी भाषा विज्ञान के अध्ययन में किसी दूसरे शास्त्र की सहायता लेना अभीष्ट नहीं मानते। यहां तक कि अर्थ-विज्ञान को भी उन्होंने अपने अध्ययन की सीमा से बहिष्कृत कर रखा है। उनका लक्ष्य केवल भाषा के उच्चरित रूप का अध्ययन करना है। उनके अनुसार अर्थ दूसरे शास्त्रों का प्रतिपाद्य है। भाषा विज्ञान को केवल भाषा के उच्चरित रूप पर ही विचार करना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह दृष्टि बड़ी ही एकांगी है। यदि अर्थ निरपेक्ष उच्चारण ही भाषा विज्ञान का विषय है, तो फिर मनुष्य की भाषा और पशु की भाषा

अपनी प्रगति जांचिए

1. भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन क्या कहलाता है?
2. भाषा विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध किस विधि से जाना जा सकता है?
3. सही-गलत बताइए—
(क) भाषा विज्ञान का प्रारंभ व्युत्पत्ति-शास्त्र से हुआ है।
(ख) भाषा विज्ञान का साहित्य से कोई संबंध नहीं है।

में अंतर क्या रहा? ध्वनि वाला अंश तो उभयनिष्ठ है। जैसी ध्वनि मनुष्य की वैसी पशु की। मनुष्य की ध्वनि की विशिष्टता यही है कि उसमें अर्थवत्ता का योग रहता है जो पशु की ध्वनि में नहीं रहता। अर्थवाला अंश हटा देने पर मनुष्य और पशु की भाषा का प्रमुख भेद तिरोहित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अर्थ को छोड़ देने पर भाषा के प्रयोग का उद्देश्य क्या रह जाएगा? हमने पहले देखा है कि वैयक्तिक या सामाजिक रूप में भाषा सार्थक संकेत है।

उसका जब भी प्रयोग होता है तो अर्थ की प्रतीति के लिए। उसके अभाव में ध्वनियाँ निरर्थक हो जाएंगी और निरर्थक ध्वनियों के अध्ययन का प्रयोजन महत्वहीन होगा। यह एक प्रकार से भाषा संबंधी देहवादी दृष्टिकोण है, जिसमें अर्थतत्त्व, जो भाषा का आत्म तत्व है, उपेक्षित हो गया है। यह संभवतः अमेरिका की भौतिकतावादी या देहवादी सभ्यता का प्रभाव है। एक समय काव्यशास्त्र में भी देहवादी संप्रदाय चल रहे थे। अलंकारवादियों या रीतिवादियों ने काव्य के बाह्य रूप पर ही ध्यान दिया और उसके आत्म तत्व की चिंता नहीं की।

परिवर्ती आलोचकों को इस भूल का परिमार्जन करना पड़ा। ठीक वही स्थिति आज भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उत्पन्न हो गई है। भाषा विज्ञान की सीमा से अर्थ-विज्ञान का बहिष्कार वैज्ञानिक दृष्टि से न तो वांछनीय है, न संगत और न उससे भाषा का अध्ययन पूर्ण हो सकता है। सार्थकता ही मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। उसे छोड़ना दृष्टि-विभ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

इसके अतिरिक्त तथ्य यह भी है कि भाषा के दो पक्ष हैं— ध्वनन तथा श्रवण। ध्वनन भाषा का केवल आधा भाग है। उसकी पूर्णता के लिए श्रवण उतना ही आवश्यक है जितना ध्वनन। ऐसी स्थिति में भाषा के अध्ययन को केवल ध्वनन तक सीमित रखना उसका अपूर्ण अध्ययन ही माना जाएगा। जिसे श्रवण कहते हैं वह भाषा का अर्थसापेक्ष अंश है। श्रवण तब तक संभव नहीं है या संभव होने पर भी निरुपयोगी है, जब तक उससे अर्थबोध नहीं होता। भाषा का प्रयोग ही किस काम का यदि श्रोता उससे कुछ समझ नहीं सके? इस दृष्टि से भी भाषा के अर्थपक्ष की उपेक्षा उचित प्रतीत नहीं होती।

5.3.2 ऐतिहासिक

वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किसी भाषा के काल विशेष के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रतिकूल भाषा विज्ञान में एक ही भाषा के विभिन्न कालों के स्वरूप का अध्ययन होता है। किसी भाषा के पुराने रूपों से नए रूपों का विकास किस प्रकार हुआ, यह दिखाना इस प्रणाली का कार्य है। अतः भाषाविज्ञानविद् सोसूर ने ऐतिहासिक प्रणाली को गत्यात्मक या विकासात्मक प्रणाली कहा है। उदाहरणार्थ, वैदिक युग से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश सोपानों से होते हुए आधुनिक भाषाओं का ध्वनि, पद या अर्थ की दृष्टि से कैसे विकास हुआ है, यह दिखाना इस प्रणाली के अंतर्गत आएगा। उस विकास के क्या कारण थे, उन कारणों के क्या परिणाम हुए, इत्यादि बातें भी इस प्रणाली की सीमा में आती हैं।

भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में वर्णनात्मक अध्ययन अनायास आ जाता है, क्योंकि विकास दिखाते समय भी काल-विशेष की स्थिति को दिखाना आवश्यक होता है। भाषा

सिद्धांततः प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है किंतु वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि इसे ग्रहण करना असंभव है। वह जब कालांतर में पूंजीभूत हो जाता है तभी अनुभव का विषय बनता है। इसलिए विकास के भी अनेक सोपान होते हैं और उन सोपानों की चर्चा ही ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत आती है।

5.3.3 तुलनात्मक

तुलनात्मक प्रणाली में वर्णनात्मक और ऐतिहासिक प्रणालियों का अंतर्भाव हो जाता है। जहां वर्णनात्मक या ऐतिहासिक अध्ययन में किसी एक भाषा को आधार बनाया जाता है, वहां तुलनात्मक अध्ययन में अनेक भाषाओं को अध्ययन का आधार बनाना पड़ता है। बिना उनके तुलना हो ही नहीं सकती। तुलना के लिए दो या दो से अधिक भाषाओं के काल-विशेष के स्वरूपों को लिया जाता है। स्वभावतः उसमें वर्णनात्मक अंश आ जाता है। यदि काल-विशेष तक सीमित न रहकर भिन्न कालों के स्वरूपों को अध्ययन का विषय बनाया गया और उनकी परस्पर तुलना की गई तो वह ऐतिहासिक प्रणाली हो गई। इसीलिए वर्णनात्मक और ऐतिहासिक प्रणालियों के समन्वय से तुलनात्मक प्रणाली संभव हो पाती है।

वस्तुतः भाषा विज्ञान का जन्म ही तुलनात्मक प्रणाली से हुआ। अठारहवीं शताब्दी में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन की तुलना से यह बात सिद्ध हुई है कि ये तीनों भाषाएं एक ही परिवार की हैं और इनका साम्य उसी का परिणाम है। इसीलिए बहुत समय तक भाषा विज्ञान को सदा तुलनात्मक भाषा विज्ञान (कम्पैरेटिव फिलोलॉजी) ही कहा जाता था। अब तुलनात्मक शब्द हटा दिया गया है, चूंकि बिना तुलना के भी भाषा विज्ञान की स्थिति संभव है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्णनात्मक या ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में तुलना की आवश्यकता नहीं होती। तुलना भाषा के किसी तत्व-ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ को लेकर हो सकती है।

आज अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक्स और फिलोलॉजी दो शब्द चल रहे हैं। दोनों के अर्थ में अंतर है। लिंग्विस्टिक्स मुख्यतः भाषा के उच्चरित रूप से संबद्ध है, साथ ही उसमें भाषा का अध्ययन साध्य रूप में होता है। अर्थात् भाषा का अध्ययन किसी दूसरे लक्ष्य के लिए नहीं, स्वयं भाषा की विशेषताओं के उद्घाटन और विवेचन के लिए किया जाता है। इसके विपरीत फिलोलॉजी साहित्यिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व के विभिन्न लेखों से संबद्ध है। उदाहरण के लिए, अशोक के अभिलेखों को ले लीजिए। उन अभिलेखों की लिपि या भाषा के अध्ययन से इतिहास के निर्माण में जो सहायता मिलती है, उसका निरूपण फिलोलॉजी के अंतर्गत आएगा। किंतु वैदिक युग में कितनी ध्वनियों का प्रयोग होता था, यह लिंग्विस्टिक्स बताएगा।

भाषिक इतिहास के आलोक में प्राचीन ग्रंथों, पांडुलिपियों आदि का अध्ययन और उनके द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक तत्व की व्याख्या फिलोलॉजी का उद्देश्य है। एक प्रकार से फिलोलॉजी भाषा विज्ञान (लिंग्विस्टिक्स) और मानविकी (ह्यूमेनिटीज) के बीच की संयोजक कड़ी है। और भी स्पष्टता से कहें तो कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स में भाषा के उच्चरित रूप का अध्ययन होता है तो फिलोलॉजी में उसके लिखित रूप का।

इस प्रकार हमने देखा कि भाषा विज्ञान का वैज्ञानिक व विश्लेषणात्मक अध्ययन करने हेतु उसकी शाखाओं से भी भलीभांति परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि इन उपर्युक्त शाखाओं को जाने बिना भाषा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। वस्तुतः भाषा विज्ञान की उपर्युक्त तीन शाखाओं का भाषा विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपादेयता की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान है।

5.4 ध्वनि विज्ञान : स्वरों की अवधारणा

'स्वर' और 'व्यंजन' के भेद से ध्वनियां दो प्रकार की पाई जाती हैं। इनमें 'स्वर' वे ध्वनियां हैं, जिनका उच्चारण करते समय निःश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में निःश्वास में कहीं न कहीं अवरोध पाया जाता है।

भाषा विज्ञान में ध्वनि शब्द को सामान्य ध्वनियों से भिन्न बताने के लिए भाषा ध्वनि (Speech-sound) कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने इस ध्वनि की परिभाषाएं इस प्रकार की हैं—

डॉ. भोलानाथ तिवारी कहते हैं—“भाषा ध्वनि वह ध्वनि है, जिसे मनुष्य अपने मुख के नियत स्थान से निश्चित प्रयत्न द्वारा किसी ध्येय को स्पष्ट करने के लिए उच्चरित करे और श्रोता जिसे उसी अर्थ में ग्रहण करे।”

प्रो. डेनियल जोन्स के शब्दों में—“ध्वनि मनुष्य के विकल्प परिहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा अविकल्प रूप से गृहीत शब्द लहरी है।” इस प्रकार ध्वनि शब्द से भाषा-विज्ञान में मानव मुख से निस्सृत ध्वनियों को ही ग्रहण किया जाता है; अन्य अव्यक्त, अस्पष्ट ध्वनियों को नहीं। इस ध्वनि में वर्ण, शब्द और भाषा का अंतर्भाव हो जाता है।

5.4.1 स्वर स्वरों का वर्गीकरण

स्वर-स्वरों (ध्वनियों) के मुख्यतः चार आधार दृष्टिगोचर होते हैं— (1) जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से, (2) जिह्वा के उत्थापित भाग की दृष्टि से (3) ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, (4) मात्रा की दृष्टि से।

1. जिह्वा की ऊंचाई के अनुसार—प्रत्येक स्वर के उच्चारण में, जिह्वा एक निश्चित सीमा तक उठकर निःश्वास के निर्गम-मार्ग को कुछ संकीर्ण कर देती है, जो कहीं कम व कहीं ज्यादा होता है। इस दृष्टि से स्वरों के चार विभाग हो जाते हैं—विवृत (खुला हुआ), अर्धविवृत (आधा खुला हुआ), संवृत (अत्यंत संकीर्ण) तथा अर्धसंवृत (कम संकीर्ण)। उदाहरणार्थ—आ—विवृत स्वर, ऐ—औ—अर्धविवृत, इ—ई—उ—ऊ—संवृत, ए—ओ—अर्धसंवृत।

2. जिह्वा के उत्थापित भाग की दृष्टि से—जिह्वा के अग्र, मध्य व पश्च भागों की सक्रियता के आधार पर मुख्यतः तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं—

(क) अग्रस्वर—जिह्वा के अग्रभाग को उठाकर जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है। जैसे—इ, ई, ए, तथा ऐ।

(ख) मध्यस्वर—जिह्वा के मध्य या केंद्रीय भाग से उच्चरित स्वर, जैसे—‘अ’।

(ग) पश्चस्वर—वे स्वर, जो जिह्वा के पश्चभाग के सहयोग से उच्चरित होते हैं। जैसे—उ, ऊ, ओ, औ तथा आ।

3. ओष्ठों की स्थिति के अनुसार—विभिन्न स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति का भी अपना विशेष महत्व है। ओष्ठों की यह स्थिति मुख्यतया तीन प्रकार की होती है—

(क) प्रसृत—इस स्थिति में ओष्ठ, स्वाभाविक रूप में स्थिर रहते हुए खुले रहते हैं। उदाहरणतया—इ, ई, ए तथा ऐ के उच्चारण के समय की स्थिति।

(ख) वर्तुल—ओष्ठों को थोड़ा आगे निकालकर जब गोलाकार कर देते हैं, तो यह वर्तुल स्थिति होती है और उ, ऊ, ओ तथा औ वर्णों का उच्चारण होता है।

(ग) अर्धवर्तुल—जब ओष्ठ पूर्ण गोलाकार न होकर आधे गोलाकार हो जाते हैं, जैसे दीर्घ आकार के उच्चारण की स्थिति।

4. मात्रा की दृष्टि से—स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। एकमात्रिक स्वर को ह्रस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ तथा त्रिमात्रिक को प्लुत कहा जाता है—‘एकमात्रो भवेद्ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु तु प्लुतो ज्ञेयो’।

5.4.2 व्यंजन स्वरों का वर्गीकरण

स्थान एवं प्रयत्न भेद से व्यंजनों के वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार हैं। इनमें स्थान के आधार पर पूर्वकथित काकल्य, कंट्य, तालव्य आदि भेद से व्यंजन ध्वनियों के आठ प्रकार हैं तथा प्रयत्न के आधार पर बाह्य प्रयत्न भेद से विवार, संवार, श्वास, नाद, अधोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन आठ प्रकार के हैं। ये निम्नलिखित हैं—

1. स्पर्श—जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा कंठ से लेकर ओष्ठ संबंधित स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस दृष्टि से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग तथा पवर्ग स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं।

2. स्पर्श-संघर्षी—जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ-साथ निःश्वास के निकालने में हल्का सा संघर्षण भी होता है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे—च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनियां हैं।

3. संघर्षी—‘संघर्षी’ ध्वनियों में निःश्वास वायु के निर्गम का मार्ग जिह्वा के द्वारा अत्यंत संकीर्ण कर दिया जाता है और वायु रगड़ खाती हुई बाहर की ओर निकलती है। रगड़ या संघर्ष की प्रधानता के कारण ही इन ध्वनियों को संघर्षी कहा जाता है। उदाहरणतया—श, ष, स, ज इत्यादि।

4. पार्श्विक—पार्श्विक ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा की नोक मूर्धा का स्पर्श करती है और निःश्वास वायु दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है। जैसे—‘ल’।

5. लुठित या लोड़ित—जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक बेलन की तरह लपेट खाकर तालु का स्पर्श करती है और वर्त्स पर बार-बार ठोकर मारती है, वे लुठित कहलाते हैं। जैसे—‘र’।

अपनी प्रगति जांचिए

4. किसी भाषा के काल विशेषतः स्वरूप का अध्ययन-विश्लेषण कर कुछ नियमों का निर्धारण करना भाषा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है?

5. भाषा विज्ञान की ऐतिहासिक प्रणाली को गत्यात्मक/विकासात्मक प्रणाली किसने कहा है?

6. सही-गलत बताइए—

(क) वर्जनात्मक, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक : ये भाषा विज्ञान की तीन शाखाएं हैं?

(ख) ऐतिहासिक अध्ययन में वर्जनात्मक अध्ययन की संभावना समाप्त हो जाती है।

6. **उत्क्षिप्त**—जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, तालु के किसी भाग को झटके से छूकर हट जाती है, उन्हें 'उत्क्षिप्त व्यंजन' कहते हैं। जैसे—'ड' और 'ढ' उत्क्षिप्त व्यंजन हैं।
7. **अंतस्थ या अर्धस्वर**—इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा से न तो पूरी तरह स्पर्श ही होता है और न स्वरों के उच्चारण के समान पार्थक्य ही रहता है। उदाहरणतया—य, व, इन दोनों वर्णों में स्वर व व्यंजन दोनों का वैशिष्ट्य रहने से इन्हें अंतस्थ या अर्धस्वर कहते हैं।
8. **अनुनासिक**—जिन व्यंजनों के उच्चारण में निःश्वास वायु मुखविवर के साथ-साथ नासिकाविवर से भी निकला करती है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे—ङ, ञ, ण, न तथा म।

5.4.3 स्वन गुण एवं नियम

ध्वनियों के उच्चारण में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। किसी ध्वनि का उच्चारण कम समय में तथा किसी ध्वनि का उच्चारण अधिक समय में होता है। किसी ध्वनि पर बोलते समय अधिक बल दिया जाता है तथा किसी ध्वनि पर कम। किसी ध्वनि को ऊंचे स्वर में बोलते हैं तो किसी ध्वनि को निम्न स्वर में। इस प्रकार ध्वनियों में भिन्नता पाई जाती है। इन्हें ध्वनियों के गुण कहते हैं। ये गुण होते हैं—मात्रा या परिमाण, सुर तथा बलाघात।

मात्रा (परिणाम)—ध्वनि उच्चारण में लगने वाली कालावधि (समय) को ध्वनि की मात्रा कहते हैं। इस गुण का संबंध काल से है। जहां काल कम लगता है, वहां ह्रस्व और जहां काल अधिक लगता है वहां दीर्घ मात्रा मानी जाती है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार मात्रा काल तीन प्रकार के होते हैं—ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत। 'उ' के उच्चारण में जितना समय लगता है, उसे उसकी एक मात्रा अथवा ह्रस्व कहते हैं। उ + उ = ऊ के उच्चारण में जितना समय लगता है, उसे उसकी दो मात्रा अर्थात् दीर्घ तथा उ + उ + उ = ऊ तीन उ के उच्चारण के बराबर जिसमें समय लगता है, उसे प्लुत ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत का आधार उच्चारण का समय ही है। ह्रस्व मात्रा का चिह्न "1" दीर्घ मात्रा का चिह्न "2" एवं प्लुत का चिह्न "3" होता है। प्लुत ध्वनियों का प्रयोग किसी को दूर से पुकारने में किया जाता है। 'ओ३म' में 'ओ' की ध्वनि प्लुत है। ए, औ, ऐ, औ—ये संयुक्त ध्वनियां हैं। ये मात्रा वाली ध्वनियां हैं।

संगीत में मात्राओं की गणना संभव नहीं है। गायक आवश्यकतानुसार एक मात्रा को छह, सात, दस, बारह और बीस तक अपने आलाप में प्रस्तुत कर सकता है। वैदिक मंत्रों में तो 1/4, 1/2, 3/4 आदि मात्राओं की ध्वनियां भी पाई जाती हैं और सामवेद में वामदेव्यगान में तो किसी-किसी ध्वनि में 4, 5, 6 मात्राओं का भी समय लगता है। इस प्रकार हमारी ध्वनियां ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत के भेद से भिन्न-भिन्न हो जाती हैं। वैदिक मंत्रों का गान इन्हीं उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित सुरों में होता है। महाभाष्यकार ने सुर या वर्ण के द्वारा दुष्ट शब्द को उच्चारण करने वाले का दुष्ट शब्द ही संहार करता है, ऐसा भी कहा है—

"दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग् वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात॥

बलाघात—किसी ध्वनि पर शक्ति या बल देकर उच्चारण करना बलाघात कहलाता है। बलाघात युक्त ध्वनि का उच्चारण ऊंचे सुर से किया जाता है। वायु फेफड़ों से अधिक तेजी से निकलती है। ध्वनि पर बल पड़ने से उच्चारण ऊंचे सुर से होता है। बलाघात ध्वनि बोलते समय प्रयोग की जाती है। लिखते समय इसका प्रयोग नहीं होता है। मात्रा एवं बलाघात में सामान्य अंतर यह है कि मात्रा में समय अधिक लगता है, उसमें जोर से बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। बलाघात में समय उतना ही लगता है, किंतु ध्वनि पर जोर पड़ने से आवाज कुछ ऊंची हो जाती है। बलाघात युक्त ध्वनि पर (1) यह चिह्न लगाया जाता है। बलाघात तीन प्रकार का होता है— सबल (Strong), संबल (Medium), निर्बल (Weak)। बोलते समय जब सबसे अधिक शक्ति लगाई जाए, तो उसे सबल बलाघात कहते हैं। जब बोलते समय सबल से कम बल लगाया जाए, तो उसे संबल तथा जब सबसे कम शक्ति का प्रयोग किया जाए, तो उसे निर्बल बलाघात कहते हैं। बलाघात शब्दों पर या वाक्यों में पाए जाते हैं।

बलाघात वाली ध्वनि की यही स्थिति होती है एवं उसके पास की दीर्घ ध्वनि ह्रस्व हो जाती है या निर्बल होकर समाप्त हो जाती है। अघोष ध्वनियों पर बलाघात अधिक पाया जाता है, क्योंकि वायु बिना अवरुद्ध हुए तेजी से बाहर निकलती है। किंतु सघोष ध्वनियों पर बलाघात कम होता है, क्योंकि वायु अवरुद्ध होकर धीरे-धीरे बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में शब्दों की उपांत ध्वनि पर बलाघात होता है, जिसके कारण अकारांत शब्दों के अंतिम अक्षरों का रूप हलंत जैसा हो जाता है; जैसे आम् (आम), कल् (कल), कमल् (कमल) आदि।

संगीतात्मक स्वराघात (Pitchaccent)—सुर स्वरतंत्रियों से संबंध रखते हैं। स्वरतंत्रियों में खिंचाव आने से अनेक सुर उत्पन्न होते हैं। स्वरतंत्रियों में कंपन होने से इनकी उत्पत्ति सघोष ध्वनियों में ही होती है, अघोष में नहीं। संगीतात्मक स्वराघात पर ही संगीत के सातों स्वर—सा, रे, गा, मा, प, ध, नि, एवं तीन सप्तक मंद्र, मध्य तथा तार आधारित होते हैं। वैदिक काल में तीन सुर थे—उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। उदात्त ऊंचे सुर (Tone) को, अनुदात्त नीचे सुर को तथा दोनों गुणों से समन्वित सुर को स्वरित कहते थे। उदात्त सुर को अचिह्नित रखा जाता था। अनुदात्त के नीचे लेटी रेखा (—) तथा स्वरित स्वर के नीचे खड़ी रेखा (1) का प्रयोग किया जाता था। संसार की अनेक भाषाओं में सुरों की संख्या भिन्न-भिन्न है। चीनी भाषा की मंदारिन बोली में चार सुर होते हैं। चीनी भाषा के कुछ शब्दों के अर्थ सुर भेद के कारण अट्टानवे तक हो सकते हैं। अफ्रीका की दुआला तथा होटंटाट भाषाओं में भी तीन सुर पाए जाते हैं।

रूपात्मक स्वराघात— प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के स्वर की अपनी विशिष्टता होती है। कभी-कभी बिना देखे व्यक्ति की बोली सुनकर ही हम पहचान लेते हैं कि वह अमुक व्यक्ति है। यह व्यक्ति की ध्वनि उच्चारण विशिष्टता के कारण संभव होता है। प्रत्येक व्यक्ति के कंठस्वरों में कुछ न कुछ सूक्ष्म अंतर विद्यमान रहता है। व्यक्तिगत कंठस्वरों की विशेषता को ही रूपात्मक स्वराघात कहते हैं। व्यक्तियों की ध्वनियों की विशेषता स्वरतंत्रियों की रचना के आधार पर होती है। भाषा विज्ञान में कुछ विद्वान रूपात्मक स्वराघात के भेद को स्वीकार नहीं करते और न कोई महत्व प्रदान करते हैं। इसका कोई निश्चित आधार नहीं है।

ध्वनि गुण के वस्तुतः तीन ही प्रमुख भेद हैं—मात्रा, बलाघात तथा सुर। ये ध्वनिगुण संसार की विभिन्न भाषाओं में न्यूनाधिक रूप में अवश्य पाए जाते हैं।

ध्वनि नियम

जहाँ विशेष परिस्थितियों में पड़कर कोई एक क्रिया समय और स्थान की सीमा का अतिक्रमण कर सर्वथा एक ही रूप में घटित हुआ करती है, तो उसे नियम की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार प्रकृति के अनेक कार्यों को देखकर कुछ सामान्य एवं कुछ विशेष नियमों का निर्माण कर लिया जाता है, उसी प्रकार ध्वनियों में विकार के कार्यों को देखकर ध्वनि-नियम निर्धारित कर लिए जाते हैं। भिन्न-भिन्न भाषाओं में एक ही काल में और एक ही भाषा में विभिन्न कालों में उत्पन्न होने वाले इन ध्वनि-विकारों का यथाविधि तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह निश्चित हो जाता है कि ध्वनियों में ये विकार कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होते हैं और यदि वही परिस्थितियाँ उसी भाषा में वैसे ही अवसर पर पुनः उत्पन्न हों, तो उसका परिणाम पूर्वानुसार ही होगा।

यह प्रश्न सदा ही विवादास्पद रहा है कि प्राकृतिक नियमों की भाँति क्या भाषा विज्ञान के नियम भी शाश्वत हैं? प्राचीन विद्वानों ने अपने अध्ययन एवं मनन का यह निष्कर्ष निकाला है कि ध्वनि-परिवर्तन के नियम नितांत वैज्ञानिक एवं शाश्वत नहीं हो सकते। जेस्पर्सन का कथन है कि "परंतु मैं इस तथ्य का संकेत कर देना चाहता हूँ कि मैंने इस बात को स्वीकार करने का कभी भी कारण नहीं पाया कि ध्वनि-परिवर्तन सदैव कड़े नियमों के अनुसार होते हैं और उनमें अपवाद नहीं होता।"

I want to point out the fact that now here have I found any reason to accept the theory that sound changes always take place according to rigorous or bling laws admitting. No exception....

ब्लूमफील्ड के अनुसार नियम शब्द का यहाँ कोई यथार्थ अर्थ नहीं है, क्योंकि ध्वनि परिवर्तन किसी भी प्रकार का नियम नहीं है, अपितु वह ऐतिहासिक घटना मात्र है।

● प्राकृतिक नियम व ध्वनि-नियमों में अंतर

1. प्राकृतिक नियम किसी काल-विशेष के आग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं। वे शाश्वत होते हैं, किंतु ध्वनि-नियमों में ऐसा नहीं है। वे काल के प्रतिबंध को स्वीकार करते हैं। चार और चार जोड़ने से सर्वदा आठ होते हैं। किंतु भारतीय आर्य-भाषाओं के इतिहास में प्राचीन काल से मध्य में तथा मध्यकाल से आधुनिक काल में आने वाली भाषा में समान परिवर्तन घटित नहीं हुए हैं।
2. प्राकृतिक नियम अवस्था या स्थान की अपेक्षा नहीं रखते हैं। न्यूटन का नियम सार्वदेशिक है, किंतु विभिन्न भाषाओं के ध्वनि-नियम अपनी सीमाओं में आबद्ध रहते हैं। वे परिस्थितियों के दास हैं।
3. प्राकृतिक नियम अपना अपवाद नहीं छोड़ते हैं। किंतु ध्वनि-नियम सापवाद हैं। 'कर्म' का विकसित रूप काम हो गया है, किंतु 'धर्म' का धाम न होकर 'धरम' हुआ है।

● क्या ध्वनि नियम के अपवाद वास्तविक हैं?

ध्वनि-नियमों के अपवाद सकारण होते हैं—

1. ध्वनि-नियमों के अपवाद का प्रधान तथा महत्वपूर्ण कारण 'सादृश्य' है। सादृश्य के कारण भ्रमवश अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

2. दूसरा अपवाद का कारण है, दूसरी भाषाओं से शब्दों को ऋण रूप में ग्रहण करना। आज हिंदी में फारसी, अरबी व अंग्रेजी के अनेक शब्दों के आ जाने के कारण एक ही नियम प्रत्येक शब्द पर घटित नहीं हो सकता।
3. कभी-कभी हम स्वयं अपनी ही भाषा के उस काल के शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, जिस काल में निर्दिष्ट नियम कार्य नहीं करता है।
4. कभी-कभी अन्य भाषा का समानाकार शब्द भाषा में ग्रहण कर लिया जाता है जो कि नियम की कसौटी पर घटित न होने पर अपवाद के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।
5. ध्वनि विकार में रुचि का भी महत्व नहीं होता है। अतः ध्वनि-नियम का विवेचन करते समय हमें इन तथ्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए—
 - (क) वह नियम किस काल से संबंध रखता है?
 - (ख) वह नियम किन-किन भाषाओं से संबंध रखता है?
 - (ग) उस नियम की सीमाएं क्या हैं?

आचार्य टंकर के अनुसार, "किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में किसी विशिष्ट काल और कुछ विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन को उस भाषा का ध्वनि-नियम कहते हैं।"

"A Phonetic law of a language is a statement of the regular practice of that language at a particular time in regard to the treatment of particular sound or group or sounds in a particular setting."

इस परिभाषा के आधार पर ध्वनि-नियमों की विशेषताओं का इस प्रकार निर्देश किया जा सकता है—

1. ध्वनि नियम किसी भाषा विशेष का होता है या किसी एक भाषा परिवार का। एक ध्वनि नियम संसार की समस्त भाषाओं पर लागू नहीं होता है।
2. यह नियम एक भाषा की समस्त ध्वनियों पर लागू न होकर कुछ विशिष्ट ध्वनियों पर लागू होता है।
3. ध्वनि नियम सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक नहीं होते हैं। वे निश्चित सीमा में ही सीमित रहते हैं।
4. ध्वनि-नियमों के लिए विशिष्ट अवस्था एवं परिस्थिति की अपेक्षा रहती है।
5. ध्वनि नियम सर्वथा अपवाद रहित नहीं होते हैं।

ध्वनि-नियमों संबंधी अपवादों के कारण

1. सादृश्य एवं भ्रममूलक शब्द हैं।
2. अन्य भाषाओं से ऋण रूप में गृहीत शब्दों के कारण भी अपवाद मिलते हैं।
3. बोलियों का मिश्रण।

4. शब्दों की नकल।

5. काव्य में अनुप्रास आदि के लिए तोड़-मरोड़ शब्द भी अपवाद के कारण हैं।

निष्कर्ष यह है कि ध्वनि-नियम सापवाद, शिथिल (Flexible) होते हैं। इनके लिए विशिष्ट भाषा, विशिष्ट ध्वनि तथा विशिष्ट दशा का होना अपरिहार्य है।

वस्तुतः किसी भाषा-विशेष में किसी काल-विशेष में कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत हुए विशेष प्रकार के ध्वनि-परिवर्तनों को ध्वनि-नियम कहते हैं।

● विशिष्ट ध्वनि नियम

यहां कतिपय विशिष्ट ध्वनि-नियमों का ही वर्णन किया जा रहा है— ग्रिम-नियम, ग्रासमान-नियम, वर्नर-नियम

‘मूलभाषा-सुसंबद्धाः ग्रिम ग्रासमान-वर्नराः।
वर्णानां परिवृत्त्यैव, प्रसिद्धिं परमां गताः॥


1. ग्रिम-नियम

यह ध्वनि-नियम प्रो. याकोब ग्रिम के नाम से प्रसिद्ध है। इस नियम को ‘ध्वनि-परिवर्तन’, साउंड ध्वनि भी कहते हैं। जर्मन भाषा के मूर्धन्य पंडित तथा प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक आचार्य ग्रिम ने जिस नियम का प्रतिपादन किया है, उस नियम को ‘ग्रिम नियम’ के नाम से अभिहित किया जाता है। यद्यपि इस नियम के प्रथम विचारक इहरे तथा रैन्मस रैस्क थे परंतु इसकी सम्यक् विवेचना ग्रिम महोदय ने की। अतएव यह ‘ग्रिम नियम’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रो. मैक्समूलर ने इसे ‘ग्रिम नियम’ नाम दिया है। अतः इस नियम को दो भागों में विभक्त किया गया है— ग्रिम नियम का संबंध नौ स्पर्श ध्वनियों से है। ‘क’ से लेकर ‘म’ तक समस्त ध्वनि स्पर्श कहलाती हैं (कादयो मावसानाः स्पर्शाः)। इसे जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन कहते हैं। जर्मन भाषा का यह परिवर्तन दो बार हुआ है। प्रथम वर्ण परिवर्तन ईसा के कई सदी पूर्व में हुआ है तथा द्वितीय वर्ण परिवर्तन लगभग सातवीं शताब्दी में हुआ।

प्रथम वर्ण परिवर्तन—यह वर्ण परिवर्तन ईसा के जन्म से पूर्व हो चुका था। इसका प्रभाव गार्थिक, निम्न जर्मन और अंग्रेजी, डच आदि भाषाओं पर पड़ा है। भारोपीय मूलभाषा की व्यंजन ध्वनियां संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि में सुरक्षित हैं। अंग्रेजी का उद्भव निम्न जर्मन से हुआ है, अतः इसके द्वारा संस्कृत और अंग्रेजी की तुलना से यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है। इस वर्ण-परिवर्तन में एक ओर संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्लावोनिक भाषाएं हैं, जिनमें मूल ध्वनि सुरक्षित है, तो दूसरी ओर गार्थिक, निम्न जर्मन, अंग्रेजी, डच आदि भाषाएं हैं, इनमें यह परिवर्तन हुआ है।

वर्ण-परिवर्तन का क्रम
क, त, प; अघोष

घोष अल्पप्राण
ग, द, ब



महाप्राण
ख (ह), थ, फ,
घ, ध, भ

द्वितीय वर्ण परिवर्तन—यह वर्ण परिवर्तन केवल जर्मन भाषा के ही दो रूपों उच्च और निम्न में हुआ है। निम्न जर्मन की प्रतिनिधि भाषा अंग्रेजी है। यह परिवर्तन निम्न जर्मन और अंग्रेजी से उच्च जर्मन में हुआ है। निम्न जर्मन की कुछ ध्वनियां उच्च जर्मन में भिन्न हो गई हैं।

क-तपा ह-थ-फाः संतु, घ-ध-भा-ग-द-बास्तथा।

ग-द-बाः क-त-पा संतु, ग्रिमाख्ये नियमे सति॥

प्रथम वर्ण-परिवर्तन

ध्वनि-परिवर्तन	संस्कृत	अंग्रेजी	अर्थ
क् > ह h, wh	कः	who	कौन
त् > थ् th	त्रि	three	तीन
	तनु	thin	दुबला
प् > फ् f	पितर	Father	पिता
	पाद	foot	पाद
घ् (ह) > ग् g	हंस	goose	हंय
	दुहितर	Daughter	पुत्री
भ् > ब् b	भ्रातर	Bother	भाई
	भू	be	होना
	भर (भृ)	Bear	धारण करना
ग् > क् k	गो	cow	गाय
	युग	yoke	जुआ
द् > त् t	दशन्	ten	दस
	द्वौ	two	दो
	अद्	eat	खाना

द्वितीय वर्ण परिवर्तन

ध्वनि-परिवर्तन	अंग्रेजी	जर्मन	अर्थ
k - ch, ख	Book	Buch, बुख	पुस्तक
	Cook	Coch, कोख	रसोइया
t - s, ss, स्	Out	ous, आउस	बाहर
t - z, त्स	Ten	Zehn, त्सेन	दस
P - f, pf फफ	Up	Auf, आउफ	ऊपर
	Apple	Apfel आफेल	सेब
	Open	offen ओफ्फेन	खोलना
h - g ग्	Hostis	Gast - गास्ट	अतिथि
th - d, द्	Three	Drei - द्राई	तीन
	Thick	Dick - डिक	मोटा
v - fb, ब्	Wife	Weib, वाइब	पत्नी
	Give	Geben, गेबेन	देना

g-CK क्	Bridge	Brucke, ब्र्यूक	पुल
d-t त्	God	Gott, गोट्ट	ईश्वर
	Do	Tun तुन	करना
	Drink	Triken तृकन	पीना
b-P, प्	Double	Doppel, डोपपेल	दुगुना

2. ग्रासमान नियम

महाप्राण द्वयी युक्ताः, द्वयक्षरा मूलधातवः।

महाप्राणाद्यनाशः स्याद्, ग्रासमान विधौ स्मृतेः॥

हेर्मान ग्रासमान भी जर्मन विद्वान हैं। इन्होंने ग्रिम नियम को संशोधित किया है और उसकी त्रुटियों का निराकरण किया है। ग्रासमान को मुख्य रूप से ग्रिम नियम में जो कमी दृष्टिगोचर हुई, वह यह थी कि जर्मनिक व भारोपीय भाषाओं में कुछ ध्वनि परिवर्तन उस प्रकार से नहीं हो रहे थे, जिस प्रकार वे याकोब ग्रिम नियम के अनुसार होने चाहिए थे। उदाहरण के लिए ग्रीक किंग्सवो, तुप्तोस, पिथास का अंग्रेजी में Go, dumb, body शब्द बनते हैं, किंतु ग्रिम नियम के अनुसार ho, thumb, body होने चाहिए थे। इसी प्रकार ग्रिम नियमानुसार ब् को प् और द को त होना चाहिए था, किंतु गथिक में भी ब् व द् ही मिलते हैं—

संस्कृत	गथिक
बोधति	Biudan बिउदान
दभ्	Daubs दाउब्स

ग्रासमान ने इसमें दो संशोधन किए। पहला संशोधन यह था कि 'भारोपीय मूल भाषा में यदि शब्द या धातु के आदि और अंत में दोनों स्थानों पर महाप्राण हो, तो संस्कृत, ग्रीक आदि में एक अल्पप्राण हो जाता है। दूसरा संशोधन यह था कि यदि संस्कृत आदि के कुछ शब्दों का परिवर्तन जर्मनिक में उस प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होता, जिस प्रकार से ग्रिम नियम के अनुसार होना चाहिए, तो उसके आधार पर यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि भारोपीय से संस्कृत तक आते-आते एक बार ग्रिम नियम के अनुसार परिवर्तन हो चुका है, इसलिए पुनः परिवर्तन होने की संभावना नहीं हो सकती। अतः यदि बोधति- बिउदान, दभ्-दाउब्स में ब्-द् का क्रमशः प् और त् नहीं हुआ है, तो इसका कारण यह है कि मूल भारोपीय बोधति और धर्भ से संस्कृत तक आते-आते बोधति और दर्भ में पहले से ही 'भ्' और 'ध्' वर्णों का परिवर्तन ग्रिम नियम के अनुसार 'ब्' और 'द्' में हो चुका है। इसलिए पुनः इसका नियमानुसार परिवर्तन कैसे हो सकता है।'

3. वर्नर नियम

पूर्वमुदात्तयोगे तु ग्रिमाख्यो नियमो भवेत्।

अन्यथा द्विपदा वृत्तिः, वर्नर नियमे सति॥

कार्ल वर्नर भी जर्मन भाषाशास्त्री हैं। इन्होंने भी ग्रिम नियम का संशोधन किया है। ग्रिम नियम के जो अपवाद रह गए थे, उनके विषय में वर्नर ने ज्ञात किया है कि ग्रिम नियम का आधार उदात्त स्वर था।

मूल भारोपीय भाषा के शब्दों के क्, त्, प् का जर्मनिक भाषाओं में ह्, थ्, फ् तभी होता है, जब मूल भाषा में अव्यवहित पूर्व कोई उदात्त स्वर होता है। यदि उदात्त स्वर क्, त्, प् के बाद हो, तो इनके स्थान पर क्रमशः ग्, द्, ब् होते हैं।

संस्कृत	लैटिन	गथिक	अंग्रेजी	ध्वनि-परिवर्तन
युवक्	Juvenus	Juggs	young	क > ग
शतम्	Centum	Hund	Hundred	त > द
सप्तम्	Septem	Sibun	Seven	प > ब
लिम्पामि	Lippus	Bileiba	Belife	

इनमें क्, त्, प् के बाद उदात्त स्वर हैं, अतः इनके ह्, थ्, फ् न होकर ग्, द्, ब् हुए हैं। भ्रातर में 'त्' से पहले उदात्त है, अतः गथिक व अंग्रेजी में Brother में त् को थ् लिखा जाता है। ब्राथर को ब्रदर बोला जाता है। ग्रिम नियम का प्रभाव 'स्' पर नहीं पड़ता, परंतु कुछ उदाहरणों में 'स्' के स्थान पर 'र्' का प्रयोग मिलता है। वर्नर ने इसका समाधान भी बलाघात में खोज निकाला। उनके अनुसार यदि बलाघात 'स्' से पूर्व होगा तो परिवर्तन नहीं होगा, परंतु यदि बलाघात 'स्' के बाद होगा तो 'स्' का 'र्' हो जाएगा।

● तालव्यभाव नियम

तालव्यभाव का नियम कब और कैसे बना, निश्चित रूप से इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस विषय पर विविध विद्वान स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिनमें विल्हेम, थामसन, स्मिथ, एशाम, तेंगार, कालिन्ज देशे शोर तथा वर्नर आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस नियम के निर्माण से पूर्व अन्य सगोत्रीय भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत अधिकतर भारोपीय है, यह धारणा थी। मूल भारोपीय भाषा में दन्त्य एवं ओष्ठ्य व्यंजन के अतिरिक्त तीन प्रकार के कंट्य स्पर्श थे—शुद्ध कंट्य, मध्य कंट्य एवं तालव्य। इनका विकास परवर्ती भाषाओं में भिन्न-भिन्न ढंगों से हुआ है। पश्चिमी भारोपीय भाषाओं (ग्रीक, इटली, जर्मन, कैल्टिक) में मध्यम कंट्य तथा तालव्य का एक तालव्य वर्ग बन गया एवं कंट्य स्पर्शों में एक ओष्ठ्य (व) ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। पूर्वी भाषाओं आर्मेनियन, बोल्टो, स्लावोनिक आर्य में कंट्य ध्वनियों में ओष्ठ्य भाव नहीं आया, पर कंट्य ध्वनियों के साथ मिलकर एक वर्ण बन गया। इन्हीं पूर्वी भाषाओं में मूल तालव्य आकर घर्ष बन गए।

जिन संस्कृत शब्दों में 'अ' ग्रीक या लैटिन के ओ (O) की भांति है, उनके पूर्व 'क' या 'ग' ही पाया जाता है। परंतु यदि वही 'अ' ग्रीक या लैटिन के पूर्व ई E की भांति है, तो उससे पूर्व कंट्य 'क' या 'ग' न मिलकर तालव्य च और ज मिलते हैं।

संस्कृत	अस्ति	जनूः	अ	अपः	ददर्श	अस्थि
ग्रीक	Esti	Genos	इ-O	-	Dedorka	Osteon
लैटिन	Aste	Genus	ई-Uopus	-	-	Os

टिप्पणी

इसी प्रकार पच् धातु से निष्पन्न 'पचति' तथा 'पकस' में यही तथ्य है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि संस्कृत 'अ' ध्वनि के स्थान पर इ या ओ ध्वनियां मूल भाषा में थीं। अग्र स्वर ई के पूर्व का तृतीय कंठ वर्ग 'अकुहविसर्जनीयानां कंठः' मूल भाषा का अन्य भाषाओं में तालव्य 'इचुयशानां तालु' व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। कंठ्य ध्वनियों के तालव्य ध्वनियों में परिवर्तित होने के कारण इसे तालव्य नियम कहते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त ध्वनि-नियमों के माध्यम से ध्वनियों में हुए परिवर्तन को सरलतापूर्वक जाना जा सकता है। वस्तुतः ध्वनि-नियम भाषा विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

5.5 स्वन परिवर्तन की दिशाएं और कारण

स्वन परिवर्तन की दिशाओं और इसके कारणों को पृथक-पृथक इस प्रकार समझा जा सकता है—

5.5.1 स्वन परिवर्तन की दिशाएं

ध्वनि परिवर्तन के प्रयत्न-लाघव आदि विभिन्न कारणों का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि विशिष्ट भाषाओं में इसके विशिष्ट रूप मिलते हैं। इन कारणों की कुछ दिशाएं इस प्रकार निर्दिष्ट की जा सकती हैं। प्राचीन संस्कृत वैयाकरणों ने भी इन दिशाओं का निर्देश किया है। उनके अनुसार ध्वनि (वर्ण) परिवर्तन के कारण वर्ण-व्यत्यय, वर्णापाय, वर्णोपजन तथा वर्णविकार हैं—

वर्णव्यत्ययापायोपजन विकारेषु...।

वर्णव्यत्यये कृतेस्तर्कः कसेः सिकताः, हिंसेः सिंहः...।

अपायोलोपः घ्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन्।...

उपजन-आगमः। लविता लवितुम्।

विकारः आदेशः। घातयति घातकः।

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने वर्णव्यत्यय के उदाहरणस्वरूप—'कृते' से तर्कः, 'कसेः' से सिकताः, 'हिंस' से 'सिंह'। लोप के उदाहरणस्वरूप घ्नन्ति, घ्नन्तु और अघ्नन्, आगम के उदाहरण में 'लविता' से लवितुम्, आदेश के उदाहरण के रूप में घातयति से घातकः प्रस्तुत किए हैं। काशिका में "वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ" के रूप में वर्ण-परिवर्तन के नियमों का उल्लेख किया गया है। पतञ्जलि के पूर्ववर्ती (संभवतः ईसा पूर्व सप्तमशतक) निरुक्तकार यास्क ने भी इन वर्णध्वनि परिवर्तन की दिशाओं का इन शब्दों में सोदाहरण उल्लेख किया है—

"अथाप्यस्तेर्निवृत्तिस्थानेषु आदि लोपो भवति स्तः संतीतित्यथाप्यन्तलोपी भवति गत्वा गतमित्यथाप्युपधालोपो भवति जग्मतुर्जग्मुरित्यथाप्युपधाविकारो भवति राजा दण्डीत्यथापि वर्णलोपो भवति तत्वा यामित्यथापि द्विवर्णलोपस्तृच इत्यथाप्यादि विपर्ययो भवति ज्योतिर्घनो विन्दुवाटय इत्यथाप्याद्यन्त विपर्ययो भवति स्तोका रज्जुः सिकता स्तवित्यथाप्यन्त व्यापतिर्भवति।"

इस प्रकार निरुक्तकार ने आदिलोप, अंतलोप, उपधालोप, आदिविपर्यय, अंत विपर्यय, वर्णोपजन (आगम) आदि वर्ण परिवर्तन की दिशाओं का उल्लेख किया है। संस्कृत वैयाकरण जिसे उपधालोप कहते हैं, आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक उसे Syncope कहते हैं। संस्कृत वैयाकरण जिसे आदिविपर्यय कहते हैं, भाषा वैज्ञानिकों के मत में वह अंशतः Assimilation और Dissimilation है। संस्कृत वैयाकरणों का आद्यन्त-विपर्यय ही भाषा-वैज्ञानिकों का Anaptyxis है। आशय यह है कि ईसापूर्व 700 ई.पू. भाषा के संबंध में जो अध्ययन हो रहा था, उसका विकसित रूप आधुनिक भाषा विज्ञान में सुरक्षित है।

परस्पर विनिमय, वर्ण विपर्यय, वर्ण व्यत्यय (Metathesis)—वर्णविपर्यय Metathesis के हिंदी में कई नामांतर परस्पर विनिमय, वर्ण-व्यत्यय आदि मिलते हैं। किसी शब्द के स्वर-व्यंजन या ध्वनियां जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और उस स्थान से प्रथम स्थान पर आ जाती हैं, तो इस पारस्परिक परिवर्तन को विपर्यय कहा जाता है—Transposition in words or letter डॉ. पी.डी. गुणे वर्णव्यत्यय पर विचार करते हुए लिखते हैं—"ध्वनि परिवर्तन में विपर्यय अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है।"

विपर्यय वहां होता है, जहां शब्द की दो ध्वनियां स्थान परिवर्तन करती हैं। यह किसी शब्द की ध्वनियों अथवा उसके वर्णों का क्रम परिवर्तन है— Metathesis plays a considerable part in phonetic change. This is when two sounds in a word change places. It's transposition of sounds or letters in word. आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन करते समय इस Metathesis का सर्वप्रथम निर्देश पिशेल ने सन् 1871 में किया था। यद्यपि इसके अनेक उदाहरणों का निर्देश संस्कृत वैयाकरणों ने भी किया है। उदाहरण के लिए—'निरुक्त' में 'स्तोक', 'रज्जु', 'सिकता'।

तुर्क शब्दों को इसी प्रकार वर्णों के आद्यन्त विपर्यय द्वारा क्रमशः श्च्युतिर क्षरणे (च्युत), "सृजविसर्गो" 'कसविकसने' और 'कृतिछेदने' (=कृत्) इन धातुओं से बनाया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (2.14) आदि वैदिक ग्रंथों में 'शल्क' शब्द टुकड़े के अर्थ में आता है। पीछे से वर्ण-व्यत्यय और स्वरभक्ति से इसी का दूसरा रूप 'शक्ल' हो गया, जो संस्कृत में बराबर प्रयुक्त होता है।

हिंदी में वर्ण-व्यत्यय के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। वर्ण व्यत्यय के दो भेद किए जा सकते हैं—

- (1) स्वर विनिमय—अग्लिका से इमली अ और इ का परस्पर विनिमय हुआ है।
- (2) व्यंजन विनिमय—चाकू से काचू में च और क का व्यंजन विपर्यय हुआ है।

इसके भी पार्श्ववर्ती तथा दूरवर्ती दो भेद और किए जा सकते हैं—

पार्श्ववर्ती विपर्यय—बिल्कुल निकट के या पार्श्व में होने वाला विपर्यय; जैसे जलेबी से जबेली, यहां पर 'ल' और 'ब' दोनों समीप व्यंजनों में परिवर्तन हुआ है।

दूरवर्ती विपर्यय—दूर की ध्वनियों में जो विपर्यय होता है, उसे दूरवर्ती विपर्यय कहते हैं; जैसे लखनऊ का नखलऊ, अमरूद का अरमूद।

अपनी प्रगति जांचिए

7. ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं?

8. किसी ध्वनि पर शक्ति या बल देकर उच्चारण करना क्या कहलाता है?

9. सही-गलत बताइए—

(क) स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को स्वन कहते हैं।

(ख) सबल, संबल और निर्बल : ये बलाघात के तीन रूप हैं।

3. आदि अक्षरलोप—इसके चार भेद किए जाते हैं—

- (क) आदि अक्षरलोप (ख) मध्य अक्षरलोप
(ग) अंत्य अक्षरलोप (घ) समाक्षरलोप

आदि अक्षरलोप (apheresis)

University = versity त्रिशूल = शूल शहतूत = तूत

Defence = fence अध्यापक = झा

Necktie = Tie व्याकुल = आकुल

मध्य अक्षरलोप

भंडागार = भंडार दस्तखत = दस्खत वरुजीवी = वरई

राज्यकुल = राउर गेहूं जव = गोजई

अंत्य अक्षरलोप

माता = मां निम्बुक = नींबू दीपवर्तिका = दीवत

यज्ञोपवीत = जनेऊ भ्रातृजाया = भावज मौक्तिक = मोती

सपाद = सवा जीव = जी

समाक्षर लोप (Haplology)—जब किसी एक ही शब्द में अक्षर या अक्षर समूह साथ-साथ दो बार प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उच्चारण की सुविधा के कारण उनमें से एक का लोप हो जाता है, तब उसे समाक्षर लोप कहा जाता है। समाक्षर लोप के लिए यह आवश्यक है कि एक साथ आने वाले दो अक्षरों में एक ध्वनि समान हो। हेप्लोलॉजी शब्द का प्रयोग ब्लूमफील्ड ने किया है—

Haplology is a name given by Bloomfield to the Phenomenon where of too similar syllables following each other, one is dropped. The condition for haplology is that one sound, at any rate on the two consecutive syllables must be common.

उदाहरण के लिए संस्कृत में हा धातु के लोट् लकार पुरुष के एक-वचन में 'जहीहि' और 'जहि' में आज 'जहि' अवशिष्ट है। इसी प्रकार वैदिक शब्द शेवृध (प्रिय-अमूल्य) भी शेव + वृध से शेष रह जाता है।

खरीददार = खरीदार त्रि + ऋच + अः = तृचः

नाककटा = नकटा

Part-time = Partime

कभी-कभी ध्वनि या अक्षर पूर्णतः एक ही न होकर उच्चारण में मिलते-जुलते हैं, उस स्थिति में भी एक का लोप हो जाता है—

आदत्त = अत्त

कृष्णनगर = कृष्णगर

आगम-प्रागुपजन (Prothesis-Coming)—उच्चारण करते समय कभी-कभी मुख-सुख के लिए कुछ व्यंजनों, विशेषतया संयुक्त व्यंजनों के आदि, मध्य तथा अंत्य में स्वरों तथा व्यंजनों का आगम हो जाता है। प्रारंभ में आने वाले स्वर को प्रागुपजन कहा गया है। "We find that in some languages certain vowels are developed before certain consonants." अर्थात् कुछ भाषाओं में कुछ व्यंजनों से पूर्ण कुछ स्वरों का आगम हो जाता है। यह भी आदि, मध्य एवं अंत्य भेद से तीन प्रकार का होता है।

1. आदि स्वरागम

स्नान = इस्नान स्कूल = इस्कूल

स्त्री = इस्त्री स्तुति = इस्तुति

2. मध्य स्वरागम

प्रसाद = परसाद कर्म = करम ब्रह्मा = बरहमा

पूर्व = पूरव मिश्र = मिसुर मर्म = मरम

बक = बगुला धर्म = धरम भ्रम = भरम

प्रकार = परकार अर्थ = अरथ पृथ्वी = पृथिवी

स्वर्ण = सुवर्ण स्टेशन = सटेशन

3. अंत्य स्वरागम

स्वप्न = सपना चतुरता = चतुराई निपुणता = निपुनाई

दवा = दवाई गल = गला हरीतिमा = हरियाई

व्यंजनागम

आदि व्यंजनागम के उदाहरण बहुत कम संख्या में प्राप्त होते हैं—

उल्लास = हुल्लास ओष्ठ = होंठ अस्थि = हड्डी

मध्य व्यंजनागम—शब्द के मध्य भाग के उच्चारण में अधिक कठिनता का अनुभव होता है, जिसे दूर करने के लिए आगम एवं लोप का आश्रय लिया जाता है; यथा—

समुद्र = समुंदर तक = तलक लाश = लहास

आलसी = आलकसी शाप = श्राप Panel = Pannel

वानर = बंदर सुख = सुक्ख Avantage = Advantage (फ्रेंच में)

अंत्य व्यंजनागम

रंग = रंगत (अरबी)

देह = देहात (फारसी)

परवा = परवाह चील = चील्ह

भौं = भौंह Coc = Cock

Cautio = Caution (अंग्रेजी में)

स्वरागम-अक्षरागम के भी आदि, मध्य व अंत्य तीन भेद दृष्टिगोचर होते हैं-

आदि अक्षरागम

स्फोट = विस्फोट, गुंजा = घुंघुची

मध्य अक्षरागम

खल = खरल गरीब निवाज = गरीबुलनिवाज

आलस = आलकस

अंत्य अक्षरागम

डफ = डफली मन = मनका

तावे = तावेदार वधू = वधूट

स्वरभक्ति अथवा विप्रकर्ष (Anaptyxis or Diaeresis)

संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए उनके बीच किसी स्वर या स्वर भाग के आगम को स्वर-भक्ति या विप्रकर्ष कहते हैं। पी.डी. गुणे स्वरभक्ति पर विचार करते हुए कहते हैं-"इस प्रकार की एक अन्य प्रक्रिया है, जिसमें ऐसी ध्वनियों के मध्य में, जिनका उच्चारण करना कठिन होता है, स्वर का आगम हो जाता है।" (Another similar phenomenon is the insertion of a vowel between combination of sounds, which are difficult to-pronounce. This is called स्वरभक्ति or anaptyxis.) कुछ ऋग्वेदीय सूक्तों में इंद्र का उच्चारण इंदर, दर्शन का दर्शन किया जाता है। Variety of the same phenomenon is seen in the insertion of a consonant between two consonants belonging to different places of articulation. This new comer helps the tongue in passing from one place to another and is in fact a transitional sound.

अर्थात् "इसी प्रक्रिया का एक प्रकार वह है, जिसमें भिन्न उच्चारण स्थानों वाले दो व्यंजनों के मध्य में किसी व्यंजन का आगम हो जाता है। यह नया व्यंजन वस्तुतः एक संक्रमणकालीन ध्वनि होता है, जो जिह्वा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानें में सहायता देता है।"

वैदिक शब्दों में स्वर के अनंतर तथा व्यंजन के पूर्व आने वाले 'र' के आगे स्वरभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप 'कहिं' या 'अर्चन्ति' में 'र' के बाद इकार या 'स्मृ' का स्वर के रूप में उच्चारण किया जाता है। वैदिक शब्दों में जैसी स्वर-भक्ति का उच्चारण होता था, वह आधी मात्रा या उससे भी कम मात्रा की होती थी। इसलिए वह लिखी नहीं जाती थी। यहां तक कि उसके बोले जाने पर भी व्यंजनों के संयोग को 'संयोग' ही माना जाता था। अवेस्तान भाषा में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है।

प्राकृत तथा हिंदी में स्वर-भक्ति के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं- संस्कृत के भक्ति, युक्ति, पंक्ति, प्रसाद के स्थान पर हिंदी में भगति, जुगति, पंगत, परसाद हो जाते हैं।

चंद्र = चंदर श्री = सिरी इंद्र = इंदर
पृथ्वी = पृथिवी स्वर्ण = सुवर्ण

अपिनिहित-समस्वरागम (Epenthesis)

कुछ भाषा वैज्ञानिक अपिनिहित और स्वरभक्ति को एक ही मानते हैं। उनके अनुसार इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि स्वर-भक्ति मिश्र ध्वनियों से पूर्व आती है और अपिनिहित अमिश्र से पूर्व। इस प्रकार स्वरभक्ति का उदाहरण स्कूल = इस्कूल है तथा अपिनिहित का उदाहरण सवारी = असवारी है। किंतु अन्य विद्वान ऐसा स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार ये दोनों ही उदाहरण स्वरभक्ति के हैं।

मुख-सुख के लिए कुछ शब्दों के मध्य या आरंभ में ऐसे स्वर की आवश्यकता होती है, जो बाद में आया हो, किंतु आने वाला स्वर वही होगा, जिसकी सत्ता पूर्व से ही वहां विद्यमान हो। इसे समस्वरागम कहते हैं-

संस्कृत	अवेस्ता
भवति (Bhavati)	Bavaiti
अरुषः (Arusah)	Auruso
तरुणः (Taruna)	Tauruna

उपर्युक्त उदाहरणों में आगत स्वर रेखांकित हैं। इन उदाहरणों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि यहां उन्हीं स्वरों का आगम हुआ है, जो पूर्व से ही उन शब्दों में विद्यमान हैं। अंग्रेजी में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। कभी-कभी वही स्वर न होकर उसी प्रकृति का स्वर आ जाता है। उदाहरणार्थ-

स्टेशन	= इस्टेशन	सवारी	= असवारी
स्तर	= अस्तर	स्तबल	= अस्तबल
स्तंभ	= अस्तंभ		

आदि स्वरागम एवं अपिनिहित में भी कुछ अंतर है-

1. आदि स्वरागम में कोई भी स्वर आ सकता है, किंतु अपिनिहित में केवल उसी स्वर का आगम हो जाता है, जो या तो पहले से ही विद्यमान हो या उसी प्रकृति का अग्र या पश्च हो।
2. आदि स्वरागम में जो स्वर आता है, वह शब्द के आदि में ही होगा, किंतु अपिनिहित में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।

अपिनिहित एवं स्वर भक्ति-इसी प्रकार स्वर भक्ति और अपिनिहित दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। साथ ही, स्वर भक्ति में स्वर का आगम किसी व्यंजन को अक्षर बनाता है, किंतु अपिनिहित में स्वर भक्ति की तरह आधा को पूरा बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है।

अभिभ्रुति (Umlaut of Vowel Mutation)- स्वर, अर्ध स्वर तथा कभी-कभी व्यंजन से प्रभावित होकर यदि अपिनिहित (Epenthesis) के कारण आया हुआ स्वर परिवर्तित हो जाता है तो उसे अभिभ्रुति कहते हैं। अपिनिहित से हमारा अभिप्राय शब्द के मध्य किसी ध्वनि या

अक्षर के आगम से है। ग्रिम महोदय ने जर्मनिक भाषाओं के अध्ययन के अवसर पर स्वर-परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान देकर इसका उल्लेख किया था। उदाहरणार्थ—

Mani = Maini = Men

इस उदाहरण में Maini में प्रथम I अपिनिहित के फलस्वरूप है, फिर उसका परिवर्तन men में हो गया है।

डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी ने अपश्रुति का कारण स्वर को माना है। उनके अनुसार, यह प्रवृत्ति भारोपीय, सेमिटिक एवं हैमिटिक भाषाओं में पाई जाती है। अंग्रेजी में स्वर परिवर्तन के द्वारा अनेक शब्दों के बहुवचन बनाए जाते हैं; जैसे—Man = men, Foot = Feet, Mouse = Mice.

भोलानाथ तिवारी बंगला भाषा के करिया = केरिया, Korla = कोरे = Kora को भी अभिश्रुति का उदाहरण मानते हुए लिखते हैं कि—

"Umlaut नाम ग्रिम महोदय का दिया हुआ है। उनके अनुसार किसी स्वर के अभाव से पहले आए स्वर के परिवर्तन को ही "umlaut" कहते हैं। इसमें प्रभावित करने वाला स्वर बहुधा I होता है।

अपश्रुति-अक्षरावस्थान : नियमित स्वर क्रमबद्धता

ध्वनि परिवर्तन के प्रमुख कारण स्वर परिवर्तनजन्य होते हैं। उदात्तानुदात्त स्वरों का आधार लेकर ही इस नियम का निर्माण हुआ है। अपश्रुति में व्यंजनों के ज्यों के त्यों रहने पर भी केवल स्वर परिवर्तन से ही अर्थ में अंतर हो जाता है। इसमें स्वरों का परिवर्तन ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व में होता है। ईरानी भाषा में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। आशय यह है कि स्वर तत्व का परिवर्तन ही अपश्रुति है। यह स्वर परिवर्तन एक ही शब्द के अंग में होता है। स्वर परिवर्तन दो प्रकार का होता है, जिन्हें क्रम से गुणीय परिवर्तन (Qualitative change) तथा परिमाणीय परिवर्तन (Quantitative change) कहते हैं। एक में शब्द का रूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, दूसरे में ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व होता है।

1. **गुणीय अपश्रुति**—इसमें गुण की दृष्टि से स्वर मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। इससे अर्थ में भेद हो जाता है; जैसे अग्र स्वरों के स्थान पर पश्च स्वर या अन्य स्वर परिवर्तन। यथा—अंग्रेजी में एकवचन से बहुवचन बनाने में स्वर भेद—Man = men, mouse = mice, Foot = Feet, Goose = Geese. **धातु रूप में**—Sing = Sang = Sung = Song. **जर्मन में**—Gehen (जाना) = Ging (गया) = Gegangen (गया हुआ)। **रूसी भाषा में**—दार (दान), दरीत्य (उपहार में देना), त्येच (बहना), तिचेनिये (प्रवाह, धारा)। **अरबी में** = क्तूल (मारना), कातिल (मारने वाला), मकतूल (मरने वाला) कत्ताल (बहुतों को मारने वाला), (युद्ध) कत्ताल। **संस्कृत में** = सूत = सौति (सूतपुत्र), दशरथ = दशरथि (दशरथ का पुत्र)।

2. **मात्रिक अपश्रुति**—(परिमाणीय) = मात्रिक अपश्रुति में ह्रस्व-दीर्घ आदि मात्राओं में परिवर्तन होता है। स्वर की प्रकृति वही रहती है, उसमें दीर्घ, गुण या वृद्धि आदि हो जाती है। इसका कारण उदात्त का होना या न होना माना जाता है। धातु आदि पर उदात्त

स्वर होने पर गुण या वृद्धि होगी। उदात्त स्वर न होने पर वहां गुण या वृद्धि नहीं होगी, अपितु कुछ स्थानों पर संप्रसारण हो जाता है। इसके आधार पर तीन श्रेणियां मानी जाती हैं—

- (क) **निर्बल श्रेणी**—गुण वृद्धि नहीं, प्रत्युत संप्रसारण होगा। संप्रसारण के अंतर्गत य, व, र क्रमशः इ, उ, ऋ में परिवर्तित हो जाएंगे; यथा—

यष्टवे, यज्ञ = इष्ट वष्टि = उष्मसि

वक्तवे = उक्त चत्वारः = चतुरः

ग्रभे = गृभे, गृहीत श्वन् = शुनः

- (ख) **सबल श्रेणी**—इसमें गुण होगा। जैसे— भृतः = भरति

- (ग) **दीर्घीकृत श्रेणी**—इसमें वृद्धि होने के कारण ए, ओ, अर्, अल् क्रमशः ऐ, औ, आर्, आल् में परिवर्तित हो जाते हैं।

इनके संस्कृत में उदाहरण निम्न प्रकार से हैं—

क्र.सं.	ध्वनि	धातु	निर्बल	सबल	दीर्घीकृत
1.	अ	पत्	पित्सति	पतति	पातयति
2.	अय्, ए	नी (नय्)	नीतः	नयति	नायकः
3.	अव्, ओ	(श्रु) (श्रव्)	श्रुतः	श्रोता	श्रावयति
4.	अर्	कृ (कर्)	कृतः	करोति	कारकः
5.	अल्	क्लृप् (कल्प्)	क्लृप्तः	कल्पना	काल्पनिकः
6.	अन्	हन्	हतः	हन्ति	घातकः
7.	अम्	गम्	गतः	गमनम्	जगाम
8.	आ	स्था	स्थितिः	स्थानम्	—
9.	आय्, ऐ	गै (गाय)	गीतम्	गायति	—
10.	आव्, औ	(पू) (पाव्)	पूतः	पावकः	—

समीकरण (Assimilation)

समीप स्थित दो वर्ण जब परस्पर प्रभावित होकर वर्णों में से एक रूप परिवर्तित कर दूसरे का स्वरूप ग्रहण करता है, तो उसे समीकरण कहते हैं। संस्कृत वैयाकरण समीकरण को 'सवर्णाकरण' संज्ञा से अभिहित करते हैं। समीकरण का संस्कृत में उदाहरण है— धर्म से प्राकृत में धम्मा। यह प्रवृत्ति मूलतः प्रत्यललाघवजन्य है। इसके दो भेद प्राप्त होते हैं—

- (1) पुरोगामी (Progressive)
- (2) पश्चगामी (Regressive)

इनके पार्श्ववर्ती Contact तथा दूरवर्ती Incontact दो प्रकार के अन्य भेद भी होते हैं। स्वर एवं व्यंजन के आधार पर इनके उदाहरण इस प्रकार द्रष्टव्य हैं—

स्वर

1. पुरोगामी - दूरवर्ती = जुल्म = जुलुम, पिपीलिका = पिपिलिका
पार्श्ववर्ती - आइए = आइइ
2. पश्चगामी - दूरवर्ती = असूया = उसूया
इक्षु = उकूरवू

व्यंजन

1. पुरोगामी - दूरवर्ती = विलपना = विलंबना
पार्श्ववर्ती - वक्र = वक्क, यस्य = जस्स, चक्र = चक्क
2. पश्चगामी-दूरवर्ती - नीला = लीला
पार्श्ववर्ती - कर्म = कम्म, सर्प = सप्प
भक्त = भत्त, धर्म = धम्म

समीकरण में यह आवश्यक नहीं कि परस्पर प्रभावित करने वाले वर्ण अव्यवहित रूप में समीप में हो। साथ ही समीकरण में या परवर्ती में पूर्ववर्ती वर्ण का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। इसका आधार वर्णों के आपेक्षिक बल पर होता है। साधारण नियम यह है कि समान बलवान वर्णों पर परवर्ती का और असमान बल वालों पर अधिक बल वाले का प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से हम व्यंजनों का क्रम इस प्रकार निर्दिष्ट कर सकते हैं-

1. स्पर्श वर्ग पंचम अक्षरों को छोड़कर सबसे अधिक बल वाले हैं।
2. वर्ग के पंचम अनुनासिक उपर्युक्त स्पर्शों से कम बल वाले हैं तथा ल्, स्, व्, य्, र क्रमशः सबसे कम बल वाले हैं।

डॉ. पी.डी. गुणे समीकरण की प्रक्रिया तथा उसका रहस्य आदि स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि-"इस तथ्य की व्याख्या में कोई कठिनाई नहीं है। यद्यपि कोई शब्द अथवा वाक्य उच्चारण चेष्टाओं के अनुक्तम से उत्पन्न किया जाता है, तो भी जहां तक बोलने वाले का संबंध है, ज्यों ही शब्द अथवा वाक्य के उच्चारण का आरंभ करता है, उसकी चेतना में समग्र आ जाता है। उसका संबंध ध्वनि एवं उसके अर्थ, दोनों का बोध एक साथ घटित होने वाली क्रिया के रूप में होता है। इसी कारण समीकरण के समय कुछ प्रक्रिया इस प्रकार की होती है। कोई विशिष्ट ध्वनि-विचार, जो किसी अन्य ध्वनि-विचार से कुछ उत्कृष्ट होता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार उच्चारण संबंध चेष्टा जो पहले वाले के अनुरूप है, उस दूसरे का स्थान ले लेती है।"

विषमीकरण (Dissimilation)

यह समीकरण के विपरीत होता है। इसमें दो समान समीपस्थ ध्वनियों में से एक अपने स्वरूप का परित्याग कर विषम या असम बन जाती है, इसलिए इसे विषमीकरण कहा जाता है। विषमीकरण के स्वर-व्यंजन के पुरोगामी-पश्चगामी नामक भेद किए जा सकते हैं।

- पुरोगामी विषमीकरण-जब प्रथम व्यंजन या स्वर पूर्वस्थिति में रहता है और दूसरा परिवर्तित होकर विषम हो जाता है, तो उसे पुरोगामी विषमीकरण कहते हैं। जैसे-लांगूल = लंगूर, काक = काग, कंकण = कंगन, पुरुष = पुरिष। संस्कृत में 'अभ्यासे चर्च' सूत्र से नियमित तिष्ठासति, बुभूषति आदि रूप भी विषमीकरण के उदाहरण हैं।
- पश्चगामी विषमीकरण-इसमें प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे-नवनीत = नयनू, मुकुट = मउर = मोर, नूपुर = नेउर, मुकुल = मउल, लांगल = नांगल।
- सादृश्य या मिथ्या सादृश्य (Analogy of False Analogy)-समानता के कारण भी ध्वनियां परिवर्तित हो जाती हैं। जब कुछ शब्दों में दूसरे शब्दों के सादृश्य से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है, तो इसे सादृश्य या मिथ्या सादृश्य कहा जाता है। इसे औपम्य या उपमान भी कहा जाता है। जैसे 'सर्प' शब्द से नरक के सादृश्य से सरपा भोलानाथ तिवारी के शब्दों में संस्कृत में द्वादश के सादृश्य पर एकदश भी एकादश हो गया है।
- संधि-संस्कृत भाषा में संधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के वैयाकरणों द्वारा निर्दिष्ट संधि नियम यद्यपि केवल संस्कृत भाषा तक ही सीमित हैं, किंतु विश्व की अन्य भाषाओं में भी संधि की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। संधि का सामान्य अर्थ है-जुड़ना अर्थात् दो ध्वनियों का मिलकर एक हो जाना। जैसे - रत्न + आकर = रत्नाकर। किंतु कभी-कभी तो संधियों के माध्यम से इतना परिवर्तन हो जाता है कि संपूर्ण ध्वनियों को समझना ही कठिन हो जाता है। जैसे-तद् + श्लोकेन = तच्छ्लोकेन, वाक् + हरिः = वाग्हरिः। हिंदी- नयन = नइन = नैन, सपत्नी = सवत = सौत।
- अनुनासिकता (Nasalization)-अनुनासिक (न, म, ज, ङ, ण) ध्वनियों का अनुनासिक रूप में परिवर्तित होना ही अनुनासिकता है। जैसे-सर्प = सांप, उष्ट्र = ऊंट, सत्य = सांच, कूप = कुंआ, वक्र = बांका इत्यादि।

ऊष्मीकरण (Assibilation)

विशिष्ट ध्वनियों का ऊष्म श्, ष्, स् आदि में परिवर्तित हो जाना ऊष्मीकरण कहलाता है। भारतीय भाषाओं को इसी ऊष्मीकरण प्रवृत्ति के कारण दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक वर्ग उन भाषाओं का है जिनमें ऊष्मीकरण की प्रवृत्ति नहीं मिलती है, दूसरा वर्ग उन भाषाओं का है, जिनमें ऊष्मीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। दोनों वर्गों को क्रमशः 'केन्दुम' और 'शतम्' वर्ग कहते हैं।

- मात्रा भेद-उच्चारण में कभी दीर्घ का ह्रस्व तथा कभी ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। जैसे-अक्षत = आखत, हस्त = हाथ, सत्य = सांच।
- घोषीकरण-जब अघोष (विवार) ध्वनियां घोष (संवार) ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसे घोषीकरण कहा जाता है। जैसे-
मकर = मगर सकल = सगल काक = काग
प्रकट = प्रगट

● **अघोषीकरण**—इसमें सघोष ध्वनि अघोष के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे—

नगर = नकर अदद = अदत मेघ = मेख

सघोष ध्वनि द, ग् तथा घ् क्रमशः त्, क्, ख् में रूपांतरित हुई हैं।

● **महाप्राणीकरण**—जब अल्पप्राण ध्वनियां महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसे 'महाप्राणीकरण' कहा जाता है। जैसे

बाष्प = भाप गृह = घर हस्त = हाथ

अल्प प्राण प्, ग्, त् क्रमशः फ्, घ्, एवं थ् में परिवर्तित हुए हैं।

● **अल्पप्राणीकरण**—जब महाप्राण ध्वनियां अल्पप्राण में बदल जाती हैं, तो उसे अल्पप्राणीकरण कहा जाता है। जैसे—

धधामि = दधामि सिंधू = हिंदू

भोधामि = बोधामि धाधामि = दधामि

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि ध्वनियों के उच्चारण में शरीरावयवों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके विकृत हो जाने से ध्वनियों का उच्चारण करना संभव नहीं है। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन की कुछ दिशाओं का भी उल्लेख यहां किया गया है। केवल यही ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हों, ऐसा नहीं है। इस प्रकार अन्य अनेक ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हो सकती हैं।

5.5.2 स्वन परिवर्तन के कारण

परिवर्तन सृष्टि का नियम है। विश्व की प्रत्येक वस्तु में निरंतर परिवर्तन होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। इसे ही वैदिक ऋषियों ने 'यत् किं च जगत्यां जगत्' (यजु. 40.1) कहा है। संसार की प्रत्येक वस्तु संसरणशील, परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाषा की ध्वनियों में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। इसी परिवर्तन के कारण एक-एक शब्द के अनेक अपभ्रंश हो जाते हैं। जैसे—मनुष्य, मानुष, मानस, मनुस आदि। अतएव महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है—

“एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशाः। (महा.-प्रथम आह्निक)

भाषा का प्रमुख तत्व 'ध्वनि' है। वक्ता इसका उच्चारण करता है और श्रोता इसे सुनता है। वक्ता की ध्वनियों पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है—आभ्यंतर और बाह्य। वक्ता और श्रोता से संबद्ध कारणों को आभ्यंतर कारण कहते हैं। जैसे—प्रयत्नलाघव, अज्ञान, शीघ्र भाषण, नवीनीकरण की प्रवृत्ति आदि। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों को बाह्य कारण कहते हैं। ये कारण बाहर अर्थात् आसपास के वातावरण से 'ध्वनि' को प्रभावित करते हैं। जैसे— सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि।

इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन के कारणों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—आभ्यंतर कारण एवं बाह्य कारण।

आभ्यंतर कारण

1. **प्रयत्नलाघव या मुखसुख**—इसे उच्चारण सुविधा या उच्चारण-सौकार्य भी कहते हैं। यह ध्वनि-परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। मनुष्य स्वभाव से ही कम प्रयत्न करके अधिक लाभ उठाना चाहता है। कम प्रयत्न से ही अपने भावों को स्पष्ट करने की चेष्टा करता है। मुख की सुविधा के कारण इसे मुख-सुख और उच्चारण की सरलता के कारण उच्चारण सुविधा आदि कहते हैं। मुख-सुख के लिए कठिन शब्द को सरल बनाया जाता है और क्लिष्ट उच्चारणों को आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम आदि के द्वारा सरल बनाया जाता है। जैसे—सत्य > सच, कर्म > काम, चक्र > चक्कर, प्रचार > परचार, स्टेशन > इस्टेशन, हॉस्पिटल > अस्पताल, टेलिफोन > फोन, पोस्टकार्ड > कार्ड इत्यादि।

प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। शिलालेखों में शुक्लपक्ष दिवस को शुदि > सुदी, बहुल पक्ष दिवस को बदि > बदी लिखा गया है। इससे सुदी और बदी शब्द प्रचलित हुए हैं।

संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार इसी प्रक्रिया के परिचायक हैं; जैसे अच् - पूरे स्वरों का, हल् - संपूर्ण व्यंजनों का, अल् - पूरी वर्णमाला। इसी प्रकार इक्, यण्, एच्, खर्, जश् आदि जानने चाहिए।

प्रयत्नलाघव के कारण अनेक प्रकार के ध्वनिपरिवर्तन होते हैं; जैसे समीकरण, विषमीकरण, आगम, लोप वर्णविकार, वर्ण-विपर्यय, मध्याक्षर लोप, स्वरभक्ति आदि।

2. **अशिक्षा**—शिक्षा के अभाव के कारण ग्रामीणजन एवं अशिक्षित व्यक्ति ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। उनका उच्चारण सदा अस्पष्ट एवं दोषयुक्त होता है। इससे ध्वनियों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अशिक्षा के कारण ब को व, व को ब, श को स, ष को स, क्ष को च्छ, ण को न आदि उच्चारण किया जाता है; जैसे देश > देस, शरीर > सरीर, कृष्ण > किसन, कक्षा > कच्छ, क्षत्रिय > छत्रिय, गुण > गुन, सगुण > सगुन, निर्गुण > निरगुन आदि। विदेशी भाषा के शब्दों के अनुकरण में अशिक्षा के कारण असाधारण परिवर्तन हो जाते हैं, लार्ड > लाट, गार्ड > गाड, टाइम > टेम, आर्ट्स कॉलेज > आठ कॉलेज, पोस्टकार्ड > पोसकाड, लाइन > लैन, रिपोर्ट > रपट आदि।

3. **लिपि की अपूर्णता**—प्रत्येक भाषा में कुछ विशिष्ट ध्वनियां हैं, जिनका शुद्ध और स्पष्ट लेखन दूसरी भाषा में संभव नहीं है। फलस्वरूप संस्कृत की टवर्ग ध्वनियां, अंग्रेजी जेड (z), अरबी की काकल्य ध्वनियां, जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा की विभिन्न ध्वनियां अन्य भाषाओं में सम्यक् रूप से नहीं लिखी जा सकती हैं। विभिन्न संस्कृतियों के मिलने पर मूल भाषा की ध्वनियों में बहुत अंतर आ जाता है। अंग्रेजी में शुद्ध राम, कृष्ण, आर्य, शुक्ल, मिश्र, गुप्त आदि शब्द Rama, Krishna, Arya, Shukla, Mishra, Gupta आदि लिखे जाने के कारण अब रामा, कृष्णा, आर्या, शुक्ला, मिश्रा, गुप्ता आदि प्रचलित हो गए हैं।

4. **शीघ्र भाषण**—शीघ्र बोलने के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। इसमें मध्यगत ध्वनियों का प्रायः लोप हो जाता है। इसके साथ लघुकरण की प्रवृत्ति भी देखी जाती है; जैसे—उन्होंने > उन्ने, किसने > किन्ने, अब ही > अभी, तब ही > तभी, किस ही > किसी अंग्रेजी में Don not > Don't, will not > won't, I am > I'm, Cannot > Can't आदि इसके उदाहरण हैं।
5. **भावावेश**—प्रेम, क्रोध, शोक आदि भावों के अतिरेक के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे—अधिक प्रेम प्रदर्शनार्थ भाई > भइया, बाबू > बबुआ, बच्चा > बाचा या बचवा, राजेंद्र > रज्जु, दादा > दादू, जीजा > जीजू हो जाता है। क्रोधावेश में राम > रामू या रमुआ, चमार > चमरवा हो जाता है। शोकावेग में कर्म > करमवा फूट गइल (कर्म नष्ट हो गए), पुत्र > पुतवा का मुंह देख लेती (पुत्र का मुख देख लेती) आदि।
6. **बलाघात**—ध्वनि परिवर्तन में बलाघात का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस ध्वनि पर बल दिया जाता है, वह शेष रहती है, अन्य निर्बल ध्वनियां क्षीण हो जाती हैं। प्राकृत, अपभ्रंश आदि के काल में निर्बल ध्वनियों का लोप हो जाता है। संस्कृत में जिन स्वरों पर उदात्त होता है, उनमें गुण या वृद्धि होती है। यदि उन पर उदात्त नहीं होता, तो उनमें गुण नहीं होता है; जैसे कृ > कारक, करण, कृति। प्रथम में दो वृद्धि या गुण है और तृतीय में गुण का अभाव है। चतुर् + ईय = तुरीया य का 'अ' उदात्त होने से 'च' निर्बल हो गया है, अतः उसका लोप होकर तुरीय रूप बनता है। इसी प्रकार आभ्यंतर > भीतर, उपरि > पर, एकादश > ग्यारह, द्वादश > बारह, स्वर्णकार > सुनार, चर्मकार > चमार आदि।
7. **काव्यात्मकता**—छन्द के नियमों के अनुसार आरोह-अवरोह का ध्यान रखते हुए कहीं ह्रस्व को दीर्घ, कहीं दीर्घ को ह्रस्व, कहीं वर्णलोप किया जाता है। संस्कृत छन्द शास्त्र का नियम है कि 'अपि माषं मषं कुर्यात्, छन्दोभङ्गं न कारयेत्'—माष को मष कर दें, पर छन्दोभङ्ग न करें। जैसे—रामायण के एक दोहे में—
बिनु गुरु होइ कि ग्यान, ग्यान कि होइ विराग बिनु।
गावहिं वेद पुरान, सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु॥

(रामचरितमानस—उत्तरकांड)

- इसमें छन्द की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बिना > बिनु, गुरु > गुरु, क्या > कि, ज्ञान > ग्यान, वैराग्य > विराग, पुराण > पुरान, भक्ति > भगति, स्वरात्मक लय के लिए भक्त > भगत, योग्य > जोग, युक्ति > जुगति, मे > मुंह हो जाते हैं।
8. **नवीनीकरण की प्रवृत्ति**—मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह प्रत्येक वस्तु में नयापन लाना चाहता है, अतः जान-बूझकर अन्य भाषाओं के शब्दों को संस्कृतनिष्ठ या हिंदीनिष्ठ आदि कर दिया जाता है। यह प्रवृत्ति अधिकांशतः प्रबुद्ध वर्ग में पाई जाती है। जैसे—मैक्समूलर को > मोक्षमूलर, ऑक्सीजन > ओषजन, नाइट्रोजन > नत्रजन, एकेडमी > अकादमी, तुर्क > तुरक, चश्मा > चक्ष्मा, अलेक्जेंडर > अलक्षेंद्र आदि।

9. **अनुकरण की अपूर्णता**—जब कोई व्यक्ति किसी ध्वनि का उच्चारण करता है, तो दूसरा व्यक्ति उसका अनुकरण करके उसे सीख लेता है। परंतु अनुकरण में त्रुटियां हो जाती हैं। सही अनुकरण नहीं हो पाता या उच्चारण में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इस प्रकार अनुकरण अपूर्ण रह जाता है। अतः ध्वनियों में परिवर्तन आता जाता है जिनका शनैः शनैः समाज में प्रचलन हो जाता है। 'बन्धोपाध्याय' से 'बनर्जी', 'उपाध्याय' से 'झा' 'ओम नमः सिद्धम्' का 'ओनामासीधम' बनना अनुकरण की अपूर्णता के सूचक हैं। बच्चों की बोली में अनुकरण की अपूर्णता स्पष्ट दिखाई पड़ती है; जैसे रोटी को 'लोटी', रुपया को 'लुपया' सुना जा सकता है परंतु बाद में वे दोष दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण का 'ब्राह्मन' आदि अनुकरण की अपूर्णता से हो जाते हैं।
10. **भ्रामक व्युत्पत्ति**—जब व्यक्ति किसी अपरिचित शब्द के संसर्ग में आते हैं तथा उस शब्द से साम्य रखता हुआ कोई शब्द भाषा में पहले से ही होता है, तब वे अपरिचित शब्द के स्थान पर अपनी भाषा के पूर्व परिचित शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन की क्रिया चलने लगती है। जैसे अंग्रेजी शब्द 'लाइब्रेरी' को अशिक्षित लोग भ्रमवश 'रायबरेली' तथा अरबी शब्द 'इंतकाल' को 'अंतकाल' कह देते हैं। इसी प्रकार 'चारज शीट' को 'चारसीट', 'क्वार्टर' को 'कातल' या 'काटर', 'गार्ड' को 'गारद', 'कोर्ट' को 'कोरट', 'कार्ड' को 'कारड' जैसे शब्द भ्रमवश प्रयोग किए जाने लगते हैं।
11. **वाग्यंत्र की विभिन्नता**—हर व्यक्ति के वाग्यंत्र की बनावट पूर्णतः एक सी नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ध्वनि उच्चारण भी समान नहीं होता है। वाग्यंत्र की भिन्नता के कारण ध्वनि उच्चारण में भिन्नता आ जाती है जैसे कि हर व्यक्ति अब श, ष, स इन तीनों ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर सकता है। संस्कृत की 'स' ध्वनि 'फारसी' में 'ह' बन जाती है जैसे 'सिंधु' का 'हिंदु', 'सप्त' का 'हप्त' आदि। 'ऋ' ध्वनि का उच्चारण भी अब 'रि' या 'रु' किया जाता है। सही उच्चारण संभव नहीं है।
12. **यदृच्छा शब्द**—बोलते समय लोग अपने आप शब्द बनाकर बोलते हैं, जिन्हें यदृच्छा शब्द कहते हैं। कभी-कभी एक शब्द की समानता पर जोड़ा शब्दों का निर्माण कर लिया जाता है। खाना-बाना, रोटी-ओटी, पानी-बानी आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। युग्मक रूप बनाते समय ध्वनि परिवर्तन कर लिया जाता है।
13. **आत्मप्रदर्शन**—आत्मप्रदर्शन के कारण भी लोग बोलते समय ध्वनि परिवर्तन कर लेते हैं; जैसे 'खालिस' (शुद्ध) को निखालिस (अशुद्ध), 'इच्छा' को 'इक्षा', 'छात्र' को 'क्षात्र', 'क्षत्रिय' को 'छत्रिय', 'सेवक' को 'शेवक' आदि प्रकार से परिवर्तित कर लिया जाता है। इसी प्रकार 'उपर्युक्त' को 'उपरोक्त' तथा 'अंतराष्ट्रीय' को 'अंतराष्ट्रीय' बनाकर प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का प्रचलन अत्यधिक हो चुका है तथा भाषा में ये रूप स्वीकृत हो चुके हैं।

बाह्य कारण

1. **भौगोलिक कारण**—भौगोलिक कारणों से ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। फारसी में 'स' का 'ह' हो जाता है। जैसे—सिंधु > हिंदु, सप्ताह > हफ्ता, पहाड़ी क्षेत्रों में स को श बोलते हैं। समाचार > शमाचार, संदेश > शन्देश, सीट > शीट, सिर > शिर। उच्च जर्मन और निम्न जर्मन में भौगोलिक कारणों से ही ध्वनि परिवर्तन हुआ है। जैसे उच्च जर्मन में—

ध्वनि परिवर्तन	अंग्रेजी शब्द (निम्न जर्मन)	उच्च जर्मन शब्द
द् को त्	Drink	Trinken
थ् को द्	North	Nord
प् को फ्	Up	Auf
फ् को ब्	Wife	weib
ट् को त्स्	Two	Zwei
क् को ख्	Book	Buch

2. **सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ**—सामाजिक या राजनीतिक उन्नति या अवनति के कारण शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन हो जाता है। उन्नति की अवस्था में शब्दों के शुद्ध रूप पर बल दिया जाता है और अवनति के समय अपभ्रंश रूपों की अधिकता होती है; जैसे पंडित > पंडा, यजमान > जजमान, दिल्ली > देहली, मुंबई > बंबई, रिपोर्ट > रपट, गुरु > गुरू, सत्य > सच, घृत > घी, वाराणसी > बनारस, कर्म > करम आदि।

3. **अन्य भाषाओं का प्रभाव**—अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण ध्वनियों में परिवर्तन देखा जाता है। फारसी और अरबी के प्रभाव के कारण हिंदी में भी क् ग् ज् आदि ध्वनियां फारसी और उर्दू के शब्दों में लिखी और बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार की भाषाओं के संपर्क से संस्कृत आदि में टवर्ग ध्वनियां आई हैं; जैसे प्रकृत > प्रकट, संस्कृत > संकट, विकृत > विकट आदि।

4. **सादृश्य-समानता के आधार पर कुछ ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है**; जैसे द्वादश के सादृश्य पर एकादश, करिणा के सादृश्य पर अग्निना, भानुना आदि शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। मालीय, शालीय, भवदीय आदि के साम्य पर राष्ट्र > राष्ट्रीय शब्द का प्रचलन है, जबकि शुद्ध शब्द 'राष्ट्रिय' है। पंचम्, सप्तम्, अष्टम् के स्थान पर 'षष्ठम्' भी प्रयुक्त होने लगा है।

5. **विदेशी ध्वनियों का प्रभाव**—विदेशी ध्वनियां भी किसी भाषा के जीवन में ध्वनि विकार का कारण बनती हैं, क्योंकि किसी भी भाषा में दूसरी भाषा की ध्वनियां उसी रूप में स्वीकार नहीं की जाती हैं। परिणामस्वरूप ध्वनि परिवर्तन स्वाभाविक है। भारतीय भाषाओं में अरबी, फारसी ध्वनियां फ्, ज्, क्, ख्, ग् आदि के नीचे नुक्ते

का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी की अनेक ध्वनियां भी हिंदी में परिवर्तित कर ली गई हैं अथवा ध्वनियों के प्रभाव से हिंदी ध्वनियों के उच्चारण में अंतर कर लिया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त अनेक कारणों से ध्वनियों में परिवर्तन होता है।

5.6 सारांश

प्राचीन काल में भाषा विषयक विभिन्न अंगों के अध्ययन के लिए शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, प्रातिशाख्य जैसे शब्द प्रचलित थे—इनमें से प्रत्येक का संबंध भाषा के किसी अंग विशेष से रहता था। पश्चिम में इसे Comparative Philology, Comparative Grammar, Glossology कहा गया। आगे चलकर अंग्रेजी में इसे Science of Language कहा गया, जो Linguistics के रूप में प्रचलित हुआ। हिंदी के भाषाविदों ने इसे 'भाषाशास्त्र', 'भाषा लोचन' और भाषिकी कहा है, लेकिन इसका नाम भाषा विज्ञान ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ।

भाषा मानव मात्र के लिए अनिवार्य तत्व है, उसकी व्यवहार साधिका है। अतः भाषा विज्ञान का विषय क्षेत्र व्यापक है। कहा गया है कि "भाषा विज्ञान का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितनी कि संपूर्ण मानवता, क्योंकि इसका संबंध विश्व के मनुष्यों की भाषा से है।" यह भाषा विज्ञान तथा उसके विभिन्न अंगों का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जिन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, उन्हें सुविधा की दृष्टि से प्रधान विषय तथा गौण विषय, इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।

भाषा विज्ञान का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग ध्वनि विज्ञान है। इसमें ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने ध्वनि की अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं। प्रो. डेनियल जॉन्स इसे नियत स्थान पर निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रवणेंद्रिय द्वारा ग्रहीत शब्द लहरी बताते हैं। डॉ. भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि भाषा ध्वनि मनुष्य के मुंह से नियत स्थान से निश्चित प्रयत्न द्वारा किसी ध्येय को स्पष्ट करने के लिए उच्चरित ध्वनि है जिसे श्रोता उसी अर्थ में ग्रहण करता है। ध्वनि के मुख्यतः दो भेद होते हैं— भाषा-ध्वनि और ध्वनिग्राम।

ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों के उच्चारण, रचना और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से इस विज्ञान को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है— ध्वनि शिक्षा और ध्वन्यालोचन। ध्वनियों को स्वर और व्यंजन दो रूपों में विभक्त किया गया है। पुनः स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण भी किया गया है। स्वर के वर्गीकरण के आधार हैं— जिह्वा की स्थिति, ओष्ठों की स्थिति और मात्रा। व्यंजन के वर्गीकरण के आधार स्थान तथा प्रयत्न हैं। स्थान मुख्यतः आठ हैं— काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वर्त्स, दंत, ओष्ठ तथा जिह्वामूल। प्रयत्न दो प्रकार का होता है— आभ्यंतर और बाह्य।

ध्वनि उच्चारण के कुछ आवश्यक अवयव होते हैं जिन्हें ध्वनि-यंत्र कहा जाता है। ये यंत्र हैं— वाग्यंत्र, नासिका विवर, कंठमार्ग, स्वरयंत्र, स्वरतंत्री, अलिजिह्व, तालु, जिह्वा और ओष्ठ। ध्वनियों के उच्चारण में सहायता पहुंचाने वाली इंद्रियों को करण कहते हैं। अधरोष्ठ, जिह्वा, कोमल तालु तथा स्वरतंत्री करण हैं।

अपनी प्रगति जांचिए

- निरुक्तकार ने वर्ण परिवर्तन की किन दिशाओं का उल्लेख किया है?
- स्वर तत्व के परिवर्तन को क्या कहते हैं?
- सही-गलत बताइए—
(क) बोलते समय स्वतः बना लिए जाने वाले शब्द यदृच्छा शब्द कहलाते हैं?
(ख) विदेशी ध्वनियां किसी भाषा में ध्वनि विकार का कारण नहीं बनती।